लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

[छठा सत्र]

सत्यमेव जयते

(खंड 18 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 6, सोमवार, 24 अगस्त, 1981/2 भाद्र, 1903 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 101 से 104, 107, 108 और 110	...	1—20
प्रश्नों के लिखित उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 105, 106, 109, 112 और 115 से 120	...	21—34
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1001 से 1055, 1057 से 1124, 1127 से 1182 और 1184 से 1200	...	34—274
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के बारे में	...	—275
	...	279—281
सभा पटल पर रखे गये पत्र	...	275—278
राज्य सभा से सन्देश	...	—282
मुम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमन और दीव में अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक—1980		
राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में	...	—283
देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य		
श्री जियाउर्रहमान अंसारी	...	283—290
ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) विधेयक--पुरःस्थापित	...	—291
ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश, 1981 के बारे में वक्तव्य		
श्री प्रणव मुखर्जी	....	—292
नियम 377 के अधीन मामले		
(एक) हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ तहसील में रेल सुविधायें		
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	...	—292

* किसी नाम पर अंकित यह चिन्ह † इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय		पृष्ठ
(दो) पश्चिम बंगाल 24 परगना जिले में मोहिनी मिल्स लिमिटेड, बेलवोड़िया का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की आवश्यकता		
श्रीमती गीता मुखर्जी	...	—292
(तीन) रामेश्वरम को एक प्रमुख बन्दरगाह घोषित करने की आवश्यकता		
श्री एम० ए० के० सतियेन्द्रन	...	—293
(चार) उत्तर प्रदेश में "नेत्र चिकित्सालय" सीतापुर का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने की आवश्यकता		
श्री रामलाल राही	...	—294
(पांच) नागालेंड में दीमापुर हवाई अड्डे को नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत लाने की कार्यवाही		
श्री चिंगवांग कोनयक	...	—295
(छः) भोले भाले लोगों को खाड़ी के देशों में रोजगार दिलाने का लालच देने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही		
श्री वी० एस० विजयराघवन	...	—296
(सात) मेरठ और दिल्ली के बीच दैनिक यात्रियों के लिए तीव्र गति की रेल सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता		
श्रीमती ऊषा वर्मा	...	296—297
असम राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प तथा असम बजट, 1981-82—सामान्य चर्चा तथा अनुदानों की मांगें (असम), 1981-82	...	297—317
श्री चित्त बसु	...	297—298
श्री रवीन्द्र वर्मा	...	299—303
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	...	304—305
श्री पी० वेंकटसुब्बय्या	...	305—306
श्री आर० वेंकटरामन	...	307—317

विषय		पृष्ठ
असम विनियोग विधेयक	...	—318
पुरःस्थापित तथा विचार करने का प्रस्ताव		
श्री आर० वेंकटरामन	...	318—319
खण्ड 2, 3 और 1		
पारित करने का प्रस्ताव		
श्री आर० वेंकटरामन	...	—319
आवश्यक वस्तु (विशेष उपवन्ध) विधेयक		
तथा		
चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक, 1981		
विचार करने का प्रस्ताव	...	—319
श्री दिलीप सिंह भूरिया	...	319--321
श्री बापू साहिब परुलेकर	...	321—324
श्री वी० एस० विजयराघवन	...	325—316
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया	...	326—329
श्री कृष्ण कुमार गोयल	....	330—335
श्री के० टी० कोसलराम	....	336—338
आचार्य भगवान देव	...	338—242
श्री भोगेन्द्र झा	...	342—346
श्री जैनुल बशर	...	346—351
श्री चन्द्रजीत यादव	...	351—355
श्री मूलचन्द डागा	...	355—359
श्री चित्त बसु	...	359—361
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	361—364
श्री रतन सिंह राजदा	...	364—365
श्री रामलाल राही	....	365—367

विषय		पृष्ठ
आधे घण्टे की चर्चा		367—380
बाढ़ से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता		
प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत	...	367—371
राव बीरेन्द्र सिंह	....	371—380
श्री अजीत कुमार साहा	...	374—375
श्री रेणुपद दास	...	375—376
श्री मुकुन्द मण्डल	...	376—377
श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर	...	—377
श्री सतीश अग्रवाल	....	377—380

लोक सभा

सोमवार, 24 अगस्त, 1981/2 भाद्र, 1903 (शक)

लोकसभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

छठी योजनावधि में ग्रामीण जल सप्लाई योजनायें

*101. **श्री क्रिस्टोफर एक्का** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास छठी योजना अवधि के दौरान ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं को तेजी से शुरू करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या ग्रामीण जल सप्लाई योजनाओं का क्रियान्वयन करते समय विभिन्न राज्यों के पिछड़े जिलों को प्राथमिकता दी जाएगी ;

(ग) उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले में इस योजना के अन्तर्गत लाने हेतु कुल कितने गावों को चुना गया है ; और

(घ) उपर्युक्त प्रस्ताव के क्रियान्वयन का ब्यौरा क्या है ?

निर्माण और आवास मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) जी, हां ।

(ख) समस्याग्रस्त ग्रामों को जहां कहीं भी वे स्थित हैं, पेय जल की व्यवस्था करने के लिये प्राथमिकता दी जाएगी ।

(ग) 1,227 ।

(ग) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 1980-81 के दौरान अभी तक 23,276 समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल सुविधा प्रदान की गई । इनमें से 67 समस्याग्रस्त ग्राम उड़ासा के सुन्दरगढ़ जिले में थे ।

श्री प्रताप भानु शर्मा : पिछले वर्ष भी गर्मियों के समय में और इस वर्ष भी गर्मियों के समय में ड्रिलिंग रिग्ज उपलब्ध न होने की वजह इस काम की रफ्तार धीमी रही है और जिस रफ्तार से खुदाई का काम होना चाहिए था नहीं हुआ है । पर्याप्त मात्रा में रिग्ज उपलब्ध हों इसके लिए सरकार ने क्या कोई कार्रवाई की है या कार्रवाई करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : यह सवाल रिग्ज से सम्बन्ध नहीं रखता है। माननीय सदस्य अगर अलग से सूचना देंगे तो मैं जबाव दे दूंगा।

श्री प्रताप भानु शर्मा : ग्रामीण जल सप्लाई की योजनायें बिना रिग्ज के आगे नहीं बढ़ सकती है। मैंने अपने निर्वाचन क्षेत्र का टूर करके देखा है और मैं बता रहा हूं कि रिग्ज वहां उपलब्ध नहीं है और राज्य सरकार ने अपनी रिग्ज की आवश्यकताओं को केन्द्र के पास भेज दिया है। उस पर इन्होंने क्या कार्रवाई की है। अगर उनकी रिक्वायरमेंट नहीं आई है तो स्पेसेफिक इसका जवाब मंत्री महोदय दें।

अध्यक्ष महोदय : अलग से आप नोटिस दे दें तो मैं इसका जवाब दिला दूंगा यह तो नीचे की बात है। लेकिन हैंड से पम्प करके भी तो पानी आ सकता है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या योजना तैयार करने के लिए उनके पास आंकड़े हैं कि पिछले तीन वर्षों में प्रतिवर्ष कितने गावों को पीने के पानी की सुविधा दी गई है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : हमारे पास आंकड़े हैं, वास्तव में हम उन्हें राज्य सरकारों से प्राप्त करते हैं। वे उन गावों का पता लगाते हैं जहां पीने के पानी की समस्या है। पूरे देश में ऐसे गावों की संख्या लगभग 2 लाख है जिनमें पीने के पानी की व्यवस्था की जानी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मैंने पूछा था कि पिछले तीन वर्षों में हरवर्ष कितने गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई।

श्री भीष्म नारायण सिंह : 1980-81 के दौरान जिन गांवों में पीने के पानी की समस्या का हल किया गया उनकी संख्या 23,276 है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : भारत सरकार द्वारा इस योजना को स्वीकृति देने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है क्योंकि हम देखते हैं कि सिफारिशें राज्य सरकारों द्वारा की जाती हैं परन्तु स्वीकृति केन्द्रीय सरकार द्वारा दी जाती है। जो कुछ तरह की ग्रामीण जल पूर्ति योजनाओं के मामले में बहुत अनिवार्य है और ऐसी योजनाओं की स्वीकृति देने में सरकार बहुत समय लेती है।

श्री भीष्म नारायण सिंह : हमने पानी की समस्या वाले गांवों का पता लगाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा बरती जाने वाली कसौटी का निर्धारण कर दिया है। ऐसे गांवों में 1.6 किलोमीटर की दूरी तक शुद्ध पीने के पानी की सुविधा नहीं होनी चाहिए।

श्री नारायण चौबे : क्या मैं जान सकता हूं कि पश्चिम बंगाल में पीने के पानी के आवभ वाले कितने गावों की गिनती की गई है तथा उनमें से कितने गांवों को पीने का शुद्ध पानी दिया

जा चुका है । जब भी राज्य सरकार पीने का पानी देना चाहती है, (रिगिम) साज-समान की समस्या पैदा हो जाती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप केवल चुनाव में रिगिम करने में सिद्ध हस्त हैं और पीने के पानी की सप्लाई में सिद्धहस्त नहीं हैं ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बध है, पानी के अभाव वाले गाँवों की कुल संख्या 25,243 है ।

श्री नारायण चौबे : कितने गांवों में पीने के पानी की सप्लाई की व्यवस्था की गई है ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : वर्ष 1980-81 में 874 गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था की गई ।

श्रीमती कृष्णा साही : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहती हूं कि छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिहार में प्रोबलम विलिजेज के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है जिससे पेय जल की समस्या दूर की जा सके ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : न्यूनतम कार्यक्रम केअन्तर्गत बिहार राज्य के लिए छठी योजना में कुल 75 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है ।

सुन्दरबन क्षेत्र में विकास परियोजनाओं के लिए आवंटन

***102. श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के दौरात पश्चिम बंगाल में सबसे पिछड़े क्षेत्र सुन्दरबन क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए कुल कितनी राशि आवंटित की गई है और वह किस प्रकार की परियोजनाओं के लिए है ;

(ख) सुन्दरबन कृषि विकास परियोजना के कार्यान्वयन में कितनी प्रगति हुई है ; और

(ग) विपणन केन्द्र आदि स्थापित करने जैसी कुछ परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक से कितनी राशि प्राप्त हुई और इसका किस प्रकार उपयोग किया गया है अथवा करने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) पश्चिम बंगाल सरकार ने चालू वर्ष (1981-82) के लिए कुल 6.26 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं । यह राशि सुन्दरबन विकास बोर्ड के सामान्य विकास कार्यक्रमों के तहत कृषि, बागवानी मात्स्यिकी, सामाजिक वानिकी, प्रौढ़ शिक्षा, लघु उद्योगों को ऋण तथा ऐसे अन्य विकास कार्यों और अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधी से सहायता प्राप्त सुन्दरबन विकास परियोजना के क्रियान्वयन पर खर्च की जाएगी ।

(ख) अन्तराष्ट्रीय कृषि विकास निधि से सहायता प्राप्त सुन्दरवन विकास परियोजना राज्य सरकार की एक पंचवर्षीय परियोजना है जो चालू वित्तीय वर्ष में आरम्भ हुई है। राज्य सरकार ने 1981-82 के लिए 4.21 करोड़ रुपये की राशि मुहैय्या की है। प्रथम प्रगति रिपोर्ट सितम्बर, 1981 में देय है।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए कोई दावा नहीं किया है, अतः अन्तर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि से कोई राशि नहीं ली गई है।

आवश्यक वस्तुओं की कमी

*103. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति :**

श्री मनफूल सिंह चौधरी : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आवश्यक वस्तुओं के मामले में बाजार में व्यापारियों द्वारा पैदा की गई कमी को देखते हुए उनके मन्त्रालय ने आवश्यक वस्तुओं को राशन की दुकानों अथवा सुपर बाजार में उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कमी में प्रतिदिन वृद्धि हो रही है ;

(ग) यदि हां, तो बाजार में और उचित दर की दुकानों पर सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के लिए मन्त्रालय ने क्या कार्यवाही की है ; और

(घ) क्या इन वस्तुओं को खुले रूप से बाजार में लाने के लिए जमाखोरों को मजबूर करने के लिए बहुत से उपाय भी किये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

कुछ वस्तुओं की अस्थायी स्वरूप की स्थानीय कमी को छोड़कर, आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता सामान्यतया संतोषजनक है। जब कभी कमी की सूचनायें प्राप्त होती है, सम्बन्धित विभागों और अभिकरणों द्वारा उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किये जाते हैं। सरकारी नीति में मुख्य रूप से आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाने और उनकी ढुलाई तथा वितरण में सुधार लाने पर बल दिया गया है। देश में कम मात्रा में उपलब्ध वस्तुओं के उत्पादन की अनुपूर्ति आयात द्वारा की जा रही है सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे यह देखें कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली वस्तुएं ठीक तरह से वितरित हों। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम, चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम और अन्य संगत उपायों को सख्ती से लागू कर रही हैं।

श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति : हम सब को पता है कि इस देश में आवश्यक वस्तुओं की कमी सदा व्यापारिक समुदायों द्वारा पैदा की जाती है क्योंकि वे लोग चोर बाजारी एवं मुनाफा-खोरी में रुचि रखते हैं। सरकार द्वारा बार बार चेतावनी दिये जाने पर भी वे अपने में सुधार लाने को तैयार नहीं हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए, क्या मैं मंत्री महोदय से जान सकता हूं कि क्या सरकार देश भर की ग्रामीण तथा शहरी गरीब जनता के लिए व्यापक वसूली एवं वितरण कार्यक्रम लाने के बारे में सोच रही है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : सरकार पहले ही आवश्यक वस्तुओं के उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उचित मूल्य पर वितरण की नीति का अनुसरण कर रही है। अनाज जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक वस्तु है, की बहुत बड़ी मात्रा में वसूली हम पहले से करती हैं। जनता को तथा आटे की मिलों को अनाज की सप्लाई सरकार वर्ष भर उचित मूल्य पर करती है। चीनी, जो कि दूसरी आवश्यक वस्तु है, की मिलों से वसूली भी सरकार करती है। कुल उत्पादन का 65 % लैवी के रूप में लिया जाता है। उसे भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से 3.50 रुपये किलो की दर से वितरित किया जाता है। उसी प्रकार मिट्टी का तेल, मोटा कपड़ा माचिस तथा उसी प्रकार की वस्तुएं उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से वितरित की जाती हैं जिनकी संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले वर्ष उनकी संख्या 2.96 लाख तक बढ़ गई है। जनवरी 1980 से 60,000 नयी दुकानें खोली गई हैं।

यदि माननीय सदस्य सरकार से यह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार इन वस्तुओं के व्यापार को अपने हाथ में लेने की सोच रही है तो यह हमारी नीति नहीं है। जितना कार्य हम कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वह पर्याप्त है। निश्चय ही इस पद्धति में सुधार लाना चाहते हैं और जहां कहीं आवश्यक हो वसूली करना चाहते हैं।

श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति : देश में विद्यमान स्थिति मांग करती है कि कम से कम थोक व्यापार को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। क्या सरकार का थोक व्यापार को अपने हाथ में लेने का कोई कार्यक्रम है ? क्या सरकार देश के गरीब वर्ग को जो कि देश की जनसंख्या का अधिक भाग है। आवश्यक वस्तुएं रियायती दरों पर देने के लिए तैयार है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जैसा कि मैंने बताया, पूरी जनता को अनाज सस्ते मूल्य पर दिया जाता है। परन्तु सरकार थोक व्यापार को हाथ में लेकर निजी व्यापार को समाप्त नहीं करना चाहती।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : मन्त्री महोदय ने बताया कि आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक है। जहां तक गेहूं का सम्बन्ध है मैं कह सकता हूं कि कम से कम मेरे राज्य पश्चिम बंगाल में उसकी सप्लाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है। मन्त्री महोदय ने बताया है कि सभी वस्तुओं के थोक व्यापार को केन्द्रीय सरकार अपने हाथ में नहीं ले सकती। पश्चिम बंगाल सरकार ने सुझाव दिया है कि 14 वस्तुओं की वसूली केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाए

तथा उनकी वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से किया जाये। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पूजा, बकर-ईद दीवाली, ओनम का मौसम आ रहा है क्या वह मैदा, गेहूं और चीनी जैसी चीजों की जनता को प्रयाप्त सप्लाई करने की व्यवस्था करेंगे ?

राव वीरेन्द्र सिंह : सरकार ने किसी आवश्यक वस्तु की एकाधिकार वसूली को हाथ में लेने का निश्चय नहीं किया है।

श्री नारायण चौबे : गेहूं की कमी है, गेहूं नहीं मिलता है बंगाल में।

एक माननीय सदस्य : आप तो चावल खाते हैं।

राव वीरेन्द्र सिंह : वेस्ट बंगाल में गेहूं की एलोकेशन. शायद और बहुत सी स्टेट्स से बहुत ज्यादा है। वेस्ट बंगाल को बहुत गेहूं और चावल दे रहे हैं।

पर्वों के मौसम के लिए हमने चावल, गेहूं, खाद्य तेल तथा चीनी की भारी मात्रा दे दी है। आगामी महीने के लिए उपभोक्ताओं को मैदा, आटा और सूजी उपलब्ध करने के लिए लगभग 40 हजार टन अतिरिक्त गेहूं दी गई है।

श्री जगरीश टाईटलर : मूल्य वृद्धि तथा आवश्यक वस्तुओं की अनुपलब्धता गार बार हमारे देश के परिवारों को कष्ट देती है। क्या सरकार ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों एवं उनकी अनुपलब्धता का सर्वेक्षण किया है ? क्या यह सच नहीं है कि समस्या अनुपलब्धता की उतनी नहीं है जितनी मूल्यों की ? सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है।

राव वीरेन्द्र सिंह : संभवतः माननीय सदस्य जानते हैं कि आवश्यक वस्तुओं के वितरण के मामले में सरकार की सतर्कता एवं सफल नीति के कारण ही चार दिन के भीतर चीनी के मूल्य घटे हैं। चीनी अब देश के सभी भागों में लगभग 600 रु० प्रति क्विंटल की दर से उपलब्ध है। दिल्ली में यह 6.50 रुपये प्रति किलोग्रास मिल रही है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : 6 रुपया क्या सस्ता है ?

राव वीरेन्द्र सिंह : जब मैंने पिछली बार बताया था कि देश में चीनी के मूल्य घटेंगे तब किसी ने नहीं सोचा था कि अगले वर्ष इतना सुधार होगा। हमने देखा, माननीय सदस्य मेरी बात का समर्थन करेंगे कि हम चीनी के मूल्यों को घटा पाये हैं। पिछले वर्ष पर्वों ईद और दशहरा जैसे के अवसर पर चीनी 12 रुपये अथवा इससे अधिक मूल्य पर बिकी थी ? देश के कुछ भागों में 20 रुपये किलो भी विकी है। इसी प्रकार खाद्य तेलों की काफी मात्रा हमने पर्वों के अवसर पर दी है। अक्तूबर तक जोकि हमारे देश में तेल-वर्ष का अंतिम महीना होता है, हमारा वनस्पति की निर्माता फैक्ट्रियों से समझौता है कि वनस्पति फैक्ट्री पर 192 रुपये में 16 1/2 किलो के भाव से बेचा जायेगा। फैक्टरी पर मूल्यों को उसी स्तर पर रखा जा रहा है। जब भी हमें पता चलेगा कि खुदरा व्यापारी अधिक मूल्य ले रहे हैं तो हम न केवल उनके

विरुद्ध कार्यवाही करेंगे अपितु थोक व्यापारियों एवं निर्माताओं के विरुद्ध भी कार्यवाही करेंगे क्योंकि वनस्पति का परचून में उचित निर्धारित मूल्य पर वितरण करने का दायित्व हमने निर्माताओं को सौंपा है । (व्यवधान) ।

श्री रामलाल राही : घी के दाम रोज बढ़ रहे हैं, घी के बारे में बताइये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : अगर बढ़ रहे हैं तो एक शिकायत तो आप ने भेजी होती, फिर हम बताते कि क्या ऐक्शन हम ले रहे हैं ।

श्री रामविलास पासवान : क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि अभी दिल्ली के बाजार से कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं गायब हैं और क्या यह सही है कि इस में व्यापारियों का तो दोष है ही लेकिन व्यापारियों के साथ साथ सरकार की भी सांठ गांठ इस में है ? माल को छिपाने में सरकार का भी हाथ रहता है और दोनों की सांठ गाँठ इस में रहती है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य का यह इल्जाम बिल्कुल वाहियात और बेबुनियादी है ।

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय माननीय मंत्री ने सरकारी वितरण प्रणाली का बहुत ही सुन्दर चित्र प्रस्तुत किया है । परन्तु मैं साहस के साथ कह सकता हूं कि आपको सार्वजनिक वितरण प्रणाली, यदि पूर्णतः नहीं तो आँशिक रूप से विफल हो गयी है, वह इस अर्थ में कि लोगों को आवश्यक वस्तुयें नियमित रूप से तथा सस्ते दामों पर उपलब्ध नहीं हो पाती । जब मैंने सभा पटल पर इस प्रश्न को उठाया था और यह शिकायत की थी कि बम्बई में लोगों को लगातार दो महीने तक चीनी नहीं मिली, तो उस समय आप मुझसे नाराज हो गये थे : परन्तु जब मैंने उसी विषय पर मुख्य मंत्री से बात की तो वे सहमत हुए कि यह बात सत्य है ।

महोदय, मैं कहता हूं कि आप लोगों को आवश्यक वस्तुयें नियमित रूप से प्राप्त नहीं हो रही है । मैं आपको बता सकता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में चीनी 2-50 रु० प्रति किलोग्राम की दर पर उपलब्ध थी और लोग उन अच्छे दिनों को आज भी याद कर रहे हैं । (व्यवधान) अच्छा यदि यह सत्य सत्ताधारी दल को रुचिकर नहीं है तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं (व्यवधान) यदि उस तरफ के सदस्यों को सत्य रुचिकर नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता । आपको इस बात पर गर्व हो रहा है कि आपने चीनी के मूल्य को 6.00 रु. तक ला दिया है । परन्तु यह बहुत अधिक ऊंचा मूल्य है । यदि आप क्षेत्रीय प्रणाली को पूर्णतः समाप्त कर दें और पूरे भारत को एक ही क्षेत्र माने, तब ही समस्या का समाधान हो सकता है । फिलहाल बम्बई में गेहूं का मूल्य 350 रु० प्रति क्विंटल है और उत्तर प्रदेश में यह 125 रु० प्रति क्विंटल बिक रहा है ।

अध्यक्ष महोदय : आपको सुझाव नहीं देने हैं । आपको प्रश्न पूछना है, श्री राजदा ।

श्री रतन सिंह राजदा : महोदय मैं जानता हूं कि यह एक सुझाव है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न पूछें।

श्री रतन सिंह राजदा : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहूंगा कि क्या वे एक उपभोक्ता टोकरी बनायेंगे और सभी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई नियमित रखेंगे ताकि आप लोगों को आवश्यक वस्तुयें सस्ते मूल्यों पर तथा नियमित रूप से मिल सकें ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, यह हमारी सतत निगरानी का ही फल है कि अब मैं कह सकता हूं कि माननीय सदस्य बहुत ही सुखद परिस्थिति में हैं और बम्बई में लोग जितनी चाहें चीनी खा सकते हैं।

श्री रतन सिंह राजदा : किस मूल्य पर ?

राव बीरेन्द्र सिंह : बम्बई में 6 रु० प्रति किलोग्राम की दर पर। पिछले दो दिनों में ही मूल्य 60 रु० से 80 रु० प्रति क्विंटल तक गिर गये है। माननीय सदस्य के दूसरे सुझाव ध्यान में रख लिये गये हैं और हम देखेंगे कि हमारी वितरण प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जा सकता है।

श्री रतन सिंह राजदा : धन्यवाद।

श्री के० मायातेवर : पूरे तमिलनाडू में जनता पिछले एक वर्ष एक स्वर से शिकायत कर रही है कि उन्हें गेहूं और मैदा नहीं मिल रहा है।

इन वस्तुओं का वितरण ठीक नहीं है। मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार तमिलनाडु सरकार को ये वस्तुयें खास तौर से चावल नियमित रूप से भेज रही है ? यदि यह सत्य है तो क्या सरकार तमिलनाडु सरकार की गलत वितरण प्रणाली के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ? हमें आवश्यक वस्तुयें चाहिएं। हाल ही में मुझे पता चला है कि यह सूचना विभिन्न दलों के बहुत ही जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा दी गई है। मेरा प्रश्न राजनीति से प्रेरित नहीं है कि उन्हें तमिलनाडु को मैदा नहीं मिल रहा है मुझे यह भी बताया गया है कि कोई इसकी चोर बाजारी में लगा हुआ है। यह उच्चतम स्तर पर किया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि केन्द्र सरकार आवश्यक कार्यवाही करे ताकि मैदे का सही तरीके से वितरिण हो सके।

राव बीरेन्द्र सिंह : पिछले कुछ ही महीनों के अन्दर तमिलनाडू को चावल की पूर्ति चार गुना हो गयी है जितनी पूर्ति पहले हुआ करती थी अब यह उसकी चार या पांच गुना हो गयी है। विभिन्न घटकों के कारण हमारे वितरण तन्त्र पर दबाव बढ़ रहा है। सम्भवतः तमिलनाडू में सूखा पड़ा था और पिछली बार धान की फसल अच्छी नहीं हो पायी परन्तु हम तमिलनाडू की मांगों को पूरा कर रहे हैं। तमिलनाडू के लिए चावल और गेहूं की भारी मात्रा-आबंटित की गई है हमारा रेल प्रशासन के साथ इस विषय में प्रयास जारी है। हमें आशा

है कि तमिलनाडू में इससे सम्बन्धित कोई कठिनाई नहीं आयेगी । केन्द्र सरकार से आबंटन के संबंध में मैं कह सकता हूं कि तमिलनाडू की जनता के लिए पर्याप्त मात्रा में आबंटन किया है । मैंने पहले भी कहा है कि कभी वाले सभी दक्षिण राज्यों को तमिलनाडू, केरल, को भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ भेजे जा रहे हैं । 1,30,000 मिट्रीटन प्रतिमास भेजा जाता है और जिस पर केन्द्र सरकार की ओर से लगभग 4 करोड़ रु. प्रतिमाह राजसहायता दी जाती है । यह इतनी भारी मात्रा है कि इससे आगे बढ़ना सम्भव नहीं हो सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 104

श्री मनोरंजन भक्त : मुझे अनुमति नहीं दी जा रही है ।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप मेरे साथ सहयोग कीजिए ताकि मैं अधिक प्रश्नों को पूरा कर सकूं ।

प्र सं 104 ।

जहरीली कीटनाशक औषधियों के कारण मृत्यु

*104. **श्री राम सिंह यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि जहरीली कीटनाशक औषधियों के प्रयोग से प्रतिवर्ष 5 लाख व्यक्ति मरते हैं ;

(ख) क्या कृषि मंत्रालय या किसी राज्य सरकार ने देश में पौधों तथा फसलों की रक्षा के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कीटनाशक औषधियों के परीक्षण के लिए कोई प्रयोगशाला खोली है ;

(ग) क्या भारत सरकार ने देश के किसानों को दी जाने वाली कीटनाश क औषधियों की किस्म का पता लगाने के लिए अभी हाल ही में विशेषज्ञों की पांच क्षेत्रीय सर्वेक्षण समितियां नियुक्त की हैं ।

(घ) क्या उक्त समितियों की अन्तरिम रिपोर्टों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कीटनाशक औषधियों के 385 नमूने लिए गए जिनमें से, 134 का रसायनिक परीक्षण किया गया, उनमें 44 को स्तर से नीचे पाया गया और उनमें मिलावट पाई गई ; और

(ङ) स्तर से नीचे की कीटनाशक औषधियों का उत्पादन करने वाली यूनिटों तथा जिन विक्रेताओं के कब्जे में निम्नस्तर की कीटनाशक औषधियां पाई गई हैं उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ऐसी कोई रिपोर्ट जारी नहीं की है ।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) पूर्वी क्षेत्र से संबंधित सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। दक्षिणी तथा पश्चिमी क्षेत्रों से संबंधित सर्वेक्षण दलों ने कोई नमूना नहीं लिया। उत्तरी तथा केन्द्रीय क्षेत्र से संबंधित दलों ने 131 नमूने लिये, जिसमें 64 नमूने घटिया पाये गये। ये नमूने कीटनाशक दवाओं की क्वालिटी के स्तर का मूल्यांकन करने हेतु लिए गये थे। मुकदमा चलाने के लिए सभी मामलों में नमूने लेने की औपचारिकताएं संतोषजनक नहीं थीं, इसलिए दलों ने मुकद्मा चलाने का सुझाव नहीं दिया। तथापि, उत्तरी तथा केन्द्रीय क्षेत्रों से संबंधित दलों की रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दी गयी है। इन रिपोर्टों में उन विनिर्माण और बिक्री यूनिटों का ब्यौरा दिया गया है जिनके पास घटिया कीटनाशक दवायें पाई गई थीं।

श्री रामसिंह यादव : महोदय, विषैले कीटनाशकों के प्रयोग से बहुत ही घृणित अपराध किए जा रहे हैं....।

अध्यक्ष महोदय : हम कल ही ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के दौरान इस पर काफी चर्चा कर चुके हैं।

श्री रामसिंह यादव : इस प्रश्न के उत्तर से कुछ अन्य प्रश्न उठते हैं। सरकार का उत्तर है कि :

> "सभी मामलों में मुकदमा चलाने हेतु नमूना लेने संबंधी औपचारिकताएं सन्तोषजनक नही थी, इसलिए दलों ने मुकदमा चलाने का सुझाव नहीं दिया।"

यह बहुत भ्रांति पूर्ण उत्तर है यदि नमूने कानून सम्मत ढंग से लिए गए और उनके परिणाम भी वैध थे, तब उन संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं की गई ? मुझे इसका उत्तर चाहिए।

राव वीरेन्द्र सिंह : मामला वैसा भ्रांतिपूर्ण नहीं है जैसा माननीय सदस्य समझ रहे हैं। अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा चलाने हेतु नमूना लेने के लिए यह आवश्यक है कि नमूने कुछ साक्षियों की उपस्थिति में लिए जाएं। अधिनियम को राज्य में लागू करने वाले विभाग के अधिकारियों को नमूने लेने वाली टीम के साथ जाना होता है। उनके साथ पुलिस कर्मचारी भी जाते हैं। इन टीमों को नियुक्त करने का उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में गुणवता नियन्त्रण के मौजूदा स्तर का पता लगाना है। हमारा उद्देश्य कदाचारों में संलग्न व्यक्तियों को पकड़ना नहीं था अपितु यह पता लगाना था कि इस समय स्थिति क्या है और इसमें कैसे सुधार लाया जा सकता है जिन मामलों में कानूनी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं उनकी सूचना हमने राज्य सरकारों को दे दी है। हमने प्रत्येक मामले से संबंधित तथ्य चाहे उनका विश्लेषण कहीं भी किया

गया हो राज्य सरकारों को दे दिए हैं और हम आशा करते हैं कि राज्य सरकारें मुकदमा चलाने के लिए कार्यवाही करेंगी।

श्री रामसिंह यादव : दूसरा, मेरे प्रश्न के भाग (ख) का माननीय मंत्री जी द्वारा दिया गया उत्तर अधूरा है। प्रश्न इस प्रकार है ;

"(ख) क्या कृषि मंत्रालय या किसी राज्य सरकार ने देश में पौधों तथा फसलों की रक्षा के लिए उपयोग में लाई जाने वाली कीटनाशक औषधियों के परीक्षण के लिए कोई प्रयोगशाला है।"

उत्तर है :

"जी हां, महोदय।"

इसका केवल यही उत्तर दिया गया है। मैं यह जानना चाहता था कि क्या इन प्रयोगशालाओं की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा की गई है और क्या सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने कीटनाशक औषधियों के परीक्षण हेतु प्रयोगशालाओं की स्थापना की है। उत्तर अधूरा है। क्या माननीय मंत्री जी मुझे यह बताने का कष्ट करेंगे कि कितने राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों ने कीटनाशक औषधियों और जहरीली कीटनाशक औषधियों के परीक्षण हेतु जिनसे किसानों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, प्रयोगशालाओं की स्थापना की है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : महोदय, आपने जैसा कहा कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर पहले ही बहुत चर्चा हो चुकी है। और मैं भी लगभग इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। यदि माननीय सदस्य जानना चाहते हैं तो मैं बताता हूं कि भारत में राज्यों द्वारा 26 प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई है तीन प्रयोगशालाओं की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई है। विभिन्न क्षेत्रों में पांच और प्रयोगशालाओं की स्थापना का प्रस्ताव है। हम अचानक जांच हेतु विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय केन्द्र भी खोलना चाहते हैं। देश की इन सभी 26 प्रयोगशालाओं और 3 केन्द्रीय प्रयोगशालाओं की नमूना विश्लेषण की क्षमता लगभग 32,000 नमूने हैं। वास्तव में नियम द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि देश में प्रयोग किए जा रहे प्रत्येक टन कीट नाशक कृषिनाशक औषधि में से एक नमूने का विश्लेषण किया जायेगा। अभी तक हमारे पास अपेक्षित क्षमता नहीं है। मैं यह भी कह चुका हूं कि कुछ राज्यों ने कोई प्रयोगशाला स्थापित नहीं की है। कुछ राज्यों ने पिछले 2-3 वर्षों से कोई नमूना नहीं लिया है। मैंने वर्ष 1979-80 के आंकड़े दिए हैं। मैंने जब यह कहा था कि कम नमूनों का विश्लेषण किया गया है और बहुत कम मुकदमे चलाये गए हैं तो मेरा तात्पर्य पिछली सरकार की कार्य अवधि से था। परन्तु हम अब किसानों द्वारा इस्तेमाल की जा रही इस महत्वपूर्ण चीज की गुणवता नियन्त्रण की पूर्ण प्रक्रिया में सुधार लाना चाहते हैं।

भवन निर्माण सामग्री की कम सप्लाई के कारण प्रभावित सिंचाई परियोजनाएं

*107. **श्री पी. राजगोपाल नायडू :**

श्री धर्मवीर सिंह : क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भवन निर्माण सामग्री की सप्लाई में कमी होने से पूरे देश को बहुत सी सिंचाई योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ;

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति में सुधार करने और निमार्णाधीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) कितनी परियोजनाओं पर प्रभाव पड़ा था और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी हां ।

(ख) कमी का संबंध मुख्यत: सीमेंट और कोयले से है । केन्द्रीय सरकार ने सीमेंट और कोयले के संबंध में सिंचाई और विद्युत सेक्टरों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता प्रदान की है । जहां तक सीमेंट का संबंध है, उसकी भारी कमी है । सिंचाई परियोजनाओं के लिए सीमेंट की आवश्यकताओं की जांच केन्द्रीय जल आयोग में की जाती है और सीमेंट का नियतन इस जांच के आधार पर किया जाता है । लेकिन वास्तविक सप्लाई नियत मात्राओं के अनुसार नहीं होती । यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि कारखाने पूरी मात्रा में सीमेंट रिलीज करें और उसकी ढुलाई के लिए पर्याप्त संख्या में रेलवे वैगन नियत किए जाएं । जहां तक कोयले का संबंध है, मुख्य बाधा ढुलाई के लिए रेलवे बैगनों के उपलब्ध होने के बारे में है । जिन परियोजनाओं को भारी मात्रा में कोयले की आवश्यकता है, उनकी अविलम्बनीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं । सीमेंट और कोयले के आबंटनों और प्राप्तियों की मानीटरिंग की जा रही है ताकि जब कभी आवश्यक हो, उपयुक्त कदम उठाये जा सकें । जहां तक इस्पात का संबंध है, मुख्यत: राउण्ड और बिलेट्स की कमी है । देशी साधनों से और आयात द्वारा परियोजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कदम उठाए गए हैं ।

(ग) सप्लाई में कमी होने के बावजूद वर्ष 1980-81 के भौतिक लक्ष्य अधिकांशत: पूरे कर लिए गए हैं क्योंकि दुर्लभ सामग्री उन वर्क्स के लिए इस्तेमाल की गई; जिनसे निकट भविष्य में सिंचाई-क्षमता के सृजन में सहायता मिल सकती थी । जिन बृहद परियोजनाओं ने कमी की सूचना दी है, उनकी सूची संलग्न-विवरण एक में दी गई है ।

विवरण

उन परियोजनाओं की सूची, जिन्होंने सीमेंट, इस्पात आदि दुर्लभ सामग्री की कमी की सूचना दी है

राज्य	परियोजना का नाम	सामग्री की कमी, जिसकी सूचना दी गई है
आंध्र प्रदेश	पोचमपाद	सीमेंट और इस्पात
गुजरात	करजन	सीमेंट
	दमनगंगा	इस्पात
हरियाणा	नहरों का आधुनिकीकरण	सीमेंट और कोयला
कर्नाटक	घटाप्रभा चरण-तीन	सीमेंट और इस्पात
	मालाप्रभा	सीमेंट और इस्पात
	अपर कृष्णा	सीमेंट और इस्पात
जम्मू और काश्मीर	रावी नहर परियोजना	सीमेंट
केरल	कनहीरापुझा	सीमेंट
	कुट्टियाडी	सीमेंट और इस्पात
मध्य प्रदेश	हसदेव बांगो	सीमेंट और इस्पात
	अपर वेनगंगा	सीमेंट और इस्पात
उड़ीसा	पोट्टेरू सिंचाई परियोजना	इस्पात
राजस्थान	राजस्थान नहर परियोजना	सीमेंट और कोयला
	माही बजाजसागर	सीमेंट और इस्पात
उत्तर प्रदेश	शारदा सहायक	कोयला और डीजल
	मध्य गंगा नहर	सीमेंट, इस्पात और ईंटें
पश्चिम बंगाल	तीस्ता बराज परियोजना	इस्पात

श्री पी० राजगोपाल नायडू : सीमेन्ट और इस्पात की कितनी कमी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : पिछले वर्ष हमें 60 लाख टन सीमेन्ट का आबंटन किया गया था। उसमें से हमें 70% मात्रा की सप्लाई की गई। अब सप्लाई में सुधार हुआ है। पिछले वर्ष यह 73% रही। इस वर्ष सिंचाई विभाग को लगभग 50 लाख टन सीमेन्ट आबंटित किया गया है और हम आशा करते हैं कि सप्लाई की स्थिति में सुधार होगा क्योंकि सीमेन्ट के उत्पादन में भी सुधार हुआ है।

जहां तक इस्पात का संबंध है, जैसा कि मेरे सहयोगी ने कहा है देश में सप्लाई की स्थिति में सुधार के बावजूद सरकार ने इन सभी परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने की दृष्टि से निर्णय लिया है कि विभाग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप इस्पात का आयात कर सकता है।

श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या हमें यह आश्वासन मिल सकता है कि सीमेन्ट और इस्पात के अभाव के कारण इस वर्ष परियोजनाओं पर बुरा असर नहीं पड़ेगा ?

राव बीरेन्द्र सिंह : पहले भी विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब सामग्री के कारण नहीं हुआ है अपितु धन के अभाव के कारण हुआ है। धन संबंधी स्थिति में सुधार होने पर सामग्री प्राप्त करने में भी कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। परन्तु मैं यह आश्वासन नहीं दे सकता कि किसी भी परियोजना में और विलम्ब नहीं होगा। हम अपनी ओर से पूर्ण प्रयत्न कर रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : चूंकि सीमेन्ट की आवश्यकता सिंचाई परियोजनाओं के लिए है इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार सीमेन्ट की खरीद के मामले में वही कठिनाईयां महसूस कर रही हैं जो निजी भवन निर्माता कर रहे हैं। मैं यह प्रश्न स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में, बम्बई में सभी यह जानते हैं कि यदि सीमेन्ट की बोरी चाहिए तो सीमेन्ट की बोरी की सरकारी कीमत के अलावा कुछ और देना होगा। इन्दिरा प्रतिष्ठान के नाम पर 35 रुपए का एक चैक काटकर देना होगा और 15 रुपए नकद ब्लैक के नाम पर। मैं नहीं जानता कि जब कभी सरकारी सिंचाई परियोजनाओं को सीमेन्ट खरीदने की आवश्यकता होती है, उन पर भी यही शर्तें लागू होती हैं या नहीं।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं इस पर विश्वास नहीं कर सकता कि सीमेन्ट की एक बोरी के लिए उसके निर्धारित मूल्य से कोई व्यक्ति 50 रुपए अधिक देगा। यदि किसी मामले में ऐसा हुआ है तो यह बड़े दुःख की बात है। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में विवरण देंगे तो हम निश्चय ही जांच करवाएंगे।

प्रो० मधु दण्डवते: मैं बम्बई के कई खरीददारों को पेश करने के लिए तैयार हूं और मैं चाहता हूं कि आप महाराष्ट्र सरकार के विरुद्ध कार्यवाही करें।

राव बीरेन्द्र सिंह: हम निश्चय ही जांच करेंगे और देखेंगे कि इस मामले में क्या किया जा सकता है।

श्री रामनगीना मिश्र : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री जी को एक जानकारी देना चाहता हूं कि सिंचाई की जो बड़ी बड़ी परियोजनाएं चलती हैं, बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स बनते हैं वहां के आस-पास के लोगों को बड़ी आसानी से सीमेंट मिल जाता है और मैं खुद इसे देखता हूं। मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि ये जो बड़ी-बड़ी योजनाएं चलती हैं और इन में 10 हजार 20 हजार बोरी सीमेंट जो इंजीनियरों को एलोट किया जाता है, तो क्या इस बात की खोजबीन की जाती है कि जो प्रोजेक्ट चलते हैं, उनमें कितना सीमेंट लगा। आसपास के जो लोग होते हैं, वे आसानी से रुपया देकर डाइरेक्ट सीमेंट खरीद लेते हैं। मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि वे यह बताएं कि क्या इस बात की खोजबीन हो सकती है कि बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स में कितना सीमेंट लगा और अगर नहीं हो सकती है तो क्या भविश्य में वे इस तरह की कोई स्कीम बनायेंगे जिससे सीमेंट का दुरुपयोग रोका जा सके और सीमेंट ब्लैक मार्केट में न जाने पाये ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जितने प्रोजेक्ट्स हैं, उन में ज्यादातर एक्जीक्यूशन स्टेट गवर्नमेंट्स का अपना है और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने पैसे से ये प्रोजेक्ट्स बनाती हैं। मैं यह भी नहीं कहता कि इसमें लीकेज की कोई संभावना नहीं है। लीकेज भी होता है लेकिन उसका इलाज जहां स्टेट गवर्नमेंट्स करें, वहां साथ ही साथ मैं आनरेबिल मेम्बर से भी यह दरख्वास्त करूंगा कि अगर कहीं ऐसा होता है, तो वे इस मामले में स्टेट गवर्नमेंट की और सैन्ट्रल गवर्नमेंट की सहायता कर सकते हैं। इस खराबी को दूर करने के लिए अगर वे मदद दें, तो हम उन के मशकूर होंगे।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : अध्यक्ष जी, सरकार यह दावा करती कि देश में डीजल की कोई कमी नहीं हैं लेकिन यह जो वक्तव्य सदन के पटल पर रखा गया है, इसके अनुसार शारदा सहायक योजना इसलिए पूरी नही हो रही है क्योंकि डीजल का अभाव है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह दावा कि डीजल की कमी नहीं है, और यह स्वीकृति कि शारदा योजना के लिए डीजल की कमी है, इन दोनों के अन्तर्विरोध को मन्त्री जी कैसे दूर करेंगे ?

राव बीरेन्द्र सिंह : स्पीकर साहिब, यह तो एक जनरल स्टेटमेंट है कि किस-किस चीज की किस वक्त कमी हुई किसी प्रोजेक्ट के लिए। मैंने यह दावा नहीं किया कि कहीं, किसी प्रोजेक्ट के लिए किसी वक्त कोई कमी नहीं हुई है।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : डीजल की कमी क्या हुई है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उस वक्त यह कमी हुई होगी। मैं आज की बात कर रहा था, यह पिछली बात हो सकती है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कितने पिछले वक्त की ?

राव बीरेन्द्र सिंह : यह पिछली बात हो सकती है। इसमें कोई तारीख नहीं बताई गई और न ही कोई सन, बताया गया है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मन्त्री जी ने जो कहा, वह यह स्पष्ट करता है कि जो भी जवाब दिए गए, वे पिछले वक्त के थे। चीनी के लिए 600 रुपये प्रति क्वींटल की बात कही गई है, वह भी पिछले वक्त की होगी, जनता सरकार के वक्त की बात होगी ?

राव बीरेन्द्र सिंह : वह आज की है।

कृषि उत्पादों के भण्डारण हेतु कार्यक्रम

*108. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किसानों को अपने उत्पाद का भण्डारण करने की सुविधायें देने तथा उत्पाद के अन्तिम निपटान के लिए अन्तरिम ऋण देने के लिये चालू वर्ष तथा आने वाले वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है अथवा शुरू किये गये हैं ;

(ख) इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत किस-किस कृषि उत्पाद को लाए जाने की संभावना है तथा इससे कितने किसानों के लाभान्वित होने की संभावना है ; और

(ग) सार्वजनिक ऋण प्रणाली द्वारा संभावित कितनी राहत मिल सकती है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना करने की योजना इस उद्देश्य से शुरू की गई है कि किसानों को अपनी उपज का भण्डार करने हेतु सुविधायें सुलभ हों और उत्पादन निपटान के लिए अंतरिम ऋण प्राप्त हों।

इस योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष तथा उसके बाद वाले वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	लक्ष्य (लाख मीटरी टन)
1981-82	5.00
1982-83	6.00
1983-84	3.53

(ख) इस योजना के अन्तर्गत 20 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता सृजित किए जाने का प्रस्ताव है। इस योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या का इस समय अनुमान लगाना कठिन है।

(ग) फिलहाल अनुमान लगाना कठिन है।

श्री ए. डी. पाटिल : प्रश्न भण्डारण, ऋण तथा ऋणों की वसूली के बीच संबंध के बारे में था। मैं एक समस्या का उत्तर चाहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश दिये गये उत्तर में कहा गया है कि 30 लाख सीमांत किसान लाभान्वित होंगे। यह मोटा अनुमान है। मेरे पास आंकड़े नहीं हैं। भण्डारण ऋण तथा ऋण वसूली के बीच संबंध की व्यवस्था हेतु प्रस्तावित ग्रामीण गोदामों के राष्ट्रीय ग्रिड का ब्यौरा क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मै माननीय सदस्य की असली बात नहीं समझ सका।

श्री ए. डी. पाटिल : मेरा प्रश्न इस प्रकार है :—

"किसानों को अपने उत्पाद का भण्डारण करने की सुविधायें देने तक उत्सव के अन्तिम निपटान के लिये अंतरिम ऋण देने के लिये चालू वर्ष तक आने वाले वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा क्या कार्यक्रम चलाने का प्रस्ताव है अथवा शुरू किए गए हैं":—

प्रश्न यह था। संक्षेप में इसका अर्थ यह है कि आप किसान के माल का भण्डारण करें, विशेषकर छोटे तथा सीमांत किसानों के उत्पाद का उन्हें ऋण दीजिए और फिर उचित समय पर वह माल बचा गये और आप ऋण की राशि घटाकर किसान की अंतिम अदायगी करें ताकि व्यापारियों द्वारा किसानों के शोषण की आशंका को टाला जा सके।

अध्यक्ष महोदय : वे चाहते हैं कि आप लाभ उन तक भी पहुंचायें।

राव बीरेन्द्र सिंह : इस योजना का प्रयोजन तथा उद्देश्य यही है। जो किसान मंत्री के समय अपना उत्पाद न बेचना चाहे वह ग्रामीण गोदामों में अपना माल रख सकेगा और उन्हें कुछ सीमा तक अर्थात 80 प्रतिशत तक नगद पैसा मिल जायेगा। सीमांत किसानों के लिये 20 प्रतिशत का अन्तर होगा और यदि वे अपना माल बेचना चाहते हैं तो वे माल के वापिस लेकर बेच सकते हैं। उन्हें केवल ग्रामीण गोदामों में अपनी पैदावार रखने का किराया ही देना पड़ेगा। मेरे माननीय सहयोगी कह चुके हैं कि इस हेतु अधिकतम सीमा निश्चित की जा चुकी है। 5000 रुपये की लागत तक के माल के लिये कम दर के ब्याज पर अग्रिम राशि मिलेगी। 5000 रुपये की यह राशि किसान को दी जायेगी ताकि बड़े किसान, व्यापारी तथा जमाखोर इस योजना का लाभ न उठा सकें।

इसका सारा उद्देश्य यह है। उस हेतु यह कहा जा चुका है कि छटी पंचवर्षीय योजना के दौरान 20 लाख टन की क्षमता उत्पन्न किये जाने का प्रस्ताव है।

श्री कमला मिश्र मधुकर : इस स्कीम के अन्दर आपने बिहार में कितनी क्षमता पैदा की है और उस से बिहार के कितने छोटे और मध्यम किसानों को लाभ हुआ है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : उन्होंने राज्यवार सूचना नहीं पूछी है। योजना 1979-80 में ही शुरू की गई। यह हाल में शुरू की गई एक नयी योजना है। छटी पंचवर्षीय योजना के शुरू होने से पहले केवल 47000 टन की ही क्षमता पैदा की जा सकेगी। इसे बढ़ाये जाने का प्रस्ताव है।

श्री गुलाम नबी आजाद : क्या मंत्री महोदय सभा को आश्वासन देंगे कि वे उन प्राईवेट गोदामों का राष्ट्रीयकरण करने के लिये कदम उठायेंगे जो पराश्रितों को देकर अत्यधिक किराया देकर जन संस्थाओं की निधि का दुरुपयोग करते हैं ।

श्री राव बीरेन्द्र सिंह : प्राइवेट गोदामों का राष्ट्रीयकरण जनहित में नहीं होगा । अधिकांश प्राइवेट गोदामों के मालिक अपने गोदामों को सरकार को सौंपना चाहेंगे । सरकार अपनी क्षमता पैदा कर रही है । सरकार भारतीय खाद्य निगम, केन्द्रीय भण्डारण निगम तथा विभिन्न राज्य भण्डारण निगमों के लिए अपने गोदाम बनाने संबंधी नीति पर विचार कर रही है । अधिक क्षमता वाले ग्रामीण गोदामों सम्बन्धी नई योजना को ध्यान में रखते हुये प्राइवेट गोदाम मालिकों के लिए स्थिति का लाभ उठाने हेतु गोदाम निर्मित करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद न होगा ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : जनता शासन के दौरान पंजाब में समेकित ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत 25 गांवों के लिए एक गोदाम बनाने का निर्णय लिया गया था और पहले वर्ष 100 गोदाम बनाये गये और 100 अगले वर्ष बनाये जाने थे । ये बन रहे हैं । यह सच है कि वर्तमान सरकार ने फिलहाल इस योजना को समाप्त कर दिया है और यदि हां तो क्या सरकार 1978-79 में शुरू की गई योजना को शुरू करेंगे और इसे चालू करने का आदेश देंगे ।

राव बीरेन्द्र सिंह : माननीय सदस्य उसी योजना की बात कर रहे हैं जिसके बारे में मैंने कहा कि 1979-80 में इसे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू किया गया । हमारे पास ग्रामीण गोदाम बनाने सम्बन्धी कोई योजना नहीं है । यह लोगों को गरीबी स्तर से ऊपर लाने हेतु लाभभोगी के हितो संबंधी कार्यक्रम है । यह एक पृथक कार्यक्रम है ।

श्रीमती प्रमिला दंडवते : पहले वर्ष 100 गोदाम बनाये गये थे । 100 गोदामों की दूसरी किस्त की स्थिति क्या है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : मैं नहीं जानता । मेरे विचार में जनता शासन ने कुछ ऐसा नहीं किया जो जिक्र करते अथवा याद करने योग्य हो ।

श्री आर. आर. भोले : भण्डारण एवं ऋण योजना के अन्तर्गत किसानों के कुल उत्पादन के कितने प्रतिशत को लाभ पहुंच रहा है ?

राव बीरेन्द्र सिंह : जैसे कि मैंने कहा अभी तक बहुत कम क्षमता पैदा की गयी है ।

स्व० श्री कामराज तथा महात्मा गांधी की मूर्ति की स्थापना

*110. **श्री के. राममूर्ति** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में स्वर्गीय श्री कामराज की मूर्ति की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं, यद्यपि इस प्रयोजन सम्बन्धी समिति के अध्यक्ष वित्त मंत्री हैं ; और

(ख) राजधानी में महात्मा गांधी की मूर्ति की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : (क) यह प्रतिमा सरकार द्वारा नहीं लगाई जानी है । इसलिए उनकी ओर से किसी प्रकार के विलम्ब का प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ख) इस परियोजना के कुछ पहलू सरकार के विचाराधीन हैं । जैसे ही इन्हें अन्तिम रूप दे दिया जाता है, इस काम को हाथ में ले लिया जाएगा ।

श्री के० राममूर्ति : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि स्वर्गीय श्री कामराज की मूर्ति स्थापित करने का काम किसी प्राइवेट व्यक्ति को सौंपा गया है, फिर भी मैं जानना चाहता हूं कि क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान नाडार महाजन संगम मदुराई को अनुमति दी गई है और फिर भी उन्होंने इसे नहीं किया है । अब वित्त मंत्री की अध्यक्षता में कुछ जिम्मेदार लोगों की एक पृथक समिति का गठन किया गया है । अत: एक प्राइवेट पार्टी को दी गई अनुमति रद्द करके सरकार इस कार्य को समिति को क्यों नहीं सौंपती ।

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं । उन्होंने काम नहीं किया और इसीलिये अनुमति रद्द की गयी है । अब 20-8-81 को हमने श्री. के. टी. कोसलराम, जो कामराज राष्ट्रीय स्मारक समिति के संयोजक हैं, को एक नया पत्र लिखा है और श्री कामराज की मूर्ति स्थापित करने के स्थान का चयन करने सम्बन्धी निर्णय ले लिया गया है यह स्थान डुप्ले रोड के नजदीक है । हम श्री कोसलराम के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री के० राममूर्ति : राजधानी में महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करने के बारे में मंत्री महोदय से उत्तर आया है कि इस परियोजना की कुछ बातें सरकार के विचाराधीन हैं । ये बातें क्या हैं ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : कुछ समय पहले इंडियागेट पर महात्मा गांधी की मूर्ति स्थापित करने के बारे में कुछ भिन्न विचार थे । गाँधी जी के व्यक्तित्व और दर्जे को ध्यान में रखते हुये, हम इस बारे में मतैक्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं । मतैक्य के बारे कुछ प्रगति हुई है और इसी कारण इसमें कुछ समय लगा है ।

श्री मनीराम बागड़ी : विदेशियों की मूर्तियों को हटवाने के सवाल को लेकर हम लोगों ने दिल्ली में सत्याग्रह किया था । जार्ज पंचम की मूर्ति जब हटाई गई थी तब हमें विश्वास दिलाया गया था कि इसके स्थान में गांधी जी की मूर्ति लगाई जाएगी । लार्ड इर्विन की मूर्ति जब हटाई गई थी तब विश्वास दिलाया गया था कि यहां शहीदे आजम भगत सिंह की मूर्ति

लगेगी । इसको काफी लम्बा समय गुजर गया है । इन दोनों की मूर्तियों के स्थान पर गांधी जी और भगत सिंह जी की मूर्तियां आज तक नहीं लगी हैं । इसका क्या कारण है ? क्या मन्त्री महोदय विश्वास दिला सकते हैं कि फलां तारीख तक निश्चित रूप से यहां पर गांधी जी और शहीदे आजम भगत सिंह की मूर्तियां स्थापित कर दी जाएंगी ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : भगत सिंह जी की मूर्ति के बारे में तो सूचना नहीं मांगी गई है लेकिन जहां तक गांधी जी की मूर्ति का सवाल है मैंने अभी बताया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा रहा है इसको आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं । उनकी मूर्ति इंडिया गेट पर लगाने के बारे में कंट्रोवर्सी चली थी जो अब लगभग समाप्त हो गई है और एक आम राय बन गई है कि इंडिया गेट में छत्री के नीचे ही गांधी जी की मूर्ति स्थापित की जाएं । मैंने शुरू में कहा है कि गांधी जी का इतना बड़ा व्यक्तित्व रहा है कि उनके नाम से सम्बन्धित कोई काम किया जाए और उस में कोई कंटोवर्सी हो तो इसको न आप पसन्द करेंगे और न ही सरकार पसन्द करेगी । इसीलिए विलम्ब हुआ है । मैं समझता हूं कि अब शीघ्र ही इस विषय पर कदम उठाए जायेंगे ।

श्री के लक्कप्पा : देश के इन दो नेताओं की मूर्तियों की स्थापना में बहुत देर हुई है । स्थान चयन और परियोजना के कार्यान्वयन में भी इतना विलम्ब नहीं होना चाहिये । हमें देश की परम्परा तथा संस्कृति तथा इन दो दिवंगत नेताओं के प्रति हमारे आदर को ध्यान में रखना चाहिये । इस बात को ध्यान में रखते हुये, प्राईवेट संस्थाओं तथा सरकार को आगे बढ़कर इस परियोजना को कार्यान्वित करना चाहिये । लेकिन कुछ कठिनाईयां हैं । प्राईवेट संस्था द्वारा राशि एकत्र करने के मामले में भी सरकार ने मूर्ति स्थापित करने के लिये आयकर में छूट नही दी है । यह कार्यवाही शीघ्र की जानी चाहिये । क्या मंत्री महोदय प्राईवेट संस्थाओं द्वारा राशि एकत्र करने हेतु आयकर राहत अथवा छूट सम्बन्धी सुझाव से सहमत होंगे ? क्या मंत्री महोदय शीघ्र ही इन दो मूर्तियों को स्थापित करने के लिये शीघ्र वित्तीय आवंटन करेंगे ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : माननीय सदस्य ने ये विचार सुझाव के रूप में प्रकट किये हैं । मैंने यह सुझाव नोट कर लिये हैं ।

श्री के० टी० कोसलराम : मैं जानना चाहता हूं कि क्या जनता प्रधान मंत्री ने 1977 में राजधानी में श्री कामराज की मूर्ति स्थापित करने सम्बन्धी मेरे पत्र पर आदेश जारी किये थे और उस आदेश को मेरे बजाये, नाडार महाजन संगम, जो एक साम्प्रदायिक संस्था है, को भेजा गया । इतने अधिक विलम्ब का कारण यही है ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैं इस अनुपूरक प्रश्न का उत्तर पहले दे चुका हूं ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : मंत्री महोदय ने बताया है कि महात्मा गांधी और कामराज की मूर्तियां लगाई जा रही हैं । क्या उनको ऐसी भी सूचना है कि देश के कुछ स्थानों पर मूर्तियों को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया है ? और गांधी जी की मूर्ति भी कहीं तोड़ी गई है । क्या

मंत्री जी को पता है कि वाराणसी के अन्तर्गत चौबेपुर थाने के अन्तर्गत गांधी जी की मूर्ति के नाक और कान दोनों काट लिये गये हैं, क्या उस पर आपने कोई कार्यवाही की है ? और यदि नहीं, तो क्या सूचना देने पर जिन लोगों ने ऐसा कुकृत्य किया है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे ?

श्री भीष्म नारायण सिंह : इसके लिये मुझे नोटिस चाहिये ।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री . मंत्री जी ने क्या कहा अध्यक्ष जी, कुछ समझ में नहीं आया । कोई कार्यवाही करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही करेंगे ।

श्री भीष्म नारायण सिंह : मैंने यह कहा कि जो सवाल है उससे यह प्रश्न नहीं उठता । अगर अलग से सूचना देंगे तो देख लेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

सुप्रीम कोर्ट भवन में आग

*105. **श्री लक्ष्मण मलिक** :

श्री एस० एम० कृष्ण : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 30 जून, 1981 को सुप्रीम कोर्ट भवन में लगी आग के कारणों की जांच करने तथा इसकी रोकथाम हेतु उपाय सुझाने के लिए एक समिति की नियुक्ति की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो समिति के निष्कर्ष क्या हैं और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ?

(ख) उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर समिति आग लगने के कारण के बारे में किसी ठोस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी । तथापि, समिति ने कहा है कि बिजली के तारों में कुछ सीलन पहुंचने तथा किसी प्वाइन्ट पर आकस्मिक चिन्गारी के पैदा होने और आग लगने की संभावना से भी कतई इन्कार नहीं किया जा सकता ।

समिति ने अन्य बातों के साथ साथ उच्चतम न्यायालय भवन में अग्नि शामक प्रबन्धों को सुव्यवस्थित करने, वातानुकूलन नलिकाओं के लिए अज्वलन शील/अग्नि शामक पदार्थ का उपयोग, बनावटी छत, बिजली, यांत्रिकी एवं वातानुकूलन संयंत्रों के निवारक अनुरक्षण तथा आवधिक निरीक्षण के कुछ निवारक उपाय भी सुझाये हैं। सरकार इन सुझावों पर भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से विचार कर रही है।

चुंगी शुल्क को समाप्त करना

*106. **श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या निर्माण और आवास मंत्री** नगर पालिकाओं में चुंगी शुल्क के बारे में 27 अप्रैल, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 957 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने छोटे कस्बों में चुंगी शुल्क समाप्त करने के नेशनल काउन्सिल आफ एप्लाइड इकनामिक्स रिसर्च की सिफारिशों की जांच कर ली है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। चुंगी शुल्क लगाना राज्य का विषय है। नेशनल कांउसिल आफ एप्लाइड इकानामिक्स रिसर्च की अध्ययन रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को उनके विचार जानने के लिए भेजा गया है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचार अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। उनको शीघ्र ही अपने विचार भेजने के लिए अनुरोध किया जा रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

एशियाई खेलों के लिए निर्माणाधीन परियोजनाएं

*109. **श्री दोलत राम सारण : क्या निर्माण और आवास मंत्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत निर्माणाधीन एशियाई खेलों की कुछ परियोजनाओं में कठिनाइयां उत्पन्न हो गई हैं और उनमें निर्माण कार्य के पूरा होने में विलम्ब होने की संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, इन परियोजनाओं के क्या नाम हैं और इनके पूरा होने में कितना विलम्ब होने की संभावना है ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं की लागत में होने वाली अनुमानित वृद्धि क्या है और एशियाई खेलों के व्यय में समग्र रूप से कितनी वृद्धि होगी ; और

(घ) इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा बाधाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) मेरे मन्त्रालय के अधीन एशियाड परियोजनाओं में से किसी में भी कठिनाई पैदा नहीं हुई है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

क्योंझर (उड़ीसा) में बवण्डर

*1112. **श्री हरिहर सोरन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के क्योंझर जिले में अप्रैल, 1981 में आये बवण्डर से कुल कितने गांवों को भारी नुकसान हुआ ;

(ख) क्या सरकार ने इस बवण्डर के कारणों का निश्चित पता लगाया है ;

(ग) क्या यह सच है कि एक केन्द्रीय दल ने बवण्डर से प्रभावित गांवों का दौरा किया था ;

(घ) यदि हां, तो क्योंझर में हुए नुकसान के बारे में उनका क्या अनुमान है ;

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या राहत उपाय किये जाने की मन्जूरी दी गई है ; और

(च) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) उड़ीसा सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार 17 अप्रैल, 1981 को क्योंझर जिले के सहरपाड़ा तथा पटना खण्डों के 12 ग्राम बवण्डर से प्रभावित हुए और 18 अप्रैल, 1981 को मयूरभंज जिले के बेरीपाड़ा उप-प्रभाग में 9 ग्राम चक्रवात से प्रभावित हुए।

(ख) भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार बवण्डर सामान्य रूप से तीव्र वायु-मण्डलीय भंवर के रूप में वर्गीकृत किये जाते हैं, जो बहुत कम क्षेत्र में सीमित रहते है। बवण्डर का विशेष लक्ष्य यह है कि वह ऊपर से बनता हुआ प्रतीत होता है भंवर वायुमंडल में बढ़ता दिखाई देता है और तब नीचे की ओर पृथ्वी की सतह पर फैलता है। इस प्रकार भंवर का कारण अभी तक पता नहीं लगा है लेकिन कुछ वायुमण्डलीय लक्षणों का पता लग गया है जिनसे बवण्डर बनने की अनुकूल परिस्थिति पैदा होती है। इन लक्षणों के आधार पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग तूफान तथा आंधी की चेतावनी जारी कर देता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सूचना दी है कि "तीव्र तूफान अध्ययन नामक योजना को भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल कर लिया गया है। इस

योजना का लक्ष्य विगत तूफानों का अध्ययन करने के लिए एक अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करने तथा अल्पावधि के प्रचण्ड-तूफानों के पूर्वानुमान के लिए एक तकनीक की संभावनाओं का पता लगाना है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) बवण्डर ने क्योंझर जिले की 1 कि० मी० चौड़ी तथा 25 किलो मीटर लम्बी एक तंग पट्टी को प्रभावित किया जिससे 5783 व्यक्ति प्रभावित हुए, 37 व्यक्ति तथा 268 पशुओं की मौतें हुई और 4000 मुरगियां मरी व 721 व्यक्ति घायल हुए । पूरी तरह से अथवा आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त घरों की संख्या 699 थी, स्कूल भवनी, धान्य भण्डारों, ग्राम पंचायत घरों, बिजली के अधिष्ठानों आदि जैसी सार्वजनिक सम्पत्ति को भी व्यापक क्षति पहुंची ।

(ङ) तथा (च) केन्द्रीय दल रिपोर्ट तथा राहत सम्बन्धी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने राहत सम्बन्धी विभिन्न उपायों के लिए तथा बवण्डर व चक्रवात से क्षतिग्रस्त सम्पति के पुनः स्थापन तथा मरम्मत । पुनःव्यवस्था हेतु केन्द्रीय सहायता के रूप में 55.81 लाख रुपए के व्यय की अधिकतम सीमा मंजूर की, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(लाख रुपए)

मद	क्योंझर जिला	मयूरभंज जिला
1. आवास संबंधी राज सहायता सहित आपात राहत	20.00	0.31
2. स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत	5.00	2.50
3. सार्वजनिक परिसंपत्तियों की पुनः व्यवस्था :		
(क) बिजली की लाइनें	10.20	1.20
(ख) स्कूल तथा अन्य भवन	7.85	—
4. काश्तकारों का पुनर्वास :		
(क) बैलों की खरीद	6.00	—
(ख) छोटे तथा सीमान्त किसानों को कृषि आदानों के लिए राज सहायता	1.40	—

5. शिक्षा संबंधी रियायत	1.00	0.10
6. ग्रामीण शिल्पियों को सहायता ।	0.30	—
योग :	51.77	4.11
कुल योग :	55.88 लाख रुपए	

दिल्ली में यमुना पार आवासीय कालोनियों में बाढ़ के पानी के नाले का जोनल प्लान

*115. **श्री कमल नाथ** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में विकास मार्ग के दोनों ओर यमुना पार आवासीय कालोनियों के लिए बाढ़ के पानी के नाले की जोनल प्लान को अंतिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं तो अन्तिम रूप देने में असाधारण विलंब होने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इस क्षेत्र के योजना जोन ई-9, ई-10, तथा ई-11 के लिए बरसाती पानी के नालों की योजना को उन्होंने तैयार कर लिया है और इसको दिल्ली नगर निगम को अनुमोदन के लिए भेज दिया गया है । योजना जोन ई-8 तथा ई-12 के लिए बरसाती पानी के नालों की योजनाओं को तैयार किया जा रहा है ।

(ख) यह विलम्ब मुख्यतया इन दो जोनों में असामान्य अनधिकृत तथा अनाप सनाप निर्माण के कारण हैं जो योजना कार्य में रुकावट डालते हैं ।

गुजरात में मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनायें

*116. **श्री छोटू भाई गामित** : क्या **सिंचाई मन्त्री** निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1975 से 1980 तक गुजरात राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए कितनी और कौन-कौन सी मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनायें भेजी गई थीं ;

(ख) भारत सरकार ने उनमें से किन-किन सिंचाई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है और उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रत्येक परियोजना पर अनुमानतः कितना खर्च होगा और उनसे कितने एकड़ भूमि की सिंचाई हो सकेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (ग) गुजरात सरकार ने 1975-76 से 1980-81 तक योजना आयोग के अनुमोदन के लिए 20 मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भेजी थीं। इनमें से प्रत्येक स्कीम के बारे में विस्तृत जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

—

विवरण

गुजरात सरकार द्वारा 1975-76 से 1980-81 तक के वर्षों में भेजी गई मध्यम सिंचाई स्कीमों की स्थिति

क्रम सं०	परियोजना का नाम	केन्द्रीय जल आयोग में प्राप्त होने की तारीख	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाने की तारीख	योजना आयोग द्वारा अनुमोदित, अनुमानित लागत (करोड़ रुपयों में)	लाभ (हजार हेक्टेयर)	लाभान्वित होने वाले जिले	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
			क. योजना आयोग द्वारा अब तक अनुमोदित स्कीमें				
1.	उन्ड	अप्रैल, 75	12-7-76	2.55	5.33	जामनगर	
2.	देव	अप्रैल 75	12-7-76	3.88	6.53	पंचमहल और वदोदरा	
3.	सानी	अप्रैल 76	2-2-77	1.82	3.31	जामनगर	
4.	मित्ती	जुलाई 76	11-8-78	1.88	1.57	कच्छ	
5.	वेनु-दो*	फरवरी, 77	11-8-78	3.25	5.29	राजकोट	
6.	कबूतरी	जनवरी, 77	16-3-78	1.14	1.75	पंचमहल	
7.	हरनव चरण-दो	सितम्बर, 78	12-2-81	3.49	3.44	साबरकंठा	
8.	केलिया*	जुलाई, 79	14-5-80	2.84	3.31	बलसड	

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	झुज*	नवम्बर, 79	14-5-80	5,36	5.60	वलसड	
10.	गुहई*	नवम्बर, 79	30-12-80	9.33	8.326	सांवरकंठा	
11.	हडफ*	फरवरी, 80	11-2-81	6.78	4.95	पंचमहल	
12.	देमी-दो*	मार्च, 80	4-5-81	5.38	2.437	साबरकंठा	
13.	अजी-तीन*	जून, 80	4-5-81	13.23	6.84	राजकोट और जामनगर	
14.	अजी-दो*	जून, 80	4-5-81	6.22	3.39	राजकोट	
				———	———		
			जोड़	67.15	61.104		
				———	———		

ख. अनुमोदन के लिए लम्बित स्कीमें

15.	भादर* (पंचमहल)	अप्रैल, 75	—	—	5.48	पंचमहल और कैरा	योजना आयोग की सलाहाकार समिति द्वारा स्वीकार्य पाई गई लेकिन अंतिम रूप से अनुमोदित नहीं की गई ।

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मुक्तेश्वर	अक्तूबर, 79	—	—	4.74	बनासकंठा	राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के उत्तर/ आशोधित रिपोर्ट भेजी जानी है।
17.	माजम*	दिसम्बर, 80	—	—	5.50	साबरकंठा	—वही—
18.	उमरिया	अप्रैल, 80	—	—	1.99	पंचमहल	—वही—
19.	मेन	जनवरी, 81	—	—	6.48	वदोदरा और भडोंच	—वही –
20.	उबेन*	जून, 80	—	—	2.53	जूनागढ़	आशोधित रिपोर्ट अगस्त 81 में प्राप्त हुई थी और उसकी जांच की रही है।

* विश्व बैंक ऋण सहायता के लिए प्रस्तावित परियोजना।

खरीफ की फसल के समर्थन मूल्य का पुनरीक्षण किया जाना

*117. **श्री माधवराव सिन्धिया :**
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष जुलाई में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि और इसके परिणामस्वरूप मूल्य बढ़ने की सामान्य प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाने के कारण सरकार ने खरीफ की फसल की विभिन्न मदों के समर्थन मूल्यों का पुनरीक्षण किया है और उनमें वृद्धि की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रमीण पुनर्निर्माण तथा सिचाई तथा नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) और (ख) दिनांक 11 जुलाई, 1981 से उर्वरकों तथा डीजल तेल के मूल्यों में वृद्धि होने के फलस्वरूप, सरकार ने कृषि मूल्य आयोग से अनुरोध किया है कि वे उन कृषि जिंसों के वसूली न्यूनतम समर्थन मूल्यों, जिनके बारे में उन्होंने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी थी, के बारे में अपनी सिफारिशों में पुनः संशोधन करें । आयोग ने अपनी संशोधित सिफारिशें दे दी हैं और उनका संबंधित ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

जिन्स	उर्वरकों तथा डीजल तेल के मूल्य बढ़ाने से पहले रिपोर्ट में की गई सिफारिशें	उर्वरकों तथा डीजल तेल के मूल्यों को बढ़ाने के बाद पूरक रिपोर्ट में की गई सिफारिशें
(1)	(2)	(3)
		(रुपए प्रति क्विंटल)
खरीफ धान्य		
धान	113	115
ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी	115	116
कपास		
कपास (एफ. ए. क्यू.) (जे-34/414-एफ)	375	380
तिलहन		
छिलके सहित मूंगफली (एफ. ए. क्यू.)	270	273

1	2	3
	रुपये प्रति क्विंटल	रुपये प्रति क्विंटल
सोयाबीन (काला) (एफ. ए. क्यू.)	210	213
सोयाबीन (पीला) (एफ. ए. क्यू.)	230	223
सूरजमुखी के बीज	250	253
गन्ना	15.50	15.50
तम्बाकू	(रुपए प्रति किलोग्राम)	(रुपए प्रति किलोग्राम
लाइट सायल	8.50	8.50
ब्लेक सायल	8.00	8.00

(चीनी की मिलों द्वारा अदा किए जाने वाले न्यूनतम मूल्य 8.5 प्रतिशत की मूल वसूली से जोड़े जाते हैं)।

सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है।

उत्पादकों का वनस्पति एक्स फैक्टरी मूल्य बनाये रखने में असफल रहना

*118. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या **नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में वनस्पति उत्पादकों ने स्वेच्छा से वनस्पति के एक्स फैक्टरी मूल्य निर्धारित कर दिये हैं ;

(ख) क्या ये उत्पादक उनके द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किये गए एक्स फैक्टरी मूल्यों को बनाये रखने में असफल रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके परिणामस्वरूप वनस्पति के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई हैं ; और

(घ) सरकार ने वनस्पति के बढ़ते हुए मूल्यों को रोकने तथा उपभोक्ता को उचित मूल्य पर वसस्पति उपलब्ध कराने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

कृषि, तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण, तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) से (घ) सरकार द्वारा वनस्पति उत्पादकों के साथ शुरू की गई बातचीत के फलस्वरूप वनस्पति उद्योग ने 11 अप्रैल, 1981 से स्वैच्छिक मूल्य नियन्त्रण का पालन करने का अपना निर्णय

घोषित किया, जिसके अन्तर्गत उद्योग ने 16.5 कि० ग्रा० के टीन का अधिकतम कारखाना मूल्य 192 रु० (उत्पादन शुल्क सहित) पर स्थिर रखना मंजूर किया। छोटे पैकों के मूल्य 16.5 कि० ग्रा० के टीन के मूल्य के अनुरूप रखे जाने थे। कुल, मिलाकर, इन मूल्यों को कायम रखा जा रहा है, जैसाकि वनस्पति के थोक मूल्य सूचकांक से पता चलता है, जो स्थिर रहा है। फिर भी, इस व्यवस्था पर केन्द्रीय सरकार निरन्तर नजर रखती है तथा इसकी पुनरीक्षा करती है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे वनस्पति उद्योग तथा व्यापार के साथ तालमेल रखते हुए फील्ड में इसका कार्यान्वयन सुनिश्चित करें।

सरकार वनस्पति उत्पादकों के साथ इस बारे में बातचीत जारी रखे हुए है कि वनस्पति का उत्पादन तथा उनकी उपलभ्यता पर्याप्त मात्रा में बनी रहे तथा वह त्यौहार के मौसम में उक्त घोषित मूल्यों पर मिलता रहे। सरकार स्थिति की मांग के अनुसार समय-समय पर ऐसे उपयुक्त कदम उठाती रहेंगी।

देश में कुल मिलाकर वनस्पति की कमी नहीं है और गत वर्षों की तुलना में काफी ऊंची दर से इसका उत्पादन बनाये रखा जा रहा है। उपभोक्ताओं की मांग को पूरा कर सकने के लिये उत्पादन के मौजूदा रुख को बनाये रखने की दृष्टि से, सरकार ने कई कदम उठाये हैं, जैसे वनस्पति उद्योग को आयातित तेल पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करते रहना, वनस्पति उत्पादकों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठकें करना, ताकि विभिन्न आदानों की आपूर्ति के बारे में कोई समस्या हो तो उसे सुलझाया जा सके, राज्य सरकारों से अनुरोध करना कि वनस्पति उद्योग के मामले में बिजली आदि की कटौती न की जाए आदि। व्यापारियों के किसी भी वर्ग द्वारा स्टाक की जमाखोरी के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे भण्डारण नियन्त्रण आदेश तथा अन्य कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करें।

सेन्ट्रल टूबेको रिसर्च इन्सटीट्यूट द्वारा लेबर कोर्ट के फैसले को लागू न करना

*119. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन काउनसिल आफ अग्रिकल्चरल रिसर्च को सेन्ट्रल टुबैको रिसर्च इन्सटीट्यूट, राजामुन्द्री के कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन मिला है, जिस में संस्थान के निदेशक द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में हुए लेबर कोर्ट के फैसले को लागू न करने की शिकायत है ;

(ख) यदि, हाँ, तो क्या शिकायतों के बारे में कोई जांच की गई ; और

(ग) इस संबंध में और स्टाफ की अन्य शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निमाण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमन्।

(ख) और (ग) केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान राजमुन्दरी के पक्ष में श्रम न्यायालय, गूंटूर द्वारा दिये गये अधिनिर्णय को इस संस्थान के निदेशक द्वारा अब कार्यान्वित कर दिया गया है।

इस संस्थान के स्टाफ की अन्य शिकायतों के संबंध में, उप महा-निदेशक (फसल विज्ञान) जो इस संस्थान के इंचार्ज हैं, से इस मामले की जांच करने का अनुरोध किया गया है सितम्बर, 1981 के पहले सप्ताह तक उनसे इस संस्थान का दौरा करने तथा रिपोर्ट देने की अपेक्षा की जाती है। आगे की कार्यवाही उनकी सिफारिशें प्राप्त होने के बाद की जायेगी।

दालों के उत्पादन के लिए द्रुत कार्यक्रम

*120. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने एक द्रुत कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम रहे हैं ;

(ग) यदि कार्यक्रम असफल हो गया है तो उसके क्या कारण हैं और इसके लिए कौन जिम्मेदार हैं ; और

(घ) दालों का उत्पादन बढ़ाने और खुले बाजार में उनके मूल्यों में कमी लाने के लिए सरकार की क्या भावी योजना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : (क) दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना 1972-73 से राज्य सरकारों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है।

(ख) 1972-73 में दालों का उत्पादन 99 लाख मीटरी टन था, जबकि यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। यह उत्पादन 1978-79 के सूखा पूर्व वर्ष में 121.7 लाख मीटरी टन था। 1980-81 के दौरान 111 लाख मीटरी टन उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता।

(घ) भविष्य की योजना यह है कि छठी योजना की समाप्ति पर अर्थात 1984-85 के अन्त तक उत्पादन 145 लाख मीटरी टन तक पहुंचाया जाए।

साऊथ ब्लाक, नई दिल्ली में बन्दर

1001. **श्री भीकू राम जैन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली नगर पालिका ने साऊथ और नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली से बन्दर पकड़ने के लिए 80 रुपये के पुरस्कार की घोषणा की है ;

(ख) यदि हां, तो वन्य जीवन संरक्षण तथा जानवरों के प्रति क्रूरता के निवारण और पर्यावरण संरक्षण के बारे में सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त कार्यवाही कहां तक उचित है ; और

(ग) क्या सरकार इस मामले पर पुनः विचार करेगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० पी० स्वामीनाथन) : (क) नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि उसने बन्दरों को पकड़ने के लिए कोई पुरस्कार घोषित नहीं किया है। तथापि, पालिका ने साऊथ और नार्थ ब्लाक में बन्दरों के उपद्रव को कम करने के लिए बंदर पकड़ने वाले एक व्यक्ति को काम पर लगाया है और उसे पकड़े जाने वाले प्रत्येक बन्दर के लिए 80 रुपये दिया जाता है। इस प्रकार पकड़े गये बन्दर दिल्ली के बाहर जंगली क्षेत्र में छोड़ दिए जाते हैं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं होता।

उड़ीसा में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत/उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन

1002. **श्री मनमोहन टुडू** : क्या ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा के कुछ जिलों में उठाऊ सिंचाई परियोजनाओं का कार्यान्वयन शुरू किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो न्यूनतम आवश्यकना कार्यक्रम के अन्तर्गत किन-किन जिलों में ऐसा कार्य शुरू किया गया है ;

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान इनमें कितनी परियोजनायें पूरी होने की संभावना है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) उठाऊ सिंचाई परियोजनाएं न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का भाग नहीं है।

छोटे और सीमांत किसानों को उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराना

1003. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने ग्रामीण निर्धनों को अपने उत्पादों को सुधारने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कार्यक्रम कब शुरू किया गया था और उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए है ; और

(ग) इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं कि यह नया कार्यक्रम देश भर में छोटे और सीमांत किसानों तक पहुंच जायें ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव वीरेन्द्र सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने, मई, 1979 में स्वर्ण जयन्ती वर्ष उत्सव के अंग के रूप में, एक प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम आरम्भ किया था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, कृषि विश्वविद्यालयों, भा० कृ० अ० प० अनुसंधान संस्थानों, राज्य के कृषि विभागों और स्वैच्छिक संस्थाओं आदि सहित 85 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण केन्द्रों द्वारा लगभग 47,000 परिवारों को पहले ही अपनाया गया है । इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत कृषक परिवारों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों की आय और रोजगार की दशा को सुधारना है ।

यह कार्यक्रम प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए था किन्तु बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शासी निकाय द्वारा इसे अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाया गया । इस कार्यक्रम में, विज्ञानी कृषक समुदाय के निर्धन वर्ग के साथ काम करते हैं । तकनीकी परामर्श के अलावा, इस कार्यक्रम में, 500 रुपये प्रति परिवार तक नये औजारों को दिय जाने के प्रावधान पर विचार किया जाता है । इस प्रयोजन के लिए देश की 8 पट्टियों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक तीन पट्टियों में, इस कार्यक्रम की विषय वस्तु के सम्बन्ध में सुझाव देने के लिए परामर्शदात्री समिति है ।

इस कार्यक्रम से छोटे किसानों को सहायता मिली है, विशेषकर उनकी जमीनों और पशुधन से उत्पादन बढ़ाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त के अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में एक राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रायोजना भी है जो वर्ष 1969 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य किसान समुदाय को, विकसित प्रबन्ध पद्धतियों के द्वारा अधिक उपज देने वाली किस्मों की उपज संभावनाओं को प्रदर्शित करना था । इस प्रायोजना के अन्तर्गत स्थापित मूल सिद्धान्त बहु-फसली खेती है जिसमें दो या दो से अधिक फसलें एक ही खेत में एक ही वर्ष में उगाना है । इन प्रदर्शनों का संभावित लक्ष्य दो और तीन फसलों से क्रमशः 9 और 11 टन प्रति हैक्टर उपज प्राप्त करना है । यह प्रायोजना 47 जिलों में चलाई जा रही है और छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक जिले में 25 प्रदर्शन केन्द्र

है । इस प्रायोजना में सम्मिलित जिले मूलतः वैसे जिले हैं जहां कृषि प्रौद्योगिकी ने कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं जमाया है । इस कार्यक्रम के अधीन कृषि विश्वविद्यालयों, भा० कृ० अ० प० अनुसंधान संस्थानों और राज्यों के कृषि विभागों के विज्ञानी स्वयं जाकर किसानों के खेतों में प्रदर्शन करते हैं । इसके अलावा, वर्ष के दौरान, प्रत्येक प्रदर्शन स्थल पर 2.3 क्षेत्र दिवस मनाये जाते हैं जिनमें पडौसी किसान वहां प्रदर्शित प्रौद्योगिकी को देखते हैं और उससे अधिक प्रभाव बढ़ता है ।

इन प्रदर्शनों से प्राप्त आंकड़ों से पता चलता है कि उस उपज की तुलना में जिसे किसान अपने खेतों से लेता है, मुख्य खाद्य फसलों की दो-तीन गुनी अधिक उपज लेना संभव है ।

(ग) प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम मूल रूप से छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों और कृषक समुदाय के अन्य कमजोर वर्गों के लिए है । फिलहाल, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनाये गये परिवारों की संख्या केवल 47,000 है और यह छोटे, सीमान्त और भूमिहीन कृषकों की कुल संख्या का एक बहुत छोटा अंश है । किन्तु यह आशा की जाती है कि इस कार्यक्रम के तथा राष्ट्रीय प्रदर्शन प्रायोजना के द्वारा प्रदर्शित प्रौद्योगिकी का बहुगुणित प्रभाव होगा ।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैट्स

1004. **श्री आर० आर० मोले** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी 1980 से दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को मकान प्रदान करने की योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) जनवरी 1980 से इन जातियों के लोगों को वास्तव में आवंटित मकानों की संख्या क्या है ; और

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों को दिल्ली प्राधिकरण द्वारा मकान प्रदान करने की योजना पर होने वाले विचार का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनवरी 1980 से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए मकान आवंटन की कोई अलग योजना आरम्भ नहीं की है । तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण की सभी आवास योजनाओं में मकान के आवंटन में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 21 के आरक्षण का कोटा है ।

(ख) जनवरी 1980 से दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को विभिन्न श्रेणीयों के 1937 फ्लैट आवंटित किए हैं।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान अपने सामान्य कार्यक्रम के रूप में दिल्ली विकास प्राधिकरण का प्रतिवर्ष 20,000 रिहायशी एकक बनाने का प्रस्ताव है। इन मकानों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को आवंटन के लिए आरक्षित होगा।

उड़ीसा के गाँवों को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अधीन पेयजल की सप्लाई

1005. **श्री के० पी० सिंह देव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के कितने गांवों को वर्ष 1980-81 के दौरान न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत पेयजल की सप्लाई की गई ;

(ख) क्या सरकार का विचार छठी योजनावधि के दौरान कुछ और गांवों को पेयजल की सप्लाई करने का है ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा के ढेंकानाल जिले के कितने गांवों में उपरोक्त अवधि में उक्त सुविधा उपलब्ध की जाएगी ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 772 समस्याग्रस्त ग्राम।

(ख) छठी योजना अवधि के दौरान सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल मुहैया करने के प्रयास किए जायेंगे।

(ग) तथा (घ) छठी योजना के प्रारम्भ में ढेंकावाल जिले में पेय जल की सुविधाओं की व्यवस्था किए जाने वाले शेष समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या 1965 थी। इनमें से वर्ष 1980-81 के दौरान 48 ग्रामों में पेयजल पूर्ति की व्यवस्था की गई थी। आशा है शेष गांव 1985 तक लाभान्वित हो जाएंगे।

दिल्ली में कालोनियों को नियमित किया जाना

1006. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** :

श्री तारिक अनवर :

श्री माधवराव सिंधिया : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो इन कालोनियों के नाम क्या हैं जिन्हें 30-6-81 तक स्वीकृत किया जा चुका है अथवा चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत किया जाना है ; और

(ग) ऐसी कालोनियों को नियमित करने के लिए क्या मानदण्ड हैं ;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। सरकार ने फैसला किया है कि दिल्ली में गैर सरकारी भूमि पर अनधिकृत कालोनियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमित किया जाय इसमें 30-6-77 तथा 16-2-77 तक बनी क्रमशः रिहायशी तथा वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने 30-6-81 तक क्रमशः 20 अनधिकृत कालोनियों तथा 187 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया है जैसा कि विवरण "क" तथा "ख" में दिखाया गया है। इसके अतिरिक्त दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने 30-6-81 के पश्चात् क्रमशः विवरण "ग" तथा "घ" में बतलाई गई अन्य 11 तथा 20 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया है। उन्होंने चालू वित्त वर्ष की शेष अवधि के दौरान नियमित की जाने वाली कालोनियों की किसी विशेष सूची का संकलन नहीं किया है।

(ग) अनधिकृत कालोनियों को नियमितीकरण में अपनाए गए मापदण्ड अनुलग्नक (ङ) में दिए गए हैं।

विवरण (क)

30 जून, 1981 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों की सूची :

1. नगंलराय एक्सटेन्शन-II
2. तुलसीराम बगीची, हरिजन कालोनी
3. नूर नगर
4. जामिया नगर
5. नत्थू कालोनी
6. अशोक नगर
7. दुर्गापूरी एक्सटेंशन
8. सांवल नगर
9. गुरुनानक पुरा एक्सटेंशन

10. बस्ती खजान एक्सटेंशन
11. गांव मौजपुर तथा एक्सटेंशन
12. कच्ची कालोनी
13. सुभाष मौहल्ला
14. विजय कालोनी
15. भजन पुरा
16. उत्तरी घौंडा के ब्लाक
17. गांवड़ी एक्सटेंशन भाग
18. घौंडा एक्सटेंशन
19. कृष्णा नगर
20. अर्जुन नगर

विवरण (ख)

दिल्ली नगर निगम द्वारा 30-6-81 तक नियमित की गई कालोनियों की सूची

1. सरस्वती गार्डन भाग-I और भाग-II (विस्तार)
2. रमेश नगर एक्सटेंशन
3. मोहन पार्क 31 के ब्लाक
4. सूरज नगर
5. शास्त्री नगर सराय रौहिल्ला के निकट
6. शास्त्री नगर सी ब्लाक
7. शास्त्री नगर एम ब्लाक
8. शास्त्री नगर डी ब्लाक
9. शास्त्री नगर एफ ब्लाक
10. शास्त्री नगर ई ब्लाक
11. हरिनगर सी ब्लाक टावर के समीप कालोनियां
12. कन्हैया नगर
13. त्रिनगर के समीप नारंग कालोनी

14. रामपुरा एक्सटेंशन, कालोनियां
15. त्रिनगर के समीप शान्ति नगर
16. हरिनगर एम एस ब्लाक
17. हरि नगर ए बी सी ब्लाक
18. नानक पुरा
19. जनक पार्क और एक्सटेंशन
20. त्रिनगर के पास शान्ति नगर
21. ओंकार नगर ए और बी
22. गनेश पुरा ए और बी
23. देवा राम पार्क
24. शम्भू पार्क
25. शान्ति नगर
26. लक्खी नगर
27. शाम नगर
28. शाम नगर एक्सटेंशन
29. विष्णु गार्डन
30. विष्णु गार्डन एक्सटेंशन
31. विष्णु पार्क
32. चान्द नगर
33. रवि नगर
34. नव युग ब्लाक
35. एच ब्लाक विष्णु गार्डन
36. एफ ब्लाक विष्णु गार्डन
37. शाम नगर के ब्लाक
38. शाम नगर एन ब्लाक
39. विष्णु गार्डन जे और एन ब्लाक

40. रवि नगर (चुना गया भाग)
41. पंजाबी गार्डन
42. भगवान दास नगर एक्सटेंशन
43. शारदा पुरी
44. ई, ए ब्लाक मानसरोवर गार्डन
45. प्रताप नगर
46. आनन्द विहार
47. मानक विहार
48. उग्रसैन नगर (बिन्द्रा नगर)
49. विष्णु गार्डन एक्सटेंशन-I
50. विष्णु गार्डन ई ब्लाक
51. विष्णु गार्डन एक्सटेंशन-III और IV ब्लाक ए
52. विष्णु गार्डन बी. I, बी. III, सी, ई, और ए
53. विष्णु गार्डन एन/डब्ल्यू/आर/ जैड/डब्ल्यू/ई
54. विष्णु गार्डन एफ ब्लाक
55. विष्णु गार्डन पश्चिम ब्लाक
56. विष्णु गार्डन बी ब्लाक
57. विष्णु गार्डन जे ब्लाक
58. विष्णु गार्डन एक्सटेंशन V ब्लाक एस, जै और टी, एन, एएन. ई पी एक्सटेंशन
59. विष्णु गार्डन-5
60. विष्णु गार्डन एन ब्लाक
61. विष्णु गार्डन एस ब्लाक
62. विष्णु गार्डन ब्लाक 283
63. विष्णु गार्डन पश्चिम ब्लाक एक्सटेंशन I और III
64. फतेह नगर
65. आशा पार्क

66. गुरु नानक

67. अकल घर

68. अजय एन्कलेव एक्सटेंशन

69. मेजर भूपेन्द्र सिंह नगर कालोनियों का ग्रुप

70. सुदर्शन पार्क

71. सुदर्शन पार्क एक्सटेंशन

72. गनेश नगर

73. महावीर नगर

74. गनेश नगर एक्सटेंशन (छोड़ा गया भाग)

75. महावीर नगर एक्सटेंशन (छोड़ा गया भाग)

76. कृष्णा पार्क नजफगढ़ रोड

77. कृष्णा पुरी

78. गनेशपुरा बी महावीर नगर बी पर

79. कृष्णा पार्क एक्सटेंशन डी ब्लाक पर

80. कृष्णा पुरी (छोड़ा गया भाग)

81. महावीर नगर (छोड़ा गया भाग)

82. महावीर नगर एक्सटेंशन डी और के ब्लाक

83. एल ब्लाक महावीर नगर एक्सटेंशन

84. मुखराम पार्क

85. राम नगर तिलक नगर के पास

86. हिन्द नगर

87. तिलक नगर के पास सन्त नगर

88. मुखराम गार्डन

89. मुखराम एक्सटेंशन

90. सन्त गार्डन एक्सटेंशन पूर्वी

91. चौखण्डी एक्सटेंशन
92. राम नगर एक्सटेंशन
93. मुखराम गार्डन
94. विष्णू गार्डन भाग I
95. मुखर्जी पार्क एक्सटेंशन
96. डी ब्लाक मानसरोवर गार्डन
97. सरदार नगर
98. पंजाबी बाग
99. श्री नगर
100. मिनाक्षी गार्डन
101. राम गढ़
102. रतन पार्क
103. निरंकारी कालोनी (छोड़ा गया भाग)
104. श्री निवासपुरी एक्सटेंशन
105. आदर्श नगर
106. मजलिस पार्क
107. केवल पार्क
108. गोपाल नगर
109. आदर्श नगर एक्सटेंशन
110. मजलिस पार्क एक्सटेंशन
111. केवल पार्क एक्सटेंशन
112. निरंकारी कालौनी
113. रामेश्वर नगर
114. गुप्ता कालोनी एक्सटेंशन
115. मनोहर पार्क

116. केदार बाग रोहतक रोड़ पर
117. इन्द्र लोक
118. आनन्द नगर तुलसी नगर
119. आनन्द नगर तुलसी नगर
120. लाजवन्ती गार्डन
121. लाजवन्ती गार्डन एक्सटेंशन
122. रानी बाग
123. ऋषि नगर
124. श्रीनगर एक्सटेंशन (जी और एच)
125. राजा पार्क
126. रूप नगर
127. महेन्द्रा पार्क
128. हरी नगर जी ब्लाक
129. श्री नगर
130. श्री नगर एक्सटेंशन
131. वीरेन्द्र नगर
132. वीरेन्द्र नगर एक्सटेंशन
133. फतेह नगर एक्सटेंशन
134. कालका जी के पास गोविन्द पुरी
135. गोविन्द पुरी एक्सटेंशन
136. गोविन्दपुरी (छोड़ा गया भाग)
137. मोहन पार्क ऋषि नगर
138. पालम एन्कलेव
139. राज नगर पार्क पार्ट-एक
140. राज नगर पार्ट-दो

141. साध नगर पार्ट-एक

142. साध नगर पार्ट-दो

143. स्वतंत्र नगर

144. नरेला मण्डी एक्सटेंशन

145. इन्दिरा कालोनी

146. पंडित पार्क

147. राधे पुरी खास

148. शिव पुरी

149. चन्द्र नगर और सिलवर पार्क के एच खास

150. हजारा पार्क के एच खास

151. अनारकली पार्ट ,, ,,

152. गोल्डन पार्क ,, ,,

153. लक्ष्मण पार्क ,, ,,

154. इन्द्रा पार्क ,, ,,

155. गोपाल पार्क ,, ,,

156. राम नगर ,, ,,

157. ज्ञान पार्क ,, ,,

158. कृष्ण नगर शाहदरा

159. दक्षिण गांधी नगर

160. कैलाश नगर

161. भोला नाथ नगर-I

162. भोला नाथ नगर-II

163. गोपाल पार्क के. एच. खास

164. ज्ञान पार्क

165. दक्षिणी अनारकली कु. खास

166. चन्द्र पार्क कु. खास

167. नया लायलपुर कु. खास
168. शालीमार पार्क कु. खास
169. राधे पुरी एक्सटेंशन-I और II
170. राधेपुरी प्लाट्स-1-16
171. अनारकली एण्ड एक्सटेंशन
172. जनता कालोनी रामनगर
173. न्यू लायलपुर कालोनी एक्सटेंशन
174. अनारकली पुरानी
175. अनारकली नई
176. अनारकली दक्षिण एक्सटेंशन
177. पंडित पार्क एक्सटेंशन
178. न्यू कृष्ण नगर
179. सरस्वती भंडार
180. बगीची फूलसिंह
181. शाम ब्लाक
182. घास मण्डी
183. मुलतानी मौहल्ला
184. भोला नाथ नगर (छोड़ा गया भाग)
185. गोबरधन विहारी कालोनी
186. भोलानाथ नगर पूर्वी
187. भोलानाथ नगर पश्चिमी

विवरण-ग

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1 जुलाई 1981 में अनुमोदित की गई 5 कालोनियों की सूची

हापुरी कम्पलैक्स

1. हरकेश नगर (गौतम विहार)
2. अरन्दि नगर

3. अरन्दि नगर ब्लाक ए, बी, जे. एच. और सी.

4. जगजीत नगर

5. जयप्रकाश मौहल्ला

II दिल्ली नगर निगम की सूची में शामिल किए गए तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित कालोनियों की सूची। इनको हाल ही में घोषित विकास क्षेत्र में शामिल किया गया था

6. ब्रह्मपुरी

7. ब्रह्मपुरी एक्स ब्लाक

8. करतार नगर

9. ब्रह्मपुरी हरिजन कालोनी एक्सटेंशन
घोण्डा के निकट

10. चौहान बांगर भाग

11. जाफराबाद एक्सटेंशन भाग

विवरण-घ

30.6. 1981 के बाद दिल्ली नगर निगम द्वारा नियमित की गई अनधिकृत कालोनियों की सूची

1. गांधीनगर और कैलाश नगर का उत्तरी भाग

2. धर्मपुरा

3. रघुबरपुरा

4. शाम पार्क

5. रणजीत पार्क

6. चांद मौहल्ला और एक्सटेंशन

7. मौहल्ला राम नगर

8. रघुबर पुरा (छोडा गया भाग)

9. रघुबर पुरा I और II

10. अजीत नगर

11. सुभाष मौहल्ला
12. सीलमपुर (दक्षिणी)
13. जैन मौहल्ला
14. ज्ञान नगर
15. सींगरपुर
16. कपूर बस्ती
17. अर्जन मौहल्ला
18. अमर मौहल्ला
19. आनन्द मौहल्ला
20. कैलाश नगर (छोड़ा गया भाग)

विवरण-ङ

दिल्ली में अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने के लिए मापदण्ड

(एक) आवासीय और व्यवसायिक दोनों प्रकार की संरचनायें नियमित की जाएगी ।

(दो) संरचनाओं को विन्यास नक्से में उपयुक्त रूप से समायोजन करके और मार्गों तथा अन्य सामुदायिक सुविधाओं के लिए उचित स्थान रख कर नियमित किया जाएगा । मार्गों और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार के लिए यदि भूमि नजदीक पर पहले से ही प्राप्त है तो इस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग किया जाना चाहिए ।

(तीन) अचल सम्पत्तियों के मालिकों को दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली नगर निगम के द्वारा निर्धारित किये गए विकास प्रभारों का भुगतान करना होगा ।

(चार) जो परिवार मार्गों और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की व्यवस्था करने से विस्थापित होंगे उनका पुनर्वास निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा ।

(क) जिन मकान मालिक का और या जिस मालिक के परिवार के सदस्यों का दिल्ली में प्लाट/मकान नहीं हैं उन्हें वैकल्पिक मकान/प्लाट दिया जाएगा ।

(ख) किरायेदारों को वैकल्पिक आवास दिया जाएगा बशर्ते कि उनके अथवा अन्य किन्हीं आश्रित सदस्यों के पास दिल्ली में प्लाट/मकान नहीं होना चाहिए ।

(पांच) नियमितीकरण करते समय जहां कहीं भू उपयोग को बदलने की आवश्यकता होगी वह वृहत योजना/क्षेत्रीय योजना की व्यवस्था के संदर्भ में की जाएगी ।

(छः) जिन बस्तियों को अर्जित करने के लिए अधिसूचित किया गया उन्हें भी नियमितीकरण के लिए अनुमोदित किया जाएगा और जहां कहीं भी आवश्यक हुआ वहां इसके परिणामस्वरूप कदम उठाए जायेंगे ।

(सात) सभी बस्तियों के मामलेवार अध्ययन जो पहले नहीं किया गया है उसे उच्च प्राथमिकता के आधार पर दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम करेंगे ।

(आठ) जो बस्तियां पहले ही नियमित की जा चूकी हैं उनमें मार्गों तथा सामुदायिक सुविधाओं के लिए निर्धारित क्षेत्रों में निर्माण कार्य हो चुका है उन्हें भी नियमित किया जाएगा बशर्ते कि सुविधाओं के लिए नजदीक या पड़ोस में भूमि प्राप्त हो, अन्यथा उन्हें वैकल्पिक स्थल/मकान दिए जायेंगे ।

(नौ) उपर्युक्त तरीके से जब अनधिकृत बस्तियों के नियमितीकरण का फैसला हो रहा हो, इस बात पर भी जोर दिया जाना है कि सरकार वर्तमान अनधिकृत बस्तियों में अथवा किन्हीं अन्य क्षेत्रों में अथवा दिल्ली की बाहरी विकास योग्य सीमा में हो किसी भी व्यक्तिगत अथवा निकाय को इस प्रकार नये मकान बनाने की गतिविधियों को प्रोत्साहन नहीं देगी । इस दिशा में किए गए किसी भी प्रयत्न को गम्भीरता से देखा जाएगा और अपराधियों के साथ कठोरता का व्यवहार किया जाएगा ।

चीनी की कमी

1007. **श्री मोहन लाल पटेल : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में चीनी की वर्तमान कमी पर विचार करने हेतु चीनी उद्योग तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त बैठक हाल में नई दिल्ली में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो हुई वार्ता का का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) समस्या को हल करने के लिए क्या अन्तिम निर्णय लिए गए ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. पी. स्वामीनाथन) : क) से (ग) कुल मिलाकर, देश में चीनी की कोई कमी नहीं है । लेकिन लेवी और मुक्त बिक्री चीनी के बीच के असंतुलन की दृष्टि में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू वर्ष के उत्पादन से, वापसी के आधार पर, 4.5 लाख मीटरी टन तक मुक्त बिक्री की चीनी उधार लेने की संभावना का पता लगाने हेतु भारतीय चीनी मिल

एसोसिएशन और राष्ट्रीय सहकारी चीनी फैक्ट्रीज लि० संघ के प्रतिनिधियों के साथ 23 जुलाई, 1981 को विचार-विमर्श हुआ था। एसोसिएशन और फेडरेशन ने मुक्त बिक्री की चीनी की अपेक्षित मात्रा उधार देने के लिए मान लिया है।

दिल्ली में बाढ़ से नुकसान

1008. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना नदी में बाढ़ के कारण दिल्ली और ढांसा में कुल कितना नुकसान हुआ है ;

(ख) बाढ़ से रक्षा करने के लिए कितने गांवों को खाली करवाना पड़ा ;

(ग) बाढ़ से प्रभावित लोगों को क्या सहायता दी गई ; और

(घ) इस दिशा में कब तक स्थाई व्यवस्था कर दी जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि मानसून के चालू मौसम में यमुना की बाढ़ से अब तक कुल लगभग 2.229 लाख रुपए की क्षति पहुंची है।

(ख) और (ग) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि केवल दो गांवों नामशः जगतपुर और वज़ीराबाद को खाली कराना पड़ा था। यह सूचित किया गया है कि इन गांवों को खाली करने की चेतावनी 48 घंटे पहले दी गई थी। किंग्स कैम्प के निकट इंदिरा विकास कालोनी में सभी सुविधाओं से सम्पन्न एक सहायता शिविर भी खोला गया था। प्रत्येक परिवार के लिए चार-चार दिनों का राशन मुफ्त दिया गया था।

(घ) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि ये गांव नदी-तटबंधों के अन्दर स्थित हैं और यहां के निवासियों को यहां से निकाल कर और उन्हें अन्यत्र बसा कर ही स्थाई व्यवस्था की जा सकती है। दिल्ली प्रशासन जगतपुर गांव के चारों ओर एक रिंग बन्ध की व्यवस्था करने की व्यवहार्यता पर भी विचार कर रहा है।

चिकिन मीट बीफ, पोर्क आदि का खाद्य मूल्य

1009. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या कृषि मन्त्री सभा पटल पर एक विवरण रखेंगे जिसमें चिकिन मीट, बीफ वील, मटन, पोर्क और फ्रगलेग्स के खाद्य मूल्य बताये गए हों।

(क) उपर्युक्त खाद्य वस्तुओं में से प्रत्येक में प्रोटीन का कितना तत्व होता है ; और

(ख) उपर्युक्त खाद्य वस्तुओं में से प्रत्येक में विटामन का तत्व, यदि कोई है, तो कितना होता है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) चिकिन मीट, बीफ, वीज, मटन पोर्क और फागलेग्स में प्रोटीन की निम्नलिखित मात्रा होती है :—

प्रोटीन की मात्रा/100 ग्राम खाद्य भाग (जी) में

चिकिन मीट	25.9
बीफ	22.6
वील	19.4
मटन	18.5
पोर्क	18.7
फ्रॉगेलेग्स	16.4

(ख) उपरोक्त मीट में विटामन के निम्नलिखित तत्व होते हैं :—

विटामन/100 ग्राम खाने योग्य भाग

मीट की किस्म	कारोटन (यू. जी)	थ्रिया-मिन (एम. जी)	रिबो-फलेवन (एम. जी)	नाय-सिन (एम. जी)	फोलिक एसिड (यू. जी)	विटा-मिन बी 12 (यू. जी)	विटा-मिन सी (एम. जी)
चिकिन मीट	18	0.05	0.14	10.7	6.8	—	—
बीफ	18	0.15	0.04	6.4	—	—	2.0
वील	—	0.14	0.26	6.5	—	—	—
मटन	9	0.18	0.14	6.8	5.8	2.6	—
पोर्ट	0	0.54	0.09	2.8	—	—	2.0
फ्रोगेलेग्स	0	0.14	0.25	1.2	—	—	—

चीनी का उत्पादन

1010. श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1980-81 के चीनी मौसम में चीनी मिलों ने कुल कितने गन्ने की पैराई की ;

(ख) कुल कितनी चीनी उत्पादित हुई ;

(ग) गन्ना उत्पादकों को राज्यवार क्या औसत मूल्य दिया गया ;

(घ) क्या 1980-81 के मौसम में चीनी की उत्पादन तथा चीनी का बना हुआ स्टाक देश में आगामी त्यौहारों के अवसरों पर इसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) यदि नहीं, तो चीनी की कमी से उत्पन्न होने वाली स्थिति को सरकार किस प्रकार संभालेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी स्वामीनाथन)। (क) अनुमान है कि 1980-81 (अक्तूबर-सितम्बर) मौसम के दौरान चीनी मिलों द्वारा कुल 515.15 लाख मी० टन गन्ना पैरा गया था ।

(ख) 1980-81 के दौरान 51.40 लाख मी० टन चीनी का अनुमानित उत्पादन हुआ है ;

(ग) 1980-81 मौसम के दौरान फैक्ट्रियों द्वारा गन्ने के दिए गए राज्यवार मूल्य बताने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(घ) से (च) 1.10.80 को चीनी का अथशेष स्टाक 6.82 लाख मी० टन होने से तथा चीनी वर्ष 1980.81 में 15.40 लाख मी० टन का अनुमानित उत्पादन होने से, चीनी की कुल उपलब्धता 58.28 लाख मी० टन बैठती है । इसके प्रति आवश्यकता 51.0 लाख मी० टन बैठती है(1.10.81 को पिछला बचा अनुमानित निवल स्टाक लगभग 7.22 लाख मी० टन बैठेगा । क्योंकि पहले दो महीनों अर्थात चीनी वर्ष 1981-82 के अक्तूबर और नवम्बर के महीनों की आवश्यकता लगभग 9 लाख मी ० टन बैठेगी और इन महीनों के दौरान नवम्बर/दिसम्बर के शुरू से नया उत्पादन उपलब्ध होगा, उपलब्धता में अंतर को लगभग 2.15 लाख मी० टन चीनी का आयात कर पूरा किया गया है ।

विवरण

1980-81 मौसम के दौरान (चीनी फैक्ट्रियों से प्राप्त सूचना के अनुसार) फैक्टरियों द्वारा गन्ने के दिए गए मूल्यों को बताने वाला विवरण

राज्य	दिया गया मूल्य रुपए/क्विंटल में	
1. उत्तर प्रदेश	19.00	29.00
2. बिहार	I9.00	22.00
3. पंजाब	23.00	28.00
4. हरियाणा	23.00	26.00

5. असम	13.00	
6. पश्चिमी बंगाल	20.00	25.00
7. उड़ीसा	17.00	
8. मध्य प्रदेश	17.50	23.50
9. राजस्थान	21.00	25.00
10. महाराष्ट्र	17.50	28.20
11. गुजरात	12.00	20.00
12. आंध्र प्रदेश	18.50	22.20
13. तमिलनाडू	17.50	21.62
14. कर्नाटक	18.44	25.00
15. केरल	17.00	18.00
16. पांडिचेरी	17.50	
17. नागालैण्ड	16.76	
18. गोआ	16.50	से 21.50

नोट :—कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में फैक्ट्रियों ने अग्रिम में सामान्यतया अस्थाई मूल्य दिया है ।

भाद्रा बाँध की मरम्मत

1011. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाद्रा बाँध को 16 नवम्बर, 1980 से मरम्मत करने के लिए खाली करने के प्रस्ताव से लगभग 20 लाख किसानों तथा कर्नाटक राज्य के आठ ताल्लुकों के खेतीहर और अन्य श्रेणी के श्रमिकों पर प्रभाव है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या पिछले तीन वर्षों से शक्तिशाली जेटों में दरार पड़ जाने के कारण भारी मात्रा में पानी लीक कर रहा है ;

(ग) क्या परियोजना प्राधिकारियों ने इसकी टूट फूट की मरम्मत के लिये कोई योजना तैयार की है ;

(घ) क्या जलाशय के बह जाने से श्रम, फसल तथा उत्पादन के रूप में 100 करोड़ रुपये की विपुल हानि होने की संभावना है ;

(ङ) क्या यह केन्द्रीय जल विद्युत आयोग की इन सिफारशों पर कि बाँध की मरम्मत यथाशीघ्र की जाये, किया गया है ; और

(च) किसानों द्वारा किन-किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें क्या मुआवजा दिया जायेगा ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसरी) : (क) कर्नाटक सरकार ने सूचित किया है कि भद्रा जलाशय की मरम्मत के लिए खाली करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि वस्तुतः बाँध से कोई रिसन नहीं हो रहा है लेकिन स्लूइसों निक्षेपण (स्काउरिंग स्लूइसों के सूखे कुओं में जेट्स के रूप में रिसन होता देखा गया है।

(ग) परियोजना प्राधिकारी जलाशय को खाली किए बिना, इसकी शीघ्र मरम्मत करने के उपायों पर विचार कर रहे हैं।

(घ) उपर्युक्त (क) और (ग) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल पैदा नहीं होता।

(ङ) केन्द्रीय जल आयोग ने और राज्य सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति, दोनों ने बाँध की शीघ्र मरम्मत करने का सुझाव दिया है।

(च) उपर्युक्त (क) और (ग) के उत्तर को देखते हुए यह सवाल पैदा नहीं होता।

नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा स्टालों का आबंटन

1012. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवासमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा जनवरी, 1981 से 30 जून, 1981 तक कितने स्टालों का निर्माण किया गया ;

(ख) उन व्यक्तियों के क्या नाम हैं जिन्हें ये स्टाल आबंटित किये गये और यह स्टाल उन्हें किस तारीख को आबंटित किये गये :

(ग) क्या यह आबंटन अनियमित था और क्या इन स्टालों के आबंटन के लिए जिन व्यक्तियों और भूतपूर्व सैनिकों ने पहले आवेदन कर रखा था उन्हें ये स्टाल नहीं दिये गये और इसके बजाय इनका आबंटन बाद में आवेदन करने वालों को किया गया ; और

(घ) क्या सरकार इस मामले में कोई जांच करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्यों द्वारा गंदी बस्ती सफाई निधि का दुरुपयोग

1013. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों को राजधानियों को गंदी बस्ती सफाई योजना के अन्तर्गत सम्मिलित कर दिया है तथा उसके लिये राज्यों को आवश्यक धनराशि आबंटित कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इन राज्यों की राजधानियों के नाम क्या हैं तथा गत तीन वर्षों में उन राजधानियों के विकाश के लिये राज्य सरकारों को दी गई राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या यह भी सच है कि बहुत सी राज्य सरकारों के द्वारा भारत सरकार द्वारा गंदी बस्तियों की सफाई के लिये दी गई राशि को विकाश कार्यों पर उपयोग किये जाने की बजाय अन्य कार्यों पर खर्च किया जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और इसके क्या परिणाम निकले ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) गन्दी बस्ती उन्मूलन सुधार योजना प्लान सहायता के रूप में दिए गए समेकित ऋणों और अनुदानों में से राज्य क्षेत्र में चलाई जा रही है। छठी योजना के अन्तर्गत, गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार के लिए 151.45 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना आकार का विचार न करते हुए, राज्य की राजधानी सहित, सभी नगरीय क्षेत्रों में लागू होगी। गन्दी बस्ती सुधार योजनाओं के लिए आवश्यक बजट प्रावधान राज्य सरकारों द्वारा की जानी होती है। केन्द्रीय सरकार राज्य की राजधानियों में गन्दी बस्तियों के सुधार के लिए राज्य सरकारों को सीधे कोई विशिष्ठ नियतन नहीं करती है।

(ग) तथा (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

जे० जे० कालोनी, हस्तसाल, दिल्ली में पानी की टंकी का गिरना

1014. **श्री एन० ई० होरो** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकाश प्राधिकरण के दो अधिकारियों को उत्तम नगर के समीप जे० जे० कालोनी हस्तसाल में 28. 3. 1981 को 50,000 गैलन क्षमता की पानी टंकी के गिरने के पश्चात् जिससे एक पाँच वर्षीय बच्चे की हत्या हो गई तथा कई अन्य घायल हो गये, असावधानी के कारण मृत्यु की जांच करने के लिए गिरफ्तार किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले का क्या निष्कर्ष निकला ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इन मामलों की पुलिस जांच कर रही है।

महाराष्ट्र राज्य विपणन फेडरेशन द्वारा खरीदी गई प्याज की मात्रा

1015. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र राज्य विपणन फेडरेशन द्वारा वर्ष 1980-81 तथा अप्रैल, 1981 से जून, 1981 तक कुल कितनी प्याज खरीदी गई और उसके लिये कितना मूल्य दिया गया ;

(ख) इसे कुल कितना घाटा हुआ है ; और

(ग) महाराष्ट्र राज्य विपणन फेडरेशन की सहायता करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संघ ने राज्य सरकार की योजना के तहत 1980-81 के दौरान 35.15 लाख क्विंटल प्याज खरीदी, इसमें से उसने 19.95 लाख क्विंटल प्याज अप्रैल, 1981 से जून, 1981 के दौरान खरीदी थी। खरीद मूल्य 60 रुपये से 75 रुपये प्रति क्विंटल के बीच था ।

(ख) इस कार्य का वित्तीय परिणाम निर्धारित करने के लिए खातों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि महाराष्ट्र राज्य सहकारी विपणन संघ ने राज्य सरकार की योजना के तहत कार्य किया था ।

गंगा यमुना, नदी जल विवाद के अन्तर्ग्रस्त राज्य

1016. **श्री चतुर्भुज** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगा और जमुना नदी जल विवाद किन-किन राज्यों के बीच है, विवाद का स्वरूप क्या है और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ख) राज्य के हितों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने इस बारे में भारत सरकार और केन्द्रीय जल आयोग के साथ क्या कार्यवाही की है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) गंगा नदी के संबंध में इस प्रकार का कोई अन्तर्राज्यिक विवाद नहीं है । तथापि, राजस्थान सरकार ने 1975 में चुरू लिफ्ट सिंचाई स्कीम की एक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें राजस्थान के और झुनझुनु जिलों में सिंचाई चुरु के लिए आंशिक रूप से गंगा से और आंशिक रूप से यमुना से 300 क्यूसेक जल के उपयोग की परिकल्पना की गई थी। बेसिन राज्यों के बीच यमुना के जल के बंटवारे के बारे में निर्णय न होने के कारण और उत्तर प्रदेश सरकार के इस कथन के कारण कि

उनके अनुमान के अनुसार उनकी निर्माणाधीन और प्रस्तावित स्कीमों के पूरा होने के पश्चात् गंगा में कोई फालतू जल नहीं बचेगा, यह स्कीम स्वीकृत नहीं की गयी थी ।

यमुना नदी के बारे में विवाद बेसिन राज्यों, नामशः हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच इसके जल के उपयोग और विकास के संबंध में है । अप्रैल, 1981 में मुख्य मंत्रियों की जो अन्तर्राज्यिक बैठक हुई थी उसमें जल की उपलब्धता की जांच करने और यमुना के जल के आवंटन के लिए मानदंडों सिद्धान्तों की सिफारिश करने के लिए एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय जल आयोग के अध्यक्ष हैं और राज्यों के मुख्य इंजीनियर इस समिति के सदस्य हैं । उक्त समिति की रिपोर्ट जब प्राप्त हो जाएगी तो उस पर मुख्य मंत्रियों के स्तर पर आगे विचार किया जाएगा ।

वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना

1017. **श्री अनादि चरण दास :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास छठी योजना अवधि के दौरान वनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त योजना अवधि के दौरान उड़ीसा में वनों पर आधारित ऐसे कितने उद्योग स्थापित करने का प्रस्ताव है ;

(ग) वे स्थान कौन से हैं जहां इन उद्योगों की स्थापना की जायेगी ; और

(घ) उपयुक्त प्रस्तावों को लागू करने में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) उद्योग मंत्रालय और उड़ीसा सरकार से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

वनों की सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए अपनाई गई श्रेणियाँ

1018. **श्री गिरिधर गोमाँगो :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र तथा राज्यों द्वारा अब तक अपनाए गये आरक्षित वन, संरक्षित वन, गैर वर्गीकृत वन तथा अन्य श्रेणी के वनों की श्रेणी के अन्तर्गत राज्य-वार कुल कितना क्षेत्र है ;

(ख) भारत सरकार के समक्ष रखी गई वन संबंधी राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के पहले और बाद में विभिन्न वर्गीकृत वनों के अन्तर्गत कितना क्षेत्र हैं ;

(ग) अभ्यावेदन तथा वनहीन क्षेत्रों के केन्द्र तथा राज्यों द्वारा अधिनियम विधान संकल्प और क्या अन्य उपाय किये गये हैं ; और

(घ) वृक्षारोपण के लिए उनके मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को राज्य वन विकास निगम द्वारा पेड़ काटकर साफ किए गए क्षेत्रों में तीव्र गति से बढ़ने वाले अन्य किस्म के पेड़ों को मानव निर्मित और उत्पादन वनों के लगाये जाने के लिए कौन सी नीति निर्देश जारी किए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) विभिन्न वर्गों के अन्तर्गत राज्यवार वन क्षेत्र का ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है ।

(ख) भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग की स्थापना 1970 में की थी । आयोग ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट 1676 में प्रस्तुत की थी । इन वर्षों में श्रेणी अनुसार वन क्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(ईकाई : हजार हैक्टार में)

वर्ष/वर्ष	आरक्षित वन	संरक्षितवन	गैर वर्गीकृत वन	कुल वन
1969-70	38,118	23,816	12,957	74,891
1976-77	39,010	23,209	12,560	64,780

(ग) प्रश्न स्पष्ट नहीं है । ऐसा अनुमान है कि मांगी गई जानकारी काटे गये क्षेत्रों में पुनर्वनरोपण से संबंधित है ।

केन्द्र तथा राज्यों ने 1951 में शुरू किये गए समय नियोजित विकास से पुनः वनरोपण के लिये पौध लगाने के कार्यक्रम शुरू किये हैं । 1980-81 तक 23 लाख हैक्टार क्षेत्र में पौधे लगाये गये हैं । छठी पंचवर्षीय योजना के कार्यक्रम में 8.24 लाख हैक्टार क्षेत्र में वनरोपण की व्यवस्था है ।

(घ) कृषि मंत्रालय ने राज्य वन विकास निगमों द्वारा पेड़ काटकर साफ किए गये क्षेत्रों के बारे में वन रोपण कार्यक्रमों के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी नहीं किए हैं ।

विवरण

कानूनी स्थिति द्वारा राज्वार वन क्षेत्र —1978-79

(हजार हैक्टार)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आरक्षित	संरक्षित	गैर-वर्गीकृत	योग
1	2	3	4	5	6
राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	4,868	1,414	143	6,425
2.	असम	1,642	—	1,439	3,081

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	505	2,418	4	2,927
4.	गुजरात	1,210	115	641	1,966
5.	हरियाणा	22	76	61	159
6.	हिमाचल प्रदेश	182	1,763	226	2,171
7.	जम्मू तथा कश्मीर	2,189	—	—	2,189
8.	कर्नाटक	2,790	458	386	3,634
9.	केरल	916	198	18	1,132
10.	मध्य प्रदेश	8,020	7,442	177	15,639
11.	महाराष्ट्र	4,232	1,557	603	6,392
12.	मणिपुर	551	—	51	602
13.	मेघालय	71	1	779	851
14.	नागालैण्ड	50	52	184	286
15.	उड़ीसा	2,669	4,097	1	6,767
16.	पंजाब	4	84	134	222
17.	राजस्थान	1,262	1,558	628	3,448
18.	सिक्कम	224	58	—	282
19.	तमिलनाडु	1,770	300	44	2,174
20.	त्रिपुरा	393	207	—	600
21.	उत्तर प्रदेश	3,441	22	1,646	5,109
22.	प. बंगाल	700	426	57	1,183
संघ राज्य क्षेत्र					
23.	अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह	291	423	—	714
24.	अरुणाचल प्रदेश	1,238	20	3,896	5,154
25.	दादर तथा नगर हवेली	20	—	—	20
26.	दिल्ली	1	1	2	4
27.	गोवा, दमन तथा दीव	2	—	129	131
28.	मिजोरम	713	—	590	1,303
	योग	39,976	22,750	11,839	74,565

खंड स्तर पर ग्रामीम कारीगरों के लिये योजना का विनियोजन तथा क्रियान्वयन ।

1019. **श्री कथूर भूषण** : क्या **ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : खंड स्तर पर ग्रामीण कारीगरों के लिये योजनाओं के विनियमन तथा क्रियान्वयन की क्या स्थिति है तथा उनमें खादी ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प बोर्ड क्या सहयोग दे रहा है ।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : ग्रामीण कारीगरों को इनके द्वारा सहयता पहुंचाई जा रही है :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिए जा रहे ग्रामीण उद्योगों, सेवाओं तथा व्यापार उद्यमों के कार्यक्रम ; 31-3-1981 को लाभभोगियों की कुल संख्या 2,68,378 थी ।

(2) ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार की योजना (ट्राइसेम) जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बन्ध कुशलता तथा प्रौद्योगिकी और स्वरोजगार के लिए तैयार करने की व्यवस्था है । 31-3-81 तक अन्तर्गत लाए गए युवकों की संख्या 1,46,706 थी ।

(3) कारीगरों की कुशलताओं तथा अन्य अपेक्षित निवेशों को सुलभ करने वाला खादी तथा ग्रामोद्योगों का कार्यक्रम, 31-3-1981 तक कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 लाख व्यक्तियों को लाया गया था ।

(4) हस्तशिल्प बोर्ड कारीगरों के उत्पादकों की बिक्री के लिए खण्ड विकास स्तर पर ग्रामीण विपणन केन्द्र स्थाफित कर रहा है । 31-3-1980 तक विभिन्न खण्डों के लिए इस प्रकार के लगभग 200 केन्द्रों को मंजूरी दे दी गई है ।

बरोजा (रेजिन) निकालने के लिए पेड़ों का काटा जाना

1020. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक मात्रा में बरोजा निकालने के परिणामस्वरूप पेड़ों को नुकसान हुआ है और उत्तर प्रदेश तथा जम्मू और कश्मीर में हिमालय क्षेत्र के बड़े क्षेत्र में भू-स्खलन का खतरा पैदा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पेड़ों की कटाई से उत्पन्न खतरों की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) **तथा** (ख) संबंधित राज्य सरकारों से अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय खाद्य निगम के कार्यों में विविधता लाना

1021. **श्री के० टी० कौसलराम** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम के कार्यों में विविधता लाने की योजना जिसे 1975 में शुरू किया गया था, को अब छोड़ दिया गया है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान खाद्यानों की, वर्षवार और क्षेत्रवार की गई खरीद के आंकड़े क्या हैं ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम को पुनः महत्वपूर्ण बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ताकि खाद्यान्नों की खरीद के वार्षिक लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम ने पौष्टिक आहार का उत्पादन करने सहित मुख्यतया खाद्य विधायन के क्षेत्र में नयी परियोजनाएं शुरू करने की व्यवहार्यता का पता लगाया था। तथापि, तकनीकी, वाणिज्यिक/आर्थिक संक्षमता के कारणों से इन प्रस्तावों को मूर्तरूप नहीं दिया जा सका था। इसके अलावा, इस बीच पर्याप्त मात्रा में बफर स्टाक तैयार करने, अतिरिक्त भण्डारण स्थानों का निर्माण करने और खाद्यान्नों आदि का निर्यात करने के कारण निगम पर अतिरिक्त जिम्मेदारियां पड़ीं।

(ख) दो विवरण (विवरण I तथा II) संलग्न हैं जिनमें पिछले पांच वर्षों के दौरान खरीफ के अनाजों और गेहूं की वसूली के वर्षवार और क्षेत्रवार आंकड़े दिए गये हैं।

(ग) फिलहाल गेहूं और धान की वसूली मूल्य समर्थन परिचालनों के अधीन की जाती है जबकि चावल की वसूली लेवी प्रणाली के अन्तर्गत की जाती है। भारतीय खाद्य निगम और राज्य सरकारों द्वारा मूल्य समर्थन नीति को कार्यान्वित करने के लिए व्यापक प्रबन्ध किए जाते हैं। भारतीय खाद्य निगम को जो कार्य सौंपे गये हैं, वह उनको निभाने के लिए पूर्णतया सक्रिय हैं।

(विवरण एक)

वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान खरीफ के अनाजों की वसूली को बताने वाला विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1976-77 कुल भा० खा० नि०		1977-78 कुल भा० खा० नि०		1978-79 कुल भा० खा० नि०		1979-80 कुल भा० खा० नि०		1980-81 (14-8-81) कुल भा० खा० नि० को	
आन्ध्र प्रदेश	483	444	612	529	1051	952	492	410	660	483
असम	155	54	21	6	32	16	10	—	37	9
बिहार	42	—	7	—	12	—	—	—	65	—
गुजरात	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हरियाणा	648	50	741	75	887	179	553	123	667	578*
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	नग०	—	—	—	—	—
जम्मू तथा कश्मीर	33	28	49	—	58	—	50	—	60	—
कर्नाटक	67	—	60	—	138	—	78	—	78	—
केरल	20	—	12	—	1	—	1	—	नग०	—
मध्य प्रदेश	215	149	182	174	306	305	90	90	378	176
महाराष्ट्र	215	—	4	—	115	—	84	—	162	—
मणिपुर	1	1	1	1	1	1	—	नग०	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	नग०	—
उड़ीसा	118	—	80	—	58	—	29	—	228	—
पंजाब	1535	263	2193	567	2725	1037	2292	1147	2523	1997*
राजस्थान	39	39	नग०	नग०	17	17	नग०	नग०	5	5
तमिलनाडु	173	21	94	—	71	19	133	—	169	5
त्रिपुरा	10	—	नग०	—	नग०	—	—	—	1	—

नग० : 500 मीटरी टन से कम ।

* : इसमें लेवी योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे लिए गये चावल की सुपुर्दगी शामिल है ।

नोट : खरीफ के अनाजों में चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) और मोटे अनाज ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी) शामिल है ।

विवरण-I (जारी)

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1976-77 कुल	भा०	खा०	नि०	1977-78 कुल	भा०	खा०	सि०	1978-79 कुल	भा०	खा०	नि०	1979-80 कुल	भा०	खा०	नि०	1980-81 (14-8-81) कुल	भा०	खा०	नि०
उत्तर प्रदेश	691	27	566	नग०	837	15	73	—	582	नग०										
पश्चिमी बंगाल	171	171	245	245	146	146	69	69	134	134										
अ० तथा नि० द्वीप समूह	नग०	—	नग०	—	1	—	नग०	—	नग०	—										
अरुणाचल प्रदेश	—	—	नग०	नग०	1	1	1	1	1	1										
चण्डीगढ़	—	—	नग०	नग०	1	1	—	—	—	—										
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	नग०	नग०										
गोवा, दमन तथादीव	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—										
पांडिचेरी	1	1	2	1	1	1	नग०	नग०	1	1										
अखिल भारत	4653	1248	4872	1598	6459	2690	3955	1840	5751	3385										

नोट : खरीफ के अनाजों में चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) और मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी) शामिल है ।

नग० : 500 सीटरी टन से कम ।

(विवरण-दो)

वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82 के दौरान (विपणन मौसम के अनुसार) गेहूं की वसूली बताने वाला विवरण (14.8.1981) को

(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1976-77 कुल	भा०	खा०	नि०	1977-78 कुल	भा०	खा०	नि०	1978-79 कुल	भा०	खा०	नि०	1979-80 कुल	भा०	खा०	नि०	1980-81@ कुल	भा०	खा०	नि०	1981-82* कुल	भा०	खा०	नि०
आसाम	1	नग०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
बिहार	101	—	11	—	29	—	88	—	9	—	12	1												
गुजरात	137	—	—	—	—	—	नग०	—	—	—	—	—												
हरियाणा	907	—	908	164	933	176	1389	263	1003	222	1122	237												

विवरण--II जारी

(आंकड़े हजार मीटरीटन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1976-77				1977-78				1978-79				1979-80				1980-81@				1981-82*			
	कुल	भा०	खा०	नि०	कुल	भा०	खा०	नि०	कुल	भा०	खा०	नि०	कुल	भा०	खा०	नि०	कुल	भा०	खा०	नि०	कुल	भा०	खा०	नि०
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	—	—	नग०	—	—	—	—	—	—	—
जम्मू तथा कश्मीर	15	15	8	8	13	—	22	—	28	—	20	—												
महाराष्ट्र	21	—	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मणिपुर	.....	...	...	नग०	.....	.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
मध्य प्रदेश	274	250	11	11	20	20	100	100	नग०	नग०	155	93												
पंजाब	2942	423	3234	516	3206	743	4200	966	4269	1062	3715	948												
राजस्थान	474	474	123	122	77	77	301	301	17	17	10	10												
उत्तर प्रदेश	1711	266	853	185	1164	220	1883	359	522	86	1453	182												
पश्चिमी बंगाल	18	13	नग०	नग०	16	16	3	3	—	—	—	—												
दिल्ली	नग०	नग०	11	11	18	18	12	12	4	4	नग०	नग०												
चण्डीगढ़	1	1	नग०	नग०	1	1	—	नग०	—	—	—	—												
जोड़	6602	1442	5165	1017	5478	1272	8000	2006	5852	1391	6487	1471												

@ अनुमानित ।

नोट : नग० : 500 मीटरी टन से कम ।

मुर्गीपालन, सुअरपालन, बकरी और भेड़ पालन का विकास

1022. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में बिहार के लिए ऋण अथवा राजसहायता के रूप में मुर्गीपालन, सुअरपालन, बकरी और भेड़ पालन के लिए ठीक-ठीक कितनी धनराशि मंजूर की गई ;

(ख) क्या उस राशि का कोई भाग अभी खर्च नहीं किया गया है ; यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं ; और

(ग) सीमान्त और छोटे किसानों, कृषि मजदूरों और हरिजनों के लिए क्या विशिष्ट सुविधाएं हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रमों तथा सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों को केन्द्रीय सहायता देता है। गत तीन वर्षों के दौरान मुर्गीपालन, सुअरपालन, बकरी और भेड़ पालन आदि के लिए बिहार सरकार को निम्नलिखित धनराशि मंजूर की गई :—

(1) **विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम**

वर्ष	(लाख रुपये) दी गई राशि (केन्द्रीय भाग)
(1) 1978-79	21.00 (19.00 लाख रुपये गत वर्ष की शेष राशि के रूप में शामिल है)
(2) 1979-80	1.00
(3) 1980-81	3.50
कुल	25.50

(2) **सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम :**

वर्ष	(लाख रुपये) दी गई धनराशि (केन्द्रीय विभाग)
(1) 1978-79	45.27
(2) 1979-80	8.86
(3) 1980-81	4.27
कुल	58.40

(3) कृषि मन्त्रालय पशु प्लेग उन्मूलन तथा खुरपका व मुंहपका रोग नियंत्रण संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य को केन्द्रीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना के अन्तर्गत बिहार सरकार को निम्नलिखित धनराशि निर्मुक्त की गई थी :-

वर्ष	(लाख रुपये) निर्मुक्त की गई राशि (केन्द्रीय विभाग)
(1) 1978-79	2.96
(2) 1979-80	0.67
(3) 1980-81	1.63

(ख) निर्मुक्त की गई निधि (अंतरिम) का उपयोग निम्नरूप से किया गया :-

(1) **विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम :**

वर्ष	(लाख रुपये) (केन्द्रीय भाग)
(1) 1978-79	10.00
(2) 1979-80	8.00
(3) 1980-81	8.63
कुल	26.63

विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रमों के अन्तर्गत धनराशि के उपयोग में कोई कमी नहीं हुई है ।

सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों तथा पशुप्लेग और खुरपका व मुंहपका रोग नियंत्रण के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों के विशेष संदर्भ में व्यय के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) विशेष पशुधन उत्पादन कार्यक्रम का उद्देश्य संकर जनित ओसर, बछड़ा पालन, मुर्गीपालन व भेड़ पालन एककों की स्थापना जैसे कार्य-कलापों के जरिए गरीब ग्रामीणों को अवसर प्रदान करना है । पशुधन, आवास उपकरण तथा आहार संबंधी राज सहायता, विपणन और स्वास्थ्य व्यवस्था के रूप में सहायता प्रदान की जाती है । 4 से 28 माह की आयु की संकर जनित औसरों के आहार हेतु लघु/सीमान्त कृषकों को 50 प्रतिशत की दर से तथा कृषि मजदूरों को $66\frac{2}{3}$ प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है । मुर्गीपालन, सुअरपालन तथा भेड़ उत्पादन एककों की स्थापना करने के लिए लघु कृषकों को 25 प्रतिशत की दर से तथा सीमान्त कृषकों व कृषि मजदूरों को $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से सहायता दी जाती है, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति लाभानुभोगी 3,000 रुपये होती है । तथापि, आदिवासी भागीदारों के मामले में प्रति लाभानुभोगी 5,000 रु० की अधिकतम सीमा के अन्तर्गत 50 प्रतिशत की दर से राज-सहायता दी जाती है ।

सूखा-प्रवण-क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु तथा सीमान्त कृषकों को 25 प्रतिशत से $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत की दर से राजसहायता दी जा रही है । तथापि, समूचे देश में समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के विस्तार के बाद सूखा-प्रवण क्षेत्र कार्यक्रमों में अब अलग-अलग व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की बात समाप्त हो गई है । खुरपका व मुंहपका रोग नियंत्रण की योजना के अंतर्गत लघु, सीमान्त कृषकों तथा कृषि श्रमिकों को खुरपका व मुंहपका रोग के टीकों की लागत पर 50 प्रतिशत राज-सहायता दी जाती है ताकि वे प्रथम ब्यात तक अपने विदेशी संकर/जनित मादा गौ-पशुओं की रक्षा कर सकें । पशुप्लेग उन्मूलन नियंत्रण नामक अन्य योजना में राज्य

सरकार को सहायक अनुदान देने की व्यवस्था है। बिहार की सभी विकास शाखाओं में चल रहे समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लघु कृषकों/सीमान्त कृषकों, कृषि श्रमिकों तथा हरिजन लाभानुभोगियों को मुर्गीपालन, सुअरपालन आदि सहित कोई भी सक्षम आर्थिक कार्यकलाप शुरू करने के लिए सहायता सुलभ है। तथा ऐसी सहायता, राज-सहायता के रूप में दी जाती है जो लघु कृषिकों को परियोजना की पूंजीगत लागत के 25 प्रतिशत तथा सभी अन्य श्रेणियों को पूंजीगत लागत के $33\frac{1}{3}$ प्रतिशत तक दी जाती है। गृह मंत्रालय विशेष केन्द्रीय सहायता देता है जो अनुसूचित जातियों के लिए सरकार के योजना कार्यक्रमों से अतिरिक्त है।

हरिनगर और तिहाड़ गांव दिल्ली के बीच के क्षेत्र का विकास

1023. **श्री धर्मदास शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पश्चिम दिल्ली में हरिनगर और तिहाड़ गांव के बीच के क्षेत्र को झील और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस कार्य में कितनी प्रगति हुई है ; और

(घ) इस योजना के कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण मनोरंजनात्मक प्रयोजन के लिए इस क्षेत्र का डिस्ट्रिक्ट पार्क के साथ एक छोटी झील के रूप में विकास कर रहा है।

(ख) इस विकास कार्य में फूलदार पेड़ और झाड़ियां लगाना तथा मैदानों, पार्कों, पगडन्डियों, तालाबों के चारों ओर बाड़ और झाड़ियों की व्यवस्था करना शामिल है।

(ग) लगभग 70 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

(घ) लगभग 2 वर्ष।

जलाशयों पर बाढ़ का प्रभाव

1024. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामान्यतः जलाशयों के जीवन्त काल पर बार-बार आने वाली बाढ़ों का भारी दुष्प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक मामले का पृथक-पृथक ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

बिहार में चीनी, सरसों के तेल और कोयले इत्यादि के मूल्यों में वृद्धि

1025. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि बिहार राज्य में चीनी का भाव 9 रुपए प्रति कि० ग्राम, सरसों के तेल का भाव 17 रुपये प्रति कि० ग्राम तथा कोयले का भाव 25 रुपये से अधिक प्रति मन चल रहा है इन वस्तुओं की कमी है ;

(ख) क्या साबुन, सोड़ा, कपड़ा, वनस्पति, चावल, गेहूं, आदि के मूल्य न केवल बढ़ गए हैं वरन, इन वस्तुओं की कमी है ;

(ग) यदि हाँ, तो इन वस्तुओं के बिहार और उत्तर प्रदेश में निर्धारित मूल्य क्या हैं ; और

(घ) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि इन आवश्यक वस्तुओं को समाज के कमजोर वर्गों को सरलता से उपब्ध कराने की आवश्यकता है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महंती) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

पश्चिम पुरी, नई दिल्ली में कोयले का डिपो

1026. **श्री हीरालाल आर० परमार** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** पश्चिमपुरी में कोयले के डिपो के आवंटन के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 60 दिनांक 9 जून, 1980 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण की कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण से कोयले के डिपो के लिए प्लाट लेने की प्रक्रिया क्या है ;

(ख) क्या पाकेट-III, पश्चिमपुरी, नई दिल्ली 63 में निकट भविष्य में कोयले के डिपो के लिए प्लाट के आवंटन की कोई संभावना है ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) यदि हाँ, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण को उक्त प्लाट के आवंटन के लिए कितने आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ।

(ड़) प्याटं का कब तक आवंटन किए जाने की संभावना है ; और

(च) क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन स्व: योजना के अधीन प्लाटों के आवंटन के लिए अनुसूचित जातीय महिलाओं को प्राथमिकता दी जा रही ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) आयुक्त (खाद्य तथा सम्भरण) दिल्ली प्रशासन के कार्यालय की सिफारिश पर विभिन्न कालोनियों में दिल्ली विकास प्राधिकरण अपने द्वारा विकसित किए गए कोयला डिपो-स्थलों का आवंटन करता है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(घ) से (च) जैसा कि ऊपर कहा गया है दिल्ली विकास प्राधिकरण आवेदन पत्रों को स्वयं सीधे ही प्राप्त नहीं करता । यह प्राधिकरण आयुक्त (खाद्य तथा सम्भरण) की सलाह पर कोयला डिपो स्थलों का आवंटन करता है । उक्त भूखण्ड के लिए अभी तक ऐसी कोई सिफारिश प्राप्त नहीं हुई है । इस सम्बन्ध में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई वरीयता देने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के गांवों में पीने के पानी का कार्यक्रम

1027. **श्री जैनुल बशर** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में पीने के पानी के कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने समस्याग्रस्त गांवों की जानकारी हुई है ;

(ख) अब तक कितने गांव इस योजना में लिए गए हैं ;

(ग) शेष गांव साल दो साल कब तक इस योजना के अन्तर्गत आ जायेंगे ;

(घ) 1979-80 के सूखे अनुभव से कितने और गाँव जानकारी आए ; और

(ङ) उन गांवों को जो योजनाओं में भी हैं, को लेने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 1110

(ख) 35 मार्च 1981 तक 132 गांव ।

(ग) छठी योजना के अन्त 31.3.85 तक शेष सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को पेयजल की व्यवस्था करने का लक्ष्य है।

यह विस्तृत योजना राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है क्योंकि योजनाओं का निष्पादन उनका उत्तरदायित्व है।

(घ) कोई अतिरिक्त गांव नहीं बताये गए हैं।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सिंचाई के अन्तर्गत क्षेत्र

1028. **श्री कुमबुम एन० नटराजन** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के अनुमानित जलस्रोत कितने हैं; सिचाई के उपयोग के लायक क्षेत्र कितना है और सिंचित क्षेत्र कितना है ;

(ख) 1951 को आधार वर्ष मानते हुई सिंचई के विभिन्न स्रोतों के अन्तर्गत कुल सिंचित क्षेत्र का विवरण क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुल चालू की गई योजनाओं में से केवल आधी योजनाएं ही पूरी हुई ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के उनके पूरा होने के वर्ष के साथ-साथ सूची भी पेश करें ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) देश में अनुमानित जल संसाधन लगभग 178 मिलियन हैक्टेयर मीटर हैं। सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकने वाला क्षेत्र (अर्थात वह क्षेत्र जिसकी अन्ततः सिंचाई की जा सकती है) 113 मिलियन हैक्टेयर है।

कृषि मंत्रालय के आर्थिक और सांख्यिकीय प्रभाग द्वारा प्रकाशित अद्यतन आंकड़ों के अनुसार, 1977-78 में कुल सिंचित क्षेत्र 45.91 मिलियन हैक्टेयर था।

(ख) एक बिवरण (विवरण-एक) सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) जो, हां। इसके मुख्य कारण ये हैं :—

(एक) राज्यों द्वारा बहुत सी परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर देना, जिससे वित्तीय, प्रबन्धकीय तथा तकनीकी संसाधन बंट जाते हैं।

(दो) मजदूरी, निर्माण सामग्री, उपस्कारों, अतिरिक्त कल-पुर्जों, भूमि आदि की लागत में बहुत अधिक वृद्धि होने के कारण परियोजनाओं की लागतों में होने वाली अत्याधिक वृद्धि ।

(तीन) परियोजनाओं को हाथ में लेने से पहले गहन अन्वेषण न किया जाना ।

(चार) भूमि अधिग्रहण करने में कठिनाइयां ।

(पाँच) सीमेंट, इस्पात, विस्फोटकों, मशीनरी, अतिरिक्त पुर्जों, विदेशी मुद्रा आदि जैसी दुर्लभ सामग्रियों की अनुपलब्धता ।

(छ) अपर्याप्त आयोजन के कारण क्रियान्वयन के दौरान परियोजनाओं के स्वरूप में की जाने वाली तब्दीलियों जिसमें जल निकास के प्रबन्धों तथा अयाकट क्षेत्रों के लिए बाढ़ सुरक्षा कार्यों को जोड़ना भी शामिल हैं ।

(सात) निर्माण आयोजन और मानीटरिंग संगठनों की कमी ।

(आठ) वितरण प्रणालियों और उनकी संरचनाओं के लिए विस्तृत योजना और अनुमानों की कमी ।

(घ) एक विवरण (विवरण-दो) सभा पटल पर रखा गया है ।

विवरण-एक

विभिन्न स्रोतों से सिंचित किया जाने वाला सकल सिंचित क्षेत्र

वर्ष	सकल सिंचित क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)
1950-51	22.56
1951-52	23.18
1952-53	23.30
1953-54	24.36
1954-55	24.95
1955-56	25.64
1956-57	25.71
1957-58	26.63
1958-59	26.95

वर्ष	सकल सिंचित क्षेत्र (मिलियन हैक्टेयर)
1959-60	27.45
1960-61	27.98
1961-62	28.46
1962-63	29.45
1963-64	29.71
1964-65	30.70
1965-66	30.90
1966-67	32.68
1967-68	33.21
1968-69	35.48
1969-70	36.97
1970-71	38.19
1971-72	38.43
1972-73	39.06
1973-74	40.28
1974-75	41.74
1975-76(अ)	43.19
1976-77(अ)	43.53
1977-78(अ)	45.91

(अ) अनन्तिम

विवरण-दो

पूरी हुई सिंचाई परियोजनाओं की सूची

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	पूर्ण होने का वर्ष
1.	के. सी. नहर	1962
2.	तुंगभद्रा निम्नस्तरीय नहर	1971-72
3.	कदम	1973-74

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	पूर्ण होने का वर्ष
4.	तुंगभद्रा, उच्च स्तरीय नहर	1971-72
5.	बडुआ	1965-66
6.	चन्दन	1975-76
7.	सोन बराज पुर्नरूपण वर्क्स तथा लिंक नहरें	1972-73 1975-76
8.	बानस (दत्तीबाड़ा)	1969
9.	हथमती	1969
10.	शतरुंजी (पलिताना)	1965
11.	पश्चिमी यमुना नहर पुर्नरूपण	1976-77
12.	भाखड़ा नंगल (पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान)	1963-64
13.	ब्यास यूनिट-दो (हरियाणा)	1975-76
14.	तुंगभद्रा	*
15.	घटाप्रभा चरण-एक	1975-76
16.	घटाप्रभा चरण-दो	1976-77
17.	मालपुझा	1966
18.	भंडर नहर (उत्तर प्रदेश में माताटीला बंध का भाग)	1966
19.	हसदेव बराज	1972-73
20.	हसदेव दक्षिण तट नहर	1977
21.	धीद	1956
22.	वीर	1970
23.	गिरना	1970
24.	मुला	1974
25.	पूर्णा	1974

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	पूर्ण होने का वर्ष
26.	पूस	1974
27.	कल	1977-78
28.	तुलसी	1977-78
29.	बाग	1976-77
30.	इटियादोह	1976-77
31.	हीराकुड चरण-एक तथा दो	(i) मुख्य बांध 1957 में पूरा हुआ। (ii) परियोजना सभी पहलुओं से 1974 में पूरी हुई।
32.	सालन्दी	1975-76
33.	व्यास यूनिट-दो (पंजाब)	**
34.	हरीके परियोजना	1957-58
35.	सिरहिन्द पोषक	1961-62
36.	व्यास यूनिट-दो (राजस्थान)	*1977-78
37.	लोअर भवानी	1956
38.	मणिमुथर	1958
39.	चित्रापटनसकल	1974-75
40.	वैग्गई नहर का आधुनिकीकरण	1977-78
41.	माताटीला	1966
42.	शारदासागर चरण-दो	1961-62
43.	हरिपुपा	1975-76
44.	कोसी	1977-78

*बाँध 1956 में पूरा हुआ ; दक्षिण तट नहर 1955 में तथा वाम तट नहर 1963 में।

**मद संख्या 36 पर व्यास यूनिट-दो (राजस्थान) के अन्तर्गत देखें।

कच्चे जूट और हैसियन के अग्रिम व्यापार

1029. **श्री चित्त बसु** : क्या **नागरिक आपूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से परिचित है कि वर्तमान समय में कच्चे जूट और हैसियन का अवैध अग्रिम व्यापार बड़ी मात्रा में जारी है ; और

(ख) यदि हाँ, तो देश के विभिन्न भागों में इस अवैध व्यापार को बन्द करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बजमोहन महन्ती) : (क) जी हां।

(ख) कच्चे पटसन और हैसियन का अवैध व्यापार कलकत्ता में और उसके आसपास सबसे अधिक है। अवैध अग्रिम व्यापार सामान्यतया उन वस्तुओं की आड़ में किया जाता है जिसका अग्रिम व्यापार मान्यता प्राप्त संस्थाओं के माध्यम से वैध रूप से अनुमत होता है। कच्चे पटसन और हैसियन के मामले में, भारत सरकार ने ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेंज लि., कलकत्ता को केवल टाट के बोरों के मामले में सट्टा (हैज) अथवा भावी सौदा व्यापार करने तथा कच्चे पटसन, हैसियन और टाट के बोरों के मामले में हस्तान्तरणीय और अस्हतान्तरणीय विशिष्ट सुपुर्दगी संविदाएं करने के लिए मान्यता दी है। तथापि, असल व्यवहार में भावी सौदा अथवा सट्टा (हैज) व्यापार कच्चे पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं दोनों में होता है (जबकि ऐसा व्यापार केवल टाट के बोरों के लिए ही अनुमत है) इस अवैध अग्रिम व्यापार को रोकने के लिए वायदा बाजार आयोग ने ईस्ट इण्डिया जूट एंड हैसियन एक्सचेंज लि , से कहा है कि वे अपने सदस्यों को ऐसे किसी भी अवैध व्यापार में भाग लेने से रोकने के लिए हर संभव उपाय करें। इस प्रयोजन के लिए एक निगरानी समिति द्वारा, जिसमें वायदा बाजार आयोग के एक अधिकारी को भी शामिल किया जाता है, इस एक्सचेंज के सदस्यों की लेखा पुस्तकों की जांच की जाती है। जूट, 1981 में वायदा बाजार आयोग के और सदस्य ने कलकत्ता का दौरा किया और ईस्ट इंडिया जूट एण्ड हैसियन एक्सचेंज लि., के निदेशक-मण्डल के साथ इस समय पर विचार विमर्श किया।

मान्यताप्राप्त संस्था के माध्यम से की गई उपर्युक्त कार्रवाई के अतिरिक्त, वायदा बाजार आयोग के अधिकारियों की सहायता से स्थानीय पुलिस प्राधिकारियों द्वारा प्राय: छापे मारे जाते हैं। छापों के दौरान पकड़े गये कागजात में उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर ऐसे अवैध अग्रिम व्यापार में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालयों में मुकदमें चलाये जाते हैं। गत दस वर्षों के दौरान पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं के अवैध अग्रिम व्यापार के लिए अग्रिम संविदा (विनियम) अधिनियमन, 1952 के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 1971-81 के दौरान कलकत्ता में पटसन और पटसन से बनी वस्तुओं के अवैध अग्रिम व्यापार के लिए अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दर्ज किए गए मामलों का ब्यौरा

वर्ष	छापों की संख्या	दर्ज किए गए मामलों की संख्या	कालम 3 में से प्रमाणों के अभाव में छोड़ दिए गए मामलों की संख्या	कालम 3 में से पुलिस जांच के लिए लंबित पड़े मामलों की संख्या	कालम 3 में से मुकदमा चलाने के लिए भेजे गए मामलों की संख्या	कालम 6 में से मुकदमों के लिए वकाया पड़े मामलों की संख्या	कालम 6 में दिए गए मामलों में से कितनों को दोषी ठहराया गया	कालम 6 में दिए गए मामलों में से कितनों को विमुक्त किया गया	कैफियत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1971	4	45	25	—	20	6	4	10	—
1972	2	16	5	—	11	3	2	6	—
1973	3	20	6	—	14	3	—	11	—
1974	1	2	—	—	—	—	—	—	आवश्यक कार्रवाई हेतु एसोसिएशन को भेजा गया।
1975	5	9	5	—	4	3	—	1	—
1976	3	4	1	—	3	—	1	2	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1977	3	3	1	—	1	1	—	—	एक मामला आवश्यक कार्रवाई हेतु एसोसिएशन को भेजा गया ।
1978	4	4	—	—	4	1	—	3	—
1979	15	18	8	—	10	10	—	—	—
1980	12	24	6	—	18	18	—	—	—
1981 (जून, 1981 तक)	14	17	—	14	3	3	—	—	—
कुल	66	162	57	14	88	48	7	33	3

"बरगदार" परिवारों को मकान बनाने (होमस्टेड) के लिए प्लाट देना

1030. श्री जायनल अबेदिन : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1981 को, राज्यवार, कितने "बरगदार" परिवारों को मकान बनाने के लिए प्लाट दिए गए हैं ; और

(ख) इनमें से, राज्यवार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने परिवार लाभान्वित हुए थे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

1031. श्री रामलाल राही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरकों के मूल्यों में एकदम 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का क्या औचित्य है जबकि उर्वरक कारखाने नियमित उत्पादन कर रहे हैं और लागत मूल्यों में वृद्धि का प्रश्न अभी नहीं उठा है ; और

(ख) क्या इस संबंध में विस्तृत ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) अमोनियम सल्फेट कैलशियम अमोनियम नाईट्रेट तथा सिंगल सुपर फास्फेट को छोड़कर 11-7-1981 से उर्वरकों के मूल्यों में लगभग 17.5 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी । 10-7-1981 तथा 11-7-1981 को विद्यमान मूल्य दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

2. 11-7-81 से उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि करने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(क) पेट्रोलियम उत्पादों, जो उर्वरक तैयार करने के लिए मुख्य कच्ची सामग्री होती है, के मूल्यों में तेजी से वृद्धि होना । उर्वरकों के लिये प्रयोग में लाये जाने वाले नेफ्ता तथा ईंधन के मूल्यों को 13-1-1981 से क्रमशः 300 रुपये प्रति मीटरी टन तथा 225 रुपए प्रति किलो लिटर की दर से बढ़ा दिया गया था । 11-7-1981 से नेफ्ता तथा ईंधन का मूल्य और बढ़ाकर क्रमशः 352 रुपए प्रति मीटरी टन तथा 235 रुपए प्रति किलो लिटर कर दिया गया ।

(ख) उर्वरक तैयार करने के लिए कच्ची सामग्री के रूप में प्रयोग में लाया जाने वाला राकफास्फेट तथा सल्फर के मूल्यों में भी काफी वृद्धि हुई ।

(ग) डीजल के मूल्यों, रेल भाड़ा तथा बैंक ब्याज दर में वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप वितरण विशेषकर परिवहन तथा सामग्री की लागत में अधिक वृद्धि हुई।

(घ) सामान्य मूल्य वृद्धि ।

(ङ) उर्वरकों पर दी जाने वाली राज सहायता को एक उचित स्तर पर बनाए रखना था ताकि बजट संबंधी घाटे को कम किया जा सके ।

3. उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए सरकार ने निम्न लिखित उपचारात्मक उपाय किए हैं :—

(1) उर्वरकों तथा डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि के परिणाम स्वरूप, कृषि मूल्य आयोग को निर्देश दिए गए हैं कि वह डीजल तथा उर्वरकों के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रख कर कृषि जिन्सों के समर्थन/वसूली मूल्यों पर विचार करे ।

(2) समेकित ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लघु तथा सीमान्त कृषकों को उर्वरकों पर मिलने वाली विद्यमान राजसहायता जारी रहेगी ।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वह सहकारी समितियों आदि जैसी वितरण एजेन्सियों तथा कृषकों को ऋणों की मात्रा में वृद्धि करे ।

(4) सरकार ने उर्वरकों के बेहतर उपयोग की आवश्यकता पर पहले ही बल दिया है ताकि फसल उत्पादन में समुचित प्रबंध पद्धतियों को अपनाकर उर्वरक की उसी मात्रा से अधिक लाभ उठाया जा सके ।

(5) 15-8-81 से संस्थागत एजेन्सियों (सहकारी समितियों, कृषि उद्योग निगमों आदि,) तथा अन्य वितरक एजेन्सियों के लिए वितरण मार्जिन में वृद्धि की गयी है ताकि वितरण की बर्धित लागत को समाप्त किया जा सके। इससे वितरक एजेन्सियों को खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरक भेजने तथा कृषकों को समय पर उसकी सप्लाई करने के लिए वहाँ स्टाक करने में सहायता मिलेगी। अतः आशा है कि समय पर उर्वरक उपलब्ध होने से उसकी खपत में वृद्धि होगी जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा ।

विवरण

उर्वरक का नाम	10-7-81 से पहले विद्यमान पूर्व संशोधित मूल्य	11-7-81 से प्रभावी संशोधित मूल्य	वृद्धि
1	2	3	4
	(रुपये प्रति मीटरी टन)	(रुपये प्रति मीटरी टन)	रु० प्रति मीटरी टन)
1. यूरीया	2000	2350	350
2. अमोनियम फास्फेट सल्फेट 26:20:0	1950	2300	350
3. अमोनियम फास्फेट सल्फेट 20:20:0	2200	2600	400
4. नाइट्रोफास्फेट 20:20:0	2050	2400	350
5. पोटाशयुक्त नाईट्रोफास्टेट 15:15:15	1800	2100	300
6. यूरीया आमोनियम फास्फेट 28:28:0	3050	3600	550
7. एन पी के 10:26:26	2500	2950	450
8. एन पी के 12:32:16	2750	3250	500
9. एन पी के 14:35:14	2900	3400	500
10. एन पी के 17:17:17	2200	2600	400
11. यूरीया अमोनियम फास्फेट 24:24:0	2600	3050	450
12. एन पी के 19:19:19	2500	2950	450
13. एन पी के 14:28:14	2600	3050	450
14. डाइ आमोनियम फास्फेट 18:46:0	3050	3600	550
15. सुपर फास्फेट ट्रिपल (पाऊडर)	2050	2400	350
16. सुपर फास्फेट ट्रिपल (दानेदार)	2200	2600	400
17. एम ओ पी	1100	1300	200
18. एस ओ पी	1800	2100	300

उत्पादन में कमी के कारण उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि

1032. **श्री संतोष मोहन देव** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरकों के मूल्यों में तेजी से वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मिलावटी उर्वरकों की बिक्री की शिकायतों में वृद्धि हो रही है ; और

(ग) स्थिति में सुधार के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) उर्वरकों के अधिकतम खुदरा मूल्य 11.7.1981 से लगभग 17.5 प्रतिशत बढ़ाये गये थे ।

(ख) कुछ राज्य सरकारों ने घटिया/मिलावटी उर्वरकों की बिक्री के कुछ मामलों की सूचना दी है । तथापि, अब तक मिली रिपोर्टों से इस प्रकार की शिकायतों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं दिखाई देती है ।

(ग) उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1957 के अन्तर्गत; राज्य सरकारों को उर्वरकों की क्वालिटी बनाए रखने व किसी भी कदाचार में लगे व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आवश्क अधिकार दिये गए हैं । संबंधित राज्य सरकारों ने सूचित किया है कि घटिया/मिलावटी उर्वरकों की बिक्री संबंधी मामलों का पता लगने पर उन्होंने अपराधियों के विरुद्ध उचित कार्य-वाही की है ।

हवा, जल और पर्यावरण प्रदूषण

1033. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने हवा, पानी और पर्यावरण में बढ़ते हुए प्रदूषण को रोकने के लिए अभी हाल में क्या कदम उठाये हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : इस संबंध में हाल ही में उठाए गए कदम इस प्रकार हैं :

(1) पर्यावरण विभाग का सृजन ।

(2) वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1981 का प्रख्यापन ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बेलदारों के पद

1034. **श्री के० लकप्पा :**

श्री सन्तोष प्रसाद सिंह : क्या निर्माण और आवास मत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में बेलदारों के काफी संख्या में पद रिक्त पड़े हैं यदि हां, तो दिल्ली में सर्किलवार कुल रिक्त पदों का पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त पदों के लिये रोजगार कार्यालयों से कुछ नाम मांगे गये हैं तथा रोजगार कार्यालय द्वारा उम्मीदवारों की भेजी गई सूचियां सर्किल संख्या दो में बिना कोई कारण पांच महीनों से अधिक समय से अनिर्णीत पड़ी है ;

(ग) क्या विभिन्न डिवीजनों में दैनिक मंजूरी पर कार्यरत ऐसे बेलदारों को नियमित करने का कोई प्रस्ताव है जिनके नाम रोजगार कार्यालय द्वारा नहीं भेजे गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या यह श्रम मंत्रालय द्वारा तथा गृह मंत्रालय द्वारा बनाये गये नियमों के विरुद्ध नहीं है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हाँ। दिल्ली में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के परिमण्डलों में बेलदारों के 608 पद खाली पड़े हैं। परिमण्डल वार रिक्त पदों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी हाँ, अगली कार्रवाई को लम्बित रखा गया था क्योंकि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रभारित स्थापना में मस्टर रोल के कर्मचारियों को खपाने का मामला विचाराधीन था। इस सम्बन्ध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रमांक	परिमंडल का नाम	जिस माह तक की सूचना प्राप्त की है	रिक्त पदों की कुल संख्या
1.	दिल्ली केन्द्रीय परिमंडल— 1	जून, 1981	87
2.	दिल्ली केन्द्रीय परिमंडल— 2	मई, 1981	119
3.	दिल्ली केन्द्रीय परिमंडल— 3	जुलाई, 1981	शून्य
4.	दिल्ली केन्द्रीय परिमंडल— 4	जुलाई, 1981	9
5.	दिल्ली केन्द्रीय परिमंडल— 5	जुलाई, 1981	शून्य
6.	दिल्ली केन्द्रीय परिमंडल— 6	मार्च, 1981	236
7.	दिल्ली केन्द्रीय परिमंडल— 7	मई, 1981	17

8. दिल्ली केन्द्रीय परिमंडल — 9	मार्च, 1981	97
9. लोक निर्माण विभाग परिमंडल— 1	जुलाई, 1981	11
10. लोक निर्माण विभाग परिमंडल— 2	जुलाई, 1981	शून्य
11. लोक निर्माण विभाग परिमंडल— 3	अप्रैल, 1981	13
12. लोक निर्माण विभाग परिमंडल— 4	जून, 1981	शून्य
13. उद्यान निदेशालय	मार्च, 1981	19
	जोड़	608

दिल्ली विकास प्राधिकरण में धोखाधड़ी

1035. **श्री नवीन रवाणी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 30 जुलाई, 1981 के दैनिक "हिन्दुस्तान" में "डी० डी० ए० द्वारा धोखाधड़ी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिससे सफदरजंग आवासीय योजना के अन्तर्गत कृष्णनगर के लोगों को प्लाट आबंटित करने के बारे में विस्तार से हवाला दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी पूर्ण ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस समाचार पर सरकार की क्या प्रक्रिया है ;

(घ) सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ङ) सरकार के ध्यान में इस प्रकार के कितने मामले लाए गए हैं और उनका ब्यौरा क्या है और उनमें से कितनी शिकायतों का समाधान किया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि इसके ध्यान में ऐसा केवल एक ही मामला आया है और इसके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :

श्रीमती कांती देवी को कृष्ण नगर के बेदखलकारों की पुनर्वास योजना के अन्तर्गत उसके कृष्ण नगर के परिसर नं० 134 ए के बदले में सफदरजंग रिहायशी योजना में 21.2.79 के ड्रा में निकाली गई पर्चियों के माध्यम से 170 वर्ग मीटर माप का एक प्लाट जिसका नं०

बी.-3/76 था, आबंटित किया गया था। मूल्य विकास प्रभार आदि का पूर्ण भुगतान प्राप्त करने पर 18.5.79 को उसे प्लाट का कब्जा दे देने का निर्णय लिया गया था स्थल का कब्जा देते समय यह देखा गया था कि प्लाट का उचित रूप से रेखांकन नहीं किया गया था। जाँच से यह पता लगा कि इस क्षेत्र के लिए एक संशोधित विन्यास नक्शा तैयार किया गया था जिसके अन्तर्गत श्रीमती कांती देवी को आबंटित प्लाट का क्षेत्रफल 170 वर्गमीटर दिखाया गया था। तथापि, तकनीकी कारणों के कारण इस योजना को कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि इस क्षेत्र में कुछ प्लाट प्रारम्भिक नक्शे के आधार पर पहले ही आबंटित कर दिए तथा कब्जे दे दिए गए थे, श्रीमती कान्ती देवी को आबंटित प्लाट का क्षेत्रफल 125 वर्ग गज था। अतः उससे यह जानने के लिए कि क्या वह अपेक्षाकृत एक छोटा प्लाट स्वीकार करने की इच्छुक हैं क्योंकि इस क्षेत्र में अपेक्षाकृत बड़ा कोई प्लाट उपलब्ध नहीं था। 3.4.81 को श्रीमती कान्ती देवी को एक पत्र जारी किया गया था। इस पत्र का कोई उत्तर श्रीमती कान्ती देवी की ओर से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और 1.7.81 को उसे एक अनुस्मारक भी जारी किया गया है।

2. दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह भी सूचित किया है कि यदि श्रीमती कान्ती देवी इस प्लाट को स्वीकार करने की इच्छुक नहीं है तो उसे दक्षिण जोन में एक वैकल्पिक प्लाट देने की पेशकश की जाएगी बशर्ते कि प्लाट उपलब्ध हो। उसके द्वारा अदा किए गए धन को समायोजित अथवा वापस जैसी भी स्थिति हो, कर दिया जाएगा।

पेय जल की सुविधाओं से वंचित गांव

1036. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुमानतः दस वर्ष पूर्व लगभग 1,50,000 गांव ऐसे पाए गए थे जहां पेय जल आसानी से उपलब्ध नहीं होता था और अब इस संख्या में वृद्धि हुई है लेकिन इसके बावजूद कि इस अवधि में यह सुविधा कुछ गांवों को दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में राज्यवार तथ्य क्या हैं और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष क्या कार्य किया गया है और चालू वर्ष में पूरे किए जाने वाले प्रस्तावित लक्ष्य क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) 1971-72 में देश में कुल लगभग 1.52 लाख ग्रामों का पता लगाया गया था जहां पेय जल के शुद्ध स्रोत नहीं थे (समस्याग्रस्त ग्राम) परन्तु, विभिन्न राज्य सरकारों ने बाद में सूचित किया कि पहले वाले सर्वेक्षण ने समस्या के परिणाम को पर्याप्त रूप से नहीं दिखाया था क्योंकि यह आंशिक रूप से पूर्ण नहीं था तथा आंशिक रूप से अनुवर्ती वर्षों में सूखे की स्थिति के कारण कुछ नए क्षेत्र सामने आए जो जल की कमी से प्रभावित थे। राज्य सरकारों द्वारा 1.4.1978 तक बनाये गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या के आधार पर तथा वर्ष 1978-79 तथा 1979-80 के दौरान लाभ पहुंचाए गए ग्रामों की संख्या को कम करके छठी योजना (1.4.1980) के

आरम्भ में छठी योजना के दस्तावेजों में समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या का अनुमान 1.90 लाख लगाया गया था ।

राज्य सरकारों द्वारा 1972 और 1978 में बताए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या विवरण-एक में दी जाती है । पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभ पहुंचाया गया है उनकी संख्या विवरण-दो में दी जाती है वर्ष 1981-82 के दौरान 36,000 समस्याग्रस्त ग्रामों को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य है ।

विवरण-एक

समस्याग्रस्त ग्रामों का पता लगाना

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1972 में पता लगाए गए के अनुसार	लाभान्वित करने के लिए शेष ग्राम 1978 में सूचित किए गए
1. आन्ध्र प्रदेश	6133	5482
2. असम	7619	17665
3. बिहार	35000	22773
4. गुजरात	3000	6718
5. हरियाणा	4180	3353
6. हिमाचल प्रदेश	9400	10245
7. जम्मू और कश्मीर	4000	4809
8. कर्नाटक	8252	8202
9. केरल	1514	590
10. मध्य प्रदेश	14020	28081
11. महाराष्ट्र	5233	5250
12. मणिपुर	1100	1062
13. मेघालय	3306	3185
14. नागालैंड	814	694
15. उड़ीसा	4619	11286

16, पंजाब -	2340	1449
17. राजस्थान	4277	20032
18. सिक्किम	—	430
19. तमिलनाडु	2585	17857
20. त्रिपुरा	3396	3212
21. उत्तर प्रदेश	15478	30736
22. पश्चिम बंगाल	12451	27306
23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	70	153
24. अरुणाचल प्रदेश	2451	2451
25. चण्डीगढ़	—	—
26. दिल्ली	145	166
27. दादरा और नागर हवेली	—	72
28. गोवा, दमण तथा द्वीव	241	73
29. लक्षद्वीप	—	—
30. मिजोरम	693	227
31. पाण्डिचेरी	75	85
	152,392	233,644

विवरण -दो

वर्ष 1978-79, 1979-80, 1980-81 के दौरान लाभान्वित किए गए समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या

	1978-79	1979-80	1980-81
1. आन्ध्र-प्रदेश	360	990	487
2. असम	467	921	963

3. बिहार	3140	3319	2660
4. गुजरात	782	816	525
5. हरियाणा	123	182	240
6. हिमाचल प्रदेश	1289	1140	1166
7. जम्मू और कश्मीर	216	198	321
8. कर्नाटक	3924	958	2063
9. केरल	15	19	*78
10. मध्य प्रदेश	1654	5289	7195
11. महाराष्ट्र	2010	2618	रिपोर्ट पूरी नहीं है
12. मणिपुर	29	26	34
13. मेघालय	28	104	52
14. नागालैंड	74	74	72
15. उड़ीसा	2993†	2555	1630
16. पंजाब	136	135	80
17. राजस्थान	353	1146	2402
18. सिक्किम	119	4	रिपोर्ट पूरी नहीं है
19. तमिलनाडू	1445×	230	710
20. त्रिपुरा	300	513	579
21. उत्तर प्रदेश	891	1250	912
22. पश्चिम बंगाल	432	216†	874†

*आंशिक कवरेज सहित।

× हमलेट भी शामिल हैं।

† नये स्रोतो की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

23. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	4	18	18
24. अरुणाचल प्रदेश	69	63	172
25. चण्डीगढ़	—	—	—
26. दिल्ली	11	18	35
27. दादर तथा नागर हवेली	—	—	—
28. गोवा दमण और द्वीव	2	11	रिपोर्ट पूरी नहीं है
29. लक्ष्य द्वीप	—	—	—
30. मिजोरम	2	शून्य	शून्य
31. पांडिचेरी	12	9	8
	20,920	22,822	23,276

डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा सरकारी मकानों को आगे किराये पर देना

1037. **श्री रामजीभाई मावणि :**

श्री मंगत राम प्रेमी : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली के विभिन्न श्रेणियों के कुछ कर्मचारियों ने अपने मकानों बंगलों आदि को किराए पर दे रखा है ;

(ख) यदि हां, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) सरकार ने उन कर्मचारियों का पता लगाने के लिए क्या कार्यवाही की है जिन्होंने अपने मकान फ्लैट और बंगलों को आगे किराए पर दिया है ;

(घ) क्या सरकार को पिछले दो वर्षों में इस संबंध में कर्मचारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जनता से पत्र तथा शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) उप किरायेदारी के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आये हैं।

(ख) **और** (ग) जहां तक सामान्य वास का संबंध है, मकानों आदि को किराये पर देने की शिकायतों को, सरकारी आवास आवंटन (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम, 1963 के उपबन्धों के अन्तर्गत जांच करके निर्णय लिया जाता है। जनवरी 1980 से डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल के 5 कर्मचारी जो सामान्य वास के दखल में थे, को मकानों में उप-किरायेदारी रखने के दोषी पाये गये और उन्हें निम्नलिखित दण्ड दिया गया :—

(1) चतुर्थ श्रेणी के चार कर्मचारियों के मकानों के आवंटन की मनसूखी की गई और उन्हें तीन वर्ष के लिए सामान्य वास से वंचित कर दिया गया था।

(2) एक कर्मचारी को एक वर्ष के लिये साझेदारी से वंचित किया गया।

(घ) जी, हां।

(ङ) ये शिकायतें आमतौर पर क्वाटरों के दुरुपयोग तथा उप-किरायेदारी से संबंधित होती हैं।

आवश्यक वस्तुओं के लिए मूल्य सूचकांक

1038. **श्री के० ए० राजन :**

श्री सूर्य नारायण सिंह : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक में इस वर्ष मार्च से लेकर अब तक मासिक परिवर्तनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) यह गत वर्ष की इसी अवधि के सूचकांक की तुलना में कितने कम या अधिक हैं ;

(ग) क्या मूल्य वृद्धि पर नियन्त्रण पाने के लिए सरकार ने कुछ ठोस उपायों की घोषणा की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या इन उपायों की घोषणा किए जाने से लेकर अब तक इनका मूल्यों पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(च) यदि हां, तो किस सीमा तक ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) मार्च, 1981 से चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में हुए मासिक उतार-चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाने वाला एक विवरण दिया गया है ।

(ख) मार्च-जुलाई, 1981 तथा मार्च-जुलाई, 1980 की अवधि के दौरान मिश्रित रुख रहा है, क्योंकि कुछ वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में वृद्धि हुई है, कुछ के घटे हैं और कुछ के स्थिर रहे हैं । तथापि, पिछली चार महीनों के दौरान समग्र वस्तु थोक मूल्य सूचकांक में हुई वृद्धि, पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान हुई वृद्धि की लगभग आधी है ।

(ग) से (च) सरकार आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर निरन्तर निगरानी रख रहा है और स्थिति में सुधार लाने के लिये समय-समय पर विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं । सरकारी नीति में मुख्य रूप से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है । देश में कम मात्रा में उपलब्ध कुछ वस्तुओं के उत्पादन की आपूर्ति आयात द्वारा की जा रही है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है तथा उसमें सुधार लाया जा रहा है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई बढ़ा दी गई है, ऋण नीति प्रतिबंधात्मक बनी हुई है । राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा ऐसे ही अन्य कानूनों के उपबंधों को लागू कर रही है ।

विन्दु दर विन्दु तुलना करने पर मुद्रा स्फीति की दर मार्च, 1980 के 23.3 प्रतिशत से घट कर मार्च,1981 में 15.6 प्रतिशत हो गई और जुलाई,1981 में वह और घट कर 10.0 प्रतिशत रह गयी है ।

विवरण

चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में मासिक उतार-चढ़ाव का प्रतिशत मार्च, 81 से जुलाई, 1981

वस्तु	उतार-चढ़ाव का प्रतिशत			
	अप्रैल, 81 / मार्च, 81	मई, 81 / अप्रैल, 81	जून, 81 / मई, 81	जुलाई, 81 / जून, 81
1.	2.	3.	4.	5.
चावल	+ 0.4	+ 3.7	+ 2.5	+ 3.4
गेहूं	— 1.2	— 1.8	+ 0.4	+ 1.5
ज्वार	+ 6.7	+ 4.1	स्थिर	+ 0.5
बाजरा	+ 1.9	+ 3,3	+ 1.5	+ 5.4

1	2	3	4	5
जौ	— 10.8	+ 5.1	— 0.7	+ 1.5
रागी	— 4.4	+ 2.5	+ 0.9	+ 7.3
चना	— 3.3	+ 0.9	+ 0.3	+ 2.8
अरहर	— 1.9	+ 4.0	+ 1.2	+ 3.1
मूंग	— 2.9	+ 0.6	— 0.1	— 2.5
मसूर	— 1.3	— 1.7	+ 2.3	+ 4.2
उड़द	— 0.7	+ 0.8	+ 0.6	+ 3.2
सब्जियां	+ 3.1	+ 5.1	+ 0.3	+ 17.2
दूध	— 1.9	+ 0.7	+ 2.1	+ 0.8
अंडे	— 14.0	+ 2.9	+ 7.4	+ 14.2
मांस	+ 4.8	— 0.7	+ 0.4	+ 1.9
मछली	— 6.6	+ 4.3	+ 2.8	— 0.6
लाल मिर्च	+ 7.0	— 2.3	+ 2.0	+ 6.1
हल्दी	— 3.6	— 1.0	— 15.0	— 2.1
चाय	— 10.6	— 8.3	+ 9.0	— 3.6
काफी	— 1.1	— 0.7	+ 0.7	— 0.9
मिट्टी का तेल	स्थिर	स्थिर	— स्थिर	+ 7.9
डबलरोटी	+ 5.4	+ 1.0	स्थिर	स्थिर
चीनी	+ 6.3	— 4.7	— 0.9	— 4.5
खांडसारी	+ 14.5	+ 5.5	+ 0.6	— 5.4
गुड़	+ 15.5	— 0.8	+ 0.1	— 4.8
वनस्पति	+ 0.4	— 1.7	+ 0.1	स्थिर
मूंगफली का तेल	+ 2.8	+ 1.7	+ 4.1	+ 7.1

1	2	3	4	5
सरसों का तेल	+ 2.6	+ 2.7	+ 5.0	+ 3.3
नारियल का तेल	+ 4.0	— 3.7	+ 0.3	— 6.0
जिंजली का तेल	+ 4.0	+ 1.6	+ 1.1	+ 0.9
करडी का तेल	+ 3.2	+ 0.3	+ 3.6	+11.4
बिनौले का तेल	+ 3.0	+ 0.9	+ 4,6	+ 9.2
सूती कपड़ा (मिलका)	+ 0.3	+ 0.1	+ 0.8	+ 0.9
खादी का कपड़ा	+ 6.3	स्थिर	स्थिर	स्थिर
हथकरघे तथा विद्युत करघे का कपड़ा	+ 0.8	+ 1.3	— 1.5	— 1.3
नमक	— 3.7	— 1.7	— 2.2	— 1.4
कागज	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
टायर	+ 0.1	+ 4.0	स्थिर	+ 0.5
ट्यूबें	+ 0.2	+ 3.5	स्थिर	+ 0.8
रबड़ तथा प्लास्टिक के जूते	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
सोड राख	स्थिर	स्थिर	स्थिर	— 2.4
औषध तथा दवाइयां	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
साबुन	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
कृत्रिम अपमार्जक	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
टूथ पेस्ट	+ 0.4	स्थिर	स्थिर	स्थिर
टूथ पाउडर	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
दियासलाईयां	स्थिर	— 0.7	— 1.0	स्थिर
सीमेंट	— 0.9	स्थिर	स्थिर	+ 5.0
बिजली का लैम्प	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
रेजर ब्लेड	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर
शुष्क सैल	स्थिर	स्थिर	स्थिर	स्थिर

वृहद योजना का उल्लंघन करते हुए दिल्ली में गैर-सरकारी फाइव-स्टार होटलों का निर्माण

1030. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें ज्ञात है कि दिल्ली में गैर सरकारी "फाइव स्टार" होटलों के निर्माण की भरमार हो रही है और एशियाई खेल, 1982 के बहाने जन परियोजनाओं की रातों रात मंजूरी दी गई है उनसे वृहद योजना और भूमि उपयोग विनियमनों का उल्लघंन होता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया कि दिल्ली में पांच तारा होटल के लिये किसी गैर सरकारी पार्टी को वृहद योजना और उपयोग विनियमनों का उल्लघंन करके कोई स्वीकृति नहीं दी गई ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

त्यौहारों के लिए खाद्य तेलों का आयात

1040. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में खाद्य तेलों की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखकर, अगस्त से अक्तूबर के बीच आने वाले त्यौहारों के अवसर पर इनकी अधिक मांग पूरी करने के लिए खाद्य तेलों के आयात की व्यवस्था की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वनस्पति तेलों के मूल्यों में वृद्धि जहां तक उपभोक्ताओं में वनस्पति के वितरण का संबंध है, संतोषजनक जांच की है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) सरकार ने अगस्त से अक्तूबर, 1981 के त्यौहार के मौसम के दौरान बढ़ी हुई मांग के साथ-साथ संबद्ध बातों को ध्यान में रखते हुए चालू तेल वर्ष के दौरान खाद्य तेलों की पर्याप्त मात्रा आयात करने के लिए पहले ही प्रबंध कर लिया है ।

(ख) जी हां ।

चीनी मिलों की क्षमता का कम उपयोग किया जाना

1041. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :**
श्री राजेश कुमार सिंह :
श्री छोटे सिंह यादव :
श्री राम विलास पासवान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश की चीनी मिल अपनी निजी प्रतिष्ठापित क्षमता का किस सीमा तक उपयोग कर रही हैं ;

(ख) यदि क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है, तो उसके क्या कारण हैं और क्षमता के कम उपयोग से चीनी के मूल्यों में कितनी वृद्धि हुई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थापित क्षमता, चीनी का उत्पादन और क्षमता के उपयोग के बारे में बताया गया है ।

(ख) चीनी वर्ष 1979-80 के दौरान क्षमता का कम उपयोग होने का मुख्य कारण मुख्यतया देश के कई भागों में व्यापक सूखा पड़ने के कारण गन्ने के उत्पादन में भारी गिरावट आने से चीनी की फैक्ट्रियों को गन्ना उपलब्ध न होना था । । गन्ने का उत्पादन गिरकर 1280 लाख मीटरी टन हो गया जबकि 1978-79 में 1517 लाख मीटरी टन उत्पादन हुआ था जिससे 15.6 प्रतिशत की गिरावट आई थी । उत्पादन लागत का हिसाब लगाने के लिए अपनाई जाने वाली लागत अनुसूचियों का चीनी उत्पादन के हिसाब से श्रमता के साथ कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है अतः चीनी के मूल्य में वृद्धि पर क्षमता के कम उपयोग के प्रभाव का सीधे अन्दाजा लगाना सम्भव नहीं है ।

(ग) सरकार ने चीनी के उत्पादन में वृद्धि करने और क्षमता के बेहतर उपयोग के लिए बहुत से उपाय किए हैं जोकि इस प्रकार हैं :—

1. गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य में वृद्धि करना ;

2. 1980-81 में पेराई कार्य जल्दी शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देना ;

3. नई स्थापित चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन बहाल करना ;

4. खण्डसारी यूनिटों पर प्रतिबन्ध लगाना ।

(क) खण्डसारी यूनिटों को 31-12-80 तक कार्य करने की अनुमति नहीं दी गई थी।

(ख) खण्डसारी पर उत्पादन शुल्क में वृद्धि की गई थी।

(ग) केन्द्रीय सरकार की सहमति से उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश द्वारा प्रथम सल्फीटेशन प्रक्रिया द्वारा तैयार की गई खण्डसारी पर 50 प्रतिशत लेवी लगायी गई थी।

5. मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्यों में हाल में हुई वृद्धि के समय, सरकार ने कुछ उपचारात्मक उपाय किए हैं, जैसे कि मार्च, अप्रैल, मई, 1981 के लिए मुक्त बिक्री की चीनी की अधिक मात्रा जारी करना, व्यापार खाते पर चीनी के अन्तर्राज्यीय संचलन की कार्यविधि को कड़ा करना और खण्डसारी उत्पादकों द्वारा खण्डसारी के स्टाक के निपटान को विनियमित करने वाला आदेश जारी करना।

6. भारत सरकार ने भी छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान देश में उत्पादित चीनी पर 50 रुपये प्रति मीटरी टन उपकर लगाने को सिद्धान्त रूप में मान लिया है जिससे प्रतिवर्ष 25 करोड़ रुपये प्राप्त होने की आशा है। यह उपकर-विधी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण तथा पुनर्वास की व्यवस्था करने और ऐसे प्रयोजनों के लिए सुगम ऋण सहायता प्राप्त करने में बहुत सी मिलों की मदद करने के लिए बताया गया है जिससे क्षमता के उपयोग में सुधार करने में बहुत सहायता मिलेगी।

विवरण

चीनी उद्योग की स्थापित क्षमता चीनी का उत्पादन और क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता बताने वाला विवरण

चीनी वर्ष	स्थापित क्षमता	चीनी उत्पादन	यूनिट लाख मी० टन क्षमता के उपयोग की प्रतिशतता
1977-78	56.26	64.62	114.86
1978-79	59.09	58.44	98.90
1979-80	59.91	38.59	64.41

चीनी का उत्पादन

1042. **श्री सुधीर कुमार गिरि** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 में देश में प्रति क्विंटल चीनी की औसत उत्पादन लागत क्या है ;

(ख) इसी वर्ष खुले बाजार में प्रति क्विंटल चीनी का औसत बिक्री मूल्य क्या है ;

(ग) 1980-81 में भारत में चीनी का कुल उत्पादन कितना था ;

(घ) 1980-81 में चीनी उद्योग द्वारा बेची गई चीनी की कुल मात्रा कितनी है ; और

(ङ) 1980-81 के दौरान यदि कोई चीनी का आयात किया गया हो, तो उसकी कुल मात्रा कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) 1980-81 के दौरान डी-30 ग्रेड की चीनी के उत्पादन की अखिल भारत निकासी लागत गन्ने के अधिसूचित न्यूनतम मूल्य के आधार पर अनुमानतः 284.56 रुपये प्रति क्विंटल बैठती थी।

(ख) संलग्न विवरण में भारत के प्रमुख मंडी केन्द्रों में अक्तूबर, 1980 से जुलाई, 1981 तक चीनी के खुले बाजार में मासवार मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है।

(ग) 1980-81 के दौरान चीनी का उत्पादन अनुमानतः 51.4 लाख मीटरी टन बैठता है।

(घ) 1980-81 के दौरान अर्थात अक्तूबर, 1980 से सितम्बर, 1981 में 32 लाख मीटरी टन लेवी चीनी निर्मुक्त की गई है जिसमें 2.8 लाख मीटरी टन 1979-80 मौसम की और 29.2 लाख मीटरी टन 1980-81 मौसम की लेवी चीनी शामिल है।

(ङ) चीनी वर्ष 1980-81 (अक्तूबर, 1980 - सितम्बर, 1981) में 2.15 लाख मीटरी टन तक चीनी का आयात करने का ठेका किया गया है।

विवरण

चुनींदा केन्द्रों में मास के अन्त में मुएत बिक्री की चीनी के थोक मूल्य बताने वाला विवरण (अक्तूबर, 1980—जुलाई, 1981)

रु./क्विंटल

राज्य/केन्द्र	किस्म	अक्तू. 80	नव. 80	दि. 80	जन, 81	फर. 81	मार्च 81	अप्रैल 81	मई 81	जून 81	जुलाई 81
आन्ध्र प्रदेश											
विजयवाड़ा	डी-30	900	800	660	690	685	715	860	715	715	63

(रु०/क्विंटल)

राज्य/केन्द्र किस्म	अक्तू. 80	नव. 80	दि. 80	जन. 80	फर. 81	मार्च 81	अप्रैल 81	मई 81	जून 81	जुलाई 81
असम										
गोहाटी डी-30	860	उ. न.	750	740	755	760	820	770	790	675
बिहार										
पटना-सी-30	उ. न.	उ. न,	694	680	610	उ. न.	उ. न.	790	उ.न.	662
गुजरात										
अहमदाबाद डी-30	उ. न.	805	700	720	740	750	उ. न.	723	700	650
केरल										
त्रिवेन्द्रम	उ. न.	840	697	720	730	743	880	735	720	658
कर्नाटक										
बंगलौर	उ. न.	810	685	720	725	740	860	715	710	640
मध्य प्रदेश										
भोपाल डी-30	उ. न.	900	705	730	755	765	910	उ. न.	620	660
उड़ीसा										
कटक डी-30	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	उ. न.	760	700	655	
महाराष्ट्र										
बम्बई सी-30	उ. न.	790	670	717	720	757	880	705	669	638
पंजाब										
जलन्धर डी-30	उ. न.	975	750	750	760	810	850	770	780	670
राजस्थान										
जयपुर	उ. न	900	700	700	730	760	820	745	715	665
तमिलनाडु										
मद्रास ई-30	उ. न.	840	680	700	700	725	855	729	715	640
उत्तर प्रदेश										
कानपुर डी.30	उ. न.	उ. न.	720	695	695	725	880	680	760	630

(रु./क्विंटल)

राज्य/केन्द्र किस्म	अक्तू. 80	नव. 80	दि. 80	जन. 80	फर. 81	मार्च. 81	अप्रैल 81	मई 81	जून 81	जुलाई 81
पश्चिमी बंगाल										
कलकत्ता डी-30	उ. न.	उ. न.	700	708	735	750	830	700	775	640
दिल्ली										
दिल्ली सी-30	उ. न.	930	740	720	745	800	845	745	755	755

उ. न. =उपलब्ध नहीं

समेकित विपणन व्यवस्था

1043. **श्री वी० एस० विजय राघवन :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार किसानों के उत्पादन के लिए लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिए देश भर में समेकित विपणन व्यवस्था लागू करने का है । और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) चूंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है, इसलिए केन्द्रीय सरकार की भूमिका समन्वय तथा सामान्य मार्गदर्शन तक ही सीमित है । केन्द्रीय सरकार के पास देश भर में एक समन्वित विपणन प्रणाली चलाने हेतु कोई योजनाएं नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली में खाने के तेल, शुद्ध घी और मक्खन में मिलावट

1044. **श्री के. माल्लना :** क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के बाजारों में खाने के तेल, शुद्ध घी और मक्खन में मिलावट करना एक आम बात हो गयी है ;

(ख) यदि हां तो क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा आयात करके जो रेपसीड और पाम आयल सुपर बाजारों के माध्यम से उचित दर की दुकानों पर बेचा जाता है वह खुदरा व्यापारियों के पास पहुंच जाता है जो उसे मंहगे तेल तथा वनस्पति घी में मिलाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी नहीं।

(क) और (ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की जानकारी में कोई विशिष्ट शिकायत नहीं आई है। फिर भी, ऐसी संभावनाओं के निराकरण हेतु कारगर कदम उठाने के लिए दिल्ली प्रशासन को समय-समय पर कहा जाता है और वे दिल्ली के बाजारों की समय-समय पर जांच पड़ताल करते रहे हैं।

पैकटों पर मूल्य दर्शाया जाना

1045. **डा० ए. यू आजमी** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है कि पैकटों पर दिखाई गई कीमतें उचित हों और कीमतों को कम करने के लिए उत्पादकों थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के लाभ का 'अंश' नियत किया जाए;

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि तथा उनमें से कुछ वस्तुओं के अनुपलब्ध होने के कारण हैं तथा कीमतों को कम करने एवं उनको उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ;

(ग) क्या उपभोक्ता समितियों की स्थापना की गई है, उनका गठन क्या है और रेजिडेन्ट एसोसिएशन के प्रतिनिधियों तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं को उनमें सम्मिलित क्यों नहीं किया गया है ;

(घ) कन्ट्रोल के कपड़े की सुविधा 800 रुपये प्रतिमास तथा उससे कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों को क्यों उपलब्ध नहीं की जाती ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति को उतना प्रचार तथा संरक्षण क्यों नहीं दिया जाता, जितना कि सुपर बाजार को दिया जाता है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) आवश्यक वस्तु अधिनियम में आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने की व्यवस्था की गई है । इसके तहत कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जाते हैं। बाट तथा माप (पैकेज में रखी वस्तुयें) नियम 1977 के अधीन पैकेज में रखी वस्तुओं के विनिमाता अथवा पेकर को निम्नांकित तरीकों में से किसी एक के अनुसार पैकेज पर मूल्य लिखना होता है :—

1. स्थानीय करों को छोड़कर अधिकतम मूल्य।

2. अधिकतम खुदरा मूल्य (अर्थात सभी करों तथा प्रभारों सहित मूल्य)। किसी भी स्तर पर लाभ के मार्जिन का उल्लेख करने का कोई प्रावधान नहीं है।

(ख) कुछ आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि को मुख्यतया सामान्य स्फीतिकारी स्थिति, कुछ वस्तुओं के उत्पादन में आई कमी तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण माना जा सकता हैं सरकारी नीति में मुख्य रूप से उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। देश में कम मात्रा में उपलब्ध कुछ वस्तुओं के उत्पादन की अनपूर्ति आयात द्वारा की जा रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विस्तार किया जा रहा है तथा उसमें सुधार लाया जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई बढ़ा दी गई है। ऋण नीति प्रतिबन्धात्मक बनी हुई है। राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा ऐसे ही अन्य कानूनों के उपबन्धों को लागू कर रही हैं।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य का समन्वय पर्यवेक्षण तथा मार्गदर्शन करने के लिए राज्य, जिला तथा स्थानीय स्तरों पर सलाहकार समितियां गठित करें। भारत सरकार द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शी सिन्द्धातों में, अन्यों के साथ-साथ, इलाके के प्रमुख सार्वजनिक कार्यकर्ताओं, उपभोक्ता तथा। महिला संगठनों के प्रतिनिधियों आदि को शामिल करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

(घ) नीति के अनुसार कन्ट्रोल का कपड़ा केवल कमजोर वर्गों के सदस्यों को ही वितरण किया जाना है। तथापि, इस प्रयोजन के लिए "कमजोर वर्ग" की परिभाषा संबंधित राज्य सरकारो/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा स्थानीय स्थिति के आधार पर की जाती है। अधिकांस राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस प्रयोजन के लिए "कमजोर वर्ग" की परिभाषा कर दी है। केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जो इन परिभाषाओं की सीमा में आते हैं, कन्ट्रोल का कपड़ा पाने के पात्र हैं।

(ङ) प्रचार कार्य, संबंधित सहकारी समिति की जिम्मेदारी है। सुपर बाजार तथा केन्द्रीय सहकारी कर्मचारी उपभोक्ता समिति दोनों को उनकी आवश्यकताओं तथा अन्य संबंधित बातों के आधार पर भारत सरकार से सहायता व संरक्षण मिल रहा है।

गेहूं की वसूली

1046. श्री सुरज भान :

श्री अटल बिहारी बाजपेयी :

श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष के लिये गेहूं और चावल की वसूली के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) राज्यवार कितनी वसूली कम हुई और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में गेहूं और चावल का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ है और चालू वर्ष के लिए कितने उत्पादन का अनुमान है ; और

(घ) इस वर्ष लगभग कुल कितने मूल्य का गेहूं आयात किया जायेगा?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) वर्तमान खरीफ विपणन मौसमों के लिए चावल के राज्यवार वसूली लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं और इसलिए इसकी वसूली में कमी होने का प्रश्न नहीं उठता।

वर्तमान रबी विपणन मौसम के लिए गेहूं के राज्यवार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और उनके प्रति 22 अगस्त, 1981 तक की गई वसूली की स्थिति नीचे दी जाती है :—

(लाख मीटरी टन में)

राज्य	लक्ष्य	वसूली
पंजाब	47.00	37.16
हरियाणा	17.00	11.22
उत्तर प्रदेश	25.00	14.59
राजस्थान	1.00	0.10
मध्य प्रदेश	2.00	1.56
बिहार	1.50	0.13
गुजरात	1.00	—
महाराष्ट्र	0.50	—
अन्य	—	0.20
	95.00	64.96

लक्ष्य भी तुलना में गेहूं की कम वसूली के प्रमुख कारण सरकार द्वारा निर्धारित किए गए वसूली मूल्यों की तुलना में व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्यों की पेशकश करना और व्यापारियों तथा उत्पादकों द्वारा गेहूं के स्टाक को अपने पास रोक रखना कहे जा सकते हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न है जिसमें 1979-80 को समाप्त गत तीन वर्षों में हुए चावल और गेहूं उत्पादन के राज्यवार अनुमान दिए गए हैं। 1979-80 के लिए इसी प्रकार की अंतिम सूचना अभी उपलब्ध नहीं हुई है।

(घ) संयुक्त राज्य अमेरिका से 15.15 लाख मीटरी टन गेहूं का आयात करने के लिए ठेका किया गया है। उतरान केन्द्रों पर समुद्री भाड़ा और प्रासंगिक खर्चों सहित उतरने पर औसत लागत 1964 रुपये प्रति मीटरी टन आने का अनुमान है।

विवरण

1977-78 से 1979-80 तक चावल और गेहूं के उत्पादन संबंधी अनुमान

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	चावल			गेहूं		
	1977-78	1978-79	1979-80	1977-78	1978-79	1979-80†
1	2	3	4	5	6	7
आन्ध्र प्रदेश	5604.7	7432.2	6203.3	12.0	15.0	11.4
असम	2311.2	2172.3	1876.4	84.7	69.2	69.2
बिहार	5495.1	5489.5	3597.9	2294.3	2502.1	1841.3
गुजरात	669.3	534.5	437.2	1220.9	1192.4	1215.4
हरियाणा	965.0	1220.0	942.0	2845.0	3398.0	3285.0
हिमाचल प्रदेश	114.1	122.8	85.5	378.0	397.6	226.2
जम्मू और कश्मीर	521.6	546.0	485.2	185 9	203.9	203.9
कर्नाटक	2280.7	2174.6	2231.2	230.8	264,2	256.1
केरल	1294.6	1265.3	6282.6	—	—	—
मध्य प्रदेश	4437.5	3562.1	1777.7	3102.9	3523.2	2224.3

1	2	3	4	5	6	7†
महाराष्ट्र	2344.1	2200.8	1820.5	962.3	951.3	1006.0
मणिपुर	300.0	255.2	227.5	—	—	—
मेघालय	130.8	130.2	124.9	2.7	2.7	2.7
नागालैंड	71.5	76.5	76.5	—	—	—
उड़ीसा	4319.2	4401.9	2917.7	127.4	110.0	80.6
पंजाब	2494.0	3091.0	3041.0	6642.0	7423.0	7865.0
राजस्थान	236.5	234.4	100.1	1610.0	2874.1	2696.3
तमिलनाडु	5705.0	5558.6	6229.0	0.6	0.6	0.7
त्रिपुरा	363.2	368.4	291.2	9.6	7.7	9.0
उत्तर प्रदेश	5202.5	5964.3	2468.3	9884.4	11457.8	9668.6
पश्चिमी बंगाल	7494.6	6676.9	5686.6	1036.5	998.2	785.2
अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	11.8	15.9	9.6	—	—	—
अरुणाचल प्रदेश	80.6	83.6	78.0	2.7	2.3	2.6
दादर तथा नगर हवेली	13.0	13.4	11.5	0.5	0.5	0.3

1	2	3	4	5	6	7 †
दिल्ली	4,1	3.5	3.5	116.0	116.0	116-0
गोआ, दमन और दीव	92.9	93.3	95.2	—	—	—
मिजोरम	49.8	19.3	19.5	—	—	—
पांडिचेरी	63.0	58.9	59.8	—	—	—
अखिल भारत	52670.4	53773.4	42185.4	317491.2	355078	31563.8

† अन्तिम अनुमान

वन रोपण कार्यक्रम

1047. श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल के वर्षों में वन-क्षेत्र के कम होने पर चिंता के बावजूद वनरोपण कार्यक्रम में कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं ।
(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

मत्स्य पालन नीति

1048. श्री जेवियर अरनकल :

श्री अमर राय प्रधान : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मत्स्य क्षेत्र में सरकार की नीति क्या है ;

(ख) मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन दर बढ़ाने के लिए छठी योजना में कितना धन निर्धारित किया गया है और पिछली योजनाओं के अनुसार सरकार का क्या लक्ष्य है ;

(ग) सरकार ने इस क्षेत्र का गहन अध्ययन क्या किसी एजेंसी से करवाया है ; उनकी रिपोर्ट क्या है ; और

(घ) भारत में मत्स्य क्षेत्र की क्षमता और कुल उत्पादन कितना है, निर्यात से पिछले पांच वर्षों में कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मत्स्य की के क्षेत्र में सरकार की नीति यह है कि समुद्री अन्तर्देशीय मछलियों के उत्पादन में बृद्धि की जाए और ऐसा करने के लिये मछली पकड़ने व मछली उत्पादन को बढ़ाया जाये । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने व अवस्थापनात्मक सुविधाओं तथा विपणन व्यवस्था में सुधार करना भी आवश्यक है । छठी पंचवर्षीय योजना के तहत विभिन्न योजनाओं का अभिप्राय इन उद्देश्यों व नीति सम्बन्धी निर्णयों को पूरा करना है ।

(ख) छठी योजना में 371 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है जबकि पांचवीं योजना में यह परिव्यय केवल 150 करोड़ रुपये था । समुद्र तट से 200 नाटिकल मीलों तक का एकमात्र आर्थिक क्षेत्र हमारे अधिकार में आता है । अतः चालू योजना में एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में संसाधनों से लाभ उठाने पर बल दिया जा रहा है ।

(ग) मात्स्यकी विकास के विभिन्न पहलुओं का गहराई से अध्ययन करने हेतु निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। उदाहरणार्थ राष्ट्रीय व्यवहारिक तथा आर्थिक अनुसंधान परिषद ने मछुआ विकास कार्यक्रम के बारे में अध्ययन किया है। योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने मत्स्य पत्तनों का अध्ययन किया है तथा ये रिपोर्टें उपलब्ध हैं। इसके अलावा समुद्री तथा अन्तर्देशी मत्स्य विपणन के विषय में भारतीय प्रबंध संस्थान द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं। पिछड़े हुए क्षेत्रों के विकास संबंधी राष्ट्रीय समिति समुद्री तथा खारे जल क्षेत्रों में मत्स्य विकास से संबंधित समस्याओं का अध्ययन कर रही है।

(घ) 1979 में भारत में मछली का कुल उत्पादन 23.43 लाख मीटरी टन रहा है (समुद्री व अन्तर्देशी मछलियों के अस्थायी आंकड़े 14.95 लाख मीटरी टन व 8.48 लाख मीटरी टन हैं)।

भारत की प्रति वर्ष मत्स्यन क्षमता निम्न प्रकार आंकी गई है :

	मात्रा (लाख मीटरी टन)
अन्तर्देशी	35
समुन्द्री	45

निर्यात द्वारा पिछले 5 वर्षों में अर्जित विदेशी मुद्रा निम्न प्रकार रही है :—

वर्ष	अर्जित विदेशी मुद्रा (करोड़ रुपए)
1976-77	189.1
1977-78	181.0
1978-79	234.6
1979-80	248.8
1980-81	234.8

छठी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं के लिए राज्यों को सहायता

1049. **श्री विजय कुमार यादव** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना में शामिल की गई ऐसी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनायें कौन-कौन सी हैं, जिनके लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराई गई है ;

(ख) क्या राज्यों द्वारा इन योजनाओं को चालू वर्ष में पहले ही शुरू किया गया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो राज्यों में इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए चालू वर्ष में अब तक कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) छठी योजना में शामिल की गई ग्रामीण पुनर्निर्माण की निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं हैं जिनके लिए राज्यों को केन्द्रीय सहायता सुलभ की गई है : —

(1) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम ।

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम ।

(3) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम ।

(4) मरुभूमि विकास कार्यक्रम ।

(5) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम ।

(6) कृषि विपणन तथा ग्रामीण गोदाम ।

(ख) जी हां ।

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चालू वर्ष में अब तक दी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

छठी योजना में शामिल की गई प्रमुख ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं तथा राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चालू वर्ष में अब तक दी गई केन्द्रीय सहायता को दर्शाने वाला विवरण

योजना का नाम	राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों में योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए चालू वर्ष में अब तक बंटित धनराशि (करोड़ रुपए में)
1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम	44.40

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	83.90 †
3. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	13.23
4. मरुभूमि विकास कार्यक्रम	2.67
5. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम	14.25 ††

† इसके अलावा, 1,36,900 मीटरी टन खाद्यान्नों का बंटन किया गया है।

†† खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्डों को सहायता देने के लिए खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा बंटित धनराशि को दर्शाता है। केन्द्रीय सरकार द्वारा खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग को ऋण के रूप में 1662.00 लाख रुपए की धनराशि भी बंटित की गई है।

यमुना पार की बस्तियों को नियमित करना

1050. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) यमुना पार की कितनी बस्तियों को नियमित किया गया है और कितनी बस्तियों को अभी नियमित किया जाना है ;

(ख) शेष बस्तियों को कब तक नियमित करने का विचार है ; और

(ग) तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा दिल्ली नगर निगम ने जमुनापार क्षेत्र में 84 अनधिकृत कालोनियों को नियमित किया है ऐसी 190 कालोनियों को अभी नियमित किया जाना शेष है।

(ख) इस प्रयोजन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करना व्यवहार्य नहीं है।

(ग) जिन कालोनियों को पहले ही नियमित कर दिया गया है उनकी सूची विवरण एक दो तथा तीन में दी गई है।

विवरण-एक

दिल्ली के यमुना पार क्षेत्र में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमित की गई 16 अनधिकृत कालोनियों की सूची

1. दुर्गापुरी एक्टेशन
2. मस्थू कालोनी
3. अशोक नगर
4. घोंडा गांव एक्टेंशन
5. गंवारी एक्सटेंशन
6. हरकेशु नगर
7. अरविन्द नगर
8. अरविन्द नगर (ब्लाक ए, वी, जे, एच और सी)
9. जगजीत नगर
10. भजनपुरा (ब्लाक आर और डी)
11. मौजपुर गांव एक्सटेंशन
12. जय प्रकाश मोहल्ला
13. कच्ची कालोनी
14. विजय कालोनी
15. के ब्लाक नार्थ (घोंडा)
16. सुभाष मोहल्ला

विवरण -दो

दिल्ली नगर निगम की सूची में शामिल की गई 6 अनधिकृत कालोनियों की सूची जिनके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियमितीकरण अनुमोदित किए गए क्योंकि ये हाल ही में दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र में विकासित क्षेत्र के रूप में घोषित किए गए क्षेत्र में हैं :

1. ब्रह्मपुरी
2. ब्रह्मपुरी एक्स ब्लाक
3. करतार नगर
4. घोंडा के पास ब्रह्मपुरी हरिजन कालोनी एक्सटेंशन
5. चौहान बंगर भाग
6. जफराबाद एक्सटेंशन भाग

विवरण -तीन

नगर निगम द्वारा नियमित की गई दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र की अनधिकृत कालोनियों की सूची :

1. पंडित पार्क
2. राधे पुरी, खुरेजी खास
3. शिवपुरी
4. चन्द्र नगर और सिलवर पार्क खुरेजी खास
5. हजारा पार्क खुरेजी खास
6. अनार कली पार्क " "
7. गोल्डन पार्क " "
8. लक्षमन पार्क " "
9. इन्द्र पार्क " "
10. गोपाल पार्क " "
11. रामनगर
12. ज्ञान पार्क
13. कृष्ण नगर शाहदरा
14. दक्षिणी गांधी नगर
15. कैलाश नगर
16. भोला नाथ नगर-1
17. भोला नाथ नगर-2
18. उत्तरी गांधी नगर और कैलाश नगर
19. घरम पुरा
20. रघुवर पुरा
21. श्याम पार्क
22. रन्जीत पार्क

23. गोपाल पार्क खुरेजी खास
24. ज्ञान पार्क
25. अनारकली (दक्षिण) खुरेजी खास
26. चन्द्र पार्क -वही-
27. नया लायलपुर -वही-
28. शालीमार पार्क -वही-
29. राधेपुरी एक्टेंशन I और II
30. राधेपुरी प्लाट 1- 16
31. अनारकली और एक्टेंशन
32. जनता कालोनी राम नगर
33. नया लायल पुर कालोनी एक्सटेंशन
34. अनारकली (पुरानी)
35. अनारकली (नयी)
36. अनारकली दक्षिणी एक्सटेंशन
37. पंडित पार्क एक्सटेंशन
38. नया कृष्ण नगर
39. सरस्वती भंडार
40. बागीची फूलसिंह
41. श्याम ब्लाक
42. घास मंडी
43. मुल्तानी मोहल्ला
44. भोला नाथ नगर छोड़ा गया भाग
45. गोवरधन विहारी कालोनी
46. भोलानाथ नगर (पूर्व)
47. भोला नाथ नगर (पश्चिम)

48. चान्द मोहल्ला और एक्सटेंशन
49. मोहल्ला राम नगर
50. रघबर पुरा
51. रघबर पुरा 1 और 2
52. अजीत नगर
53. सुभाष मोहल्ला
54. ज्ञान नगर
55. शीलमपुर (पश्चिम)
56. जैन मोहल्ला
57. सिंगरपुर
58. कपूर बस्ती
59. अर्जुन मोहल्ला
60. अमर मोहल्ला
61. आनन्द मोहल्ला
62. कैलास नगर

राज्यों में पेयजल हेतु बनाए गए स्थल (प्लांइट)

1051. **प्रो० रूपचन्द पाल** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार, पेयजल हेतु कुल कितने स्थल (प्वाइंट) बनाये गये ; और

(ख) केन्द्र द्वारा इस संबंध में उक्त अवधि के दौरान राज्यवार कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत और वितरित की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) यह अनुमान किया जाता है कि यह प्रश्न समस्याग्रस्त ग्रामों की पेय जलपूर्ति से सम्बन्धित है जिसके लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एकीकृत ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता दी जाती है । केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता राज्य योजनाओं के न्यूनतम आवश्यकता

कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकारों के संसाधनों को पूरा करने के लिए होती है । इस सम्बन्ध में प्रगति का प्रबोधन न्यूनमत आवश्यकता कार्यक्रम तथा केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत आने वाले समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या से किया जाता है न कि पेय जल के प्लाइंटों की संख्या से । विगत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार जिन समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल की सुविधा मुहैया की गई है उनकी संख्या अनुलग्नक 'क' में दी है । केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यवार दी गई वित्तीय सहायता अनुलग्नक 'ख' में दी गई है

विवरण-'क'

लाभ पहुंचाये गए समस्याग्रस्त ग्रामों को प्रदर्शित करने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1978-79	1979-80	1980-81
1.	आंध्र प्रदेश	360	990	487
2.	असम	467	921	963
3.	बिहार	3140	3319	2660
4.	गुजरात	782	816	525
5.	हिमाचल प्रदेश	1289	1140	166
6.	जम्मू और कश्मीर	216	198	2063
7.	कर्नाटक	3924	958	321
8.	केरल	15	19	*78
9.	मध्य प्रदेश	1654	5289	7195
10.	महाराष्ट्र	2010	2618	रिपोर्ट पूरी नहीं है ।
11.	मणिपुर	29	26	34
12.	मेघालय	28	104	52
13.	नागालैण्ड	74	74	72
14.	उड़ीसा	2993*	2555	1630
15.	पंजाब	136	135	80

*आंशिक औसत इसमें शामिल है ।

16.	राजस्थान	353	1146	2402
17.	सिक्किम	119	4	रिपोर्ट पूरी नहीं है।
18.	तमिलनाडु	1485**	230	710
19,	त्रिपुरा	300	513	579
20.	उत्तर प्रदेश	891	1250	912
21.	पश्चिमी बंगाल	432	216	874***
22.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	4	18	18
23.	अरुणाचल प्रदेश	69	63	172
24.	चण्डीगढ़	—	—	—
25.	दिल्ली	11	18	35
26.	हरियाणा	123	182	240
27.	दादर और नगर हवेली	—	—	—
28.	गोवा, दमण द्वीव	2	11	रिपोर्ट पूरी नहीं है।
29.	लक्ष द्वीव	—	—	—
30.	मिजोरम	2	—	—
31.	पांण्डिचेरी	12	9	8
		20,920	22,822	23,276

**हैमलेट भी सम्मिलित हैं।

***ताजा स्रोतों की रिपोर्ट सम्मिलित नहीं है।

विवरण-ख

केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति योजना

(एक) 1978-79 (दो) 1979-80 तथा (तीन) 1980-81 में राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को दी गई निधियां :

		लाख रुपयों में		
क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1978-79	1979-80	1980-81
1.	आंध्र प्रदेश	351.00	215.60	436.23
2.	असम	149.57	323.15	427.11
3.	बिहार	504.20	680.45	503.36
4.	गुजरात	260 85	127.80	358.50
5.	हरियाणा	200.79	260.19	357.09
6.	हिमाचल प्रदेश	425.12	392.86	561.77
7.	जम्मू और कश्मीर	200.00	182.05	314.75
8.	कर्नाटक	107.70	69 00	248.81
9.	केरल	278.00	282.35	330.08
10.	मध्य प्रदेश	290.00	357.15	690.00
11.	महाराष्ट्र	403.97	378.30	664.00
12.	मणिपुर	53.57	53.55	106.03
13.	मेघालय	103.77	111.60	149.03
14.	नागालैण्ड	97.00	139.57	150.00
15.	उड़ीसा	218.00	209.00	307.00
16.	पंजाब	174.90	68.40	128.95
17.	राजस्थान	353.27	205.00	559.10
18.	सिक्किम	43.13	26.00	19.50
19.	तमिलनाडु	408.00	219.37	506.00
20.	त्रियुरा	113.50	97.15	112.44
21.	पश्चिमी बंगाल	535.01	672.72	443.50

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1978-79	1979-80	1980-81
			लाख रुपयों में	
22.	उत्तर प्रदेश	617.50	709.55	951.95
23.	अरुणाचल प्रदेश	32.00	46.20	35.00
24.	गोवा, दमण और द्वीव	9.50	11.95	11.46
25.	मिजोरम	18.50	19.05	26.25
26.	पाण्डिचेरी	17.00	12.00	7.00
27.	अण्डमान और निकोवार	18.50	15.50	6.00
28.	दिल्ली	14.00	13.10	13.50
	योग	5998.46	5898.61	8424.38

नोट : सूखाग्रस्त राज्यों के लिए प्राप्त ड्रिलिंग रिंगों के मूल्य तथा संबंधित खर्चों पर लगभग 15 करोड़ रुपये का एक अतिरिक्त व्यय 1980-81 में किया गया था।

गत चार वर्षों के दौरान बनाई गई सिंचाई की क्षमता

1052. **श्री सत्य साधन चक्रवर्ती** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार, सिंचाई की कितनी अतिरिक्त क्षमता बनाई गई ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : सभा-पटल पर सूचना रख दी गई है (विवरण) :]

विवरण

गत चार वर्षों के दौरान सृजित की गई अतिरिक्त सिंचाई क्षमता

हजार हैक्टेयर में

क्रम सं०	राज्य	1977-78		1978-79	1980-81 (प्रत्याशित)	
		वृद्धि और मध्यम	लघु			
1.	आंध्र प्रदेश	40	--	122	137	184
2.	असम	18	—	42.5	22.5	44
3.	बिहार	119	—	197	188	220
4.	गुजरात	88	—	74	75	73
5.	हरियाणा	46	—	80	61	51
6.	हिमाचल प्रदेश	—	—	2.5	3	7
7.	जम्मू और कश्मीर	5	—	8.5	12	16
8.	कर्नाटक	48	—	61	73	86
9.	केरल	11	—	27	22	36
10.	मध्य प्रदेश	92	—	145	183	215
11.	महाराष्ट्र	63	—	131	109	149
12.	मणिपुर	—	—	7	5.3	11
13.	मेघालय	—	—	2.7	3.8	2
14.	नागालेण्ड	—	—	4	3	2
15.	उड़ीसा	45	—	141	106	98
16.	पंजाब	21	—	68.5	71	72
17.	राजस्थान	150	—	51	56	63
18.	सिक्किम	—	—	1	1	1
19.	तमिलनाडु	15	—	27	21	39

हजार हैक्टेयर में

क्रम सं०	राज्य	1977-78		1978-79	1980-81	प्रत्याशित
20.	त्रिपुरा	—	—	2,7	2.7	2
21.	उत्तर प्रदेश	544	—	890	917	952
22.	पश्चिम बंगाल	(—) 23	—	250	71	115
	जोड़ राज्य	1284	1100*	2335.4	2143.3	2438.00
	संघ राज्य क्षेत्र	—		7.6	7.7	6
	जोड़ अखिल भारत	1284+1100* 2384		2343.0	2161.0	2444.00

*राज्य-वार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिए राज्यों को दी जाने वाली सहायता की पद्धति में संशोधन

1053. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यालय के लिए राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता देने की पद्धति में संशोधन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पुनरीक्षित कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) जी हां । राष्ट्रीय विकास परिषद की सिफारिश के आधार पर, कार्यक्रम के लिए वित्तीय सहायता के प्रतिमान में 1-4-1981 से संशोधन किया गया है । संशोधित प्रतिमान के अनुसार कार्यक्रम से सम्बन्धित व्यय को केन्द्र तथा राज्यों द्वारा बराबर बराबर के आधार पर वहन किया जाता है । तदनुसार, केन्द्रीय बजट में 50 प्रतिशत निधियों की व्यवस्था की गई है और शेष 50 प्रतिशत के लिए राज्य बजटों में व्यवस्था की जानी है ।

उड़ीसा को खाद्यान्न की अपर्याप्त सप्लाई

1054. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा को रोजगार गारन्टी योजना में काम करने वाले मजदूरों को मजूरी के आंशिक भुगतान के लिए खाद्यान्न की प्रर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो मजदूरों द्वारा अनुभव की जा रही दिक्कतों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों/केन्द्रशासित क्षेत्रों को खाद्यान्नों का आवंटन केन्द्रीय सरकार के स्टाकों में उनकी पूर्ण रूप से उपलब्धता के अनुसार किया जाता है। इस समय इन स्टाकों की तंग स्थिति के कारण, चालू वर्ष के दौरान कार्यक्रम के लिए केवल 1.5 लाख मीटरी टन की मात्रा ही उपलब्ध की गई है जिसमें से उड़ीसा का अंश 7000 मीटरी टन है। यह मात्रा राज्य को केवल चावल के रूप में वंटित की गई है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगे हुए मजदूरों को मजदूरी का भुगतान अब मुख्य रूप से नकद धनराशि में किया जाता है। राज्यों को 410 लाख रुपये की धनराशि पहले ही वंटित कर दी गई है।

दिल्ली में राशनकार्डों पर खाद्य तेल न मिलना

1055. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस स्थिति की ओर ध्यान दिया है कि दिल्ली में राशनकार्डों पर उपभोक्ताओं को खाद्य तेल उपलब्ध नहीं है और वही दूनी कीमत पर खुले बाजार में उपलब्ध है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) सरकार ने गलती करने वाले उन व्यापारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की है जो राशन कार्डों पर बेचे जाने वाले तेल को खुले बाजार में दे देते हैं और उचित दर की दुकानों के माध्यम से तेल की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को अनुदेश जारी किये गये हैं कि वे आयातित खाद्य तेलों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर कड़ी निगरानी रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आयातित खाद्य तेल केवल लाइसेन्सधारी उचित दर की दुकानों और सहकारी बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उन कार्डधारियों को, जिनके लिए वे

वास्तव में हैं, बेचे जाये और वे खुले बाजार में न पहुंच सके। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि उपभोक्ताओं को आयातित खाद्य तेल पहले से ही उचित दर की दुकानों के माध्यम से खाद्य कार्डों पर मुहैया कराये जा रहे हैं। आयातित तेल बिक्री के लिए खुले बाजार में नहीं दिए जा रहे हैं, यद्यपि इस संभावना से पूरी तरह इन्कार नहीं किया जा सकता कि इसकी कुछ मात्रा किसी पथभ्रष्ट व्यापारी के माध्यम से बाहर पहुंच सकती है।

(ग) राज्यों से कहा गया है कि वे तेल व्यापार में जो असामाजिक तत्व लिप्त हैं उनके विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम और चोरबाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम के तहत कठोरतम कार्यवाही करें। दिल्ली प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत तेलों के वितरण में होने वाले कदाचारों को रोकने के लिए निम्नांकित कदम उठाये हैं :—

(1) आयातित तेलों के वितरण में थोक विक्रेताओं और ग्रुप लीडरों की पिछली प्रणाली को समाप्त कर दिया गया है और उचित दर की दुकानों को थोक में इनका वितरण करने की व्यवस्था का कार्य सुपर बाजार, केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी डपभोक्ता सहकारी भण्डारों और दिल्ली थोक उपभोक्ता सहकारी भंडार, नई दिल्ली को सौंप दिया गया है।

(2) उचित दर की दुकानों को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं कि वे आयातित खाद्य तेल की सप्लाई के लिए अलग केशमीमो जारी करें और खाद्य कार्डधारियों से इस बात के प्रमाण हेतु पावती प्राप्त करें कि उन्हें उक्त सप्लाई प्राप्त हो गई है ;

(3) प्रत्येक खाद्य कार्ड पर प्रतिमास जारी की जाने वाली आयातित खाद्य तेल की मात्रा 4 कि. ग्रा. निर्धारित की गई है और यह मात्रा, जो उसके पहले मासिक आधार पर एक किश्त में दी जाती थी अब दो समान किश्तों में दी जाएगी ;

(4) वितरण किए जाने से पहले आयातित खाद्य तेलों के टीन, क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा काट कर खोले जाते हैं।

(5) खाद्य तेलों के वितरण पर दिल्ली प्रशासन के प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा पुलिस प्राधिकारियों की सहायता से निरन्तर निगरानी रखी जा रही है।

फरक्का में गंगा के पानी का बटवारा

1057. **श्री जी. एम. बनातवाला** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गंगा के पानी के बटवारे और इसके बहाव को बढ़ाने के 1977 के भारत-बंगलादेश के करार पर हुए पुनर्विचार की ताजा स्थिति क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : फरक्का में जल प्रवाह के बंटवारे के अन्तरिम प्रबन्धों को, जिनकी व्यवस्था करार के भाग 'क' में है, करार के उपबन्धों के

अनुसार पूरी तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है। पुनरीक्षण की कार्रवाई भी अप्रैल, 1981 में पूरी कर ली गई थी। जहां तक करार के भाग 'ख' का संबंध है, दोनों पक्षों ने यह बात नोट की कि संयुक्त नदी आयोग, शुल्क मौसम में गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने की दीर्घकालीन समस्या के हल के लिए करार के अनुच्छेद-नौके उपबन्धों के अनुसार अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं कर सका। ऐसी सिफारिशें कर सकने में संयुक्त नदी आयोग की असमर्थता के कारणों के बारे में दोनों पक्षों की राय भिन्न भिन्न थी। भारत और बंगलादेश दोनों ने गंगा के प्रवाह में वृद्धि करने की समस्या का अविलम्ब हल ढूंढने को बहुत महत्व दिया और यह नोट किया कि दोनों सरकारों को उच्च राजनीतिक स्तर पर इस प्रयोजन से उचित और पर्याप्त उपायों का फैसला करना होगा।

बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यय की गई राशि

1058. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यों के अनुसार और वर्षों के अनुसार पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष में बाढ़ नियंत्रण पर भारत सरकार ने कितना धन खर्च किया है ;

(ख) भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा बाढ़ नियंत्रण के लिए उठाये गए कदमों का विस्तृत ब्यौरा क्या है ; और सरकार बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं को बनाने में कितनी सफल हुई है और वे योजनाएं कहां तक सफल रही हैं ;

(ग) गत पांच वर्षों में राज्य-वार और वर्ष-वार कुल कितने लोग मरे, कितने घायल हुए, कितने घर पूरी तरह बर्बाद हुए और कितने घर आंशिक रूप से बरबाद हुए, फसल का आंकलन कितना है ; और

(घ) 1 अप्रैल, 1981 से 31 जुलाई, 1981 को अवधि के दौरान मारे गये, घायल हुए व्यक्तियों, धराशायी हुए तथा आंशिकरूप से क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या तथा नष्ट हुई फसल का कुल मूल्यांकन क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी : (क) बाढ़-नियंत्रण मूलतः एक राज्य विषय है। पिछले पांच वर्षों में बाढ़-नियंत्रण पर हुए परिव्यय की जानकारी संलग्न उपाबंध-एक में दी गई है। इस विवरण में राज्यों द्वारा दी गई विशेष सहायता, और बाढ़-पुर्वानुमान आदि पर केन्द्र द्वारा किए गए व्यय की जानकारी भी दी गई है।

(ख) राज्य सरकारों ने बाढ़ नियंत्रण वर्क्स का निर्माण किया है, जैसे, तटबन्धों, नदी-नियंत्रण और कटाव-रोधी वर्क्स का निर्माण, जल-निकास चेनलों का निर्माण और सुधार, नगर सुरक्षा वर्क्स आदि। इनके आम तौर पर सफल परिणाम निकले हैं और इनसे 11.17 मिलियन

हेक्टेयर क्षेत्र को समुचित सुरक्षा प्रदान हुई है। बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली की स्थापना भी की गई है, जो काफी सफल है। राज्य सरकारों से विस्तृत मास्टर योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है और इसमें कुछ प्रगति भी हुई है।

(ग) उपबंध-दो में मुख्य बाढ़-प्रवण राज्यों के बारे में अपेक्षित जानकारी दी गई है।

(घ) उपाबंध-तीन में, राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर, संबंधित अवधि के बारे में अपेक्षित जानकारी दी गई है।

विवरण-एक

अप्रैल, 1976 से मार्च, 1981 तक बाढ़ नियंत्रण पर किया गया व्यय और 1981-82 के लिए परिव्यय

क्रम सं०	राज्य	व्यय (लाख रुपए)					परिव्यय (लाख रुपए)
		1976-77	1977-78	1978-79	1979-80	1980-81 (प्रत्याशित)	1981-82
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	465.34	371.75	485.00	730.00	485.00	500.00
2.	असम	190.70	346.48	300.89	287.74	371 00	400.00
3.	विहार	2000.64	1660.36	2094.81	2042.82	1951.85	2300.00
4.	गुजरात	92.18	133.49	384.74	217.67	200.00	50.00
5.	हरियाणा	348.86	1038.24	2489.53	2016.00	1590.00	1750.00
6.	हिमाचल प्रदेश	9.00	66.55	113.20	35.79	60.00	60.00
7.	जम्मू और कश्मीर	212.06	345.77	430.87	575.00	550.00	570.00
8.	कर्नाटक	13.63	2.27	—	—	50.00	36.00
9.	केरल	134.02	170.04	191.56	314.32	250.00	250.00
10.	मध्य प्रदेश	40.00	21.33	65.80	56.00	80.00	90.00
11.	महाराष्ट्र	7.00	7.75	8.33	2.00	9.00	10.00

1 2	3	4	5	6	7	8
12. मणिपुर	75.16	74.65	70.00	60.00	70.00	80.00
13. मेघालय	16.00	0.67	22.30	53.00	30.00	30.00
14. उड़ीसा	100.00	141.43	334.10	198.88	300.00	300.00
15. पंजाब	500.00	663.80	1150.74	1062.28	500.00	330.00
16. राजस्थान	83.00	49.25	397.43	290.26	355.00	355.00
17. सिक्किम	—	—	—	4.28	11.00	10.00
18. तमिलनाडु	35.13	223.86	63.00	483.50	471.83	235.00
19. त्रिपुरा	31.47	43.66	81.57	88.25	100.00	103.00
20. उत्तर प्रदेश	1461.95	1214.19	1970.00	2091.35	2250.00	2210.00
21. पश्चिम बंगाल	1218.29	1372.33	4115.30	2356.20	3200.00	3086.00
22. दिल्ली	221.09	287.26	381.07	786.14	948.60	775.00
23. अन्य संघ राज्य क्षेत्र	33.41	39.43	53.11	57.82	64.15	79.00
जोड़	7288.93	8274.56	15203.55	13809.70	14017.43	13629.00
केन्द्रीय सैक्टर	1034.17	3004.02	1993.16	1989.95	2542.00	3100.00
कुल जोड़	8323.10	11278.58	17196.71	15799.65	16559.43	16729.00

1976-81 की अवधि का जोड़ = 691.58 करोड़ रुपए

विवरण-दो

1976 से 1980 के दौरान बाढ़ से हुई क्षति को दिखाने वाला विवरण

वर्ष	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टे. में)	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	फसलों को हानि		मकानों को क्षति		मृत पशुओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	जन सुविधाओं को क्षति (लाख रुपए)	फसलों, मकानों और जन-सुविधाओं को क्षति (लाख रुपए) (कालम 6+8+11)	अभ्युक्ति
			क्षेत्र (लाख हैक्टे. में)	मूल्य (लाख रुपयों में)	संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					आंध्र प्रदेश						
1976	10.0	74.2	8.9	18672.7	205507	1021.2	18772	166	1458.3	21152.2	
1977	59.8	111.1	14.2	35226.4	106879	8423.8	500978	9974	17203.6	60853.8	
1978	4.9	20.8	4.9	5402.8	20015	1157.7	2341	57	1603.0	7163.5	
1979	0.7	40.0	0.7	2164.4	737500	12000.0	301180	766	2680.0	16844.4	
1980	0.6	2.2	0.3	900.0	34000	500.0	26300	88	821.0	2221.0	
जोड़	76.0	248.3	29.0	62366.3	2060901	22102.7	849571	10991	23765.9	108234.9	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					ग्रासाम						
19 /6	5.7	14.6	1.1	865.2	58817	274.5	1945	67	58.8	1198.5	
1977	11.0	45.5	4.5	2653.7	45327	158.7	26707	76	296.0	3108.4	
1978	3.1	9.2	0.8	392.5	23423	29.4	144	2	5.1	427.0	
1979	6.7	32.5	2.4	2614.2	22690	123.4	6062	29	78.4	2816.2	
1980	11.6	33.6	2.9	3236.6	37457	223.5	9155	57	519.9	3980.0	
जोड़	38.1	226.4	11.7	9762.2	187714	809.5	44031	231	958.2	11529 9	
					बिहार						
1976	29.9	136.40	8.5	9463.9	494060	3003.5	4518	186	8132.0	20599.4	
1977	11.5	30.8	2.3	1178.8	19741	45.4	66	16	4.4	1228.6	
1978	23 7	120.6	9.7	9460.3	310003	912.2	466	177	7513.0	17885.5	
1979	8.1	37.4	2.7	1901.5	27816	103.4	4	14	14.0	2016.9	
1980	19.2	74.5	10.2	सू. न.	81015	372.3	42	57	5401.0	5773.3	
जोड़	92.4	399.7	33.2	22004.5	932635	4436.8	5096	450	21064.4	47505.7	
					गुजरात						
1976	6.3	51.1	6.3	2216.1	64377	431.1	31243	170	3213.3	5860.5	
1977	9.4	33.0	9.4	2368.6	4944	75.1	830	80	2925.4	5369.1	
1978	2.6	10.4	2.6	609.1	1908	15.2	51	55	564.00	1188.3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1979	4.75	30.6	4.75	1655.0	143358	2488.65	189878	2005	10147.36	14561 0	
1980	13.20	27.0	2.80	2201.9	24282	876.0	8744	45	3709.3	6787.2	
जोड़	36 25	152 1	25.85	9050.7	238869	3886 05	230746	2355	20829.36	33766.1	
					हरियाणा						
1976	7.0	19.4	3.7	2971.1	80597	616.1	183	26	187.0	3774.2	
1977	10.0	30.0	8.0	5600.0	150000	1500.0	1354	50	सून.	7100.0	
1978	7.1	11.6	4.8	4297.6	77118	732.7	2637	42	249.5	5279.8	
1979	0.1	उ.न.	उ.न.	0.6	151	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू न.	0.6	
1980	1.6	6.7	1.2	2041.0	3171	72.4	14	7	931.0	3044.4	
जोड़	25.8	67.7	17.7	14910 3	310977	2921.2	4188	I25	1367.5	19199.0	
					हिमाचल प्रदेश						
1976	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0.03	1	0.01	उ.न.	उ.न.	उ.न.	0.04	
1977	0.4	0.2	0.3	948.7	सू. न.	12.6	30	12	643.0	1604.3	
1978	0.9	25.0	0.9	2400.0	9225	568.2	1034	279	4638.7	7606.9	
1979	उ.न.	0.02	उ.न.	0.5	304	5.6	27	5	0.6	6.7	
1980	उ.न.	0.1	उ.न.	8.9	405	11.7	68	46	9.8	30.4	
जोड़	1.3	25.32	1.2	3358.13	9935	598.11	1159	342	5292.1	9248.34	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					उड़ीसा।						
1976	नग.	0.5	नग.	5.1	1375	0.8	153	3	33.9	39.8	
1977	3.1	19.1	1.9	750.8	18674	57.8	781	44	1112.7	1921.3	
1978	4.1	28.5	3.3	1117.0	27431	117.9	272	21	3254.0	4488,9	
1979	3.0	15.6	1.8	49.7	1939	8.8	85	16	463.5	522.0	
1980	3.6	26.4	3.6	4047 5	90000	1635.3	8280	73	6032.9	11715.7	
जोड़	13.8	90.1	10.6	5970,1	139419	1820.6	9571	157	10897.0	18687.7	
					पंजाब।						
1976	3.6	16.2	2.2	3640.1	282883	978.7	1802	129	338.9	4957.7	
1977	0,1	2.3	0.1	69:2	782.	6.3	95	11	8.7	84.2	
1978	1.5	3.7	1.1	2205.0	36974	252.2	148	17	40.0	2497.2	
1979	0 02	0 05	0.02	44.4	सून्य	सून्य	सून्य	सून्य	सून्य	44.4	
1980	0.45	0.85	0.45	431.7	19244	74.7	113	47	2.01	508.4	
जोड़	5,67	23.10	3.87	6397.4	339883	1311.9	2159	204	389.61	8091.9	
					राजस्थान।						
1976	2.5	4.0	0.9	256.8	132153	21.6	540	9	1700.2	1980.6	
1977	32.6	79.9	30.9	5875.7	102764	442.4	1061	105	1206.5	7524.6	
1978	17.8	18.8	17.8	2175.0	211004	2115.0	1903	109	837.0	5227.0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1979	5.7	11.2	1.8	2362.9	93620	4700.0	113842	478	2994.1	10057.0	
1980	शून्य	0.01	शून्य	शून्य	798	4.64	27	1	22.7	27.3	
जोड़	58.6	113.91	51.4	10670.4	421401	7383.64	116373	702	6700.5	24816.5	
						उत्तर प्रदेश					
1976	36.3	141.5	21.6	18600.0	290757	2250.0	2425	257	3868.0	24718.0	
1977	13.0	37.8	6.1	7500.0	50648	500.0	887	157	1660.0	9660.0	
1978	73.4	225.9	39.3	38200.0	1197552	9000.0	7430	739	8936.0	56136.0	
1979	7.0	21.1	5.2	5176.9	122984	172.2	222	77	सू. न.	5349.1	
1980	58.6	303.5	30.9	19011.8	1923194	10012.4	5244	1309	7595.0	36619.2	
जोड़	18 .3	729.8	103.1	88488.7	3495049	21634.6	16308	2539	22059.0	132432.3	
						पश्चिम बंगाल					
1976	13.0	16.4	1.6	1690.4	125913	260.4	3646	67	151.2	2102.2	
1977	15.5	63.1	3.5	3947.2	88572	सू न.	372	25	36 3	3983.5	
1978	30.8	156.3	11.4	20735.0	1361338	9.1	221826	1596	6115 5	16859.6	
1979	0.2	1.5	सू. न.	सू. न.	1051	सू.न.	सू. न.	1	0.50	0.50	
1980	3.8	26.2	2 1	3337 5	268914	2626.7	1095	65	1837.4	7801.5	
जोड़	63.3	263.5	18.6	29710.1	1845788	2896 2	226939	2754	8140.90	40747.10	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
						दिल्ली					
1976	0.1	0.4	0.03	सू. न.	100	0.5	शून्य	सू. न.	सू. न.	0.5	
1977	0,4	1 3	0.10	355.0	1770	182.6	190	18	2.3	539.9	
1978	0.7	10.0	0.40	932.4	10670	318.0	399	18	510.8	1761.2	
1979	सू. न.	सू. न.	सू. न.	सू. न.	सू. न.	सू. न.	सू न.	सू. न.	सू. न.	सू. न.	
1980	0.014	सू न.	0.014	12.00	शून्य	शून्य	शून्य	2	सू. न.	12.00	
जोड़	1.214	11.7	0.544	1299.4	12540	501.1	589	38	513.1	2336	

उ. न. —उपलब्ध नहीं करवाया गया ।

सू. न. —सूचित नहीं किया गया ।

विवरण-तीन

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 31-7-1981 तक बाढ़ से हुई क्षति को दिखाने वाला विवरण

राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	फसलों को हानि		मकानों को क्षति		मृत पशुओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	जन सुविधाओं को क्षति (लाख रुपये)	फसलों, मकानों और जन-सुविधाओं को कुल क्षति (लाख रुपये) (कालम 5+7+10)
			क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	मूल्य (लाख रुपयों में)	संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
असम	1.76	7.02	0.22	2.20	515	0.06	80	18	2.00	4.26
बिहार	5.26	32.63	1.89	913.28	16519	सू. न.	3	3	50.37	963.65
गुजरात	0.45	6.00	0.45	65.00*	29800	134.50	4532	87	1640.00	1839.50
हरियाणा	0.13	0.27	0.84	15.44*	1051	9.66	17	4	सू. न.	25.10
हिमाचल प्रदेश	सू. न.	0.003	सू. न.	सू. न.	सू. न.	2.05	सू. न.	11	सू. न.	2.05
कर्नाटक	सू. न.	सू. न.	सू. न.	0.25	1	0.06	सू. न.	सू. न.	14.78	15.09
केरल	0.25	30.00	0.25	सू. न.	14961	52.66	14	54	2900.66	2953.32
मध्य प्रदेश	सू. न.	सू. न.	शून्य	सू. न.	100	सू. न.	सू. न.	5	सू. न.	सू. न.
उड़ीसा	0.66	1.54	0.42	6.00	14	0.04	सू. न.	3	8.51	14.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
पंजाब	0 21	0.49	0.21	85.30	7118	17.40	27	4	10.68	113.38
राजस्थान	3.32	4.50	2.48	सू. न.	78553	सू. न.	31254	124	4344.00*	4344.00
तमिलनाडु	सू. न.	0.006	सू. न.	सू. न.	161	1.07	24	सू न.	सू. न.	1.07
त्रिपुरा	0.03	सू. न.	0.03	सू. न.	सू. न.	सू. न.	सू. न.	सू. न.	सू. न.	सू. न.
उत्तर प्रदेश	6.97	53.14	1.42	सू. न.	58052	सू. न.	517	157	सू. न.	सू. न.
पश्चिमी बंगाल	1.84	8.17	0.37	235.01	8710	37.75	1	2	0.05	272.81
गोआ, दमन और दीव	सू. न.	0 001	सू. न.	सू. न.	27	सू. न.	सू. न.	सू. न.	सू. न.	सू. न.
जोड़	20.88	143.77	8.58	1322.48	215582	255 61	36469	473	8971.05	10549.14

सू. न.= राज्य सरकार द्वारा सूचित नहीं किया गया।

*= ब्यौरा सूचित नहीं किया गया।

राष्ट्रीय वन नीति

1059. **श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लम्बे समय से प्रतीक्षित राष्ट्रीय वन नीति को अब तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां ।

(ख) पर्यावरण सम्बंधी सन्तुलन को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय वन नीति को संरक्षण सबंन्धी आवश्यकताओं पर प्रभाव पड़ता है, जिनसे सूखा, बाढ़, भूस्खलन तथा अन्य आपदाओं घरेलू आवश्यकताओं एवं वन उद्योगों को प्रभावित करने वाली कच्ची सामग्री का उत्पादन, अधिकारों तथा रियायतों का प्रयोग जिससे वन क्षेत्र के अन्दर तथा आस-पास रहने वाले कई लोग प्रभावित होते हैं तथा अन्य अनेक महत्व पूर्ण घटक, प्रभावित होते हैं, जिनका गहराई से अध्ययन करना जरूरी है । इसलिए इस कार्य में विलम्ब हुआ है । नीति सम्बंधी मसौदे पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

अधिक उपज देने वाले विभिन्न बीजों की किस्म का ह्रास

1060. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री छोटे सिंह यादव :
श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा :
श्री रशीद मसूद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिक उपज देने वाले विभिन्न (वाई० वी०) बीजों की गुणवता का तेजी से ह्रास हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) छठी योजनावधि के दौरान खाद्य उत्पादन पर इसका क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) अधिक उपज देने वाली किस्मों के बीजों की उत्पादन क्षमता में ह्रास नहीं हुआ है । तथापि जैसे जैसे समय बीत रहा है वे कीटों तथा रोगों के प्रति संवेदनशील हो गए हैं । यह बात समूचे विश्व पर घटित होती है और पुरानी किस्मों के स्थान पर नये किस्मों का विकास किया जाता है । नई किस्मों का विकास हो जाने से निकट भविष्य में इस वजह से खाद्य उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की कोई आशंका नहीं है ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग कर्मचारी संघ का मांग पत्र

1061. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बोनस, नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित करने, वर्दी आदि के बारे में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) इन मांगों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की यूनियन (मान्यताप्राप्त) ने केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को बोनस देने, कार्यप्रभारिक स्थापना के स्थाई पदों के सृजन, स्थाई कार्यप्रभारित कर्मचारियों के लिए चिकित्सा छुट्टियों की स्वीकृति, चौधरी के पद में पदोन्नति के लिए नियमों में ढ़ील, पूछताछ कार्यालयों तथा अन्य स्थानों पर कर्मचारियों को क्वार्टर आवंटन के लिए नियम, जी. पी. एफ/सी. पी. एफ की पास बुक्स जारी करने, उच्च दक्ष वर्ग के वेतनमान में संशोधन, बेलदार, माली, बुलकमैन और मिस्त्री के वेतनमानों को 200-250 से 210-270 रुपये संशोधित करने, अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, मुख्य इंजीनियरों की शक्तियों का प्रत्यायोजन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में फ्लोरल डेको रेटर के पदों का सृजन, सेवा निवृत्ति के मस्टर रोल कर्मचारियों की वरिष्ठता, कार्यप्रभारित कर्मचारियों इत्यादि के लिए प्रवर ग्रेड की मंजूरी की मांग की है ।

2. सरकार ने अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति, मुख्य इंजीनियरों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में फ्लोरल डेकोरेटर के पद का सृजन सेवा निवृत्ति के प्रयोजन के लिए मस्टर रोल कर्मचारियों की वरिष्ठता, कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए प्रवर ग्रेड की मंजूरी की मांगों को पहले ही मानलिया गया है ।

3. निम्नलिखित मांगों पर अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है :

कार्य प्रभारित कर्मचारियों के लिए स्थाई पदों का सृजन, कार्यप्रभारित स्थापन को 42 घंटों तथा 48 घंटों का समयोपरि मजदूरी का भुगतान, चौधरी के पद पर पदोन्नति के प्रयोजन के लिए नियमों में ढ़ील, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों को बोनस, इलैक्ट्रीशन के पद के लिए भर्ती नियम, स्थाई कार्यप्रभारित कर्मचारियों को चिकित्सा छुट्टियों की मंजूरी तथा पूछताछ कार्यालयों और अन्य स्थानों पर आवश्यक कर्मचारियों को क्वार्टरों के आबंटन के नियम ।

पश्चिम बंगाल को लेवी चीनी

1062. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल के मुख्य मन्त्री ने प्रधान मन्त्री का ध्यान राज्य द्वारा लेवी चीनी के बारे में अनुभव की जा रही दिक्कतों की ओर दिलाया था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा उस पर क्या कदम उठाये गये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनायन) : (क) और (ख) मुख्य मन्त्री, पश्चिमी बंगाल, ने प्रधान मन्त्री को सम्बोधित अपने 17.7.1981 के पत्र में यह कहा था कि उन्हें 22,000 मीटरी टन के मासिक आवंटन की बजाए 40,000 मीटरी टन चीनी आवंटित की जानी चाहिए। उन्होंने मासिक आवंटनों के प्रति भारतीय खाद्य निगम द्वारा कम चीनी सप्लाई करने के बारे में भी उल्लेख किया है।

2. चीनी पर 17.12.1979 से आंशिक नियंत्रण लागू होने से पिछली आंशिक नियंत्रण की अवधि के दौरान प्राप्त हो रहे लेवी चीनी के मासिक राज्यवार कोटे को बहाल कर दिया गया है और तदनुसार पश्चिमी बंगाल सरकार को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए लेवी चीनी का 21,994 मीटरी टन का मासिक कोटा मिल रहा है (इसके अलावा, सीमा सुरक्षा दल और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स आदि के लिए थोड़ी मात्रा भी आवंटित की जा रही है)। लेवी चीनी की कम उपलब्धता के कारण पश्चिमी बंगाल सरकार के मासिक कोटे में वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है।

3. जहां तक भारतीय खाद्य निगम द्वारा चीनी सप्लाई करने का संबंध है, मई से जुलाई, 1981 तक पिछले 3 महीनों के लिए 66061 मीटरी टन के कुल आवंटन के प्रति निगम द्वारा राज्य सरकार के नामितों को सप्लाई की गई मात्रा 63113 मीटरी टन थी और उक्त 3 महीनों के लिए केवल 2948 मीटरी टन की कमी रह गई थी। भारतीय खाद्य निगम फैक्ट्रियों से आवंटित चीनी शीघ्र उठाने की व्यवस्था कर रहा है ताकि पश्चिमी बंगाल में विभिन्न गंतव्य स्थानों को विशेष रेकों द्वारा इसको शीघ्र भेजने के प्रबन्ध किए जा सकें।

किसान और ग्रामीण श्रमिक संगठनों को सहयोजित करने की योजना

10*3. **श्री सूर्य नारायण सिंह :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छटी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में किसान और ग्रामीण श्रमिक संगठनों को सम्बद्ध करने की कोई योजना तैयार की गई है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की आयोजना तथा कार्यान्वयन में लोगों की भागीदारी छठी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्यों में से एक है। इसे अनेक प्रकार से प्राप्त किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं है लेकिन राज्य सरकारों को ग्रामीण विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में गैर-सरकारी संगठनों को सहयोजित करने हेतु समय समय पर सलाह दी

गई है। पंचायती राज निकायों, सहकारी सोसायटियों, महिला मण्डलों तथा युवक मण्डलों आदि को गतिविधि के इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी गई है। इन संगठनों में किसानों तथा ग्रामीण कार्यकर्ताओं का प्रतिनिधित्व होता है।

बैलों की कमी

1064. **श्री के० प्रधानी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारत में बैलों की धीरे-धीरे हो रही कमी के कारण देश की कृषि व्यवस्था बिगड़ रही है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार स्थिति में सुधार के लिए तुरन्त उपाय करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) कार्यरत बैलों व भैंसों की संख्या 1951 में 645.2 लाख थी, जो धीरे-धीरे बढ़कर 1956, 1961, 1966, 1972 और 1977 में क्रमशः 684.3, 778,0, 790.3, 801.7 और 806.0 लाख तक पहुंच गई थी। इस प्रकार 1957 और 1977 के बीच लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हो गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

श्रेणी एक के पदों पर प्रतिनियुक्ति पर अधिकारी

1065. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंचाई विभाग तथा सम्बद्ध कार्यालयों में श्रेणी एक के जिन पदों पर प्रतिनियुक्ति पर तीन वर्षों से अधिक से व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उन पदों के वर्तमान क्या हैं तथा उनकी स्थिति क्या है।

(ख) क्या यह सच है कि सामान्य प्रक्रिया के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए ;

(ग) वे कौन से कारण हैं जिनके आधार पर व्यक्तियों द्वारा तीन वर्षों की प्रतिनियुक्ति की अवधि पूरी करने पर भी सार्वजनिक हित में उनकी अवधि और बढ़ाई जा रही है ; और

(घ) जिन अधिकारियों ने प्रतिनियुक्ति/तदर्थ-आधार पर तीन से अधिक वर्षों की अवधि पूरी करली है उन्हें वापिस भेजने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर रहमान अंसारी) : (क) उपाबंध के रूप में एक विवरण संलग्न है, जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है।

(ख) जी, नहीं। पदों से सम्बन्धित नियमों के उपबन्धों के अनुसार प्रतिनियुक्ति की अवधि तीन वर्षों से अधिक हो सकती है।

(ग) तीन वर्षों से अधिक समय से प्रतिनियुक्त अधिकारी पदों से संबंधित नियमों के उपबन्धों के अनुसार उन पदों पर कार्य कर रहे हैं।

(घ) यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ?

विवरण

सिंचाई मंत्रालय और उसके सम्बद्ध कार्यालय केन्द्रीय जल आयोग में समूह 'क' (भूतपूर्व श्रेणी-एक) के जिन पदों पर 3 वर्षों से अधिक समय से अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर हैं उनकी श्रेणी, उनका वेतनमान और उन पर प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या की जानकारी देने वाला विवरण

समूह क (श्रेणी-एक) के पदों का वर्ग	वेतनमान	उन अधिकारियों की संख्या जो 3 वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्त है
क. सिंचाई मन्त्रालय		
1. सचिव	3500 रुपए (निश्चित)	1
2. संयुक्त सचिव के स्तर के पद	2500-2750 रु०	4
3. निदेशक	2000-2250 रु०	1
4. उप सचिव	1500-2000 रु०	2
5. उप आयुक्त	1500-1800 रु०	1
ख. केन्द्रीय जल आयोग		
1. निदेशक/अधीक्षक इंजीनियर	1500-2000 रु०	4
2. उप निदेशक/कार्यकारी इंजीनियर	1100-1600 रु०	9
3. सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इन्जीनियर ।	700-1300 रु०	1

खाद्य तेलों का उत्पादन और मांग

1066. डा. **कृपासिन्धु भोई** : क्या **नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में खाद्य तेल का कुल कितना उत्पादन हुआ है और वर्ष 1981-82 के दौरान देश में ऐसे तेल की कुल कितनी मांग है ;

(ख) वनस्पति निर्माताओं को खाद्य तेल की कुल मांग कितनी है ;

(ग) क्या खाद्य तेलों का आयात शुल्क में हाल में हुई वृद्धि से देश में उत्पादित होने वाले खाद्य तेलों के मूल्य भी बढ़ेंगे ; और

(घ) खाद्य तेलों के देशी निर्माताओं के एकाधिकार पर अंकुश रखने और मूल्य को नियंत्रित रखने के लिये सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) खाद्य तेलों के राज्यवार उत्पादन के आंकड़े नहीं रखे जा रहे हैं। वर्ष 1980-81 के दौरान देश में खाद्य तेलों का कुल अनुमानित उत्पादन 25 लाख मी. टन के आस-पास था। वर्ष 1981-82 के दौरान खाद्य तेलों का उत्पादन, वर्ष के दौरान होने वाले तिलहनों के वास्तविक उत्पादन पर निर्भर करेगा। जहां तक वर्ष 1981 82 के दौरान खाद्य तेलों की कुल मांग का संबंध है, यह अनुमानतः 36 से 38 लाख के आस-पास होगी।

(ख) चालू तेल वर्ष के दौरान वनस्पति उत्पादकों की खाद्य तेलों (आयतित तेलों सहित) की कुल मांग 8 लाख मी. टन के आस-पास होने की संभावना है।

(ग) व (घ) देश में खाद्य तेलों की मांग व आपूर्ति के बीच के अन्तर को दूर करने तथा देशी बाजार में तेलों के मूल्य स्थिर करने की दृष्टि से केन्द्रीय सरकार खाद्य कार्डधारियों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु राज्य सरकारों/संग राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आयातित खाद्य तेलों की सप्लाई कर रही है। ये तेल बाजार में चल रहे देशी मूल्यों की तुलना में काफी कम मूल्यों पर उपलब्ध कराये जाते हैं। इसके अतिरिक्त ये आयात क्योंकि सरकार की ओर से हुआ अतः उस पर हाल में आयातित खाद्य तेलों पर बढ़ाया गया सीमा-शुल्क नहीं लगा है। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क में वृद्धि के कारण देश में उत्पादित खाद्य तेल के मूल्यों में वृद्धि होनी आवश्यक नहीं है।

देश में खाद्य तेलों के मूल्यों को स्थिर करने के लिए सरकार ने कई दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक उपाय किये हैं। कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :—

1. तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना और गैर-पारम्परिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए सुनियोजित प्रयास करना, ताकि तेलों की मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को कम किया जा सके।

2. खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना ;

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक आयातित तेल नियुक्त करना ;

4. वनस्पति उद्योग द्वारा स्वैच्छिक आधार पर मूल्य-नियंत्रण करना ;

5. वनस्पति के उत्पादन को निरंतर बनाए रखना ;

6. बिनौले के तेल का अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहन देना ;

7. राज्य सरकारों से भण्डारण नियंत्रण आदेशों तथा अन्य कानूनों को लागू करने का अनुरोध करना ;

8. देश के विभिन्न भागों के बीच तिलहनों और तेलों का निर्बाध रूप से लाना ले जाना जारी रखना ; और

9. वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर छापे मारकर तिलहनों तथा तेलों के गैर-कानूनी व्यापार को नियंत्रित करना ।

दिल्ली में प्रवर्तन कर्मचारियों (एनफोर्समेंट स्टाफ) द्वारा उचित दर की दुकानों का दौरा किया जाना

1067. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्य एवं पूर्ति विभाग, दिल्ली के अपने प्रवर्त्तन कर्मचारियों ने हस्ताक्षरित और अज्ञात छद्म नामों से की गई शिकायतों के आधार पर गत तीन महीनों के दौरान उचित दर की कितनी दुकानों का दौरा किया, यह भी बतायें कि उन्होंने इन दुकानों का कितनी बार दौरा किया और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस तरह के दौरों के क्या परिणाम रहे, किस तरह की असंगतियों का पता लगा और उन पर क्या कार्यवाही की गई, इसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ईमानदार उचित दर की दुकानों के लिये क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं और व्यक्तिगत बदले की भावना से उनका अनावश्यक उत्पीड़न न हो और वे परेशान न किये जायें, इसको सुनिश्चित करने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) 1.5. 1981 से 31-7-1981 की अवधि के दौरान दिल्ली प्रशासन के खाद्य तथा नागरिक पूर्ति विभाग के प्रवर्तन कर्मचारियों द्वारा दिल्ली में 584 उचित दर की दुकानों का दौरा किया गया । इनमें से 225 उचित दर की दुकानों का दौरा सक्षम प्राधिकारी के आदेशों के तहत आयोजित विशेष अभियान के अन्तर्गत किया गया, 162 का विभिन्न क्षेत्रों से मिली लिखित शिकायतों के फलस्वरूप तथा शेष 197 का नियंत्रण कक्ष में टेलीफोन पर मिली शिकायतों के आधार पर किया गया । उक्त अवधि के दौरान ऊपर दी गई 584 उचित दर की दुकानों में से 1 का चार बार, 2 का तीन बार तथा 27 का दो बार दौरा किया गया ।

(ख) जिन 584 उचित दर की दुकानों का दौरा किया गया, उनमें से 480 के मामलों में अनियमिततायें पाई गई, जिनमें से 32 गम्भीर स्वरूप की थी । तदनुसार 32 मामलों में पुलिस

के पास प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज करके मुदकमें चलाये गये तथा बाकी के 448 मामलों में विभागीय कार्रवाई आरम्भ की गई है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए हर प्रकार की उचित सावधानी बरती गयी है तथा पूर्वोपाय किये गये हैं कि ईमानदार उचित दर के दुकानदार को किसी प्रकार से परेशान न किया जा सके।

गांधी जी की प्रतिमा

1068. **श्री जनार्दन पुजारी :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडिया गेट पर छतरी के नीचे गांधी जी की प्रतीमा स्थापित करने के संबंध में सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ग) परियोजना के कुछ पहलू सरकार के विचाराधीन हैं।

बिना रोक के खाद्यान्न का लाना ले जाना

1069. **श्री चित्त महाटा :**

श्री एम. रामगोपाल रेड्डी : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आल इंडिया फूडग्रेन्स डीलर्स फैडरेशन ने सरकार से इस बात का अनुरोध किया है कि मूल्य को स्थिर करने में योगदान देने के लिए खाद्यान्नों के लाने ले जाने पर लगाये गए औपचारिक तथा अनौपचारिक प्रतिबन्धों को हटाया जाये और वसूली को समाप्त किया जाये ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है और इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) अखिल भारतीय खाद्यान्न व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने नई दिल्ली में 15 जुलाई, 1981 को हुए एक प्रेस-कान्फ्रेंस में एक वक्तव्य के माध्यम से सरकार से गेहूं के संचलन पर लगे सभी प्रतिबन्धों—औपचारिक अथवा अनौपचारिक को हटाने का अनुरोध किया था ताकि गेहूं, अन्य खाद्यान्नों, दालों और तिलहनों के मूल्य स्थिर हो सकें और सप्लाई बहाल की जा सके।

(ख) अधिकतम वसूली कर और देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से केन्द्रीय पूल से जरूरतमंद राज्यों को खाद्यान्न उपलब्ध कर देश की खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबन्ध के

हित में केन्द्रीय सरकार ने 22/26 अप्रैल, 1981 से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से निजी व्यापारियों तथा राज्य सरकार के खाते द्वारा रेल से गेहूं और चावल के संचलन पर प्रतिबन्ध लगाना उपयुक्त समझा था। इस निर्णय के फलस्वरूप केन्द्रीय सरकार के खाते में संचलन में वृद्धि हुई और इसने खुले बाजार में आवश्यक जिन्सों (खाद्यान्य सहित) के मूल्यों में कोई अनुचित वृद्धि रोकने में बचाव का कार्य किया है।

राज्य व्यापार निगम के पास खाद्य तेलों का स्टाक

1070. **श्री त्रिलोक चन्द्र :**

श्री रशीद मसूद : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य व्यापार निगम के पास खाद्य तेलों का स्टाक धीरे-धीरे कम हो रहा है जिसका सार्वजनिक वितरण प्रणाली की तेल की सप्लाई और वनस्पति उद्योग पर असर पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) देश में खाद्य तेलों, की उपलभ्यता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कई दीर्घकालिक तथा अल्पकालिक उपाय किये हैं। किये गए कुछ मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :—

1, तिलहनों के उत्पादन को बढ़ावा देना और गैर-पारम्परिक स्रोतों का उपयोग करने के लिए सुनियोजित प्रयास करना, ताकि तेलों की मांग और पूर्ति के बीच के अन्तर को कम किया जा सके।

2. खाद्य तेलों का पर्याप्त मात्रा में आयात जारी रखना ;

3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए अधिक आयातित तेल निर्मुक्त करना ;

4. बिनौले के तेल का अधिक उत्पादन करने को प्रोत्साहन देना ;

5. राज्य सरकारों से भण्डारण नियंत्रण आदेशों तथा अन्य कानूनों को सख्ती से लागू करने का अनुरोध करना ;

6. देश के विभिन्न भागों के बीच तिलहनों और तेलों का निर्बाध रूप से लाना ले जाना जारी रखना ; और

7, वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर छापे मारकर तिलहनों तथा तेलों के गैरकानूनी व्यापार को नियंत्रित करना।

एशियाई खेल 1982 के लिए दी गई भवन निर्माण सामग्री की चोरी

1071. **श्री रशीद मसूद** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को एशियाई खेल 1982 की निर्माण परियोजनाओं के लिए आवंटित सीमेंट और इस्पात के स्काट से बड़े पैमाने पर चोरी और उसके काला बाजार में बिकने के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो एशियाई खेल 1982 के गोदाम से (आज तक) सीमेंट और इस्पात की अनुमानतः कितना माल चोरी हुआ और वह अनुमानतः कितने मूल्य का है ; और

(ग) क्या सरकार ने वस्तु की चोरी के बारे में कोई जांच कराई है, यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और स्टाक के रख रखाव की पद्धति में यदि कोई त्रुटि हैं तो उसे दूर करने और चोरी के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों को दण्ड देने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली नगर पालिका तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण एशियाड 82 के लिए नये स्टेडियम बना रहे हैं। सीमेंट अथवा लोहे की चोरी की कोई वारदात केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित नहीं की थी। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सीमेंट की तथाकथित चोरी के 8 मामले सूचित किए हैं। 7 मामलों में सीमेंट 968 बोरे चोरी हुए आरोपित हैं। एक मामले में सीमेंट की मात्रा ज्ञात नहीं है।

(ग) सीमेंट की तथाकथित चोरी के मामलों की पुलिस जांच कर रही है। निर्माण अभिकरणों ने सूचित किया है कि भवन निर्माण सामग्री की चोरी रोकने के लिए सभी संभव उपाय लिए जा रहे हैं। सीमेंट, गोदामों में दोहरे तालों में रखा जाता है। एक ताले की कुंजी हर समय विभागीय कर्मचारियों के पास रखती है। कार्य स्थलों पर निर्माण अभिकरण द्वारा निर्माण स्थलों पर उचित रखवाली का प्रबन्ध भी किया गया है।

बाबा खड़क सिंह मार्ग, नई दिल्ली पर शोर प्रदूषण

1072. **श्री पियूष तिरकी** : क्या निर्माण और आवास मत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली (गोल डाकखाना से राम मनोहर लोहिया अस्पताल तक) पर चलने वाले बसों/ट्रकों तिपहिए स्कूटरों आदि द्वारा जो शोर प्रदूषण होता है, वह नई दिल्ली क्षेत्र में सबसे अधिक है ;

(ख) क्या उस क्षेत्र के निवासियों पर शोर प्रदूषण के प्रभाव का अध्ययन किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस क्षेत्र में शोर प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) भारत सरकार को इसका पता नहीं है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अखिल भारतीय स्थानीय शासन और शहरी विकास परिषद् की बैठक

1073. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अखिल भारतीय स्थानीय शासन एवं शहरी विकास परिषद की एक बैठक और स्थानीय शासन एवं शहरी विकास की केन्द्रीय परिषद की सातवीं बैठक तथा अखिल भारतीय महापौर परिषद की कार्यकारी समिति की एक बैठक 29 और 30 दिसम्बर, 1980 को हुई थी और यदि हाँ, तो इन बैठकों में क्या निर्णय लिए गए थे और क्या बैठकों में लिए गए निर्णयों के ब्यौरे की एक प्रति सभा पटल पर रखी जायेगी तथा अब तक कितने निर्णयों को कार्यान्वित किया जा चुका है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश में इस समय कस्बों छोटे बड़े नगरों में काम कर रहे स्थानीय स्वशासन संस्थायें/निकाय अपना कार्य ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हैं जिससे बड़े पैमाने पर गन्दगी, संड़न और बायु प्रदूषण फैल रहा है ; और

(ग) यदि हां, तो इन सब पर नियंत्रण रखने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई योजना का ब्यौरा क्या है और इस योजना को कैसे कार्यान्वित करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। इस बैठक में 15 संकल्प पारित किए गए थे जो कि मोटे तौर पर गन्दी बस्ती समस्या, छोटे तथा मध्यम नगरों के विकास पर्यावरणीय अनुरक्षण, ग्रामीण आवास योजनाओं तथा स्थानीय निकायों आदि की बरखास्तकी से सम्बन्धित थे । ये संकल्प सभी राज्य सरकारों तथा संघ राज्यों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेज दिए गए थे । भारत सरकार से संबंधित संकल्पों की आगामी कार्यवाही हेतु जांच की जा रही है ।

(ख) तथा (ग) स्थानीय स्वायत्त शासन राज्य का विषय होने के कारण स्थानीय निकायों के कार्य राज्य विधान के आधार पर नियंत्रित किये जाते हैं । तथापि, सरकार स्थानीय

निकायों के कार्य में सुधार की आवश्यकता का महत्व समझती है। स्थानीय निकायों की समस्याओं पर स्थानीय शासन तथा नगरीय विकास की केन्द्रीय परिषद, नगर निगमों के सम्मेलन आदि जैसी विभिन्न सभाओं में विचार किया जाता है। एक लाख से कम जनसंख्या वाले 200 नगरों के एकीकृत विकास के उन्नयन के लिए छोटे और मध्यम नगरों के विकासार्थ केन्द्र द्वारा प्रवर्तित एक योजना चालू की गई है। वायु प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण हेतु एक अधिनियम 16.5.1981 से लागू हो गया है।

पश्चिम बंगाल को चीनी की कम सप्लाई

1074. **श्री सोमनाथ चटर्जी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि पश्चिम बंगाल राज्य में चीनी की सप्लाई आवंटित मात्रा से लगातार कम पहुंच रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो 1980 में लेवी चीनी की महीनेवार सप्लाई क्या थी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) पश्चिमी बंगाल में कुछ महीनों में चीनी की आमद राज्य के लेवी चीनी के मासिक कोटे के आवंटन से कम थी। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम को काफी दूर स्थित अभिशेष महाराष्ट्र राज्य से पश्चिमी बंगाल में विभिन्न गंतव्य स्थानों को लेवी चीनी भेजनी होती है इसलिए पर्याप्त संख्या में वैगनों के उपलब्ध होने में बाधा पड़ने के कारण कुछ अवसरों पर संचलन सम्बन्धी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि भारतीय खाद्य निगम को चीनी का पर्याप्त पाइप लाइन/परिचालन-स्टाक भी दिया गया है इसलिए निगम जो चीनी राज्य में आती है उसमें से और राज्य में इसके स्टाक में पहले से ही पड़े पाइप लाइन स्टाक से राज्य सरकारों (पश्चिमी बंगाल सहित), को चीनी की सप्लाई की व्यवस्था करता है।

(ग) दिसम्बर, 1979 के मध्य में भारतीय खाद्य निगम द्वारा वितरण संबंधी कार्य हाथ में लेने पर परिचालन/संचलन संबंधी अड़चनों, फैक्ट्रियों के साथ मुकदमों आदि के कारण प्रारंभ में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जिसके फलस्वरूप जनवरी, से मई, 1980 के शुरू के महीनों में कम सप्लाई हुई थी। उसके बाद, चीनी की सप्लाई में पर्याप्त सुधार हुआ था जोकि 1980 में भारतीय खाद्य निगम द्वारा लेवी चीनी के मासवार सप्लाई के निम्नलिखित आंकड़े से विदित होगा :

(मीटरी टन)

मास	आवंटित मात्रा	सप्लाई की गई मात्रा
जनवरी, 1980	21994·0	—
फरवरी, 1980	22015.3	1682
मार्च, 1980	22018.5	9078

अप्रैल,	1980	22018.5	14318
मई,	1980	22018.5	16923
जून,	1980	22018.5	25107
जुलाई,	1980	22018.5	25770
अगस्त,	1980	22018.5	20663
सितम्बर,	1980	22018.5	18892
अक्तूबर,	1980	22017.1	27068
नवम्बर,	1980	22017.1	18150
दिसम्बर,	1980	22017.1	17302

बम्बई में भीड़-भाड़ कम करना

1075. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें मालूम है कि बम्बई बहुत ही भीड़-भाड़ वाला शहर है और उसकी भीड़ भाड़ कम करने की आवश्यकता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बम्बई के हित में केन्द्रीय सरकार के अनेक कार्यालयों को बम्बई से नई बम्बई में स्थानान्तरित करना ठीक होगा ; और

(ग) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां । परन्तु यह राज्य का विषय है ।

(ख) **और (ग)** न्यू बम्बई में कार्यालयों को चलाने के लिए सामाजिक, भौतिक तथा अन्य आवश्यक अपसंरचनात्मक सुविधाओं के उपलब्ध हो जाने के बाद यदि आवश्यक हुआ तो बम्बई से केन्द्रीय सरकारी कार्यालयों को नवीन बम्बई में स्थानान्तरित करने के लिए विचार किया जाएगा । इस बारे में भारत सरकार के अनुमोदन के लिए राज्य सरकार को एक एकीकृत कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है ।

रोहणी परियोजना के अन्तर्गत पंजीकरण

1076. **श्री तारिक अनवर** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोहिणी परियोजना के अन्तर्गत पंजीकरण कराने की आखिरी तारीख को गुजरे बहुत समय हो चुका है ;

(ख) यदि हाँ, तो आवेदकों को भूमि आबंटित करने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ग) आवेदकों को कब तक उनकी भूमि का कब्जा दिए जाने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) तथा (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि विकास कार्य पहले ही प्रगति पर है । 1981-82 के दौरान, लगभग 15,000 प्लाट आबंटन हेतु तैयार हो जाने की सम्भावना है बशर्ते कि अपेक्षित भवन निर्माण सामग्री उपलब्ध हो । तथापि, आबंटितियों द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद प्लाटों का कब्जा दिया जाएगा ।

दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां

1077. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि दिल्ली में अनधिकृत बस्तियां लगातार बनती जा रही हैं; यदि हाँ, तो दिल्ली में इस समय अनधिकृत बस्तियों की संख्या कितनी है तथा क्या इन अनधिकृत बस्तियों को समाप्त करने के लिए कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मौजूदा नीति के अनुसार, सरकार ने गैर-सरकारी भूमि पर मौजूद इस प्रकार की अनधिकृत कालोनियों को ही नियमित करने का निर्णय लिया है। इनमें क्रमशः 30.6.77 और 16.2.77 तक की रिहायशी एवं वाणिज्यिक संरचनाएं शामिल हैं । दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि 612 अनधिकृत कालोनियां हैं जिन्हें सरकारी आदेशानुसार नियमित किया जाना है ।

सरकार ने यह भी अनुदेश जारी कर दिए हैं कि यह किसी गतिविधि को या किसी व्यक्ति की कार्रवाई को अथवा नई संरचनाएं स्थापित करने को प्रोत्साहित नहीं करेगा चाहे ये मौजूदा अनधिकृत कालोनियों में हों या दिल्ली की नगरीकरण योग्य सीमाओं के भीतर अथवा वाह्य किसी अन्य क्षेत्रों में हों । दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि उन अनधिकृत निर्माणों के विरुद्ध कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है जो सरकारी आदेशानुसार नियमितीकरण के योग्य नहीं है ।

सब्जियों और फलों का वाणिज्यिक उत्पादन

1078. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दिल्ली नगर में खपत के लिए पूर्णतः सब्जियों और फलों के वाणिज्यिक उत्पादन हेतु दिल्ली के आसपास भूमि निश्चित करने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) दिल्ली के आस पास की भूमि को पूर्णतः फलों तथा सब्जियों के उत्पादन के लिए निश्चित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दिल्ली, सहित बड़े शहरों के आस पास आंतरिक खपत और निर्यात करने के लिए सब्जियों की सघन खेती करने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित योजना का प्रमुख ब्यौरा इस प्रकार है :—

(1) योजना वर्तमान रूप में 5 बड़े तथा 10 मध्यम आकार के शहरों में चलाई जाएगी, जिसमें 60-70 हजार किसान शामिल होंगे।

(2) इसके तहत लगभग 25,000 हैक्टार क्षेत्र को लाया जाएगा, जिससे 7.5 लाख मीटरी टन अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त होगा।

(3) उत्पादकों को प्रारंम्भिक स्तर पर 300-400 कृषकों के उपयुक्त वर्गों में प्रत्येक समिति/शहर के लिए उत्पादक ऋण तथा विपणन सहकारी समितियों में संगठित किया जाएगा।

(4) निर्यात के लिए बेहतर किस्म की सब्जियों के उत्पादन पर विशेष बल दिया जाएगा, जिसके लिए उन्नत किस्मों की सब्जियों के बीज, उर्वरकों, वनस्पति रक्षण उपायों तथा फसल कटाई से पूर्व और बाद के प्रबन्ध के लिए कारगर सुविधाएं दी जायेंगी। संग्रह, सफाई, श्रेणीकरण, पैंकिंग, आदि सहित कटाई के बाद के प्रबन्ध पर मुख्य बल दिया जाएगा।

(5) सब्जियों की पौद की सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए 100 सामुदायिक नर्सरियां स्थापित करने का प्रस्ताव है।

कर्नाटक में सूखा

1079. **श्री टी. आर. शमन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक के कौन कौन से क्षेत्र गत दो वर्षों के दौरान सूखे से प्रभावित रहे ; और

(ख) कर्नाटक में सूखा-राहत के लिए कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनायन) : (क) कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुई जानकारी के अनुसार, 1980-81 और 1981-82 के दौरान बंगलौर, बेलगाव, बीजापुर, बेलारी, बिदर, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर धारवाड़, गुलबर्ग, हस्सन, कोलार, भांडया, मैसूर, रायचूर तथा तुमकुर जिले और चालू वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान जिला शिमोगा सूखे से प्रभावित हुए।

(ख) केन्द्रीय दलों, जिन्होंने कर्नाटक का एक दौरा 1980-81 में और फिर 1981-82 में किया, की सिफारिशों के आधार पर, कर्नाटक में सूखा राहत कार्य के लिए 1980-81 में 665 लाख रुपए और 1981-82 में 806 लाख रुपए के अधिकतम व्यय की मन्जूरी दी गई थी।

सहकारी आवास समितियां, दिल्ली

1080. **श्री कुंवर राम** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितनी सहकारी आवास समितियां हैं ;

(ख) उनमें से कितनी समितियों का कार्य सफल सिद्ध हुआ है ; और

(ग) ऐसी कौन कौन सी समितियां हैं जिनके विरुद्ध कदाचार, भ्रष्टाचार अथवा अनियमितताओं में लिप्त रहने के कारण कानूनी कार्यवाही की जा रही है अथवा की जानी अपेक्षित है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली के सहकारी समिति पंजीकार के अनुसार, दिल्ली में 824 पंजीकृत सहकारी आवास समितियां हैं।

(ख) इनमें से 727 सक्रिय सहकारी आवास समितियां है तथा 97 समापन आधीन हैं।

(ग) एक विवरण संलग्न हैं।

विवरण

एक सांविधिक जांच के निष्कर्षों के परिणाम स्वरूप दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति लि० के भूतपूर्व सचिव तथा कोषाध्यक्ष के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही आरम्भ की गई है।

सहकारी आवास समितियों जिनकी प्रबन्ध समितियां समापनाधीन है

1. सर्वहितकारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि० 2. लेबर सहकारी गृह निर्माण समिति लि० 3. गुजरांवाला सहकारी गृह निर्माण समिति लि० 4. कालका जी वेस्ट फंण्ड गृह निर्माण सहकारी समिति लि०।

वे सहकारी आवास समितियां जिनके मामले में सांविधिक जांच के आदेश दिए गए हैं।

1. टाइम्स आफ इण्डिया सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
2. दिल्ली यूनियन आफ जर्नलीस्ट सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
3. प्रैस एसोशिएसन सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

4. गुंजरावांला सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

5. कल्याण सहकारी गृह निर्माण आवास समिति लि०

6. डी. आई. खान सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

7. लेबर सहकारी गृह निर्माण समिति लि ०

8. न्यू फ्रैण्डस सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

9. राजधानी सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

10. शक्ति सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

11. नव केतन सहकारी गृह निर्माण समिति लि० ।

कृषि क्षेत्र में उत्पादन

1081. **श्री आर. के. महालगी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में 24 लाख बड़े फार्मों, जो10 हैक्टेयर या इससे बड़े हैं, में से 80 प्रतिशत, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब और हरियाणा में हैं तथा उनके राज्यवार आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश , बिहार, पश्चिम बंगाल को शामिल करने वाले गंगा के मैदान में औसत 1 हैक्टेयर के फार्म हैं इसमें भी 70 प्रतिशत से अधिक 0.4 हैक्टेयर से छोटे हैं ;

(ग) क्या गंगा के इस मैदानी क्षेत्र के छोटे किसानों को सहायता करने के लिए किन्हीं खास कदमों पर सरकार विचार कर रही है ताकि फार्म क्षेत्र के उत्पादन लक्ष्य तक पहुंचा जा सके ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी परिभाषा क्या है और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं । वास्तव में यह 78.4 प्रतिशत है । जोतों का राज्यवार ब्यौरा इस प्रकार है :—

राज्य		10 हैक्टेयर तथा अधिक की प्रचालनात्मक जोतों की संख्या (हजारों में)
1.	राजस्थान	506
2.	महाराष्ट्र	426
3.	मध्य प्रदेश	455
4.	गुजरात	194

5.	कर्नाटक	199
6.	पंजाब	61
7.	हरियाणा	72

(ख) यह सही है कि उत्तर प्रदेश, बिहार तथा पश्चिम बंगाल में औसत फार्म जोत करीब एक लाख हैक्टैयर है । चूंकि हमारी कृषि संगणना में 0.4 हैक्टयर श्रेणी के आकार के आंकड़े उपलब्ध नहीं है, अतः प्रश्न के दूसरे भाग की पुष्टि करना संभव नहीं है ।

(ग) उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उत्पादन बढ़ाने की सरकार की समग्र नीति के तहत कई योजनाएं चल रही हैं, जिनके लाभ छोटे किसानों को भी मिल रहे हैं । इसके अलावा समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत छोटे किसानों को राज्य-सहायता आदि के विशेष लाभ भी उपलब्ध हैं ।

(घ) समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के तहत छोटा किसान वह किसान है, जो 5 एकड़ या उससे कम जोत वाली भूमि पर बुआई करता है । तथापि, भूमि कर किस्म और यह सिंचित है या नहीं, को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकारों ने ऐसे लाभों के लिए छोटे किसानों का निर्धारण करने के लिए उचित परिवर्तन अनुपात पद्धति अपनाई है ।

राजस्थान में बाढ़ के कारण नुकसान

1082. **श्री वृद्धि चन्द जैन :**

श्री नवल किशोर शर्मा :

आचार्य भगवान देव :

श्री जय नारायण रौत : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में भारी वर्षा और बाढ़ से जिलेवार, जान-माल का कितना नुकसान हुआ है ;

(ख) यहां पर हुए नुकसान का अध्ययन करने के लिए केन्द्र सरकार की ओर से अध्ययन दल भेजे जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) लोगों की बाढ़ से रक्षा करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को अब तक कितनी राशि की सहायता उपलब्ध की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त ज्ञापन के आधार पर एक विवरण संलग्न है, जिसमें बाढ़ तथा भारी वर्षा के कारण राजस्थान में जिलेवार जान तथा माल का नुकसान दिखाया गया है ।

(ख) तथा (ग) राजस्थान सरकार से केन्द्रीय सहायता मांगने का ज्ञापन केवल 19 अगस्त, 1981 को प्राप्त हुआ है। केन्द्रीय दल, जिसका गठन किया जा चुका है, शीघ्र ही राज्य का दौरा करेगा।

केन्द्रीय दल का दौरा होने तक भारत सरकार ने 6 अगस्त, 1981 को राजस्थान को अग्रिम अदायगी के रूप में 5 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

राज्य के लिए बाढ़ नियंत्रण संबंधी निर्माण-कार्यों हेतु छठी योजना का परिव्यय 1775 लाख रुपये है। 1981-82 के लिए स्वीकृत परिव्यय 355 लाख रुपए है।

विवरण

राजस्थान में बाढ़ तथा भारी वर्षा के कारण जिलेवार जान तथा माल के नुकसान को प्रदर्शित करने वाला विवरण

कम सं०	जिले का नाम	प्रभावित जन संख्या	मानव क्षति		मृत पशु	पूर्णत /आंशिक रूप में क्षतिग्रस्त गैर-सरकारी घरों (कच्चे) की संख्या	आंशिक/(पूर्ण) रूप से क्षतिग्रस्त गैर-सहकारी पक्के घरों की संख्या
			मृत	खोये			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टोंक	47295	32	70	2926	7184	394
2.	नागोर	37582	1	—	1830	3763	1286
3.	बीकानेर	73084	6	—	—	1444	576
4.	जयपुर + जयपुर शहर	317138	90	154	24101	44419	3179
5.	भरतपुर	168000	2	—	112	2207	25
6.	सीकर	7312	3	—	35	743	301
7.	बूंदी	761	—	—	—	326	—
8.	गंगानगर	650	—	—	—	130	—
9.	सवाई मधोपुर	136827	7	2	4426	6635	64
10.	कोटा	—	—	—	—	193	2
		788649	141	226	33430	97054	5857

क्र० सं०	जिले का नाम	जलाशयों तथा बांधों की क्षति		बाढ़ से क्षतिग्रस्त सस्यगत क्षेत्र लाख) हैक्टार)	कृषि के अलावा अन्य क्षति-ग्रस्त भूमि हैक्टार	क्षतिग्रस्त कुओं की संख्या	क्षतिग्रस्त पम्पसैटों की संख्या	आंशिक/पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त भवन	
		सिंचाई जलाशयों/ बाधों की संख्या	पंचायत/पंचायत समिति जलाशयों की संख्या					सरकारी भवनों की संख्या	अर्ध-सहकारी भवनों की संख्या
1.	2.	9.	10.	11.	12.	13.	14	15.	16.
1.	टोंक	58	48) 161)	0.63	9500	676	200	22	—
2.	नागोर	29	—	0.31	3768	290	20	68	46
3.	बीकानेर	—	—	—	—	—	—	25	—
4.	जयपुर+जयपुर शहर	161	308	0.84	115)00	13892	1133	10418	—
5.	भरतपुर	71	6	0.10	3500	312	8	32	—
6.	सीकर	6	13	0.01	1300	113	—	35	36
7.	बूंदी	14	—	—	—	—	—	—	—
8.	गंगानगर	—	—	—	—	—	—	—	—
9.	सवाई मधोपुर	36	267	0.59	4000	316	110	66	2
10.	कोटा	25	—	—	—	—	—	4	1
		400	803	2.48	137058	15599	1471	10670	85

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के माध्यम से तेल मिल की व्यवस्था के लिए मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में डी. आई. आर. योजना

1083. **डा० वसन्त कुमार पण्डित** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत चालित तेल मिल (घानी) की व्यवस्था करने के लिए मध्य प्रदेश में राजगढ़ जिले में डी. आई. आर. योचना चालू है ;

(ख) यदि हां, तो 1977 से 1981 तक इस योजना से कितने लोगों को लाभ हुआ है ;

(ग) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा मामलों की सिफारिश की जाती है तथा ब्याज की दर 4 प्रतिशत है ;

(घ) क्या ऋण पर राज सहायता दी जाती है ;

(ङ) यदि हाँ, तो योजना आरम्भ होने के पश्चात, कितने व्यक्तियों को खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की सिफारिश पर बोर्ड की सिफारिश के बिना राज सहायता दी गई है ;

(च) क्या किसानों को (1) विद्युत बोर्ड द्वारा बिजली का अतिरिक्त शुल्क लिए जाने तथा (2) स्टेट बैंक आफ इंडिया, सारंगपुर द्वारा 12½ प्रतिशत ब्याज लिए जाने के कारण किसानों को कठिनाई हो रही है ; और

(छ) किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (च) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम में शामिल की गई विद्युत चालित घानियों की किस्म की घानियां डी. आई. आर. योजना के अन्तर्गत उपलब्ध वित्तीय सहायता की सीमा में आरम्भ नहीं की जा सकती हैं। तथापि, आयोग राज्य खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्य से विद्युत चालित घानियों की स्थापना हेतु तेलियों को सहायता देता है। 1977-78 से 1979-80 तक की अवधि के दौरान मध्य प्रदेश में कुल 188 विद्युत चालित घानियां स्थापित की गई थी। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अपने विभिन्न उद्योगों जिसमें विद्युत चालित घानियां भी शामिल हैं, केलिए निर्धारित वित्तीय सहायता के प्रतिमान के अन्तर्गत बैंक द्वारा कर्जदारों से वसूली गई ब्याज की दर तथा 4 प्रतिशत के बीच का अंतर उन उद्यमियों, जो ऐसे उद्योग स्थापित करते हैं, को उपदान के रूप में दिया जाता है।

सेवा निवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों की पुत्र वधु को सरकारी आवास का आवंटन किया जाना

1084. **श्री टी० एस० नेगी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उन सरकारी अधिकारियों के, जिनके पास दिल्ली में अपने मकान नहीं हैं, पुत्रों तथा पुत्रियों का सरकारी आवास आवंटित करने के आदेश हाल में जारी किए हैं ;

(ख) क्या पुत्रवधुओं को इस तरह की रियायतों में शामिल नहीं किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार इस रियायत पर पुत्रबधुओं को इसका लाभ देने के दृष्टिकोण से पुनर्विचार करेगी ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां ?

(ग) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राजस्थान में जल सप्लाई और मल निकास (सी वेज) परियोजना के कार्यान्वयन के लिये विश्व बैंक की वित्तीय सहायता

1085. **श्री जय नारायण रौत** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्व बैंक राजस्थान में जल सप्लाई और मल निकास परियोजना को कार्यान्वित करने के लिये वित्तीय सहायता देने हेतु सहमत हो गया है ; और

(ख) यदि हां तो इस बारे में विस्तृत ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) अजमेर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, झुनझुनू, जोधपुर, कोटा, नागौर, पाली, और सीकर के 10 जिलों के लगभग 2000 गांवों में ग्रामीण जलपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए 137.69 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की जलपूर्ति एवं मल-व्ययन परियोजना तथा चार शहरों (जयपुर, जोधपुर, कोटा और बीकानेर) में जलपूर्ति में सुधार करने और उसका विस्तार करने एवं 3 शहरों (जयपुर, जोधपुर और बीकानेर) में मल-जल प्रणाली का विस्तार करने के बारे में विश्व बैंक की 800 लाख अमेरिकी डालर के लिए समझौता किया गया है। करारनामों पर 3. 6. 1980 को हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। इस परियोजना को पांच वर्ष की अवधि में पूर्ण किया जाना है ।

राजस्थान नहर के लिए निर्माण सामग्री

1086. **श्री अशोक गहलोत** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि सीमेन्ट, कोयला इत्यादि की सप्लाई की कमी के कारण राजस्थान नहर परियोजना के निर्माण कार्य में बड़ी भारी रुकावट आई है ;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये सीमेन्ट और कोयले की सप्लाई बनाये रखने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) यदि कोई कदम नहीं उठाये गये हैं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) राजस्थान सरकार ने सूचित किया था कि हाल के वर्षों में राजस्थान नहर परियोजना के कार्य को कोयले की कमी के कारण धक्का पहुंचा है, जिसकी आवश्यकता नहर प्रणाली को लाईनिंग में टाइलों को पकाने के लिए पड़ती है। परियोजनास्थल तक कोयले की ढुलाई के लिए रेलवे वेगनों के उपलब्ध न होने से कोयले की कमी पैदा हो गई थी। कोयले की अत्यधिक कमी होने से लाईनिंग कार्य की गति मन्द पड़ने के कारण अभी तक सीमेन्ट की कमी महसूस हुई है। केन्द्रीय सरकार ने कोयले की प्राथमिकता के आधार पर परियोजना स्थल तक ढुलाई के लिए रेलवे वेगनों की व्यवस्था करने में राज्य सरकार की मदद की है जिसके फलस्वरूप कोयले की सप्लाई में सुधार हुआ है। जहां तक सीमेन्ट का संबंध है, उसकी कमी देशव्यापी है। लेकिन यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि सीमेन्ट कारखाने सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं को न्यूनतम आवश्यकताओं के अनुसार कोटा रिलेज करें।

(ग) यह सवाल पैदा नहीं होता।

अनाज की बर्बादी

1087. **श्री बी० के० गधावी** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि अनाज के गहाने के स्थान से लेकर बाजार और उसके गोदामों में रखे जाने तक 10 प्रतिशत अनाज बर्बाद हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निवारक कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ;

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में बर्बादी का अनुपात क्या है ; और

(घ) यदि बर्बादी को रोका जाये तो क्या हम वसूली लक्ष्य की कमी को दूर कर सकते हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) देश भर में अनाज गहाने के स्थान से लेकर बाजार और उसके गोदामों में रखे जाने तक होने वाली बर्बादी के विश्वसनीय अथवा ठीक ठीक अनुमान उपलब्ध नहीं हैं। तथापि, देश में विभिन्न राज्यों में और व्यक्तिगत जिन्सों के लिए फसल की कटाई के बाद गुणात्मक और मात्रात्मक क्षति सम्बन्धी विश्वसनीय आंकड़े अभी इकट्ठे किये जाते हैं।

(ख) गोदामों में खाद्यान्नों की क्षति रोकने के लिए निम्नलिखित पग उठाये जाते हैं ;

1. निर्माण करवाये गए गोदाम चूहों, दीमक और सीलन से सुरक्षित होते हैं।

2. वर्षा के पानी की रिसन को रोकने के लिए मानसून शुरू होने से पहले गोदामों का निरीक्षण किया जाता है और उनकी मरम्मत करवाई जाती है।

3. अनाज की कीटाणुओं चूहों और पक्षियों से सुरक्षा करने के लिए कीट नियन्त्रण के आधुनिक वैज्ञानिक उपाय किए जाते हैं।

4. खाद्यान्नों का नियतकालिक निरीक्षण करने और उनकी उचित देख-भाल करने के लिए योग्यता प्राप्त और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाफ तैनात किया जाता है।

पर्याप्त ढ़के हुए भण्डारण स्थान की कमी के कारण भारतीय खाद्य निगम को कुछेक केन्द्रों पर कैप स्टोरेज का आश्रय लेना पड़ा था और ऐसे गोदामों में अनाज रखते समय भण्डारण सम्बन्धी क्षति को कम करने के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जाती है जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :

1. खाद्यान्नों की बोरियों को लकड़ी के क्रेटों पर रखा जाता है और विशेष ढ़ंग से तैयार करवाये गए पोलीथीन के कवरों से उसे ढ़का जाता है।

2. अन्धड़ आदि के कारण क्षति को रोकने के लिए पोलीथीन कवरों को अच्छी तरह फैलाकर नाइलोन के रस्सों से बांध दिया जाता है खाद्यान्नों को मौसम के प्रकोप से बचाने के लिए अतिरिक्त सावधानी के रूप में जाल और कवर टाप भी सुलभ किए जाते हैं।

3. खाद्यान्नों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए साफ मौसम के दौरान कवर उठा लिये जाते हैं और उन्हें खुली हवा लगने दी जाती है।

4. स्टाक का निरीक्षण करने, स्वीकृत रसायनिक कीट नाशक दवाइयों और सही प्रधूमको से उनका उपचार करने के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं।

5. किसानों को भण्डारण के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देने, उन्हें अपनाने के लिए प्रेरित और राजी करने के लिए देशव्यापी अन्न सुरक्षा अभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है ताकि किसान स्तर पर भण्डारण सम्बन्धी क्षति को बहुत ही कम किया जा सके।

(ग) भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों की क्षति को बहुत ही कम करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कर खाद्यान्नों का परिरक्षण करता है।

यह क्षति नाम मात्र रही है जोकि 1976-77 में 0.7 प्रतिशत, 1977-78 में 0.9 और

1978-79 में 1.0 प्रतिशत थी। यह क्षति बेचे गये खाद्यान्नों की मात्रा पर आधारित होती है।

(घ) भण्डारण क्षति को रोकने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसा करने से जो बचत होगी उससे खाद्यान्नों की अधिक मात्रा उपलब्ध होगी जिससे वसूली से प्राप्त मात्रा में कमी को कुछ हद तक पूरा किया जा सकेगा।

लोधी रोड, नई दिल्ली में जल आपूर्ति

1088. **श्री अनवर अहमद :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लोधी रोड, नई दिल्ली के सरकारी क्वार्टरों में पूरे वर्ष जल आपूर्ति की बहुत कमी रहती है, यदि हाँ तो यह कब से है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कुछ वर्ष पहले जल आपूर्ति पर्याप्त थी, यदि हां, तो सुधार के बजाय स्थिति बिगड़ने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या लोधी रोड वाटर लाइन की क्षमता बढ़ाए बिना ही इस लाइन से प्रगति विहार को जल की आपूर्ति की जाने लगी जिसके परिणामस्वरूप लोधी रोड को नुकसान हो रहा है ; और

(घ) क्या लोधी रोड में पानी की ऊपर की टंकी बनाने से समस्या का समाधान हो सकता है, यदि हां तो क्या यह बात सरकार के विचाराधीन है ; और

(ङ) यदि हां, तो लोधी रोड में जल आपूर्ति को सुधारने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और कब तक ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। तथापि लोधी रोड के कुछ हिस्सों में गर्मियों के महीनों में पानी की कुछ कमी महसूस की जाती है।

(ख) नई दिल्ली नगरपालिका और दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि जलपूर्ति की स्थिति में कोई कमी नहीं आयी है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) तथा (ङ) लोधी रोड में उपरि पानी की टंकी बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यद्यपि, नई दिल्ली नगर पालिका बूस्टिंग प्रबन्ध सहित 7.5 लाख गैलन की क्षमता का एक भूमिगत टैंक बना रही है। इसके चालू होने से, लोधी कालोनी क्षेत्र की जलपूर्ति की स्थिति में आगे और सुधार होगा जो कि इस टंकी से पानी प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में से एक मुख्य क्षेत्र है।

अजमेर की बनास नदी योजना

1089. **आचार्य भगवान देव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अजमेर में हाल ही के वर्षों में जनसंख्या दुगनी होने के कारण पीने के पानी के बढ़ते अभाव को ध्यान में रख कर बनास नदी योजना को क्रियान्वित करने का प्रयास करेगी ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत अभी तक कितना कार्य हुआ है और कितना कार्य करना बाकी है ; और

(ग) कब तक बकाया काम पूरा होने की और अजमेर की पीने के पानी की कमी दूर होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) पेय जल की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है जिन्हें विभिन्न योजनाओं के शीघ्रता से कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित कदम उठाने होते हैं। राजस्थान सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार अजमेर के लिए 492 लाख रुपये की लागत की द्वितीय पुनः संगठन जलपूर्ति योजना निष्पादनाधीन है और मार्च 1982 तक इसके कार्य आरम्भ करने की सम्भावना है। इस योजना में बनास नदी के धरातल में अन्त स्पंदन गैलरियों का निर्माण किया जाना है और इससे वर्तमान जल पूर्ति की मात्रा में प्रतिदिन 32 लाख गैलन की वृद्धि की सम्भावना है।

इसी दौरान दिसम्बर, 1980 में 14.65 लाख रुपए की लागत की एक आपातकाल जल पूर्ति योजना भी मंजूर की गई थी। इस योजना का प्रयोजन सन्दला और चतरी और शहर में भी नये नलकूपों का निर्माण करके जलपूर्ति में वृद्धि करना है। इसके अलावा आनासागर झील से पेय जल पूर्ति के वर्तमान प्रबन्धों में भी वृद्धि किये जाने का प्रस्ताव है।

गन्ने की खेती

1090. **श्री राजेश पाइलट** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में गन्ने का प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्यूबा में प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन से बहुत कम है यदि हां, तो इसके आंकड़े और कारण क्या है ?

(ख) क्या भारत में प्रति क्विंटल गन्ने से चीनी का उत्पादन क्यूबा की अपेक्षा बहुत कम है ; यदि हां, तो इसके आँकड़े और कारण क्या है ; और

(ग) पिछले पांच वर्षों में सरकार ने उपर्युक्त उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं और उनके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्ननिर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, नहीं। नवीननतम उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रीय आंकड़ों से पता चलता है कि भारत में गन्ने की औसत उपज 53.6 मीटरी टन प्रति हैक्टार है, जबकि क्यूबा में यह 43.8 मीटरी टन प्रति हैक्टार है इस प्रकार क्यूबा की तुलना में भारत में गन्ने की प्रति हैक्टार औसत उपज अधिक है।

(ख) जी, हां। क्यूबा में प्रति क्विंटल गन्ने (वसूली प्रतिशतता) से शर्करा की औसत उपज लगभग 14.0 है, जबकि यह भारत में 9.8 है। क्यूबा में वसूली बेहतर है, क्योंकि (एक) उस देश में मौसम की अनुकूल परिस्थितियां है, जिसके परिणामस्वरूप गन्ने में अधिक शर्करा का संचय होता है, (दो) उत्पादित सारे गन्ने का उपयोग सफेद शर्करा के निर्माण हेतु किया जाता है तथा प्रति इकाई क्षेत्र में सफेद शर्करा के उत्पादन में सुधार लाने के लिए सभी सम्भव प्रयास किये जाते है, (तीन) वहां रोगों तथा कीटों की कोई समस्या नहीं है तथा (चार) इसका एक कारण भुगतान की विधि भी है, जो कि क्यूबा में गन्ने की संचित शर्करा के अंश पर आधारित है, जबकि भारत में भुगतान की विधि 8.5 प्रतिशत की न्यूनतम सांविधिक वसूली से अधिक की वसूली के लिए प्रोत्साहन देने के साथ गन्ने के भार पर आधारित है। भारतीय गन्ने में वसूली की प्रतिशतता में सुधार लाने के लिए देश में गन्ना उत्पादक इस समय, प्रति इकाई क्षेत्र में शर्करा की अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास पर बल दे रहे है। इस प्रकार की हाल में विकसित किस्में पंजाब में सी. ओ. जे. 64 तथा तमिलनाडु में सी. ओ. सी. 671 है, जिनसे वसूली में एक से दो इकाईयों तक वृद्धि हुई है।

(ग) भारत सरकार ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1975-79) के दौरान 802 लाख रुपए के परिव्यय से गन्ने के विकास के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना शुरू की है। योजना में ये व्यवस्थायें हैं : (एक) आगे और वृद्धि करने के लिए नर्सरियों में रोग-मुक्त बीज गन्ने का उत्पादन करना (दो) वनस्पति तथा पेड़ी फसलों के लिए वनस्पति संरक्षण उपाय करना, (तीन) उन्नत विधियों का प्रदर्शन, तथा (चार) विकास में लगे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देना आदि।

1975-76 में स्कीम शुरू करने के समय गन्ने का उत्पादन 1406 लाख मीटरी टन था तथा प्रति हैक्टार उपज स्तर 50.96 मीटरी टन था। वर्ष 1980-81 के दौरान 1523 लाख मीटरी टन के उत्पादन तथा प्रति हैक्टार लगभग 57.46 मीटरी टन के उपज स्तर का अनुमान है।

नियन्त्रित मूल्य के दुकानों के मालिकों को प्रताड़ित किया जाना

1091. **श्री शिबू सोरेन** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन सालों में दिल्ली कैंट की खास कर सदर बाजार क्षेत्र की नियंत्रित मूल्य की दुकानों की नागरिक आपूर्ति अधिकारियों ने कितनी बार जांच की और सदर बाजार दिल्ली कैंट मे कुल कितने नियंत्रित मूल्य की दुकानें हैं ;

(ख) क्या इन जांचों के दौरान कोई अवैध वितरण जानकारी में आए ;

(ग) यदि नहीं, तो हर बार एक ही दुकान को जांच को लक्ष्य बनाने के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या अधिकारी नियंत्रित मूल्य के दुकान के मालिक को कैंट क्षेत्र से बाहर रहने वाले और सदर क्षेत्र वालों की झूठी शिकायतों के आधार पर प्रताड़ित कर रहे हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस बाबत क्या कार्यवाही प्रस्तावित है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) व (ख) दिल्ली कैंट में स्थित 21 उचित दर की दुकानों में से 5 उचित दर की दुकानें सदर बाजार क्षेत्र में स्थित हैं। गत तीन वर्षों के दौरान इन दुकानों की 24 बार जांच की गई। इनमें से सदर बाजार स्थिति 5 दुकानों की 10 बार जांच की गई।

(ग) व (घ) जब कभी कोई शिकायत मिलती है, उचित दर की दुकानों की जांच अवश्य की जाती है। यह तथ्य कि ऐसी शिकायत झूठी है अथवा सच्ची, केवल जांच करने के बाद ही मालूम हो सकता है। किसी दुकान विशेष को बार-बार जांच करने का लक्ष्य नहीं बनाया गया है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में खाद्यान्न की कमी

1092. **श्री डी. पी. यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार राज्य में खाद्यान्न की कमी के बारे में कोई अनुमान/हिसाब लगाया गया है ;

(ख) गत पाँच वर्षों में भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से बिहार राज्य को खाद्यान्न की कितनी औसत सप्लाई की गई ; और

(ग) राज्य में खाद्यान्न की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) गत आठ वर्षों के अनुभव से पता चलता है कि केन्द्रीय पूल से राज्य को खाद्यान्नों की सप्लाई अधिकतर वर्षों में प्रति वर्ष 4.5 लाख मीटरी टन से लेकर 7.1 लाख मीटरी टन के बीच रही। इसके अतिरिक्त, सरकार द्वारा निर्बाध संचलन की अनुमति देने के कारण राज्य में तथा राज्य से बाहर खाद्यान्नों की कुछ मात्रा का भी संचलन किया गया था। इसको ध्यान में रखते हुए, कमी की मात्रा का स्पष्ट अनुमान देना सम्भव नहीं है।

(ख) विभिन्न राज्य सरकारों को खाद्यान्नों का आवंटन माह प्रतिमाह के आधार पर किया जाता है, जिसमें केन्द्रीय पूल में खाद्यान्नों की कुल उपलब्धि तथा राज्य सरकार से

खाद्यान्नों के लिए प्राप्त मांग को ध्यान में रखा जाता है। गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से बिहार को खाद्यान्नों की दी गयी मात्रा निम्न प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
1976		110.3
1977	45.1	422.9
1978	13.1	517.3
1979	35.3	614.3
1980	110.3	450.2
1981 (जुलाई तक)	68.3	236.7

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1984-85 में राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 128 लाख मीटरी टन रखा गया है। यह 1979-80 के 150 लाख मीटरी टन के अनुमानित आधार स्तर से 23 लाख मीटरी टन अधिक है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करके, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके, रासायनिक उर्वरकों की खपत को बढ़ाकर बीजों की किस्मों में सुधार करके, मृदा परीक्षण सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों का उपयुक्त प्रयोग करके, उन्नत वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाकर, उत्तम मृदा फसल तथा जल प्रबंध आदि के जरिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार है।

भारतीय वन प्रबंध संस्थान

1093. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना करने का है ;

(ख) इस संस्थान की स्थापना करने के पहले के प्रस्ताव को छोड़ देने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसकी स्थापना पर कितना व्यय होगा ; और

(घ) इसकी स्थापना का प्रयोजन क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

भोपाल, मध्य प्रदेश में संस्थान पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

(ग) 5 वर्ष की अवधि (१९८(-८९) में इसकी स्थापना पर कुल 1.75 करोड़ रुपए व्यय होगा ।

(घ) संस्थान की स्थापना का उद्देश्य निम्नलिखित है :—

(1) वानिकी तथा वनों से सम्बन्धित उद्योग एवं वाणिज्य में कार्यरत व्यक्तियों को प्रबन्ध एवं सम्बद्ध विषयों में प्रशिक्षण देना ताकि उन्हे प्रबन्धकीय व्यवसाय आदि में कुशल बनाया जा सके ।

(2) विशिष्ट एवं प्रतिभाशाली युवकों का चयन करके उन्हें वानिकी एवं वन से सम्बद्ध प्रणाली में प्रबन्ध दायित्व उठाने के लिए तैयार करना ;

(3) प्रशिक्षित उम्मीदवारों को डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य प्रशस्ति पत्र प्रदान करना और ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रशस्ति पत्र प्रदान करने से पहले कार्यक्षमता के मानक का निर्धारण करना ;

(4) वन प्रबंध सम्बन्धी साहित्य के अनुसंधान एवं प्रकाशन के माध्यम से वन प्रबन्ध की अद्यतन सूचना के सम्बन्ध में वानिकी तथा वन से सम्बन्धित उद्योग एवं वाणिज्य की आवश्यकता को पूरा करना ;

(5) देश में वानिकी के विकास के लिए उपयोगी प्रबन्ध एवं सम्बद्ध तकनीकों एवं पद्धतियों के उपयोग से सम्बन्धित मामलों में सहयोग करना, उनकी व्यवस्था करना तथा अनुसंधान करना ,

(6) नियमों तथा उपनियमों के अनुसार शिक्षावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार तथा पदकों की व्यवस्था करना तथा उन्हें प्रदान करना ;

(7) अवैतनिक सम्मान तथा अन्य उपाधियाँ प्रदान करना ;

(8) शिक्षकों, छात्रों का आदाद प्रदान करने तथा आमतौर पर परस्पर उद्देश्यों के अनुरूप तरीके अपनाकर विश्व के किसी भी भाग की शिक्षण एवं अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना, जिनके उद्देश्य पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से इस संस्थान के समान हों ।

नारियल का उत्पादन

1014. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यवार देश में नारियल का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में नारियल का उत्पादन घटता जा रहा है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

खाद्यान्नों के लिए प्राप्त मांग को ध्यान में रखा जाता है। गत पांच वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से बिहार को खाद्यान्नों की दी गयी मात्रा निम्न प्रकार है :—

(हजार मीटरी टन में)

वर्ष	चावल	गेहूं
1976		110.3
1977	45.1	422.9
1978	13.1	517.3
1979	35.3	614.3
1980	110.3	450.2
1981 (जुलाई तक)	68.3	236.7

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1984-85 में राज्य में खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 128 लाख मीटरी टन रखा गया है। यह 1979-80 के 150 लाख मीटरी टन के अनुमानित आधार स्तर से 23 लाख मीटरी टन अधिक है। अधिक उपज देने वाली किस्मों के अन्तर्गत क्षेत्र में वृद्धि करके, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करके, रासायनिक उर्वरकों की खपत को बढ़ाकर बीजों की किस्मों में सुधार करके, मृदा परीक्षण सुविधाओं में सुधार करके, उर्वरकों का उपयुक्त प्रयोग करके, उन्नत वनस्पति रक्षण उपायों को अपनाकर, उत्तम मृदा फसल तथा जल प्रबंध आदि के जरिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने का विचार है।

भारतीय वन प्रबंध संस्थान

1073. **श्री शिव कुमार सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय वन प्रबंध संस्थान की स्थापना करने का है ;

(ख) इस संस्थान की स्थापना करने के पहले के प्रस्ताव को छोड़ देने के क्या कारण हैं ;

(ग) इसकी स्थापना पर कितना व्यय होगा ; और

(घ) इसकी स्थापना का प्रयोजन क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता।

भोपाल, मध्य प्रदेश में संस्थान पहले ही स्थापित किया जा चुका है।

(ग) 5 वर्ष की अवधि (1980-85) में इसकी स्थापना पर कुल 1.75 करोड़ रुपए व्यय होगा ।

(घ) संस्थान की स्थापना का उद्देश्य निम्नलिखित है :—

(1) वानिकी तथा वनों से सम्बन्धित उद्योग एवं वाणिज्य में कार्यरत व्यक्तियों को प्रबन्ध एवं सम्बद्ध विषयों में प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें प्रबन्धकीय व्यवसाय आदि में कुशल बनाया जा सके ।

(2) विशिष्ट एवं प्रतिभाशाली युवकों का चयन करके उन्हें वानिकी एवं वन से सम्बद्ध प्रणाली में प्रबन्ध दायित्व उठाने के लिए तैयार करना ;

(3) प्रशिक्षित उम्मीदवारों को डिप्लोमा, प्रमाणपत्र तथा अन्य प्रशस्ति पत्र प्रदान करना और ऐसे डिप्लोमा, प्रमाण पत्र तथा अन्य प्रशस्ति पत्र प्रदान करने से पहले कार्यक्षमता के मानक का निर्धारण करना ;

(4) वन प्रबंध सम्बन्धी साहित्य के अनुसंधान एवं प्रकाशन के माध्यम से वन प्रबन्ध की अद्यतन सूचना के सम्बन्ध में वानिकी तथा वन से सम्बन्धित उद्योग एवं वाणिज्य की आवश्यकता को पूरा करना ;

(5) देश में वानिकी के विकास के लिए उपयोगी प्रबन्ध एवं सम्बद्ध तकनीकों एवं पद्धतियों के उपयोग से सम्बन्धित मामलों में सहयोग करना, उनकी व्यवस्था करना तथा अनुसंधान करना ,

(6) नियमों तथा उपनियमों के अनुसार शिक्षावृत्ति, छात्रवृत्ति, पुरस्कार तथा पदकों की व्यवस्था करना तथा उन्हें प्रदान करना ;

(7) अवैतनिक सम्मान तथा अन्य उपाधियाँ प्रदान करना ;

(8) शिक्षकों, छात्रों का आदाद प्रदान करने तथा आमतौर पर परस्पर उद्देश्यों के अनुरूप तरीके अपनाकर विश्व के किसी भी भाग की शिक्षण एवं अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करना, जिनके उद्देश्य पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से इस संस्थान के समान हों ।

नारियल का उत्पादन

1054. **प्रो० पो० जे० कुरियन** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में राज्यवार देश में नारियल का कुल कितना उत्पादन हुआ ;

(ख) क्या यह सच है कि केरल में नारियल का उत्पादन घटता जा रहा है ;

(ग) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) केरल में नारियल का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) :

(क) 1979-80 तक की तीन वर्षों की अवधि में नारियल के उत्पादन का अनुमान संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) तथा (ग) कोकोनट रूट विल्ट नामक एक खतरनाक बीमारी से (जिससे लगभग 30 प्रतिशत: क्षेत्र प्रभावित हुआ है) केरल में नारियल के उत्पादन में कमी आई थी। तथापि, गत दो वर्षों में गिरावट की प्रवृति पर काबू पा लिया गया है।

(घ) देश में नारियल के विकास के सभी पहलुओं की जांच पड़ताल करने हेतु संसद के एक अधिनियम के तहत 12.1.81 को नारियल विकास बोर्ड की स्थापना की गई है।

विवरण

1979-80 को समाप्त होने वाले गत तीन वर्षों के लिए नारियल के उत्पादन का अनुमान :

(उत्पादन 10 लाख हैक्टार)

राज्य/ संघ शासित प्रदेश	1977-78	1978-79	1979 80 (अन्तिम)
1	2	3	4
आन्ध्र प्रदेश	164.6	164.6	170.6
असम	31.0	33.8	33 8
कर्नाटक	810.2	854.8	865.5
केरल	3033.0	3236.7	3208.8
महाराष्ट्र	4[illegible]	4[illegible]	[illegible]
उड़ीसा	58.9	72.9	90.1
तमिलनाडु	1038.9	1123.3	1192.2
त्रिपुरा	1.3	1.5	1.5
प. बंगाल	22.0	22.0	22.0
अण्डमान और निकोबार द्वीप संमूह	5[illegible]	61.3	62.1

1	2	3	4
गोवा, दमन और दिव	86.0	85.0	90.0
लक्षद्वीप	21.8	20.6	20.8
पाण्डिचेरी	16.0	9 9	15.5
अखिल भारत	5412.6	5729.7	5830.4

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

1095. **श्री सुबोध सेन** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनको पता है कि प्रभावी और कुशल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (एक) प्रत्येक राज्य की आवश्यकता अनुसार आवश्यक वस्तुओं की समान आधार पर पर्याप्त सप्लाई (दो) वितरण स्थलों तक इन वस्तुओं के सुचारु रूप से पहुंचाये जाने (तीन) जमाखोरी, चोर-बाजारियों और समाज विरोधी तत्वों के खिलाफ कानून के उचित प्रवर्तन और (चार) रियायती दर पर वाणिज्यिक ऋण की उपलब्धता पर निर्भर करती है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती : (क) और (ख) जी हां। राज्यों को खाद्यान्नों, लेवी चीनी, आयातित खाद्य तेलों, मिट्टी के तेल, साफ्ट कोक तथा नियंत्रित कपड़े जैसी आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई तथा ढुलाई, भारतीय खाद्य निगम, राज्य व्यापार निगम, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों, कोल इंडिया लि० तथा राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ जैसे सार्वजनिक क्षेत्र तथा सहकारी क्षेत्र की एजेन्सियों के माध्यम से उन्हें राज्यों को किये गये आबंटनों के प्रति की जाती है।

अधिकांश राज्य सरकारों ने आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति, भण्डारण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बिक्री केंद्रों को उसकी सप्लाई करने के लिये नागरिक पूर्ति निगमों, सरकारी विपणन संघों तथा सहकारी उपभोक्ता संघों जैसे अपने अभिकरणों को नामित किया है।

राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन, आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी तथा कालाबाजारी करने वाले समाज-विरोधी तत्वों की गतिविधियों को रोकने के लिये आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और चोर बाजारी निवारण तथा आवश्यक वस्तु प्रदाय बनाये रखना अधिनियम, 1980 के उपबंधों को क्रियान्वित कर रहे हैं।

आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति तथा वितरण कार्य में लगे राज्य स्तरीय अभिकरणों को वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज की रियायती दरों पर नकद ऋण सुविधाएं दी जा रही हैं।

अधिक पेड़ लगाने के लिए केन्द्र सरकार का सुझाव

1096. **श्री जी० वाई. कृष्णन्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अधिक पेड़ लगाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को कितनी सफलता मिली है और लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों को इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिए गए हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई अपीलों की वजह से राज्य सरकारें अब बड़े पैमाने पर पौद-रोपण कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। छठी पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सामान्य कार्यक्रमों में विभिन्न वृक्षारोपण योजनायें शामिल की गई हैं।

1980-81 के दौरान सभी राज्यों में लगाए गए पौधों की कुल संख्या लगभग 84 करोड़ थी। वर्ष 1981-82 के लिए यह लक्ष्य बढ़ाकर 134 करोड़ कर दिया गया है।

सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे वृक्षारोपण कार्यक्रम में लोगों को शिक्षा देने तथा उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए वन विभाग के तहत विस्तार स्कन्धों की स्थापना करें। विस्तार स्कन्धों से आशा की जाती है कि वे विभिन्न प्रकाशनों, वार्तालापों, स्लाइडों तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से जनता को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में शिक्षित करेंगे।

टोंक जिले में व्यावहारिक अनुसंधान केन्द्र खोलने की योजना

1097. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत लावा, मालपुरा, जिला टोंक में 150 से अधिक गडरिये रहते हैं, और उनके पास 8000 से अधिक भेंड़ें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थान पर एक व्यावहारिक अनुसंधान केन्द्र खोलने की कोई योजना है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर की भेड़ तथा ऊन विकास पर एक परिचालन अनुसंधान प्रायोजना पहले ही 1981 में लावा, मालपुरा जिला टोंक में स्थापित की जा चुकी है।

भूमि सुधारों के लिए राज्यों को आंवटित राशि

1098. डा० कुरा सिन्धु मोई : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक राज्य में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए केन्द्र द्वारा अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए क्या मुख्य कार्य शुरू किए गए हैं और प्रत्येक परियोजना के पूरा होने के लिए राज्य वार क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गयी है ;

(ग) क्या यह सच है कि भूमि सुधार कार्यक्रम का एक भाग विश्व बैंक धन राशि में से क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा ऐसी कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ङ) ऐसी योजनाओं की तेजी से क्रियान्विती को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को 38.26 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अन्य राज्य को कोई निधियां आबंटित नहीं की गई है क्योंकि या तो उनसे ऐसे अनुरोध राज्य प्राप्त नहीं हुए हैं अथवा इस योजना के लिए संशोधित प्रतिमान के अनुसार राज्य के योगदान के लिए राज्य बजटों में प्रावधान नहीं किए गये हैं अथवा गत वित्तीय वर्षों के दौरान उनके लिए बंटित निधियों के सम्बन्ध में उन्होंने उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ख) कार्य की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं :—

(1) कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा ;

(2) काश्तकारी सुधार ;

(3) भूमि अभिलेखों को तैयार करना ; और

(4) चकबन्दी।

विभिन्न भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है लेकिन आशा है कि छठी योजना के अंत तक अधिकतम सीमा से फालतू अधिकांश भूमि वितरित कर दी जाएगी और भूमि अभिलेख तैयार करने तथा चकबन्दी में काफी प्रगति हो जाएगी।

(ग) व (घ) जी हां । उड़ीसा में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन की सहायता उड़ीसा सिंचाई परियोजना चल रही है जिसमें भूमि चकबन्दी का घटक शामिल है । परियोजन के लिए 58 मिलियन अमेरिकी डालर के अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन के ऋण में से चक्रबन्दी के लिए 3.3 मिलियन अमेरिकी डालर आबंटित किए गए हैं ।

(ङ) भारत सरकार ने भूमि सुधार उपायों विशेष रूप से अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के शीघ्र कार्यान्वियन की आवश्यता के बारे में राज्य सरकारों से आग्रह किया है ।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

1099. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्य प्रदेश की प्रमुख व मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से धन प्राप्त करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के सिंचाई संबंधी लाभ क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउररहमान अंसारी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश की मध्यम परियोजनाओं के लिए 112.6 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता के लिए, जो कि पांच वर्षों की अवधि में मिलेगी, विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एसोसियेशन) के साथ 26 मार्च, 1981 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं । यह परियोजना, राज्य सरकार को मध्य प्रदेश में पांच वर्षों की अवधि में सिंचाई का विकाश करने के लिए, लगभग 15700 लाख रुपये की लागत से लगभग 30 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण द्वारा जिनसे लगभग 107,000 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलने की सम्भावना है, सहायता देने के लिए बनाई गई है ।

मध्य प्रदेश संयुक्त वृहद सिंचाई परियोजना के लिए, जिसमें महानदी जलाशय काम्पलेक्स, हसदेव-बंगो और अर्पा परियोजनाए शामिल हैं, ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच बातचीत चल रही है । इन परियोजनाओं का आकार और स्वरूप तथा ऋण सहायता की मात्रा पर विचार विमर्श हो रहा है, ऋण सहायता दिए जाने की संभावना हेतु विश्व बैंक द्वारा मध्य प्रदेश चम्बल चरण-दो अयाकट क्षेत्र विकास परियोजना और नर्मदा परियोजना चरण-एक पर भी विचार किया जा रहा है । इन परियोजनाओं के आकार और स्वरूप या सामान्य ऋण सहायता के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

तेंदू के पत्तों से आय

1100. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में तेंदू के पत्तों से कितनी आय हुई ;

(ख) इन पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में उनका क्या मूल्य रहा ;

(ग) कितने तथा किन-किन राज्यों में तेंदू-पत्तों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिय गया है ; और

(घ) गत पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में कुल आय कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) तेंदू के पत्तों का उत्पादन करने वाले राज्यों से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

"हश-हश विजिट आफ यू० के० एक्सपर्ट" शीर्षक से समाचार

1101. **श्री एस. एम कृष्ण :**

श्री सुभाष यादव : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 25 जुलाई, 1981 में "हश-हश विजिट आफ यू. के. एक्सपर्ट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वे ऐशियाई खेलों से सम्बद्ध कौन सी परियोजनाएं हैं जिनके लिए विशेषज्ञों को भारत से बाहर भेजा गया तथा बाहर से बुलाया गया ;

(ग) ऐसे दौरों पर कितना व्यय हुआ और मामले को अन्तिम रूप से कैसे निपटाया गया ; और

(घ) इन परियोजनाओं के भाग्य को अंतिम निर्णय किस प्रकार किया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्रधिकरण, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कर रहा है इस स्टेडियम की छत के डिजाइन में 150 मीटर व्यास का इस्पात संरचना का आकाशीय ढांचे का विचार किया गया हैं । इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सिफारिश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने छत की डिजाइन की स्वतन्त्र जांच करने के लिए ब्रिटेन के सरे विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष प्रो० जेड० एस० मकोवस्की की सहायता मांगी । प्रो० मकोविस्की, को सौंपे गए कार्य को शीर्षता से निपटाने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के इंजीनियरों के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए संरचानात्मक परामर्शदाता, को अल्पावधि के लिए विस्तृत जांच पड़ताल करने के लिए ब्रिटेन के सारे विश्वविद्यालय के अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र को भेजा गया था । प्रो० मोकवस्की ने 21 जुलाई से 27 जुलाई, 1981 तक भारत का दौरा किया और उनकी जांच के निष्कर्ष से इन्डोर स्टेडियम की छत के लिए उद्दिष्ट डिजाइन संकल्पना

अधिक पेड़ लगाने के लिए केन्द्र सरकार का सुझाव

1096. **श्री जी० वाई. कृष्णन्** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को अधिक पेड़ लगाने का सुझाव दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को कितनी सफलता मिली है और लोगों का सहयोग प्राप्त करने के लिए विभिन्न राज्यों को इस सम्बन्ध में क्या सुझाव दिए गए हैं।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई अपीलों की वजह से राज्य सरकारें अब बड़े पैमाने पर पौद-रोपण कार्यक्रम शुरू कर रही हैं। छठी पंचवर्षीय योजना तथा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के सामान्य कार्यक्रमों में विभिन्न वृक्षारोपण योजनायें शामिल की गई हैं।

1980-81 के दौरान सभी राज्यों में लगाए गए पौधों की कुल संख्या लगभग 84 करोड़ थी। वर्ष 1981-82 के लिए यह लक्ष्य बढ़ाकर 134 करोड़ कर दिया गया है।

सभी राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे वृक्षारोपण कार्यक्रम में लोगों को शिक्षा देने तथा उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए वन विभाग के तहत विस्तार स्कन्धों की स्थापना करें। विस्तार स्कन्धों से आशा की जाती है कि वे विभिन्न प्रकाशनों, वार्तालापों, स्लाइडों तथा प्रदर्शनियों के माध्यम से जनता को पेड़ लगाने के महत्व के बारे में शिक्षित करेंगे।

टोंक जिले में व्यावहारिक अनुसंधान केन्द्र खोलने की योजना

1097. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्राम पंचायत लावा, मालपुरा, जिला टोंक में 150 से अधिक गडरिये रहते हैं, और उनके पास 8000 से अधिक भेंड़ें हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त स्थान पर एक व्यावहारिक अनुसंधान केन्द्र खोलने की कोई योजना है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) (क) जी हां श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर की भेड़ तथा ऊन विकास पर एक परिचालन अनुसंधान प्रायोजना पहले ही 1981 में लावा, मालपुरा जिला टोंक में स्थापित की जा चुकी है।

भूमि सुधारों के लिए राज्यों को आंवटित राशि

1098 डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वित्त वर्ष में प्रत्येक राज्य में भूमि सुधारों को लागू करने के लिए केन्द्र द्वारा अब तक कुल कितनी राशि दी गई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य द्वारा भूमि सुधार कार्यक्रम क्रियान्वित करने के लिए क्या मुख्य कार्य शुरू किए गए हैं और प्रत्येक परियोजना के पूरा होने के लिए राज्य वार क्या लक्ष्य तिथि निर्धारित की गयी है ;

(ग) क्या यह सच है कि भूमि सुधार कार्यक्रम का एक भाग विश्व बैंक धन राशि में से क्रियान्वित किया जा रहा है ;

(घ) यदि हां, तो विश्व बैंक द्वारा ऐसी कुल कितनी राशि दी गई है ; और

(ङ) ऐसी योजनाओं की तेजी से क्रियान्विती को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश को 38.26 लाख रुपये की धनराशि बंटित की गई है। इस योजना के अन्तर्गत अन्य राज्य को कोई निधियां आबंटित नहीं की गई है क्योंकि या तो उनसे ऐसे अनुरोध राज्य प्राप्त नहीं हुए हैं अथवा इस योजना के लिए संशोधित प्रतिमान के अनुसार राज्य के योगदान के लिए राज्य बजटों में प्रावधान नहीं किए गये हैं अथवा गत वित्तीय वर्षों के दौरान उनके लिए बंटित निधियों के सम्बन्ध में उन्होंने उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं किए हैं।

(ख) कार्य की मुख्य मदें निम्नलिखित हैं :—

(1) कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा ;

(2) काश्तकारी सुधार ;

(3) भूमि अभिलेखों को तैयार करना ; और

(4) चकबन्दी।

विभिन्न भूमि सुधार उपायों के कार्यान्वयन के लिए लक्ष्य तिथि निर्धारित करना सम्भव नहीं है लेकिन आशा है कि छठी योजना के अंत तक अधिकतम सीमा से फालतू अधिकांश भूमि वितरित कर दी जाएगी और भूमि अभिलेख तैयार करने तथा चकबन्दी में काफी प्रगति हो जाएगी।

(ग) व (घ) जी हां । उड़ीसा में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन की सहायता उड़ीसा सिंचाई परियोजना चल रही है जिसमें भूमि चकबन्दी का घटक शामिल है । परियोजन के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डालर के अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन के ऋण में से चकबन्द के लिए 3.3 मिलियन अमेरिकी डालर आबंटित किए गए हैं ।

(ङ) भारत सरकार ने भूमि सुधार उपायों विशेष रूप से अधिकतम भूमि सीमा कानून के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यता के बारे में राज्य सरकारों से आग्रह किया है ।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

1099. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्य प्रदेश की प्रमुख व मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से धन प्राप्त करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के सिंचाई संबंधी लाभ क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउरहमान अंसारी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश की मध्यम परियोजनाओं के लिए 112.6 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता के लिए, जो कि पांच वर्षों की अवधि में मिलेगी, विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकाश संघ (इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एसोसियेशन) के साथ 26 मार्च, 1981 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं । यह परियोजना, राज्य सरकार को मध्य प्रदेश में पांच वर्षों की अवधि में सिंचाई का विकाश करने के लिए, लगभग 15700 लाख रुपये की लागत से लगभग 30 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण द्वारा जिनसे लगभग 107,000 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलने की सम्भावना है, सहायता देने के लिए बनाई गई है ।

मध्य प्रदेश संयुक्त बृहद सिंचाई परियोजना के लिए, जिसमें महानदी जलाशय काम्पलेक्स, हसदेव-बंगो और अर्पा परियोजनाए शामिल हैं, ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच बातचीत चल रही है । इन परियोजनाओं का आकार और स्वरूप तथा ऋण सहायता की मात्रा पर विचार विमर्श हो रहा है, ऋण सहायता दिए जाने की संभावना हेतु विश्व बैंक द्वारा मध्य प्रदेश चम्बल चरण-दो अयाकट क्षेत्र विकास परियोजना और नर्मदा परियोजना चरण-एक पर भी विचार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के आकार और स्वरूप या सामान्य ऋण सहायता के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है ।

तेंदू के पत्तों से आय

1100. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में तेंदू के पत्तों से कितनी आय हुई ;

(ख) इन पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में उनका क्या मूल्य रहा ;

(ग) कितने तथा किन-किन राज्यों में तेंदू-पत्तों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिय गया है ; और

(घ) गत पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में कुल आय कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) तेंदू के पत्तों का उत्पादन करने वाले राज्यों से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

"हश-हश विजिट आफ यू० के० एक्सपर्ट" शीर्षक से समाचार

1101. **श्री एस. एम कृष्ण :**

श्री सुभाष यादव : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 25 जुलाई, 1981 में "हश-हश विजिट आफ यू. के. एक्सपर्ट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वे ऐशियाई खेलों से सम्बद्ध कौन सी परियोजनाएं हैं जिनके लिए विशेषज्ञों को भारत से बाहर भेजा गया तथा बाहर से बुलाया गया ;

(ग) ऐसे दौरों पर कितना व्यय हुआ और मामले को अन्तिम रूप से कैसे निपटाया गया ; और

(घ) इन परियोजनाओं के भाग्य को अंतिम निर्णय किस प्रकार किया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्रधिकरण, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कर रहा है इस स्टेडियम की छत के डिजाइन में 150 मीटर व्यास का इस्पात संरचना का आकाशीय डांचे का विचार किया गया हैं । इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सिफारिश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने छत की डिजाइन की स्वतन्त्र जांच करने के लिए ब्रिटेन के सरे विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष प्रो० जेड० एस० मकोवस्की की सहायता मांगी । प्रो० मकोविस्की, को सौंपे गए कार्य को शीर्घता से निपटाने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के इंजीनियरों के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए संरचानात्मक परामर्शदाता, को अल्पावधि के लिए विस्तृत जांच पड़ताल करने के लिए ब्रिटेन के सारे विश्वविद्यालय के अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र को भेजा गया था । प्रो० मोकवस्की ने 21 जुलाई से 27 जुलाई, 1981 तक भारत का दौरा किया और उनकी जांच के निष्कर्ष से इन्डोर स्टेडियम की छत के लिए उद्दिष्ट डिजाइन संकल्पना

को ठीक किया गया। प्रो. मकोवस्की की सेवाओं के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को 9,000 पौंड (करों को छोड़कर) तथा 10,000 पौंड (करों को छोड़कर) ब्रिटेन के अन्तरिक्ष संरचना अनुसंधान केन्द्र में ली गई सुविधाओं के लिए देने हैं। इस परियोजना का एशियाई खेल 1982 से आरम्भ होने से पूर्व पूर्ण होने की आशा है।

दिल्ली में उद्योगों द्वारा पर्यावरण को खतरा

1102. **श्री भीकू राम जैन** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और उसके आस-पास के उद्योगों से पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कार्रवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। औद्योगिक वहिस्राव, दिल्ली में निकलने वाले कुल गंदे पानी का केवल चार प्रतिशत है। दिल्ली में आद्योगिक गतिविधियों द्वारा वायु प्रदूषण स्रोतों की संख्या भी देश के अन्य ओद्योगिक शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हैं।

(ख) जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने दिल्ली में जल प्रदूषण से संबंधित औद्योगिक एककों का पता लगाया है। औद्योगिक एककों के तरल वहि:स्रावों का निपटान जल प्रदूषण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए सहमति आदेशों के माध्यम से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है।

अल्पकालीन तथा दीर्घ कालीन दोनों आधारों पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपचारी तथा नियंत्रण के उपाय करने के लिए कार्यवाही की योजना सुझाने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन ने पर्यावरणीय विज्ञान विद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को आस-पास की वायु गुणवता तथा स्रोत वार निस्सरण दर का सभी सर्वेक्षण के पवोधन का कार्य सौंपा है। इस परियोजना में वायु नमूनों को एकत्र करने के लिए 5 या 6 केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनका विश्लेषण करना और दिल्ली में घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा वाहन स्रोत जैसे ट्रकों, बसों और कारों को शामिल करके वायु प्रदूषण स्रोतों की एक सूची तैयार करनी है। वास्तविक निस्सरण दरों को निर्धारित करने के लिए सटीक पैमाने बनाने हैं। आंकड़ों के आधार पर दिल्ली में कुछ निस्सरण दर निकाली जाएगी और प्रदूषण के मुख्य स्रोत का पता लगाया जाएगा। प्रदूषणों के कारणों के लिए पर्यावरणीय विज्ञान विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू, विश्वविद्यालय ने 800 उद्योगों का पता लगाया है तथा यह सम्बन्धित सूचना को एकत्र करने की प्रक्रिया में है। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस परियोजना के 30 सितम्बर, 1980 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 भी 16 मई, 1981 से लागू हो चका है और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड को शक्तियों के उपयोग करने तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए उस बोर्ड को दिए गए कार्यों के निष्पादन के अधिकार दे दिए गये हैं ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीवों को भवन निर्माण ऋण

1103. **श्री क्रिस्टोफर एक्का :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को भवन निर्माण ऋण की अदायगी के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ;

(ख) एक कर्मचारी को अधिकतम ऋण कितना दिया जा सकता है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण सरकार का विचार ऋण की कुल राशि में वृद्धि करसे का है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ससंदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) गृह निर्माण अग्रिम देने की प्रक्रिया संबंधित नियमों एवं समय समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों में उल्लिखित है ।

(ख) किसी कर्मचारी को अनुमेय गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम धन राशि 70,000 रुपये या 75 महीने का मूल वेतन अथवा मकान/फ्लैट के निर्माण की लागत या कर्मचारी की पुनर्भुगतान करने की क्षमता है, इनमें जो भी न्यूनतम है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्नाटक को आवास सहायता

1104. **श्री एस. एम. कृष्ण :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(एक) औद्योगिक श्रमिकों के लिए समेकित राजसहायियता आवास व्यवस्था ।

(दो) बागान मजदूरों के लिए राजसहायियत आवास योजना ।

(ग) व (घ) जी हां। उड़ीसा में अन्तर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन की सहायता से उड़ीसा सिंचाई परियोजना चल रही है जिसमें भूमि चकबन्दी का घटक शामिल है। परियोजना के लिए 18 मिलियन अमेरिकी डालर के अंतर्राष्ट्रीय विकास एसोसिएशन के ऋण में से चक्कबन्दी के लिए 3.3 मिलियन अमेरिकी डालर आवंटित किए गए हैं।

(ङ) भारत सरकार ने भूमि सुधार उपायों विशेष रूप से अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के शीघ्र कार्यान्वयन की आवश्यता के बारे में राज्य सरकारों से आग्रह किया है।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से सहायता

1099. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार मध्य प्रदेश की प्रमुख व मध्यम दर्जे की सिंचाई परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से धन प्राप्त करने पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के सिंचाई संबंधी लाभ क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) मध्य प्रदेश की मध्यम परियोजनाओं के लिए 112.6 मिलियन अमरीकी डालर की ऋण सहायता के लिए, जो कि पांच वर्षों की अवधि में मिलेगी, विश्व बैंक की एक सम्बद्ध संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकाश संघ (इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एसोसियेशन) के साथ 26 मार्च, 1981 को एक करार पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह परियोजना, राज्य सरकार को मध्य प्रदेश में पांच वर्षों की अवधि में सिंचाई का विकाश करने के लिए, लगभग 15700 लाख रुपये की लागत से लगभग 30 मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण द्वारा जिनसे लगभग 107,000 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ मिलने की सम्भावना है, सहायता देने के लिए बनाई गई है।

मध्य प्रदेश संयुक्त बृहद सिंचाई परियोजना के लिए, जिसमें महानदी जलाशय काम्पलेक्स, हसदेव-बंगो और अर्पा परियोजनाए शामिल हैं, ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए भारत सरकार और अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के बीच बातचीत चल रही है। इन परियोजनाओं का आकार और स्वरूप तथा ऋण सहायता की मात्रा पर विचार विमर्श हो रहा है, ऋण सहायता दिए जाने की संभावना हेतु विश्व बैंक द्वारा मध्य प्रदेश चम्बल चरण-दो अयाकट क्षेत्र विकास परियोजना और नर्मदा परियोजना चरण-एक पर भी विचार किया जा रहा है। इन परियोजनाओं के आकार और स्वरूप या सामान्य ऋण सहायता के बारे में अभी अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

तेंदू के पत्तों से आय

1100. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक राज्य में तेंदू के पत्तों से कितनी आय हुई ;

(ख) इन पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में उनका क्या मूल्य रहा ;

(ग) कितने तथा किन-किन राज्यों में तेंदू-पत्तों के व्यापार का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है ; और

(घ) गत पांच वर्षों में प्रत्येक राज्य में कुल आय कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) तेंदू के पत्तों का उत्पादन करने वाले राज्यों से जानकारी मांगी गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

"हश-हश विजिट आफ यू० के० एक्सपर्ट" शीर्षक से समाचार

1101. **श्री एस. एम कृष्ण :**

श्री सुभाष यादव : क्या **निर्माण और आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "हिन्दुस्तान टाइम्स" दिनांक 25 जुलाई, 1981 में "हश-हश विजिट आफ यू. के. एक्सपर्ट" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो वे ऐशियाई खेलों से सम्बद्ध कौन सी परियोजनाएं हैं जिनके लिए विशेषज्ञों को भारत से बाहर भेजा गया तथा बाहर से बुलाया गया ;

(ग) ऐसे दौरों पर कितना व्यय हुआ और मामले को अन्तिम रूप से कैसे निपटाया गया ; और

(घ) इन परियोजनाओं के भाग्य को अंतिम निर्णय किस प्रकार किया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) दिल्ली विकास प्रधिकरण, इन्द्रप्रस्थ स्टेट, नई दिल्ली में इन्डोर स्टेडियम का निर्माण कर रहा है इस स्टेडियम की छत के डिजाइन में 150 मीटर व्यास का इस्पात संरचना का आकाशीय डांचे का विचार किया गया हैं । इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की सिफारिश पर दिल्ली विकास प्राधिकरण ने छत की डिजाइन की स्वतन्त्र जांच करने के लिए ब्रिटेन के सरे विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग के विभागाध्यक्ष प्रो० जेड० एस० मकोवस्की की सहायता मांगी । प्रो० मकोविस्की, को सौंपे गए कार्य को शीर्षता से निपटाने के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के इंजीनियरों के साथ दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए गए संरचानात्मक परामर्शदाता, को अल्पावधि के लिए विस्तृत जांच पड़ताल करने के लिए ब्रिटेन के सारे विश्वविद्यालय के अन्तरिक्ष अनुसंधान केन्द्र को भेजा गया था । प्रो० मोकवस्की ने 21 जुलाई से 27 जुलाई, 1981 तक भारत का दौरा किया और उनकी जांच के निष्कर्ष से इन्डोर स्टेडियम की छत के लिए उद्दिष्ट डिजाइन संकल्पना

को ठीक किया गया। प्रो. मकोवस्की की सेवाओं के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को 9,000 पौंड (करों को छोड़कर) तथा 10,000 पौंड (करों को छोड़कर) ब्रिटेन के अन्तरिक्ष संरचना अनुसंधान केन्द्र में ली गई सुविधाओं के लिए देने हैं। इस परियोजना का एशियाई खेल 1982 से आरम्भ होने से पूर्व पूर्ण होने की आशा है।

दिल्ली में उद्योगों द्वारा पर्यावरण को खतरा

1102. **श्री भोकू राम जैन :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और उसके आस-पास के उद्योगों से पर्यावरण को खतरा उत्पन्न हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण को रोकने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, नहीं। औद्योगिक बहिस्राव, दिल्ली में निकलने वाले कुल गंदे पानी का केवल चार प्रतिशत है। दिल्ली में आद्योगिक गतिविधियों द्वारा वायु प्रदूषण स्रोतों की संख्या भी देश के अन्य औद्योगिक शहरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम हैं।

(ख) जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने दिल्ली में जल प्रदूषण से संबंधित औद्योगिक एककों का पता लगाया है। औद्योगिक एककों के तरल बहि:स्रावों का निपटान जल प्रदूषण अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए सहमति आदेशों के माध्यम से जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा किया जाता है।

अल्पकालीन तथा दीर्घ कालीन दोनों आधारों पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उपचारी तथा नियंत्रण के उपाय करने के लिए कार्यवाही की योजना सुझाने की दृष्टि से दिल्ली प्रशासन ने पर्यावरणीय विज्ञान विद्यालय, जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली को आस-पास की वायु गुणवता तथा स्रोत वार निस्सरण दर का सभी सर्वेक्षण के पवोधन का कार्य सौंपा है। इस परियोजना में वायु नमूनों को एकत्र करने के लिए 5 या 6 केन्द्रों की स्थापना करना तथा उनका विश्लेषण करना और दिल्ली में घरेलू, औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा वाहन स्रोत जैसे ट्रकों, बसों और कारों को शामिल करके वायु प्रदूषण स्रोतों की एक सूची तैयार करनी है। वास्तविक निस्सरण दरों को निर्धारित करने के लिए सटीक पैमाने बनाने हैं। आंकड़ों के आधार पर दिल्ली में कुछ निस्सरण दर निकाली जाएगी और प्रदूषण के मुख्य स्रोत का पता लगाया जाएगा। प्रदूषणों के कारणों के लिए पर्यावरणीय विज्ञान विद्यालय, जवाहरलाल नेहरू, विश्वविद्यालय ने 800 उद्योगों का पता लगाया है तथा यह सम्बन्धित सूचना को एकत्र करने की प्रक्रिया में है। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस परियोजना के 30 सितम्बर, 1980 तक पूर्ण हो जाने की संभावना है।

वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 भी 16 मई, 1981 से लागू हो चका है और इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय बोर्ड को शक्तियों के उपयोग करने तथा वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के लिए उस बोर्ड को दिए गए कार्यों के निष्पादन के अधिकार दे दिए गये हैं ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारीयों को भवन निर्माण ऋण

1103. **श्री क्रिस्टोफर एक्का :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को भवन निर्माण ऋण की अदायगी के लिए सरकार ने क्या प्रक्रिया निर्धारित की है ;

(ख) एक कर्मचारी को अधिकतम ऋण कितना दिया जा सकता है ;

(ग) क्या अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण सरकार का विचार ऋण की कुल राशि में वृद्धि करसे का है ; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ससंदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) गृह निर्माण अग्रिम देने की प्रक्रिया संबंधित नियमों एवं समय समय पर जारी किए गए विभिन्न आदेशों में उल्लिखित है ।

(ख) किसी कर्मचारी को अनुमेय गृह निर्माण अग्रिम की अधिकतम धन राशि 70,000 रुपये या 75 महीने का मूल वेतन अथवा मकान/फ्लैट के निर्माण की लागत या कर्मचारी की पुनर्भुगतान करने की क्षमता है, इनमें जो भी न्यूनतम है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

कर्नाटक को आवास सहायता

1104. **श्री एस. एम. कृष्ण :** क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा राज्य को निम्नलिखित सामाजिक आवास योजनाओं के अधीन चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धनराशि आवंटित की गई है ;

(एक) औद्योगिक श्रमिकों के लिए समेकित राजसहायियता आवास व्यवस्था ।

(दो) बागान मजदूरों के लिए राजसहायियत आवास योजना ।

(तीन) गंदी बस्तियाँ उठाना/सुधारना योजना ।

(चार) राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए किराये पर आवास योजना ;

(पांच) महानगरों एवं राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में समेकित नागरिक विकास ; और

(ख) अब तक कितनी धनराशि 'रिलीज' की गई है, कितनी की जा चुकी है और शेष कितनी रिलीज की जानी है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) औद्योगिक कर्मचारियों तथा समाज के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लिए एकीकृत सहायता प्राप्त आवास योजना, गन्दी बस्ती उन्मूलन/सुधार योजना और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए किराया आवास योजनायें राज्य क्षेत्र में हैं । आवास सहित सभी राज्य क्षेत्र प्लान योजनाओं के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता 'समेकित ऋणों' तथा 'समेकित अनुदानों' के रूप में केन्द्रीय वित्त मन्त्रालय द्वारा दी जाती है । यह किसी विशेष योजना या विकास शीर्ष से सम्बन्धित नहीं होती है तथापि हुडको ने अभी तक चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कर्नाटक सरकार को ग्राम लेखाकार किराया योजना के लिए 2.28 करोड़ रुपये की ऋण सहायता मंजूर की है ।

2. महानगरों तथा राष्ट्रीय महत्व के क्षेत्रों में एकीकृत विकास की योजना 1 अप्रैल, 1979 से बन्द कर दी गई है ।

3. बागान मजदूरों के लिए सहायता प्राप्त आवास योजना एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है तथा कर्नाटक सहित 6 राज्य सरकारों द्वारा इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है परन्तु इस वर्ष राज्य सरकारों को इस प्रयोजन के लिए निधियों का नियतन नहीं किया गया है । तथापि चालू वर्ष के बजट में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था है । कर्नाटक सहित, सम्बन्धित राज्यों सरकारों को उनकी मांगों तथा कार्य की जांच करने के पश्चात् यह राशि शीघ्र ही उनको दी जायेगी ।

"लीज-होल्ड" जमीन को "फ्री-होल्ड" में बदलना

1105. **श्री एस. एम. कृष्ण** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न सहकारी गृह निर्माण समितियों के माध्यम से आवंटित लीज-होल्ड जमीन को फ्री-होल्ड में बदलने का निर्णय इस बीच ले लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कब ; और

(ग) यदि नहीं तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) विशेषतया दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सहकारी गृह निर्माण समितियों को आवंटित भूमि के बारे में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। यद्यपि, यह आम प्रश्न कि क्या दिल्ली में लीज होल्ड पद्धति जारी रहनी चाहिए या रिहायशी प्लाटों के बारे में इसको फ्री-होल्ट में बदला जा सकता है, आमतौर पर यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन रहा।

(ख) उपर्युक्त प्रस्ताव अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

(ग) उन कतिपय राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के विचारों को एकत्रित किया जा रहा है जिसको लीज होल्ड और फ्री होल्ड पद्धति के प्रशासन में अनुभव है। तत्पश्चात्, अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व, मामले के सभी पहलुओं पर सावधानीपूर्वक विचार किया जायेगा।

छठी योजना के लिए हाऊसिंग और नगर विकास के लिए ब्लू प्रिंट

1106. **श्री एम. एस कृष्ण** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के लिए हाउसिंग और नगर विकास के लिए ब्लू प्रिंट तैयार करने के लिए योजना आयोग द्वारा गत वर्ष उनके मन्त्रालय के सचिव की अध्यक्षता में गठित कार्यदल ने एक सुझाव अस्वीकार कर दिया था कि किराये और भूमि के मूल्यों को पांच वर्षों के लिए दिसम्बर, 1976 के स्तर पर स्थिर कर दिया जाये ;

(ख) यदि हां, तो किराये और भूमि के मूल्यों को शुरू में पांच वर्षों के लिए 31-12-1976 के स्तर पर स्थित करने और अन्य सम्बद्ध मामलों के बारे में इस दल द्वारा अन्य क्या सिफारिशें की गई हैं ; और

(ए) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) कार्यकारी दल ने इस सुझाव पर विचार किया परन्तु उसने यह महसूस किया कि यह व्यवहार्य नहीं हैं क्योंकि किराया तथा भूमि लागतों को स्थिर करने के ऐसे तदर्थ तथा सार्वजनिक निर्णय से आवास की गतिविधियों में कमी आ सकती है जबकि तत्काल वर्तमान आवश्यकता आवास की गतिविधियों को तेज करने की है। विशेषकर निजी क्षेत्रों में जहां अधिकांश मकानों का निर्माण किया जाता है। इस दल ने किराया तथा भूमि लागत को स्थिर करने के बारे में किसी भी सिफारिश को व्यवहार्य नहीं पाया।

दिल्ली में 20 वर्ष पुरानी आवास निर्माण सरकारी समितियां

1107. **प्रो० नरायण चन्द पराशर** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 वर्ष से अधिक समय से चली आ रही आवास निर्माण सहकारी समितियों के नाम क्या है और इनके कितने सदस्यों को अभी भूखण्ड आवंटित किए जाने हैं ; और

(ख) इनके सदस्यों को कब तक भूखण्ड आवंटित कर दिए जाने की सम्भावना है और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) दिल्ली प्रशासन तथा सहकारी समितियों के पंजीकार की रिपोर्ट के अनुसार 20 वर्ष से भी अधिक अवधि के अस्तित्व वाली 150 सहकारी आवास निर्माण समितियों में से केवल 12 समितियों के मामले में सदस्यों को अभी तक प्लाट आवंटित नहीं किए गए हैं । इन 12 समितियों की एक सूची संग्लन है ।

अनावन्धन निम्नलिखिल कारणों से हैं : –

(एक) न्यायालय द्वारा रोक आदेश ।

(दो) समिति की सदस्यता पंजीकार, सहकारी समिति, दिल्ली से निर्वाध नही कराई गई है ।

(तीन) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सेंट बैंक एवं रेखांकन नक्शा अनुमोदित नहीं कराया गया है ।

इन 12 समितियों के सदस्यों को प्लाट पूर्वापेक्षाएं पूर्ण करने अथवा न्यायालय द्वारा रोक को समाप्त कराने के बाद ही जैसा भी मामला हो, आवंटित किए जा सकते हैं ।

विवरण

क्रम संख्या	सहकारी समिति का नाम
1.	दिल्ली स्कूल अध्यापक सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
2.	सर्व हितकारी सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
3.	वर्धमान सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
4.	वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्रालय की सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
5.	शिव सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
6.	भारतीय स्टेट बैंक सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
7.	शक्ति सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
8.	जैन सहकारी गृह निर्माण समिति लि०
9.	नई दिल्ली नगर पालिका सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

10. न्यू अशोक सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

11. ऋषभ जैन सहकारी गृह निर्माण समिति लि०

12. पहाड़ी धीरज सहकारी गृह निर्माण समिति लि० ।

लघु सिंचाई योजनाओं के लिए राज्यों को आबंटित फण्ड

1108. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खासकर लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण के लिए राज्यों को कोई फंड आबंटित किया गया है जैसा कि बीस सूत्री कार्यक्रम में जोर दिया गया है ;

(ख) यदि हां तो प्रत्येक राज्य, संघ राज्य क्षेत्र को पिछले तीन वर्षों और चालू वित्त वर्ष में कितना फंड आवंटित किया गया है ; और

(ग) इसके लिए राज्य वार एल० आई० एस०/एफ० एल० योजनाओं की संख्या क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) योजना आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों के लिए और चालू वर्ष के दौरान लघु सिंचाई कार्यक्रम के लिए अनुमोदित धनराशि की जानकारी विवरण एक में दी गयी है ।

(ग) सभी लघु सिंचाई स्कीमों को राज्यों द्वारा स्वयं अनुमोदित किया जाता है और भूतल और भूगत जल स्कीमों से सृजित सिंचाई क्षमता का राज्यवार ब्यौरा विवरण-दो में दिया गया है ।

विवरण—एक

लघु सिंचाई के लिए अनुमोदित परिव्यय

क्रम सं०	राज्य	अनुमोदित परिव्यय (करोड़ रु०)			
		1978-79	1979-80	1980-81	1881-82
1.	आंध्र प्रदेश	9.63	8.10	9,00	9.00
2.	असम	10.60	12.00	11.30	12.00
3.	बिहार	21.00	18.88	25.40	28.00
4.	गुजरात	11.93	13.50	14.50	16.33
5.	हरियाणा	4.00	2.40	3.43	4.00
6.	हिमाचल प्रदेश	3.64	3.85	3.75	3.80

7. जम्मू और कश्मीर	6.20	6.00	6.80	7.00
8. कर्नाटक	12.50	9.00	17.02	17.15
9. केरल	4.25	3.75	6.65	6.65
10. मध्य प्रदेश	24.80	29.00	40.00	42.00
11. महाराष्ट्र	17.28	21.00	21.20	25.25
12 मणिपुर	0.73	0.75	1.50	1.45
13. मेघालय	0.75	1.00	1.15	1.00
14. नागालैंड	1.25	1.40	1.60	1.76
15. उड़ीसा	13.80	11.00	17.00	17.00
16 पंजाब	5.20	5.20	1.86	2.00
17. राजस्थान	5.69	5.85	6.41	6.45
18. सिक्कम	0.49	1.00	1.10	0.80
19 तमिलनाडु	2.43	2.54	4.00	4.38
20. त्रिपुरा	1.30	1.50	2.05	2.20
21. उत्तर प्रदेश	37.59	36.00	53.00	53.90
22. प० बंगाल	20.77	20.75	21.21	19.37
जोड़—राज्य	215.83	214.39	269.93	281.49
जोड़- संघ राज्य क्षेत्र	4.52	4.91	4.48	5.61
कुल जोड़	220.35	219.30	274.41	287 10

विवरण—दो

लघु सिंचाई स्कीमों द्वारा सृजित की गई सिंचाई क्षमता

हजार हैक्टार

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1978-79 के दौरान			1979-80 के दौरान			1980-81 के दौरान (संभावित)			1981-82 के दौरान (लक्ष्य)		
		भूतल जल	भूगत जल	जोड़	भूतल जल	भूगत जल	जोड़	भूतल जल	भुगत जल	जोड़	भूतल जल	भूतल जल	जोड़
1.	आंध्र प्रदेश	20	30	50	20	35	55	20	45	65	20	50	70
2.	असम	15	4.5	19.5	15	5.5	20.5	10	10	20	10	11	21
3.	बिहार	20	100	120	15	100	115	15	125	140	15	165	180
4.	गुजरात	7	25	32	10	34	44	8	32	40	8	27	35
5.	हरियाणा	1	44	45	2	35	37	2	33	35	2	28	30
6.	हिमाचल प्रदेश	2	0.5	2.5	2.6	0.4	3	4	नग०	4	4	नग०	4
7.	जम्मू और कश्मीर	6	0.5	6.5	7.5	0.5	8	4	नग०	4	4	1	5
8.	कर्नाटक	20	20	40	25	25	50	20	35	55	20	40	60
9.	केरल	6	4	10	10	5	15	11	7	18	11	7	18
10.	मध्य प्रदेश	33	42	75	35	40	75	20	70	90	20	80	100
11.	महाराष्ट्र	27	40	67	30	30	60	35	24	59	35	30	65
12.	मणिपुर	3	नग०	3	3·2	0.1	3.3	3	नग०	3	3	नग०	3
13.	मेघालय	1.2	1.5	2.7	2.8	1	3.8	2	नग०	3	2	नग०	2

हजार हैक्टार

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1978-79 के दौरान			1979-80 के दौरान			1980-81 के दौरान (संभावित)			1981-82 के दौरान (लक्ष्य)		
		भूतल जल	भूगत जल	जोड़	भूतल जल	भूगत जल	जोड़	भूतल जल	भूगत जल	जोड़	भूतल जल	भूगत जल	जोड़
14.	नागालैंड	4	नग०	4	3	नग०	3	2	नग०	2	2	नग०	3
15.	उड़ीसा	25	50	75	20	50	70	10	60	70	10	70	80
16.	पंजाब	2.5	40	4.25	1	40	41	नग.	45	45	नग.	45	45
17.	राजस्थान	5	20	25	7	20	27	5	25	30	5	25	30
18.	सिक्कम	1	—	1	1	—	1	1	नग.	1	1	नग०	1
19.	तमिलनाडु	4	20	24	3	20	23	2	27	29	2	28	30
20.	त्रिपुरा	2 2	0.5	2.7	1.7	1	2.7	1	1	2	1	1	2
21.	उत्तर प्रदेश	20	570	590	15	645	660	6	694	700	6	664	670
22.	पश्चिम बंगाल	20	35	55	25	50	75	15	65	80	15	75	90
	जोड़—राज्य	244 9	1017.5	1292.4	254.8	1137.5	1392.3	196	1288	1494	196	1347	1543
	जोड़-संघ राज्य क्षेत्र	5.1	2.5	7.6	5.2	2.5	7.7	4	2	6	4	3	7
	जोड़-अखिल भारत	250.0	1020	1300	260.0	1140	1400	200	1300	1500	200	1350	1550

पंजाब में अतिरिक्त गोदामों का निर्माण

1109. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि चालू वर्ष के दौरान (एक) नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय तथा राज्य भाण्डागार निगमों द्वारा, अतिरिक्त भण्डारण क्षमता के निर्माण और (दो) डेयरी विकास के लिए पंजाब राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (1) भाण्डागारण क्षमता का निर्माण करने के लिए केन्द्रीय सरकार किसी भी राज्य सरकार को कोई निधि आवंटित नहीं करती है । यह केन्द्रीय भाण्डागार निगम को बजटीय सहायता सुलभ करती है जोकि केन्द्रीय सरकार, अन्य शेयरधारियों द्वारा उपलब्ध की गई और अपने आंतरिक स्रोतों से उपलब्ध हुई निधि का अपनी स्वयं की क्षमता का निर्माण करने और राज्य भाण्डागार निगमों की शेयर पूंजी में 50 प्रतिशत का अंशदान देने के लिए इस्तेमाल करती है जबकि शेष 50 प्रतिशत अंशदान संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त होता है । आशा है कि केन्द्रीय भाण्डागार निगम 1981-82 के दौरान पंजाब राज्य भाण्डागार निगम की इक्विटी पूंजी में 24.00 लाख रुपये का अंशदान देगा । अनुमान है कि 1981-82 के दौरान केन्द्रीय भाण्डागार निगम द्वारा पंजाब में अतिरिक्त भाण्डागारण क्षमता का निर्माण करने के लिए 178.00 लाख का परिव्यय होगा ।

(2) राज्य योजना स्कीम के प्रति 1981-82 के दौरान डेरी विकास के लिए पंजाब राज्य को 51.00 लाख रुपए का आवंटन किया गया है । भारतीय डेरी निगम द्वारा आप्रेशन फ्लड-II परियोजना के लिए राज्य कार्यान्वयन ऐजेन्सियों को धन सुलभ किया जा रहा है । अब तक पंजाब सरकार को आप्रेशन फ्लड-II के अन्तर्गत 70.18 लाख रुपए दिए जा चुके हैं जिसमें से 1.79 लाख रुपये वर्तमान वर्ष के दौरान मई, 1981 तक दिए गए हैं ।

केन्द्रीय नलकूप संस्थान द्वारा पंजाब के गाँवों में नलकूप लगाया जाना

1110. **श्री रघुनन्दन भाटिया** : क्या **सिंचाई मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय नलकूप संस्थान द्वारा चालू योजना अवधि के दौरान पंजाब राज्य में कुल कितने नलकूप लगाए जायेंगे ;

(ख) अब तक चालू किए गए नलकूपों की संख्या कितनी है और चालू वर्ष के शेष भाग के दौरान कितने और चालू किए जाने की संभावना है ; और

(ग) इसके जिलेवार आंकड़े क्या हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (भूतपूर्व समन्वेषी नलकूप संगठन) का छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में पंजाब में 82 समन्वेषी बोरहोलों की ड्रिलिंग करने का प्रस्ताव है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड किसी समन्वेषी कूएं के उत्पादन के प्रयोजनों के लिए अर्जित नहीं करता है, लेकिन ये कूएं बाद में अर्जित करने और इस्तेमाल करने के लिए राज्यों को सौंप दिये आते हैं।

हुडको के अन्तर्गत पंजाब को मकानों के निर्माण के लिए निर्धारित धनराशि

1111. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि हुडको प्रणाली के अन्तर्गत पंजाब को समाज के कमजोर वर्गों के लिए, शहरी तथा औद्योगिक दोनों ही क्षेत्रों में, आवास, कार्यक्रम हेतु चालू वर्ष में कितनी धनराशि निर्धारित की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : हुडको राज्य-वार निधियों का नियतन नहीं करता। यह आवास अभिकरणों से प्राप्त योजनाओं की मंजूरी देता है। तथापि, निधि की उपलब्धता के बारे में राज्य सरकारों को मोटे तौर पर बता दिया जाता है। हुडको को आशा है कि पंजाब में आवास अभिकरण 1981-82 के दौरान 3.62 करोड़ रुपये की ऋण मंजूरी से आवास योजनाओं को तैयार कर सकेंगे।

पंजाब के पास खाद्यान्न के भंडार

1112. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम के पास इस समय पंजाब में धान का कितना ऐसा भण्डार है ;

(ख) क्या कुछ स्थानों पर हाल की वर्षा में खुले में पड़े रहने के कारण भण्डार सड़ गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उनकी मात्रा कितनी है और उसके क्या कारण ; हैं और

(घ) भारतीय खाद्य निगम की अभिरक्षा में भण्डार के इस प्रकार नष्ट होने को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) पंजाब में फिलहाल भारतीय खाद्य निगम के पास 1.7.1971 को 13,59,373 मीटरी टन धान का स्टाक है।

(ख) और (ग) मानव नियंत्रण के बाहर के कारण से कुछेक स्थानों में धान का स्टाक सड़ गया है (विशेषतया कैप भण्डारण में पड़ा स्टाक)। जहां तक क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों का संबंध है, पंजाब में पड़े धान के स्टाक, जोकि तीन वर्ष से भी अधिक समय का पुराना स्टाक है, की जांच एक सर्वेक्षण समिति द्वारा की गई है और 1936 मीटरी टन की मात्रा को साफ किया गया है और उसे नीलाम किया गया है।

(घ) जब कभी त्रुटियों के बारे में जानकारी मिलती है, भारतीय खाद्य निगम से जाँच करने और उन त्रुटियों को दूर करने के लिए कहा जाता है। भारतीय खाद्य निगम और राज्यों के गुण परीक्षण सम्बन्धी प्रबन्धों में गति लाने के लिए अनुदेश भी जारी किए जाते हैं। खाद्य विभाग के मुख्यालय का गुण नियंत्रण सैल स्टाक की अचानक जांच भी करता है और भण्डारण स्थान का चुनाव करने, डनेज और अच्छी किस्म की पोलीथीन की चादरों आदि के इस्तेमाल करने जैसे उचित उपाय करने के बारे में सुझाव देता है ताकि बर्बादी को कम किया जा सके। खाद्यान्नों को उचित ढंग से रखने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित कार्मिकों द्वारा आधुनिक वैज्ञानिक कीट नियंत्रण उपाय किए जाते हैं।

सुन्दरगढ़ में सिंचाई परियोजनाएं

1113. **श्री क्रिस्टोफर एक्का : क्या सिंचाई मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सुन्दरगढ़ जिले के उड़ीसा में वर्ष 1978-79, 1979-80 और 1980-81 के दौरान शुरू की गई मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के नाम क्या हैं ;

(ख) उन परियोजनओं के पूरी होने में अब तक की प्रगति क्या है ;

(ग) क्या 18 नदी सिंचाई परियोजना वर्ष 1981-82 के दौरान पूरी हो जायेंगी ;

(घ) इस परियोजना के लागू होने से सुन्दर वन और उससे लगे जिले के कुल कितने गांवों को लाभ होगा ;

(ङ) इस परियोजना के पूरा होने पर उन जिलों की कुल कितनी एकड़ भूमि सिंचाई के अंतर्गत आयेगी ; और

(च) तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा के सुन्दरगढ़ जिले के लाभ के लिए जो एकमेव सिंचाई परियोजना प्रस्तावित की गई है, वह इब सिंचाई परियोजना है।

(ख) इस परियोजना को अभी तक अनुमोदन नहीं दिया गया हे और अभी तक कोई निर्माण-कार्य हाथ में नहीं लिया गया।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) इस परियोजना से केवल सम्भलपुर के पड़ोसी जिले को लाभ पहुंचेगा । केन्द्र के पास यह सूचना उपलब्ध नहीं है कि इससे कितने गाँवों को लाभ पहुंचेगा ।

(ङ) और (च) इस परियोजना के पूरा हो जाने पर 2,03,000 हैक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा, जिसमें सुन्दरगढ़ में सिंचित होने वाला क्षेत्र 1,82,000 हैक्टेयर होगा और शेष इलाका सम्भलपुर जिले में होगा।

सरकारी आवास

1114. **श्री क्रिस्टोफर एक्का :** क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली और नई दिल्ली में विभिन्न श्रेणी के निर्माणाधीन क्वार्टरों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) उनका निर्माण कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ;

(ग) क्या सरकार का चालू वित्तीय वर्ष के दौरान और अधिक संख्या में क्वार्टरों के निर्माण का प्रस्ताव है ;

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों (ए० बी० सी० डी० और ई०) कुल कितने मकानों का आबंटन होने जा रहा है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) "सामान्य पूल" के क्वार्टरों के ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

टाइप ए	574
टाइप बी	3988
(टाइप-2 सहित)	
टाइप सी	6376
टाइप 4	72
	11010

(ख) लगभग 5749 तथा 5243 क्वार्टरों की चालू वर्ष तथा आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण होने की संभावना है। न्यायालय में पड़े विवादास्पद मामलों के कारण शेष 16 क्वार्टरों के पूर्ण होने का संभावित समय पूर्णतः निश्चित नहीं है।

(ग) जी, हाँ।

(घ) 5740 क्वार्टर

(80) टाइप ए	399
टाइप बी	2534
(टाइप-2 सहित)	

टाइप सी.	2760
टाइप 4	56
	5749

बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाया जाना

1115. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो 1962 से जून, 1981 तक इस तरह कितनी भूमि को कृषि योग्य बनाया गया है ; और

(ग) खेती करने योग्य कितनी भूमि को सरकार द्वारा कृषि योग्य बनाये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों से जानकारी एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सिंचाई के अन्तर्गत अतिरिक्त क्षेत्र लाना

1116. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1980 से जून, 1981 के दौरान कितनी अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अन्तर्गत लाई गई है ; और

(ख) सरकार द्वारा 1985 के अंत तक कुल कितनी अतिरिक्त भूमि सिंचाई के अंतर्गत लाई जाएगी ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) किसी फसल-वर्ष में सिंचाई के अन्तर्गत लाए गए अतिरिक्त क्षेत्र का हिसाब उस वर्ष एक जुलाई से आगामी वर्ष की 30 जून, तक की अवधि के लिए लगाया जाता है । हाल में की गई समीक्षा के अनुसार, अनुमान है कि 1 जुलाई, 1980 से 30 जून, 1981 तक की अवधि में 2.44 मिलियन हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र (सृजित की गई अतिरिक्त क्षमता) सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया है ।

(ख) लजभग 14 मिलियन हैक्टेयर ।

ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत हरिजनों, आदिवासियों और गिरिजनों का पुनर्वास

1117. **श्री मनी राम बागड़ी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष हरिजनों, आदिवासियों और गिरिजनों के पुनर्वास के लिए ग्रामीण पुनर्निर्माण कार्यक्रम के अन्तर्गत एक योजना शुरू की गई थी ; और

(ख) इस योजना से लाभान्वित हुए लोगों की राज्यवार संख्या कितनी है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां । लक्षित वर्गों के अन्य लाभभोगी परिवारों के अलावा हरिजनों, आदिवासियों तथा गिरिजनों के परिवारों को चल रहे केन्द्रीय प्रायोजित समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता सुलभ की जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसे 2 अक्तूबर, 1980 से देश के सभी खण्डों में लागू कर दिया गया है, के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि लाभभोगी परिवारों के कम से कम 30 प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से होने चाहिए तथा कम से कम 30 प्रतिशत लाभ लक्षित वर्ग के इन परिवारों को ऋण तथा उपदानों के रूप में प्राप्त होने चाहिए । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत, 10 प्रतिशत संसाधन अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने वाले निर्माण कार्यों के लिए निर्धारित किए जाते हैं । तथापि, कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगी परिवारों की संख्या का प्रवोधन अभी तक नहीं किया गया है । सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत भी हरिजनों, आदिवासियों तथा गिरिजनों को सहायता दी जाती है ।

(ख) वर्ष 1980-81 के लिए समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम तथा सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

हरिजनों, आदिवासियों तथा गिरिजनों के परिवारों की संख्या, जिन्हें 1980-81 में सहायता पहुंचाई गई :

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	समन्वित ग्रामीम विकास कार्यक्रम		सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	
	अनुसूचित जाति (हरिजन)	अनुसूचित जनजाति (गिरिजन तथा आदिवासी)	लाभभोगियों की संख्या	
			अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1. आंध्र प्रदेश	48154	12459	39470	13643
2. असम	26	94	—	—
3. बिहार	21037	7003	17738	22508
4. गुजरात	18780	17522	650	301
5. हरियाणा	6860	316	101391	—
6. हिमाचल प्रदेश	17953	3039	—	—
7. जम्मू और कश्मीर	502	—	2278	10
8. कर्नाटक	5110	588	25359	14216
9. केरल	4260	534	—	—
10. मध्य प्रदेश	20489	28048	3879	19607
11. महाराष्ट्र	10064	7844	2848	270
12. मणिपुर	—	2582	—	—
13. मेघालय	404	4854	—	—
14. नागालैंड	—	16721	—	—
15. उड़ीसा	9931	23891	1489	3178
16. पंजाब	32418	16279	—	—
17. राजस्थान	39457	35872	1713	2129
18. सिक्किम	3	17	—	—
19. तमिलनाडु	36675	919	7935	1412
20. त्रिपुरा	256	3323	—	—
21. पश्चिम बंगाल	8395	2127	5544	5943

22. उत्तर प्रदेश	219323	1164	10337	—
केन्द्र शासित क्षेत्र				
23. दिल्ली	1242	—	—	—
24. पांडिचेरी	94	—	—	—
अखिल भारत	495746	185729	220631	83217

भारत के लिए राष्ट्रीय बनारोपण योजना

1118. **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत के लिए कोई राष्ट्रीय वनारोपण योजना है, यदि हाँ, तो सम्पूर्ण छठी पंचवर्षीय योजना में प्रत्येक राज्य में वनरोपण के लिए कितना क्षेत्र निर्धारित किया गया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : जी हां। छठी योजना अवधि के दौरान राज्य क्षेत्र की वृक्षारोपण योजनाओं के तहत प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र में वृक्षरोपण किये जाने वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाला विवरण एक संलग्न है।

विवरण

राज्य क्षेत्र की योजनाओं के तहत छठी पंच वर्षीय योजना के दौरान वनरोपण कार्यक्रम के अन्तर्गत लाया जाने वाला प्रस्तावित राज्य-वार क्षेत्रों का विवरण

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र-हैक्टार
राज्य	
आन्ध्र प्रदेश	113155
असम	55315
बिहार	748.6
गुजरात	149440
हरियाणा	51642
हिमाचल प्रदेश	84230
जम्मू और कश्मीर	45250
कर्नाटक	57780
केरल	51122
मध्य प्रदेश	165500
महाराष्ट्र	185000

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षेत्र हैक्टार
मणिपुर	15386
मेघालय	20220
नागालैंड	14950
उड़ीसा	182300
पंजाब	56200
राजस्थान	83323
सिक्किम	6200
तमिलनाडु	117000
त्रिपुरा	22300
उत्तर प्रदेश	129800
पं बंगाल	120110
योग (राज्य)	1801059
संघ राज्य क्षेत्र	
अन्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	2200
अरुणाचल प्रदेश	44800
चंण्डीगढ़	1790
दादर तथा नगर हवेली	2500
दिल्ली	1300
गोआ, दमन तथा दीव	13583
मिजोरम	20600
पांडिचेरी	80
योग संघ राज्य	86853
अखिल भारतीय योग	1887912

केरल में लोक वितरण प्रणाली को सशक्त करने की योजना

1119. श्री ए. नीलालोहितादसन नाडर : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में थोक वितरण प्रणाली को मजबूत किए जाने के बारे में भारत सरकार को कोई योजना प्राप्त हुई है ;

(ख) यदि हां, तो उस योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार ने अनुरोध किया है कि इस योजना की क्रियान्विती के लिए वित्तीय सहायता दी जाये ; और

(घ) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा इस अनुरोध पर क्या कार्यवाही की गई है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) केरल सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की वसूली, भण्डारण और वितरण के लिए वाणिज्यिक बैंकों से ब्याज की रियायती दरों पर नकद ऋण सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया है । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए राज्यों को वाणिज्यिक तथा सहकारी बैंकों से ब्याज की रियायती दरों पर ऋण सुविधाएं मुहैया कराने के प्रश्न पर वित्त मन्त्रालय तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया गया है । भारतीय रिजर्व बैंक ने 2.3.81 से राज्य स्तर के उन अभिकरणों को, जिन्हें आवश्यक वस्तुओं की वसूली तथा वितरण का काम सौंपा गया है, दिये जाने वाले अग्रिमों पर ब्याज की दरें संशोधित कर दी हैं ।

चीनी के मूल्यों में भारी कमी

1120. श्री माधव राव सिंधिया : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18 जुलाई, 1981 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित दी इण्डियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (आई० एस० एम० ए०) एण्ड नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज (एन० एफ० सी०एस० एफ०) "हैड इनवाइटेड गवर्नमेंट्स अटेंशन टू व्हाट दे काल्ड दी सीरियस सिचुएशन अराइजिंग इन शुगर मार्किट्स ड्यू टू शार्ट डिक्लाइन इन फ्री मार्केट प्राइस" की ओर दिलाकर तुरन्त कार्यवाही किये जाने के लिए कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो बाजार की क्या ठीक स्थिति थी और उनकी क्या मांगें हैं ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) यह समाचार सरकार के नोटिस में आया है ।

(ख) और (ग) उद्योग को यह आशंका थी कि मूल्य में कमी होने की प्रवृत्ति से उसे फैक्ट्रियों में अभी भी पड़े मुक्त बिक्री की चीनी के स्टाक के 50 प्रतिशत तक की भारी हानि उठानी पड़ेगी और उसे उनकी उत्पादन लागत से काफी कम मूल्य पर वेचना पड़ेगा । इसे उद्योग के लिए बिल्कुल अनुचित समझा गया था क्योंकि उन्होंने चीनी का अधिक उत्पादन करने के लिए गन्ने का अधिक मूल्य दिया था । यह भी महसूस किया गया कि वित्तीय दृष्टि से दुर्बल उद्योग अगले मौसम में गन्ने का लाभकारी मूल्य नहीं दे सकेगा जिसके फलस्वरूप बाद के वर्षों में कमी हो सकती है । अतः निम्नलिखित माँगें की गई थी :—

1. जुलाई, 1981 के मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे की वैधता 15 अगस्त तक बढ़ा दी जानी चाहिए और अगस्त, 1981 के लिए मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे की घोषणा मूल्य स्थिति को ध्यान में रखकर करनी चाहिए ;

2. आयातित चीनी सम्बन्धी नीति के बारे में स्पष्टतौर पर बताया जाना चाहिए ताकि बाजारें में अनिश्चितता को दूर किया जा सके ।

3. उत्तर प्रदेश में स्थित गाजियाबाद की सीमा पर अनुचित तरीके से परेशान करना और चीनी के स्टाक को पकड़ना बंद किया जाना चाहिए ताकि दूरस्थ बाजारों को मुक्त बिक्री की चीनी का निर्बाध संचलन सुनिश्चित किया जा सके ।

मुक्त बिक्री की चीनी के मूल्य, जोकि अप्रैल, 1981 तक अपेक्षाकृत तेजी से बढ़ते रहे थे, सरकार द्वारा उठाए गए कुछ उपचारी पगों के फलस्वरूप बाद के महीनों में नीचे आने शुरू हो गए थे । उठाए गए इन पगों में मुक्त बिक्री की चीनी की मासिक निर्मुक्ति का सोच-समझ कर विनियमन करने और उपलब्धता बढ़ाने के लिए चीनी का आयात करने का निर्णय लेने जैसे पग शामिल थे । चीनी के थोक मूल्य, जोकि अप्रैल, 1981 में 820 रुपए से 910 रुपये प्रति क्विंटल के बीच चल रहे थे, अगस्त, 1981 के पहले सप्ताह में गिरकर 600 रुपये से 685 रुपये तक के रेंज में आ गये हैं । यह मूल्य स्तर उद्योग के लिए अलाभकारी नहीं समझा जाता है ।

जहाँ तक जुलाई, 1981 के लिए मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे की वैधता अवधि 15 अगस्त तक बढ़ाने का सम्बन्ध है, उचित मूल्यों पर जुलाई और अगस्त के दौरान मुक्त बिक्री की चीनी की समान सप्लाई जारी रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसे स्वीकार नही किया गया । जहां तक आयातित चीनी का सम्बन्ध है, सरकार ने सितम्बर में मुक्त बिक्री की चीनी के कोटे के एक भाग के रूप में इसकी पहली किस्त जारी करने का निर्णय किया है ।

उत्तर प्रदेश में स्थित गाजियाबाद की सीमा पर कथित परेशानी और चीनी का स्टाक पकड़ने के बारे में रिपोर्ट प्राप्त होने पर यह मामला राज्य सरकार के साथ उठाया गया था ।

उन्होंने सूचित किया है कि सांविधिक आदेशों का उल्लंघन करके चीनी को संदेहास्पद अनधिकृत तरीके से ले जाने के कारण उक्त स्टाक पकड़े गए थे और कानून के अनुसार उन मामलों पर कार्रवाई की जा रही है।

गन्ना उत्पादकों को अदा किया गया मूल्य

1121. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष चीनी की बिक्री से प्राप्त होने वाली कुल आय, किसान को अदा किया गया मूल्य तथा चीनी उद्योग को समग्र रूप से हुए लाभ का कोई अध्ययन किया है ;

(ख) यदि ऐसा कोई अध्ययन नही किया गया है तो क्या सरकार ऐसा अध्ययन करेगी ; और

(ग) यदि अध्ययन किया गया है तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान चीनी उद्योग को हुए लाभ के बारे में कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है। लाभ अथवा हानि विषयक प्रश्न के सम्बन्ध में केवल वास्तविक वित्तीय परिणामों अर्थात् सम्बन्धित चीनी फैक्टरियों द्वारा सांविधिक तौर पर तैयार किए गए वार्षिक लेखे से ही जाना जा सकेगा। सरकार खाद्य विभाग में इन लेखों की देख रेख नहीं करती है। इसके अलावा, चीनी फैक्ट्रियों का लेखा-वर्ष चीनी मौसम से भिन्न होता है और लेखे चीनी वर्ष के दौरान उत्पादित चीनी की बिक्री से हुई आय को प्रस्तुत नहीं करते हैं। तथापि, फैक्ट्रियों से प्राप्त मुक्त बिक्री की चीनी की प्राप्ति लेवी चीनी के मूल्य और उत्पादन से संबंधित डेटा के आधार पर यह अन्दाजा लगाया जाता है कि 1977-78 में 32 रुपए प्रति क्विंटल तक की कम वसूली हुई थी लेकिन वर्ष 1978-79 और 1979-80 के दौरान क्रमश: 2 रुपए अर 18 रुपए क्विंटल की अधिक वसूली हुई थी।

जहां तक किसानों को दिए गए गन्ने के मूल्यों का सम्बन्ध है, 1977-78, 1978-79 और 1979-80 के मौसमों के दौरान विभिन्न राज्यों की फैक्ट्रियों के लिए अधिसूचित गन्ने के न्यूनतम मूल्य के रेंज और वास्तव में दिए गये मूल्य को बताने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण-एक

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1976-77		1977-78		1978-79		1979-80		1980-81 14.8.81	
	कुल	भा०खा०नि०	कुल	भा० खा० नि०	कुल	भा०खा०नि०	कुल	भा०खा०नि०	कुल	भा० खा० नि०
आंध्र प्रदेश	483	444	612	529	1051	952	492	410	660	483
असम	155	54	21	6	32	16	10	—	37	9
बिहार	42	—	7	—	12	—	—	—	65	—
गुजरात	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—
हरियाणा	648	50	741	75	887	179	553	123	667	578*
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	न० ग०	—	—	—	—	—
जम्मू और कश्मीर	33	28	49	—	58	—	50	—	60	—
कर्नाटक	67	—	60	—	138	—	78	—	78	—
केरल	20	—	12	—	1	—	1	—	नग०	—
मध्य प्रदेश	215	149	182	174	306	305	90	90	378	176
महाराष्ट्र	215	—	4	—	115	—	84	—	162	—
मणिपुर	1	1	1	1	1	1	—	नग०	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—	—	—	नग०	—
उड़ीसा	118	—	80	—	58	—	29	—	228	—
पंजाब	1535	213	2193	537	2725	1037	2292	1147	2523	1997*
राजस्थान	39	39	नग०	नग०	17	17	नग०	नग०	5	5
तमिलनाडु	173	21	94	—	71	19	133	—	169	1
त्रिपुरा	10	—	नग०	—	नग०	—	—	—	1	—

नग० : 500 मीटरी टन से कम ।

* : इसमें लेवी योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे लिए गए चावल की सुपुर्दगी शामिल है ।

नोट : खरीफ के अनाजों में चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) और मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी) शामिल हैं ।

विवरण-एक जारी

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1976-77		1977-78		1978-79		1979-80		1980-81	
	कुल	भा. खा. नि.	कुल	भा. खा. नि.	कुल	भा. खा. नि.	कुल	भा. खा. नि.	14-8-81 को कुल	भा. खा. नि.
उत्तर प्रदेश	691	27	566	नग०	837	15	73	—	182	नग०
पश्चिम बंगाल अ. तथा नि०	171	171	245	245	146	146	69	69	134	134
द्वीप समूह	नग०	—	नग०	—	1	—	नग०	—	नग०	—
अरुणाचल प्रदेश	—	—	नग०	नग०	1	1	1	1	1	1
चण्डीगढ़	—	—	नग०	नग०	1	1	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	—	—	—	—	नग०	नग०
गोवा, दमन तथा द्वीव्	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—
पाण्डिचेरी	1	1	2	1	1	1	नग०	नग०	1	1
अखिल भारत	4653	1248	4872	1598	6459	2690	3955	1840	5751	3385

नोट : खरीफ के अनाजों में चावल (चावल के हिसाब से धान समेत) और मोटे अनाज (ज्वार, बाजरा, मक्का और रागी) शामिल है।

नग. : 500 मीटरी टन से कम

* : इसमें लेवी योजना के अधीन भारतीय खाद्य निगम द्वारा सीधे लिये गये चावल की सुपुर्दगी शामिल है।

विवरण-दो

वर्ष 1976-77, 1977-78, 1978-79, 1979-80, 1980-81 और 1981-82, के दौरान (विपणन मौसम के अनुसार) गेहूं की वसूली बताने वाला विवरण :

(14.8.81 को)
(आंकड़े हजार मीटरी टन में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	1976-77 कुल	भा०	खा०	नि०	1977-78 कुल	भा०	खा०	नि०	1978-79 कुल	भा०	खा०	नि०	1979-80 कुल	भा०	खा०	नि०	1980-81@ कुल	भा०	खा०	नि०	1981-82* कुल	भा०	खा०	नि०
असम	1	—	नग०	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
बिहार	101	—	11	—	29	—	88	—	9	—	12	1												
गुजरात	137	—	—	—	—	—	नग०	—	—	—	—	—												
हरियाणा	907	—	908	164	933	176	1379	263	1003	222	1122	237												
हिमाचल प्रदेश	—	—	—	—	1	1	2	2	—	—	नग०	—												
जम्मू तथा कश्मीर	15	15	8	8	13	—	22	—	28	—	20	—												
महाराष्ट्र	21	--	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
मणिपुर	—	—	नग०	—	—	—	—	—	—	—	—	—												
मध्य प्रदेश	274	250	11	11	20	20	100	100	नग०	नग०	155	93												
पंजाब	2942	423	3234	516	3206	743	4200	966	4279	1062	3715	948												
राजस्थान	474	474	123	122	77	77	301	301	17	17	10	10												
उत्तर प्रदेश	1711	266	853	185	1164	220	1883	359	522	86	1453	182												
पश्चिमी बंगाल	18	13	नग०	नग०	16	16	3	3	—	—	—	—												
दिल्ली	नग०	नग०	11	11	18	18	12	12	4	4	नग०	नग०												
चण्डीगढ़	1	1	नग०	नग०	1	1	—	नग०	—	--	—	—												
जोड़	6602	1442	5165	1017	5478	1272	8000	2006	5852	1391	6487	1471												

@ आंके गए।
* 14.8-81 को
नोट : नग 500 मीटरी टन से कम।

राष्ट्रीय बायो-गैस विकास बोर्ड

1122. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी पंचवर्षीय योजना के लिए बायो-गैस परि-योजना के संवर्धन हेतु राष्ट्रीय बायो-गैस विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पिछले वर्षों की उपलब्धियां केवल 15 से 16 तापीय एकक प्रतिवर्ष थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऊर्जा की बचत के लिए अधिक द्रुत चलाने का है,

(घ) क्या उसके लिए कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है ; और

(ङ) राष्ट्रीय बायो-गैस विकास बोर्ड की स्थापना से इस बारे में कहां तक सहायता मिलेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ङ) सरकार ने अभी प्रस्तावित राष्ट्रीय बायो-गैस विकास कार्यक्रम के लिए स्वीकृति नहीं दी है, जिसमें राष्ट्रीय विकास बोर्ड की स्थापना करना भी शामिल है ।

(ख) पिछले कुछ वर्षों में बायो-गैस संयंत्रों का निर्माण निम्न प्रकार से किया गया है :

वर्ष	संयंत्रों की संख्या
1974-75	10710
1975-76	14322
1976-77	14228
1977-78	16261
1978-79	14756
1979-80	15506

(ग) तथा (घ) जी हां । बायो गैस विकास संबंधी प्रस्तावित परियोजना का लक्ष्य यह है कि देश में बड़ी संख्या में बायो-गैस संयंत्रों की स्थापना करने के लिए प्रयास किया जाए ।

दिल्ली में दुकानों/स्टालों का आवंटन

1123. **श्री निहाल सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली नगर निगम और दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1978 से 15 जुलाई, 1981 तक की अवधि में कितने मकान, दुकान और स्टाल आवंटित किए और

(ख) उन भूतपूर्व सैनिक के नाम, पदनाम और उनकी सेवा निवृत्ति की तिथियां क्या हैं जिन्हें उनका आवंटन किया गया ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) यह सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

लेवी शूगर

1124. श्री बाला साहिब विखे पाटिल : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी से जून, 1981 (मास-वार) विभिन्न चीनी कारखानों से प्रत्येक राज्य को केन्द्रीय सरकार द्वारा लेवी चीनी का कितना कोटा आवंटित किया गया और उसकी खपत कितनी है ;

(ख) क्या अधिकांश राज्य सरकारें अप्रैल से जुलाई, 1981 का अपना नियमित मासिक लेवी चीनी का कोटा नहीं उठा रही हैं, यदि हां, तो वे राज्य कौन से हैं और प्रत्येक राज्य द्वारा अपने आवंटन का (मास वार) कितना कोटा उठाया गया ;

(ग) क्या कुछ राज्यों विशेषकर राजस्थान और मध्य प्रदेश ने कारखानों से लेवी चीनी का राज्य तक लाने के लिए प्राइवेट परिवहन एजेंटों को नियुक्त किया है ;

(घ) क्या ये प्राइवेट एजेंसियां दो अथवा तीन महीने बाद लेवी चीनी का कोटा उठाती रही हैं ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) सरकार ने इस बारे में क्या कार्यवाही की है ; और

(च) लेवी चीनी की सप्लाई में कालाबाजारी रोकने और उपभोक्ताओं को सप्लाई हेतु उचित मूल्य दुकानों पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) एक विवरण संलग्न है जिसमें फैक्ट्रियों द्वारा सप्लाई करने के लिए राज्यों के लेवी चीनी के मासिक कोटों का ब्यौरा दिया गया है। खपत सम्बन्धी वास्तविक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) 12 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों अर्थात् असम, बिहार, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, चण्डीगढ़ (संघ शासित प्रदेश) दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और अण्डमान के बारे में चीनी फैक्ट्रियों से लेवी चीनी को उठाने की व्यवस्था भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है। शेष 19 राज्य/संघ शासित प्रदेश लेवी चीनी को

उठाने की व्यवस्था स्वयं करते है । इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य द्वारा उनके मासिक कोटों के प्रति उठाई गई मास वार मात्रा के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । तथापि, दिसम्बर, 1979 के मध्य से जुलाई, 1981 तक की अवधि के दौरान उनको 26.90 लाख मीटरी टन लेवी चीनी के लिए गये कुल आवंटन के प्रति उन्होंने उसी अवधि के दौरान लगभग 26.80 लाख मीटरी टन की मात्रा उठायी थी और केवल लगभग 10,000 मीटरी टन की मात्रा उठाने के लिए शेष रह गई थी ।

(ग), (घ) और (ङ) : राजस्थान सरकार ने लेवी चीनी को उठाने के लिए परिवहन एजेंटों के रूप में प्राइवेट एजेंसियों को नियुक्त किया है लेकिन उन्होंने इस बात से इन्कार किया है कि वे दो या तीन महीनों के बाद चीनी का कोटा उठाते हैं । अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में संबंधित राज्य सरकारों से पता लगाया जा रहा है ।

(च) सरकार ने जो पग उठाए हैं वे इस प्रकार हैं : (i) सट्टेबाजी के लिए चीनी की जमाखोरी, काला बाजारी, मुनाफाखोरी और तस्करी को रोकने के लिए चीनी व्यापारियों के लिए स्टाक रखने की सीमा को और अन्य सांविधिक नियंत्रण उपायों को कड़ायी से लागू करवाने की आवश्यकता के बारे में राज्य सरकारों पर बल दिया जाता है, (ii) लेवी चीनी को उठाने और उसका उचित ढंग से वितरण करने के लिए किए गए प्रबन्धों में सुधार करना ताकि सभी कमियों को दूर किया जा सके और जमाखोरी आदि के मौकों को खत्म किया जा सके, और (iii) व्यापार खाते पर चीनी के अन्तर्राज्यीय संचलन को विनियमित करने से संबंधित वर्तमान कार्यविधि को सख्त करना ।

विवरण

राज्यों के लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटे को बताने वाला विवरण

क्रम संख्या	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लेवी चीनी का मासिक कोटा
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	20882
2.	आसाम	7541
3.	मिजोरम	171
4.	बिहार	26929
5.	गुजरात	14031
6.	हरियाणा	4916
7.	हिमाचल प्रदेश	1583
8.	जम्मू और कश्मीर	2250

1	2	3
9.	केरल	10495
10.	मध्य प्रदेश	20825
11.	महाराष्ट्र	24743
12.	कर्नाटक	14215
13.	नागालैण्ड	340
14.	उड़ीसा	10723
15.	पंजाब	6564
16.	राजस्थान	12757
17.	तमिलनाडू	19783
18.	उत्तर प्रदेश	41761
19.	पश्चिमी बंगाल	21994
20.	अण्डमान तथा निकोबार	190
21.	चन्डीगढ़	243
22.	दादर तथा नगर हवेली	36
23.	दिल्ली	5304
24.	गोवा, दमन और दीव	470
25.	लक्ष्यद्वीप	65
26.	मणिपुर	524
27.	मेघालय	493
28.	अरुणाचल प्रदेश	228
29.	पांडिचेरी	230
30.	त्रिपुरा	759
31.	सिक्किम	107.5
	जोड़	271157.5

अनाज की चोरी

1127. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में अनाज की बड़े पैमाने पर चोरी होती है ;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 में कितने मामलों का पता लगा ;

(ग) क्या सरकार का विचार भारतीय खाद्य निगम के कार्यकरण की जांच कराने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और उसका क्या औचित्य है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) और (ख) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से खाद्यान्नों की उठाईगिरी, चोरी आदि के कभी कभी हुए मामलों के बारे में सूचना मिली है जो कि बहुत बड़े पैमाने पर भण्डारण कार्य को ध्यान में रखते हुए अधिक नहीं हो सकती है। भारतीय खाद्य निगम के प्रधान कार्यालय में प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, देशभर में निगम के गोदामों में अप्रैल, 1981 से जून, 1981 के दौरान लगभग 19,665 रुपये मूल्य के खाद्यान्नों की चोरी/उठाईगिरी के छः मामलों का पता लगा था।

(ग) और (घ) सरकार और निगम का प्रबन्ध निगम के कार्यचालन पर निरन्तर समीक्षा करता रहता है ताकि उसमें सुधार हो सके। ससंदीय सरकारी प्रतिष्ठान समिति ने भी इस वर्ष के दौरान इसके कार्यचालन की जांच की है। आगे और कोई जाँच करने की आवश्यकता प्रतीत नही होती है।

दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा "होम डिलीवरी" प्रणाली

1128. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों ने हाल में "क्षेत्र डिलीवरी" प्रणाली में परिवर्तन किया है, यदि हां तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं तथा प्रत्येक डिपो के लिए कोटा किस प्रकार निर्धारित किया गया है ;

(ख) क्या साउथ मोती बाग क्षेत्र के डीपुओं के लिए गत मई और जून में कोटा कम किया गया था यदि हां, तो प्रातःकाल तथा सायंकाल के लिए कितना कितना कम किया गया ;

(ग) क्या दिल्ली दुग्ध योजना के अधिकारियों द्वारा उन शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती जो डीपुओं में कदाचार अथवा कम सप्लाई के बारे में नागरिकों द्वारा की जाती हैं यदि हां, तो इसके क्या कारण और क्या वह यह निदेश देंगे कि सभी शिकायतों की जांच की जाये तथा शिकायत करने वालों को उत्तर भेजें ; और

(घ) जून, 1981 के दौरान महा प्रबंधक को की गई उन शिकायतों की संख्या कितनी है जिन पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा जिनका उत्तर नही दिया गया तथा 31-7-1981 तक जिनकी पावती भी नहीं भेजी गई और उसके क्या कारण है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां। संशोधित होम डिलीवरी प्रणाली के अंतर्गत, दिल्ली दुग्ध योजना केवल उन्हीं लोगों को अनुमति दे रही है, जिन्हें दिल्ली दुग्ध योजना के दूध की घरों पर डिलीवरी करने के काम हेतु विशेष रूप से अधिकार दिया गया है। यह डिलीवरी उन उपभोक्ताओं को की जाती है जो होम डिलीवरी एजेंटों की सेवाएं लेते हैं। संशोधित होम डिलीवरी प्रणाली केवल उन्हीं क्षेत्रों में शुरू की गई है जहां यह पहले से चल रही है। होम डिलीवरी हेतु चुने गए इन व्यक्तियों को निम्न मापदण्ड के आधार पर प्राधिकृत किया गया है : —

1. केवल ऐसे व्यक्तियों को प्राधिकृत किया जाता है जिनकी आय प्रायः इसी एजेंसी पर निर्भर करती है और जो किसी भी नियमित सेवा/धंधे में नहीं लगे हैं।

2. होम डिलीवरी व्यक्तियों की उम्र 18 वर्ष से कम या 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

3. प्रत्येक होम डिलीवरी एजेंट को सप्लाई की जाने वाली बोतलों की संख्या 80 तक सीमित होती है। ऐसे विशेष मामलों में जहां व्यक्ति/एजेंट पूरी तरह बेरोजगार हो, उपयुक्त प्रमाण पत्र देने पर 100 बोतलें तक सप्लाई की जा सकती है।

4. चुनींदा होम डिलीवरी एजेंट को उपभोक्ता सेवा की कुछ संतोषजनक शर्तों को पूरा करने के लिए एक नियमित प्रतिज्ञा-पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा।

5. मापदण्ड को पूरा करने पर पहले से लगे हुए होम डिलीवरी एजेंट भी इस कार्य के लिए पात्र हैं।

होम डिलीवरी एजेंटों को अधिकार दिया गया है कि वे अपने दूध को कोटा उनके लिए दूध की सप्लाई करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र में निर्धारित विशिष्ट दुग्ध डिपुओं से लें। प्रत्येक होम डिलीवरी डिपो का कोटा इस बात पर निर्भर करता है कि उस विशेष डिपो से सम्बद्ध होम डिलीवरी एजेंटों को कुल कितनी बोतलें सप्लाई करने के लिए अधिकार दिया गया है।

(ख) जी नहीं। दो वर्षों को छोड़कर जहां अनधिकृत रूप से बड़ी मात्रा में दूध की सप्लाई करने का पता लगने के कारण दूध की मात्रा में मामूली सी कमी कर दी गई थी, साउथ मोती बाग क्षेत्र के डिपुओं में सामान्यतया कोटे में कटौती नहीं की गई है।

(ग) और (घ) जी नहीं। दिल्ली दुग्ध योजना के प्राधिकारियों द्वारा शिकायतों की सामान्यतया जांच की जाती हैं तथा तुरन्त कार्यवाही की जाती है। जून, 1981 के दौरान बड़ी संख्या में प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही की गई है।

राज्य में वन-क्षेत्र

1129. **श्री हरिनाथ मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय देश को जिस बड़े पर्यावरण सम्बन्धी संकट का सामना करना पड़ रहा है वह वन क्षेत्र की कमी होना है ;

(ख) यदि हां, तो इस समय राज्य-वार अनुमानतः वन-क्षेत्र कितना है और समुचित पारिस्थितिकीय संतुलन बनाये रखने के लिए कितने वन-क्षेत्र की आवश्यकता है ;

(ग) क्या वनों के निरन्तर ह्रास के कारण बाढ़ों का प्रकोप बढ़ गया है तथा जलाशयों में गाद बढ़ गई है ; और

(घ) यदि भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में खेती-योग्य मिट्टी की अनुमानतः कितनी हानि हुई है और क्या अन्य विनाशकारी प्रभाव पड़े हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) आमतौर से यह माना जाता है कि वनों की क्षति पर्यावरण को प्रभावित करती है। हालांकि यह संकट पैदा करने वाले कुछ अन्य कारणों में से एक कारण है ।

(ख) देश में वन-क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

राष्ट्रीय वन नीति, 1952 में यह सिफारिश की गई थी कि भारत को अपने समूचे भू-क्षेत्र के एक तिहाई भाग में वनों को कायम रखना चाहिए, भले ही विभिन्न क्षेत्रों में इसका अनुपात अलग-अलग रहे। पर्वतीय क्षेत्रों, विशेष रूप से, हिमालय दक्षिणी पठार और अन्य पर्वतीय भागों में, जहां भू-क्षरण की सम्भावना बनी रहती है, भूमि के 60 प्रतिशत पर वन लगाने की सिफारिश की गई थी, जबकि मैदानी इलाकों में जहां जमीन सपाट होती है और भू-क्षरण का सामान्यतः कोई गम्भीर खतरा नहीं होता, इस अनुपात को 20 प्रतिशत रखने का सुझाव था। इसके साथ ही सभी भौतिक क्षेत्रों में वनों का समान वितरण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना की इसके समूचे अनुपात का होगा ।

(ग) इस बात पर आम सहमति है कि बनों की समाप्ति से बाढ़ों का प्रकोप बढ़ा है। तथापि, नदी घाटी परियोजनाओं के स्रवण क्षेत्रों में मृदा संरक्षण सम्बन्धी उपाय करने के फलस्वरूप जलाशयों में बढ़ने वाले तलछट की दर में उपचार पहले ही स्थिति की तुलना में कमी हुई है ।

(घ) ऐसा अनुमान है कि प्रति वर्ष लगभग 80 लाख हैक्टार भूमि बाढ़ों से प्रभावित होती है, जिसके परिणामस्वरूप फसलों, मकानों तथा अन्य सम्पत्तियों की क्षति के रूप में 250 करोड़ रुपये की हानि होती है। यह भी अनुमान है कि सतही क्षरण से औसतन 60,000 लाख मीटरी टन मिट्टी प्रति वर्ष वह जाती है, जिसमें 84 लाख मीटरी टन पोषक तत्व (एन पी) के भी शामिल हैं ।

विवरण

राज्यों के वन विभागों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार वनों के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार विवरण

राज्य	वर्ष 1980 (हजार हैक्टेयार)
आंध्र प्रदेश	6409.2
असम	3070.8
बिहार	2923.2
गुजरात	1952 5
हरियाणा	163.7
हिमाचल प्रदेश	2119.0
जम्मू तथा कश्मीर	2188.6
कर्नाटक	3786.6
केरल	1112.0
मध्य प्रदेश	15389.0
महाराष्ट्र	6407.8
मणिपुर	1515.4
मेघालय	854.5
नागालैण्ड	289.6
उड़ीसा	6767.3
पंजाब	2-2.8
राजस्थान	3491.3
सिक्किम	260.0
तमिलनाडु	2179.1
त्रिपुरा	593.2
उत्तर प्रदेश	5139.2
पश्चिम बंगाल	1183.7

संघ क्षेत्र राज्य	वर्ष 1980 (हजार हैक्टार)
अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	714.5
दादर तथा नगर हवेली	19.9
अरुणाचल प्रदेश	5154.0
दिल्ली	शून्य
गोवा, दमन तथा दीव	105.3
मिजोरम	712.7+
योग :	74,743.2

+केवल आरक्षित वन-क्षेत्र ।

तमिलनाडु में सिंचाई परियोजनाओं का काम छोड़ दिया जाना

1130. **श्री के० टी० कोतल राम** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के दक्षिणी जिले में वातावरण में प्रदूषण के बारे में राज्य सरकार की आपत्ति के कारण दो सिंचाई परियोजनाओं को त्याग दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो पर्यावरण में हुई क्षति का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) केन्द्रीय सरकार को ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी रोकने के लिए राज्यों को अभियान शुरू करने की सलाह

1131. **श्री बी. वी. देसाई** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राज्यों को जमाखोरी रोकने का अभियान शुरू करने और जो व्यापारी अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी करते हुए पकड़े जाएं उन्हें कठोर दण्ड देने की सलाह दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को यह बताया है कि बेईमान व्यापारियों से निपटने के लिए उन्हें अनिवार्य वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत पर्याप्त अधिकार प्राप्त है ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह बात भी सरकार के ध्यान में आई है कि विगत छः महीनों से अनिवार्य वस्तुओं की जमाखोरी में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या राज्यों द्वारा जमाखोरी पर नियन्त्रण करने में असफल रहने को देखते हुए संघ सरकार जमाखोरों के विरुद्ध स्वयं कठोर कदम उठाने जा रही है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) से (घ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के रुख के संदर्भ में, जबकि व्यापारियों में जमाखोरी की प्रवृत्ति अत्यधिक होती है, केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को समय-समय पर यह सलाह देती रही है कि आवश्यक वस्तुओं के स्टाक की जमाखोरी से कारगर तरीके से निपटने के लिए वे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जारी किए गए आदेशों तथा ऐसे ही अन्य कानूनों के उपबन्धों को सख्ती से लागू करें। राज्य सरकारों को ऐसे मामलों की कार्रवाई करने की पूरी-पूरी शक्तियां मिली हुई हैं और इसलिए वे विभिन्न अधिनियमों के उपबन्धों का प्रयोग करती हैं। केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम के उपबंधों में संशोधन कर रही है, ताकि इसे अधिक कारगर रूप से क्रियान्वित किया जा सके

'एशियाड' 1982 के लिए निर्माणाधीन परियोजनायें

1132. **श्री मनीराम बागड़ी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एशियाड' 82 के लिए उनके मंत्रालय द्वारा बनवाये जाने वाले भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा और उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्हें उन भवनों के निर्माण के लिए ठेके दिए गए हैं ; और

(ख) क्या ये ठेके निविदाओं के आधार पर दिए गए थे ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) निर्माणाधीन नए स्टेडियम एशियाई खेल, 82 के शुरू होने से काफी पहले पूर्ण हो जायेंगे। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका ने जिन फर्मों/ठेकेदारों को विभिन्न स्टेडियमों का मुख्य निर्माण कार्य दिया है, उनकी एक सूची संलग्न है।

(ख) जी, हां। तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा बनाए जा रहे इन्द्रप्रस्थ ऐस्टेट के इन्डोर स्टेडियम का श्रव्य संचार कार्य बातचीत के जरिये मैसर्स पीको इलैक्ट्रोनिक्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्स को दिया गया है।

विवरण

ऐशियाई खेलों के लिए नए स्टेडियमों के निर्माण से सम्बन्धित कार्य की विभिन्न मदों के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, दिल्ली विकास प्राधिकरण तथा नई दिल्ली नगर पालिका द्वारा जिन फर्मों/ठेकेदारों को ठेके दिए गए हैं, उनके नाम ;

I केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

1. मैसर्स उत्तम सिंह दुग्गल एण्ड कम्पनी
2. मैसर्स ओम प्रकाश बलदेव कृष्ण
3. मैसर्स त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लि.
4. मैसर्स मोहन लाल हरवंश लाल ब्याना एण्ड कम्पनी
5. मैसर्स पीको इलक्ट्रोनिक एण्ड इलक्ट्रीकलस् लि.
6. मैसर्स आलुवालिया कॉन्ट्रक्टस (इण्डिया) प्राईवेट लि.
7. मैसर्स दिवान चन्द
8. मैसर्स हरी चन्द

II दिल्ली विकास प्राधिकरण

1. मैसर्स सिम्पलैक्स कंक्रीट पायल इण्डिया (प्राइवेट) लि.
2. मैसर्स तारापुर एण्ड कम्पनी
3. मै विदेशी स्ट्रक्चरलस् लि. (भारत सरकार का संस्थान)
4. मैसर्स सानन एण्ड सानन
5. मैमर्स एन्टिया इलक्ट्रीकल्स
6. मैसर्स क्रिलोस्करस् पैन्यूमिटिक कम्पनी लि.
7. मैसर्स यूटीलिटी इंजीनीयरस् (आई) (प्राइवेट लि.)
8. मैसर्स पैनेलेक्स लि.
9. मैसर्स पिक्को इलक्ट्रोनिक्स एण्ड इलक्ट्रीकल्स
10. मैसर्स ओटिस एलीवेटरस् कम्पनी (इण्डिया) लि.
11. मैसर्स महाराष्ट्र इलक्ट्रोनिक्स कोरपोरेशन लि. (महाराष्ट्र राज्य सरकार का संस्थान)

12. मैसर्स पुंज संस (प्राइवेट) लि. जर्मन फर्म के सहयोग से

13. मैसर्स गुरु मेहर कन्सट्रक्शन कम्पनी

14. मैसर्स मशीन कन्सट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लि.

15. मैसर्स जी. एस. लूथरा

16. मैसर्स मोहिन्द्र नाथ एण्ड कम्पनी

17. मैसर्स पैरामाउन्ट कम्पनी

18. मैसर्स सत्यप्रकाश एण्ड ब्रदर्स

19. श्री वीरेन्द्र सिंह

III नई दिल्ली नगर पालिका

1. मैसर्स जी. एस. अतवाल एण्ड कम्पनी
2. मैसर्स यूटीलिटि इंजीनियरस इण्डिया लि.
3. मैसर्स कैण्डी फिलर्ट्स इण्डिया लि.
4. मैसर्स आरगी इंजीनियर्स एण्ड कम्पनी
5. मैसर्स विजय मशीनिरी स्टोर्स
6. मैसर्स महाराष्ट्र इलक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि.

जमुना के जल का प्रदूषण

1133. **श्री हरिनाथ मिश्र :** क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेन्ट्रल बोर्ड फार प्रीवेंशन एण्ड कन्ट्रोल आफ वाटर पोल्यूशन द्वारा हाल ही में जमुना नदी पर किए गए हाल के अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली और इटावा के बीच के हिस्से में जमुना का जल अत्यधिक प्रदूषित है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि जहां पर नदी में नजफगढ़ नाला मिलता है वहां से लेकर ओखला तक का पानी सिंचाई के लिए भी उपयुक्त नहीं है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान नांगलोई में हाल ही में अतिसार, पेचिस और पीलिया के रोगियों की संख्या में भारी बढ़ोत्तरी की ओर दिलाया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो संघ राज्य क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों का पता लगाने के लिए सरकार ने जल (प्रदूषण, नियन्त्रण और निवारण) अधिनियम, 1974 के अन्तर्गत क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जबकि पानी पीने के लिए या म्युनिसिपल उपयोग के योग्य नहीं है तो जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने सिंचाई के लिए इसकी उपयुक्तता का अध्ययन नहीं किया है।

(ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि नांगलोई क्षेत्र की नांगलोई डिसपैन्सरी से दस्त, खूनी दस्त तथा पीलिया के मामलों की बड़ी संख्या में वृद्धि की रिपोर्ट नहीं थी।

(घ) जल प्रदूषण निवारण एक नियन्त्रण के केन्द्रीय बोर्ड ने संघ राज्य क्षेत्र में प्रदूषक उद्योगों का पता लगाने तथा सूची बनाने का कार्य पूरा कर लिया है। दिल्ली नगर निगम, यमुना में प्रदूषण को कम करने के लिए इस शहर में मल जल तथा मल व्ययन शोधन की क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक कार्यवाही कर रहा है।

कर्नाटक के बीजापुर जिले में पीने के पानी की समस्या

1134. **श्री बी० बी० देसाई** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक राज्य के सबसे बड़ा जिला बीजापुर, जिसकी जन संख्या 25 लाख से ऊपर है पिछले दो दशकों से अधिक समय से पीने के पानी की समस्या से प्रभावित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या जमीन के नीचे पर्याप्त मात्रा में पानी के भण्डार होने और क्षेत्र से पांच नदियों के बहने के बावजूद बीजापुर ने मरुस्थल जिले की उपाधि पाई है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार जिले को पीने का पानी मुहैया करने के लिए राज्य सरकार की सहायता करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार सीधे इस कार्य को हाथ में लेने पर राजी हो गई है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) और (ख) राज्य सरकार के अनुसार बीजापुर जिले में लगभग 9 लाख की जनसंख्या के 837 ग्रामों को समस्याग्रस्त ग्राम पाया गया है। इन ग्रामों में पेय जल पूर्ति की स्थिति अत्यन्त विकट है। इनमें से लगभग 63, 000 जनसंख्या के 59 ग्रामों को 31-3-1980 तक जलपूर्ति सुविधा दी गई थी। वर्ष 1980-81 के दौरान 41,512 जनसंख्या के 56 ग्रामों को जलपूर्ति सुविधा दे दी गई थी।

(ग), से (ङ) पेय जल पूर्ति राज्य का विषय है और इस प्रयोजन के लिए निधियां राज्य योजनाओं में दी जाती हैं। छठी योजना अवधि (1980-85) के दौरान समस्याग्रस्त ग्रामों में पेय जल की व्यवस्था करने के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक की राज्य योजना में 19 करोड़ रुपये का एक परिव्यय शामिल किया गया है। योजनायें, राज्य सरकारों द्वारा बनाई तथा निष्पादित की जाती है। समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल देने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ाने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है। वर्ष 1980-81 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत कर्नाटक सरकार को 248.81 लाख रुपये की रकम दी गई थी। वर्ष 1981-82 के दौरान केन्द्र द्वारा प्रवर्तित कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य सरकार को तदर्थ आधार पर पहली किस्त के रूप में 62 लाख रुपये की रकम दी गई है।

उर्वरकों और डीजल के मूल्यों में वृद्धि

1135. **श्री निहाल सिंह** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डीजल और रासायनिक उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि के कारण किसानों पर भारी बोझ पड़ा है जिसके परिणामस्वरूप उनमें भारी असन्तोष है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार खाद्य समस्या को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए डीजल और रसायनिक उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि को वापस लेने के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) डीजल तथा उर्वरकों के मूल्यों में हुई हाल की वृद्धि का कृषकों पर प्रभाव पड़ सकता है। इस प्रभाव का पता लगाने में समय लगेगा। इस बीच, सरकार ने मूल्यों में हुई वृद्धि के प्रभाव को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए हैं :—

(1) कृषि मूल्य आयोग को निदेश दिए गए हैं कि वह कृषि जिन्सों के समर्थन/वसूली मूल्य निकालते समय उर्वरकों तथा डीजल के मूल्यों में हुई वृद्धि को ध्यान में रखे।

(2) समेकित ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत लघु तथा सीमान्त कृषकों को उर्वरकों पर मिलने वाली विद्यमान राजसहायता को जारी रखा जायेगा।

(3) भारतीय रिजर्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वह सहकारी, समितियों वितरण एजेंसियों तथा कृषकों आदि को ऋण प्रदान करने की सुविधाओं में वृद्धि करे।

(4) सरकार ने उर्वरकों के बेहतर उपयोग की आवश्यकता पर बल दिया है ताकि फसल उत्पादन में समुचित प्रबन्ध पद्धतियों को अपनाकर उर्वरक की उसी मात्रा से अधिक लाभ उठाया जा सके।

(5) 15-8-81 से सहकारी समितियों, कृषि उद्योग निगमों, संस्थागत एजेंसियों तथा अन्य वितरण एजेंसियों आदि के वितरण लाभ को बढ़ा दिया गया है। इससे वितरक एजेंसियों को खपत वाले क्षेत्रों में उर्वरक भेजने तथा कृषकों को समय पर उसकी सप्लाई करने के लिए वहां स्टाक करने में सहायता मिलेगी। अतः आशा है कि समय पर उर्वरक उपलब्ध होने से उसकी खपत में वृद्धि होगी जिससे कृषि उत्पादन बढ़ेगा।

उर्वरकों के मूल्यों में हुई हाल की वृद्धि के कारण कृषकों में असंतोष व्याप्त होने के संबंध में अभी तक किसी भी राज्य सरकार से रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ख) इस समय सरकार ऐसे किसी भी प्रस्ताव पर विचार नही कर रही है।

भारतीय मत्स्य पोत पर हमला

1136. **श्री ए. टी. पाटिल** : क्या कृषि मंत्री 23 फरवरी, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 842 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1-1-81 को कुछ पाकिस्तनी मशीनीकृत पोतों ने कच्छ जिले में खपत से कुछ दूर एक भारतीय पोत पर आक्रमण कर उसे और उसके टिंडल को जो क्षति पहुंचाई थी 8,000 रुपये केमूल्य की जो सम्पत्ति लूटी थी, उसके लिए पाकिस्तान सरकार ने क्या मुआवजा लिया गया है ; और

(ख) भारतीय पोतों पर पाकिस्तानी पोतों द्वारा इसके बाद किए गए आक्रमणों, यदि कोई है, की संख्या कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) पाकिस्तान सरकार ने स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा की गई जांचों से पता चला है कि भारतीय नौका पर तथाकथित गोलाबारी में पाकिस्तान तट संरक्षक या अन्य किसी विभाग का कोई भी जलयान शामिल नहीं था। यह बताया गया है कि पाकिस्तान तट संरक्षक को ऐसी किसी घटना की जानकारी नहीं है। कोई राहत प्राप्त नहीं की जा सकी।

(ख) पाकिस्तानी जलयानों द्वारा भारतीय मत्स्य जलयानों पर इसके बाद किये गये किसी आक्रमण के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा सरकारी आवास का उप-किराए पर देना

1137. **श्री नवीन रबाणी** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि डा. राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में कर्मचारियों द्वारा सरकारी मकान को जनवरी, 1980 से 30-6-81 तक उप-किराए पर देने के कारण नोटिस दिए गए हैं, ज्ञापन जारी किये गये हैं और निलम्बित किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) मकान आगे किराये पर देने वाले ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) डा. राम मनोहर लोहिया अस्पताल के पांच कर्मचारी जो कि सामान्य पूल के दखल में थे, उनको इस अवधि के दौरान अपने आवासों को किराये पर देते पाया गया तथा उनके विरुद्ध निम्नलिखित कार्यवाही की गई :-

(1) 4 कर्मचारियों के मामले में आवंटन रद्द किये गये और उन्हें सामान्य पूल वास से तीन वर्ष के लिये वंचित किया गया।

(2) एक कर्मचारी को साझेदारी से एक वर्ष के लिए वंचित किया गया।

पूरे देश में ग्रामीण सड़कों का जाल

1138. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल ट्रैफिक प्लानिंग एन्ड आटोमेशन सेन्टर" ने समूचे देश के लिए ग्रामीण सड़कों का जाल बिछाने की योजना बनाने के लिए अध्ययन शुरू किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आने की संभावना है और उनके अन्तर्गत लाए जाने वाले क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) "नेशनल ट्रैफिक प्लानिंग एण्ड आटोमेशन सेन्टर" ने ग्रामीण सड़कों के सामाजार्थिक पहलुओं के बारे में अध्ययन शुरू किये हैं जिसमें भारतीय सड़क कांग्रेस के आदेश पर केवल दो जिलों, पंजाब राज्य में पटियाला तथा तमिलनाडु राज्य में सालेम के ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछाने की योजना भी शामिल है।

(ख) पटियाला तथा सालेम जिलों प्रत्येक के लिए अध्ययनों की अनुमोदित लागत 3 लाख रुपए है।

उड़ीसा में पेय जल की सप्लाई की सम्भावना का पता लगाने के लिए डेनमार्क दल का दौरा

1139. **श्री के. पी. सिंह देव** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में कटक, पुरी और बालासौर के लवणयुक्त क्षेत्र में पेय जल की सप्लाई की सम्भावना का पता लगाने के लिए डेनमार्क के एक दल ने उड़ीसा का दौरा किया है ;

(ख) क्या दल को राज्य सरकार द्वारा आमन्त्रित किया गया था ;

(ग) क्या दल उड़ीसा को इस पेय जल परियोजना के लिए वित्तीय सहायता देने पर सहमत हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में किसी अन्तिम समझौते पर सहमति हो गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) राज्य सरकार ने द्विपक्षीय सहायतार्थ एक परियोजना प्रस्ताव किया था तथा डैनिश टीम ने प्रस्ताव की जांच के लिए उड़ीसा का दौरा किया था ।

(ग) भारत सरकार तथा डैनिश प्राधिकारियों के परामर्श के बाद अन्तिम निर्माण लिया जाएगा ।

(घ) अभी तक किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गये हैं ।

एशियाई खेलों के लिए तरणताल

1140. **श्री चतुर्भुज** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में एशियाई खेलों के लिए निर्माणाधीन बड़े तरणतालों की मुख्य विशेषतायें क्या हैं ; और

(ख) निर्माण कार्य करने वाली उस एजेन्सी का क्या नाम है जिसे इस गौरवपूर्ण तरणताल का निर्माण कार्य सौंपा गया है और तरणताल के निर्माण हेतु बनाये उस नक्शे का ब्यौरा क्या है जिसके आधार पर कार्य किया जा रहा है ; स्वीकृत नक्शे के अनुसार कार्य न करते पाये गये अधिकारियों और दोषी एजेन्सी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा तालकटोरा बाग में बनाये जा रहे तरणताल में निम्नलिखित तीन तालाब होंगे :

(1) मुख्य तालाब (50 मीटर × 26 मी. × 2 मी.)

(2) गोता लगाने वाला तालाब (25 मी. × 25 मी. × 5 मी.)

(3) तैयारी तालाब (50 मीटर × 11 मी. × 2 मी.)

शोधित जल के वितरण एवं इसे गर्म करने के लिए तथा अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार तापमान बनाये रखने के प्रबन्ध किये जा रहे हैं। वस्त्र बदलने वाले कक्ष, भौतिक चिकित्सा कक्ष, सम्मेलन कक्ष, जलपान गृह, रेस्त्रां आदि जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। स्टेडियम में 6,000 व्यक्तियों के बैठने की जगह होगी।

(ख) इस परियोजना से संबंधित विभिन्न निर्माण कार्यों के निम्नलिखित अभिकरणों को लगाया गया है :—

(एक) मैसर्स जी. एस. अतवाल एण्ड कम्पनी।

(दो) मैसर्स यूटिलिटी इंजीनियर्स इण्डिया लि.।

(तीन) मैसर्स कैण्डी फिल्टर्स इण्डिया लि.।

(चार) आर्गी इंजीनियर्स ऐण्ड कम्पनी।

(पांच) मैसर्स विजय मशीनरी स्टोर्स।

(छः) मैसर्स महाराष्ट्र इलैक्ट्रोनिक्स कारपोरेशन लि.।

यह कार्य अनुमोदित नक्शों के अनुसार किया जा रहा है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

1141. **श्री छीतू भाई गामित** : क्या नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घी, चीनी, गेहूं, जुआर, बाजरा, चावल, दालों और खाद्य तेलों जैसी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में 1 जनवरी, 1981 से 30 जून, 1981 तक की अवधि के दौरान कितनी वृद्धि हुई ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार बढ़ते हुये मूल्यों को रोकने की दृष्टि से समूचे देश में न्यूनतम तथा अधिकतम मूल्यों का निर्धारण करने के लिए कानून बनायेगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ब्रजमोहन महन्तो) : (क) जनवरी, 1981 और जून, 1981 की अवधि के दौरान चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, रागी, दालों, चीनी,

खाद्य तेलों और वनस्पति घी (वनस्पति) के थोक मूल्य सूचकांकों में उतार-चढ़ाव का प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण में दिया गया है । घी का थोक मूल्य सूचकांक उपब्लध नहीं है । जनवरी, 198। और जुन, 198। में बुलन्दशहर, मेरठ और दिल्ली में घी के माह-अन्त के फुटकर मूल्य नीचे दिये गये हैं : —

रु. प्रति कि. ग्रा.

केन्द्र	जनवरी, 198।	जून, 1981
	रु.	रु
बुलन्दशहर	26.25	30.00
मेरठ	26.50	35.50
दिल्ली	27.00	33.00

(ख) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

विवरण

जनवरी-जून, 1981 के दौरान चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांकों में उतार-चढ़ का प्रतिशत :

वस्तु	उतार-चढ़ाव का प्रतिशत
1. चावल	+10.9
2. गेहूं	—4.7
3. ज्वार	+19.5
4. बाजरा	+14.7
5. जौ	— 9.8
6. मक्का	+17.2
7. रागी	+12.9
8. दालें	— 5.5
9. चीनी	+1.0
10. खाद्य तेल	+13.3
11. वनस्पति	+11.4

राज्यों को दिया गया आयातित खाद्य तेल

1142. **श्री एन. ई होरो :**
श्री अर्जुन सेठी :
श्री के. मालन्ना :
श्री के० प्रधानी : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो महीनों के दौरान बढ़ी मांग को पूरा करने के लिए विभिन्न राज्यों को दी गई आयातित खाद्य तेलों की मात्रा से संबंधित ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वनस्पति जिसकी इस समय बाजार में कमी है, के मूल्यों में हो रही वृद्धि को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री ब्रजमोहन महन्ती) : (क) अप्रैल, 1981 से सार्वजनिक वितरण के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के कुल आबंटनों में प्रतिमास 10 प्रतिशत के लगभग वृद्धि की गयी है, ताकि उनकी बढ़ी हुई मांगों को पूरा किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए जून और जुलाई, 1981 में क्रमशः 41,700 मीटरी टन तथा 46,800 मीटरी टन आयातित खाद्य तेलों का आबंटन किया गया। इन आबंटनों के प्रति राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इन दो महीनों में भारतीय राज्य व्यापार निगम लि० से क्रमशः 33,000 मी. टन. तथा 4',000 मी. टन के लगभग मात्रा उठाई।

(ख) अप्रैल, 1981 में वनस्पति उद्योग ने अक्तूबर, 81 के अन्त तक स्वैच्छिक मूल-नियंत्रण बरतने तथा 16.5 कि. ग्रा. टीन को, उत्पादन शुल्क सहित, जिसमें बिक्री कर तथा अन्य स्थानीय कर शामिल नहीं हैं, 192/-रु० के अधिकतम कारखाना मूल्य पर बेचने का अपना निर्णय घोषित किया था। छोटे पैकों के मूल्य बड़े पैकों के मूल्य के अनुरूप रखे जाते हैं। कुल मिलाकर, इन मूल्यों को कायम रखा जा रहा है, जैसा कि वनस्पति के थोक मूल्य सूचकांक से पता चलता है, जो स्थिर रहा है। फिर भी, स्वैच्छिक मूल्य व्यवस्था पर निरन्तर नजर रखी जाती है और इसकी पुनरीक्षा की जाती है तथा सरकार वनस्पति उत्पादकों के साथ इस बारे में बातचीत जारी रखे हुए है कि वनस्पति का उत्पादन तथा उसकी उपलभ्यता पर्याप्त मात्रा में बनी रहे तथा वह त्यौहार के मौसम में उक्त घोषित मूल्यों पर मिलता रहे। सरकार स्थिति की मांग के अनुसार समय समय पर ऐसे उपयुक्त कदम उठाती रहेगी। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया है कि वे स्थिति पर नजर रखें और वनस्पति उद्योग तथा व्यापार के साथ तालमेल रखते हुए इन वनस्पति मूल्यों को बनाये रखने के लिए कारगर कदम उठायें।

देश में, कुल मिलाकर, वनस्पति की कमी नहीं है और गत वर्षों की तुलना में काफी ऊंची दर पर इसका उत्पादन बनाये रखा जा रहा है। उपभोक्ताओं की मांग को पूरा कर सकने के लिए उत्पादन के मौजूदा रुख को बनाये रखने की दृष्टि से सरकार ने कई कदम उठाये हैं, जैसे वनस्पति उद्योग को आयातित तेल पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करते रहना, वनस्पति उत्पादकों के प्रतिनिधियों के साथ समय-समय पर बैठकें करना, ताकि विभिन्न आदानों की आपूर्ति के बारे में

कोई समस्या हो तो उसे सुलझाया जा सके, राज्य सरकारों से अनुरोध करना कि वनस्पति उद्योग के मामले में बिजली की कटौती न की जाए आदि । व्यापारियों के किसी भी वर्ग द्वारा स्टाक की जमाखोरी के किसी भी प्रयास को रोकने के लिए राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे भण्डारण नियंत्रण आदेश और अन्य कानूनों को प्रभावी रूप से लागू करें ।

विवरण

चुनींदा केन्द्रों में मास के अन्त में मुक्त बिक्री की चीनी के थोक मूल्य बताने वाला विवरण (अक्तूबर, 1980—जुलाई, 1981)

(रु०/क्विंटल)

राज्य/केन्द्र	किस्म	अक्तू. 80	नव. 80	दिस. 80	जन. 81	फर. 81	मार्च 81	अप्रैल 81	मई 81	जून 81	जुलाई 81
आन्ध्र प्रदेश											
विजयवाड़ा	डी.-30	900	800	660	690	685	715	860	715	715	635
असम											
गोहाटी	सी.-30	860	उ.न.	750	740	755	760	820	770	790	675
बिहार											
पटना	सी.-30	उ.न.	उ.न.	694	680	610	उ.न.	उ.न.	790	उ.न.	662
गुजरात											
अहमदाबाद	डी.-30	उ.न.	805	700	720	740	750	उ.न.	723	700	650
केरल											
त्रिवेन्द्रम	—	उ.न.	840	697	720	730	743	880	735	720	698
कर्नाटक											
बंगलौर	—	उ.न.	810	685	720	725	740	860	715	710	640
मध्य प्रदेश											
भोपाल	डी.-30	उ.न.	900	705	730	755	765	910	उ.न.	720	660
उड़ीसा											
कटक	डी.-30	उ.न.	690	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	उ.न.	760	760	655
महाराष्ट्र											
बम्बई	सी.-30	उ.न.	790	670	717	720	757	880	705	669	638

(रु० क्विंटल)

राज्य/केन्द्र	किस्म	अक्तू. 80	नव. 80	दिस. 80	जन. 81	फर. 81	मार्च 81	अप्रैल 81	मई 81	जून 81	जुलाई 81
पंजाब											
जलन्धर	डी.-30	उ.न.	975	750	750	760	810	850	770	780	670
राजस्थान											
जयपुर	—	उ.न.	900	700	700	730	760	820	745	715	665
तमिलनाडु											
मद्रास	ई.-30	उ.न.	840	680	700	700	725	855	729	715	640
उत्तर प्रदेश											
कानपुर	डी.-30	उ.न.	उ न.	720	695	695	725	880	680	760	630
पश्चिमी बंगाल											
कलकत्ता	डी.-30	उ.न.	उ.न.	700	708	735	750	830	700	775	610
दिल्ली											
दिल्ली	सी -30	उ.न.	930	740	720	745	800	845	745	755	755

उ न. = उपलब्ध नहीं ।

उड़ीसा में एस. एफ. डी. ए. योजना के अन्तर्गत लाभान्वित हुए गांव

1143. **श्री क्रिस्टोफर एक्का : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के विभिन्न जिलों के गांवों में उन किसानों की कुल संख्या कितनी है जो 1979-80 और 1980-81 के दौरान छोटे किसान विकास एजेंसी योजना के अंतर्गत लाभान्वित हुए हैं ;

(ख) क्या छठी योजना अवधि के दौरान छोटे किसानों के उत्थान के लिए ज्यादा ध्यान देने का प्रस्ताव सरकार के पास है ;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा जिले के सुन्दर गढ़ जिले के उन गांवों की कुल संख्या कितनी है जो 1981-82 के दौरान उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत लिए जाने के लिए प्रस्तावित है ; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) 1979-80 तथा 1980-81 के दौरान उड़ीसा के विभिन्न जिलों में लघु कृषक विकास योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त व्यक्तियों की कुल संख्या अनुबन्ध 'क' के विवरण में दी गई है।

(ख), से (घ) जी हां। समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम जिसमें वर्ष 1980-81 में ल० कृ० वि० ए० कार्यक्रम को मिलाया गया था, के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1.5 मिलियन परिवारों को सहायता पहुंचाने का प्रस्ताव है जिनमें लघु कृषक/सीमान्त कृषक/कृषि मजदूर तथा ग्रामीण कारीगर भी शामिल हैं। 2 अक्तूबर, 1980 से समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत देश के सभी खण्डों को लाया गया है। इस प्रकार कार्यक्रम के अन्तर्गत सुन्दरगढ़ जिले में सभी 17 खण्डों को लाया जा चुका है। वर्ष 1981-82 के दौरान वे प्रति खण्ड 6 लाख की दर से 102 लाख रुपए के आवंटन के लिए पात्र हैं। प्रति खण्ड 600 परिवारों को अन्तर्गत लाए जाने का प्रस्ताव है। इस प्रकार वर्ष 1981-82 के दौरान सुन्दरगढ़ जिले में समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 10,00 परिवारों को लाये जाने की प्रत्याशा है।

विवरण

उड़ीसा में लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगियों की कुल संख्या को दर्शाने वाला विवरण :

जिला	1979-80 के दौरान	1980 81 † के दौरान
1. बालंगीर	7,221	13,489
2. कटक	8,412	4,953
3. धन कैनाल	4,57	11,114
4. गंजम	17,002	24,036
5. क्योंझर	31,198	21,730
6. पुरी	14,005	5,067
7. सम्बलपुर	5,609	20,148
8. फूलबानी	—	1,214
योग	88,014	1,01,781

† लघु कृषक विकास एजेंसी कार्यक्रम तथा समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के इकट्ठे आंकड़े दिए गए हैं क्योंकि 2 अक्तूबर, 1980 से इन दोनों कार्यक्रमों को मिला दिया गया है।

'डी. डी. ए. हैज मोर सीमेंन्ट देन इट कैन हैंडल' शीर्षक से समाचार

1144. श्री सनत कुमार मंडल : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यहब ताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 16 जुलाई, 1981 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में डी. डी. ए. के पास उसकी सम्भालने की क्षमता से ज्यादा सीमेंट का होना (डी. डी. ए. हैज मोर सीमेंट देन इट केन हैंडल) शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है।

(ख) यदि हां, तो उस पर उनकी प्रतिक्रिया क्या है।

(ग) क्या यह सच है कि व्यापक पैमाने पर इस महत्वपूर्ण वस्तु की चोरी और दुरुपयोग हो रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो क्या मामले की इस स्थिति के लिए किसी को जिम्मेदार माना गया है और क्या अपराधियों का पता लगाया गया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह समाचार सही नहीं है, सीमेंट अनुमेय सीमा के भीतर उठवा दिया गया था और कोई हर्जाना प्रभार नहीं दिया गया।

(ग) तथा (घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि सीमेंट की तथा कथित चोरी उसके ध्यान में आयी है। पुलिस इन मामलों की जांच पड़ताल कर रही है।

नई दिल्ली में राज्य मन्त्रियों का सम्मेलन

1145. श्री एस. वी. चन्द्रशेखर मूर्ति :

श्री गुलाम मोहम्मद खां : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने जुलाई, 1981 में नई दिल्ली में राज्य मन्त्रियों का एक सम्मेलन बुलाया था।

(ख) यदि हां, तो इसमें किन विषयों पर विचार-विमर्श किया गया था ;

(ग) इसमें क्या निर्णय लिये गये थे ;

(घ) इनके सुझावों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई ; और

(ङ) क्या इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए कोई समिति गठित की गई है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन के निम्नलिखित मदों पर विचार-विमर्श किया गया था : –

1. ग्रामीण बेरोजगार व्यक्तियों के लिए रोजगार का सृजन ।
2. तृतीय क्षेत्र का विकास ।
3. रोजगार के सृजन के लिए आधारभूत ढ़ांचे का विकास ।
4. विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत रोजगार के सृजन हेतु परिमाणत के मानदण्ड ।

(ग) से (ङ) सम्मेलन में अनेक सिफारिशें की गई थीं । इसके अलावा, सम्मेलन में एक प्रस्ताव भी पारित किया गया था जिसमें केन्द्रीय सरकार से, अन्य बातों के साथ-साथ, ग्रामीण रोजगार के लिए उपयुक्त नीति की सिफारिश करने के लिए एक समिति गठित करने का आग्रह किया गया था । ये सभी केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन हैं ।

चीनी और गेहूं का सुरक्षित भण्डार बनाना

1146. **श्री एम० वी० चन्द्र शेखर मूर्ति :**
श्री समर मुखर्जी :
श्री ई० बालानन्दन : : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गेहूं और चीनी की कम वसूली को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय सरकार ने इन दोनों जिन्सों का सुरक्षित भण्डार बनाने का निर्णय लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या कई राज्य सरकारें वह पूरा कोटा वसूल करने में असफल रही हैं, वे सामान्यतः वसूल कर लेती थीं ;

(ग) इस वर्ष किन राज्यों ने गेहूं और चीनी की वसूली की है ; और

(घ) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार अपने पास पहले से ही गेहूं का बफर स्टाक रख रही है । चीनी का बफर स्टाक तैयार करना आवश्यकताओं से पर्याप्त अधिक घरेलू उत्पादन होने पर निर्भर करता है।

(ख) और (ग) पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश राजस्थान और बिहार के राज्यों में गेहूं की वसूली निर्धारित किए गए लक्ष्यों से कम हुई है । गुजरात और महाराष्ट्र में गेहूं

की कोई वसूली नहीं हुई थी । जिन राज्यों ने फैक्ट्रियों से स्वयं ही लेवी चीनी की वसूली की थी उनका विवरण संलग्न है । उन्हें 1.10.80 से 31.7.81 तक 14.83 लाख मीटरी टन का कोटा आवंटित किया गया है और 31.7.81 तक उन्होंने लगभग उतनी ही मात्रा उठायी थी ।

(घ) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के एक उपाय के रूप में तथा मूल्यों पर दबाव और व्यापारियों तथा जमाखोरों की कार्यविधि को रोकने के लिए बफर स्टाक तैयार करने हेतु गेहूं का आयात किया जा रहा है । जहां तक चीनी का संबंध है, प्रश्न के भाग (क), (ख) और (ग) में दिए गए उत्तर की दृष्टि में कोई कार्रवाई करना आपेक्षित नहीं है ।

विवरण

जो राज्य फैक्ट्रियों से सीधे लेवी चीनी उठाते हैं उनकी सूची :

1. आंध्र प्रदेश
2. गुजरात
3. हरियाणा
4. केरल
5. तमिल नाडु
6. महाराष्ट्र
7. कर्नाटक
8. पंजाब
9. उत्तर प्रदेश
10. राजस्थान
11. गोवा
12. दादर तथा नगर हवेली
13. चण्डीगढ़
14. हिमाचल प्रदेश
15. मणिपुर
16. नागालैण्ड
17. पांडिचेरी
18. त्रिपुरा
19. सिक्किम

भवन निर्माण सामग्री की अनुपलब्धता का प्रभाव

1147. श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रायः सभी राज्यों में कच्चा माल अर्थात, सीमेन्ट, ईंट, इस्पात आदि उपलब्ध न होने के कारण भवन निर्माण संबंधी कार्यों पर प्रति-कूल प्रभाव पडा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपनी झोंपड़ियों का विकाश करने वाले व्यक्ति इससे अत्यधिक प्रभावित हुए हैं ;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय मंत्रालय ने देश में आवास विकास के लिए अपेक्षित सामग्री मुहैया करने और सहायता करने हेतु विभिन्न कदम उठाए हैं ;

(घ) किन-किन राज्यों में किस सीमा तक भवन निर्माण कार्य को क्षति पहुंची है ; और

(ङ) केन्द्रीय सरकार ने इन राज्यों को क्या सहायता प्रदान की है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह सत्य है कि सीमेन्ट, लोहा आदि जैसी दुर्लभ भवन निर्माण सामग्रियों की आम कमी है। तथापि, इस मंत्रालय को किसी भी राज्य से कोई विशिष्ट शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि किस सीमा तक कच्चे माल की अनुपलब्धता के कारण भवन निर्माण गतिविधियों पर प्रभाव पड़ा है।

(ख) जी नहीं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग अधिकांशतः गारे तथा टाइल जैसी स्थानीय भवन निर्माण सामग्रियों का उपयोग करते हैं।

(ग) से (ङ) केन्द्रीय सरकार अथवा उसके अभिकरण सीमेन्ट, स्टील आदि का कोटा राज्य सरकारों को आवंटित करते हैं। राज्य सरकारें इसे अपनी प्राथमिकताओं तथा जरूरतों के अनुसार पुनर्वितरित करती हैं। यह सच है कि इन सामग्रियों की एक बड़ी मात्रा सिंचाई, बिजली ऊर्जा जैसी अग्रता परियोजनाओं पर प्रयुक्त होती है। आवास एक अग्रता वाली गतिविधि नहीं है और इसलिए इन सामग्रियों का नियतन इसकी आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त नहीं है।

कर्नाटक के गांवों में पीने का पानी

1048. **श्री एम०बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** : क्या **निर्माण और आवास मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी गांवों में पेय जल उपलब्ध करने और पेयजल की कमी को पूरा करने के लिए कोई कार्यक्रम बनाया गया है और छठी योजनावधि में प्रावधान किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक राज्य के उन गांवों की कुल संख्या कितनी है जहां पर पेयजल अभी भी सुलभ कराया जाना शेष है और छठी योजनावधि के पूरा होने पर भी उनमें पेयजल सुलभ नहीं होगा ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां। समस्याग्रस्त गांवों को स्वच्छ पेय जल की व्यवस्था करने के लिए।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में कर्नाटक में 15,450 समस्याग्रस्त ग्राम शेष हैं जहां शुद्ध पेय जल की व्यवस्था की जानी है। छठी योजना के अन्तर्गत सभी समस्याग्रस्त ग्रामों को शुद्ध पेयजल सुलभ कराने के लिये प्रयास किये जायेंगे।

परामर्शदात्री समिति की दिल्ली से बाहर बैठक

1149. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :**
श्री राजेश कुमार :
श्री के. राममूर्ति : क्या संसदीय कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ मन्त्रालयों ने अपनी-अपनी परामर्शदात्री समितियों की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित करने और राजकोष पर इसका वित्तीय-भार डालने का आम तरीका बना लिया है ; और

(ख) वर्ष 1981 के दौरान किन-किन मंत्रालयों ने, किस-किस स्थान पर अपनी परामर्श-दात्री समिति की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दक्षिण में संसद का सत्र आयोजित करने संबंधी संसद सदस्यों की समिति ने एक सुझाव दिया था कि अन्तःसत्रावधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की बैठकें समय-समय पर दक्षिण में आयोजित की जानी चाहिये। सरकार ने इस सिफारिश पर विचार किया तथा यह निर्णय लिया कि अन्तःसत्रा-वधि के दौरान परामर्शदात्री समिति की बैठकें इन समितियों के चैयरमैन के विवेकानुसार, राज्यों में पहले से उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग करते हुए दिल्ली से बाहर आयोजित की जा सकती हैं। तथापि, किसी भी समिति की बैठक किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान एक से अधिक-बार दिल्ली से बाहर आयोजित नहीं की जायेगी। बैठक चाहे दिल्ली से बाहर अथवा दिल्ली में आयोजित की जाये, संसद सदस्यों के यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते पर कोई अतिरिक्त व्यय होने की सम्भावना नहीं है।

(ख) एक विवरण जिसमें मांगी गई जानकारी दी गई है, संलग्न है।

विवरण

विवरण जिसमें उन मंत्रालयों के जिन्होंने 1 जनवरी, 1981 से 16 अगस्त, 1981 तक अपनी परामर्शदात्री समिति की बैठकें दिल्ली से बाहर आयोजित की तथा उन स्थानों के जहां पर ये बैठकें आयोजित की गई नाम दिये गये हैं।

क्रमांक	मन्त्रालय/विभाग		स्थान
1.	संचार	—	श्रीनगर
2.	शिक्षा तथा संस्कृति	—	हैदराबाद
2.	ऊर्जा तथा कोयला	—	बंगलौर
4.	वैदेशिक कार्य	—	हैदराबाद

क्रमांक	मंत्रालय/विभाग		स्थान
5.	उद्योग	—	चंडीगढ़
6.	श्रम	—	बम्बई
7.	विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य	—	गोवा
8.	पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक	—	श्रीनगर
9.	योजना	—	मद्रास
10.	रेल	—	शिमल
11.	नौवहन तथा परिवहन	—	विशाखापतनम्
12.	पर्यटन तथा नागर विमानन	—	श्रीनगर

मत्स्य सम्पदा का लाभ उठाने के लिए साधन और उपकरण

1150. **श्री चिरन्जी लाल शर्मा :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जून, 1981 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित कृषि मन्त्रालय के सचिव के इस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि साधन और उपकरणों के अभाव में भारत लगभग 2020 लाख हैक्टार क्षेत्रफल के अपने अनन्य आर्थिक क्षेत्र में मत्स्य सम्पदा का लाभ नहीं उठा सकता ;

(ख) क्या उन्होंने गैर-सरकारी मत्स्य उद्योग की सहायता प्राप्त करने की बात भी कही थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर०वी० स्वामीनाथन) : (क) जी, हां।

(ख) तथा (ग) अपर सचिव जो मात्स्यकी के प्रभारी अधिकारी हैं ने अपनी प्रेस कान्फ्रेन्स में बताया कि भारत विश्व में 8 वां सब से बड़ा मछली पकड़ने वाला तथा अन्तर्देशीय मत्स्यन में दूसरा सब से बड़ा देश होने के कारण विश्व मत्स्यन के क्षेत्र में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उन्होंने एकमात्र आर्थिक क्षेत्र में आने वाली मुख्य रुकावटों के लिए मत्स्यन संबंधी संसाधनों के बारे में पर्याप्त आंकड़ों की कमी बताया न कि संसाधनों की कमी। उन्होंने सरकार द्वारा जहाजरानी विकास निधि समिति के माध्यम से उदार ऋण देने, समन्वेषी सर्वेक्षण करने, कार्मिकों को प्रशिक्षण देने, मत्स्यन पत्तनों का सृजन करने, संयुक्त उद्यम के अवसर तथा विदेशी मत्स्यन जलयानों को चार्टर करने की अनुमति देना, आदि जैसे उठाए जा रहे कदमों का भी उल्लेख किया। उन्होंने मत्स्यन उद्योगों से कहा कि वे मत्स्यन के विकास तथा मत्स्यन निर्यात के क्षेत्र में अपनी यथार्थ भूमिका अदा करें।

उड़ीसा को गेहूं का कोटा

1151. श्री पी० राजगोपाल नायडू : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा राज्य गेहूं संकट का सामना कर रहा है, क्योंकि उन्हें केन्द्रीय पूल से कम कोटा मिल रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार को हरियाणा और पंजाब की मंडियों से सीधी खरीद के लिए अनुमति प्रदान नहीं की गई ; और

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा राज्य में गेहूं की वर्तमान मांग पूरी करने के लिए क्या व्यवस्थाएं करने का सुझाव दिया गया है ?

कृषि, तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण, मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) यह सच नहीं है कि उड़ीसा राज्य के गेहूं के मासिक कोटे में कमी करने के कारण उस राज्य में गेहूं संकट चल रहा है।

(ख) जी हां।

(ग) उड़ीसा समेत राज्य सरकारों से प्राप्त गेहुं की उचित मागें पूरी की जा रही हैं।

आदिवासियों को आवास हेतु भूमि

1152. श्री अनादि चरण दास : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की राजधानियों तथा विभिन्न राज्यों के अन्य शहरी क्षेत्रों में भूमिहीन आदिवासी तथा हरिजनों को आवास भूमि देने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी आदिवासी अथवा हरिजन को भुवनेश्वर और देश के अन्य किसी शहरी क्षेत्र में आवास भूमि दी गई है ;

(ग) क्या सरकार ने आदिवासियों और हरिजनों को भूमि देने के लिए राज्यों को कोई मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं ;

(घ) यदि हां, तो उन मार्गदर्शी सिद्धान्तों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां इस तरह की योजना कार्यान्वित की गई है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कृषि उत्पादों की उत्पादन लागत में वृद्धि

1153. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दस वर्षों की अवधि में वर्ष प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार के कृषि उत्पादों की प्रति यूनिट उत्पादन लागत में शुद्ध वृद्धि क्या हुई ;

(ख) इस वृद्धि के क्या कारण हैं ; और

(ग) इस अवधि के दौरान भारत सरकार द्वारा इन कारणों को नियंत्रित करने और/अथवा इन कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और उसमें क्या सफलता मिली है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) प्रमुख फसलों की कृषि लागत का अध्ययन करने संबंधी एक व्यापक योजना जिसे 1970-71 से चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वित किया जा रहा है, के अन्तर्गत अलग-अलग वर्षों/राज्यों में विभिन्न फसलों की प्रति इकाई उत्पादन लागत के अनुमान लगाए गए हैं। इस योजना के अन्तर्गत, किसी राज्य में फसल के अन्तर्गत लाये गए क्षेत्र को लगातार अधिक समय तक नहीं रखा जाता है और किसी विशेष फसल के मामले में सभी राज्यों को एक साथ इसमें शामिल नहीं किया जाता है। उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर, अनेक फसलों की प्रति इकाई उत्पादन लागत में हुई निवल वृद्धि का आवंटन करके ब्यौरा संग्लन विवरण में दिया गया है।

(ख) उपलब्ध आंकड़ों से पता चलता है कि प्रति इकाई उत्पादन लागत में होने वाली वृद्धि, फसलों के उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले आदानों के मूल्यों में वृद्धि का परिणाम है जिनके मूल्यों में सामान्यतः सामयिक वृद्धि हुई है। कतिपय महत्वपूर्ण कृषि आदानों जैसे उर्वरकों, मशीन चलाने वाले मजदूरों, सिंचाई आदि के इस्तेमाल और तदनुरूप इनकी लागत में हुई वृद्धि के कारण भी लागत बढ़ी है।

(ग) सरकार द्वारा अनेकों कदम उठाए गए हैं, जैसे उर्वरकों को सीधे ब्लाक स्तरों तक पहुंचाने के लिए परिवहन व्यय पर राज-सहायता उपलब्ध कराना, आसान शर्तों पर ऋण मुहैय्या कराने के लिए संस्थागत ऋण सुविधाओं का विस्तार करना तथा केन्द्रीय और केन्द्र द्वारा प्रयोजित्त योजनाओं के तहत विभिन्न फसलोन्मुखी कार्यक्रमों को प्रारम्भ करना आदि। इसके अलावा प्रशासित मूल्यों का निर्धारण करते समय अन्य बाधों के साथ-साथ कृषि आदानों के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों पर भी विचार किया जाता है।

विवरण

महत्वपूर्ण फसलों की प्रति इकाई उत्पादन लागत में निवल वृद्धि

फसल	राज्य	वर्ष	प्रति क्विंटल उत्पादन लागत (रु०)	उत्पादन लागत में निवल वृद्धि (रु०)
1	2	3	4	5
गेहू	पंजाब	1970-71	61.04	
		1979-80	102.76	41.72
	हरियाणा	1970-71	48.10	
		1979-80	114.00	65.90
	उत्तर प्रदेश	1971-72	50.38	
		1978-79	95.10	44.72
धान	आन्ध्र प्रदेश	1971-72	51.53	
		1979-80	93.12	41.59
	तमिलनाडु	1971-72	53.47	
		1978-79	81.74	28.27
ज्वार	महाराष्ट्र	1971-72	57.03	
		1978-79	71.70	14.67
बाजरा	गुजरात	1971-72	49.73	
		1978-79	74.79	25.06
गन्ना	महाराष्ट्र	1973-74	7.67	
		1978-79	10.05	2.38
	उत्तर प्रदेश	1973-74	7.81	
		1979-80	8.77	0.96
कपास	पंजाब	1972-73	149.19	
		1979-80	272.53	123.34

(अनंतिम)

कृषि आदानों की प्रौद्योगिकी की जानकारी

1154. **श्री ए. टी. पाटिल :** क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारी कृषि आदानों जैसे उर्वरक कीड़े मारने की दवाईयाँ और बीज इत्यादि को प्रौद्योगिकी जानकारी/अथवा उसके घटक विदेशों से आयात की जा रही है अथवा विदेशों से उसे ग्रहण किया जा रहा है जिससे हमारे कृषि आदानों अथवा जमीन की उर्वरता को नुकसान हो रहा है या नुकसान पहुंचने की संभावनाऐं हैं ; और

(ख) प्रौद्योगिकी जानकारी प्राप्त करने और आत्म निर्भर होने के लिए पिछलीं तीन योजनाओं में क्या कदम उठाए गए और उसके क्या परिणाम निकले ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) इस प्रकार की कोई कमी ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं होता ।

गेहूं के उत्पादन की लागत बनाम वसूली मूल्य

1155. **श्री दौलतराम सारण :**

श्री त्रिलोक चन्द्र :

श्री रशीद मसूद : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1973-74 के बाद से अब तक गेहूं उत्पादन की प्रति क्विंटल लागत में हुई वृद्धि के बारे में कोई विश्लेषण किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन वर्षों के दौरान उत्पादन लागत में वृद्धि की तुलना में वसूली मूल्यों में कितनी वृद्धि की गई है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (ग) गेहूं के उत्पादन की लागत के अनुमान मुख्य फसलों की लागत का अध्ययन करने की वृहत योजना के माध्यम से उपलब्ध होते हैं । अनेक राज्यों में प्रायः एक विशेष फसल से सम्बन्धित अध्ययन को प्रति वर्ष नहीं दोहराया जाता । 1972-73 से 1979-80 तक की अवधि के लिए केवल पंजाब के बारे में ही पूर्ण आंकड़े उपलब्ध हैं । यह आँकड़े तथा सरकार द्वारा निर्धारित गेहूं के समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

(रुपए प्रति क्विंटल)

वर्ष	उत्पादन की लागत	समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य
	पंजाब	
1972-73	67.10	76.00
1973-74	74.34	105.00
1974-75	87.76	105.00
1975-76	99.47	105.00
1976-77	101.39	110.00
1977-78	108.57	112.50
1978-79	101.45	115.00
1979-80	102.76	117.00
1980-81		130.00

टिप्पणी : वर्ष 1972-73 के सामने दिखलाया गया अधिप्राप्ति मूल्य विपणन वर्ष 1973-74 तथा आगे के वर्षों से सम्बन्धित है ।

स्पष्ट है कि समर्थन/अधिप्राप्ति मूल्य उत्पादन की लागत की तुलना में अधिक रहा है । 1972-73 से 1979-80 तक के 8 वर्षों के दौरान पंजाब में लागत में हुई वृद्धि 35 रुपए प्रति क्विंटल थी, जबकि इसी अवधि के दौरान अधिप्राप्ति मूल्य में हुई वृद्धि 41 रुपये प्रति क्विंटल थी ।

उड़ीसा के क्योंझर जिले में सीमान्त किसानों और कृषि मजदूरों की विकास की योजनायें

1156. **श्री हरिहर सोरन** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के क्योंझर जिले में 1970-71 से लेकर 1978-79 तक सीमान्त किसान और कृषि मजदूरों की विकास एजेंसी योजना शुरू की गई थी ;

(ख) इस योजना के अन्तर्गत लाए जाने के लिए किन प्रखण्डों और कुल कितने छोटे और सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों का पता लगाया गया था और उनमें से कितनों को वास्तव में इससे लाभ मिला ;

(ग) उन्हें राज सहायता दिए जाने का तरीका क्या था ;

(घ) क्या यह सच है कि वहां पर उक्त योजना बहुत सफल नहीं हो पाई ;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) जिन स्थानों पर यह योजना अभी भी चल रही है वहाँ पर धन के उचित उपयोग और छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा कृषि मजदूरों को इसका वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) जी हां ।

(ख) एक विवरण- संलग्न है ।

(ग) छोटे निवेशों के मामले में, वित्तदायी संस्थाओं को सामान्यतः लाभभोगियों के पक्ष में उपदान का भुगतान किया गया था जो उन्हें मंजूर किए गए ऋण में समायोजित किया जाना था । जहां ऋण से सम्बन्ध अनिवार्य नहीं है वहाँ उपदान माल तथा सेवा उपलब्ध करने वाले अनुमोदित संभरक, संगठन अथवा फर्म को सौंपा गया था ।

(घ) सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेंसी को चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था । इसे पांच वर्षों की प्रारम्भिक अवस्था के अन्त में संयुक्त परियोजना जिसमें लघु किसान भी शामिल है बना दिया गया था और इसे पांचवी योजना के अन्त तक जारी रखा गया था । इस प्रकार, एजेंसी को 1978-79 तक 50,000 लाभभोगियों को अपने अन्तर्गत लाना था । इसके मुकाबले में, एजेंसी ने 41,622 भागीदारों का चयन किया लेकिन 31 मार्च, 1979 तक वास्तविक रूप से केवल 109,22 भागीदारों को ही अन्तर्गत लाया गया है । 31-3-1979 तक एजेंसी को उपलब्ध की गई 115.34 लाख रुपए की धनराशि के मुकाबले में यह केवल 115:15 लाख रुपए उपयोग में ला सकी है इस प्रकार यह पता चला है कि एजेंसी लाभभोगियों की लक्षित संख्या को अपने अन्तर्गत नहीं ला सकी ।

(ङ) सूचित की गई अड़चनें विकसित आधारभूत ढांचा, संचार तथा बैंकिंग सुविधाओं का अभाव, पशुओं के लिए पर्याप्त चिकित्सा सेवा की कमी आदि है ।

(च) राज्य सरकार कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन के लिए ऋण जुटाने, भागीदार का सामूहिक तौर पर चयन करने, आधारभूत ढांचे के विकास की व्यवस्था करने आदि के लिए कदम उठा रही हैं । 2 अक्तूबर 1980 से लघु कृषक विकास कार्यक्रम को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के साथ मिला दिया गया है । समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभभोगियों का चयन आयवर्ग के निम्न स्तर में से किया जाना है । केवल उन परिवारों का चयन किया जाना है जिनकी कुल वार्षिक आय 3500/- रुपये से अधिक नहीं है । उनका चयन विस्तृत परिवार सर्वेक्षण के आधार पर किया जाना है विस्तृत खण्ड स्तरीय आयोजना के लिए प्रचालनात्मक मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं । कार्यक्रम का कार्यान्वयन

जिला, ग्रामीण विकास एजेंसी के माध्यम से किया जाएगा जिसके लिए एक आयोजन दल की भी स्वीकृति दी गई है। योजना के अंतर्गत प्रबोधन, निधियों के उपयोग तथा लाभभोगियों के अंतर्गत लाने के लिए ब्यौरेवार प्रोफार्मा निर्धारित किए गए हैं।

विवरण

(क) लघु कृषक विकास एजेंसी/सीमान्त कृषक तथा कृषि श्रमिक एजेंसी, क्योंझर (उड़ीसा) के अन्तर्गत लाए खण्डों के नाम :

1. आनन्दपुर
2. बंसापाल
3. चम्पुआ
4. घासीपुरा
5. घाटागांव
6. हरिचन्दनपुर
7. हटाडिही
8. झूमंपुरा
9. जोदा
10. क्योंझरगढ़
11. पटना
12. सहारापड़ा
13. तेलकोई

(ख) **चयन तथा कार्य क्षेत्र**

1.	चयन किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या (1970-71 से 1978-79)	50,000
2.	चयन किए गए व्यक्तियों की संख्या	41,622
3.	सहाख्यित व्यक्तियों की संख्या	10,922

खाद्यान्नों का उत्पादन

1157. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष को शामिल करते हुए गत पाँच वर्षों के दौरान खाद्यान्न के उत्पादन का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इस वर्ष गेहूं का आयात किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि इस वर्ष गैर-सरकारी व्यापारियों को गेहूं जमा करने के लिए खरीदने दिया गया और निदेशों के अनुसार भारतीय खाद्य निगम मूक दर्शक बना रहा ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1976-77 से 1979-80 के वर्षों के दौरान खाद्यानों के अनुमानित उत्पादन की स्थिति इस प्रकार है :

वर्ष	(मात्रा मिलियन मीटरी टन में)
1976-77	111.17
1977-78	126.41
1978-79	131.90
1979-80	108.85
1980-81	133.00 (अस्थायी, अन्तिम अनुमान अभी लगाये जाने हैं ।)

(ख) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के एक उपाय के रूप में तथा मूल्यों पर दबाव और व्यापारियों तथा जमाखोरों की कार्यविधि को रोकने के लिए बफर स्टाक तैयार करने हेतु गेहूं का आयात किया जा रहा है ।

(ग) जी नहीं ।

खरीफ फसल की सम्भावना

1158. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस वर्ष विभिन्न राज्यों में खरीफ फसल की सम्भावना का मूल्यांकन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) तथा (ख) चालू वर्ष में खरीफ फसल की सम्भावनाओं का अनुमान बताना अभी संभव नहीं है । तथापि, उत्तर-पूर्वी भारत के कुछ भागों को छोड़कर, देश के सभी भागों में 1 जून से 19 अगस्त तक सामान्य या सामान्य से अधिक वर्षा हुई है । सम्पूर्ण देश में धान की रोपाई सहित खरीफ की बुवाई व्यवहारिक रूप से पूरी अथवा अधिकतर पूरी हो चुकी है ।

अन्तर्राज्यीय विवादों के कारण रुकी पड़ी नदी घाटी परियोजनाएं

1159. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री छोटे सिंह यादव : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन राज्यों की ऐसी कितनी-कितनी नदी घाटी परियोजनाएं हैं जो जल में हिस्सा बटाने से संबंधित अन्यर्राज्यीय विवादों के न सुलझ पाने के कारण रुकी पड़ी हैं ;

(ख) इन अन्तर्राज्यीय विवादों के अब तक न सुलझ पाने के प्रमुख कारण क्या हैं और इन विवादों के सुलझाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अब तक क्या प्रयास किये हैं ; और

(ग) इन कारणों से इन परियोजनाओं की लागत में कितनी वृद्धि हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) लम्बित पड़े मुख्य नदी जल विवाद (एक) कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पाण्डिचेरी के बीच कावेरी बेसिन ; (दो) हरियाणा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बीच यमुना बेसिन और (तीन) हरियाणा और पंजाब के बीच रावी-ब्यास बेसिन के जल के उपयोग तथा विकास से संबंधित हैं। इन विवादों के कारण, इन बेसिनों में 39 वृहद और मध्यम सिंचाई स्कीमें लंबित पड़ी हैं।

(ख) इन विवादों के बारे में वर्तमान स्थिति और उनके समाधान के लिये किये गये प्रयत्नों का ब्यौरा इस प्रकार है :—

कावेरी बेसिन :

अधिकारियों और मुख्य मंत्रियों के स्तर पर कई बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, अन्तिम बैठक दिसम्बर, 1980 में हुई थी। मुख्य मंत्रियों के स्तर पर एक बैठक सब पक्षों के लिये सुविधाजनक तारीख को शीघ्र आयोजित करने का प्रस्ताव है।

यमुना बेसिन

अप्रैल, 1981 में मुख्य मंत्रियों की अन्तर्राज्यिक बैठक में जल की उपलब्धता की जांच करने और यमुना के जल के नियतन के लिए मानदण्डों/सिद्धांतों की सिफारिश करने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग की अध्यक्षता में एक तकनीकी विशेषज्ञ समिति गठित की गई थी जिसमें राज्यों के मुख्य इंजीनियर सदस्यों के रूप में लिये गये थे। इस समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर, उस पर मुख्य मंत्रियों के स्तर पर आगे विचार किया जायेगा।

रावी-ब्यास

पंजाब पुनर्गठन अधिनियम की धारा 78 के अनुसार, हरियाणा सरकार ने ब्यास परियोजना के परिणामस्वरूप उपलब्ध होने वाले जल का नियतन उत्तराधिकारी राज्यों के बीच

करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया था। तदनुसार, केन्द्रीय सरकार ने 24-3-1976 को एक आदेश पारित किया था जिसके द्वारा 3.5 मिलियन एकड़ फुट जल हरियाणा के लिए नियत किया गया था। पंजाब ने इस आदेश के विरुद्ध अध्यावेदन दिया है और इसकी वैधता की चुनौती देते हुये उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। हरियाणा ने भी मार्च, 1976 के आदेश के कार्यान्वयन के लिए उच्चतम न्यायालय में मुकदमा दायर किया है। हालांकि ये दोनों मुकदमें उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हैं, फिर भी केन्द्रीय सरकार न्यायालय के बाहर मामले का समाधान करने के लिये दोनों राज्यों को सहायता दे रही है।

(ग) चूंकि अभी यह भी पता नहीं है कि ये जल विवाद अन्तिम रूप से कब तय होंगे, अतः यह बताना संभव नहीं है कि इनके कारण लम्बित पड़ी परियोजनाओं की लागत में किस सीमा तक वृद्धि होगी।

पर्वतीय क्षेत्रों से शहरों को कृषि उत्पादन का परिवहन

1160. श्री निहाल सिंह : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री 2 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1938 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्वतीय क्षेत्र से शहरों को कृषि उत्पाद को ले जाने के लिए परिवहन सुविधाओं को जुटाने के बारे में इस बीच सूचना इकठ्ठी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

छठी योजना में 1500 और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले सभी गांवों तथा 1000-1500 की जनसंख्या वाले 50 प्रतिशत गांवों को सभी मौसमों में खुले रहने वाली सड़कों से 10 वर्षों की अवधि में जोड़ने हेतु प्रावधान की परिकल्पना की गई है। पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों आदि के मामलों में जहां आबादी दूर-दूर बसी हुई है, उपर्युक्त प्रतिमान में गांवों के बजाए "गांवों के समूहों" के लिए छूट दी जा सकती है। छठी योजना अवधि के दौरान सभी मौसमों में खुले रहने वाली सड़कों से 20,000 गांवों को जोड़ने की प्रत्याशा है।

राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना नीचे दी गई है :—

राज्य	
1. आंध्र प्रदेश :	सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।
2. असम :	सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

3. बिहार — पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उपज बाजार समिति संचार सुविधाओं का विकास करने का प्रयास कर रही है। पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों की 13 बाजार समितियों के क्षेत्र को अन्तर्गत लाने वाली 30 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का विकास किया गया है।

4. गुजरात : पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में बाजार समितियों के यार्डों तथा उप-यार्डों को सड़कों से पहले ही जोड़ दिया गया है और उपज के परिवहन के लिए कोई विशेष उपाय आवश्यक नहीं समझे गये हैं।

6. हिमाचल प्रदेश : राज्य सरकार पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों से फालतू कृषि उपज के परिवहन के लिए परिवहन प्राधिकारियों से परामर्श करके प्रबन्ध करती है। बहुत सी सड़कों का निर्माण किया जा चुका है और नई सड़कें भी निर्माणाधीन हैं।

5. हरियाणा : राज्य सरकार से शून्य सूचना प्राप्त हुई है।

7. जम्मू तथा काश्मीर : सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

8. कर्नाटक : किसी भी क्षेत्र का पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्र के रूप में चयन नहीं किया गया है।

9. केरल — सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

10. मध्य प्रदेश : सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

11. महाराष्ट्र : महाराष्ट्र आदिवासी विकास निगम राज्य में 10 जिलों के 40 तालुकाओं में वन तथा कृषि उपज की खरीद करने तथा उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की व्यवस्था कर रहा है।

12. मणिपुर : राज्य में उपलब्ध सड़कों तथा बाजारों के लिए उपज के परिवहन के लिए राज्य सरकार के परिवहन की व्यवस्था की गई है।

13. मेघालय : सीमावर्ती क्षेत्रों को छोड़कर राज्यों के विभिन्न भागों से उपज के परिवहन हेतु कोई विशिष्ट उपाय नहीं किये गये हैं। राज्य सड़क विकास कार्यक्रम में भीतरी क्षेत्रों को खोलने की परिकल्पना की गई है।

14. नागालैंड : राज्य सरकार ने "शून्य" सूचना भेजी है।

15. उड़ीसा : राज्य सरकार से सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है ।

16 पंजाब : राज्य सरकार से "शून्य" सूचना प्राप्त हुई है ।

17. राजस्थान : कोई विशिष्ट उपाय नहीं किए गए ।

18. सिक्कम : आदिवासी क्षेत्रों से उपज की खरीद तथा ढुलाई विभागीय ट्रकों द्वारा की जाती है ।

19. तमिलनाडु : राज्य सरकार से "शून्य" सूचना प्राप्त हुई है ।

20. त्रिपुरा : आदिवासी उप योजना क्षेत्रों में 2700 कि. मी. लम्बी सड़कों का निर्माण किया गया है । विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में शहरों तथा बाजारों को जोड़ने के लिए कई सड़कों का निर्माण भी किया गया ।

21. उत्तर प्रदेश : सूचना की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है ।

22. प० बंगाल : सरकार सम्पर्क सड़कों के निर्माण के लिए निधियां सुलभ कर रही है तथा निर्माण की जाने वाली सड़कों का चयन करते समय पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों की आवश्यकताओं की ओर उचित ध्यान दिया जाता है । आदिवासी क्षेत्रों में सड़कें तथा बाजार सुलभ किए गए हैं लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान का भी पता लगाया जाना है ।

केन्द्र शासित क्षेत्र

23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह : आदिवासियों द्वारा फालतू उत्पादन नहीं किया जाता है ।

24. अरुणाचल प्रदेश : कृषि विभाग असम में प्रशासन केन्द्रों तथा निकटवर्ती बाजारों के लिए उपज लाने हेतु उत्पादकों को ट्रक सुलभ करता है ।

25. चंडीगढ़ : केन्द्र शासित क्षेत्र से "शून्य सूचना प्राप्त हुई है ।

26. दादरा तथा नगर हवेली : उपज की ढुलाई के लिए कोई विशिष्ट उपाय नहीं किए गए हैं । सीमित मात्रा में फालतू कृषि उपज होती है ।

27. दिल्ली : केन्द्र शासित क्षेत्र से "शून्य सूचना प्राप्त हुई है ।

28. गोआ, दमन तथा दीव : सभी पहाड़ी क्षेत्रों तथा गांवों को मोटर मार्गों से पहले ही जोड़ दिया गया है । अतः किन्हीं विशेष उपायों की आवश्यकत नहीं है ।

29. लक्षद्वीप : केन्द्र शासित क्षेत्र में कोई पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्र नहीं है ।

30. मिजोरम : कृषि उपज की ढुलाई के लिए 1980-81 के दौरान लगभग 1056 कि. मी. कृषि सम्पर्क सड़कों का निर्माण किया गया है। खेतों से बाजारों तक कृषि उपज को उठाने के लिए विभागीय ट्रक भी लगाए गए हैं ।

31. पांडिचेरी : केन्द्र शासित क्षेत्र में कोई पहाड़ी क्षेत्र नहीं है ।

पुन-पुन मोरहार-दरधा सिंचाई योजना

1161. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में पटना, गया, नवादा आदि के बड़े हिस्सों की सिंचाई को सुनिश्चित करने के लिए एक पुन-पुन मोरहार-दरधा सिंचाई योजना तैयार की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ;

(ग) क्या बिहार सरकार ने इस योजना के निष्पादन के लिये केन्द्रीय आर्थिक सहायता मांगी है ;

(घ) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ;

(ङ) उस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, हां बिहार सरकार ने पुनपुन-दरधा सिंचाई परियोजना तैयार की है, जिसके अन्तर्गत 20.77 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत पर बिहार के गया और पटना जिलों में 1,'6,156 एकड़ क्षेत्र की सिंचाई के लिए हमीदनगर में पुनपुन नदी पर एक बराज और नदी के दोनों किनारों पर नहरों का निर्माण परिकल्पित है ।

(ग) से (ङ) इस स्कीम को इस समय केन्द्रीय जल आयोग में तकनीकी जांच की जा रही है और इसके कार्यान्वियन के लिए इसे अभी योजना आयोग द्वारा अनुमोदन दिया जाना है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है ।

सिंचाई एक राज्य-विषय है, अतः सिंचाई परियोजनाओं का आयोजन, अन्वेषण और त्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी विकास योजनाओं के अन्तर्गत किया जाता है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता ब्लाक ऋणों और अनुदानों के रूप में समूचे राज्य के लिए दी जाती है और वह विकास के किसी सेक्टर या परियोजना से संबंधित नहीं होती ।

बिहार में पीने के पानी की सप्लाई के लिए आर्थिक सहायता

1162. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई आबादी को पीने के पानी की सप्लाई का इन्तजाम करने में पटना वाटर बोर्ड को कठिनाई हो रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बिहार सरकार भी आवश्यक धन जुटाने में असमर्थ है और उसने पीने के पानी की सप्लाई के आवश्यक इन्तजाम के लिए केन्द्रीय सरकार से विशेष आर्थिक सहायता मांगी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (ग) पेय जल की व्यवस्था करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और इस प्रयोजन के लिए राज्य प्लानों में निधियों की व्यवस्था की जाती है। तथापि, केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जल पूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता पता लगाए गए समस्याग्रस्त ग्रामों को पेय जल मुहैया करने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों की पूर्ति करने के लिए दी जाती है। नगरीय क्षेत्रों को जलपूर्ति के लिए कोई केन्द्रीय वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है।

2. पटना शहर को पानी की सप्लाई करने के लिए, बिहार सरकार विश्व बैंक सहायता के विचारार्थ एक व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार कर रही है।

अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन, पटना

1163. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरवरी, 1980 में पटना में अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन आयोजित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इस सम्मेलन में नगर सीमाओं में रह रहे लोगों को नागरिक सुविधायें प्रदान करने के प्रश्न पर विस्तृत रूप से विचार-मिवर्श किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को इसमें लिये गये निर्णयों की जान-कारी है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ङ) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी हां।

(ख) से (ङ) इस सम्मेलन की सिफारिशें निर्माण और आवास मन्त्रालय को सरकारी तौर पर नहीं भेजी गई थीं और इसलिए इस सम्मेलन में उठाये गये मुद्दों पर विचार करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के स्थानान्तरण संबंधी नियम

1164. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कोशिश करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के स्थानान्तरण संबंधी कोई नियम हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे नियम क्या हैं ;

(ग) क्या अधिकतर मामलों में इन नियमों का पालन नहीं किया जाता ; और

(घ) यदि हां, तो क्षेत्र 'ए' और 'बी' में उनकी संख्या कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियरों के स्थानान्तरण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग मैनुअल जिल्द I की धारा 9 के अन्तर्गत पैरा 10 में उल्लिखित मार्गनिर्देशनों द्वारा विनियमित होते हैं जिसका एक उद्धरण संग्लन है ।

(ग) तथा (घ) 1979 से वारी वारी से स्थानान्तरण निम्नलिखित कारणों से नहीं किए गए हैं :—

(एक) सरकारी व्यय में मितव्ययिता के एक उपाय के रूप में स्टेशन परिवर्तन वाले स्थानान्तरणों पर वित्त मन्त्रालय द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध तथा (दो) सेवा की अत्यावश्यकता को देखते हुए ।

विवरण

(10) कनिष्ठ इंजीनियरों का स्थानान्तरण करने के लिए अधीक्षक इंजीनियर (समन्वय) निम्नलिखित मार्गनिर्देशन सिद्धांतों का पालन करेंगे :—

(क) सभी स्टेशनों पर कनिष्ठ इंजीनियरों की लगातार ठहरने की सामान्य अवधि 4 वर्ष होगी जब तक कि किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा मण्डल आदि के बारे में सामान्य ठहराव की कोई भिन्न अवधि मुख्य इंजीनियर द्वारा विशेषतः निर्धारित नहीं की जाती है । कठिनाई वाले क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों के मामले में ठहरने की अवधि एक वर्ष कम की जा सकती है ।

(ख) ठहरने की सामान्य अवधि से अधिक किसी स्टेशन पर 8 वर्ष की अधिकतम अवधि तक प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी पर बिताई गई अवधि बशर्ते कि यहां सुनिश्चित किया गया हो कि वे 4 वर्ग से अधिक, वर्ष (नामतः आयोजना, अनुरक्षण अथवा निर्माण कार्य) के किसी विशिष्ट मण्डल में कार्य नहीं करते हों।

(ग) प्रतिनियुक्ति अथवा छुट्टी पर किसी विशिष्ट स्टेशन पर बिताई गई अवधि उस स्टेशन पर ठहरने की अवधि के रूप में समझी जाएगी।

(घ) अधीक्षक इंजीनियर (समन्वय) सामान्य अवधि की समाप्ति से 2 महीने पहले परिमंडल जिस में कोई विशिष्ट कनिष्ठ इंजीनियर कार्य कर रहा हो, को सूचित करेगा कि सम्बन्धित कनिष्ठ इंजीनियर अमुक तारीख को स्थानान्तरित होने वाला है। सामान्यतः तारीख श्रृंखला का अनुपालन किया जाएगा सिवाय दोनों ओर एक माह तक के न्यूनतम समायोजन के।

(ङ) अधीक्षक इंजीनियर (समन्वय) किसी स्टेशन पर सामान्य ठहरने की अवधि की समाप्ति से छः महीने पहले स्थानान्तरण कर सकता है यदि स्थानान्तरण निम्नलिखित के कारण आवश्यक हो जाता है :—

(i) नए परिमण्डला/मण्डल खुलने पर।

(ii) बड़ी संख्या में प्रतिनियुक्ति से कनिष्ठ अधिकारियों का लौटना। अन्य सभी मामलों में, ठहरने की सामान्य अवधि में ढील देने के लिए मुख्य इंजीनियर की स्वकृति आवश्यक होगी।

(च) एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में कनिष्ठ इंजीनियरों का स्थानान्तरण किया जा सकता है यदि 2 अधीक्षक इंजीनियर (समन्वय) ऐसे स्थानान्तरण से सहमत हों।

(छ) सेवा की अत्यवश्यकता के अनुसार मुख्य इंजीनियर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अथवा किसी अन्य प्रकार से स्थानान्तरण करने के लिए पूर्ण विशेषाधिकार रखेगा।

(ज) धारणाधिकार स्थानान्तरण नियमावली हेतु गाजियाबाद तथा फरीदाबाद को पृथक स्टेशनों के रूप में नहीं समझा गया है तथा जिन्होंने दिल्ली को शामिल करके दिल्ली कम्प्लेक्स में 4 वर्ष की संयुक्त अवधि पूरी कर ली हो।

(झ) जिन अधिकारियों ने पहले ही 52 वर्ष की आयु पुरी कर ली है सामान्यतः उन्हें कठिन क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जाएगा।

(ञ) लेख बद्ध होने वाले किन्हीं कारणों से स्थानान्तरण नियमावली से आंशिक विचलन के मामले में मुख्य इंजीनियर का पूर्वानुमोदन प्राप्त करना चाहिये।

गेहूं की वसूली लागत

1165. **श्री के मालन्ना** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भण्डारण स्थल और परिवहन सम्बन्धी खर्च का हिसाब लगाने के बाद भारतीय खाद्य निगम द्वारा लगाई जाने वाली गेहूं की प्रति क्विंटल लागत का ब्यौरा क्या है ;

(ख) सहायता प्राप्त दर पर सप्लाई किए जाने वाले गेहूं के प्रति क्विंटल मूल्य का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में गेहूं लागत और आटा मिलों को सप्लाई किए जाने वाले गेहूं के मूल्य के बीच कितना अन्तर है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1981-82 विपणन मौसम के लिए निर्धारित 130/- रुपये प्रति क्विंटल के वसूली मूल्य पर गेहूं की इक्नामिक लागत 182.95 रुपये प्रति क्विंटल आने का अनुमान है ।

(ख) 1-4-1981 से निर्धारित गेहूं का केन्द्रीय निर्गम मूल्य इस प्रकार है :—

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए 145/- रुपये प्रति रोलर फ्लोर मिलों के लिए 155/- रुपये प्रति क्विंटल ।

(ग) 1-4-81 से गेहूं की अनुमति इक्नामिक लागत और जिस मूल्य पर यह रोलर फ्लोर मिलों को सप्लाई किया जाता है, के बीच का अन्तर 27.95 रुपए प्रति क्विंटल बैठता है ।

चीनी का उत्पादन

1166. **श्री बी. बी. देसाई** : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1979-80 के 38.40 लाख टन के विपरीत मई 1981 के दौरान चीनी का उत्पादन 52 लाख टन तक पहुंच गया था ;

(ख) यदि हां, क्या चीनी का 6.8 लाख टन का उठाया गया उपलब्ध स्टाक गन्ने की पेराई शुरू होने तक देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है ;

(ग) क्या अगली पेराई में मौसम के दौरान चीनी के उत्पादन की काफी संभावनाएं हैं, यदि हां, तो किस सीमा तक सम्भावनायें प्रतीत होती हैं ;

(घ) क्या देश में चीनी के उत्पादन की इस सन्तोषजनक स्थिति को देखते हुए चीनी के मूल्य कम होने की सम्भावनायें हैं ; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) मई, 1981 में चीनी का उत्पादन 0.78 लाख मीटरी टत हुआ था जबकि पिछले वर्ष उसी मास में 0.45 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था। अनुमान है कि चीनी वर्ष 1980-81 (अक्तूबर-सितम्बर) में कुल लगभग 51.4 लाख मीटरी टन चीनी का उत्पादन होगा जबकि चीनी वर्ष 1979-80 में 38.59 लाख मीटरी टन का उत्पादन हुआ था।

(ख) 1-10-1980 तक पिछला बचा स्टाक 6.82 लाख मीटरी टन होने से और चीनी वर्ष 1980-81 में 51.40 लाख मीटरी टन का अनुमानित उत्पादन होने से चीनी की कुल उपलब्धता 58.22 लाख मीटरी टन होगी। यह मात्रा तथा 2 लाख मीटरी टन की आयातित चीनी, चीनी वर्ष 1981-82 का पिराई मौसम शुरू होने तक की अवधि के लिए घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी।

(ग) चीनी वर्ष 1981-82 में होने वाले चीनी के उत्पादन के विश्वसनीय आंकड़े बताना बहुत जल्दबाजी होगी। तथापि, आगामी मौसम में गन्ने का अधिक उत्पादन होने की आशा को देखते हुए आशा है कि चीनी वर्ष 1981-82 में भी चीनी का उत्पादन वर्तमान चीनी वर्ष 51.4 लाख मीटरी टन के अनुमानित उत्पादन से पर्याप्त अधिक होगा।

(घ) जी हां। आगामी वर्ष में चीनी का अधिक उत्पादन होने की आशा की दृष्टि में, आशा है कि चीनी के मूल्यों में भी गिरावट की प्रवृत्ति आएगी।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

बेकार भूमि का भूमिहीनों में वितरण

1167. **श्री समर मुखर्जी** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1980 तक राज्य-वार, अलग अलग कितनी बेकार भूमि भूमिहीनों में बांटी गई ; और

(ख) राज्यवार लाभान्वित हरिजनों और पिछड़ी जातियों का प्रतिशत क्या है ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

राज्य	संशोधित अधिकतम भूमि सीमा कानूनों के अन्तर्गत 31-12-1980 तक वितरित क्षेत्र (एकड़ में)	अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लाभभोगियों का प्रतिशत
1	2	3
आंध्र प्रदेश	2,85,227	64.8
असम	3,12,802	15.2
बिहार*1	1,31,000	65.4
गुजरात	3,879	82.8
हरियाणा*2	9,313	50.6
हिमाचल प्रदेश	3,500	76.7
जम्मू तथा काश्मीर	—	—
कर्नाटक	46,199	59.7
केरल	50,379	45.7
मध्य प्रदेश	77,616	70.9
महाराष्ट्र	2,80,601	52.2
मणिपुर	—	—
उडीसा	1,00,157	72.7
पंजाब	10,596	46.7
राजस्थान*3	1,21,809	56.1
तमिलनाडु	53,524	42.9
त्रिपुरा	946	39.7
उत्तर प्रदेश*3	2,23,251	73.7
पश्चिम बंगाल	54,271	61.0
दादरा तथा नगर हवेली*4	3,192	100.0
दिल्ली	—	—
पांडिचेरी	837	74.6
योग :-	17,69,069	53.6

*1 31-8-80 तक
*2 31-7-80 तक
*3 30-9-80 तक
*4 31-10-80 तक

सरकारी आवास के आवंटन वर्ष को स्थगित करना

1168. **डा. ए. यू. आजमी :**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष जनवरी में आबंटन वर्ष शुरू होना था लेकिन यह अभी तक शुरू नहीं किया गया है ;

(ख) ऐसी कौन सी विकट परिस्थियां थीं जिससे इसका स्थगन करना आवश्यक हो गया था और इस प्रकार कर्मचारियों पर प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ा था ;

(ग) क्या कर्मचारी को सरकारी आवास कर्मचारी पर थोपने की बजाए तरजीह दिए गए मोहल्ले को बताने की पसन्द कर्मचारी पर नहीं छोड़ देनी चाहिए ; और

(घ) यदि हां, तो कर्मचारियों को परेशान करने और सम्पदा निदेशालय के कार्यकरण में सुधार लाने के क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) यह आबंटन वर्ष 31-12-81 तक बढ़ा दिया गया है ।

(ख) चालू आबंटन वर्ष को 31-12-81 तक बढ़ाना निम्नलिखित कारणों से आवश्यक हो गया था :—

(एक) आवास आबंटन के लिए सरकारी कर्मचारियों की पहले ही एक बड़ी प्रतीक्षा सूची थी तथा नये आवेदन पत्रों के मांगने से कोई प्रयोजन हल नहीं होता ।

(दो) नये आवेदन पत्रों को मांगने से फार्मों की छपाई, अतिरिक्त कार्य घन्टों इत्यादि में ऐसा व्यय होता जिससे बचा जा सकता था ।

(तीन) प्रबन्ध सूचना पद्धति के अधीन किये गये अध्ययन के आधार पर वर्तमान आवेदन प्रपत्रों में कतिपय परिवर्तनों का विचार किया गया था ।

(ग) यदि पसन्दगी कर्मचारियों पर छोड़ दिया गया है तो वे कुल मिलाकर निकटवर्ती इलाकों को चुनेंगे और चूंकि निकटवर्ती इलाके में सीमित क्वार्टर ही उपलब्ध हैं इसलिए उनकी आवश्यकता को पूरा करना व्यवहार्य नहीं होगा ।

(घ) कोई परेशानी नहीं है यहां तक कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी को अपनी इच्छा के अनुसार एक बदली मांगने की सुविधा दी गई है ।

घटिया किस्म की सरकारी स्टेशनरी

1169. **डा. ए. यू. आजमी :**

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी कार्यालयों को घटिया किस्म की स्टेशनरी सप्लाई की जा रही है और स्टेशनरी कागज के सही उपयोग तथा इसके वितरण के सम्बन्ध में पिछले 40 वर्षों से नियमों और विनियमों को अद्यतन नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार किस्म नियन्त्रण को लागू करेगी और सरकारी धन की क्षति को रोकेगी ; और

(ग) क्या ऐसी फर्मों को, जो घटिया किस्म के माल की सप्लाई करती है, काली सूची में नहीं डाला जाना चाहिए ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकारी कार्यालयों में सप्लाई की जाने वाली लेखन सामग्री भारतीय मानक संस्थान या विभागीय विशिष्टियों के अनुसार है। लेखन सामग्री के प्रयोग और उसके वितरण के लिए नियम विद्यमान हैं।

(ख) गुणवता नियन्त्रण तथा जांच की एक पद्धति है और सरकारी निधियों का अपव्यय नहीं होता है।

(ग) यदि ऐसी कार्यवाही करनी आवश्यक हुई तो उसको निरपवाद रूप से किया जाएगा।

चीनी का निर्यात

1170. **श्री डी. पी. जदेजा :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत को अन्तर्राष्ट्रीय चीनी समझौते के अनुसार, प्रति वर्ष चीनी की कुछ मात्रा का निर्यात करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति वर्ष कितनी मात्रा का निर्यात किया जाता है और किन-किन देशों को किस कीमत पर निर्यात किया जाता है ; और

(ग) क्या यह सच है कि हमें अपनी मांग को पूरा करने के लिए चीनी का आयात करना पड़ रहा है और यदि हां, तो चालू वर्ष में कितनी चीनी का निर्यात किया जाना है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) जी नहीं। अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार 1977 के अधीन कोटे का निर्यात अनिवार्य स्वरूप का

नहीं है बशर्ते कि निर्यात के कार्य निष्पादन में कमी के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन को सूचित कर दिया जाए, जैसाकि उक्त करार में निर्धारित किया गया है।

(ख) निर्यात पंचांग वर्ष के आधार पर किए जाते हैं। तथापि, निर्यात सम्बन्धी लेख को वित्तीय वर्ष के आधार पर बनाए रखा जाता है। जिस पर चीनी निर्यात की जाती है वह अन्तर्राष्ट्रीय चीनी बाजारों में कार्य कर रही बाजार शक्तियों के आधार पर काफी भिन्न-भिन्न होती है। चार वित्तीय वर्षों 1977-78 से 1980-81 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार 1977 और भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय करार (केवल यू० के० को) के अधीन हमारा देशवार निर्यात कार्य निष्पादन इस प्रकार हुआ था :—

वित्तीय वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	वह देश जिसको निर्यात किया गया (मात्रा लाख मीटरी टन में)	
1977-78	0.69	19.48	(0.03)	मिस्र
			(0.008)	मालद्वीप
			(0.002)	सलालाह
			(0.004)	सिकलेस
			(0.17)	श्रीलंका
			(0.06)	केन्या
			(0.18)	तंजानिया
			(0.24)	यू० के०
1978-79	7.37	131.85	(0.10)	अफगानिस्तान
			(0.81)	चीन
			(0.01)	जिबोटी
			(0.44)	मिस्र
			(3.21)	इण्डोनेशिया
			(1.05)	श्रीलंका
			(0.71)	सूडान
			(0.25)	यू० के०
			(0.10)	वाई. ए. आर.
			(0.34)	यमन

वित्तीय वर्ष	मात्रा (लाख मीटरी टन)	मूल्य (करोड़ रुपयों में)	वह देश जिसको निर्यात किया गया (मात्रा लाख मीटरी टन में)	
1979-80	5.68	128.94	(0.26)	बंगला देश
			(0.11)	चीन
			(0.81)	मिस्र
			(1.24)	इण्डोनेशिया
			(0.03)	मालदीव
			(0.05)	उत्तरी कोरिया
			(0.20)	पाकिस्तान
			(0.21)	सोमालिया
			(0.02)	श्रीलंका
			(0.23)	सूडान
			(0.41)	केन्या
			(0.10)	यू. के.
1980-81	0.715	35.96	(0.115)	मिस्र
			(0.305)	इण्डोनेशिया
			(0.015)	नेपाल
			(0.140)	श्रीलंका
			(0.140)	यू० के०

(ग) जी हां ।

घरेलू खपत के लिए चीनी की कुछ उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए आयात हेतु लगभग 2.15 लाख मीटरी टन का ठेका किया गया है ।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए निर्धारित की गई राशि

1171. **श्री डी० पी० जदेजा** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए राज्य-वार कितनी राशि निर्धारित की गई है ; और

(ख) देश में, विशेषकर गुजरात राज्य में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किस प्रकार की योजनायें शुरू किए जाने का प्रस्ताव है ;

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में वृहद् ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशियां निम्न प्रकार हैं :—

कार्यक्रम	छठी योजना परिव्यय (केन्द्रीय क्षेत्र) (करोड़ रुपये में)
1. समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम	750
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	980
3. सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	175
4. मरु भूमि विकास कार्यक्रम	50
5. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्रम	480

कार्यक्रम (1), (3) तथा (4) के सम्बन्ध में छठी पंचर्षीय योजना के लिए धनराशि का राज्य वार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है । कार्यक्रम (2) के सम्बन्ध में, राज्यवार परिव्यय का वर्षानुवर्ष ब्यौरा तैयार कर लिया गया है जबकि कार्यक्रम (5) के लिए कोई राज्यवार ब्यौरा नहीं आंका गया है ।

(ख) उपयुक्त (क) में उल्लिखित कार्यक्रमों के अन्तर्गत शुरू की जाने वाली योजनाएं या तो लाभभोगी अभिमुख हैं अथवा आधारभूत ढांचा अभिमुख है और इनके अन्तर्गत कृषि, लघु सिंचाई, पशुपालन, भूमि तथा जल संरक्षण, जल संचयन, वानिकी, मत्स्यपालन, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योगों, तृतीय क्षेत्र, कोशकीट पालन, मधुमक्खी पालन आदि क्षेत्रों में से एक अथवा अधिक क्षेत्र आते हैं । उपर्युक्त (क) में उल्लिखित सभी योजनाएं गुजरात राज्य में कार्यान्वित की जा रही हैं ।

विवरण

छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण पुनर्निर्माण के महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय परिव्यय :

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	मरु भूमि विकास कार्यक्रम
1. आंध्र प्रदेश	5670.0	2850.0	—
2. असम	2345.0	—	—

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासिम क्षेत्र	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम	सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम	मरू भूमि विकास कार्यक्रम
3. बिहार	10272.5	2137.5	—
4. गुजरात	3815.0	1537.5	412.5
5. हरियाणा	1522.5	487.5	—
6. हिमाचल प्रदेश	1207.5	—	975.0
7. जम्मू और काश्मीर	1312.5	487.5	375.0
8. कर्नाटक	3062.5	1725.0	—
9. केरल	2520.0	—	—
10. मध्य प्रदेश	8015,0	1575.0	—
11. महाराष्ट्र	5180.0	1575.0	—
12. मणिपुर	455.0	—	—
13. मेघालय	420.0	—	—
14. नागालैंड	367.5	—	—
15. उड़ीसा	5495.0	937.5	—
16 पंजाब	2047.5	—	—
17. राजस्थान	4060.0	2962.5	3150.0
18. सिक्किम	70.0	—	—
19. तमिलनाडु	6597.5	1800.0	—
20. त्रिपुरा	296.5	—	—
21. उत्तर प्रदेश	15330.0	1500.0	—
22. पश्चिम बंगाल	5862.5	1312.5	—
केन्द्र शासित क्षेत्र			
23. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	175.0	—	—
24. अरुणाचल प्रदेश	1680.0	—	—
25. चण्डीगढ़	35.9	—	—

(लाख रुपये में)

राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्र	समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम	सूखाग्रत क्षेत्र कार्यक्रम	मरू भूमि विकास कार्यक्रम
26. दादरा तथा नगर हवेली	35.0	—	—
27. दिल्ली	175.0	—	—
28. गोआ, दमन तथा द्वीव	420.0	—	—
29. लक्षदीप	175.0	—	—
30. मिजोरम	700.0	—	—
31. पांडिचेरी	140.0	—	—
अखिल भारत	89460.0*	20887.5@	4912.5**

*छठी पंचवर्षीय योजना में, समन्वित ग्राम विकास कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय क्षेत्र में केवल 750 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय सुलभ किया गया है।

@छठी पंचवर्षीय योजना में, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय क्षेत्र में केवल 175 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय सुलभ किया गया है।

**छठी पंचवर्षीय योजना में, मरू भूमि विकास कार्यक्रम हेतु केन्द्रीय क्षेत्र में केवल 50 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय सुलभ किया गया है।

आवास नीति

1172. **श्री जेवियर अराकल** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगले दस वर्षों में शहरी केन्द्रों की अनुमानित आवादी क्या होगी ;

(ख) शहरी लोगों में कितने लोगों के पास रहने को घर नहीं है और अगले दस वर्षों में शहरों में कितने लोगों को सर छुपाने की जगह नहीं होगी ; और

(ग) आवास के मामले में सरकार की क्या नीति है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) योजना आयोग द्वारा नियुक्त जनसंख्या विशेषज्ञ समिति ने 1981 से 1991 तक की नगरीय जनसंख्या का पंचवर्षीय अनुमान लगाया है जो इस प्रकार है :—

वर्ष	जन संख्या (मिलियन)
1981	148.11
19.6	170.25
1991	194.39

(ख) 1971 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय भवन (निर्माण) संगठन ने नगरीय क्षेत्रों में बिलकुल बेघर लोगों की आबादी 4.66 लाख आंकी है। 1981 की जनगणना के आंकड़ों को अभी अंन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) सरकार की नीतियों एवं लक्ष्यों का उल्लेख 1980-85 की छठी पंचवर्षीय योजना में किया गया है। आवास राज्य का विषय है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना में ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों के लिए आवास स्थल एवं मकान बनाने के लिए सहायता का एक कार्यक्रम रखा गया है। शेष सभी 68 लाख पात्र परिवारों को स्थल देने और लगभग 36 लाख परिवारों को निर्माण सहायता देने की योजना के लिए प्लान में लगभग 354 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय की व्यवस्था कर दी गई है।

नगरीय क्षेत्रों में, गन्दी बस्तियों का फिर से बड़ी संख्या में स्थान निर्धारण करने के स्थान पर गन्दी बस्तियों के पर्यावरणीय सुधार पर बल देना होगा। प्लान में लगभग 151 करोड़ रुपये के प्रस्तावित पूंजी निवेश से लगभग 1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। यह भी प्रस्ताव है कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों के लोगों को मकान बनाने के लिए प्रतक्ष्य सार्वजनिक क्षेत्र सहायता दी जाए। योजना में 483 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 16.2 लाख एकक बनाये जाने का लक्ष्य हैं।

सिंचाई परियोजनाओं का पूरा होना

1173. **श्री जेवियर अराकल** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्यों दोनों द्वारा अभी कितनी स्वीकृति सिंचाई परियोजनाएं पूरी होनी हैं ;

(ख) उनकी मूल अनुमानित लागत क्या है और उनसे कितनी भूमि सिंचित होनी है ; और

(ग) केन्द्र और राज्यों द्वारा वर्ष 1981-82 में कितनी परियोजनाएं हाथ में ली गई हैं ; उनकी लागत क्या है उनसे कितनी भूमि सिंचित होगी और उन्हें पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

वर्ष 1979-80 के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण के अन्तर्गत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को भूमि का आवंटन

1174. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार कब तक वर्ष 1979-80 में पंजीकृत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज को भूमि का आवंटन करने वाली है ;

(ख) सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य से भूमि की कितनी कीमत ली जायेगी ; और

(ग) भूमि पर भवन निर्माण के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उन्होंने पहले ही पंजीकृत ग्रुप आवास समितियों से आवेदन-पत्र मांग लिए हैं। आवेदन पत्रों को भेजने की अन्तिम तिथि 31 अगस्त, 1981 है। उसके बाद आवेदनों की जांच होगी और यथा शीघ्र भूमि के आवंटन के प्रयास किये जायेंगे।

(ख) समितियों को आवंटित की जाने वाली अर्द्ध विकसित भूमि का मूल्य इलाके के आधार पर 110 रुपये से 135 रुपये तक प्रतिवर्ग मीटर होगा।

(ग) सक्षम प्राधिकारी से विन्यास नक्शों को अनुमोदित कराने के बाद समितियों द्वारा फ्लैटों का निर्माण किया जायेगा।

सरकारी आवासों का घटिया रख-रखाव

1175. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** :

प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी आवासों की स्टेण्डर्ड लाइसेन्स फीस में सामान्य और विशेष रख-रखाव और मरम्मत दोनों के लिए म्यूनिसिपल और अन्य कर शामिल होते हैं ; और

(ख) यदि हां,तो फिर आवासों की हालत इतनी खस्ता क्यों है— सफेदी और कुछ नहीं केवल नाममात्र की होती है, टूटे हुए फर्शों की मरम्मत नहीं की जाती, खिड़कियों और दरवाजों पर नियमित रूप से रोगन नहीं किया जाता है, टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं की जाती है, अनुपूरक नियम 323 के उपबन्धों को क्रियान्वित नहीं किया जाता है ; घास के मैदानों और बाड़ों का रख-रखाव बहुत ही घटिया है, घास के मैदान समतल नहीं हैं और

उनमें पानी सड़ता रहता है ; घास के मैदानों में नल नहीं हैं अथवा सूखे रहते हैं. पिछवाड़े में वर्षा के पानी की निकासी के नालों को ढका होना चाहिए और छत से वर्षा का पानी पिछवाड़े में फैल जाता है और उसमें मच्छर पैदा होते हैं ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) जी, हां ।

सरकारी आवासों में छोटे मोटे पटिवर्धन और परिवर्तन तथा उनसे संबंधित अनुरक्षण और मरम्मत के कार्य निधियों की उपलब्धता की शर्त पर निर्धारित मानदण्ड के अनुसार किये जाते हैं ।

सरकारी आवास के आवंटन सम्बन्धी नियम

1176. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या निर्माण और आवास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनरल पूल से सरकारी आवास आवंटित किए जाने और उनकी सबलेटिंग के नवीनतम नियम क्या हैं और वर्ष 1981 का आवंटन वर्ष अभी तक क्यों शुरू नहीं हुआ है और इसके कब तक शुरू होने की सम्भावना है ;

(ख) मृत्यु सेवानिवृत्ति, आदि के पश्चात् और जिन कर्मचारियों के अपने स्वयम के मकान हैं उनके द्वारा सरकारी आवास में बने रहने क शैडूल क्या है ; और

(ग) अतारांकित प्रश्न संख्या 2759, जिसका अन्तरिम उत्तर 9 मार्च, 1981 को दिया गया था, के उत्तर की कब तक आशा की जा सकती है ?

ससंदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) सरकारी आवासों के (दिल्ली में सामान्य पूल) नियम दिनांक 6 मई, 1973 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 1330 में अधिसूचित किये गये । चालू आवंटन वर्ष 31-12-81 तक बढ़ा दिया गया है ।

(ख) मृत्यु और सेवा निवृत्ति के बाद अपने मकान वाले कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों के लिए मकानों को रखने की अवधि क्रमशः 4 माह और 2 माह है ।

(ग) 9 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2759 का दिया गया उत्तर आश्वासन में बदल दिया गया था और आश्वासन को पूरा करने के लिए अपेक्षित कार्यान्वयन रिपोर्ट 8 जून, 1981 को संसदीय कार्य विभाग को भेज दी गई है ।

ब्रह्मपुत्र में नहर के निर्माण के लिए बंगला देश से समझौता

1177. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत द्वारा गंगा नदी में पानी के आगमन को बढ़ाने हेतु ब्रह्मपुत्र से नहर निकालने के बारे में 1977 में बंगला देश के साथ एक समझौता किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या बंगलादेश द्वारा समझौते का पालन किये जाने के बारे में सरकार को कोई जानकारी है ; और

(घ) यदि हाँ, तो बंगलादेश सरकार ने किन कारणों से समझौते का उल्लंघन किया है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) 5 नवम्बर, 1977 के भारत-बंगलादेश करार में यह उपबंध है कि भारत-बंगलादेश संयुक्त नदी आयोग को गंगा के शुष्क मौसम के प्रवाह में वृद्धि करने के लिए दोनों में से किसी भी सरकार द्वारा प्रस्तावित स्कीमों का अन्वेषण और अध्ययन करना चाहिए और किसी ऐसे हल की सिफारिश करनी चाहिए जो मितव्यतापूर्ण और व्यावहारिक हो। इसमें इस प्रयोजन से किसी विशिष्ट स्कीम का संकेत नहीं दिया गया है।

(ख) से (घ) ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

चावल का उत्पादन

1178. **श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा** । क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चावल के 50 मिलियन टन के वर्तमान उत्पादन में और बड़े पैमाने पर वृद्धि करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो चावल की भारी अंतर्राष्ट्रीय मांग को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार का विचार बड़े पैमाने पर चावल का निर्यात करने का है ;

(ग) क्या सरकार गेहूं की तुलना में चावल की उत्पादन लागत तथा गेहूं के आयात के बदले चावल का निर्यात करने को उचित समझती है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष (1984-85) के लिए चावल के उत्पादन का लक्ष्य 630 लाख मीटरी टन निर्धारित किया गया है। वर्ष 1981-82 के लिए 580 लाख मीटरी टन का लक्ष्य है।

(ख) धान्यों के निर्यात की अनुमति आन्तरिक उत्पादन, स्वदेशी मांग अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों के मूल्य के रुख तथा अन्य सम्बन्धित घटकों पर निर्भर करते हुए

दी जाती है । इसको दृष्टि में रखते हुए इस सम्बन्ध में सुस्पष्ट विवरण देना सम्भव नहीं है । बासमती चावल का निर्यात इस समय ओपन जनरल लाइसेन्स के आधार पर किया जाता है तथा गैर-बासमती चावल की सीमित मात्रा, जो वार्षिक आधार पर निर्धारित की जाती है के निर्यात की अनुमति भी दी जाती है ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं होता ।

हिमाचल प्रदेश के लिए पेय जल सप्लाई योजना

1179. **प्रो. नारायण चन्द पराशर :** क्या **निर्माण और आवास मंत्री** यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान हिमाचल प्रदेश के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित कौन-कौन सी पेय जल सप्लाई योजनायें मंजूर की गई हैं ; और प्रत्येक मामले में अनुमानित लागत कितनी है ;

(ख) प्रत्येक योजना पर अब तक कितनी राशि खर्च की गई है और चालू वित्तीय वर्ष के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है ; और

(ग) प्रत्येक योजना किस तारीख तक पूरी होने की सम्भावना है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) हिमाचल प्रदेश में केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 3,370 ग्रामों के लिए योजनाएं स्वीकृत की गई हैं अनुमानित लागत के साथ-साथ ग्रामों की जिलावार संख्या विवरण में दी गई है ।

(ख) और (ग) केन्द्रीय कार्यक्रम में निधियां समस्याग्रस्त ग्रामों के लिए पेयजल की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों के संसाधनों को बढ़ाने के लिए हैं तथा इन्हें उन राज्य सरकारों को दिया जाता है जो योजनाओं का कार्यान्वयन करती है । केन्द्रीय निधियां योजना वार नहीं दी जाती अपितु समग्र कार्यक्रम के लिए दी जाती हैं । इसी प्रकार से प्रवोधन कार्य भी किया जाता है । हिमाचल प्रदेश में केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत दी गई निधियां और उन समस्याग्रस्त ग्रामों की संख्या जिन्हें पिछले तीन वर्षों में लाभान्वित किया गया है, इस प्रकार है

वर्ष	दी गई निधियां (लाख रुपयों में)	लाभ पहुंचाए गए ग्रामों की संख्या
1978-79	422.00	792
1979-80	388.80	575
1980-81	561.77	617

विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	ग्रामों की संख्या	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)
1.	बिलासपुर	119	112.97
2.	चम्बा	295	161.17
3.	हम्मीर पुर	706	341.65
4.	कांगड़ा	1175	645.07
5.	किन्नौर	6	16.25
6.	कूल्लू	40	43.04
7.	लाहौल और स्पिति	11	7.35
8.	मण्डी	383	296.96
9.	शिमला	132	196.46
10.	सिरमड	82	77.73
11.	सौलन	226	22.63
12.	उन्ना	195	263.21
	योग	3370	2184.49

घड़ियाल परियोजना

1180. श्री मनमोहन टुडु : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य और कृषि संगठन (एफ. ए. ओ.) के सहयोग से किन राज्यों में घड़ियाल परियोजनाएं शुरू की गई हैं ;

(ख) क्या ऐसी कोई परियोजना घड़ियालों की दुर्लभ किस्म को बचाने के लिए उड़ीसा में शुरू की गई है ;

(ग) यदि हाँ, तो उड़ीसा में ऐसी कितनी परियोजनाएं किन स्थानों पर शुरू की गई हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि सरकार ने कुछ एक वर्षीय मेंगर घड़ियालों को सिमितपाल घड़ियाल योजना में लाने का निर्णय किया है ; और

(ङ) उड़ीसा के घड़ियाल परियोजना के विकास के लिए सरकार क्या कदम उठाने पर विचार कर रही है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) खाद्य और कृषि संगठन/संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से केन्द्रीय घड़ियाल प्रजनन तथा प्रबन्ध परियोजना निम्नलिखिल 9 राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है :— आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और प० बंगाल ।

(ख) तथा (ग) उड़ीसा में यह परियोजना भीतर कनिका, सिमिलिपाल, नन्दनकानन तथा सतकोशिया जार्ज में क्रियान्वित की जा रही है ।

(घ) एक वर्षा मेगर घड़ियाल मद्रास से सिमिलिपाल में लाये जा चुके हैं ।

(ङ) यह एक चालू योजना है जिसके लिए केन्द्रीय सरकार वित्तीय सहायता मुहैया कर रही है । पिछले चार वर्षों के दौरान कुल 19.36 लाख रुपए निर्मुक्त किए गए हैं । प्रजनन कार्यक्रम और इस कार्य के लिए उपयुक्त चुनीदा क्षेत्रों में इनके पुनर्वास पर विशेष बल दिया जा रहा है ।

तूफान प्रभावित मयूरभंज जिले को वित्तीय सहायता

1181. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के तूफानग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को हुई हानिका अनुमान लगाने के लिये अप्रैल, 1981 में एक केन्द्रीय दल ने राज्य का दौरा किया था ;

(ख) क्या उपरोक्त अध्ययन दल ने मयूरभंज (उड़ीसा) के तूफानग्रस्त गांबों में हुई हानि का कोई मौके पर मूल्यांकन किया है ;

(ग) यदि हां, तो मयूरभंज जिले के तूफानग्रस्त लोगों को कितनी अनुमानित हानि हुई है ; और

(घ) केन्द्र द्वारा मयूरभंज जिले के तुफानग्रस्त लोगों को दिये गये वित्तीय अनुदान का ब्यौरा क्या है ;

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां । केन्द्रीय दल ने 12 से 14 मई, 1981 तक उड़ीसा का दौरा किया था ।

(ख) तथा (ग) उड़ीसा सरकार से प्राप्त ज्ञापन के अनुसार मयूरभंज जिले के बारीपाड़ा सब-डिवीजन में 18 अप्रैल, 1981 को आए बवण्डर से 9 गांव प्रभावित हुए थे । तीन व्यक्तियों की मौतें हुई और 21 व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुए थे और 110 मकान या तो पूर्ण रूप से

नष्ट हो गए अथवा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए 11। मवेशियों तथा 17 मुर्गियों की मौतें हुई। कुछ विद्युत अधिष्ठापनाओं को भी क्षति पहुंची।

(घ) केन्द्रीय दल की रिपोर्ट तथा राहत संबंधी उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने इस जिले में राहत तथा पुनर्वास और बवण्डर द्वारा क्षतिग्रस्त सार्वजनिक सम्पत्ति की मरम्मत/पुनःस्थापन के लिए 4.11 लाख रुपए के अधिकतम व्यय की मंजूरी दी है, जो निम्न प्रकार है :—

		लाख रुपए
1.	आवास संबंधी राज्य सहायता सहित आपात राहत	0.31
2.	स्वास्थ्य केन्द्रों की मरम्मत	2 50
3.	बवण्डर से क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक परिसम्पतियों—बिजली की लाइनों को ठीक ठाक करना।	1.20
4.	शिक्षा संबंधी रियायतें	0.10
	योग	4.11

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटियों को प्लाटों का कब्जा दिया जाना

1182. **श्री राजेश कुमार सिंह** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकण द्वारा ड्रा के छः महीने बाद भी कितने मामलों में आवंटियों को प्लाटों का कब्जा अभी दिया जाना है और इसके क्या कारण हैं ;

(ख) कितने मामले ऐसे हैं जिनमें प्लाट न होने पर भी आवंटन किए गये और ऐसा किन परिस्थितियों में हुआ ; और

(ग) उपर्युक्त (क) के मामले में प्लाटों के शीघ्र आवंटन के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है और जिन लोगों को प्लाट न होने पर भी आवंटन हुए हैं उन्हें प्लाट देने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) 518, अपेक्षित कागजात प्रस्तुत न करना तथा आवंटियों द्वारा कुल मूल्य का भुगतान न करना मुख्य कारण हैं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। तथापि, पीतमपुरा के ब्लाक सी—1 तथा सी —2 जिनमें 241 प्लाट हैं, के विन्यास नक्शों को संशोधित करना था क्योंकि इन ब्लाकों के बीच से उच्च शक्ति की बिजली लाइन गुजरती है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि उपर्युक्त (क) में उल्लिखित आवंन्टितियों को प्लाटों का कब्जा उनके द्वारा सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करने पर दे दिया जाएगा। उपर्युक्त (ख) में उल्लिखित मामलों को अन्तिमरूप से निपटाने की कार्यवाही की जा रही है।

बेघर लोगों को मकान देने की योजना

1184. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बेघर लोगों को मकान देने सम्बन्धी स्वीकृत योजना का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में चालू वित्तीय वर्ष के लिए और छठी योजना अवधि के लिए कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में ग्रामीण भूमिहीन मजदूरों के लिए आवास स्थलों व गृह निर्माण सहायता के प्रावधान के लिए राज्य सरकारें तथा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन एक योजना का कार्यान्वियन कर रहे हैं। इस योजना में भूमिहीन कृषि मजदूरों, काश्तकारों, मच्छेरों आदि के परिवारों के लिए लगभग 100 वर्गगज का निशुल्क विकासित आवास स्थल के आवंटन का इरादा है, इसमें 30-40 परिवारों के एक समूह के लिए पक्का कुआं, व सम्पर्क मार्गों का भी प्रावधान है। उस प्लाट पर मकान बनाने के लिए इन परिवारों को स्थानीय निर्माण सामग्री आदि के लिए 500 रुपये प्रति परिवार सहायता दी जाती है। सभी श्रम कारी लाभ-भोगियों द्वारा किए जाने हैं।

(ख) तथा (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में इस योजना के लिए 353.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है इसमें से 170 करोड़ रुपये 68 लाख परिवारों को गृह-स्थल देने तथा 183.50 करोड़ रुपये 367 लाख परिवारों को मकान निर्माण सहायता के लिए है, चालू वित्त वर्ष के लिए इस योजना का परिव्यय तथा लक्ष्यों के ब्यौरे अभी राज्य सरकारों से प्राप्त नहीं हुए हैं।

पेय जल के लिए उड़ीसा को सहायता

1185. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में उन गांवों और शहरों में जिनमें पेय जल की भारी कमी है, पेय जल की व्यवस्था करने के लिए उड़ीसा सरकार को कितनी वितीय सहायता दिए जाने का विचार है ; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख) पेय जल की व्यवस्था करना राज्य का विषय है और इस प्रयोजन के लिए निधियां राज्य योजनाओं में दी जाती हैं । तथापि, समस्याग्रस्त ग्रामों के किए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करने के लिए राज्य सरकारों को उनके संसाधनों में वृद्धि करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रवर्तित त्वरित ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है । इस केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत उड़ीसा सरकार को वर्ष 1980-81 के दौरान 307 लाख रुपये दिये गये थे ।

निर्माताओं को सप्लाई किया गया आयातित खाद्य तेल

1186. **श्रीमती प्रमिला दंडवते** : क्या नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1980 से जून, 1981 तक हमारे देश में वनस्पति निर्माताओं की संख्या कितनी है और वनस्पति तेल का कुल उत्पादन कितना है ;

(ख) राज्य व्यापार निगम ने इन कम्पनियों को आयातित खाद्य तेल की कितनी मात्रा सप्लाई की है और किस मूल्य पर ;

(ग) क्या यह सच है कि वनस्पति निर्माताओं को सप्लाई किए गए आयातित तेल की काफी मात्रा उनके द्वारा खुले बाजार में भेज दी गई है : और

(घ) यदि हां तो दोषी पार्टियों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बृजमोहन महन्ती) : (क) और (ख) वनस्पति उत्पादकों की कुल संख्या 88 है और जुलाई, 1980 से जून, 1981 तक हमारे देश में वनस्पति तेल का कुल उत्पादन 7,79,377 मी. टन हुआ था । उक्त अवधि के दौरान, भारतीय राज्य व्यापार निगम ने वनस्पति उद्योग को कुल 5,25,600 मी. टन के लगभग आयातित तेल की मात्रा सप्लाई की थी । वनस्पति उद्योग को सप्लाई किये गये सोयाबीन के तेल तथा रेपसोड तेल का निर्गम मूल्य 7,2 0 रु. प्रति मी.टन और कच्चे ताड़ के तेल का मूल्य 7,050 रु. प्रति मी. टन है ।

(ग) और (घ) इस बारे में कोई विशिष्ट शिकायतें नहीं मिली हैं, जिनकी जांच की जा सके । जहां तक वनस्पति उद्योग को दिये गये आयातित तेल का संबंध है, वनस्पति उत्पादन की परिवीक्षा रिपोर्टों तथा फील्ड अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के माध्यम से की जा रही है । वनस्पति उत्पादन, वितरण तथा मूल्यों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की पुनरीक्षा करने की दृष्टि से दो वनस्पति—एसोसिएशनों के साथ बातचीत भी जारी रखी जा रही है ।

सिंचाई परियोजनाओं के लिए मंजूर की गयी और वास्तव में दी गई केन्द्रीय सहायता की राशि

1187. श्री मोहम्मद अस्रार अहमद : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान, वर्षवार और राज्यवार, सिंचाई परियोजनाओं के केन्द्रीय क्षेत्रों के लिए राज्य सरकारों को मंजूर किए गए ऋण और राज सहायता सहित और वास्तव में अदा की गई केन्द्रीय सहायता की राशि कितनी है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान; प्रत्येक राज्य और केन्द्रीय सरकार द्वारा वास्तव में उपयोग की गई सहायता की राशि कितनी है ; और

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान, (वर्षवार और राज्यवार), राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार द्वारा अप्रयुक्त पड़ी हुई केन्द्रीय सहायता की राशि क्या है और उसके क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

रोगग्रस्त गेहूं की वसूली

1188. श्री के. ए राजन : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान 11 जून, 1981 के "इंडियन एक्सप्रेस" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि पंजाब में वसूल किया गया 70 प्रतिशत गेहूं रोग-ग्रस्त है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कोई जांच की गई है तथा रिपोर्ट माँगी गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ) पंजाब में 1981-82 के दौरान 37,14,689 मीटरी टन गेहूं की कुल वसूली की गई है, जिसमें से भारतीय खाद्य निगम ने 14 अगस्त, 1981 तक 9,48,576 मीटरी टन गेहूं की वसूली की है अतः गेहूं की अधिकांश मात्रा की वसूली राज्य सरकार और उनकी वसूली एजेन्सियों द्वारा की गई है, जिनसे ठीक-ठीक सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

भारतीय खाद्य निगम के वरिष्ठ गुण नियंत्रण अधिकारी ने एक सवक्षण किया था और 6,01,318 मीटरी टन भण्डारित गेहूं की जांच की थी और उसमें करनल बन्ट पाया गया था जिसका विवरण नीचे दिया जाता है :—

करनल बन्ट की मात्रा	स्टाक की प्रतिशतता
1 प्रतिशत से कम	32.46 प्रतिशत
1 से 3 प्रतिशत	39.38 प्रतिशत
3 से 5 प्रतिशत	15.92 प्रतिशत
5 प्रतिशत से अधिक	12.22 प्रतिशत

अच्छी हालत की गेहूं में करनल बन्ट की मात्रा के बारे में किए गए विशेष अध्ययन के आधार पर भारत सरकार ने जुलाई, 1981 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जारी कर 3 प्रतिशत तक करनल बन्ट से प्रभावित अनाज के स्टाक (अर्थात 71.84 प्रतिशत स्टाक) का निपटान करने के लिए अनुदेश जारी किए थे। उसे 3.5 प्रतिशत तक के करनल बन्ट युक्त 15.92 प्रतिशत स्टाक को रोलर फलोर मिलों को देने के लिए रखा गया है। गेहूं के भेष 12.22 प्रतिशत स्टाक को ठीक-ठीक और साफ किया जाएगा ताकि उसे विहित विनिर्दिष्ठियों के अनुरूप बनाया जा सके।

गेहूं विक्रेताओं को प्रोत्साहन

1189. **श्री के० ए० राजन :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा सरकार ने सहकारी एजेंसियों को गेहूं बेचने वालों को कोई प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार का ध्यान 5 जून, 1981 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित इस समाचार की ओर आकर्षित हुआ है कि हरियाणा सरकार ने सीमेंट का स्टाक रोक दिया था और वह केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिया जाना था जो सरकारी एजेंसियों को गेहूं बेचेंगे ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि जिला प्राधिकारियों को कहा गया था कि वे सीमेंट की उपलब्धता के आधार पर गेहूं की वसूली के लिए प्रोत्साहन के रूप में पांच/दस बोरे गेहूं के प्रति एक बोरी सीमेंट उत्पादकों को देने के मामले पर विचार करें।

(ग) और (घ) राज्य सरकार द्वारा उन उत्पादकों जो कि सरकारी एजेंसियों को गेहूं बेच रहे हैं, के पक्ष में निर्मुक्त करने के लिए सीमेंट का कोई स्टाक रोका नहीं गया था।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश जोन में कार्य प्रभारित कर्मचारी

1190. **श्री के० ए० राजन** : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अरुणाचल प्रदेश जोन के प्रत्येक मण्डल में कार्य प्रभारित कर्मचारियों की कितनी संख्या है ;

(ख) उनमें से कितने सामान्य भविष्य निधि और कर्मचारी अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान कर रहे हैं ;

(ग) इन खातों का रख-रखाव कौन से कार्यालय करते हैं ; और

(घ) क्या भविष्य निधि अंशदाताओं को 1979-80 और 1980-81 की विवरण तालिकायें दे दी गई हैं ?

निर्माण और आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) से (घ) अरुणाचल प्रदेश अंचल का कार्य प्रभारित स्टाफ केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संवर्ग के नहीं हैं। तथापि, अपेक्षित सूचना अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र से एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चीनी के निर्यात पर प्रतिबन्ध का हटाया जाना

1191. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से चीनी के निर्यात पर प्रतिबन्ध को हटाने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारत सरकार को चीनी के निर्यात से प्रतिबन्ध उठाने के लिए सरकारी तौर पर कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि सरकार 17 जुलाई, 1981 के इकनामिक टाइम्स, नई दिल्ली में प्रकाशित समाचार और दिनांक पहली अगस्त, 1981 के कामर्स मैगजीन में प्रकाशित सम्पादकीय से अवगत है जिनमें इस बात का उल्लेख किया गया था कि महाराष्ट्र राज्य सहकारी शक्कर कारखाना संघ की 25वीं वार्षिक आम सभा में सदस्यों ने चीनी के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को उठाने के लिए इस आधार पर वकालत की थी कि आगामी पौसम में चीनी का उत्पादन बहुत अधिक होने की आशा है।

(ख) भारत सरकार का चीनी के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को उठाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

धान की वसूली नीति की पुनरीक्षा

1192. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान और चावल के लिए वसूली नीति के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश राइस मिल्स एसोशिएशन, कानपुर ने अक्तूबर, 1980 को कुछ सुझाव भेजे थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार को कोई अनुदेश जारी किये हैं ; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) और (ख) हालांकि उत्तर प्रदेश चावल मिल एसोसिएशन, कानपुर से दिनांक 7 अक्तूबर, 1980 का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ था, लेकिन उत्तर प्रदेश चावल मिल मालिक एशोसिएशन, कानपुर से दिनांक 27 अक्तूबर, 1980 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। उत्तर प्रदेश चावल मिल मालिक एसोसिएशन द्वारा उठाए गए प्रश्नों पर उत्तर प्रदेश सरकार के परामर्श से विचार किया गया था और इस सम्बन्ध में स्थिति के बारे में एसोसिएशन को 27 मार्च, 1981 को सूचित कर दिया गया था।

खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने का कार्यक्रम

1193. **श्री राम लाल राही** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्ष में धान के उत्पादन में गिरावट को देखते हुए चालू वर्ष में धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने हेतु कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि नहीं, तो धान के उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. बी. स्वामीनाथन) : (क) 1980-81 में धान के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में काफी अधिक होने का अनुमान है। तथापि, सरकार की नीति यह है कि खाद्यान्नों जिसमें धान भी शामिल है, का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन देने के लगातार प्रयास किये जाएं।

(ख) प्रश्न नहीं होता।

भण्डारण क्षमता का उपयोग

1194. **प्रो० अजित कुमार मेहता :**
श्री छोटे सिंह यादव :
श्री त्रिलोक चन्द्र :
श्री बी० डी० सिंह : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अनाज का रक्षित भण्डार रखने की वर्तमान क्षमता तथा सुविधाएं क्या हैं ;

(ख) वर्ष 1978, 1979 और 1980 के दौरान विद्यमान भण्डारण क्षमता का किस सीमा तक उपयोग किया गया, यदि भण्डार क्षमता का कम उपयोग किया गया है, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान कीड़े चूहों से तथा प्राकृतिक आपदाओं के कारण कितना अनाज नष्ट हुआ ; और

(घ) क्या वर्तमान भण्डार सुविधायें आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं यदि नहीं, तो भण्डारों की क्षमता की कमी को दूर करने तथा सुरक्षा उपायों को सुधार कर भण्डार में होने वाली क्षति सम्बन्धी समस्याओं को हल करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) भारतीय खाद्य निगम, जो कि बफर स्टाक का प्रबन्ध करने के लिए जिम्मेदार है, के पास 1.7.1981 को 206.22 लाख मीटरी टन की भण्डारण क्षमता थी ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय खाद्य निगम की भण्डारण क्षमता के इस्तेमाल करने की कुल प्रतिशतता इस प्रकार थी :

वर्ष	इस्तेमाल करने की प्रतिशतता
1977-78	67 प्रतिशत
1978- 9	70.5 प्रतिशत
1979-80	70.4 प्रतिशत

क्योंकि खाद्यान्न खराब होने योग्य जिन्स है इसलिए इसे जारी कर तथा नये स्टाक से इसकी भरपाई कर यथा व्यवहार्य नियमित रूप से इसका लेन-देन किया जाता रहता है। अतः यदि लेन-देन के कार्यों का हिसाब लगाया जाय तब लगभग 70 प्रतिशत की भण्डारण क्षमता के इस्तेमाल को सन्तोषजनक समझा जाता है ।

(ग) भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में पिछले तीन वर्षों में वर्षा, बाढ़ों, तूफानों आदि के कारण क्षतिग्रस्त हुए और मानव उपभोग के अनुपयुक्त खाद्यान्नों की कुल मात्रा इस प्रकार थी :

वर्ष	मात्रा (मीटरी टन में)
1978-79	1,00,657
1979-80	61,896*
1980-81	15,047*

* अस्थाई

(घ) भारतीय खाद्य निगम के पास उपलब्ध वर्तमान समूची भण्डारण सुविधाएं निगम के पास उपलब्ध स्टाक की मात्रा की दृष्टि में पर्याप्त हैं। तथापि, विशेषतया व्यस्ततम वसूली मौसम के दौरान भण्डारण क्षमता पर दबाव महसूस किया जाता है। तथापि, निगम की घटिया किस्म के किराये के गोदामों और कैप (कवर और प्लिंथ) भण्डारण पर निर्भरता कम करने के लिए तथा बफर और परिचालन स्टाक का भण्डारण करने की भावी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भन्डारण क्षमता का निर्माण करने की योजना बनायी जाती है। भण्डारण में खाद्यान्नों की हानि से बचने के लिए निम्नलिखित पग उठाए जाते हैं :

1. भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्मित/बनाये जाने वाले गोदाम मूषक, दीमक और नमी प्रूफ होते हैं।

2. गोदामों का मानसून-पूर्व निरीक्षण किया जाता है और वर्षा के पानी को रिसने से रोकने के लिए मरम्मत करवाई जाती है।

3. कीटाणुओं, मूषकों और पक्षियों से पैदा शुदा समस्या की रोक-थाम करने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक कीट नियन्त्रण उपाय किए जाते हैं।

4. खाद्यान्नों की समय-समय पर जांच करने और उन्हें सही ढ़ंग से रखने के लिए योग्य और तकनीकी दृष्टि से प्रशिक्षित स्टाक को लगाया जाता है।

पश्चिमी बंगाल को लेवी चीनी की कम सप्लाई

1195. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल की प्रति मास 40,000 टन लेवी चीनी की जरूरत होती है परन्तु राज्य को केवल 22,000 टन का आवंटन किया जाता है और यह मात्रा भी पहुंची नहीं जिसके कारण पिछले वर्ष के अन्त तक 64,000 टन की बकाया मात्रा हो गई ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) पिछले एक वर्ष के दौरान पश्चिम बंगाल को प्रति महीना कितनी चीनी सप्लाई की गई ?

कृषि तथा ग्रामीण पुर्नानर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वी. स्वामीनाथन) : (क) से (ग) 17.12.1979 से चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति को लागू करने से पिछली आंशिक नियंत्रण की अवधि में दिए जा रहे लेवी चीनी के राज्यवार मासिक कोटों को बहाल कर दिया गया है और तदनुसार पश्चिम बंगाल सरकार को उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरित करने के लिए 21594 मीटरी टन लेवी चीनी का मासिक कोटा प्राप्त हो रहा है (इसके अलावा, सीमा सुरक्षा दल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल आदि के लिए भी थोड़ी मात्रा का

आवंटन किया जा रहा है) । पश्चिमी बंगाल सरकार ने उनके मासिक कोटे को बढ़ाकर 40,000 मीटरी टन करने का अनुरोध किया था लेकिन लेवी चीनी की कठिन स्थिति होने के कारण उनके कोटे में किसी प्रकार की वृद्धि करना सम्भव नहीं हुआ है ।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिसम्बर, 1979 के मध्य से वितरण का कार्य सम्भालने से परिचालन/संचलन सम्बन्धी बाधाओं, फैक्ट्रियों आदि के साथ मुकदमेंबाजी होने के कारण उन्हें कुछेक प्रारम्भिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था जिसके फलस्वरूप जनवरी सेमई, 1980 के प्रारम्भिक महीनों में कम आमद हुई थी । 64,000 मीटरी टन से भी अधिक का पुराना माल अधिकांशतः इसी अवधि से सम्बन्धित था । गत एक वर्ष में लगभग 22,000 मीटरी टन के राज्यों के लेवी चीनी के मासिक कोटे के प्रति मासवार सप्लाई की गई मात्रा के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(मीटरी टन में)

मास	सप्लाई की गई मात्रा
अगस्त, 1980	20663
सितम्बर, 1980	18892
अक्तूबर, 1980	27068
नवम्बर, 1980	18150
दिसम्बर, 1980	17302
जनवरी, 1981	17348
फरवरी, 1981	15301
मार्च, 1981	16374
अप्रैल, 1981	21353
मई, 1981	22327
जून, 1981	19833
जुलाई, 1981	20953

'हुडकों' द्वारा राज्यों में स्वीकृत की गई नई आवास परियोजनायें

1196. **श्री सत्य गोपाल मिश्र :**

श्री भीकू राम जैन : क्या निर्माण और आवास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवास एवं शहरी विकास निगम 'हुडको' द्वारा स्वीकृत की गई नई आवास परियोजनाओं की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ख) नई स्वीकृत परियोजनाओं की कुल परियोजना लागत कितनी है ; और

(ग) इस हेतु प्रत्येक राज्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) हुडको ने वर्ष 1980-81 के दौरान कुल 258.71 करोड़ रुपए की परियोजना लागत की 346 योजनायें मंजूर की । हुडको इन नई स्वीकृत योजनाओं के लिए 161.68 करोड़ रुपए की राशि के लिए वचनवद्ध था ।

(ख) तथा (ग) वर्ष 1980-81 के दौरान हुडको द्वारा स्वीकृत विभिन्न राज्यों की स्वीकृत परियोजना लागत, राशि तथा रिहायशी एकक के ब्यौरे विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

चालू वर्ष 1980-81 में स्वीकृत की गई योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा
(31-3-81 के अनुसार)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजनाओं की संख्या	परियोजना लागत	स्वीकृत ऋण							
			आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग	निम्न आय वर्ग	मध्यम आय वर्ग	उच्च आय वर्ग	रेंटल कमर्शियल	योग	रिहायशी स्वीकृत	स्वीकृति प्लाट
			(करोड़ रुपयों में)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	32	12.71	2.92	3.58	2.19	—	0.33	—	9.02	9575	—
असम	2	2.42	—	0.41	1.03	0.23	—	—	1.67	720	—
बिहार	7	7.49	2.00	0.66	1.79	—	—	—	4.45	11120	—
गुजरात	35	31.15	8.80	0.53	5.26	0.33	184	—	16.76	46577	2372
हरियाणा	15	6.85	0.69	1.99	0.84	0 71	0.41	—	4.64	5650	—
हिमाचल प्रदेश	2	0.59	—	—	—	—	038	—	0.38	88	—
जम्मू तथा कश्मीर	1	0.22	0.03	0.08	0.07	—	—	—	0.18	—	545
कर्नाटक	41	27.63	11.12	0.06	0.16	—	0.62	0.17	12.13	770 28	—
केरल	18	21.83	11.50	0.32	0.54	0.33	—	—	12.69	36378	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
मध्य प्रदेश	15	3.98	1.02	1.11	1.04	0.86	0.13	—	4·46	3553	136
महाराष्ट्र	57	41.85	1.40	10.63	8.67	2.74	2.49	0.35	26.28	18188	322
मणिपुर	1	0.17	—	—	0.03	0.08	—	—	0.11	26	—
उड़ीसा	3	1.21	0.05	0.46	0.32	—	—	—	0.83	581	—
पंजाब	10	15·69	1.16	1.88	—	—	7.33	—	10.37	8201	—
राजस्थान	22	12·44	1.81	2.85	1.61	1.38	1.11	—	8.76	6356	1390
तमिलनाडु	28	20.13	1·29	1.46	6.48	4.16	—	—	13.38	7476	1233
उत्तर प्रदेश	28	29.72	8.21	6.75	6.56	0.69	—	—	22.21	19945	1431
पश्चिम बंगाल	11	10.96	—	—	1.52	4.90	0.05	—	6.47	1704	—
चण्डिगढ़	5	7.26	0.74	8.86	3.52	—	—	—	5.12	3514	—
दिल्ली	2	1.23	—	0.44	0.44	—	—	0.06	0.94	696	—
पाँडिचेरी	2	1.18	0.02	0.59	0.21	—	—	—	0.82	637	—
सम्पूर्ण भारत	345	258.71	52.76	34.96	42.28	16.41	14.69	0.58	161.68	268513	7429

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत राज्यों में राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम का क्रियान्वयन

1197. **श्री सूर्यनारायण सिंह** : क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों ने छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का ब्यौरा तैयार कर लिया है ;

(ग) यदि हां: तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इन योजनाओं से कितनी रोजगार क्षमता का अनुमान लगाया गया है ;

(ग) क्या राज्यों द्वारा इन योजनाओं को चालू वर्ष में क्रियान्वयन शुरू किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो चालू वर्ष में इन योजनाओं के अंतर्गत प्रत्येक राज्य में कुल कितना अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों से प्रत्येक विकास खण्ड के लिए परियोजनाएं तैयार करने की अपेक्षा की गई है। परियोजना तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। शुरू की जाने वाली योजनाओं में वनरोपण, सामाजिक वानिकी, भूमि विकास, सामुदायिक निर्माण-स्थल, पेयजल कुएं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए सामुदायिक सिंचाई कुएं, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण तालाब, विद्यालय, औषधालय भवन आदि शामिल हैं। राज्यों ने तैयार तथा अनुमोदित की गई परियोजनाओं को कार्यान्वित करना शुरू कर दिया है। छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों में प्रतिवर्ष 300 मिलियन से 400 मिलियन रोजगार के श्रमदिनों का सृजन किया जाना है।

चीनी का निर्यात

1198. **श्री के. प्रधानी** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत वर्ष 1982 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चीनी समझौते के अन्तर्गत चीनी के कोटे का निर्यात करने की स्थिति में है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत की कार्य-निष्पादिता का ब्यौरा क्या है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) 1982 के लिए अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के अधीन भारत का निर्यात संबंधी कोटा

अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा ही लगभग फरवरी/मार्च, 1982 तक निश्चित किया जाता है। तथापि, चीनी वर्ष 1981-82 में चीनी के उत्पादन के अच्छे संकेतों को देखते हुए, अन्तर्राष्ट्रीय चीनी संगठन द्वारा जो भी कोटा निर्धारित किया जाएगा उसके आधार पर 1982 में चीनी निर्यात कर सकने में भारत को कोई कठिनाई होने की संभावना प्रतीत नहीं होती है।

(ख) वर्ष		निर्यात
1979	0.56	(यूरोपीय आर्थिक समुदाय करार के अधीन
1980	0 64	निर्यात की गई लगभग 25,000 मीटरी टन चीनी समेत)
1981 (अब तक)	0.60	(यूरोपीय आर्थिक समुदाय करार के अधीन निर्यात की जाने वाली लगभग 25,000 मीटरी टन चीनी का वायदा छोड़कर)।

कोसी नियंत्रण बोर्ड

1199. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या सिंचाई मंत्री कोसी नियंत्रण बोर्ड के कार्यकरण के बारे में 2 मार्च, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1881 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 5 अगस्त, 1980 को घोषित कोसी नियंत्रण बोर्ड ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ; और

(ग) क्या बिहार सरकार द्वारा 1954 में नियुक्त कोसी नियंत्रण बोर्ड की 1975 से एक भी बैठक नहीं हुई है ; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके लिए कौन उत्तरदायी है ; और

(घ) क्या जनवरी, 1974 में डा० कंवर सैन की अध्यक्षता में गठित कोसी परामर्शदाता बोर्ड ने सितम्बर, 1975 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और अंतिम रिपोर्ट के लिए बैठक नहीं बुलाई गई है ; और यदि हां, तो अंतिम रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है और अब तक बैठक न होने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) जी, नहीं। बिहार सरकार केन्द्र के प्रस्ताव से सहमत नहीं हुई।

(ग) जी, हां। इस मामले का संबंध बिहार सरकार से है।

(घ) बिहार सरकार ने सूचित किया है कि उसे कोसों परामर्शदाता बोर्ड को, जिसका गठन बिहार सरकार द्वारा किया गया था, कोई रिपोर्ट (अन्तिम अथवा अनन्तिम) 1974 में प्राप्त नहीं हुई ।

ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु बिहार को आवंटित धनराशि

1200. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार को पिछले तीन शीर्षों में ग्रामीण पुनर्निर्माण की मदों के विशिष्ट शीर्षों के अंतर्गत कितनी धनराशि नकद या अन्य रूप में मंजूर की गई है ;

(ख) क्या विशिष्ट शीर्षों के अन्तर्गत निर्धारित विशिष्ट वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है और पूरी धनराशि उचित ढंग से खर्च की गई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, तथा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं ?

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री बालेश्वर राम) : (क) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में कार्यान्वित किए गए ग्रामीण विकास मुख्य कार्यक्रम ये हैं —लघु कृषक विकास एजेंसी । समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम तथा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम । प्रत्येक के बारे में स्थिति विवरण एक, दो तथा 3 में दी गई है ।

विवरण-एक

लघु कृषक विकास एजेंसी/समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

क. पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति

वर्ष	आबंटन/प्रशासनिक अनुमोदन (केन्द्रीय अंश) (लाख रुपये में)	बंटन (केन्द्रीय अंश) (लाख रुपये में)	केन्द्रीय अंश सहित उपयोग (लाख रुपए में)
1978-79	2154.43	1318.00	530.79
1979-80	1465.30+	731.94+	621.64
1980-81	1467.50+	551.59+	920.96 (अनन्तिम)

+राज्य सरकार को भी इतनी ही धनराशि का बंटन करना है ।

ख. वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति

वर्ष	शामिल किए जाने वाले परिवार (लक्ष्य)	वास्तविक रूप से सहायियत परिवार
1978-79	3,40,000	2,02,410
1979-80	2,24,480	1,78,898
1980-81	3,52,200	1,38,956 (अनन्तिम)

ग. भौतिक तथा वित्तीय लक्ष्यों में कमी के कारण तथा किए गए उपचारी उपाय

बिहार में मुख्य अड़चन प्रशासनिक, संगठनात्मक तथा पर्याप्त ऋण का अभाव है। बिहार में खण्ड ढांचे को भी मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इन बातों पर राज्य सरकार के साथ कई मंचों पर विचार-विमर्श किया गया है। माननीय प्रधान मंत्री जी के 26-6-81 के बिहार दौरे के दौरान भी इन पर विचार-विमर्श किया गया था। उपयुक्त उपचारी उपाय किए जा रहे हैं। भारत सरकार जिला प्रशासन को मजबूत बनाने के लिए 50 प्रतिशत सहायता सुलभ कर रही है तथा उनसे प्राप्त प्रस्तावों पर 2-9-1981 को संस्वीकृति समिति, जिसमें योजना आयोग, वित्त मंत्रालय तथा राज्य सरकार का एक-एक प्रतिनिधि शामिल है द्वारा विचार-विमर्श किया जायेगा। प्रबोधन तंत्र को मजबूत बनाया जा रहा है तथा भारत सरकार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण के प्रवाह की लगातार पुनरीक्षा करेगी।

विवरण—दो

सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम

(क) सूखाग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम नवदाह, रोहतास, मुंगेर तथा पालमाऊ के चार जिलों जिनके अन्तर्गत 57 खण्ड आते हैं, में कार्यान्वित किया जा रहा है। कार्यक्रम के व्यय को केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा बराबर-बराबर बांटा जाता है। निम्नलिखित विवरण में राज्य के अंश सहित केन्द्रीय वंश के आवंटन, केन्द्रीय अंश के बंटन तथा उपयोग को दर्शाया गया है।

बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय लक्ष्यों की उपलब्धि

(लाख रुपये में)

वर्ष	केन्द्रीय अंश का आवंटन	केन्द्रीय अंश का आवंटन +	राज्य अंश सहित उपयोग
1978-79	427.50	361.68	280.60
1979-80	427.50	206.88	479.00
1980-81	427.50	283.00	594.86

+ राज्य सरकार को बराबर की धनराशि का बंटन करना है।

(ख) वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति

1978-79

क्षेत्र	यूनिट	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. भूमि संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	100 हेक्टेयर	67	50
2. सिंचाई	हेक्टेयर	12875	1208
3. वानिकी तथा चरागाह	,,	8501	4589
4. दुधारू पशुओं का वितरण	संख्या	1800	790

1979-80

क्षेत्र	यूनिट	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. भूमि संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	100 हेक्टेयर	90	77
2. सिंचाई	हेक्टेयर	8943	1785
3. वानिकी तथा चरागाह	,,	3741	3731
4. दुधारू पशुओं का वितरण	संख्या	2200	666

1980-81 (मार्च 81, तक)

क्षेत्र	यूनिट	लक्ष्य	उपलब्धियां
1. भूमि संरक्षण के अन्तर्गत लाया गया क्षेत्र	100 हेक्टेयर	4592+	3835+
2. सिंचाई	हेक्टेयर	9684+	3600+
3. वानिका तथा चरागाह	,,	3216+	2191+
4. दुधारु पशुओं का वितरण	संख्या	500+	325+

+आंकड़े मुंगेर (जमुई) तथा नवदाह के दो जिलों से संबंधित है।
रोहतास तथा पालमाऊ के बारे में प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

(ग) व (घ) लक्ष्यों को प्राप्त करने में हुई कमी के मुख्य कारण प्रशासनिक, संगठनात्मक और सामग्री तथा उपकरणों की अनुपलब्धता रहे हैं। इस मामले को राज्य सरकार के साथ उठाया जा रहा है।

विवरण-3

बिहार में काम के बदले अनाज कार्यक्रम/राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1 अप्रैल, 1977 से चल रहा है। इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया है तथा तदुपरान्त इसे पुनर्गठित किया गया है। इसे अक्तूबर, 80 से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का नाम दिया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत केवल उन्हीं निर्माण कार्यों जिनसे ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने में सहायता मिलती हो तथा जिनसे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन होता हो, तथा वे निर्माण कार्य जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार होता हो, को शुरू किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को खाद्यान्नों के अलावा नकद निधियां भी दी जा रही हैं ताकि कार्यक्रम के अन्तर्गत निष्पादित परियोजनाओं के स्थायित्व को सुनिश्चित करने के लिए सामग्री अधिप्राप्त की जा सके तथा केन्द्रीय लेखे से नकद के रूप में मजदूरी का भुगतान किया जा सके।

बिहार सरकार को पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित/बंटित खाद्यान्नों की मात्रा निम्न प्रकार है :—

(मात्रा : मीटरी टन में)

वर्ष	आवंटित/बंटित खाद्यान्नों की मात्रा	पिछले वर्ष का उपयोग में न लाया गया शेष खाद्यान्न	उपलब्ध किए गए कुल खाद्यान्न	उपयोग में लाई गई खाद्यान्न की मात्रा	अतिशेष
1978-79	2,00,000	22,264.56	2,22,264.56	1,82,140.00	40,124.56
1979-80	3,46,000	40,124.56	3,86,124.56	3,01,355.24	84,769.32
1980-81	1,64,000+	84,769.32	2,48,769.22	1,35,905.98	1,12,863.24

+इसमें से 54,000 मीटरी टन वास्तविक रूप में बंटित नहीं किए जा सके।

उपर्युक्त से यह मालूम होता है कि उपयोग की दर जो वर्ष 1977-78 में 25.8 प्रतिशत थी वर्ष 1978-79 में बढ़कर 81.9 प्रतिशत हो गई। 1979-80 तथा 1980-81 के वर्षों में उपयोग की दर क्रमशः 78.0 प्रतिशत तथा 79.8 प्रतिशत रही है। बिहार सरकार की खाद्यान्नों के अलावा 17.25 करोड़ रुपए की धनराशि (14.22 करोड़ रुपए सामग्री घटक के लिए तथा 3.03 करोड़ रुपए मजदूरी घटक के लिए) बंटित की गई थी चूंकि निधियां वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर बंटित की गई थी अतः निधियों के उपयोग के बारे में सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के बारे में

प्रो. के. के. तिवारी (बक्सर) : महोदय, माननीय सदस्य श्री अटलबिहारी बाजपेयी ने भारत सरकार की आलोचना करते हुए अमरीका में जो वक्तव्य दिया था मैंने उसके बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखा है.....(व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा। यह अब मेरे विधाराधीन है। (व्यवधान)।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली की वर्ष 1979-80 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसे सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब का कारण बताने वाला विवरण तथा लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मन्त्रियों द्वारा किए गए विभिन्न आश्वासनों वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले विवरण।

संसदीय कार्य और निर्माण तथा आवास मन्त्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति—

(एक) नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण।

(दो) नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1979-80 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2666/81]

(3) लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए विभिन्न आश्वासनों, वचनों और की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक)	विवरण संख्या 17—छठा सत्र, 1978	छठी लोक सभा
(दो)	विवरण संख्या 20—सातवां सत्र, 1979	
(तीन)	विवरण संख्या 7 - पहला सत्र, 1980	सातवीं लोक सभा
(चार)	विवरण संख्या 8 - दूसरा सत्र, 1980	
(पांच)	विवरण संख्या 12 - तीसरा सत्र, 1980	
(छः)	विवरण संख्या 5—चौथा सत्र, 1980	
(सात)	विवरण संख्या 2—पांचवा सत्र, 1981	
(आठ)	विवरण संख्या 3 -पांचवां सत्र, 1981	
(नौ)	विवरण संख्या 4 - पांचवां सत्र, 1981	[ग्रन्थालयमें रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.—2667/81]

असम वन्य जीव (संव्यवहार और चर्म प्रसाधान) संशोधन नियम, 1981, नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया, नई दिल्ली की वर्ष 1979-80 की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन तथा इसके सभापटल पर विलम्ब से रखने का कारण बताने वाला एक विवरण भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1979-80 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन आदि।

सिंचाई मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : मैं राव वीरेन्द्र सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की धारा 63 की उपधारा (2) के अन्तर्गत असम वन्य जीव (संव्यवहार तथा चर्म प्रसाधन) संशोधन नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 22 जून, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां. नि० 401 (ड') में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2668/81]

(2) (एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित दस्तावेजों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2 69/81]।

(4) (एक) खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 35 की उपधारा (2) के अन्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1979-80 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा-अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय खाद्य निगम के वर्ष 1979-80 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति।

(5) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2670/81]।

(6) सरकारी संकल्प 22/7/80-पी 1 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 27 सितम्बर, 1980 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जिसके द्वारा सरदार सरोवर निर्माण सलाहकार समिति का गठन किया गया है।

(7) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित संकल्प को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2671/81]।

(8) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति :—

(एक) केरल वन विकास निगम लिमिटेड, कोट्टायम के 30 जून, 1979 को समाप्त हुए वर्ष के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ;

(दो) केरल वन विकास निगम लिमिटेड, कोट्टायम का 30 जून, 1979 को समाप्त हुए वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महा-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(9) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 2672/81]।

(10) वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत वन (संरक्षण) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 1 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 719 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 2673/81]।

(11) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति:—

(एक) उर्वरक (नियंत्रण) दूसरा संशोधन आदेश, 1981 जो दिनांक 13 मई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 348 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) सा० सां० नि० 436 जो दिनांक 11 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। जिसके द्वारा वह प्रति टन अधिकतम मूल्य निर्धारित किया गया है जिस पर अधिसूचना की अनुसूचि में विनिर्दिष्ट उर्वरक चाय, काफी अथवा रबड़ बागान अथवा कृषकों को बेचा जायेगा। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी० 2674/81]।

नारियल विकास बोर्ड (विकल्प प्रपत्र) नियम, 1981 और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन अधिसूचना

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): मैं निम्मनलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 21 के अन्तर्गत नारियल विकास बोर्ड (विकल्प प्रपत्र) नियम, 1981 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 6 मई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 322 (ङ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.—2675/81]।

(दो) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—

(एक) चीनी (1980-81 के उत्पादन के लिए मूल्य निर्धारण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 1981 जो दिनांक 28 मई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 370 (ङ) में प्रकाशित हुआ था तथा उसका शुद्धि पत्र जो दिनांक 17 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 440 (ङ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) गन्ना (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 1981 जो दिनांक 3 जुलाई, 1981 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि. 427 (ङ) में प्रकाशित हुआ था। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी.—2676/81]।

सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के अधीन अधिसूचना

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री मगन भाई बरोट) : मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत 75 रुपये प्रति क्विंटल की दर से काफी पर निर्यात शुल्क पुनः लगाने के बारे में अधिसूचना संख्या सा. सां. नि. 490 (ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो दिनांक 21 अगस्त, 1981 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभापटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2677/81]।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि के बारे में—जारी

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना जो कुछ भी कहा जायेगा, वह कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)* आप यहां पर चर्चा नहीं कर सकते हैं।

आप सब को क्या हो रहा है? (व्यवधान) क्या आपने नियमों का अध्ययन किया है? (व्यवधान) कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)* मैंने किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दी है। (व्यवधान)* इन सब पर मेरे कक्ष में विचार किया जायेगा, यहां नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : महोदय, मैं चाहता हूं कि मेरे वक्तव्य पर यहां पर विचार हो क्योंकि उन्होंने उसका अभी अभी यहां उल्लेख किया है ... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : जो भी बात मेरी अनुमति के बिना कही जायेगी, उसे कार्यवाही-वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा। (व्यवधान)*।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागओ) : महोदय, आप हमें बारी बारी से सुन सकते हैं। श्री तिवारी ने श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिये गये किसी व्यक्तव्य के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है और अब माननीय सदस्य यहां उपस्थित हैं ... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : उस पर विचार किया जा रहा है। मैंने इस सम्बन्ध में अभी कोई फैसला नहीं किया है। उस पर मैं अब यहां कैसे चर्चा की अनुमति दे सकता हूं।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव की सूचना दी है... ।

अध्यक्ष महोदय : आप उस पर फैसला नहीं कर सकते।

---

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : यह औचित्य की बात है कि एक राजनीतिक दल के नेता और इस सदन के माननीय सदस्य विदेश जाते हैं और वहां एक वक्तव्य देते हैं ····(व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : यह मैंने सोचना है ।

प्रो. के. के. तिवारी : वह विदेश जाकर भारत सरकार के बारे में वक्तव्य कैसे दे सकते हैं ? महोदय, ऐसा कभी नहीं हुआ । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी शामिल नहीं किया जायेगा । (व्यवधान)* ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं इस सरकार की विदेश में भी आलोचना करूंगा । (व्यवधान)* ।

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही-वृतान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा । इसकी अनुमति नहीं है । (व्यवधान,* पहले आपको सीखना होगा । जब कोई प्रस्ताव सही रूप में मुझे दिया जाता है तो मुझे यह फैसला करना होता है कि उसे गृहीत किया जाये अथवा नहीं । यह सीधी-सी बात है । आप मुझे किसी प्रस्ताव की सूचना देते हैं और मैं उस पर विचार करता हूं । आप हर बात को स्वीकृत नहीं समझ सकते हैं ।

प्रो. के. के. तिवारी : मैंने सूचना दी है ·· (व्यवधान) और मैं थोड़ा सा अनुरोध करना चाहता था ····· (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस पर यहां क्यों चर्चा करते हैं ? इस पर यहां चर्चा नहीं होगी । मैं स्वंय को किसी के लिए बाध्य नहीं मानता ; यह मेरी इच्छा पर निर्भर है । मुझे प्रस्ताव के बारे में गुण-दोष के आधार पर फैसला करना होता है । मुझे उसकी जाँच करनी होती है ।

प्रो. के. के. तिवारी : आप उसके गुणों की जांच कर सकते हैं किन्तु यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : हो सकता है । आपका विचार ऐसा हो सकता है किन्तु मुझे इस सम्बन्ध में अपना निर्णय देना होता है । यदि कोई प्रस्ताव आता है तो मुझे उस पर अपना फैसला देना होता है ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । सरकार को श्री लंका में एक भारतीय पत्रकार की गिरफतारी के बारे में एक वक्तव्य देना चाहिए । ··· · ** ।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमती नहीं दी जा रही है । इसका कोई सम्बन्ध नहीं है ।

**कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैं विगत सप्ताह से एक नोटिस दे रहा हूं कि मध्य प्रदेश में .... ।

अध्यक्ष महोदय : यह राज्य का विषय है । इसकी अनुमति नहीं दी जा रही । इसका कोई सम्बन्ध नहीं है । नहीं ; मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा । यह राज्य सम्बन्धी विषय है ....हम यहां पर किसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं । (व्यवधान) ।**

इसकी अनुमति नहीं दी गई है । क्या आप नियमों को नहीं जानते ।

डा. सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : निर्देश 2 के अन्तर्गत, आपको विशेषाधिकार भंग किए जाने सम्बन्धी प्रस्तावों की सूचनाओं पर अपना फैसला देना है । मैंने आपको एक नोटिस सदस्यों की बात को खोलकर पढ़ने के बारे में दिया था..... ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे भी इस सम्बन्ध में बड़ी चिन्ता है । मैं इसकी जाँच कर रहा हूं और तत्पश्चात आपको बताऊंगा कि क्या यह विशेषाधिकार का मामला बनता है अथवा नहीं ।

श्री रत्न सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : यह बड़ा गम्भीर मामला है । संसद सदस्यों तक की डाक को खोल कर पढ़ा जाता है ।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं । मैंने इसका उत्तर दे दिया है । यदि यह विशेषाधिकार भंग का मामला बनता है तो मैं इसे स्वीकार करूंगा वरना नहीं करूंगा । मुझे इस पर विचार करना होगा ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसके बारे में मैंने आपको एक पत्र लिखा है ।

अध्यक्ष महोदय : बिल्कुल मिला है । मैं आपको यही बता रहा हूं कि मैं उसके मैरिट्स और डिमैरिट्स देख रहा हूं । ज्योंहि मैं एक अथवा दो दिन में उस पर अपना फैसला लूंगा, मैं आपको सूचित करूंगा कि क्या यह विशेषाधिकार का मामला बनता है अथवा नहीं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने विशेषाधिकार भंग का कोई नोटिस नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : आपने नोटिस नहीं दिया किन्तु आपने मुझ से उस सम्बन्ध में पूछा था किन्तु अन्य माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचनाएं दी है । मैं उन पर विचार कर रहा हूं । मैंने इस सम्बन्ध में तथ्य मंगाए हैं ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हम आरोपों को सिद्ध करने के लिए तैयार हैं । क्या आपने तथ्य एकत्रित कर लिए हैं ।

** कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : मैं तथ्य एकत्रित कर रहा हूं मेरे पास कुछ तथ्य हैं और मैं उनका अध्ययन कर रहा हूं। मुझे पूर्व उद्धारणों तथा नियमों के अनुसार फैसला करना होगा।

श्री मनी राम बागड़ी (हिसार) : अध्यक्ष महोदय, मैंने चार पांच दिन पहले आपको एक विशेषाधिकार का नोटिस दिया था। दिल्ली में एक मेम्बर आफ पार्लियामेंट के खिलाफ खबर निकली थी ·····।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उसे अस्वीकार कर दिया है।

श्री मनीराम बागड़ी : अगर आपने उसको रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या आपको इत्तिला देनी चाहिए थी या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको यहीं इत्तिला दी थी। मैंने कहा था कि बिना किसी नाम के मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा।

श्री मनि राम बागड़ी : आपने कहा था कि आप चैक करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : नहीं। अगर किसी का आये, तो करूंगा, वर्ना अखबार की बात पर नहीं।

श्रीमति गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, हमने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ऋण के बारे में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यहां विचार नहीं किया जायेगा।

श्रीमति गीता मुखर्जी : इस सम्बन्ध में हमारे सारे प्रश्न अस्वीकार किए जा रहे हैं। और मन्त्रि मंडल ने इस ऋण की शर्तों को स्वीकार कर लिया है।

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित सन्देश की की सूचना देनी है :—

"मुझे लोक सभा को सूचित करने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 20 अगस्त 1981 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 23 दिसम्बर, 1980 को पास किए गए मुम्बई उच्च न्यायालय (गोवा, दमण और दीव में अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक 1980 को निम्नलिखित संशोधनों सहित पास कर दिया है :—

अधिनियमन सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 1 में, शब्द "इकत्तीसवें" के स्थान पर शब्द "बत्तीसव" अन्तः स्थापित किया जाए ।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 4 में संख्या "1980" के स्थान पर संख्या "1981" अन्तः स्थापित किया जाए ।

अतः मुझे उक्त विधेयक को राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचलन संबंधी नियमों के नियम 128 के उपबन्धों के अनुसार एतद्द्वारा इस अनुरोध के साथ वापस लौटाना है कि उक्त संशोधनों से लोक सभा की सहमति राज्य-सभा को सूचित की जाए ।"

(2) महोदय, मैं राज्य सभा द्वारा संशोधनों सहित लौटाया गया मुम्बई उक्च न्यायालय (गोवा, दमण और दीव में अधिकारिता का विस्तारण) विधेयक, 1981, सभा पटल पर रखता हूं ।

देश में बाढ़ को स्थिति के बारे में वक्तव्य

सिचाई मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : में देश में बाढ़ की स्थिति के बारे में वक्तव्य प्रस्तुत कर रहा हूं । मानसून के मौसम में असम, विहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भारी बाढ़ें आई हैं । अन्य राज्यों में भी कुछ क्षति हुई है । राज्य सरकारों ने क्षति के बारे में पूरी सूचना नहीं भेजी है । लेकिन अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार बाढ़ों से कुल 37.61 लाख हेक्टेयर क्षेत्र प्रभावित हुआ है । कुल 187 लाख व्यक्ति प्रभावित हुए हैं और 553 व्यक्तियों को जान से हाथ धोना पड़ा है । अनुमान है कि कुल 260 करोड़ रुपये की क्षति हुई है । पिछले वर्ष की इसी अवधि के लिए लगभग 169 करोड़ रुपए की क्षति होने की सूचना दी गई थी ।

बाढ़ों के संबंध में राज्यवार स्थिति उपाबंध एक में दी गई है, जो सभा-पटल पर रखे गए उपाबंध-दो में दिए गये हैं ।

उपबन्ध -एक

दक्षिण पश्चिमी मानसून समय से दो दिन पूर्व ही, अर्थात् 30 मई, 1981 को केरल पहुंच गया था और 10 जुलाई तक मानसून सारे देश में छा गया था । 19 अगस्त, 1981 तक हरियाणा, गुजरात, जम्मू तथा कश्मीर, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और

तेलंगाना में सामान्य से अधिक वर्षा हुई है,नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में कम वर्षा हुई है, जबकि देश के शेष भाग में सामान्य वर्षा हुई है ।

2. देश के विभिन्न भागों में कई बार भारी वर्षापात हुआ है । राजस्थान में जयपुर नगर में 18 से 20 जुलाई , 1981 तक अभूतपूर्व वर्षापात रिकार्ड किया गया । इन दिनों में 59.8 सेंटीमीटर वार्षिक औसतन वर्षा की तुलना में 82 सेंटीमीटर वर्षा हुई । 19 जुलाई को एक दिन में ही जयपुर में 35 सेंटीमीटर वर्षापात हुआ, जो अब तक का रिकार्ड है । इस अभूतपूर्व वर्षापात के कारण जयपुर नगर और आस-पास के क्षेत्रों में भारी क्षति हुई ।

आगरा, मैनपुरी, अलीगढ़, दिल्ली, अहमदाबाद, राजकोट, भुज, बम्बई, इन्दौर रामागुण्डम, भुवनेश्वर और तितलगढ़ में भी भारी वर्षा हुई ।

3. राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार असम, बिहार, गुजरात, केरल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश राजस्थान, पश्चिम बंगाल और दिल्ली के राज्यों में बाढ़ें आई हैं । 22 अगस्त 1981 तक राज्यों से प्राप्त हुई सूचना के अनुसार बाढ़ों से कुल 260 28 करोड़ रुपये की क्षति हुई है । पिछले वर्ष इसी अवधि में 169.07 करोड़ रुपए की क्षति हुई थी । प्रत्येक राज्य में बाढ़ों के बारे में स्थिति नीचे दी गई है और अब तक हुई क्षति का ब्यौरा, जैसाकि राज्य सरकारों द्वारा सूचित किया गया है , उपाबन्ध-दो में दिया गया है ।

असम

ब्रह्मपुत्र नदी ने 25 जून, 1981 को डिब्रुगढ़ में खतरे का स्तर पार किया था और 4 अगस्त, 1981 तक खतरे के स्तर से ऊपर बहती रही । अन्य नदियों अर्थात बूढ़ी-देहिंग, धनसिरि, सुबनसिरी, मानस, संकेश बेकी पगलादिया, तुथमारो में बाढ़ स्तर सामान्यतः खतरे के स्तर के आस-पास अथवा उससे कुल ऊंचा रहा । दिखों नदी में, जो ब्रह्मपुत्र के दक्षिणी तट की सहायक नदी है, जल-स्तर में अभूतपूर्व वृद्धि हुई । दिखों के तट पर स्थित ऐतिहासिक नगर शिवसागर 16 से 20 जुलाई तक जलमग्न रहा । राष्ट्रीय राजपथ सं० 37 पानी में डूब गया और शिवसागर-सिमालुगुढ़ी के बीच संचार-व्यवस्था भंग हो गई । बूढ़ी-देहिंग, एई, सिंगरी, सोलंगी, दिखो और बोगीनदी नदियों के पुश्तों में दरारें पड़ गई थीं जिनके कारण संरक्षी तटबंधों के पीछे स्थित गांव और भूमि जलमग्न हो गई थी ।

राज्य सरकार से प्राप्त हुई ताजा सूचनाओं के अनुसार असम में सभी स्थानों पर मुख्य ब्रह्मपुत्र नदी डिब्रूगढ़ और नियामती घाट में खतरे के निशान के आस-पास बह रही है और उसकी सहायक नदियों की स्थिति भी ऐसी ही है ।

बिहार

उत्तर बिहार में बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला बालान, अधवारा, कोसी, महानन्दा और परमां तथा दक्षिण बिहार में सोन, पुनपुन और उप्तर कोइल नदियों में 5 जुलाई से जल

स्तर मध्यम बाढ़ों से कम (अर्थात चेतावनी स्तर और खतरे के स्तर के बीच) रहा। महानन्दा पश्चिमी तटबंध ग्रामीणों द्वारा काट दिया गया और महानन्दा का बायाँ (पूर्वी) तट बंध अपने अनुप्रवाह सिरे पर कट गया। इस कटाव को बन्द करने और कटाव को रोकने के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी गई है।

गुजरात

गुजरात में क्षति मुख्यतया अहमदाबाद और सौराष्ट्र क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण हुई। अहमदाबाद नगर मेहसाना के कलोल और कादी लालुके और खेड़ा जिले का मेहमेदाबाद तालुका जिनके अन्तर्गत 116 गांव आते है, बुरी तरह प्रभावित हुआ।

सौराष्ट्र क्षेत्र में 10 से 11 जुलाई तक भारी वर्षा हुई, जिससे उस क्षेत्र के 5? छोटे बांधों के ऊपर से पानी बहने लगा। लिम्बड़ी तालुके में छोटे ताल के छाचा बांध के लगभग 20 मीटर लम्बे हिस्से में दरार पड़ गई; फलस्वरूप बांध के निचले हिस्सों में भारी क्षति हुई। दरार को पाटने का काम शुरू कर दिया गया है और अब स्थिति नियंत्रण में है।

केरल

भारी वर्षा से राज्य के लगभग सभी जिलों में क्षति पहुंची। कोषी कोडे और माल्लाप्पुरम जिलों में दो स्कूलों की इमारतें गिर गई। एलेप्पी जिले में कई गावों की सड़कें टूट गई। माल्लाप्पुरम जिले में तीन मछली पालन केन्द्र क्षतिग्रस्त हो गए। माल्लाप्पुरम जिले में तेनूनर और त्रिचूर जिलों में श्रीनारायणपुरम और चौथीरप्पिन में हुए तीव्र समुद्र कटावों की सूचना भी राज्य सरकार ने दी है।

उड़ीसा

राज्य सरकार के अनुसार, बेतरणी, बूढ़ीबालांग नदियों और उनकी सहायक नदियों में जुलाई, 1981 के पहले सप्ताह में आई बाढ़ों में बालासौर जिले के 362 गांवों के 1.54 लाख लोग प्रभावित हुए। 200 ग्रामीण सड़कों को 8.51 लाख रुपये की क्षति हुई और 14 मकान क्षतिग्रस्त हुए। सोलह परीक्षण सहायता तटबन्धों में दरारें आ गई।

8-9 अगस्त, 198। को आए चक्रवातीय तूफान के कारण, बन्शधारा, ऋषिकुल्या और उनकी सहायक नदियों तथा कुसुमी और मालागनी नदियों में बाढ़ें, आईं जिससे पुरी, गंजम, कटक और कोरापुट जिलों में 164 गांव प्रभावित हुए। 14,500 हैक्टेयर क्षेत्र की धान की फसल पानी में डूब गई। नदी और नहर तटबंधों में 163 स्थानों पर दरारें आई, तथा 72 सड़कें और 128 पुलियां क्षतिग्रस्त हुई। कई स्थानों पर सड़क यातायात अवरुद्ध हो गया तथा टेलीफोन लाइनें टूट गई। तीन व्यक्तियों की जानें गई।

पंजाब

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 14 और 20 जुलाई को चरण गंगा अपने किनारों से बाहर बहने लगी, जिससे रोपड़ जिले में आन्नदपुर साहिब के कुछ भाग जलमग्न हो गए।

रोपड़ नंगल और नैना देवी सड़कें तीन स्थानों पर टूट गई। 28-7-1981 को सतलुज की सहायक नदी, बुडकीनदी नदी के बाढ़-तटबंध रोपड़ जिले में तीन स्थानों पर टूट गए। होशियारपुर में 'चौ' (पहाड़ी नालों) में भी जल किनारों से ऊपर बहने की सूचना है, जिससे होशियारपुर-चण्डीगढ़ सड़क सहित अन्य कई सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो गया।

राजस्थान

जयपुर में 18 से 20 जुलाई, 1981 तक अभूतपूर्व वर्षा हुई। उस समय कुल 82 सेंटीमीटर वर्षा रिकार्ड की गई। इससे जयपुर और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में सरकारी और निजी सम्पतियों, सड़कों, पुलों तथा बिजली और जल सप्लाई लाइनों को काफी क्षति पहुंची। भारी वर्षा/बाढ़ों से राजस्थान के बीकानेर, सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर, बांसवाड़ा, कोटा और भरतपुर जिलों के क्षेत्रों में भी काफी क्षति हुई। छोटे नालों के अपने किनारों से ऊपर से बहने के कारण सांगनेर शहर कट गया। कई इमारतें, जिनमें फैक्टरियां भी शामिल हैं, बह गई। भरतपुर जिले में बानगंगा में बाढ़ का जल 19 जुलाई, 1981 को मलोनी गांव के निकट राष्ट्रीय राजपथ के ऊपर से बहने लगा। गम्भीर नदी में हुए भारी डिस्चार्ज से भरतपुर जिले में मिट्टी के तटबंधों और बांधों को क्षति पहुंची और अजान बांध को भी खतरा पैदा हो गया। मोरेल नदी ने सवाई माधोपुर में अपना मार्ग बदल लिया और इसके परिणामस्वरूप 19/20 जुलाई, 1981 कोहिगोनिया गांव बह गया और पांच अन्य गाँव भी प्रभावित हुए। सिंचाई तालाबों और अनुषंगिक संरचनाओं में जिनकी संख्या 416 है, या तो दरारें आ गई या वे क्षतिग्रस्त हो गई जिनके कारण व्यापक जलप्लावन हो गया तथा कृषि भूमि और मकानों को क्षति पहुंची।

तमिलनाडु :

कोयम्बतूर जिले में तिरुपपुर शहर में सांगिलो पल्लमों में 10-5-81 को उच्च बाढ़ें आई और निकटवर्ती हटमेंट क्षतिग्रस्त हो गई। लगभग 620 व्यक्ति प्रभावित हुए और 161 झोपड़ियां जिनका मूल्य 1.07 लाख रुपये लगाया गया है, क्षति ग्रस्त हुई। चौबीस पशु मारे गए।

उत्तर प्रदेश

घाघरा, गंडक और राप्ती नदियां पहले क्रमशः 15 जुलाई, 28 जुलाई और 2 अगस्त, 1981 को अपने-अपने खतरे के निशानों को पार कर गई थी। लेकिन बाद में इन नदियों का जल-स्तर गिर गया और राज्य की सभी मुख्य नदियां अब अपने-अपने खतरे के निशानों से नीचे बह रही है। लेकिन गंडक नदी 21 अगस्त से खतरे के निशान से ऊपर बह रही है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में 29 जून से 4 जुलाई, 1981 तक भारी वर्षा हुई। इसके फलस्वरूप जल निकास अत्यधिक अवद्ध हो गया और रेलवे लाइनों तथा सड़क तटबंधों में दरारें आ गयी।

बलिया जिले में घाघरा नदी के दायें किनारे पर तुर्तीपार-श्रीनगर तटबंध से नदी का जल टकरा रहा था और तटबंध को कुछ ठोकरों और स्टडों को क्षति पहुंची। तथापि, राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि स्थिति नियंत्रण में है।

गंडक के दायें किनारे पर अमवाखास बंध के लगभग आधे किलोमीटर लम्बे भाग में पानी ऊपर से बह रहा था। तटबंध की एक स्पर भी नदी के पानी से प्रभावित हो रही थी। परन्तु बांध को किसी प्रकार की क्षति होने की कोई सूचना नहीं मिली है। चितौनी के अनुप्रवाह में गंडक नदी के रेलवे तटबध से नदी का पानी टकरा रहा था। सूचित किया गया है कि 9 अगस्त को, जब नदी का जल रेलवे तटबंध से केवल पांच मीटर दूर था, स्थिति खतरनाक थी। परन्तु स्थिति पर काबू पा लिया गया और यह सूचित किया गया कि रेलवे तटबंध सुरक्षित है;

गोरखपुर जिले में राप्ती को एक सहायक नदी रोहणी नदी का बाढ़ सुरक्षा तटबंध, नदी के वाहक्षेत्र में जो नेपाल क्षेत्र में पड़ता है, अभूतपूर्व वर्षा होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। इस भारी वर्षा के परिणामस्वरूप रोहणी में बाढ़ के जल का स्तर इसके अब तक के सबसे ऊंचे स्तर से 1.25 मीटर ऊंचा हो गया था।

पश्चिम बंगाल

मिदनापुर, 24-परगना, मुर्शिदाबाद, मालदा, पश्चिम दीनाजपुर, जलपाइगुड़ी और कूच-बिहार जिलों में हुई भारी वर्षा से व्यापक बाढ़ें आई और जल-निकास अवरुद्ध हो गया। जून, 1981 के अन्तिम सप्ताह और अगस्त के दूसरे सप्ताह के दौरान मिदनापुर जिले के कंटई सब-डिवीजन का पूरा हिस्सा और तमलुक सब-डिवीजन का कुछ हिस्सा जलमग्न हो गया था। सिंचाई और जल-निकास संरचनाओं और तटबंधों के क्षतिग्रस्त होने और पौधों के पूर्णतया नष्ट होने की सूचना मिली है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 1000 घर पूरी तरह से और 2500 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मिदनापुर जिले में दीघा में स्थित समुद्री दीवारें गम्भीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई।

दक्षिणी 24-परगना जिले में सोनारपुर-अरापंच जल-निकास बेसिन के निचले इलाके जून जुलाई 1981 में जलमग्न हो गये थे। 24-परगना जिले में यमुना नदी के जल से हिल ब्रिज स्थल का 3.89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जलमग्न हो गया था।

25 जुलाई, 1981 को फरक्का में गंगा खतरे का स्तर पार कर गई और अभी भी यह खतरे के निशान से ऊपर बह रही है मुर्शिदाबाद जिले का लगभग 70 वर्ग किलोमीटर का असुरक्षित क्षेत्र जलमग्न हो गया। इस अवधि में महानन्दा, फुलहार नदियों और उनके सहायक नदियों में भी बाढ़ें आई हुई थीं और इनसे मालदा और पश्चिम दीनाजपुर जिलों के निचले इलाके जल में डूब गए थे। कहाला के निकट फुलाहार नदी के बाएं किनारे पर 34 किलोमीटर लम्बा हिस्सा गंभीर रूप से कट गया जिससे मौजूदा स्परों, एपरन और और अग्रवर्ती तटबंध को खतरा पैदा हो गया। मुर्शिदाबाद जिले में जुरनकंडो द्वारका नदी के बाएं किनारे में दरारें आ गईं।

उत्तरी बंगाल में तोस्ता और जल ढाका (मंसई) नदियों में बाढ़ें आई और इनसे निचले असुरक्षित क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त हो गए। जल ढाका नदी से भी कूच-बिहार जिले में पी० एस. मथ-भंगा में इसके बाएं किनारे पर स्थित कुछ गांव कट गए।

दिल्ली

ताजेवाला हैडवर्क्स के नीचे जल छोड़े जाने के परिणाम स्वरूप 5 अगस्त, 1981 को दिल्ली रेलवे पुल पर यमुना नदी का जल स्तर खतरे का निशान पार कर गया। रेलवे पुल के प्रतिप्रवाह में बायां अग्रवर्ती बंध नदी की धारा से प्रभावित था, लेकिन स्थिति से समय पर प्रभावी रूप से निपटा गया और स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया बाढ़ सुरक्षा तटबन्धों के नदी की ओर वाले निचले इलाकों में बसने वाले लोगों को प्राधिकारियों द्वारा सुरक्षित स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया।

गोवा, दमन और दीप

संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव ने अगस्त, 1981 के आरंभ में सूचित किया था कि भारी वर्षा होने से विचोलिम नदी में बाढ़ आ गई है। नदी के किनारों से ऊपर बहने वाले जल से बिचोलिम नगर जलमग्न हो गया। 52 घर क्षतिग्रस्त हो गए और 128 व्यक्ति प्रभावित हुए।

4. पिछले वर्षों की भांति केन्द्रीय जल आयोग का केन्द्रीय बाढ़ पूर्वानुमान संगठन देश की सभी बृहद नदियों के संबंध में इस वर्ष भी बाढ़-मौसम के आरंभ से ही बाढ़-पूर्वानुमान की जानकारी देता रहा है। इस समय देश में 151 बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्र हैं। अभी तक इस संगठन द्वारा कुल 1500 पूर्वानुमान जारी किए गए हैं जिनसे नाजुक स्थलों पर बाढ़ आने से 48-72 घंटे पहले बाढ़ के स्तर को विश्वसनीय जानकारी मिलती रही है। लोगों, पशुओं और चल सम्पत्ति को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए समय पर चेतावनी देने में उक्त पूर्वानुमान अत्यन्त लाभ-कारी सिद्ध हुए हैं।

5. 1953 से अब तक बाढ़ से हुई क्षति के आँकड़े यह बताते है कि देश में 40 मिलियन हैक्टेयर के कुल बाढ़-प्रवण क्षेत्र में से, औसतन 8 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र प्रतिवर्ष प्रभावित होता है कृषि और शहरी सम्मत्ति को 300 करोड़ रुपये की कुल क्षति पहुंचती है। बाढ़ के कारण होने वाले व्यापक कष्ट को ध्यान में रखते हुए, हाल के वर्षों में गत वर्षों की अपेक्षा बाढ़ समस्या की ओर अपेक्षाकृत अधिक ध्यान दिया गया है, यहां तक कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान बाढ़ नियन्त्रण के लिए अब 1045 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो पहली पंचवर्षीय योजना से मार्च, 1980 तक की सारी अवधि में खर्च की गई कुल राशि से भी अधिक है। उम्मीद है कि इससे 4 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र की बाढ़ से उचित सुरक्षा प्रदान की जा सकेगी।

उपाबन्ध-दो

राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर 22-8-81 तक बाढ़ से हुई क्षति को दिखाने वाला विवरण

राज्य का नाम	प्रभावित क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में)	प्रभावित जनसंख्या (लाखों में)	फसलों को हानि		मकानों को क्षति		मृत पशुओं की संख्या	मृत व्यक्तियों की संख्या	जन सुविधाओं को क्षति (लाख रु०)	फसलों मकानों और जन-सुविधाओं को कुल क्षति (लाख रु०)	सूचना की तारीख
			क्षेत्र (लाख हैक्टेयर में	मूल्य (लाख रुपयों में)	संख्या	मूल्य (लाख रुपयों में)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आंध्र प्रदेश	0.02	सू.न.	0.006	सू.न.	367	सू.न.	3	1	6.50	6.50	19.8.81
असम	2.73	9.47	0.32	131.94	1977	2.56	194	20	2.11	136.61	17-8-81
बिहार	11.10	55.98	6.21	255.74	33849	293.38	11	9	151.26	3001.38	19-8-81
गुजरात	0.45	6.00	0.45	95.00	29800	134.50	4532	87	1640.00	1639.50	12-8-81
हरियाणा	0·13	0.27	0.04	15.44	1051	9.66	17	4	सू.न.	25.10	4-8-81
हिमाचल प्रदेश	सू.न.	0.003	सू.न.	सू न.	सू.न.	2.05	सू.न.	11	सू.न.	2.05	25-7-81
कर्नाटक	सू.न.	सू.न.	सू.न.	0.25	11	0.06	6657	7	22.44	22.17	11-8-81
केरल	0.25	15.92	0.25	सू.न.	14961	52.66	14	54	2900.66	2953.32	6-8-81
मध्य प्रदेश	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	96	सू.न.	सू.न.	5	सू.न.	सू.न.	14-8-81
उड़ीसा	0.66	1.54	0.42	6.00	14	0.40	सू.न.	3	8.51	14.91	10-8-81
पंजाब	0.23	0.54	0.23	285.82	8178	86.15	43	5	10.68	382.65	19-8-81
राजस्थान	3.85	7.89	2.48	2480.00	72911	749.50	33430	141	1365.65	4595.15	15-8-91 का ज्ञापन

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
तमिलनाडु	सू.न.	0·006	सू.न.	सू.न.	161	1.07	24	सू.न.	सू.न.	1.07	13-8-81
त्रिपुरा	0.03	सू.न.	0·03	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	सू.न.	12-8-81
उत्तर प्रदेश	16.32	81.·6	5.50	5400.00	70632	1800.00	568	204	5558.00	12758.00	17-8-81
पश्चिम बंगाल	1.84	8.17	0.34	235.00	8710	37.75	1	2	15.05	287.80	16-8-81
गोवा, दमन और दीव	सू.न.	0.001	सू.न.	सू न.	52	1.37	सू.न.	सू.न.	सू.न.	1.37	14-8-81
दिल्ली	0.004	0.04	0.0. 4	सू.न.	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	सू.न.	सू.न.	13-8-81
जोड़	37.614	187.391	16.280	1117619	241863	3171.11	45494	553	11680.82	2 028.12	

सू.न. : सूचना नहीं मिली

उपाध्यक्ष महोदय (पीठासीन हुए)।

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन विधेयक) 1981

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री प्रणव मुखर्जी) : महोदय मैं कम्पनी के कामकाज का उचित प्रबन्ध और देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल का उत्पादन जारी रखने और उसका विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाने का प्रस्ताव करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि कम्पनी के कामकाज का उचित प्रबन्ध और देश की आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण माल का उत्पादन जारी रखने और उसका विकास सुनिश्चित करने की दृष्टि से ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लिमिटेड के शेयरों के अर्जन का और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रणव मुखर्जी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

———

ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश' 1981 के बारे में वक्तव्य

वाणिज्य तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री प्रणव मुखर्जी : महोदय मैं आपकी अनुमति से ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन (शेयरों का अर्जन) अध्यादेश, 1981 द्वारा तुरन्त विधान बनाये जाने के कारण को बताने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 2678/81]।

———

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ तहसील में रेल सुविधायें

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में तहसील नालागढ़, जिला सोलन, एक बहुत बड़ा औद्योगिक स्थान बनाया जा रहा है। यहां कई कारखाने स्थापित हो चुके हैं और इस जिला में परमाणु, वरोटी वाला इत्यादि में काफी उद्योग चल रहे हैं। परन्तु यह बड़े खेद का विषय है कि यहां पर करोड़ों रुपये की बिल्डिंगें तथा कारखाने स्थापित हैं और लोगों को बावजूद इन सब बातों के होते हुए भी रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तहसील नालागढ़ में रेलवे लाइन 1926 में बिछी हुई थी, जो कि इस नगर से पत्थर इत्यादि ले जाने के लिए सरहन्द पटियाला के लिए बनाई गई थी और इससे तमाम क्षेत्र लाभान्वित हो रहा था। परन्तु यह बहुत पहले उखाड़ दी गई और जो बड़ी लाइन की यह बिछी हुई पटरी, जिस पर यह लाइन बनी थी, मौके पर मौजूद है। हैरानी इस बात की है कि इस क्षेत्र में रेलवे की पटरी भी उखाड़ दी गई और नालागढ़, हिमाचल प्रदेश का मैदानी इलाका होने के कारण अरकी सब-डिविजन, कुन्हार विकास खंड तथा सब तहसील रामशहर का केन्द्र स्थान है। ग्रामीण लोगों को अपनी उपज खेती व कारखाने की बनी वस्तुओं को बाजार में पहुंचाने में कठिनाई हो रही है। लोग बहुत परेशान हैं। अतः मैं भारत सरकार के रेलवे मंत्री जी से मांग करता हूं कि नालागढ़ की वह रेलवे पटरी, जो 1926 में बिछी थी, उसको दोबारा लगाया जाए और यह भी बड़ी हैरानी की बात है कि हिमाचल एक्सप्रेस के नाम से जो गाड़ी नंगल जाती है, उसमें हिमाचल का कोई क्षेत्र नहीं आता।

मैं मांग करता हूं कि हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ को रेलवे से तुरन्त मिलाया जाए। अगर यह जल्द मुमकिन न हो, तो धनौली रेलवे स्टेशन से ढेरुवाला जो पंजाब की सीमा का एक ग्राम है, तक जोड़ा जाए। इसका फासला 3 किलोमीटर से अधिक नहीं है। इसका सर्वे कर के काम शुरू किया जाए, ताकि इस क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकें।

(दो) पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिलों में मोहिनी मिल्ज लिमिटेड, बलघोड़िया का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिये जाने की आवश्यकता

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहती हूं :

पश्चिम बंगाल के चौबीस परगना जिले में बेलघोरिया नामक स्थान पर स्थित कपड़ा मिल मोहिनी मिल्स लिमिटेड में एक वर्ष आठ महीने से अधिक समय से तालाबन्दी चल रही है। 4 अगस्त, 1981 को एक कर्मचारी की 23 वर्षीय पत्नी ने, अपने छोटे बच्चे द्वारा भूख की पीड़ा न सह सकने के कारण, आत्महत्या कर ली है। तालाबन्दी वाली इस मिल के मजदूरों और कर्मचारियों की हालत इतनी अधिक खराब है कि उनके सामने भी यही स्थिति आ सकती

है। भारत सरकार के वाणिज्य मंत्री ने पहले इस मिल का अधिग्रहण करने का वायदा किया था। परन्तु इस कपट भरी लम्बी तालाबन्दी के बावजूद इस दिशा में अभी तक कुछ नहीं हुआ है।

मैं अनुरोध करती हूं कि इस मिल के अधिग्रहण हेतु तत्काल कदम उठाया जाए ताकि मिनाती जैसी असमय मृत्यु और न हों और मजदूरों और कर्मचारियों को दुःखों से छुटकारा दिलाया जा सके।

(तीन) रामेश्वरम को एक प्रमुख बन्दरगाह घोषित करने की आवश्यकता

श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन (रामनाथपुरम्) : महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित मामला उठाना चाहता हूं।

रामेश्वरम् न केवल अखिल भारतीय महत्व का तीर्थ स्थल हैं अपितु इसका महान अन्तराष्ट्रीय महत्व है। श्रीलंका से आने वाले हजारों पर्यटक सर्व प्रथम रामेश्वरम् आते हैं। रामानुजम नामक एक स्टीमर, जिसका नाम एक महान भारतीय गणविज्ञ की स्मृति में रखा गया है, हर तीसरे दिन श्री लंका से कम से कम 600 विदेशी पर्यटक लाता है। दक्षिण भारत की किसी भी प्रमुख बन्दरगाह पर एक दिन छोड़कर प्रतिदिन इतनी अधिक भीड़ नहीं रहती। दुर्भाग्यवश रामेश्वरम अब भी एक छोटा बन्दरगाह ही है और दुःख की बात है कि यहां पर पर्यटकों के लिए प्राथमिक सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं हैं। पर्यटकों के अतिरिक्त रामेश्वरम् में श्री लंका से प्रत्यावर्तित लोग भी आते हैं। इन प्रत्यावर्तित लोगों के आगमन पर उनकी आशाएं और अभिलाषाएं उनकी आशा के विपरीत मिथ्या सिद्ध होती हैं। सीमा शुल्क जांच के लिए इन लोगों को घंटों धूप और बरसात में खड़ा होना पड़ता है। यह दुर्भाग्य की बात है कि सीमाशुल्क अधिकारी इन लोगों को तस्कर समझते हैं और इस तथ्य को ध्यान में रखने की बजाए कि ये लोग अपना सर्वस्व श्री लंका में छोड़ आए हैं उनकी अमानवीय जांच करते हैं। सीमाशुल्क अधिकारियों का ध्यान जब इन लोगों पर लगा होता है तब रामेश्वरम् द्वीप के ईर्द-गिर्द वास्तविक तस्करी बड़े आराम से बिना रोक-टोक चलती रहती है। नौका पर चढ़ते समय इन पर्यटकों को बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

रेलगाड़ी की सुविधा न होने के कारण उनकी कठिनाइयां और भी बढ़ जाती हैं। तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा पाम्बन पुल के निर्माण कार्य को पूरा करने में हुए असाधारण विलम्ब की वजह से मुख्य भूमि पर जल्दी पहुंचने में उन्हें और भी अधिक कष्ट होने लगा है।

इन परिस्थितियों को देखते हुए यह अनिवार्य है कि रामेश्वरम् को एक बड़ा बन्दरगाह घोषित किया जाए क्योंकि तभी वहां सभी मूल भूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेंगी। जब यह बड़ा बन्दरगाह घोषित हो जाएगा तभी सच्चे अर्थों में यह हिन्द महासागर का जोकि इस समय अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिद्वन्दिता का केन्द्र बना हुआ है, सच्चा पहरेदार बन सकेगा। सामरिक दृष्टि से भी रामेश्वरम् को एक बड़ा बन्दरगाह घोषित किया जाना चाहिए।

(चार) उत्तर प्रदेश में 'नेत्र चिकित्सालय' सीतापुर का प्रबन्ध सरकार द्वारा अपने हाथ में लिए जाने की आवश्यकता

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में असंख्य ऐसे व्यक्ति हैं जो जन्म से अथवा उसके बाद पौष्टिक आहार के अभाव में अथवा दैवी आपदाओं के शिकार हो, आंखें खो बैठते हैं। विकलांग वर्ष में इन विकलांगों के लिए अथवा आने वाली भावी पीढ़ी इस शिकार से वचे, नेत्र चिकित्सा विज्ञान की तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

वर्तमान समय में देश के विभिन्न अंचलों में लाखों लोग नेत्र रोगों से पीड़ित है। रोगों का निरन्तर कुप्रभाव बढ़ता ही जा रहा है जिसका निदान सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है।

वर्तमान समय में भारत भर में कुल 6 प्रमुख नेत्र संस्थान हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश के जनपद सीताराम का नेत्र संस्थान आंख का अस्पताल, सीतापुर अपना विशिष्ट स्थान रखता है। एशिया के प्रमुख चिकित्सा संस्थानों में है। यह आंख का अस्पताल अपने वर्तमान रूप में पद्मभूषण डा. महेश प्रसाद मेहरे की पचास वर्षों की साधना का प्रतीक है। डा. मेहरे जहां एक ओर सामाजिक अभियन्ता के रूप में एक बड़ा संस्थान स्थापित करने में सफल हुए, वहीं नेत्र चिकित्सा शास्त्र में राष्ट्रीय ख्याति के नेत्र रोगों के मर्मी।

उनका स्वर्गवास होते ही यह आंख का अस्पताल धीरे धीरे पतोन्मुख होता जा रहा है। अस्पताल एक ट्रस्ट में निहित है। इस ट्रस्ट को स्वर्गीय डा० मेहरे ने ही स्थापित किया था जिसका संचालन जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही यह अस्पताल द्रुत गति से प्रगति की ओर अग्रसर की ओर अग्रसर हुआ। प्रदेश, केन्द्र तथा अन्तर्देशीय विभिन्न सरकारों से ही इस चिकित्सा संस्थान को आर्थिक सहायता मिलती रही है।

कानपुर विश्वविद्यालय से पाश्चात्य नेत्र चिकित्सा पद्धति में यह स्नातकोत्तर डिप्लोमा की शिक्षा एवं परीक्षा के लिए एक कालेज के रूप में मान्य भी है। कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध संस्थानों की सूची में यह नेहरू इंस्टीट्यूट आफ आप्थैलमोलोजी के नाम से दर्ज है। पद्मभूषण स्व. डा. मेहरे के निधन के बाद अस्पताल की गिरती हुई साख को देख कर ही केन्द्र सरकार और स्वास्थ्य मंत्रालय में निरन्तर यह प्रयास में करता रहा हूं कि इस संस्थान को राष्ट्रीय हित में केन्द्र सरकार अधिगृहीत कर समुचित व्यवस्था के माध्यम से इसका संचालन करे ताकि डा. मेहरे के प्रयासों द्वारा अर्जित करोड़ों की सम्पति राष्ट्रीय जीवन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके।

दुर्भाग्य से नेत्र चिकित्सा विज्ञान के इस प्रमुख संस्थान के कर्मचारी एवं चिकित्सक सदैव शोषण के शिकार रहे हैं। डाक्टरों एवं कर्मचारियों को निर्धारित मिनिमम वेज भी नहीं दिया जाता। बहुत अरसे बाद अपने कर्तव्यों और अधिकारों के प्रति उनमें चेतना जागी है। परिणामस्वरूप 10 अगस्त से अपनी 9 मांगों को लेकर वे हड़ताल पर हैं। आगन्तुक नये मरीजों

की भर्ती व निरीक्षण बन्द है। सैकड़ों मील से आए रोगी सैकड़ों की तादाद में नित्य-प्रति निराश ही लौट रहे हैं। अस्पताल की मर्यादा नष्ट हो रही और डाक्टर तथा कर्मचारी भी मजबूर हैं। जहां उनकी मांगे, जो न्यायोचित और तर्कसंगत हैं, वह न मानी जायें और वे हड़ताल पर रहें – यह कैसी विडम्बना है कि राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहायता-प्राप्त संस्थान के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन भी न दिया जाए, कर्मचारियों की सेवा नियमावली भी न बनाई जाए, राज्य अथवा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता और वेतन देने की व्यवस्था न की जावे और जब वे मांग करें तो उन्हें दण्डित व प्रताड़ित किया जाए, कोई भी सुनवाई न हो ?

मेरी सरकार से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि केन्द्र सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त इस संस्थान को अधिगृहीत कर स्वयं संचालन करे और इस नेत्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान के समस्त कर्मचारियों को न्यायोचित वेतनमान व सुविधायें दिये जाने की घोषणा करे अथवा उत्तर प्रदेश सरकार को निदेशित करें।

(पाँच) नागालैंड में दीमापुर हवाई अड्डे को नागर विमानन मंत्रालय के अन्तर्गत लाने की कार्यवाही

श्री चिंगवांग कोनयक (नागालैण्ड) : नागालैण्ड में केवल एक हवाई अड्डा दीमापुर में है जिस पर रक्षा प्राधिकारियों का नियन्त्रण है। एक हवाई अड्डे के लिए अनिवार्य कन्ट्रोल टावर और अन्य आवश्यक उपकरण यहां पर नहीं लगे हैं।

दीमापुर हवाई अड्डे की मौजूदा इमारत में प्रयाप्त जगह नहीं है और वह बहुत छोटी है। वायुयान से यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बाहर आने और अन्दर जाने वाले यात्रियों के लिए पृथक निकास एवं प्रवेश द्वार नहीं है। इनके न होने के कारण यात्रियों को अपने समान आदि को लेने में अधिक समय लगता है क्योंकि वायुयान के उड़ान भरने तक उन्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वहाँ पर रेस्टोरेन्ट की सुविधा भी नहीं है।

हवाई पट्टी की भी बहुत बुरी स्थिति है। उसमें गढ्ढे हैं और उसकी तत्काल मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है। वर्षा के समय हवाई पट्टी पानी से भर जाती है और वहां पानी इकट्ठा हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप वायुयान उतर नहीं सकते। उदाहरण के लिए इस वर्ष 2 अगस्त को गोहाटी-दीमापुर उड़ान केवल इसी कारणवश रद्द करनी पड़ी थी।

इन परिस्थितियों को देखते हुए दीमापुर हवाई अड्डे का सुधार किया जाना चाहिए तथा उसकी हवाई पट्टी की आवश्यक मरम्मत करके और कन्ट्रोल टावर आदि के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराकर इसका विकास किया जाना चाहिए। मैं माननीय नागर विमानन मंत्री से दीमापुर हवाई अड्डे के उचित विकास हेतु इसको तत्काल नागर विमानन विभाग के अधीन लेने का अनुरोध करता हूं।

(छः) भोले-भाले लोगों को खाड़ी के देशों में रोजगार दिलाने का लालच देने वाले लोगों के विरुद्ध कार्यवाही

*श्री वी० एस० विजय राघवन (पालघाट) : महोदय, यह बड़ी चिन्ता का विषय बन गया है कि बम्बई और दिल्ली शहरों में कुछ बेईमानी एजेंट खाड़ी के देशों में रोजगार दिलाने का प्रलोभन देकर निर्दोष लोगों को धोखा दे रहे हैं। एजेंट के छद्मवेष में इन अपराधियों ने बहुत सारे लोगों को अपने जाल में फंसाया है। ये एजेंट बम्बई और दिल्ली जैसे बड़े शहरों में अपना कार्य चलाते हैं। इनकी कार्य प्रणाली सब जगह एक जैसी होती है। इन एजेंटों के अपने सब-एजेंट होते हैं जोकि स्थानीय लोग होते हैं। ये सब-एजेंट लोगों को विश्वास में लेकर प्रलोभन देते हैं और उनसे 17,000 रुपए से 25,000 रुपए तक की एक बड़ी रकम झाड़ लेते हैं। पैसा इकट्ठा करने के पश्चात् ये सब-एजेंट धनराशि मुख्य एजेंट को पकड़ा देते हैं और उसमें से अपना कमीशन ले लेते हैं।

निर्दोष लोग अपने मकानों के लिए रखी भूमि या आभूषणों को बेचकर जुटाई गई धनराशि को देने के बाद एजेंट से सन्देश की प्रतीक्षा करते रहते हैं। लगभग छः महीने के पश्चात् उन्हें एक तार प्राप्त होता है जिसमें उन्हें विमान यात्रा के लिए बम्बई या दिल्ली पहुंचने के लिए कहा जाता है। शेष राशि उनसे प्राप्त करने के पश्चात सब-एजेंट और मुख्य एजेंट चुपचाप खिसक जाते हैं। कई मामलों में तो किसी विमान यात्रा की व्यवस्था होती ही नहीं और यदि कुछ मामलों में विमान यात्रा की व्यवस्था होती भी है तो वे उस देश के हवाई अड्डे पर ही, जिसमें उन्हें जाना होता है, पकड़ लिए जाते हैं क्योंकि उनके वीसा जाली होते हैं। यह बेहानी कोई सौ एक लोगों की नहीं है अपितु इस ढंग से हजारों लोगों को धोखा दिया जाता है।

निर्धन और निर्दोष लोगों के साथ इस प्रकार की धोखा-धड़ी करने वाले एजेंट समाज के लिए एक खतरा है। निर्दोष लोगों की इस प्रकार की खुली डकैती से रक्षा करना सरकार का नैतिक दायित्व है।

अतः मैं सरकार से इन एजेंटों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने और ऐसे उपाय करने का आग्रह करता हूं जिससे ये भोले-भाले लोग इन लुटेरे एजेंटों के शिकार न बन पायें।

(सात) मेरठ और दिल्ली के बीच दैनिक यात्रियों के लिए तीव्र गति की रेल सेवा उपलब्ध कराने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस अत्यधिक महत्व के प्रश्न पर दिलाना चाहती हूं :

रोजाना हजारों लोग मेरठ से दिल्ली आते व जाते हैं, फिलहाल उनको रेल से जाने में ढ़ाई से तीन घंटे लगते हैं और जिन लोगों को दफ्तरों में आना-जाना हो, उनको अत्यधिक

*मलयालम में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

असुविधा होती है। अब सर्दी के दिन आने वाले हैं और सुबह छः बजे दिल्ली या मेरठ से रवाना होने वालों की हालत बखूबी जानी जा सकती है।

मैं रेल मंत्री से आग्रह करूंगी कि जिस तरह से दिल्ली के आस पास के दूसरे इलाके मसलन सोनीपत, पानीपत, फरीदाबाद आदि जगहों के लिए इलैक्ट्रिक रेलवे का प्रावधान किया जा रहा है, मेरठ-दिल्ली जंक्शन पर भी शीघ्र ही इलैक्ट्रिफिकेशन किया जाना अत्यधिक आवश्यक है। इस तरह से दूरी घटकर करीब एक या डेढ़ घंटे की हो जायेगी।

असम राज्य के सम्बन्ध में जारी की गई उद्घोषणा के अनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प

तथा

असम बजट, 1981-82— सामान्य चर्चा

तथा

अनुदानों की मांगें (असम), 1981-82—(जारी)

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम मद संख्या 10, 11 और 12 पर आगे विचार आरम्भ करेंगे। इसके लिए तीन घंटे का समय आबंटित किया गया था। हम दो घंटे चालीस मिनट लगा चुके हैं अब केवल 20 मिनट बचे हैं। श्री चित्त बसु बोल रहे थे। वे केवल तीन मिनट और बोलेंगे। तत्पश्चात् श्री रवीन्द्र वर्मा अन्तिम वक्ता होंगे। इसके बाद मंत्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : मुझे केवल तीन बातें कहनी हैं और मैं तीन मिनट से अधिक समय नहीं लूंगा।

आन्दोलनकारी नेताओं और भारत सरकार के बीच एक लम्बे समय से वार्ता चल रही है। हम संसद सदस्यों तथा आम जनता को यह पता नहीं है कि वास्तव में उनके बीच क्या वार्ता हुई है। विभिन्न स्रोतों से विपरीत समाचार आ रहे हैं। ऐसी बातों से वार्ता में सहायता मिलने की बजाय अधिक जटिलताएं पैदा होंगी। क्या मैं सरकार से यह अनुरोध कर सकता हूं कि वह एक श्वेत-पत्र निकालें जिसमें इस सम्बन्ध में सरकार की स्थिति तथा उन्हीं मुद्दों पर आन्दोलनकारी नेताओं के दृष्टिकोण का उल्लेख हो। पहले भी मैंने एक बार यह कहा था और गृह मंत्री ने कहा था कि यह एक अच्छा सुझाव है और सरकार जब आवश्यकता अनुभव करेगी इस विषय पर एक विस्तृत श्वेत-पत्र निकालेगी। मैं चाहता हूं कि सरकार अपना वायदा पूरा करे।

असम के लोग निरन्तर भारत सरकार की उपेक्षा का शिकार रहे हैं। मैं कतिपय ऐसी परियोजनाओं का उल्लेख करूंगा जिन पर सरकार द्वारा, विशेष तौर पर वित्त मंत्री द्वारा, ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मणिपुर में लोकटक-जलविद्युत परियोजना है। इस परियोजना के निर्माण के लिए पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था नहीं की गई है।

ब्राड-गेज लाइन का गोहाटी तक विस्तार करने का भी प्रश्न है। धन के अभाव के कारण इस परियोजना का कार्य आगे नहीं बढ़ पा रहा है।

सिल्चर में एक कागज बनाने का कारखाना लगाने का प्रस्ताव था। कोई नही जानता कि उस प्रस्ताव की मौजूदा स्थिति क्या है।

कोपिली जल विद्युत परियोजना का कार्य अपने निर्धारित समय से चार वर्ष पीछे चल रहा है। सरकार इस बात का दावा कैसे कर सकती है कि असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की मांगों की ओर उचित ध्यान दिया जाएगा।

एक एल० पी० जी० संयंत्र लगाने का भी प्रस्ताव था। यह संयंत्र जनता शासन में स्वीकृत किया गया था। इस परियोजना का लक्ष्य प्राकृतिक गैस का, जो कि पिछले 13 वर्षों से अधिक समय से प्रति सैकेंड 100 लाख घन मीटर की दर से फैल रही है, उपयोग करना था। सरकार को इस संयंत्र की स्थापना सम्बन्धी वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

अन्तिम बात, ब्रह्मपुत्र नियंत्रण बोर्ड विधेयक पहले ही पारित हो चुका है। परन्तु कार्य शुरू करने के लिये पर्याप्त धन नहीं उपलब्ध किया गया है।

और भी बहुत सी बातें हैं जिनसे सिद्ध होता है कि असम के लोगों की वास्तविक और वैध शिकायतों पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। इसलिए जब वित्त मंत्री मांगों का उत्तर दें तो उन्हें इन परियोजनाओं के बारे में विशेष रूप से उल्लेख करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता था कि श्री चित्त बसु, अपना भाषण समय पर समाप्त कर देंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : श्री बसु वह आपकी प्रशंसा कर रहे हैं।

श्री चित्त बसु : मैं सदा अपना भाषण आवंटित समय के भीतर समाप्त करता हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : उन्होंने तीन मिनट के भाषण को छः मिनट में समाप्त किया है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह इस पर 30 मिनट भी लगा सकते हैं।

श्री रवीन्द्र वर्मा (बम्बई उत्तर) : महोदय, श्रीमती अनवर तैमूर के नेतृत्व वाले मंत्री-मंडल के गिर जाने पर अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति की उद्घोषणा जारी की गई थी। उक्त मंत्रीमंडल की अत्यन्त शोचनीय स्थिति यह थी कि मंत्रीमंडल कभी भी अपनी प्रामाणिकता सिद्ध नहीं कर पाया। यह कभी भी इस आयाम को समाप्त नहीं कर पाया कि यह गैर-कानूनी ढंग से सत्ता में आया तथा बाहर की शक्ति के बल पर सत्ता में बना रहा। जब राज्य में चुनाव हुए तो कांग्रेस (इ) को जनता से समर्थन मिल सका। मंत्रीमंडल को जनता का समर्थन प्राप्त नहीं था और वह यह भी सिद्ध नहीं कर पाया कि उसे सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है। जब राज्य में चुनाव हुआ तब कांग्रेस (इ) की टिकट पर आठ सदस्य विजयी हुए। पहले मंत्रीमंडल की पराजय के बाद बहुत लम्बी अवधि तक कोई लोकप्रिय सरकार नहीं रही, दो बार निरन्तर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। इस दौरान पार्टी स्वयं भी निर्माण अवस्था में बनी रही। इस अवधि की समप्ति पर जब राज्य में संवैधानिक संकट था श्रीमती तैमूर को राज्यपाल द्वारा मंत्रीमंडल गठित करने का प्राधिकार दिया गया। तब तक दलबदल के अपावन तकनीक द्वारा उन्होंने अपनी संख्या 8 से बढ़ाकर 41 कर ली थी। मैं नहीं जानता कि कोई और तरीका उपयोग में लाया जा सकता है परन्तु निश्चय ही यह दल-बदल को बढ़ावा देने का मामला था जबकि राज्य अनिश्चिय की स्थिति में था।

श्रीमान, श्रीमती तैमूर ने दावा किया था कि उन्हें 47 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। राज्यपाल के इस निर्णय को कि निष्ठावान तथा अन्य लोगों को एक ही तुला से नहीं तोला जा सकता। मैं समझ तो सकता हूं, परन्तु उन्हें दोषमुक्त नहीं मान सकता। इस तरह उन्हें अवसर दिया गया। उन्हें कभी भी यह नहीं कहा गया कि वह यह सिद्ध करें कि उन्हें सभा में 41 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। राज्यपाल ने यह कभी नहीं कहा कि निश्चित अवधि में सभा की बैठक अवश्य बुलायी जाये ताकि वह सभा में बहुमत सिद्ध कर सकें। इस सामान्य कसौटी को त्याग दिया गया। मंत्रीमंडल 3½ महीने तक चलता रहा, इस दौरान न तो सभा की बैठक बुलाई गई और न बहुमत सिद्ध किया गया। मंत्री मंडल विधान सभा का सामना किये बिना सदैव चलता रहता यदि संविधान में इसके विपरीत उपबन्ध न होता।

विधान सभा को बजट पास करना था। एक सत्र आमंत्रित किया गया, उसमें कोई बजट पेश नहीं किया गया परन्तु अनुपूरक मांगें, लेखानुदान तथा विनियोग विधेयक पेश किये गये। मेरे पास समय नहीं है कि मैं उस घृणित नाटक काउल्लेख कर सकूं जोकि उस सत्र में हुआ। उनमें एक कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। मेरे मित्र ने इस सभा में बोलते हुए बताया कि कटौती प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि सरकार के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ था, क्योंकि सरकार ने स्वयं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में मत दिया।

इस समय मैं वाद-विवाद में नहीं पड़ना चाहता परन्तु तथ्य यह है कि कटौती प्रस्ताव पारित हुआ था तथा सरकार विनियोग विधेयक तथा लेखानुदान सभा में पारित नहीं करा पायी। उस मंत्रीमंडल के परामर्श पर जो सभा में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर सका और मांगों को पास नहीं करा सका, सभा को स्थगित कर दिया गया, राज्यपाल ने सभा के सत्रावसान

का निर्णय किया तथा विनियोग अध्यादेश की घोषणा की। राज्यपाल के पद की मोहर लगाकर उद्घोषणा द्वारा संवैधानिक विकटता को बनाये रखा गया जो कि निषिद क्रिया है जिससे संसदीय एवं प्रतिनिधि लोकतंत्र की जड़ें कट जाती हैं। संसदीय लोकतंत्र तथा प्रतिनिधि लोकतंत्र का मुख्य आधार यही है कि जनता के प्रतिनिधियों को राजकोष से लेने, धन कर लगाने तथा व्यय करने का अधिकार है। यदि सभा के इस अधिकार की अवहेलना की जाती है तथा सभा की इच्छा के विपरीत कार्य किया जाता है तथा राज्यपाल अथवा महाराज्यपाल के अध्यादेश से कम का अधिकार दिया जाता है तथा कर लगाये जाते हैं। इससे पुराने दिनों की याद आती है जब केन्द्रीय विधान सभा की बैठक में बजट को अस्वीकार किया गया था और वाईसराय ने उसे प्रमाणित कर दिया तथा वह कानून बन गया।

श्रीमान हम उन पुराने जमाने में पहुंच गये हैं। प्रतिनिधित्व संसदीय लोकतंत्र को कम करने वाला सिद्धान्त दूसरी ओर बैठे सदस्यों द्वारा रखा गया तथा उसका समर्थन किया गया।

मैं इस मामले में विस्तार में नहीं जाना चाहता, परन्तु श्रीमान इस सिद्धांत जो यह विश्वास करता है कि सभा का अधिलंघन किया जा सकता है, की पोल खोली जानी चाहिए तथा उसे समाप्त किया जाना चाहिए।

इस बीच आसाम में क्या हुआ प्रशासन की अयोग्यता, राजनैतिक सत्ता बनाये रखने की सनक, राज्य तथा जनता के ज्वलन्त आर्थिक मामलों पर ध्यान न दिये जाने तथा, सामाजिक वर्गों में बढ़ते तनाव के कारण पार्टी में दरारें पड़ गईं। दल के सदस्यों ने ही कहना आरम्भ कर दिया कि नेता को उनकी सहायता सशर्त है और जब तक नेता को हटाया नहीं जायेगा तब तक वे पार्टी के पक्ष में मत नहीं देंगे। अतः 47 सदस्यों का समर्थन भी सशर्त था। चाय बागान वर्ग ने अपना समर्थन वापस ले लिया, पी. टी. जी. ग्रुप ने समर्थन वापस ले लिया और फिर वामपंथी ग्रुप ने भी समर्थन वापस ले लिया और मंत्रीमंडल ने त्यागपत्र दे दिया।

अतः यह अत्यन्त स्पष्ट बात है कि संबद्ध क्षेत्र के सदस्यों अथवा अधिकांश सदस्यों की अनुपस्थिति में जिस बजट की हम चर्चा कर रहे हैं, उस बजट को क्षेत्र की राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में समझे जाने की आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि राज्य को विदेशी नागरिकों का प्रश्न ही संकटग्रस्त बनाये हुए है। जब माननीय गृह मंत्री ने उस दिन वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते समय बताया कि वह यह मानते हैं कि भारतीय राष्ट्रिकों का प्रश्न राष्ट्रीय मामला है तब मुझे अति प्रसन्नता हुई ...(व्यवधान)।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे पता है कि आप अपना भाषण निर्धारित समय में समाप्त कर देंगे। इसलिए मैं आपको बताने की आवश्यकता नहीं समझता।

श्री रवीन्द्र वर्मा : आपका बहुत धन्यवाद—चूंकि यह एक राष्ट्रीय मामला है, इसका समाधान बातचीत द्वारा खोजा जाना चाहिए तथा सभी भारतीय नागरिक इस बात को स्वीकार करेंगे कि विदेशियों को हटाया जाना चाहिए। श्रीमान, गृह मंत्री काफी आगे बढ़ गये हैं—मुझे

उन्हें बधाई देनी चाहिए क्योंकि – कभी इस आन्दोलन की सदाशयता के बारे में संदेह किया जाता था, इसका उपहास उड़ाया जाता था, राष्ट्र विरोधी आंदोलन बताकर इसे बदनाम किया जाता था जबकि भारी जन-समर्थन की वास्तविकता से इनकार किया जाता था, कार्यकर्त्ताओं में भेदभाव पैदा कर इस राष्ट्रीय महत्व के प्रमुख मामले से निपटने के लिए भय तथा दबाव का उपयोग किया जाता था। आज वह जहां तक पहुंचे हैं इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने बताया कि बातचीत प्रफुल्लता अथवा सहज वातावरण में हो रही है। उन्होंने अपना भाषण हिन्दी में दिया। जब गृह मंत्री बोलते हैं तब जाने अनजाने विनोदप्रियता छा जाती है। प्रफुल्लता का अभाव नहीं रहता, हलकेपन को जोखम रहता है। फिर भी प्रफुल्लता का वातावरण पैदा करने के लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं। निःसन्देह काफी समय से बातचीत चल रही है। ऐसे मामलों पर समय लगता ही है। परन्तु, श्रीमान, 11 वर्ष का समय कम नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति स्वीकार करेगा कि उपलब्ध की गई सर्वसम्मति से देश के हितों तथा अखण्डता नागरिकों तथा मतदाताओं के हितों की रक्षा होगी और साथ ही प्रत्येक वास्तविक भारतीय नागरिक के हितों की रक्षा चाहे उसका संबंध किसी भी भाषा, धर्म अथवा क्षेत्र से हो। परन्तु बार बार बातचीत का स्थगित किया जाना उसका स्तर बदलना, प्रतिनिधियों के स्तर को न्यून करना, सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा बदलते हुए, भ्रामक तथा परस्पर विरोधी वक्तव्य दिये जाने, एक ओर से वचनबद्धता की मांग तथा दूसरी ओर से रखे गये प्रस्तावों पर स्पष्ट दृष्टिकोण न अपनाये जाने से आश्चर्य होता है कि क्या यह चिरकाल तक लड़ते लड़ते शिथिल कर देने की चालें हैं जिनका अभिप्राय बुराई को स्थायी रूप प्रदान करना तथा अपने को बचनबद्ध न करना है। यदि यह बात है तो इससे सर्वसम्मति तैयार नहीं हो सकेगी। श्रीमान, अब वह कहते हैं कि सर्वसम्मति का वातावरण तैयार किया जाये। जहां तक छात्रों एवं आंदोलनकर्त्ताओं का प्रश्न है उनकी ओर से आज राज्य में कोई आन्दोलन नहीं चल रहा है। परन्तु सरकार की क्या स्थिति है। पत्रकारों एवं छात्रों को बिना सोचे समझे गिरफ्तार किया जा रहा है। सी. आर. पी., सीमा रक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम सेंसरशिप 'मीसो' का उपयोग किया जा रहा है—क्या इन्हीं सभी के उपयोग से सर्वसम्मति का वातावरण, समझौता तथा परस्पर आदान-प्रदान का वातावरण बनेगा।

श्रीमान, मंत्री महोदय ने विदेशियों को हटाने की बात कही है। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। अन्यथा मैं उसके हिन्दी के कथन का विश्लेषण करता। वह जो भी भाषा उपयोग में लाते हैं उसे वह विशिष्ट बना देते हैं। इस प्रकार गृह मंत्री ने विदेशी नागरिकों को निकाले जाने की बात कही है। आप यह जाने बिना कि कौन विदेशी हैं, विदेशियों को कैसे निकालेंगे ?

अतः पता लगाने, नाम हटाने तथा उन्हें देश से निर्वासित करने की प्रक्रिया ऐसी है जिन्हें आप छुपाकर नहीं कर सकते हैं या उनकी अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। एक विदेशी की परिभाषा का बहुत महत्व है। विदेशी की परिभाषा वैधानिक आधार पर होनी चाहिए यह परिभाषा मानवतावाद के सहारे नहीं चल सकती है। अतः यदि कोई संविधान की, नागरिकता

अधिनियम की परिपत्र अधिनियम की बात करता है और कहता है कि इनमें नागरिकता की न्यायिक परिभाषा इनके आधार पर की जानी चाहिए तो यह कोई असंगत बात नहीं है कोई भी तो यह नहीं कह सकता है कि ये असंगत बातें हैं। (व्यवधान) ठीक है आप कह सकते है। मेरे विचार से आप इतना तेज नहीं बोल सकते हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आपके भाषण के प्रथम भाग को बिगाड़ा जा रहा है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि आया आप सहमत होते है या नहीं। मैं आपसे सहमत हूं कि बात ऐसी ही है।

माननीय मंत्री ने मानवीय सिद्धान्त और अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व की बात की है। नागरिकता की परिभाषा नागरिक होने का दर्जा या अन्यथा ये बातें न्यायिक परिभाषा पर निर्भर करती हैं। एक बार किसी परिभाषा को निश्चिन्त कर लिया जाए तो किसी व्यक्ति या मामले या वर्ग पर इसे लागू करते समय मानवीय सिद्धान्त की बात सोची जा सकती है। मेरे विद्वान मित्र यह नहीं कहेंगे कि यदि किसी विधि न्यायायल में कोई हत्या के लिये दोषी पाया गया व्यक्ति आता है तो तब क्योंकि राष्ट्रपति को क्षमा करने का अधिकार है तो मामले पर विधि अनुसार सुनवाई न की जाए। मामले पर विधिवत सुनवाई होगी और उसके बाद यदि कोई दोषी पाया भी जाता है तो राष्ट्रपति अपने दयशीलता के अधिकार का प्रयोग कर सकता है यद्यपि परिभाषा एक महत्वपूर्ण मामला बन जाता है और जब परिभाषा तैयार हो जाती है तो दो बातें उठती हैं। एक तो यह है कि इसे मानवीय सिद्धान्तों पर नरम या कम किया जा सकता है। और दूसरा यह कि व्यक्ति के दर्जे का निश्चय किसी अर्ध न्यायिक प्राधिकरण द्वारा किया जाना चाहिए, न कि दोषा रोपण, भेदभाव, या राजनीतिक विद्वेष द्वारा इसके बारे में कोई सन्देह नहीं है। परन्तु यदि अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों का उल्लेख किया जाए, यदि उनका आवहान किया जाए, तो यह अनिवार्य हो जाता है कि सरकार जनता को बताए कि ये अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व क्या हैं। वे कोई ऐसे निगेटिव (प्रतिचित्र) तो हैं नहीं जिन्हे अन्धेरे-कक्ष में ही तैयार किया जाए। हमें यह पता होना चाहिए कि ये अन्तर्राष्ट्रीय दायित्व हैं क्या। इनका निश्चय करना कार्यपालिका की इच्छा पर नहीं छोड़ना चाहिये। अब मैं हिंसा के प्रश्न को लेता हूं। यदि मैं ऐसा नहीं करता हूं तो मेरे लिए अपनी बात समाप्त करना अच्छा नहीं होगा।

जो कुछ मैंने कहा है उसका यह अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए कि किसी वर्ग के लिए, किसी अन्य वर्ग या राज्य के विरुद्ध हिंसक होने का कोई औचित्य है। हिंसा के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखाई जानी चाहिये। परन्तु मेरी शिकायत यह है कि जो लोग प्रशासन के प्रभारी थे उनकी ओर से स्पष्ट लापरवाही बरती गई जो कि लगभग एक प्रकार की सहापराधिता ही है। प्रायः हिंसक घटनाओं का दोष आन्दोलनकारियों के सिर मढ़ने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन जब लोगों को पकड़ा जाता है संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा जाता है तो प्रायः यह पाया गया है कि आन्दोलनकारियों के साथ उनका कुछ लेना-देना नहीं था और कुछ लोगों का

पीछा करना अधिकारियों के लिए असीम परेशानी पैदा करता है। मेरे पास समय नहीं है। अतः मैं इस प्रश्न पर गहराई से विचार करना नहीं चाहता हूं ।

जैसाकि मेरे माननीय मित्र श्री चित्तु बसु ने बताया है ; इस विचार-विमर्श में न केवल उस राजनीतिक प्रश्न की बात उठाई गई है जो कि सम्बद्ध मद पर विचार करने पर उठता है। जो कि कार्यसूची की प्रथम मद, है। परन्तु इसमें राज्य के बजट पर भी विचार किया गया है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है कि समस्त राज्य के बजट को कुछ ही मिनटों में निपटा दिया गया और जो सदस्य राज्य के बजट की उपयुक्तता को समझने का, विश्लेषण करने का प्रयास करते हुए इसमें भाग लेना चाहते थे उन्हें दो या तीन मिनट तक ही परिसीमित रहना पड़ा।

मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं, आपके हस्तक्षेप से अवगत हूं और मैं उसका दुरुपयोग नही करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : समझने की बात अब समाप्त हो गई है।

श्री रवीन्द्र वर्मा : प्रशासन पतवार विहीन और निर्जीव है । औद्योगिक और कृषि उत्पादन में गिरावट आई है। जेसा कि मेरे मित्र ने कहा है राज्य लगातार बाढ़ों की दया पर निर्भर कर रहा है तथा इस वर्ष चार वार बाढ़ आई। अहू और पटसन की फसलों को भारी क्षति पहुंची है। भूक्षरण की समस्या डिब्रूगढ़, मजूली, पलासबेरी, टेराबेरी तथा अन्य स्थानों पर भयावह हो गयी है। जिस ब्रह्मपुत्र बोर्ड के लिए हमने यहां मतदान किया था उसका गठन नहीं किया गया है। बाढ़ नियन्त्रण योजनाओं के ऋणों को 16 करोड़ रुपये से घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यदि मेरे पास समय होता तो यह दर्शाने के लिए मैं आंकड़े पढ़कर सुनाता कि किस प्रकार व्यावहारिक रूप में प्रत्येक शीर्ष के अन्तर्गत परिव्यय में कटौती की गई है ।

मेरे माननीय मित्र वित्त मन्त्री महोदय इस बात पर विवाद नहीं खड़ा करेंगे कि इन वर्षों में रुपये के मूल्य में वृद्धि हुई है। अतः यदि परिव्यय में कमी आई है और धन के मूल्य में भी गिरावट आई, जबकि कीमतों पर नियन्त्रण करने के सभी प्रयत्न किए गए, इसका अर्थ यह हुआ कि असम राज्य के लिए जो परिव्यय उपलब्ध है वह पहले से बहुत ही कम है। इसलिए यह स्थिति बड़ी ही विकट है।

मैं सदन का अधिक समय नहीं लूंगा क्योंकि ऐसा लगता है कि आप यह चाहते हैं कि मैं अब अपनी बात समाप्त कर दूं। मैं नहीं चाहूंगा कि मुझे बलात चुप किया जाये। अतः मैं यह कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और विशेषकर तब जब कि राज्य प्रशासन को चलाने का उत्तरदायित्व श्री पी० वेंकटसुब्बैया और श्री आर० वेंकटरामन जैसे महानुभावों के ऊपर हो तो राज्य को इस सरकार के हाथों अवश्य उपेक्षा भुगतनी पड़ेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मुझे तीन बातें कहनी है। केन्द्रीय सरकार इस बात पर सहमत है कि 1971 के बाद जो लोग बाहर से आए उन्हें पहचाना जाना चाहिये, उनके नाम मतदाता सूचि में से निकाले जाने चाहियें और उन्हें वापिस भेजा जाना चाहिये। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए अभी तक क्या किया है ? दस साल के बीच में विदेशी बड़ी संख्या में आए हैं। क्या सरकार ने उन्हें पहचानने का कोई कमद अभी तक उठाया है और उठाया है तो उसका क्या परिणाम निकला है, क्या यह सच नहीं है कि अभी भी सीमा को बन्द नहीं किया गया है न कांटेदार तार लगाए गए हैं और न पुलिस चौकियों की संख्या बढ़ाई गई हैं। अभी भी बंगला देश से लोग आ रहे हैं। यह आने का क्रम कब तक चलता रहेगा ? अगर चलता रहेगा तो असम में विदेशियों की समस्या कभी हल नहीं होगी। अगर सरकार आन्दोलन के परिणाम स्वरूप 1981 में भी विदेशियों का आना बन्द कर दे तो मैं आन्दोलनकारियों को इसके लिए बधाई देने को तैयार हूं। सरकार सचमुच में इस मामले में कुछ करना चाहती है या नहीं यह इस बात से पता लगेगा कि इस समय विदेशियों को आने से रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कोई कारगर उपाय नहीं अपनाए गए हैं।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आन्दोलनकारियों के साथ जो बात चीत चल रही है क्या उसके बारे में विरोधी दलों को विश्वास में लेने की आवश्यकता नहीं है ? क्या विरोधी दलों के नेताओं को उसी समय बुलाया जाएगा जब सरकार मुसीबत में होगी ? इस समय बाधा किस की ओर से पैदा हो रही है ? असम का राष्ट्रीय प्रश्न हल क्यों नहीं हो रहा है ? अगर आन्दोलनकारी कोई ऐसा रवैया अपना रहे हैं जो गलत है तो विरोधी दलों के नेता आन्दोलनकारियों से भी यह कहने के लिए तैयार होंगे कि उनको अपने रवैये में परिवर्तन करने पर सोचना चाहिये। लेकिन इस समय विरोधी दल कहीं तस्वीर में नही है। बाद में उन पर आरोप लगाया जाएगा कि वे समस्या को उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा हमें भी विश्वास में लेने की दूरदर्शिता दिखाइये।

तीसरी और अंतिम बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जब कांग्रेस आई की सरकार वहां कायम हुई थी और चल रही थी तो अफसरों की नियुक्तियां करते समय साम्प्रदायिकता से काम लिया गया था, अफसरों के तबादले साम्प्रदायिक आधार पर किए गए थे और उद्देश्य आन्दोलन को दबाने का था। अब वहां राष्ट्रपति शासन कायम हो गया है। अब प्रशासन को ठीक करने की जरूरत है। कांग्रेस आई की सरकार वहां जल्दी से लाने की कोशिश मत करिये।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : क्यों नहीं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्योंकि आपका बहुमत नहीं है, क्योंकि आप दल बदल के आधार पर सरकार चलाना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों का सौदा करना चाहते हैं, नीलामी लगाना चाहते हैं। ऐसी सरकार बनी थी, टूट गई। आगे बनेगी तो चलेगी नहीं। किसी पार्टी की

सरकार के चलते असम की समस्या को हल करना कठिन होगा। राष्ट्रपति राज के भीतर सब दलों की सलाह से, आन्दोलनकारियों की सहमत से इस प्रश्न को हल करने का प्रयत्न करिये।

जब सरकार चल रही थी तो एम० एल० एज० होस्टल में एक बम विस्फोट हुआ था, उसकी जांच का आदेश दिया गया था। बम विस्फोट के बाद पुलिस के कुत्ते बुलाये गये थे और पुलिस के कुत्ते जहाँ बम फटा वहा आने के बाद हवा को सूंघते सूंघते चीफ मिनिस्टर के बंगलों की तरफ गये थे। बाद में वह जांच खत्म कर दी गई। इतने इंतजाम के बाद एम० एल० एज० होस्टल में बम विस्फोट कैसे हुआ? जांच का क्या परिणाम निकला? यह मैं जानना चाहता हूं।

गृह मन्त्रालय और संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बैय्या) : उपाध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री महोदय ने वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए सभा को असम की जटिल स्थिति के बारे में बताया है। हमारे मित्रों ने और विशेषकर श्री अटल विहारी वाजपेयी जी ने सरकार के विरुद्ध ये आरोप लगाये हैं कि विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया है। मेरे मतानुसार यह बात ठीक नहीं है। यह आन्दोलन वर्तमान सरकार की उपज नहीं है। यह मुसीबत का बच्चा तो श्री रविन्द्र वर्मा की सरकार ने इस सरकार की गोदी में डाला है। जैसे ही हमारी प्रधान मंत्री महोदया ने कार्यभार सम्भाला उन्होंने सभी विपक्षी दलों की बैठक बुलाई और कई बार इस समस्या पर विस्तार से विचार विमर्श किया। जहां तक असम की इस जटिल समस्या का प्रश्न है, विपक्षी दलों की बैठक बुलाई गई थी और एक सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास किया गया था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : क्या आप विपक्षी दलों को अब विश्वास में लेंगे?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बैय्या) : आन्दोलन के नेताओं से और अखिल असम छात्र संघ तथा गण संग्राम परिषद् के नेताओं से अनवरत वार्तालाप किया जाता रहा है। जिन मामलों पर बातचीत चल रही थी उनमें से कुछ को हल कर लिया गया है।

जहां तक सीमा पर सुरक्षा प्रबन्धों को सशक्त करने और बंटाने की बात है तो विदेशियों का पता लगाने, उनका नाम हटाने तथा उनका निवासन से संबंधित सभी मामलों पर आन्दोलन के नेताओं से निरन्तर बातचीत चलती रही है और इसके अतिरिक्त अल्प संख्यकों के प्रतिनिधी गृह मंत्री महोदय और प्रधान मंत्री महोदया से मिल चुके है। उनके अभ्यावेदन भी सरकार के पास है। भाषाई और धार्मिक अल्प संख्यकों ने अभ्यावेदन भेजे हैं। इसका यह अर्थ तो नहीं है कि विपक्ष को विश्वास में नहीं लिया गया है। मैं माननीय सदस्य को बता देना चाहता हूं कि उपयुक्त समय पर भारत सरकार अवश्यमेव विपक्ष को विश्वास में लेगी।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उपयुक्त समय कौन सा होगा?

श्री पी वेंकटसुब्बैय्या : बातचीत चल रही है। कुछ तो कल ही प्रगति हुई है और अब बातचीत स्थगित हो गई है। उनके साथ सरकारी तौर पर सम्पर्क स्थापित किया जा रहा है और अखिल असम छात्र संघ और गण संग्राम परिषद ने अपने प्रतिनिधी भेजे हैं। उनसे वार्तालाप चलता रहा है। और चल रहा है। मैं सदन को यह बता देना चाहता हूं कि अखिल असम छात्र संघ के जो नेता यहां पधारे थे उनके साथ बड़े ही मृदुल वातावरण में बातचीत हुई थी। कुछ न कुछ तो वार्तालाप हो ही चुका है। कुछ प्रगति भी हुई है।

जो अन्य मामले उनकी ज्ञापन में सम्मिलित थे उनके बारे में मैं यह कहूंगा कि पता लगाने तथा नागरिकता के अधिकारों और सुरक्षा प्रबन्धों को कड़े करने की प्रक्रिया सुनिश्चित करने के बारे में सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सीमा सुरक्षा को कड़ी करने और यह निश्चित करने के लिए कि असस में कोई भी घुसपैठिया घुसने न पाए, भारत सरकार ने कुछ उपाय किए हैं।

इसके साथ ही साथ बार-बार यह आश्वासन दिया जा रहा है कि वहां के लोगों की विशिष्टता, संस्कृति और भाषा की रक्षा की जायेगी क्योंकि वह राष्ट्रीय जीवन की एक मुख्य धारा है। असम भारत का एक भाग है। इन सभी मामलों पर विचार हो रहा है।

मेरे माननीय मित्र श्री रवीन्द्र वर्मा ने सरकार पर सीधा आक्रमण किया था और उन्होंने उद्भवन, दलबदल आदि जैसे कुछ शब्दों का प्रयोग किया था। हमारे सामने महाराष्ट्र का उदाहरण है जहां, जब वहां दल बदल हुआ तो, जनता पार्टी भी संगठन में सम्मिलित हुई और सरकार बनाई। अतः ये सभी मामले उसमें सम्मिलित हैं।

जहां तक वित्तीय पहलू का सम्बन्ध है और असम व उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के वित्तीय विकास के लिए किए गए कतिपय उपायों का सम्बन्ध है, इन पर वित्त मंत्री द्वारा व्यापक प्रकाश डाला जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस संकल्प को स्वीकार करने की सिफारिश करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब, वित्त मंत्री, मेरे विचार से वह अधिक समय नहीं लेंगे, और उनके उत्तर के बाद हम इसे पारित कर देंगे।

श्री आर. के. महालगी (ठाणे) : बम जांच के विषय में क्या हुआ?

श्री पी. वेंकट सुब्बैय्या : बम विस्फोट के संबंध में, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि इस विषय में श्री वाजपेयी ने जो कुछ कहा था वह सही नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाएगा। मैंने मंत्री महोदय को बुलाया है। हमने पहले ही अधिक समय ले लिया है।

वित्त मंत्री (श्री आर० वेंकटरामन) : उपाध्यक्ष महोदय, आरम्भ में मैं सभा के प्रशंसनीय आत्म संयम, जिसके द्वारा इस अत्यधिक विस्फोटक स्थिति पर चर्चा की गयी के लिए अपनी सराहना व्यक्त करता हूं । वास्तव में, चर्चा में भाग लेने वाले प्रसिद्ध सदस्यों ने भी कोई उत्तेजक बातें नहीं कही····· ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : हम ऐसा कभी नहीं करते हैं ।

श्री आर. वेंकटरामन : स्थिति को सामान्य बनाने के लिए का प्रयास करने में ··· ।

उपाध्यक्ष महोदय : सौभाग्य से वह भूतपूर्व मंत्री भी हैं ।

श्री आर वेंकटरामन : उन्होंने रचनात्मक सुझाव दिए हैं ।

मैं चर्चा के दौरान दिए गए एक या दो मूल्यवान सुझावों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा । श्री चन्द्रजीत यादव ने इस समस्या के हल पर जोर दिया और उन्होंने एक अत्यधिक उपयुक्त वक्तव्य दिया : उन्होंने कहा कि जहां तक अल्प संख्यकों का संबंध हैं, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए और हमें इस समस्या को मानवीय आधार पर हल करने का प्रयास करना चाहिए ।

कुछ माननीय सदस्यों ने पूछा था कि क्या सरकार 1971 को आधार वर्ष मानने की स्थिति से पीछे हट रही है मैं उन्हें आश्वासन देना चाहता हुं कि सरकार उन लोगों से किसी ऐसे हल को ढूंढने के लिए बात-चीत कर रही है जो केवल असम के आन्दोलनकारियों को ही स्वीकार्य न हो बल्कि पूरी सभा को भी स्वीकार्य हो । जैसा कि मेरे प्रतिष्ठित साथी ने कहा था, अन्तिम विश्लेषण में जब तक सभा तथा विपक्ष का विश्वास प्राप्त नहीं किया जाता तब तक सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया जाएगा । मैं यह भी कहूंगा कि प्रधान मंत्री ने इस विषय में विपक्ष के नेताओं के साथ कई बार सलाह लेती रही हैं और उन्होंने इन बात-चीतों के दौरान विपक्ष को भी अपने साथ रखने का प्रयास किया है । उन्होंने समय समय पर बात-चीत की स्थिति के विषय में बताया है । उन्होंने हमारे देश में विभिन्न दलों के नेताओं के बीच सहमति लाने का भी प्रयास किया है । यह बहुत कठित स्थिति है और प्रत्येक व्यक्ति इस पर सहमत होगा। इस कठिन स्थिति में हमें कुछ ऐसे हल ढूंढने का प्रयत्न करना चाहिए जो सभी को स्वीकार्य हो और समस्या को कटु बनाने की अपेक्षा इसे हल करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

इसके राजनीतिक पहलू को मेरे साथी, गृह मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री ने भी बड़ी योग्यता के साथ सम्भाला है । श्री वाजपेयी द्वारा उठाए गए केवल एक या दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहूंगा । श्री वाजपेयी ने पूछा था कि सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए क्या कार्यवाही की है ।

महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि भारत-बांगला देश सीमा पर सतर्कता व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है असम सीमा पर अतिरिक्त चौकियां बना दी गई है और गस्त बढ़ा दी

गई है। वास्तव में विदेशियों की घुसपैठ को रोकने की योजना के अन्तर्गत असम सरकार द्वारा आवश्यक संस्था में सेना की स्वीकृति दे दी गई है। बीहड़ (रेब्राइन) पुलिस को भी सुदृढ़ कर दिया गया है और आउट-बोट मोटरों सहित गश्ती नावों को भी चलाना शुरू कर दिया गया है। हम उत्तर-पूर्वी तथा पूर्वी क्षेत्रों में चरणबद्ध ढंग से मतदाताओं को फोटो सहित परिचय पत्र जारी करने तथा अद्यतन जन्म और मृत्यु रजिस्टर के रख रखाव का भी प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें कुछ समय लगेगा परन्तु घुसपैठ को रोकने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। यह काम केवल कांटेदार तारें लगाने से ही नहीं हो जाएगा ; सीमाओं की चौकसी लिए के अधिक और निरंतर प्रयासों को करने से ही यह होगा। गश्त बढ़ाई जा रही है। ये काम किए जा रहे हैं।

महोदय, मुझे आशा है कि इससे माननीय सदस्यों को कुछ आश्वासन मिलेगा कि मामले की उपेक्षा नहीं की जा रही है दूसरी तरफ इस पर अपेक्षित विचार किया जा रहा है। असम में लम्बे समय से चल रहे आदोलन के कारण स्वयं असम तथा उसकी अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। अधिकांश माननीय सदस्यों ने असम की उपेक्षा का उल्लेख किया है और कहा है कि इन दशकों में भारत सरकार ने एक पिछड़े राज्य पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया है।

महोदय, यदि असम को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है, तो भारत सरकार या केन्द्रीय सरकार की किसी उपेक्षा के कारण नहीं बल्कि इसकी अपनी भौगोलिकता तथा ऐतिहासिकता के कारण है। यदि आप इसकी अवस्थिति और इसकी विभिन्न समस्याओं के साथ-साथ इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति को देखें और यदि आप इस बात पर भी विचार करें कि अंग्रेजों द्वारा 1947 से पूर्व इस क्षेत्र पर कितना ध्यान दिया गया था तो आप आसानी से समझ जायेंगे कि इसकी अधिकांश समस्याएं स्वतंत्रता से पूर्व की हैं न कि उसके बाद की। मैं आपको सरकार द्वारा लिये गये कार्य के कुछ आंकड़े दे सकता हूं। उससे यह भ्रांति की असम की उपेक्षा की गई है समाप्त हो जायेगी।

महोदय, आप असम राज्य के लिए केन्द्रीय सहायता ही ले लें, स्वतंत्रता के बाद आप पाएंगे कि इस राज्य को विशिष्ट श्रेणी में माना गया है। वास्तव में, असम उन राज्यों में से एक है जो विशिष्ट राज्यों की श्रेणी में आते हैं और इस पर गाडगिल फार्मूला लागू नहीं होता है जिसके अधीन जनसंख्या के 60% टैक्स का 10% आदि के यथानुपात के आधार पर केन्द्रीय सहायता वितरित होती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना में जबकि राज्यों की औसत केन्द्रीय सहायता 55/- रुपये प्रति व्यक्ति दी गई थी तो असम को 78/- रुपये प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता दी गई थी ; चौथी पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों को प्रतिव्यक्ति 65/- रुपये केन्द्रीय सहायता दी गई थी तो असम को 119/- रुपये प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता दी गई थी। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों को प्रति व्यक्ति 102/- रुपये केन्द्रीय सहायता दी गई थी तो असम को 166/- रुपये प्रतिव्यक्ति केन्द्रीय सहायता दी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना में सभी राज्यों को 258/- रुपये प्रतिव्यक्ति केन्द्रीय सहायता दी गई है तो असम को 565/- रुपये प्रतिव्यक्ति सहायता दी गई है।

असम को केन्द्र ने उपेक्षित किया है इस आरोप की आंकड़ों से जरा भी पुष्टि नहीं होती हैं जो मैंने दिए हैं। यदि आप प्रतिव्यक्ति आय को भी देखें तो असम में प्रतिव्यक्ति आय सबसे कम नहीं है तथा यह अत्यधिक पिछड़ा राज्य नहीं है जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान बताया था। वास्तव में, आप पाएंगे कि असम की प्रति व्यक्ति आय 791/- रुपये है। बिहार में, जिसमें हमने केन्द्रीय परियोजनाओं में 4000 करोड़ रुपये से अधिक निवेश किया है, यह केवल 645/- रुपये है, मध्य प्रदेश में, पुनः जिसमें भारी मात्रा में केन्द्रीय निवेश किया गया है, यह 776/- रुपये है और बड़े राज्यों में से एक, उत्तर प्रदेश में प्रतिव्यक्ति आय 715/- रुपये है। अतः आप यह नहीं कह सकते हैं कि असम को उपेक्षित किया गया है और यह कि असम के लोगों की प्रतिव्यक्ति आय देश में सबसे कम है। मैं इस प्रकार की धारणा को तितर-बितर करने को उत्सुक हूं क्योंकि इससे असम में आन्दोलनकारी भ्रमित होंगे। इससे उनको यह महसूस होगा कि उनका आन्दोलन करना उचित है ; क्योंकि उन्हें उपेक्षित किया गया है।

यदि आप गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या का प्रश्न लें तो आप पाएंगे कि असम में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 51.10 प्रतिशत है जबकि बिहार में 57.49 प्रतिशत हैं, महाराष्ट्र में 57.73 प्रतिशत हैं और तमिलनाडु में 52.12 प्रतिशत है। इस दृष्टि से भी आप यह नहीं कह सकते कि असम पिछड़ा हुआ है या उसे उपेक्षित किया गया है।

मैं और अधिक आंकड़े नहीं देना चाहता हूं। मैं केवल सभा को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि असम को केन्द्रीय सरकार से अच्छा सहयोग प्राप्त होता है और सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए बहुत उत्सुक है कि असम के लोग केवल अपना हिस्सा ही प्राप्त न करें बल्कि उससे अधिक प्राप्त करें क्योंकि इसकी भौगोलिक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ भिन्न है मैं नहीं चाहता कि असम के आन्दोलनकारियों तथा असम के लोगों में यह धारणा बने कि उनके साथ किसी भी तरह से सौतेला व्यवहार किया जाता है।

अब मैं योजना पर भी बात करूंगा। पांचवीं योजना में हमने 474 करोड़ रुपये का प्रावधान किया था जबकि छठी योजना में हमने 1,115 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। चालू वर्ष में भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 12.55 करोड़ रुपये की विशेष सहायता सहित असम को 172 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई है। हमने असम में वायुदूत नामक तीसरी वायुयान सेवा आरम्भ की है क्योंकि हमने अनुभव किया कि यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों के साथ ठीक तरह से जुड़ा हुआ नहीं है। यातायात और संचार प्रणाली खराब है। अतः हमने तीसरे स्तर की वायु सेवा आरम्भ करके यातायात सुविधाओं में वृद्धि करनी चाही है। श्री रवीन्द्र वर्मा ने कहा था कि चालू वर्ष के बजट में यद्यपि धनराशि अधिक दी गयी है फिर भी वास्तविक अर्थों में यह कम है। जी हां, यह ठीक है। परन्तु बता दूं कि वास्तविक रूप में प्राप्तियां कम है। लोग केवल यह चाहते हैं कि मैं व्यय का हिसाब लगाऊं परन्तु यदि मैं आय का हिसाब लगाऊं तो शोरगुल मचता है। हम केवल चादर के हिसाब से पैर पसार सकते हैं। हम उपलब्ध स्रोतों के

भीतर ही रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम उचित और ठीक हैं। कृषि के लिए हमने 45.94 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में कुल व्यय 42 करोड़ है। स्थिति यह है कि इस बजट से चहुमुखी वृद्धि होगी और क्षेत्रों में अन्तर बढ़ सकता है। कुछ क्षेत्रों में हम व्यय को कम कर सकते हैं और कुछ में बढ़ा सकते हैं। सम्पूर्ण स्थिति को दृष्टिगत करना चाहिए। दो चार मदों को ही नहीं चुन लेना चाहिए, उदाहरण के लिए जैसा कि श्री बनातवाला ने कहा है कि ब्रह्मपुत्र बाढ़ नियंत्रण के लिए आपने व्यय में बहुत अधिक कमी कर दी है और प्राकृतिक विपदाओं के लिए आपने व्यय में कमी कर दी है।

जब हमने कुल मिलाकर अधिक व्यय का प्रावधान है तो इसका अर्थ यह है कि तुलनात्मक प्राथमिकतायें ध्यान में रखी गयी हैं और हमने उन मदों के लिए अधिक धन का प्रावधान किया है जितने की उनकी आवश्यकता है और जो उच्च प्राथमिकता प्राप्त मदें हैं। आप वस्तुतः अंतिम आंकड़े लेकर उनकी तुलना पिछले वर्ष के आंकड़ों से कर सकते हैं। पिछलेवर्ष का बजट नवम्बर में प्रस्तुत किया गया था। अतः प्राकृतिक प्रकोपों के सम्बन्ध में किया जाने वाला व्यय भी उस बजट में सम्मिलित किया था। परन्तु इस वर्ष हमने केवल न्यूनतम धन का प्रावधान किया है और अभी तक हमने प्राकृतिक प्रकोपों के सम्बन्ध में पूरा धन खर्च नहीं किया है और जब अन्तिम आंकड़े सामने आयेंगे तो वे बहुत अधिक होंगे क्योंकि हमें बाढ़ों तथा दूसरे प्राकृतिक प्रकोपों के लिए भी सहायता की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अतः तुलना करते समय आपको तुलना करने योग्य आँकड़े ही लेने चाहिए और नवम्बर के आंकड़े नहीं लेने चाहिए जहां पर पूरा लेखा मार्च के आंकड़ों के साथ पेश किया जा रहा है। जिसमें हमने केवल न्यूनतम धन का प्रावधान किया गया है और इस मद के सम्बन्ध में पूरे खर्च का प्रावधान नहीं किया गया है।

अतः जहां तक प्रस्तुत बजट का सम्बन्ध है मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमने न केवल अधिक धनराशि का ही प्रावधान किया है बल्कि हमने सभी महत्वपूर्ण पहलुओं पर भी अकधि बल दिया है।

उदाहरणार्थ राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा. ग्रा. रो. का.) को लीजिए। अब इस वर्ष के बजट में हम रा. ग्रा. रो. का. के अन्तर्गत रोजगार के मानव दिवस रोजगार जुटाने के लिए 132 लाख रुपये का प्रावधान करने जा रहे हैं। इस पर अधिक खर्च होने की सम्भावना है, क्योंकि हम समझते हैं कि लोगों को अधिक रोजगार प्रदान करने पर जोर दिया जाना चाहिए अतः इस ओर कुछ धन खर्च करने की व्यवस्था करनी चाहिए।

कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है कि ऊर्जा उत्पादन की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। आँकड़ों को देखने से यह आलोचना ठीक सावित नहीं होती। इसके विपरीत देखेंगे कि आसाम की वर्तमान स्थापित क्षमता केवल 152 मैगावाट है और छठी योजना में 458 मैगावाट का प्रावधान किया गया है, अर्थात इस योजना अवधि में 300 प्रतिशत की वृद्धि। इस वर्ष में हमने 'बोनगाइ गांव तापीय परियोजना' और 'लखावा तापीय परियोजना' तथा 'लोअर

बोरपानी परियोजना' के लिए भी प्रावधान किया है। अतः इन सभी परियोजनाओं को कार्यान्वित करना है। अतः ऊर्जा उत्पादन के प्रावधान के सम्बन्ध में जहां तक असम का सम्बन्ध है, शायद यह अब तक किये गये सभी प्रावधानों में अधिकतम है।

अब संचार को भी लीजिए। यदि आप रेल-लाइन निर्माण की ओर देखें तो आपको पता चलेगा कि न्यू बोंगाइ गांव से गोहाटी तक एक समान्तर बड़ी लाईन के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है जिसके 1981-82 में पूर्ण हो जाने की सम्भावना है। गोहाटी से डिबरूगढ सैक्शन को (580 कि० मी०) को बड़ी लाइन में बदलने का कार्य भी चालू वर्ष में किया जा रहा है। इसके ऊपर 105 करोड़ रुपये की लागत आयेगी।

कई अन्य योजनायें भी चालू हैं। इस क्षेत्र में संचार तथा सड़क परिवहन के विकास पर बल दिया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों को भी बहुत उच्च प्राथमिकता दी गयी है। 320 कि. मी. लम्बी बदरपुर-सिल्चर-इम्फाल सड़क (रा. रा. मा. 53) को राष्ट्रीय राजमार्ग के स्तर पर उठाया जा रहा है और हमने प्रस्तुत बजट में सड़कों के लिए 16 करोड़ रु. का प्रावधान किया है। चालू बजट के दौरान 900 किलोमीटर लम्बाई की नई सड़कें बनाई जायेंगी।

अतः मैं यह बात बलपूर्वक कहना चाहूंगा कि अर्थव्यवस्था के सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे-ऊर्जा उत्पादन, परिवहन, संचार तथा सड़कों की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है।

कुछ माननीय सदस्यों ने औद्योगिक परियोजनाओं, कागज परियोजनाओं इत्यादि के विषय में भी कुछ प्रश्न पूछे हैं। मेरे पास भी इनसे सम्बन्धित आँकड़े हैं।

नौगांग कागज और लुगदी परियोजना की उत्पादन क्षमता एक सौ हजार टन है। आप जानते हैं कि कीमतें बढ़ सकती हैं। 1-4-80 को इसकी कुल लागत 217 करोड़ रु. थी और इसके द्वारा 1983 में कार्य शुरू किया जाना संभावित है लुगदी तथा कागज की दूसरी परियोजना कछार में है जिसकी उत्पादन क्षमता एक सौ करोड़ टन होगी और उसकी लागत 217 करोड़ रुपये होगी। इन दोनों परियोजनाओं के लिए चालू वर्ष में 34 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। 1983 के अन्त तक इसके द्वारा कार्य शुरू किये जाने की सम्भावना है। बोनगाइ गांव तेल-शोधनशाला और पैट्रोल-रसायन उद्योग समूह का निर्माण कार्य भी शुरू किया जाएगा। इस परियोजना की अनुमानित लागत 186.40 करोड़ रु. होगी। अतः यदि आप मुख्य औद्योगिक परियोजना की ओर भी देखें तो आपको ज्ञात होगा कि असम को न केवल उसका अपना उचित हिस्सा ही दिया गया है बल्कि उसके आनुपातिक हिस्से से कुछ अधिक ही दिया गया है। पिछले वर्ष के आसाम के बजट को प्रस्तुत करते समय मैंने बताया था कि मैं आसाम जाऊंगा और वहां राज्य की विभिन्न आवश्यकताओं को जानने का प्रयत्न करूंगा। मैं उनकी तात्कालिक आवश्यकताओं के लिए व्यवस्था करने हेतु सभी पूर्वोत्तर राज्यों में गया था। परन्तु आसाम की परिस्थिति ने मुझे आसाम में जाने और वहां की तात्कालिक आवश्यकताओं पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने की अनुमति नहीं दी। मुझे आशा है कि चालू

वर्ष के दौरान वहां की स्थिति में सुधार आयेगा और मैं व्यक्तिगत रूप से वहां जाने और वहां के लिए अधिकतम कार्य करने में सफल हो पाऊंगा।

एक प्रश्न जो बार बार उठाया जा रहा है वह यह है कि उनको कच्चे तेल पर कितनी रायल्टी दी जायेगी। अभी हाल में ही हमने कच्चे तेल पर 41 रु. से बढ़कर 61 रु० तक रायल्टी कर दी है। कानून के अन्तर्गत कच्चे तेल पर रायल्टी 4 वर्षों में केवल एक बार ही बढाई जा सकती है। परन्तु कच्चे तेल पर रायल्टी हाल ही में बढाई गयी है। यद्यपि यह कानून है, परन्तु मैं फिर भी कहता हूं कि सरकार ऐसे मामलों पर बहुत ही सहानुभूति पूर्वक विचार करती है। जिस शांत स्वभाव से सदन ने मुझे सुना है उसके लिए मैं सदन को धन्यवाद देता हूं। असम सरकार चल ही रही है और जो कुछ भी हो हमें असम बजट को पास करना है और यह देखना है कि आसाम का प्रशासन ठीक से चलाया जाये और हम राज्य को पुनः सामान्य स्थिति में ला पायें ताकि वह सभी राज्यों के साथ आगे बढ़ सके।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री जैलसिंह द्वारा प्रस्तुत की गयी आसाम राज्य के सम्बन्ध में उद्घोषणा के अनुमोदनार्थ सांविधिक संकल्प सभा में मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा :

प्रश्न यह है :

"कि यह सभा असम राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा 30 जून, 1981 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री बनातवाला द्वारा प्रस्तुत की गयी वर्ष 1981-82 के लिए अनुदानों की मांगों (आसाम) के सम्बन्ध में कटौती प्रस्ताव स० 1 तथा 2 को मतदान के लिए प्रस्तुत करूंगा :

कटौती प्रस्ताव सभा में मतदान के लिये रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं अनुदानों की मांगें (असम) 1981-82 सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

कि कार्य सूची के स्तम्भ 2 में दिखाई गई मांग सं. 1 से 72 के संबंध में 31 मार्च, 1982 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान होने वाले खर्चों को पूरा करने के लिए कार्य सूची के स्तम्भ 4 में दिखाई गई राजस्व लेखा तथा पूंजी लेखा राशियों से अनधिक अनुपूरक राशियां असम राज्य की संचित निधि में से राष्ट्रपति को दी जायें।

सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की जाने वाली 1981-82 की अनुदानों की मांगें (आसाम सरकार) की सूची :

मांग संख्या	मांग का नाम	आसाम विधान सभा द्वारा 31-3-1981* की स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत** की जाने वाली माँग की राशि	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2	3		4	
		रु.	रु.	रु.	रु.
1.	राज्य विधान मण्डल	18,56,400	—	34,47,600	—
2.	मंत्रिपरिषद	8,05,000	—	14,95,000	—
3.	न्याय प्रशासन निर्वाचन	55,68'300	—	1,03,41,700	—
4.	आय और व्यय पर कर	26,34,600	—	48,92,400	—
5.	भू-राजस्व और भूमि की अधिकतम सीमा	2,69,800	—	5,01,200	—
6.	भू-राजस्व और भूमि की अधिकतम सीमा	2,63,39,500	—	4,89,16,500	—
7.	स्टाम्प	3,14,800	—	5,84,200	—
8.	पंजीकरण	9,77,000	—	18,14,000	—
9.	राज्य उत्पाद-शुल्क	24,01,400	—	44,59,600	—
10.	बिक्री कर और अन्य कर	34,46,100	—	63,99,900	—
11.	परिवहन सेवाएं	1,17,48,100	—	2,18,17,900	—
12.	बिजली निरीक्षणालय	2,74,800	—	5,10,200	—
13.	अल्प बचतें	1,07,500	—	1,99,500	—
14.	वित्तीय निरीक्षण	78,800	—	1,46,200	—
15.	सिविल सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालय	1,11,91,300	—	207,83,700	—
16.	जिला प्रशासन	1,06,24,100	—	1,97,30,900	—

मांग संख्या	मांग का नाम	आसाम विधान सभा द्वारा 31-3-1981* को स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत** की जाने वाली मांग की राशि	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2	3		4	
		रु०	रु०	रु०	रु०
17.	राजकोष और लेखा प्रशासन	36,40,00	—	67,60,000	—
18.	पुलिस	11,21,88,00	35,000	20,83,49,000	65,000
19.	जेलें	59,70,000	—	1,10,87,000	—
20.	लेखन-सामग्री और मुद्रण	49,89,800	—	92,67,200	—
21.	प्रशासनिक और कार्यों-पलक्षी इमारतें	3,32,54,800	2,95,60,300	6,17,59,200	5 91,20,70(
22.	अग्निशमन सेवाएं	31,98,300	—	59,39,700	—
23.	सतर्कता और विशेष आयोग	3,95,100	—	7,33,900	—
24.	नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड	57,00,500	—	1,05,86,'00	—
25.	अतिथि गृह, सरकारी होस्टल, आदि	9,22,200	—	17,12,800	—
26.	प्रशासनिक प्रशिक्षण	2.04,400	—	3,79,600	—
27.	जन्म-मरण के आंकड़े आदि	3,44,500	—	6,39,500	—
28.	पेंशनें और अन्य सेवा निवृत लाभ	1,24,31,200	—	2,30,86,800	—
29.	सहायता सामग्री	33,09,200	—	61,45,800	—
30.	राज्य लाटरियां	10,75,800	—	19,98,200	—
31.	शिक्षा	33,71,29,000	66,700	62,60,97,00	1,33,300

मांग संख्या	मांग का नाम	आसाम विधान सभा द्वारा 31-3-1981* को स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत** की जाने वाली मांग की राशि	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2	3		4	
		रु०	रु०	रु०	रु०
32.	कला और संस्कृति	38,46,900	—	71,44,100	—
33.	राज्य अभिलेखागार	35,000	—	65,000	—
34.	चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य	15,18,61,400	45,00,000	28,20,28,600	90,00,000
35.	सफाई और मल निकासी	4,68,000	—	8,69,000	—
36.	आवास योजनाएं	80,15,000	12,00,000	1,48,85,000	24,00,000
37.	रिहायशी इमारतें	92,33,200	1,13,37,000	1,71,47,800	2,26,74,000
38.	नगर विकास	55,15,600	8,50,000	1,02,43,400	17,00,000
39.	सूचना और प्रचार	21,04,500	—	39,08,500	—
40.	श्रम और रोजगार	87,89,400	—	1,63,22,600	—
41.	नागरिक पूर्ति	42,43,600	—	78,81,400	—
42	राहत और पुनर्वास	43,400	—	80,600	—
43.	अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्यों का कल्याण	1,71,01,000	10,00,000	3,17,59,000	20,00,000
44	समाज कल्याण	75,55,500	—	1,40,31,500	—
45.	नशाबन्दी	15,43,500	—	28,66,500	—
46.	स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशनें, राज्य सैनिक बोर्ड, आदि	13,86,000	—	25,74,000	—
47.	दैवी विपत्तियां	2,42,20,000	—	4,49,80,00	—

मांग संख्या	मांग का नाम	आसाम विधान सभा द्वारा 31-3-1981* को स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत** की जाने वाली मांग की राशि	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2	3		4	
		रु०	रु०	रु०	रु०
48.	सामाजिक और सामुदायिक सेवाएं	1,80,100	—	3,34,900	—
49.	योजना बोर्ड	11,12,700	—	20,66,300	—
50.	सहकारिता	2,13,41,400	1,57,83,600	3,96,34,600	3,15,67,400
51.	उत्तर-पूर्वी परिषद् योजनाएं	91,53,600	53,62,300	1,69,99,400	1,07,24,700
52.	सांख्यिकी	43,75,700	—	81,26,300	—
53.	तौल और माप	11,45,600	—	21,27,400	—
54.	व्यापार सलाहकार	1,91,100	—	3,54,900	—
55.	कृषि	11,57,37,100	81,00,000	21,49,39,900	1,62,00,000
56.	सिंचाई	1,55,95,300	8,36,36,300	2,89,62,700	16,72,72,700
57.	भूमि और जल संरक्षण	1,43,81,200	52,74,700	2,67,07,800	1,05,49,300
58.	पशुपालन और पशु चिकित्सा	3,01,68,000	—	5,59,15,000	—
59.	डेरी विकास	44,23,800	—	82,16,200	—
60.	मीन उद्योग	71,27,100	66,700	1,32,35,900	1,33,300
61.	वन	6,07,76,500	—	11,28,70,500	—
62.	सामुदायिक विकास	2,93,66,100	—	5,45,36,900	—
63.	उद्योग	74,24,900	96,50,000	1,37,89,100	1,93,00,000

मांग संख्या	मांग का नाम	आसाम विधान सभा द्वारा 31-3-1981* को स्वीकृत लेखानुदान की मांग की राशि		सदन की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत** की जाने वाली मांग की राशि	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2	3		4	
		रु०	रु०	रु०	रु०
64.	रेशम कीटपालन और बुनाई	1,55,99,500	83,000	2,89,70,500	1,66,000
65.	कुटीर उद्योग	85,95,800	56,30,000	1,59,64,200	1,12,60,000
66.	खानें और खनिज	28,23,100	16,63,3,300	52,42,900	31,26,66,700
67.	बाढ़ नियंत्रण	1,95,27,200	4,73,66,700	3,62,64,800	9,47,33,300
68.	सड़कें और पुल	6,42,45,700	5,55,40,300	11,93,13,300	11,10,80,700
69.	पर्यटन	10,99,300	—	20,41,700	—
70.	स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजे और समनुदिष्ट राशि की अदायगी	1,35,73,900	—	2,53,94,100	—
71.	आसाम राजधानी निर्माण	—	10,63,300	—	21,26,700
72.	सरकारी सेवकों को उधार और अग्रिम	—	1,65,66,700	—	3,31,33,300

*आसाम विनियोग (लेखानुदान) अध्यादेश, 1981 द्वारा आसाम राज्य की समेकित निधि में से निकाले जाने के लिए प्राधिकृत ।

**इसमें वित्त मंत्रालय की दिनांक 27-7-81 को अधिसूचना संख्या का० आ० 610 (अ) के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 357 (1) (ग) के अन्तर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्राधिकृत रकमें शामिल हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

असम विनियोग विधेयक

वित्त मन्त्री (श्री आर. वेंकटरामन) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं ।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वित्तीय वर्ष 1981-82 की सेवाओं के लिए असम राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशियों के संदाय और विनियोग को प्राधिकृत करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम इस विधेयक पर खंडवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है कि :

"कि खंड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिए गये ।

अनुसूची, खण्ड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।

श्री आर. वेंकटरामन : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाय ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 30 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई ।

———

लोक सभा मध्याहन भोजन के पश्चात 2 बजकर 35 मिनट पर पुनः समवेत हुई ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए ।

आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) विधेयक

तथा

चोरबाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक 1981—जारी

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम आवश्वक वस्तु (विशेप उपबन्ध) विधेयक तथा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक पर आगे विचार किये जाने के प्रस्ताव को लेंगे ।

श्री भूरिया इस सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे । वह एक मिनट बोले थे । वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं ।

श्री दिलीप सिंह भूरिया (झाबुआ) : उपाध्यक्ष महोदय, चार दिन पहले जो मैंने भाषण देना शुरू किया था आज उसको पूर्ण करने का जो मोका आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं विरोधी दलों के सदस्यों के भाषण सुन रहा था। हम जो कानून बनाते हैं उसकी तो वे तारीफ करते हैं परन्तु मुझे अफसोस है कि जब हम उसे एक्जीक्यूट करते हैं तो उसका वे विरोध करते हैं। हमने 1975 में एमर्जेंसी लगायी थी और उस पीरियड में देश और देश के लोगों का बहुत विकास हुआ था। हमने सोने का भंडार भरा, देश के खाद्यान्न के गोदाम भरे और तमाम ब्लेक मार्किटियर्स और कालाबाजारियों को बंद किया। इन सब के कारण देश का तेजी के साथ विकास हुआ। मैं चाहता था कि हमारे विरोधी दलों के सदस्य कम से कम इसकी तारीफ करते।

जब हम ने 1977 में सत्ता छोड़ी तो जितने भी ब्लेक मार्किटियर्स और कालाबाजारी करने वाले बंद थे वे सब बाहर आ गये। फिर वही बातें बढ़ गयीं जो पहले थी। अगर किसी बच्चे की माँ मद्यपान करती है तो, बच्चा आगे नहीं बस सकता है। यही हाल जनता पार्टी के राज में अर्थव्यवस्था का हुआ। तमाम का तमाम प्रशासन ठप्प पड़ा था और यही कारण है कि आज हमें अमेरिका से अन्न मंगाना पड़ रहा है। विदेशों से दूसरी चीजें मंगानी पड़ रही हैं।

हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमें देश की तरक्की और विकास करना है तो हमें सब से पहले इन ब्लेक मार्किटियर्स और कालाबाजारियों को खत्म करना है। मैं अपने विरोधी दलों के भाइयों को भी यह कहना चाहता हूं कि आपकी जानकारी में भी ऐसे जो लोग हों उन्हें बताएं। ये लोग प्रजातन्त्र के लिए खतरा है। ये लोग प्रजातन्त्र को खत्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। तभी इस देश का और इस देश के लोगों का विकास होगा। नहीं तो हमारी सारी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं दाना और पानी मंत्री जी को कहना चाहता हूं, आज उनके पास दाना भी है और पानी भी है, कि वे हमारी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार लाएं। आज गांवों के लोगों की जो हालत है उसमें हम अपनी वितरण व्यवस्था के द्वारा राहत पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने सहकारी आन्दोलन को बढ़ाना होगा। क्योंकि जो कंट्रोल का माल आप वहां के लोगों के लिए देते है वह अगर शहरों में बेच दिया जाएगा तो गांव वालों को माल नहीं मिलेगा। इसलिए हमारे देश में जो डेढ़ लाख प्राइमरी कोआप्रेटिव सोसायटीज हैं और जिनकी मेम्बरशिप 7 करोड़ है, उनका पार्टिसिपेशन हमारी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था में होना चाहिए। इन सहकारी समितियों के द्वारा हम अपनी सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को सुचारू रूप से चला सकते हैं जिससे कि गांव के गरीब और हरिजन आदिवासियों तक आवश्यक चीजें आसानी से पहुंचा सकें।

मैं मन्त्री महोदय से कहना चाहता हूं कि अगर इस देश से आपने ब्लेक मार्किटियर्स और कालाबाजारियों को खत्म करना है तो हमारे सहकारी आन्दोलन को मजबूत किया जाए। हमारे राष्ट्र की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी 15 अगस्त को कालाबाजारियों और चोर-बाजारियों के बारे में अफसोस जाहिर किया था। अगर हमें इनको खत्म करना है तो हमें सहकारी आन्दोलन को मजबूत करना होगा। इनको हम सख्ती करके ही खत्म कर सकते हैं।

इनको फांसी लगा कर भी खत्म करने की आवश्यकता हो तो वैसा भी हमें कानून बनाना चाहिए। तो ऐसा कानून बनाना चाहिए। यह कालाबाजारी और ब्लैक मार्किट प्रजातन्त्र पर एक कलंक है। इस कलंक को धोने के लिए, साफ करने के लिए सख्ती से कानून लागू करना होगा। यह कार्य हमको सख्ती से और तेजी से करना होगा, तभी यह समाप्त होगा।

इन शब्दों के साथ ही माननीय मंत्री जी ने विधेयक प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। जय-हिन्द।

श्री बापू साहिब परुलेकर (रत्नगिरि) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक के उद्देश्यों का विरोध करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं और सरकार समाज विरोधी और इसी प्रकार की गतिविधियों के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने के लिये जो कदम उठाती है इस ओर के सदस्यों ने कभी भी उन कदमों का विरोध नहीं किया है। सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने जिन्होंने कुछ दिन पहले अपने विचार व्यक्त किये थे, यह बात कही कि विपक्षी सदस्यों को अब इस सम्बन्ध में कुछ समझ आई है और उन्होंने इस प्रस्ताव का विरोध करना छोड़ दिया है, किन्तु जब इससे पहले वाला विधेयक अर्थात चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन। विधेयक पारित किया गया था तो हम सदन से उठकर बाहर चले गये थे और अब हम विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन कर रहे हैं। मैं रिकार्ड को सही रखने के लिये यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि उस समय सदन से बहिर्गमन इस विधेयक के उद्देश्यों का विरोध करने के लिये नहीं किया गया था किन्तु यह नजरबन्दी कानून का विरोध करने के लिये किया गया था क्योंकि हम इस कानून को जंगल का कानून मानते थे ; हम कानूनी व्यवस्था के अन्तर्गत आते हैं और हमारा यह मत है और यही मत रहेगा कि किसी भी व्यक्ति को उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में सुनवाई का अवसर दिये बिना जेल में बन्द नहीं किया जाना चाहिये। और इसी कारण हम सदन से बाहर गये थे। मैं इस बात को बार- बार कहना चाहता हूं कि सदन से बहिगमन इसलिये नहीं किया गया था कि हम उस विधेयक विशेष के उद्देश्यों का विरोध करना चाहते थे। यह अधिनियम पहली बार 1954 में इस सदन में पारित किया गया था और 1976 में उसमें संशोधन करके उसके उपबन्धों को कठोर बना दिया गया था। मैं माननीय मन्त्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि इन सभी वर्षों में तथा 1976 में इसके उपबंधों को कठोर बनाने के पश्चात् क्या कीमतों में कमी आई है ? मेरे कहने का अर्थ यह है कि उपबन्धों को कठोर बना देने मात्र से कीमतों में कमी नहीं आयेगी। इसके लिये एक दृढ़ राजनीतिक निश्चय तथा कानून को कठोरता से लागू करने की आवश्यकता है।

अब मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि :

(श्री हरिनाथ मिश्र पीठासीन हुए)

इन कानूनों को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जाता है। महोदय, इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को लागू करने सम्बन्धी कुछ उपबन्ध इस विधेयक में ही शामिल किये

जायें। मुझे इस अधिनियम विशेष के अन्तर्गत अनेक मामलों को चलाने का अवसर प्राप्त हुआ है और यदि हम न्यायालयों के निर्णयों को देखें तो हमें पता चलेगा कि न्यायालयों को विवश होकर अपराधियों को छोड़ना पड़ा और उसका कारण यह नहीं था कि कानून में कोई गलत उपबन्ध या अथवा कानून में कोई कमी थी बल्कि उसका कारण जांच सम्बन्धी प्रक्रिया थी, क्योंकि पुलिस पंचों को लाई थी व्यवसायिक पंच लाए गये थे। ऐसे 99.5 प्रतिशत मामलों में पंच साक्ष्य देने से मुकर जाते हैं। सम्पत्ति के सम्बन्ध में पंचनामा सही ढंग से नहीं भखाया जाता और मैजिस्ट्रेटों और न्यायीशों को इस कानून विशेष में किसी प्रकार भी कोई कमी न होते हुए भी अपराधियों को छोड़ना पड़ता है।

केवल यही बात नहीं है 1954 से हमने विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्की गतिविधियां निवारण अधिनियम बना रखा है। हमारा नजरवन्दी कानून है। हमने काला धन निरोधक कानून भी बनाया है। काला धन निरोधक कानून को बनाये एक वर्ष हो गया है। मुझे याद है उस समय मंत्री महोदय ने कहा था कि यदि यह कानून बन जाता है और कार्यपालिका को ऐसे व्यक्तियों को नजरबन्द करने सम्बन्धी शक्तियां मिल जाती हैं जिनके बारे में सन्देह होता है कि वह इस प्रकार कि गतिविधियों में लगे हुए हैं तो यह सम्भव हो सकता है कि कुछ ही महीनों में हम कीमतों में कमी ला सकें। मैं मन्त्री महोदय से यह प्रश्न पूछना चाहता हूं कि इस विधेयक के पारित करने के पश्चात स्थिति क्या है जिसके अन्तर्गत हमने बिना मुकदमा चलाए व्यक्तियों को जेल में रखने सम्बन्धी कठोर शक्ति प्राप्त कर ली है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मूल्य कम हो गये हैं। यही बात आपने विधेयक के प्राक्कथन में कही है।

> "जब कि इस प्रकार के समाज विरोधी कार्यकलाप करने वाले व्यक्तियों से तथा कीमतों में दूषित वृद्धि से अधिक प्रभावशाली रूप निपटने के लिए....."।

किन्तु मैं निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने पर भी इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकेगी। प्राक्कथन के माध्यम से सरकार ने यह स्वीकार किया है कि कानून बना देने मात्र से मूल्य-नियन्त्रण नहीं किया जा सकता है। अतः मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस पर गम्भीरता से विचार करे कि इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से कदम उठाने की आवश्यकता होगी।

जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, मैंने यह देखा है कि 1954 के मूल अधिनियम में केवल 4 संशोधन करने का प्रयास किया जा रहा है इस सम्बन्ध में पहला उपबन्ध यह है कि पहले जबकि कलक्टर सामान को जब्त कर लेता था तो अपील न्यायिक प्राधिकरण को की जाती थी किन्तु अब इसमें परिवर्तन किया गया है और अब अपीलें राज्य सरकारों को की जायेंगी। दूसरा संशोधन इस बारे में है कि इस अपराध को अजमानतीय अपराध बना दिया गया है। तीसरा संशोधन यह है कि विशेष न्यायालयों की स्थापना की जा रही है। मुझे यह नहीं मालूम कि वह विशेष न्यायालयों के पक्ष में क्यों है जबकि उन्हें ऐसे न्यायालयों से घृणा है।

सभापति महोदय : परिस्थितियां विशेष हो सकती है ।

श्री बापू साहिब परुलेकर : हो सकता है कि कोई विशेष परिस्थितियां हों जिनके आधार पर संशोधन किये जा रहे हैं चौथा संशोधन यह है कि न्यूनतम दंड के लिए तीन महीने की अवधि निर्धारित की गई है । क्या आप गम्भीरता से यह सोचते हैं कि इन चार संशोधनों के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कमी की जा सकेगी ? यदि आप मुझसे पुछें तो मैं आपको ईमानदारी से बता सकता हूं कि यदि आप कानून को कठोर बनाभी देंगे तो भी मूल्यों में कमी नहीं आयेगी ।

इस विधेयक का एक अन्य रोचक पहलू भी है । विधेयक के खंड 1 (3) में यह कहा गया है कि पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर यह प्रभावी नहीं रहेगा । सरकार यह अनुभव करती है कि इन चार संशोधनों को करके पांच वर्षों में मूल्य-नियन्त्रण हो जायेगा । मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब से चोर बाजारी निवारण विधेयक, जिसके अन्तर्गत नजरबन्दी की व्यवस्था की गई थी, पारित किया गया है, तब से कितने व्यक्तियों को नजरबन्द किया गया है और अब मूल्य सूचकांक क्या है । उससे यह पता चलेगा कि इस सदन में मंत्री महोदय ने जिन उद्देश्यों का उल्लेख किया था उनमें से किसी को भी प्राप्त नहीं किया जा सका है ।

पृष्ठ 6 पर विधेयक के उद्देश्यों और कारणों सम्बन्धी कथन में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मूल अधिनियम के अन्तर्गत समूचे देश में अनेक मुकदमे विचाराधीन हैं और 1979 तथा 1980 में मूल्य अबाक रूप में बढ़ते गये हैं और इसलिए ही संशोधन करने वाला यह विधेयक लाया गया है । सभापति महोदय, जैसा कि आपने कहा है कि विशेष परिस्थितियां विद्यमान हैं और यह उन विशेष परिस्थितियों में से एक परिस्थिति यह हो सकती है अर्थात 76,000 मुकदमे विचाराधीन हैं । किन्तु आश्चर्य तो यह है कि इस विधेयक के उपबन्धों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं किया गया है ;

खंड 2 में यह व्यवस्था है :

"परन्तु यह कि धारा 3 से धारा 11 में विनिर्दिष्ट संशोधन····· "।

मैं अनुभव करता हूं कि शब्द धाराएं" गलत हैं, क्योंकि केवल धारा 8 में ही संशोधन किया गया है, कम से कम उन्हें वह संशोधन तो स्वीकार करना पड़ेगा—

"इस अधिनियम के प्रारम्भ होने से पूर्व मूल अधिनियम के अन्तर्गत किये गये किसी अपराध को या उसके सम्बन्ध में लागू नहीं होंगे ····· ।"

अतः यह आप स्वयं कहते हैं जैसा कि विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लिखित है कि विशेष न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में 76000 विचाराधीन मामले नहीं आयेंगे । अतः आप उन विचाराधीन मामलों को किस प्रकार निपटायेंगे । मैं यह नहीं जानता कि उन विचाराधीन मामलों को इन विशेष न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में क्यों नहीं लाया जा रहा है ?

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह यह बात स्पष्ट करें कि इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू क्यों नहीं किया जा रहा है और इसे केवल भविष्यलक्षी ही क्यों बनाया गया है ।

खंड 5 में मूल अधिनियम की धारा 60 में संशोधन करना है । इसमें यह व्यवस्था की गई है कि न्यायिक प्राधिकरण के स्थान पर राज्य सरकार के समक्ष अपील की जायेगी । ऐसा करने के कारण क्या हैं, मैं नहीं जानता । मैं पृष्ठ 7 पर उद्देश्यों के कथन में से इसी कारण का पता लगा सका कि उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से यह उपबन्ध किया गया है कि जब्ती आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के समक्ष अपील करने का अधिकार होगा सेशन न्यायाधीश अथवा न्यायिक मैजिस्ट्रेट के स्थान पर राज्य सरकार के समक्ष अपील दायर करने का अधिकार देने से मूल्यों में कमी कैसे लाई जायेगी ? मैं चाहता हूं कि इस बात पर मन्त्री महोदय प्रकाश डालें ।

कृपया उन कठिनाइयों पर ध्यान दें जो जनता को सहनी पड़ती हैं । जिस व्यक्ति ने अपराध किया हो उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जानी चाहिए । किन्तु साथ ही हमारा यह दायित्व भी हो जाता है कि निर्दोष व्यक्तियों को इस कारण से कष्ट न भोगने पड़ें । मान लीजिये, एक दूर दराज के गांव में अपराध होता है और माल को जब्त कर लिया जाता है। पहले 1974 अथवा 1976 के अधिनियम के अन्तर्गत लोग सेशन न्यायाधीश अथवा मजिस्ट्रेट के सामने अपील दायर करने के लिए सम्बद्ध तालुके में जाया करते थे । यदि ग्रामीण व्यक्तियों के विरुद्ध चार्जशीट लगाकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाये तो उनमें से कितने राज्य की राजधानी में जाने की स्थिति में होंगे ? मन्त्री महोदय हमें यह बात बतायें । साथ ही वह यह भी बतायें कि इस संशोधन को लाने के पीछे क्या तर्क हैं ?

मेरा सुझाव है कि इन अपराधों को अजमानतीय बनाने की अपेक्षा कुछ दृढ़ कार्यवाही की जानी चाहिए । मैं गम्भीरता-पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि आम अपराधों तथा जमाखोरी एवं चोरबाजारी वाले अपराधों के बीच भेद किया जाना चाहिए । बोर्ड पर मूल्य सूचि का प्रदर्शित न किया जाना भी एक अपराध है और चोर-बाजारी तथा जमाखोरी भी एक अपराध है । यदि आप अधिनियम को पढ़ेंगे तो आप पायेंगे कि दोनों अपराधों में सजा तथा जमानत सम्बन्धी व्यवस्था समान है । मैं नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार हम छोटे दुकानदारों के साथ भारी अन्याय करने जा रहे हैं। मुझे एक मामले की याद आ रही है । एक गांव में एक दुकान में कुल माल 1000 रुपए से कम था । उस दुकानदार ने बोर्ड पर चाक से मूल्य लिख दिए थे । वर्षा हुई और उससे मूल्य सूचक बोर्ड धुल गया । किसी व्यक्ति के उकसाने पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया । यदि यही व्यवस्था कर दी गई तो ऐसे व्यक्ति की जमानत नहीं होगी और कम से कम सजा तीन महीने की है । कृपया गम्भीर अपराधों एवं छोटे अपराधों में अन्तर पर विचार करें । इसीलिए मैं कहता हूं कि इस विधेयक को उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : आपका अभिप्राय यह है कि अपराधों का वर्गीकरण किया जाये ।

श्री बापूसाहिब परूलेकर : जी हां।

फिर मन्त्री महोदय ने इस अपराध के लिए जमानत की व्यवस्था नहीं रखी। मेरा नम्र निवेदन है कि क्या इस अपराध को अजमानतीय बनाकर इस बुराई को रोका नहीं जा सकेगा। अजमानतीय अपराध ऐसा अपराध नहीं है जिसमें जमानत न दी जा सके, और जमानत को एक अधिकार के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। फिर भी मैजिस्ट्रेड जमानत पर रिहा कर सकता है।

कृषि और ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई और नागरिक पूर्ति मन्त्री (राव बीरेन्द्र सिंह): आप क्यों चिंता करते हैं।

श्री बापूसाहिब परुलेकर : एक व्यवस्था यह है कि किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा नहीं किया जायेगा जब तक कि वह 16 वर्ष से कम का अथवा महिला अथवा रोगी अथवा निर्बल न हो। ऐसी गम्भीर कार्यवाही केवल चोर-बाजारी जमाखोरी करने वालों के विरुद्ध की जानी है।

विशेष न्यायालयों के बारे में मेरा निवेदन है कि विशेष न्यायालय ऐसे अपराध करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए स्थापित किये जाते है तथा इस बारे में शक्तियां मैजिस्ट्रेट को प्रदत्त की जाती हैं। परन्तु यहां पर सह-अपराधी के लिए भिन्न व्यवस्था है सह-अपराधी वह व्यक्ति है जो गम्भीर अपराध करता है। उसके साथ सख्ती से बरताव जाना चाहिए। खण्ड 8 में उसे जमानत पर रिहा करने की व्यवस्था है। इसे रोका जाना चाहिए।

यदि हम सभी उपबन्धों पर विचार करें—जिन पर मैं अपने संशोधन पेश करते समय बोलूंगा—तो मुझे यह पूछते हुए खेद है कि इस विधेयक को उचित ढंग से तैयार नहीं किया गया है तथा इसकी क्रियान्विति उचित ढंग से नहीं की जा सकेगी और इसके उद्देश्य की प्राप्ति भी नहीं होगी।

इसे प्रवर समिति को सौंपा जाना अत्यन्त आवश्यक है ताकि उसके प्रत्येक खण्ड पर उसकी प्रत्येक व्यवस्था, विस्तृत रूप से चर्चा की जा सकें। बेशक मैं विधेयक के उद्देश्यों का समर्थन करता हूं, मैं इस विधेयक के प्रारूप का समर्थन नहीं करता जिसमें अनेक कमियां है।

***श्री वी. एस. विजय राघवन (पालघाट)** : श्रीमान, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं और मन्त्री महोदय को इस विधेयक के लाने के लिए बधाई देता हूं जिससे चोरबाजारी जमाखोरी एवं मुनाफाखोरी करने वाले व्यक्तियों से निपटा जा सकेगा।

---

* मलयालम में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

इस कानून को राज्य सरकारें क्रियान्वित करेंगी। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि राज्य इसे अनिवार्य रूप से क्रियान्वित करें तथा इसमें कोई छूट न हो। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आवश्यक वस्तुओं के व्यापारियों द्वारा की जाने वाली चोरबाजारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पिछली बार जब निवारक नजरबन्दी कानून अधिनियमित किया गया था तब केरल सरकार तथा पश्चिम बंगाल सरकार ने खुले आम यह कहा था कि वे चोरबाजारी करने वालों के विरुद्ध निवारक नजरबन्दी कानून का उपयोग नहीं करेंगे। इन राज्य सरकारों के इस रवैये से चोरबाजारी और मूल्य/वृद्धि को और बढ़ावा मिला। मूल्यों में वृद्धि के लिए उत्तरदायी तत्वों के विरुद्ध ये राज्य सरकारें तनिक भी उंगली तक न उठा सकी। इसलिए केन्द्रीय सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये जिससे कि संसद द्वारा पारित कानूनों को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित किया जा सके, भले ही राज्य सरकारें इस बारे में अपनी हिचकिचाहट दिखायें।

मेरे मित्र सी. पी. एम. के श्री वालनन्दन ने इस विधेयक का समर्थन किया। हम चाहते थे सजा 2 वर्ष के स्थान पर 5 वर्ष कर दी जाये। मुझे खुशी है कि उन्होंने विधेयक का समर्थन किया परन्तु मुझे सन्देह है कि क्या वास्तव में वह सजा बढ़वाना चाहते हैं। कारण यह है कि उनकी पार्टी ने, जोकि दो राज्यों में सरकारें चला रही है, निवारक नजरबन्दी कानून को क्रियान्वित करने से इनकार कर दिया था। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी पार्टी द्वारा शासित राज्यों में इस कानून को क्रियान्वित किया जायेगा।

देश भयानक मुद्रा स्फीति की स्थिति का सामना कर रहा है। यह बताया जाता है कि मुद्रा स्फीति की दर 18% बढ़ गई है। इससे मूल्य बढ़ गए हैं और सरकार को इससे निपटने के लिए बहुत कड़े उपाय अपनाने होंगे। मैं उन अधिकारियों के विषय में कुछ बात कहना चाहता हूं जिन्हें इन कानूनों के क्रियान्वयन का कार्य सौंपा गया है। सरकार को देखना चाहिए कि अधिकारी वर्ग विधेयक के उपबन्धों का दुरुपयोग न करे। सरकार को यह भी देखना चाहिए कि कानून के क्रियान्वयन में ईमानदार नागरिकों को परेशान न किया जाए।

इस विधेयक का पुनः समर्थन करते हुए, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : सभापति महोदय, मैं श्री परुलेकर की बात सुनकर, जो विशेष न्यायालयों का उल्लेख कर रहे थे आश्चर्य चकित हूं। वह शायद यह भूल गए कि जनता पार्टी के शासन के दौरान राजनीतिज्ञों, विरोधियों तथा भले नागरिकों के विरुद्ध अनेक विशेष न्यायालय बनाए गए थे। हम विशेष न्यायालयों का निर्माण केवल कालाबाजारियों और जमाखोरों जैसे समाज विरोधी तत्वों के विरुद्ध संक्षेपतः विचारण के लिए कर रहे हैं। अतः उन्हें इस पर कोई आपत्ति नही होनी चाहिए। वे अपने विचार से बिल्कुल ठीक हैं। जहां तक विधेयक के उद्देश्यों का संबंध है, वह हमारे साथ हैं। परन्तु वह कहते हैं कि यदि कोई विक्रेता किसी गांव में कोई अपराध करता है, तो उसे न्यायालय में जाने के लिए काफी पैसा

खर्च करना पड़ेगा, जो उसके लिए कठिन होगा। जहां तक समाज-विरोधी तत्वों का संबंध है, वे चाहे गांवों में हों या शहरों में हों, चाहे जैसी भी स्थिति हो, उन्हें अवश्य दंडित किया जाना चाहिए।

यह विधेयक जमाखोरी समाप्त करने तथा कालाबाजारी को रोकने के लिए लाया जा रहा हैं। यह सच है कि हम 1976 में एक संशोधन विधेयक लाए थे, परन्तु उसके उपबन्ध समाज विरोधी तत्वों को दंडित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। हमें कमियों को समाप्त करना है और इसीलिए यह विधेयक लाया जा रहा है?

इस समय न्यायालयों में 50,000 से अधिक मामले विचाराधीन हैं और दीवानी न्यायालयों की धीमी गति वाली क्रियाविधि हमारे रास्ते में सदा ही बाधा बनती है और हम इच्छा होते हुए भी दोषी व्यक्तियों को दंड नहीं दे पाते हैं।

अतः इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इसे अधिक कठोर बनाने के लिए यह विधेयक लाने का विचार बनाया और इस विधेयक के उपबन्धों को लागू करके हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे।

महोदय, पहला संशोधन संक्षेपतः विचारण सम्बन्धी हैं। सामान्यतयाः न्यायालयों में इन मुकदमों के चलाने तथा दोषी व्यक्तियों को दंड देने में काफी समय लग जाता है। अतः मुकदमों के शीघ्र निपटाने के लिए इस विशेष न्यायालय में हम संक्षिप्त विचारण की व्यवस्था कर रहे हैं।

दूसरे, हमने इसे अनिवार्य बना दिया है कि यदि कोई किसी प्रकार का अपराध करता है तो उसे कम से कम तीन महीने का दंड अवश्य दिया जाएगा। पहले यह व्यवस्था नहीं थी और इस उपबन्ध को लाने के बाद समाज विरोधी तत्वों की इस प्रकार की गतिविधियों को काफी हद तक रोका जा सकेगा।

तीसरे, हमने इस अपराध को गैर-जमानती बना दिया है। पहले अपराधी जमानत करा कर हमारे हाथों से निकल जाते थे और फिर मुकदमा चलता था और मुकदमें में काफी अधिक समय लगता था। चूंकि अब उनकी जमानत नहीं होगी, यह उन लोगों, कालाबाजारियों तथा जमाखोरों, के लिए पर्याप्त निवारक सिद्ध होगा।

एक और बात जोड़ी गई है कि वस्तुओं को जब्त करके बेच दिया जायेगा। इससे पूर्व अपराधी न्यायालय में अर्जी देते थे कि वस्तुएं अनाशवान है, वे सड़ जाएंगी। अतः सामान्यतयाः पर्याप्त जमानत देने पर न्यायालय जब्त वस्तुएं वापस देने की अनुमति दे देते थे। परन्तु अब यह सम्भव नहीं होगा और वस्तुएं बेच दी जाएंगी तथा धनराशि न्यायालय में जमा करवा दी जायेगी।

ये मुख्य उपबन्ध है जो इसमें लाए जा रहे हैं और हमें आशा है कि जमाखोरी और कालाबाजारी के सम्बन्ध में ये उपबन्ध हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में समर्थ होंगे।

परन्तु महोदय, मैं और आगे की सोचता हूं और मैं महसूस करता हूं कि केवल कानून द्वारा ही हम इन बातों को नहीं रोक सकते हैं। हमने पहले भी कानून बनाए थे, हमने पहले भी संशोधन किये थे और हम अब भी संशोधन ला रहे हैं। परन्तु इसके साथ ही हमें अपनी नीतियों को भी देखना होगा। कुछ समय पूर्व हमने अपनी वसूली नीतियां भण्डार नीतियाँ और जहां तक खाद्यान्नों और आवश्यक वस्तुओं का सम्बन्ध है, अनेक वितरण की नीतियां लागू की थीं। अतः यदि हम अपनी नीतियों और उनके क्रियान्वयन को देखेंगे तो हम यह पायेंगे कि उनसे अनेक त्रुटियां हैं। उदाहरण के लिए पिछले मौसम में गेहूं की वसूली को ही लीजिए हम देखते हैं कि हमारी प्रणाली में कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां जमाखोर तथा कालाबाजारिए हमेशा ही कोई न कोई रास्ता निकाल लेते हैं और अपना काम करना आरम्भ कर देते हैं। बाजार में आने वाले प्रत्येक अनाज के दाने की हमें वसूली करनी चाहिए। पिछले वर्ष यह हुआ कि सरकार द्वारा वसूली का कार्य आरम्भ किये जाने से पूर्व ही बम्बई तथा अन्य क्षेत्रों के लोगों ने पंजाब और हरियाणा से गेहूं की खरीद शुरू कर दी थी और उसका परिणाम यह हुआ कि पंजाब व हरियाणा में हमारी बदनामी हुई कि हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। अतः यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि वसूली प्रणाली इस ढंग से लागू की जानी चाहिए कि बाजार में आये प्रत्येक अनाज के दाने की हम वसूली कर लें। इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह नीति विषयक मामला है, चाहे गेहूं का व्यापार राज्य द्वारा चलाया जाये या आपके पास एकाधिकार वसूली प्रणाली हो या कोई भी प्रणाली हो और यह अनिवार्य है कि हमारे भारत जैसे किसी देश में आपको 68 करोड़ लोगों को भोजन देना है। आप यह कार्य इस ढंग से कैसे कर सकते है, जैसे अब कर रहे हैं? जमाखोर और कालाबाजारिए सदा ही कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेते हैं और हमारे लिए समस्या पैदा कर देते हैं।

प्रो० एन. जी. रंगा (गुंटूर) : भारतीय खाद्य निगम को और अधिक कार्यक्षम बनाइये।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : चाहे जो भी किया जाये यह उनका काम है। मैं तो केवल इसका सुझाव दे रहा हूं आपको विदेशों से 15 लाख टन गेहूं आयात करना पड़ता है। पिछले वर्ष मैंने आपको तथा प्रधान मन्त्री को लिखा था कि अमरीका में गेंहूं सड़ रहा है उस समय रूसी खरीद पर रोक थी और चीन बाजार में गेहूं नहीं लाया था। जब मैं अमरीका से वापस आया तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर गेहूं बाहर पड़ा हुआ है और बहुत सस्ता है वहां पर हमारे योग्य खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत कम हैं। मैंने आपको सुझाव दिया था कि यदि आपको खरीदना ही है तो खरीदने का सही समय यही है। आपने इस वर्ष खरीदा है जब कोई रोक नहीं है और चीन भी खरीदने पहुंच गया है। यदि आपने उस समय खरीदा होता तो वह सस्ता रहता और आपके खाद्यान्न भंडार भर जाते। वसूली इतनी कम नहीं होती जैसी कि

अब हुई है। हमें इस स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। जमाखोरों ने स्थिति का फायदा नहीं उठाया होता और कालाबाजारियों ने इसका जरा भी फायदा नहीं उठाया होता।

यह आपका दायित्व है। यह अच्छा है कि आपने अब आयात किया है तथा आपने अपने भंडार को बढ़ाया है। परन्तु मुझे खेद है कि श्री वाजपेयी जैसे व्यक्ति ने इस पर आपत्ति की है। हमारे कुछ और मित्र भी आपत्ति उठा रहे हैं। श्री वाजपेयी ने बम्बई में कहा था, 'हम श्रमिकों को माल उतारने के लिए मना करेंगे। हम व्यापारियों को इसे बेचने के लिए मना करेंगे और हम लोगों को इसे खरीदने के लिए मना करेंगे।" खाद्यान्न भंडार को बढ़ाने के लिए उनकी खरीद पर श्री वाजपेयी ने आपत्ति की। क्या आपका यही रवैया है ? मुझे प्रसन्नता है कि मन्त्री महोदय ने इस वर्ष आयात किया और अपने गेहूं के भंडार में वृद्धि की तथा अब हमारी उचित दर दुकानों पर गेहूं देना हमारे लिए सम्भव होगा।

इसी तरह भंडार के सम्बन्ध में मैं यह कहूंगा कि हमें अपनी भंडारण क्षमता को बढ़ाना चाहिए क्योंकि पिछले वर्ष और इससे पिछले वर्ष भी मैंने देखा कि पंजाब और हरियाणा क्षेत्रों में काफी मात्रा में धान नष्ट हो गया था। मैंने अनेक प्रश्न किए थे। आज भी इस बारे में मेरा प्रश्न था और आपने यह स्वीकार किया कि भंडार में कुछ कमी हुई है तथा कुछ नुकसान हुआ।

भारत आकार तथा जनसंख्या की दृष्टि से बहुत बड़ा है। हमें पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न रखना चाहिए और गोदामों की व्यवस्था करनी चाहिए। जिससे कि उचित दर की दुकानों की खाद्यान्नों की समय पर सप्लाई सुनिश्चित कर सकें। इस देश में सूखा आदि भी पड़ता है। सम्पूर्ण स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें इस संबंध में भी सुधार करना चाहिए।

अब मैं बितरण की बात लेता हूं। मुझे असंतोष के साथ कहना पड़ता है कि हमारी वितरण प्रणाली दोष युक्त है गरीब लोगों को उचित दर की दुकानों पर आवश्यक वस्तुएं नहीं मिलती हैं। गरीब आदमी जाता है और पाता है कि दुकान बन्द हैं। दोबारा वह जाता है तो पाता है कि दुकान फिर बन्द है। तीसरी बार जब वह दुकान खुली पाता है तो राशन व्यापारी कहता है कि सारा सामान बिक गया है। हमें कुछ ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। मुझे पता है यह आपका काम नहीं है परन्तु केन्द्र और राज्यों के बीच कोई उचित सम्पर्क होना चाहिए जब हम लोगों के लिए खाद्यान्न की वसूली कर रहे हैं तो हमने वितरण प्रणाली राज्यों को क्यों दी ? हम यह काम सीधे ही क्यों नहीं करते ? हमें स्थिति को सुधारना चाहिए। लोगों को आवश्यक वस्तुएं अवश्य मिलनी चाहिए। आप उन्हें ये वस्तुएं भारत तथा विदेशों से उपलब्ध करवा रहे हैं। यदि यह गरीब लोगों तक नहीं पहुंचती तो इसका अर्थ हुआ कि नहीं कुछ गड़बड़ है। हमें इसे देखना होगा।

मैं यह कहूगा कि इन परिवर्तनो तथा उपबन्धों के अतिरिक्त, जो हम ला रहे हैं, यह अधिक अनिवार्य है कि हम अपनी नीतियों को देखें और यह देखें कि हम इन्हें इस प्रकार क्रियान्वित करें कि लोग संतुष्ट हो जाएं। इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय, श्री राव साहब को अपनी ओर से और अपने दल की ओर से विश्वास दिलाना चाहता हूं और सहयोग प्रस्तुत करता हूं कि काला-बाजार और जखीरेबाज, इनको दण्डित करने के लिए आप के पास जो भी अधिकार हैं और जो आपको चाहिए, वे हम आप को देने के लिए तैयार हैं। हमारी यह मान्यता है कि जो देश के अन्दर काला-बाजारी करते हैं और देश के हित को ध्यान में न रखते हुए जखीरेबाजी करते हैं, वे देशद्रोही हैं और उनको जितनी अधिक से अधिक सजा दी जाए, उतनी कम है तथा उनको किस प्रकार से दण्डित किया जा सकता है, यह हमको देखना है। लेकिन सभापति जी, श्री राव साहब दो विधेयक लेकर सदन में आए हैं और सदन को विश्वास दिलाना चाह रहे हैं कि अगर यह दो रामबाण आपने हमको दे दिए और ये दो विधेयक पास करके आपने दे दिए, तो जितनी देश के अन्दर काला-बाजारी और जखीरेबाजी हो रही है, वह समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और आप बिल्कुल निश्चिन्त रहिए।

मैं आपके माध्यम से राव साहब से कहना चाहूंगा कि आप के पास आज जो भी अधिकार हैं और जो दो विधेयक लेकर आप सदन में उपस्थित हुए हैं, इन दोनों विधेयकों में ऐसी कौन सी खास बात है, जिसके कारण आप यह समझते हैं कि जो काम आप अभी तक नहीं कर पाए हैं, वे कर लेंगे। सभापति जी, अभी तक सरकार के पास नेशनल-सिक्योरिटी-एक्ट, एसेन्शियल-कामोडिटीज-एक्ट और प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्केटिंग-एक्ट ये सारे कानून आपके पास हैं और जिसके तहत आपको सजा देने के अधिकार हैं। लोगों को बिना कारण बताए, उन पर मुकदमों करने और पकड़ने का अधिकार हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी तक इन तीनों कानून के होते हुए आपने कितने लोगों को पकड़ लिया, कितनों को सजा दी और आप कितने कामयाब हुए ? लगता ऐसा है, जैसा कि राजस्थान से आने वाले कांग्रेस के ही संसद सदस्य, श्री वृद्धिचन्द्र जैन जी, ने कहा था कि अगर हम वास्तव में कुछ करना चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐसे लोगों से हमें मुक्ति मिले तो उसके लिए राजनीतिक इच्छा की आवश्यकता है। उसके लिए संकल्प चाहिए, क्या वह संकल्प आज हमें दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि सरकार कानन बनाना चाहती है, कानून बनाने का नारा, समाजवाद का नारा देना चाहती है, लेकिन वास्तव में कुछ करना नहीं चाहती है। चूंकि यह राव साहब के डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, इसलिए मैं सदन के सामने इसकी गम्भीरता को रखना चाहता हूं। जिस समय पैट्रोलियम प्रोडक्ट के भाव बढ़ाए गए, तो इसकी सूचना सारे देश में थी कि इसके भाव बढ़ेंगे और उसके दाम बढ़े।

अब मैं आपका ध्यान एसेंशियल कामोडिटीज आफ फर्टिलाइजर की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यूरिया, जो कि नाइट्रोजन खाद है, उसके भाव में 350 रु० टन की वृद्धि की गई। मैं सरकार से जानकारी चाहूंगा कि जब 350 रु० टन यूरिया की खाद पर वृद्धि की गई, तो देश के अन्दर लगभग 15-20 कारखाने नाइट्रोजन खाद पैदा करते हैं और उनके पास जो स्टाक था, क्या सरकार ने उस स्टाक को अपने कब्जे में लिया ? जिस रा·मैटिरियल से नैपथा से यूरिया पैदा हुआ था, उस पर भी उतना ही पैसा लगा था, लेकिन इसके दाम नहीं बढ़ाए और 350 रु० टन की यूरिया में वृद्धि की। सरकार ने जिन लोगों के पास इसका अम्बार भरा

पड़ा था, उसको जब्त करने की कोशिश नहीं की। इसके साथ साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि केवल तैयारशुदा माल ही, ये सब कारखानों के जो मालिक हैं, नैपथा जो कि इसका मैटिरियल है, जिसके आधार पर यूरिया तैयार होता है उसका प्राइस बढ़ाने के कारण यूरिया की प्राइस बढ़ाई गई। उस नैपथा का स्टाक उनके पास मनमाने ढंग से पड़ा हुआ था।

मैं माँग करता हूं कि वह जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, इस सरकार के आपस के सांठगांठ के कारण, कारखानों के मालिकों के यूरिया को जब्त न करने के कारण, नेप्था की कीमतों का असैसमैंट न करने के कारण, केवल एक दिन में 100 करोड़ रुपये का नाजायज फायदा यूरिया के कारखानों के मालिकों ने उठाया है।

मैं अभी डीलर्स की बात नहीं कर रहा हूं, उनका चैकिंग भी होना चाहिये था। जिस कीमत पर माल तैयार किया गया था, उसकी इन्क्रीज का फायदा सरकार ने उनको कैसे उठाने दिया और वह भी करोड़ों रुपयों का फायदा ? मैंने एक उदाहरण दिया है—क्या इसके बाद भी सरकार मंशा रखती है कि उन करोड़पतियों, पूंजीपतियों, कारखाना मालिकों पर अंकुश लगाना चाहती है, उन पर इस कानून को लागू करेगी ? मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता है।

एक उदाहरण पहले भी दिया जा चुका है और इस मौके पर भी मैं उस को दोहराना चाहता हूं।

सभापति महोदय : जो दिया गया है उसको दोबारा क्यों ले रहे हैं कोई नई बात कहिये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मुझे सम-अप करने दीजिए। शक्कर और गेहूं के लिए आपने प्रचार किया है और यह सत्य भी है कि इस साल जो उत्पादन हुआ है, वह रिकार्ड उत्पादन है लेकिन चूंकि कालाबाजारी करने वाले लोग, जखीरेबाज लोग, उसको दबाकर बैठे हैं, बाजार में लाना नहीं चाहते हैं इसलिए सरकार मजबूर होकर गेहूं और शक्कर का इम्पोर्ट कर रही है। राव साहब, क्या यह सरकार की कमजोरी नहीं है, इस अधिकार को लेकर आप क्या करेंगे ? जब आप खुद कहते हैं कि शक्कर की कमी नहीं है, गेहूं की कमी नहीं है, लेकिन जखीरेबाज दबा कर बैठे हैं, भाव बढ़ रहे हैं, इसलिए सरकार मजबूर होकर बाहर से मंगा रही है। मेरा यह निवेदन है कि जब तक पोलिटीकल-विल नहीं होगी, जब तक जिस चीज को करने की हमारी इच्छा है, संकल्प है, उसका रिश्ता वोट और वोट के पैसे से जोड़ कर रखेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे। चाहे किसान हों, व्यापारी हों, मजदूर हों, विद्यार्थी हों जब तक अपने फैसलों को वोट और राजनीतिक से जोड़े रहेंगे, देश में कुछ नहीं कर सकते। आप अधिकार मांग रहे हैं, लेकिन जब इच्छा नहीं है तो मांगने से क्या होगा ? जैसा अभी भाटिया जी ने कहा देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को स्टेन्थन करेंगे तो कालाबाजारी और जखीरेबाज अपने आप खत्म हो जायेंगे। मै अपने को और इस सरकार को, दोनों को दोष देना चाहता हूं -हाफ- हार्टेड-वे में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं चल सकता।

सम जन-वितरण प्रणाली देश में ला रहे हैं, हम ने भी इसको लाने का प्रयत्न किया और आप ने भी किया, लेकिन इसको ईमानदारी के साथ मजबूत करने की कोशिश नहीं की गई, यदि इसको ईमानदारी से मजबूत करने की कोशिश की जायेगी तो इस देश में अवश्य इस समस्या का निदान हो जायगा ।

जहाँ तक मंहगाई की बात है—8 अगस्त, 1981 को मंहगाई का होलसेल प्राइस इण्डैक्स 287.2 पर पहुंच गया-आप बतलाइये इस सरकार की क्या उपलब्धि है? जिस समय यह सरकार सत्ता में आई थी-यानी 19 महीने पहले, उस समय इण्डेक्स 226.6 था, लेकिन 19 महीनों में 226.6 से बढ़ कर 287.2 पर पहुंच गया, यह इस सरकार की उपलब्धि है, यानी एक सप्ताह में 1 प्वाइन्ट वृद्धि होती गई और मैं समझता हूं —यह रिकार्ड वृद्धि है । इसके लिए आप भले ही इस सरकार को बधाई दीजिये, लेकिन कहां तक अपने मुखौटे को छुपा सकेंगे । दोनों कानून आपने पास कर दिये तो हम कुछ कर सकेंगे — मैं कहता हूं आप कुछ नहीं कर सकेंगे, चाहे आप कितने कानून पास कर लीजिए । हम आप को अधिकार देने के लिए तैयार हैं लेकिन कुछ कर के दिखलाइये ।

हमने कहा है कि इस को सिलैक्ट कमेटी को भेज दीजिये, लेकिन सरकार इसको फौरन पास कराना चाहती है । यदि सरकार इन दोनों कानूनों के लिए इतनी गम्भीर थी तो इनके लिए आर्डिनेन्स ला सकती थी — आप आर्डिनेन्स क्यों नहीं लाये ·· ।

राव बीरेन्द्र सिंह : आप की सलाह से करना चाहते हैं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : आर्डिनेन्स लेकर क्यों नहीं आये ।

सभापति महोदय : आप कितनी देर और लगायेंगे ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं जल्दी ही सम-अप करूंगा, बहुत कुछ बातें पारुलेकर जी ने कवर कर ली है ।

सभापति महोदय : 3-4 मिनट में खत्म कर लें ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : पिछले बजट सत्र में आपने इस बिल को इन्ट्रोड्यूस किया था । मैं जानना चाहता हूं कि उस समय इसको प्रायोरिटी क्यों नहीं दी गई । आप इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, प्राथमिकता देना चाहते हैं, जल्दी पास कराना चाहते हैं तो जब बजट सेशन में इन दोनों बिलों को रखा गया था, उसी वक्त पास करा लेते, लेकिन आप उस समय धीरे-धीरे आगे सरकाते चले गये ।

राव बीरेन्द्र सिंह : व्यापारियों की बात सुनना चाहते थे, उन्होंने टाइम मांगा था, इसलिए उनको पूरा मौका दिया ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : व्यापारियों से बातचीत चल रही थी ।

राव बीरेन्द्रसिंह : उनको पूरा मौका दिया और आप को भी । पब्लिक ओपीनियन हम जानना चाहते थे ।

सभापति महोदय : लेकिन व्यापारियों ने आप की अपील को एकदम अनसुना कर दिया ।

राव बीरेन्द्र सिंह : बिल्कुल ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : एक दूसरी बात कहना चाहता हूं । आप का स्वयं का सम्बन्ध वनस्पति तेल से है । इससे आप का सीधा सम्बन्ध है । क्या आप हमको बतायेंगे कि जिस फार्मूले को आधार बनाकर तेल आयातित किया जाता है, किस परसेन्टेज में वह तेल आप उनको देते हैं और उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए । टैरिफ कमीशन के फार्मूले के अनुसार देते हैं या कोई दूसरा फार्मूला आपके पास आ गया है, जिसके आधार पर आप प्राइस निश्चित करते हैं । समाचार-पत्रों में हमने पढ़ा है कि सरकार ने 190 पर टिन प्राइस फिक्स की है ।

राव बीरेन्द्र सिंह : 192 रुपये प्रति टिन ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : 192 रुपये प्रति टिन एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स । यह आपने बालंटरी प्राइस निश्चित की है । मैं जानना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के कौन से हिस्से में आज इस कीमत पर वनस्पति तेल मिल रहा है, हिन्दुस्तान के और कोनों को आप छोड़िये, दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहां भी आज खुला वनस्पति नहीं मिल रहा है ।

सभापति महोदय : अब आप खत्म कीजिए ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मेरी मान्यता है कि किसी चीज को एचीव करने के लिए संकल्प करना चाहिए । जब तक संकल्प नहीं होगा, चाहे आप जितने कानून बना लें, उन से देश का भला होने वाला नहीं है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि आप ने इस में कहा है कि यह एक टैम्पोरेरी मेजर है । ये बिल जो आप ला रहे हैं, एसेंसियल कौमोडिटीज में जो आपने स्पेशल प्रोविजन किये हैं, इनको आपने टैम्पोरेरी क्यों रखा है । क्हाई ? यह अहसान आप किस पर कर रहे हैं । क्या आप यह अहसान व्यापारियों पर कर रहे हैं । अगर आप यह मानते हैं कि ऐसा प्रावधान होना आवश्यक है, तो फिर टैम्पोरेरी क्यों रखा है । क्या आप समझते हैं कि पांच साल के अन्दर ब्लैक मार्केटिंग या होर्डिंग जैसी चीजें समाप्त हो जायेंगी । क्या आप समझते हैं कि व्यापारियों की कालाबाजारी या होर्डिंग की प्रवृत्ति को आप खत्म कर देंगे, इस समय के अन्दर ।

राव बीरेन्द्र सिंह : हम उम्मीद कर रहे हैं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : यह अपने आप में सरकार की कमजोरी है ।

सभापति महोदय : यह आशा के विरुद्ध आशा करना है ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : जैसा परुलेकर साहब ने कहा है कि जो कनफिस्केशन का प्रावधान आपने किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन जो आक्शन की जो बात कही गई है, उसके मैं खिलाफ हूं । आपने अपने इस कानून में अब यह प्रावधान किया है कि माल को कनफिस्केट किया जाए और अभी तक जो यह प्रावधान था कि उसको आक्शन के द्वारा बेचा जाए, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूं । अपाने जो यह कहा है कि एक प्राइस फिक्स करने के बाद इसको बेच दिया जाए, यह सही है क्योंकि पहले आपस में व्यापारी मिल जाते थे और जो माल सीज किया होता था, उसको ले लेते थे । इस प्रावधान का मैं स्वागत करता हूं लेकिन आपने जो यह प्रावधान किया है कि स्टेट आथेरिटीज को ही स्पेलेट आथेरिटी बनाया जाए, उसका मैं विरोध करता हूं और मेरी समझ में यह बात ठीक नहीं होगी । मेरी मान्यता तो यह है कि इन दोनों बिलों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि इस सरकार का न्यायपालिका में, न्याय की पद्धति मे कोई विश्वास नहीं रहा है । मैं यह समझता हूं कि इन दोनों बिलों में जो ये प्रावधान लाये गये हैं, वे न्यायपालिका का अपमान है । मेरा कहना यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के बजाय किसी जुडिशियल आथेरिटी को अपेलेट आथेरिटी रखिए और कनफिस्केशन का जो प्रावधान किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं ।

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति । अब आप समाप्त कीजिए पांच मिनट में । आपने पहले ही पंद्रह मिनट ले लिए हैं । आठ मिनट दिए गये थे ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : मैं हिसाब लगा रहा हूं ।

मैं बिल पर ही आ रहा हूं (**व्यवधान**) ·· ।

सभापति महोदय : मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूं ।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : बेलिएबल को जो नान-बेलिएबल बनाया है और तीन महीने की सजा रखी है, उसका मैं स्वागत करता हूं लेकिन इसमें मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम ने चोर और डकैत को और छेड़छाड़ करने वाले को, इन तीनों को एक ही केटेगिरी में रख दिया, तो मेरे ख्याल से यह न्याय नहीं होगा यानी '**डिस्प्ले आफ प्राइस लिस्ट**' एक अपराध है और जिसने ब्लैक किया है, होर्डिंग की है या माल दबाए बैठा हो, वह एक अपराध है अगर इन दोनों को एक ही केटेगिरी में रखेंगे, तो यह न्यायोचित नहीं होगा । इस इशू पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिए और सलैक्ट कमैटी को इस बिल को रैफर करना चाहिए ।

अंत में समरी ट्रायल के लिए जो इस में कहा यया है, उसके बारे में भाटिया साहब ने भी काफी कह दिया है और अगर मैं उसके बारे में सब कुछ बताने लगा, तो उसमें बहुत

समय लगेगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस में कोई नई बात नहीं है अगर मैं पुराने एक्ट को पढ़ दूं :

उसमें समरी ट्रायल है । कम से कम आपकी जो खाने-पीने की चीजें है, इनके जितने भी केसिज हैं, उनमें समरी ट्रायल होता है । यह समरी ट्राइल कोई नया प्रावधान नहीं है, यह तो वही का वही प्रोविजन हैं ।

स्पेशल कोर्ट का जो प्रोविजन आप लेकर आये हैं, स्पेशल कोर्ट आप जितनी बना सकते हैं उतनी बनाइये । लेकिन उन स्पेशल कोर्टस को समरी ट्रायल मत कहिये । इन स्पेशल कोर्टस में अशेंशल कमोडिटीज एक्ट या दूसरे जो एक्ट हैं उनके अन्तर्गत इकोनोमिक औफेंसिज के केसिज का ही ट्रायल होगा और यह ट्राइल डे टू डे बेसिस पर चलेगा । इसमें आपने मेक्सिमम पनिशमेंट दो साल का रखा है । सभापति जी आप जानते हैं कि समरी ट्रायल में एक जज या मेजिस्ट्रेट जो बयान लिखता है वह उसका सबस्टेंश लिखता है और जो जजमेंट देता है उसका भी सबस्टेंश देता है । आपने मुलजिम को दो साल की मेक्सिमम सजा का प्रावधान किया है लेकिन समर ट्रायल में जज किसी भी ब्लेज मार्किटियर्स या होर्डर्स को मेक्सिमम दो या तीन महीने की सजा देकर छोड़ देगा । मेरा सुझाव यह है कि आप इस में स्पेशल कोर्ट जरूर रखिये । आप अधिक से अधिक स्पेशल कोर्ट बनाइये । समरी ट्रायल से आपका परपज सर्व होने वाला नहीं है ।

इसमें स्पेशल जज की नियुक्ति के बारे में आपने लिखा है कि जो लायक हो सकते हैं उनको बनाया जायेगा । मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है । अगर जो लोग अनएम्प्लाएड हैं उनको नौकरी देने की बात आपने सोची है, बार के अन्दर बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जिनकी वकालत नहीं चलती है, अगर उनको स्पेशल कोर्ट का या हाईकोर्ट का जज बनाना है तब तो बात दूसरी है वरना यह जो क्लाज आपने रखी है कि जो व्यक्ति हाई कोर्ट का जज बनने लायक होगा, ठीक नहीं है ।

इस सेकिंड बिल प्रिवेंशन आफ ब्लैक मार्किटिंग एण्ड मेन्टीनेंस आफ सप्लाईज आफ अशेंशल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल में जहां जहां भी जुडीशियल अथारिटी आया है उसकी जगह पर आपने गवर्नमेंट रखा है । जैसा कि मैंने पहले कहा कि यह उचित नहीं है । जहां पर कि जुडिशियल अथारिटी की जरूरत है वहां पर आप उसकी कन्सेन्ट से ही इस काम को करिये । आपने जो इस प्रकार का प्रावधान किया है वह काफी नहीं है । आप ऐसा प्रोविजन क्यों चाहते हैं ? जहां आपको जज की राय लेनी चाहिए, वहाँ उसकी राय ली जानी चाहिए । अपोइंटमेंट के लिए जज से नहीं पूछा जाए और स्वयं गवर्नमेंट अपोइंटमेंट कर दे तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है । (**व्यवधान**) आप को इस व्यवस्था को वापस लेना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ मैं यह कहता हूं कि जब तक यह संकल्प नहीं होगा कि हमें किसी काम को करना है उसमें चाहे किसी का वोट जाता हो या किसी का वोट रहता हो तब तक मैं समझता हूं कुछ नहीं होगा ।

श्री के. टी. कोसलराम (तिरुकोड्डूर) : सभापति महोदय, मैं आवश्यक वस्तु (विशेष उपबन्ध) विधेयक, 198। तथा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय (संशोधन) विधेयक, 1981 जिसे मेरे मित्र ने प्रस्तुत किया है, का स्वागत करता हूं।

मेरे माननीय मित्र, श्री परुलेकर ने कड़े दण्ड देने, जमानत न दिये जा सकने की धारा का विरोध किया था। मैं मांग करता हूं कि आवश्यक वस्तुओं की मुनाफाखोरी तथा चोर बाजारी करने वाले को फांसी लगाकर मृत्यु दण्ड देने की व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि ये लोग समाज तथा राष्ट्र दोनों ही के विरुद्ध घोर अपराध करते है ; परन्तु सम्भवतः सरकार इस सीमा तक जा पाने में कठिनाई अनुभव करें।

हमारे पास आवश्यक वस्तुयें प्रर्याप्त मात्रा में हैं परन्तु हमारे पास कारगर वितरण व्यवस्था का अभाव है। वर्ष 1976 में हमारी सरकार ने 14 आवश्यक वस्तुओं के सार्वजनिक वितरण सम्बन्धी प्रणाली को तैयार कर उसे क्रियान्वित किया था। सभी आवश्यक वस्तुओं पर उनके मूल्यों के टैग लगाना आवश्यक था। इससे लोगों को यह मालूम हो जाता था कि विभिन्न भागों में आवश्यक वस्तुओं के क्या मूल्य चल रहे है। अब सार्वजनिक वितरण की योजना को पुनः आरम्भ किया गया है। इसे अधिनियम का रूप दिया जा रहा है। परन्तु प्रश्न यह है कि इसे क्रियान्वित किस प्रकार किया जाए। यदि राज्य सरकार इसे क्रियान्वित नहीं कर रही है, तो आपको इसके बारे में काफी सर्तक रहना होगा। इस विधेयक में यह मुख्य बात है।

जब तक आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रित नहीं किया जाता तब तक कोई भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुचारु ढंग से कार्य नहीं कर सकती। आजकल स्थिति यह है कि उचित दर की सभी दुकानों पर भी आवश्यक वस्तुओं को मूल्यों में समानता नहीं है। उचित दर की दुकानों द्वारा जो मूल्य लिया जाता है उसकी भी कोई जांच नहीं की जाती है अतः इससे भष्टाचार को बढ़ावा मिलना स्वाभाविक ही है। इसलिए इस दिशा में पहला कदम सरकार द्वारा यही उठाया जाना चाहिए कि आवश्यक वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किये जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो तो इसे लागू करने के लिए साविधिक प्रावधान की सहायता भी ली जानी चाहिए। ऐसा करने पर ही हम इस देश के गरीब लोगों की सहायता कर सकेंगे। योजना आयोग ने इस बात को स्वीकार किया है कि हमारी जनसंख्या का 40 प्रतिशत भाग गरीबी की रेखा के नीचे रहता है। सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस प्रकार के लोगों की प्रतिदिन की आमदनी केवल .75 पैसे प्रतिदिन है। हम उनके जीवनयापन के लिए आवश्यक वस्तुओं को खरीदने की कैसे आशा कर सकते है जबकि उनमें हर घंटे के बाद परिवर्तन होता रहता है। आवश्यक वस्तुओं के मूल्य में होने वाली वृद्धि ही सभी प्रकार के भ्रष्टाचार की जड़ है।

यह मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह रहा हूं। मैंने यह मामला तमिलनाडु नागरिक पूर्ति निगम के साथ उठाया हुआ है कि नागरिक पूर्ति निगम के जिन निकायों को मिट्टी का तेल तथा चीनी सप्लाई की जाती है, वे मिट्टी के तेल के ड्रम तथा चीनी की बोरियां काले बाजार में बेच देते है। निगम को भी यह पता चला

है कि कुछ परचून दुकानदारों द्वारा भी यह कार्य किया जा रहा है । अनेक बार यह मांग किये जाने के बाद भी कि इन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए, तमिलनाडु सरकार द्वारा उन पर मुकदमा चलाने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है । मुकदमा चलाने के लिए निगम के पास न तो शक्ति ही है और न ही कर्मचारी ही है । मैं सुझाव देना चाहता हूं कि पंचायत आयुक्तों, तहसीलदारों और ऐसे पुलिस कर्मचारियों, जिनका दर्जा उप-निरीक्षक से बड़ा हो, को इस प्रकार के अपराधियों को पकड़े जाने पर उन पर मुकदमा चलाने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिए । मैं तो यहां तक मांग करता हूं कि इन समाज विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी तत्वों से निपटने के लिए मृत्यु दण्ड दिये जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए वही वास्तविक भय साबित हो सकता है ।

श्रीमानजी, मैं बढ़ती हुई कीमतों का जिकर कर रहा था जिनसे कि चोरबाजारी को बढ़ावा मिलता है । इसी प्रकार जहां तक सीमेंट का सम्बन्ध है, उसके उत्पादक भी इस अपराध से ऊपर नहीं हैं । उनकी स्टाकिस्टों के साथ मिली-भगत है और यहां तक की फैक्टरी के स्तर पर ही सीमेंन्ट काले बाजार में बेच दिया जाता है । क्षेत्रीय सीमेंट नियंत्रक को निश्चय ही यह शक्ति प्रदान की जानी चाहिए कि वह सीमेंट के उत्पादन पर नियंत्रण कर सके । तहसीलदारों, पंचायत आयुक्तों तथा उद्योग विभाग के कर्मचारियों को सीमेंट के परमिट जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है । मैं काफी समय से यह सुझाव देता आ रहा हूं कि ऐसा नियंत्रण रखा जाना चाहिए जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके सीमेंट का परमिट जिस कार्य विशेष के लिए प्राप्त किया गया था, उसका सीमेंट का उपयोग भी उसी कार्य के लिए किया गया है । इस प्रकार के नियंत्रण के अभाव में अब स्थिति यह है कि आज सीमेंट 80 रुपये प्रति बोरी की दर से बाजार में बेचा जा रहा है । इनकी छानबीन करने सम्बन्धी कोई प्रक्रिया निश्चय ही निकाली जानी चाहिए और ऐसे लोग जो अपनी सीमेंट का प्रयोग उस कार्य विशेष के लिए न करते पाये जायें जिसके लिए की सीमेंट का परमिट जारी किया गया था, ऐसे लोगों पर निश्चय ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए तथा उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए ।

श्रीमानजी, मैं यह माँग भी करता हूं कि जो राज्य सरकारें आवश्यक वस्तु अधिनियम को कारगर ढंग से क्रियान्वित नहीं करती हैं, उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जानी चाहिए । यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा तमिलनाडु को गेहूं सप्लाई किया जाता है तो भी तमिलनाडु सरकार लोगों से यही कहती है कि केन्द्र द्वारा राज्य को गेहूं की आपेक्षित मात्रा सप्लाई नहीं की जा रही है । इसी प्रकार से काम के बदले अनाज कार्यक्रम के अन्तर्गत दिये जाने वाले अनाज का आबंटन भी श्रमिकों को सही ढंग से नहीं किया जा रहा है । यह अफवाह भी बहुत जोरों पर है कि अनाज केवल दल के लोगों में ही बांटा जा रहा है केन्द्र द्वारा इन सब मामलों की जांच की जानी चाहिए ।

जब तक भारत सरकार द्वारा कम से कम आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण करने

के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला जाता, तब तक किसी भी वितरण व्यवस्था को सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर पाना सम्भव नहीं होगा ।

उदाहरणार्थ टायर निर्माताओं को बार बार टायरों के मूल्य बढ़ाने की अनुमति दी जाती है । इसका प्रभाव अन्य सम्बद्ध वस्तुओं पर भी पड़ता है और अन्ततः परिणाम स्वरूप आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो जाती है, यदि पैट्रोल तथा डीजल के मूल्यों में वृद्धि की जाती हैं तो इसका परिणाम सब्जियों, तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाली वृद्धि में देखने को मिलता है क्योंकि परिवहन के मूल्य में वृद्धि कर दी जाती है । इस दुषित चक्र को आप किस प्रकार समाप्त करेंगे और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में स्थिरता कैसे सुनिश्चित करेंगे ? मंत्री महोदय को इन मामलों के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने तथा वितरण प्रणाली को कारगार ढंग से चलाने के लिए कारगर कदम उठाये जाने चाहिए ।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति जी, माननीय कृषि मंत्री जी ने चोर बाजारी, संग्रहखोरी, मुनाफाखोरी को रोकने के सम्बन्ध में जो विधेयक पेश किया है मैं उसका तहेदिल से समर्थन करता हूं । अभी भारतीय जनता पार्टी के, जिस पार्टी का सम्बन्ध व्यापारियों से कैसा है यह सारी दुनिया जानती है और यही कारण है कि शहर में उनकी थोड़ी बहुत दाल गल जाती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में उनकी दाल नहीं गलती क्योंकि गरीब मजदूर किसानों के साथ उस पार्टी का कोई सम्बन्ध नहीं है, व्यापारियों के पैसे के आधार पर अपनी दुकानदारी चलाते रहे, उस पार्टी के सदस्य श्री कृष्ण कुमार गोयल जी ने कहा कि इस विधेयक का हम स्वागत करते हैं, लेकिन, और जब लेकिन या परन्तु लगता है तो ऐसा लगता है कि चोर की दाढ़ी में कुछ तिनका है । लेकिन और परन्तु क्यों लगाया जाय ? चोर तो चोर है, उसको पकड़ना चाहिए । पर लेकिन और परन्तु सम्बन्ध रखता है व्यापारियों से । अब कहते हैं कि मंहगाई इतनी बढ़ गई । क्या गत वर्ष जब लोक सभा के चुनाव हुए थे उस समय जनता क्या भूल गई कि चीनी को इन लोगों ने चौपट कर दिया, गेहूं को गुम कर दिया था और पैट्रोल को इन्होंने पी लिया । और जितने भी चोर थे पहले नम्बर के, चम्बल तक के डाकू, उनको एक ही दिन जयप्रकाश नारायण के सामने खड़ा कर के कह दिया यह तो गांधीवादी हैं, उनको सर्टिफिकेट दे दिया और वह साधू बन गए । जितने चोर थे उनको तो उन्होंने साधू बना दिया, और उनसे मिलजुल कर के सारी अर्थ-व्यवस्था को उन्होंने बरबाद कर दिया । यह मैंडक टोली की जो सरकार थी, जनता पार्टी, जिनका सिद्धान्तहीन गठबन्धन हुआ, उन्होने सब गड़बड़ कर दिया । कहां भारतीय जनता पार्टी, जो अब तक तीन रूप बदल चुके हैं, पहले जनसंघ पार्टी कहलाती थी । कहां जनसंघ मार्क्सवादी, कहां जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह । चौधरी चरण सिंह की बात सामने आती है तो इनके चेहरे आइने में सामने नजर आते हैं अगर यह अपना चेहरा देखें तो । कोई भूल सकता है प्याज को जो कि गरीब आदमी खाता है । उत्पति से लेकर आज तक प्याज क्या कभी 5 रुपये किलो बिकी ? लेकिन इनके जमाने में वह बिकी जिसको गरीब आदमी रूखी रोटी के साथ खाता

है। यह इन लोगों की बदौलत हुआ। और भी इन्होंने बरबाद किया, अगर सभी बातों की पोल खोलूं तो उसके लिए काफी समय चाहिए।

सभापति महोदय : बरबाद खाने वालों को किया या प्याज को किया ?

आचार्य भगवान देव : सभापति जी, अगर मैं पोल खोलूंगा तो लम्बा भाषण चला जायेगा। मैं तो मुख्य मुख्य बातें कहना चाहता हूं क्योंकि आपने थोड़ा समय दिया है।

जिस समय लोक सभा का चुनाव हुआ, क्या आप, मैं और इस देश की जनता भुला सकती है कि पैट्रोल पम्पों पर बहुत बड़ी लम्बी लाइनें लगी हुई थीं और चुनाव में जीतने के बाद जब विधान-सभा के चुनाव होने वाले थे, उस बीच के काल में भारत सरकार ने, हमारे केन्द्रीय मंत्रियों ने प्रान्तीय सरकारों के लिए तमाम साधन जुटाये और उस समय प्रान्तीय सरकारें विरोधी पार्टियों के हाथों में थीं, चुनाव हुए नहीं थे। उन सरकारों ने सारा पैट्रोल उन लोगों के हाथों में दिया। चीनी, गेहूं, स्टील तमाम प्रकार के पदार्थ जिन नागरिकों को दिये जाने चाहिए थे, उनको न देकर पीछे के दरवाजे से चोरबाजारी में बेचकर गाँव-गांव में यह प्रचार किया। ये हमारे खाकी निक्कर वाले, नागपुरी संतरे मैं इनको कहा करता हूं, कब्बड्डी खेलने वाले।

अभी पीछे अटल बिहारी बाजपेयी ने डीजल के सम्बन्ध में हमारे माननीय मंत्री से प्रश्नोत्तरकाल में पूछा कि कैसे हो गया ? आज अटल बिहारी बाजपेयी जिनके सम्बन्ध में हमारे पार्टी के लोगों ने आपत्ति उठाई, एक विरोधी पार्टी का जवाबदार व्यक्ति अमरीका गया इन दिनों में, क्यों गया ? मुझे सूचना मिली है कि वहां इंटरनेशनल दीनदयाल उपाध्याय केन्द्र बना हुआ है और अटल विहारीजी वहां गये।

एक बात मैं सरकार से यह भी कहना चाहता हूं कि उस इंटरनेशनल दीनदयाल उपाध्याय केन्द्र के मंत्री**।

हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी के वहां पर एजेन्ट भी बने हुए हैं। जिस हिन्दुस्तान समाचार एजेन्सी को भारत सरकार आर्थिक मदद देती है और वह मदद लेकर के वहां इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार को इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। जिस सरकार के साधनों से सरकार के खिलाफ काम हो रहा हो।

सभापति महोदय : आचार्य भगवान देव जी।

आचार्य भगवान देव : मैं सरकार से चाहता हूं कि जांच करे। मेरा चैलेन्ज है कि इस प्रकार का संगठन वहां पर है और वह कार्य कर रहा है। वह व्यक्ति हिन्दुस्तान समाचार समिति का प्रतिनिधि भी है। मेरा आक्षेप है, आप इसकी जांच कीजिये।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

सभापति महोदय : मेरी बात सुनिये। किसी माननीय सदस्य के खिलाफ इस तरह के आरोप आप तभी लगावें जबकि अध्यक्ष या जो कोई यहां पर बैठा हो, उसे आप सन्तुष्ट कर दें, यदि इसके प्रमाण हैं आपके पास, नहीं तो यह करेक्टर एसेसीनेशन ..।

आचार्य भगवान देव : सभापति महोदय, यह तो मैं साबित करने के लिए तैयार हूं कि हिन्दुस्तान समाचार समिति का प्रतिनिधी वहां पर दीनदयाल उपाध्याय केन्द्र का सैक्रेटरी है।**

सभापति महोदय : आप शांत रहिये। आप क्यों नहीं मेरी बात सुनते हैं। मैं आपको इतना ही मना करता हूं, जिसका प्रमाण हो,...उतना ही कहिए।

आचार्य भगवान देव : मैंने जो आक्षेप किया है, यहाँ पर जिस व्यक्ति के लिए किया है, वह स्पष्टीकरण दे सकते हैं। मेरा यह चेलेन्ज है।

श्री एन. के. शेजबलकर (ग्वालियर) : श्रीमानजी, मेरी व्यवस्था का प्रश्न है। ..... (व्यवधान)।

सभापति महोदय : आप कृपया प्रक्रिया सम्बन्धी नियम 353 को देखिए। आपके लाभ हेतु मैं उसे पढ़ देता हूं :

> "353 किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधारोपक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा सम्बन्धित मंत्री को भी पूर्व सूचना न दे दी हो जिससे कि मंत्री उत्तर के लिए विषय की जांच कर सके।"

सभापति महोदय : मैं आप पर इतना ही बंधन डालना चाहता हूं,।

आचार्य भगवान देव : इस देश में और वहां चोर बैठे हैं—

दिल के फफोले जल उठे, सीने के दाग से,
घर को आग लग गई घर के चिराग से।

यह घर के चिराग घर को आग लगा रहे हैं, काबे में कुफ्र कर रहे हैं।

सभापति महोदय : आप कृपया नाम न लें।

श्री सत्यनारायण जाटिया (उज्जैन) : दूसरे के खिलाफ एलीगेशन लगाया गया है।

सभापति महोदय : आप कृपया नाम न लें।

** अध्यक्षपीठ के आदेशनुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

आचार्य भगवान देव : मैं नाम नहीं ले रहा हूं, बात कह रहा हूं। (व्यवधान)।

सभापति महोदय : आप जरा बैठ जाइये, जब अध्यक्ष खड़े हों तो कृपया बैठने की आदत डालिये।

आप जिस तरह से आक्षेप कर रहे हैं, अगर वह सिलसिला चलता रहा, तो फिर उससे कोई अछूता नहीं रहेगा और परिपाटी एकदम बिगड़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि आम तौर पर तो आप कह सकते हैं, लेकिन नाम न लीजिए।

श्री एम० के० शेजवलकर : उसे छूट दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसे लेने वाला मैं ही पहला व्यक्ति था ; मैं रिकार्ड की जांच करूंगा और आवश्यक कार्यवाही करूंगा।

आचार्य भगवान देव : इस बिल में चोरों को पकड़ने की बात है, लेकिन हमारे देश में साधु के वेश में शैतान भी बैठे हैं—देशभक्ति का चोगा पहन कर चोर-बाजारी को प्रोत्साहन देने वाले भी बैठे हैं। इसलिए मुझे कहना पड़ता है कि वास्तविकता क्या है, किस प्रकार से चोर-बाजारी को प्रोत्साहन मिल रहा है।

मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी चोर, चंबल के डाकू और स्मगलर थे, उन लोगों को छोड़ कर इन्होंने चोर-बाजारी को प्रोत्साहन दिया। इसीलिए चोर-बाजारी बढ़ी है। गत वर्ष चीनी, गेहूं और दूसरे पदार्थों के भावों की क्या स्थिति थी ? इन लोगों के कारण चीनी बारह, चौदह रुपये किलो बिक रही थी, मगर आज वह छः रुपये किलो पर पहुंच गई है, क्योंकि दामों को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है। (व्यवधान)।

सभापति महोदय : विचार-विमर्श को चलने दीजिए।

आचार्य भगवान देव : यह परेशानी इसीलिए हो रही है कि जैसा कि मैंने पहले कहा है, चोर की दाढ़ी में तिनका है। ये सब इसलिए परेशान हो रहे हैं कि सौदेबाजी पर आंच आ रही है। इसलिए इनको बड़ी परेशानी महसूस हो रही है।

मैं एक बात मंत्री महोदय से कहना चाहता हूं कि दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं और इन खाकी निकर वालों ने योजना बनाई है कि चुनाव से पहले डबल-रोटी को गुम किया जाए, सर्व-साधारण पर उसका प्रभाव पड़ेगा। चीनी को गुम किया जाए, मदर डेरी का जो दूध बिकता है, उसको खरीद कर उसका मावा बना दिया जाए, ताकि लोगों को दूध न मिलने पाए। ये लोग इस तरह का कृत्रिम अभाव पैदा करने का प्रयास करने वाले हैं, ये संकेत हमको मिले हैं। मेरा उन पर यह आक्षेप है। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में जाग्रत रहना है।

कानून तो पहले भी लाया गया था और अब भी लाया गया है। हम रोज पेपर में पढ़ते हैं। अगर पैपर पढ़ने की इजाजत हो, तो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूं। हमारा गृह विभाग और हमारी पुलिस, जहां भी उनको पता चलता है, वे उन चोरों को पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यह काम योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है, ताकि किसी को कोई शिकायत न रहे। मंत्री महोदय ने कहा कि हम चाहते हैं कि हम इस बारे में बैठ कर प्रेम से बात करें। उन्होंने व्यापारियों के साथ बात की है और उनकी बातों को सुना है। उन्होंने सब दलों से अपील की है कि वे कोई रचनात्मक सुझाव पेश करें। लेकिन कोई रचनात्मक सुझाव वे पेश करते नहीं हैं और गाड़ी को पटरी से उतार कर बाहर चले जाते हैं। विरोधी पार्टियों का काम यही रह गया है कि गाड़ी को पटरी से उतार कर बाहर चले जाना। आज उनकी दुकान का दिवाला निकला हुआ है। उसकी पार्टी का कोई नेता इस बारे में विचार-विमर्श नहीं करता है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को कैसे सुधारना है। आज उनकी गैर-हाजिरी क्या बताती है ?—यह साबित करती है कि चोर-बाजारी को रोकने के सम्बन्ध में उनके इरादे क्या हैं, वे उसको रोकना चाहते हैं या नहीं।

मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं पुलिस और अधिकारी अपना काम करेंगे, परन्तु वह एक इनामी योजना शुरू कर दें कि देश का जो नागरिक संग्रह किए हुए भंडार के बारे में सरकार को बताएगा, उसको इतना इनाम दिया जायेगा। इससे बेरोजगार घूमने वाले नौजवान और दूसरे गरीब व्यक्ति यह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि कहां कहां चोर-बाजारी का भंडार भरा हुआ है।

उससे आप को माल सरलता से मिलेगा। चोरों का भी पता लगेगा और जो माल संग्रह कर के लोग रखे हुए हैं उसका भी पता लगेगा। उसके पीछे किस का सम्बन्ध है उसकी भी पोल खुल जायगी। तो इनामी योजना, सार्वजनिक लोगों को इनाम देने की योजना माननीय मंत्री जी शुरू कर दें, फिर आप देखेंगे देश के दीवाने नौजवान गली गली में जाकर किस तरह उनके गोदामों के ताले खुलवाते हैं और उनके काले कारनामों को जाहिर करने का प्रयास करते है। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी ने जो बिल पेश किया है, उसका हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद।

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी) : सभापति महोदय, यह जो विधेयक सामने है जो देश की हालत है, आवश्यक वस्तुओं के मामले में जो संकट देश के जनगण के सामने है, उपभोक्ताओं के सामने है, वस्तुओं की उपलब्धि के बीच उनका अभाव पैदा हो जाना और उनकी कृत्रिम महंगी का पैदा हो जाना, ऐसी स्थिति में स्वभावत: सरकार की ओर से कुछ कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता प्रतीत होती है। मगर जो स्थिति है उनको देखते हुए और अभी जो मित्र सरकारी पक्ष के बोले हैं उनकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद भी कलेजा कांपता है कि क्या यह सरकार जो इस विधेयक का उद्देश्य है वह चाहती है ? क्या यह सरकार इसको लागू करने का इरादा रखती है ? मैं अभी नीयत पर शक करने जैसी कोई बात कहना नहीं चाहता, लेकिन वस्तुस्थिति वहां तक जाने को मजबूर करती है।

हमारे मित्र शासक दल के पिछली सरकार के बारे में बोले हैं। जो उन्होंने कहा है सही है। उससे ज्यादा कहना भी सही न होगा। देश के लोग जानते हैं कि उस सरकार में भी अधिकाँश वही लोग थे जो उस के पहले शासक दल के ही, उसी कांग्रेस पार्टी के ही लोग थे। इसलिए नीतियों के जरिए महंगी बढ़ाने में और चोर व्यापारियों को छूट देने में एक दूसरे से होड़ लेने में वे लगे हुए हैं कि कौन ज्यादा जनगण को लूटने में चोर-व्यापारियों को मदद करे। जनता पार्टी के रूप में या कांग्रेस (आई) के रूप में देश के पूंजीपतियों की अपनी पार्टी और अपनी सरकार है। दोनों के जरिए उन्हीं का काम हो रहा है।

अभी चीनी का जिक्र हुआ। जिस समय यह सरकार आई चुनाव के बाद, उससे पहले जनता पार्टी की सरकार ने चीनी की कीमत बढ़ाई और गन्ने की कीमत घटायी। कहा गया कि देश में चीनी ज्यादा हो गई इसीलिए गन्ना की कीमत ढाई रुपये क्विंटल कम कर दी गई है लेकिन चीनी की कीमत 2 रुपये 15 पैसे से बढ़ा कर 2 रुपये 30 पैसे किलो कर दी। फिर नियंत्रण हटा कर और फिर नियंत्रण लगा कर 2 रुपये 80 पैसे किलो और खुले बाजार में चार सवा चार रुपये किलो चीनी की कीमत कर दी गई। तो गन्ने की कीमत घटा कर और चीनी की कीमत बढ़ाकर खुलेआम जनता पार्टी की सरकार ने देश के लोगों से अपने काम के द्वारा यह कह दिया कि किसान चूंकि गन्ना पैदा करते हैं इसलिए उसकी कीमत घट जायगी और करोड़पति चूंकि चीनी मिलों के मालिक है, उसका मुनाफा करोड़पति लेते हैं इसलिए उनका मुनाफा बढ़ा दिया गया। इस प्रकार उन्होंने लोगों से यह कह दिया कि भाई मतदाताओं, यह करोड़पतियों के हुक्म पर चलने वाली सरकार है।

जब नयी सरकार आई, प्रधान मत्री जी ने जनता के सामने खुला एलान किया कि मैं दाम को बांधूंगी। हमको बहुमत दीजिए। विशाल बहुमत मिला। वह बहुमत बनाने वाले मित्र उधर बैठे हुए हैं और दाम बांधा गया। चीनी का दाम चार रुपये किलो था। ऐसा कस कर बांधा कि उसका दाम बढ़ा नहीं, हुआ क्या ? दाम कूदा, कीमत ने छलांग मारी। चार रुपये से सवा चार, साढ़े चार या पांच रुपये किलो कीमत नहीं हुई, 8 रुपये, 10 रुपये और कहीं कहीं 12 रु.किलो हो गई। और इस तरह से इस नयी सरकार ने नये रूप में करोड़पतियों से कह दिया कि ज्यादा कारगर तरीके से तुम्हारी सेवा कांग्रेस (आई) कर सकती है और कर रही है।

यहां पर गल्ले का जिक्र आया। सरकार का दावा है कि देश में गल्ले का उत्पादन ज्यादा हुआ है। हमारे कृषि मंत्री जी खासकर उस इलाके से यहां आते है जहां के किसानों ने मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने में अगली कतार में अपनी जगह बना ली है। किसानों का गल्ला बिक गया लेकिन सरकार के भण्डार में गल्ला नहीं आया, गल्ला बड़े थोक व्यापारियों के हाथ में चला गया या फिर गांव के जो कुछ बड़े बड़े काश्तकार हैं जोकि हदबन्दी से ज्यादा जमीन लिए हुए हैं, उनके हाथ में बाकी रहा। इसलिए हमें मजबूर होकर विश्व बाजार में गल्ला खरीदने के लिए जाना पड़ रहा है मैं चाहूंगा कि कृषि मंत्री जी इस बात की सफाई करेंगे कि उस गल्ले की जो कीमत हमारे मुल्क में आने पर पड़ेगी, उसमें और हमारे उगाही मूल्य में क्या फर्क पड़ेगा ? हम कितना लाभ में रहेंगे ? क्या मूल्य बढ़ाकर उस गल्ले की उगाही में

देश में ही हम सफलता प्राप्त नहीं कर सकते थे ? क्या विदेशों से गेहूं मंगाए बगैर हमारा काम नहीं चल सकता था? आज सरकारी दल के लोगों को विचार कर यह कहने में बड़ी हिम्मत की जरूरत है कि वे चोर बाजारी के खिलाफ हैं क्योंकि जहां तक मंहगाई का सम्बन्ध है, पिछले साल के बजट के समय, 80-81 के बजट के समय, वित्त मन्त्री जी ने कहा था कि कीमतें घटेंगी लेकिन कीमतें बढ़ी, तेज रफ्तार से बढ़ीं। दोबारा मंत्री जी ने कुछ महीनों के बाद कहा कि कीमतें प्लैट्यू पर पहुंच गई हैं, अब नीचे की ओर ही आयेंगी लेकिन वह नीचे नहीं गिरीं, ऊपर बढ़ गई। उसके बाद फिर वित्त मन्त्री जी ने कहा कि अब हद हो गई है, कीमतें गिरेंगी लेकिन कीमतें फिर आगे बढ़ीं। इसके बाद इस सरकार ने खुल्लम खुल्ला चोरबाजारियों को तस्करी को और काला धन रखने वालों को छूट दे दी। जैसा कि अभी हमारे मित्र बोल रहे थे, उनकी भाषा में मैं बोलना चाहता हूं कि चाहे चोरी का धन हो, चम्बल घाटी का धन हो, डाके या तस्करी का धन हो, सरकार हिसाब नहीं पूछेगी, तुम बेयरर बाण्ड खरीद लो, इस तरह से तुम्हारा काला धन उजला हो जायेगा, नाजायज धन से जायज धन हो जायेगा। इस तरह से इस सरकार ने इतना बड़ा विश्वासघात अपने मतदाताओं के साथ किया, अपने एलानों के साथ किया, और अपनी प्रतिज्ञा के साथ किया। दिनदहाड़े देश के काले धन को सफेद करने के लिए इस सरकार ने एक ऐसा अनैतिक काम किया जिसको करने में किसी भी सरकार के हाथ कांपने चाहिए थे और किसी भी बोलने वाले की जबान कांपनी चाहिए थी।

आज हमारे सामने जो विधेयक आया है इसमें कई जगह कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर का जिक्र है। मैं कृषि मन्त्री तथा इस पूरी सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर मेरे हाथ में है इसकी जो नयी धारा 110 चली थी उसके लिए बनाई गई संयुक्त प्रवर समिति का मैं भी मेम्बर था। इस धारा को जोड़ कर इस बात की व्यवस्था की गई थी कि एसेंशियल कमाडिटीज ऐक्ट, जिसमें संशोधन करने के लिए हम आज विचार कर रहे हैं, उसका अगर कोई उल्लंघन करता है कि तो उस पर 110-सी. आर. पी. सी. के मातहत कार्यवाही की जायेगी, अगर किसी अधिकारी या मजिस्ट्रेट को यह विश्वास हो जाए कि उसका उल्लंघन वह कर रहा है। 1974 में यह कोड लागू हो गया था। उसके बाद सात वर्ष बीत गए हैं, ढाई वर्ष जनता पार्टी के रूप में और बाकी साल कांग्रेस या कांग्रेस (आई) के रूप में पूंजीपतियों ने शासन किया। मैं जानना चाहूंगा कि समूचे भारतवर्ष में इस बीच क्या किसी एक भी थोक व्यापारी या व्यक्ति के खिलाफ प्रोसीडिंग्ज चलाई गई जिसने एसेंशियल कमाडिटीज ऐक्ट का उल्लंघन किया हो ? या उल्लंघन करने का प्रयास कर रही है। क्योंकि उसके लिए धारा 110 के अन्दर कार्यवाही करने की व्यवस्था नहीं थी। सारे भारत में एक भी मुकदमा कांग्रेस शासित राज्य में, यूनियन टरेटरी में, किसी भी राज्य में एक भी मुकदमा इन सात वर्षों में नहीं किया गया। 110 की उप धारा-एच (ई) एसेंशियल कामोडिटीज एक्ट के उल्लंघन करने वाले पर कार्यवाही चलेगी। इस तरह यह पूरा कानून जिसके मुताबिक सारे भारत में सभी दंड के लिए प्रक्रिया सन्निहित है, उनमें आर्थिक दंड के लिए प्रावधान किया, 1974 के एक्ट में, यह शक्ति भारत सरकार को दी, राज्य सरकारों को इस पर कार्यवाही करने के लिए दी गई। लगातार देश में मंहगाई बढ़ती गई, लगातार कानून का उल्लंघन

होता गया और उपभोक्ता तबाह होता चला गया लेकिन एक भी चोर-व्यापारी, एक भी थोक व्यापारी पर सी. आर. पी. सी. की धारा-110 के मातहत कोई कार्यवाही नहीं की गई। उसका परिणाम क्या हुआ सजा हो या न हो, लेकिन विशेष प्रावधान की आवश्यकता है या नहीं है, यह बाद की बात है। इसलिए मैं यह कहना चाह रहा हूं कि क्या देश विश्वास करेगा कि आप को सत्य की कमी थी, इसलिए आपने नहीं किया।

सभापति महोदय : श्री झा, आपको कम से कम कितना और समय लगेगा ?

श्री भोगेन्द्र झा : आप जो सीमा देंगे, मैं उसमें खत्म करना चाहूंगा।

सभापति महोदय : आप तीन-चार मिनट और ले लीजिए।

श्री भोगेन्द्र झा : इसलिए जो कानून आपके हाथ में है उसका अपवाद के लिए भी एक बार भी आपने उपयोग नहीं किया, आज तक भी नहीं किया। मैं समझ रहा हूं कि आप गृह मन्त्रालय से मसाला लेकर जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर एक भी प्रोसीडिंग नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई। क्या आप देश के सामने कबूल करेंगे कि आज तक एक भी व्यक्ति ने नियम का उल्लंघन नहीं किया और अगर नहीं किया तो आज इस संशोधन की आवश्यकता कैसे आ पड़ी। एक नया कानून लेकर, संसद का समय खर्च करके आप पर कैसे भरोसा किया जाए कि आप इसका उपयोग करेंगे। इसलिए कम या अधिक का मामला नहीं है, पूरी तरह से भारत सरकार अपने कानून का उल्लंघन कर रही है उल्लंघन करने वालों के खिलाफ एक नामलिहाजी कार्यवाही भी नहीं कर रही है।

इसी के साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो वृद्धि होती चली जा रही है, जो कुछ कानूनी शक्ति आप ले रहे हैं और जैसा कि हमारे कुछ मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी और दूसरे मित्रों ने जो कहा, उसका खंडन करने की हालत में मैं नहीं हूं, हो सकता है कि उसमें बहुत सी बातें सही हों, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा कि क्या यह शक्ति लेकर के आप खुद निर्दोष व्यापारियों को तबाह करने के लिए साधन तो लेना नहीं चाह रहे हैं ? क्योंकि एक तरफ चोरी के माल को खुली छूट दे रहे हैं, काले धन को उजला धन बनाने के लिए एलान करते हैं, कानून बनाते हैं और व्यापारियों के खिलाफ सी. आर. पी. सी. की धारा 110 के तहत कार्यवाही नहीं करते हैं तो यह कैसे विश्वास किया जाए कि आप भारत के व्यापारियों के खिलाफ इसका उपयोग करेंगे। आप भारत के व्यापारियों से उसी दिल्ली के चुनाव के लिए धन तो नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक इसी मौके पर ! बड़े से धन लेकर उनको छूट देकर क्या खुदरा वालों को तबाह करने तो नहीं जा रहे हैं। जो अनुभव अब तक का है, जो रिश्वत न दे सकें वे तबाह हों, जो मोटी रकम आपको चन्दे में न दे सकें, वे तबाह हों और जो कुछ उपभोक्ता हैं वे तबाह हों। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जैसाकि प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति व्यापार के लिए नहीं– बड़ी रियायत की गई है— मुनाफे के लिए नहीं, अपने व्यक्तिगत खर्च के लिए अगर कोई सामान खरीदे और हमें पता लगे कि कानून का उल्लंघन

करके उसने खरीदा है— मतलब कि घर में कोई मर रहा हो, बच्चा बीमार हो तो चीनी खरीदी है और उसका उल्लंघन करके उसको खरीदना पड़ा है तो ऐसी हालत में उसको जेल नहीं किया, मन्त्री जी बड़ी दया करेंगे, सिर्फ उस पर जुर्माना होगा। किस पर ? उपभोक्ता पर— यह स्थिति है।

इसलिये, सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं कि देश को आशंका है, हमें भी आशंका है कि आप इस कानून का उपयोग बड़े को छूट देकर और छोटे के खिलाफ इसका प्रयोग कर के करेंगे। मैं इस विधेयक का विरोध भी नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि देश के थोक व्यापारियों ने देश के 68 करोड़ पर कब्जा कर लिया, लेकिन वह कब्जा किया था—आप की मदद से। एक भी थोक व्यापारी भारतवर्ष में ऐसा नहीं है जो अपने धन से थोक व्यापार करता हो, सब बैंक से रुपया लेकर गल्ला खरीद कर बैंक के गोदाम में रखते हैं और सब माल गोदामों में चला जाता है। हमारे वित्त मंत्री महोदय एडम-स्मिथ, मार्शल से ले कर कैन्ज तक चले जाते हैं, उनके अर्थ शास्त्र के आधार पर, जो अनर्थ-शास्त्र साबित हो चुका है, देश में अनर्थ किये जा रहे हैं। माल गोदाम में बन्द हो गया, उपभोक्ता गोदाम में नहीं गया वह बाहर ही रह गया और माल की कीमतें बढ़ने लगी, उसके बाद उस माल को गोदाम से बाहर निकाल कर उपभोक्ता को लूटा जा रहा है। इस तरह हमारी ही दियासलाई से हमारे ही घर को आग लगाई जा रही है। हमारे पैसे से, बैंक के पैसे से, थोक व्यापारी देश की जनता को लूट रहे हैं और आप लूटने दे रहे हैं, काले धन को बनने दे रहे हैं और दूसरी तरफ नये अधिकार मांग रहे हैं।

इसलिये हमें आशंका है, खास कर खुदरा व्यापारियों के लिये आशंका है, उपभोक्ताओं के लिये आशंका है, मगर इन सब खतरों के बावजूद हम आप को यह अधिकार देना चाहते हैं ताकि आप उन थोक व्यापारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर सकें जो कोई उत्पादन नहीं करता है, बिना कुछ किये हुए मुनाफा बटोरता है। इसलिये इस विधेयक का समर्थन तो कर रहा हूं मगर जो आशंका है उसको भी जाहिर कर रहा हूं। मैं सरकार से चाहूंगा कि कम से कम उपभोक्ताओं के खिलाफ किसी भी हालत में इसका इस्तेमाल न हो, खुदरा लोगों को इससे बचाया जाय, देश में जो करोड़ों खुदरा दुकानदार हैं उन पर चोट न पड़ने पाये, जो देश के थोक व्यापारी हैं, जो बड़े लूटने वाले लोग हैं उन पर इसका प्रहार हो और इस दिशा में जो संशोधन दिये गये हैं उनको भी आप स्वीकार करें।

हमारे एक माननीय सदस्य ने एक इनामी योजना का सुझाव दिया है—मैं समझता हूं जन-सहयोग लेने का रास्ता जरूर निकालना चाहिये। मैं जानता हूं कि ऐसे लोगों को थोक-व्यापारियों और सरकारी अधिकारियों के हाथों थोड़ा दण्डित होना पड़ेगा, फिर भी प्रोत्साहन का प्रावधान इस विधेयक में अवश्य होना चाहिये।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : माननीय सभापति जी, मैं इन बिलों का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जहां तक सरकार की इस मंशा का ताल्लुक है कि ब्लैक-मार्केटिंग को प्रभावी

ढंग से रोका जाय और आवश्यक वस्तुयें उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जा सकें, इस मंशा को पूरा करने में जितना भी सहयोग इस माननीय सदन से वह चाहेंगे, उनको अवश्य मिलेगा।

सभापति जी, मुझे इस सम्बन्ध में कुछ बातें अर्ज करनी हैं। इस मामले में कई कानून पहले भी बनाये जा चुके हैं, इस समय भी बना रहे हैं और आगे भी बनाये जा सकते हैं, लेकिन इन कानूनों को इम्प्लीमेन्ट करने की जो एजेन्सी है वह हमारे पास नहीं है। कानूनों का इम्प्लीमेन्टेशन राज्य सरकारों की मशीनरी के द्वारा, उनकी एजेन्सी के द्वारा होता है।

दुःख के साथ हम यह कहना चाहते हैं कि इन का इम्पलीमेन्टेशन और विशेषकर इस कानून का इम्पलीमेन्टेशन आधे दिल से किया जा रहा है। शायद रिकार्ड की खानापूरी के लिए ऐसा किया जा रहा है और वाकई में ब्लैक-मार्केटिंग को रोकने के लिए, इनका इम्पलीमेन्टेशन बहुत प्रभावी ढंग से, बहुत इफेक्टिव तरीके से नहीं हो रहा है। जितने भी कैसेज इस कानून के अन्दर सामने आए हैं और जो भी कार्यवाही की गई है, उसको अगर हम गौर से देखें, तो हम को यह मिलेगा कि, जैसा कि अभी उधर से बोलने वाले सदस्य कह रहे थे, बड़े बड़े मुनाफाखोरों के खिलाफ, बड़े बड़े ब्लैक-मार्केटियर्स के खिलाफ, जो लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर धोका दे रहे हैं, उनसे पैसा एंठ रहे हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई बल्कि उनके खिलाफ कार्यवाही की गई, जिनके यहां चैकिंग करने पर एक या दो टिन मिल गये या किसी ने प्राइस लिस्ट शो नहीं की थी या कोई टैक्निकल खामी उनके रजिस्टर में थी या उनके स्टाक में मिल गई थी, जिससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ जाता। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। जिन लोगों ने गाली दी, उनके खिलाफ कार्यवाही की है लेकिन जिन्होंने कत्ल किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही बहुत कम हुई है। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आप कानून से चाहे जितनी ताकत ले लें, जितने भी अधिकार आप चाहें प्राप्त कर लें, लेकिन उनका उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। आज जो हमारी मंशा है, जो हमारी सरकार की मंशा है और इस माननीय सदन की मंशा है कि ब्लैक-मार्केटिंग को प्रभावी ढंग से रोका जाए, वह रुक पा रही है या नहीं रुक पा रही है, यह सब से बड़ा सवाल है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका निकाला जाए, कोई ऐसा हल ढूंढा जाए, जिसके जरिए इस कानून को लागू करने में केन्द्रीय सरकार का हाथ हो, कोई चैकिंग का माध्यम हो। किस प्रकार का कोई माध्यम हो, उसका कोई नक्सा मेरे सामने नहीं है। मैं सरकार से इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं, मंत्री जी का इस ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोई ऐसा तरीका जरूर निकाला जाए, जिसके जरिए राज्य सरकारों पर कोई अंकुश हो और राज्य सरकार यह काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, उन की देख भाल भी हो। मुझे याद है कि जब यह कानून पास हुआ था तो वेस्ट बंगाल की सरकार ने, केरल की सरकार ने और कई सरकारों ने, जो हमारी पार्टी की नहीं थी, उन्होंने कहा था कि हम इस कानून को लागू नहीं करेंगे। अगर वे इस कानून को लागू नहीं करती हैं, तो आप क्या करेंगे? आप के पास कोई अधिकार है कि इन कानूनों को आप लागू कराएगें, इस के बारे में आप ने क्या सोचा है? जब मंत्री जी इस बहस का जवाब दें, तो वे इस बारे में बतायें। जब प्राइस इन्डेक्स बढ़ता है, जब कीमतें बढ़ती हैं, तो किस की बदनामी होती है? राज्य सरकारें तो यह कह देती हैं कि कीमतें

रोकना हमारे बस में नहीं है और कीमतें केन्द्रीय सरकार की नीतियों के कारण बढ़ रही हैं। कीमतें बढ़ें, तो उसके जिम्मेवार हम। कीमतें बढ़ने का जवाब हम को देना पड़ता है और उनको रोकने के लिए जब हम कोई कानून बनाते हैं, जब उनको रोकने के लिए कोई तरीका अपनाते हैं, तो राज्य सरकारें उसमें सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं और हम को पूरा सहयोग नहीं मिलता है और बदनामी हमारी होती है। तो इसके लिए मंत्री जी क्या कर रहे हैं। कानून में आप चाहे जितने अधिकार ले लीजिए लेकिन उन अधिकारों का अगर राज्य सरकारें उपयोग नहीं कर रही हैं, उन का ठीक तरह से इम्पलीमेंटेशन नहीं कर रही हैं, तो आप क्या करेंगे। इस के बारे में कुछ सोचिए, यह मैं अनुरोध करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली जितने प्रभावी ढंग से काम करना चाहिए, उतने प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है।

कई वर्षों से जब कि हमारी सरकार थी, और उसके बाद जबकि जनता पार्टी के जमाने में एक बहुत ही सुयोग्य मंत्री श्री मोहन धारिया थे के जमाने से पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के बारे में सुना जा रहा है कि यह किया जायेगा, वह किया जायेगा लेकिन अब तक कुछ नहीं हो पाया है। बहुत सी बातें इस बीच सामने आयीं लेकिन हम आज तक पूरे देश में एक पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम बनाने में असफल रहे हैं। सिस्टम तो क्या अभी तक हम उसका खाका भी नहीं बना सके हैं। इसके इम्पलीमेन्टेशन की बात तो दूर रही, अभी तक पूरे देश के लिए हम एक खाका भी तैयार नहीं कर सकें हैं। किसी प्रदेश में कोई खाका है, किसी में कोई खाका है। चूंकि अभी तक हम पूरे देश को एक ईकाई समझ कर इसका एक खाका नहीं दे सके हैं इसलिए जो जरूरी सामान है वह भी हम लोगों तक ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पा रहे हैं।

हमारे उत्तर प्रदेश में यह महसूस किया गया कि प्राइवेट दुकानदार इसमें बेईमानी कर रहे हैं, जरूरी चीजों की ब्लेक कर रहे हैं, लोगों को सामान नहीं पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके हाथ से यह सिस्टम ले लिया और को-आप्रेटिव्ज को दे दिया। जितनी कोआप्रेटिव्ज थीं उनको दुकानदार बना दिया। वहां भी हम को सफलता नहीं मिल रही है। चीनी और दूसरे सामान अब भी लोगों को ठीक से नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोआप्रेटिव्ज में भी वही बात पैदा हो गई है। वही हालत हो रही है जैसी कि पहले थी। पता नहीं कोआप्रेटिव्ज के कानून खराब हैं या उन्हें ठीक ढंग से नही चलाया जा रहा है। मंत्री जी को सोचना चाहिए कि इनमें कौन सी खामियां है जिनसे कि हम पब्लिक डिस्ट्रिब्युशत सिस्टम को ठीक से काम करने लायक नहीं बना सकें हैं। मंत्री जी इसको ठीक करने के लिए क्या कर रहे हैं? मेरा तो अपना सुझाव जो कि मैं पहले भी दे चुका हूं कि हमें एक सिविल सप्लाईज कोरपोरेशन बनानी चाहिए जो कि पूरे देश के पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम का काम अपने हाथ में ले। एक बहुत बड़ा संगठन, एक बहुत बड़ी मशीनरी बनानी पड़ेगी, इसमें दो राय नहीं हैं लेकिन हमें ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो कि जगह जगह पर सरकार की तरफ दुकानें खोले और लोगों को सामान पहुंचाए। मैं मानता हूं कि यह कठिन काम है लेकिन मैं समझता हूं कि अगर पूरे देश को पब्लिक डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम के लिए सिविल सप्लाईज कारपोरेशन के जरिए से एक ईकाई के

तहत ला सकते हैं और इसे योजनाबद्ध तरीके से चला सकते हैं तो काफी खामियां और कमियां दूर की जा सकती हैं।

तीसरा सुझाव मैं यह देखना चाहता हूं ..... ।

सभापति महोदय : आखिरी सुझाव।

श्री जैनुल बशर : इसके बाद एक और सुझाव होगा।

एक सुझाव मैं मंत्री जी को यह देना चाहता हूं कि ये जो सरकारी कर्मचारी हैं जिनके जिम्मे इस कानून पर अमल की व्यवस्था है, अगर वे ठीक ढंग और प्रभावी ढंग से इस व्यवस्था को लागू नहीं करेंगे तो यह व्यवस्था चलनी मुश्किल होगी। अगर वे इसे प्रभावी ढंग से लागू करते हैं तो यह व्यवस्था चल सकती है लेकिन जब से व्यापारियों के साथ मिल जाते हैं, जैसा कि हो रहा है तो उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिये। मैं समझता हूं कि इस एक्ट के मुताबिक कार्यवाही हो सकती है लेकिन आज तक कोई कार्यवाही हुई है या नहीं हुई है, मैं समझता हूं कि नहीं हुई है। हमारे उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था है कि एक रेड करने वाली जीप बिना बताये जिले में जाकर रेड करती है और गलती करने वाले व्यापारी के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। लेकिन उस जिले का जो कर्मचारी है, जो अफसर है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होती है। मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्यवाही की जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। मंत्री जी की तरफ से राज्य सरकारों को स्पष्ट आदेश जारी होने चाहिये कि वे ब्लेक मार्किटिंग करने वाले, होर्डिंग करने वाले लोगों से मिले हुए कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करें।

सभापति जी चौथा और आखिरी सुझाव देना चाहता हूं जिसे हमारे माननीय दोस्त ने भी दिया है।

सभापति महोदय, इस एक्ट के मुताबिक छोटा जुर्म करने वाले और बड़ा जुर्म करने वाले लोगों को एक ही कैटेगरी में रखा गया है — जो गाली दे उसको भी वही सजा और जो कत्ल करे उसको भी वही सजा—यह बात मुनासिब नहीं है। बहुत सी टेक्नीकल चीजें होती हैं—बहुत सी टेक्नीकल गलतियां होती हैं, जैसे रजिस्टर ठीक नहीं है, रजिस्टर में तारीख नहीं दी है, किसी की मूल्य-सूची गलत है या मूल्य-सूची प्रदर्शित नहीं की है या स्टाक में एक-दो डिब्बे या टिन बताने की गलती हो गई है—दो-चार टिन का फर्क पड़ गया है, यह कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है, उसके लिए भी वही सजा है जो बहुत ज्यादा स्टाक किए हुए हैं या पांच रुपए प्रति बोरी ब्लैक कर रहे हैं, उसके खिलाफ भी वही सजा। मैं समझता हूं कि इसको कैटगराइज किया जाना चाहिए—छोटा जुर्म, बीच का जुर्म और बड़ा जुर्म, इसी तरह से सजा होनी चाहिए।

सभापति महोदय, एक बात मैं और कहना चाहता हूं—वह यह है कि आज जो एंटी सोशल एलीमेंटस हैं, जो गुण्डा एलीमेंट्स हैं — जब भी किसी चीज की कमी होती है तो ये

व्यापारी को डरा-धमका कर, जान से मारने की धमकी देकर माल उठा लाते हैं और उसको ब्लैक में बेचते हैं—व्यापारी को कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल पाता, उसको कोई संरक्षण नहीं मिल पाता, पुलिस उसको मदद नहीं देती और मजबूरन वह गुण्डा-एलीमेंट्स को सामान दे देता है और किसी प्रकार से खाना-पूर्ति करता है। मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और जो गुण्डा एलीमेंट्स हैं, बदमाश लोग हैं, उनको भी स्पाट-आउट किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ भी इस एक्ट के तहत सख्त से सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए।

इन सुझावों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ज्यादा समय दिया। धन्यवाद।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : सभापति जी, यह जो विल सदन में पेश है, जिस पर सदन विचार कर रहा है, इसमें सरकार का इरादा यह है कि जो चोर-बाजारी हो रही है या जो सामान लोगों को नहीं मिल रहा है, उसको कैसे लोगों को उपलब्ध कराया जाए और जो चोर-बाजारी करने वाले हैं, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सके और उनको सजा दी जा सके। इस इरादे से यह बिल पेश किया गया है।

सवाल यह है कि सरकार का यह इरादा क्या एक्ट बनने के बाद पूरा होगा ? इस विषय पर दोनों ओर के माननीय सदस्यों ने अपना शक-शुबहा व्यक्त किया है। महज कानून बन जाने से ही अगर कार्य हो जाए तो इससे सरकार को निराशा ही होगी।

इस देश में कानूनों की कमी नहीं है। जो कानून पहले इस देश में हैं—बगैर कोई नया कानून बनाए, उन्हीं कानूनों में ऐसी व्यवस्था है कि चोर-बाजारी करने वालों के खिलाफ, काला धन बटोर कर उसका गलत इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ और अभाव की स्थिति से फायदा उठाने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा सके, लेकिन फिर भी सरकार इस बात को करने में नाकामयाब रही है। आज सरकार को इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि आज इस देश के अन्दर आदमी को उसकी आमदनी की सीमा के अन्दर खाना, कपड़ा और मकान दिलाने में यह सरकार पूरी तरह से फेल रही है। आज इस देश में 40 करोड़ लोग ऐसे हैं जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे जीवन बसर करते हैं, जिनकी आमदनी एक रुपया बीस पैसा प्रतिदिन भी नहीं है। मैंने पहले भी एक बार कहा था कि एक रुपया बीस पैसे में तो यदि आदमी खीरा खाकर भी जीना चाहे तो नहीं जी सकता। खीरा खाकर भी वह अपना पेट नहीं भर सकता। आज 40 करोड़ ऐसे आदमी इस देश के अन्दर रह रहे हैं जो गरीबी की सीमा रेखा से नीचे हैं। हिन्दुस्तान दुनियाँ का तन्हा ऐसा देश है जहां दुनियां का सबसे ज्यादा गरीब आदमी, सबसे ज्यादा तबाह आदमी, रहता है। चीन के अन्दर भी आज पश्चिमी देशों के लोग और पूर्वी देशों के लोग जा कर के देखते हैं और कहते हैं कि कम से कम इस देश में खाना, कपड़ा सब लोगों के लिए है। लेकिन हमारे यहां सबसे ज्यादा गरीब और बेकार लोग हैं और खाने, कपड़े के लिए तबाह हैं। मैं समझता हूं कि सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए कि इस कानून से इस देश की गरीबी दूर नहीं होगी। इस कानून से देश में काला धन जिसकी पैरलल इकोनामी चल रही

है उसको खत्म नहीं किया जा सकता है। सारी की सारी जड़ यह है कि सरकार की आर्थिक और सामाजिक नीतियाँ इस देश के 20 प्रतिशत लोगों के हक में हैं, और 80 फीसदी आदमी इन गलत नीतियों के कारण तबाह हो रहे हैं।

हर योजना के बाद देश में करोड़ों की संख्या में बेकारी बढ़ रही है। मुद्रास्फीति को रोकने में सरकार बिलकुल असफल हुई है। मैं जानना चाहता हूं कृषि मंत्री जी यह बिल ला रहे हैं, इस देश में किसानों ने सबसे ज्यादा अनाज पैदा किया फिर क्यों आपका प्रोक्योरमेंट का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ ? यहां के किसानों को 150 रु० प्रति क्विंटल सरकार नहीं दे पायी, लेकिन अमरीका से गेहूं 200 रु० प्रति क्विंटल खरीद रही है। क्या कोई कानून आप लायेंगे इस देश में जिन्होंने गेहूं पैदा करने के बाद, किसानों को लूट करके अपने घर भरे हैं, उनके खिलाफ कुछ करेंगे ? आपको मालूम है कि 350 रु० क्विंटल गेहूं तमिलनाडु में बिक रहा है, 400 रु० क्विंटल बम्बई में बिक रहा है। 130 रु० के भाव से किसान से खरीद लिया और दो महीने के अन्दर ही वही गेहूं 350 रु० और 400 रु० के भाव से बिक रहा है। तबाह हो रहा है किसान यहां का। कोई नीति है आपकी ? क्या आपको मालूम है इसी दिल्ली में सीमेंट 100 रु० बोरी बिक रहा है। क्या किसी गरीब आदमी को 5 बोरी सीमेंट मिल सकता है ? नहीं। आप बम्बई में जाइये, वहां के चीफ मिनिस्टर से पूछिये, वहां दो दफ्तर खुले हुए हैं, किसी इंस्टीट्यूशन के नाम पर 5,000 रु० डोनेशन दे दीजिए और 30 रु० बोरी के हिसाब से सीमेंट ले लीजिए। दूसरी जगह 15,000 रु० डोनेशन दीजिए और 15 रु० बोरी के हिसाब से जितनी बोरी सीमेंट चाहिये ले लीजिए और बड़े-बड़े मकान बना लीजिए। लेकिन एक गरीब आदमी को, झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले को एक बोरी सीमेंट नहीं मिलता। वह 150 रु० फी बोरी ब्लैक में सीमेंट खरीदता है।

आज इस देश में वित्त मंत्री कहते हैं कि ब्लैक मनी इकोनामी नहीं रोकी जा सकती है। उसकी पैरलल इकोनामी यहां हो गई है। 35 साल के बाद गौर करने की जरूरत है कि नहीं ? खाली कानून बना देने से एक साइकोलाजी बन जाएगी जो तबाही कर देगी। आपने बहुत सी चीजों पर अनावश्यक कंट्रोल लगा रखा है। क्या आप में हिम्मत इस बात की है कि जो अनावश्यक कंट्रोल हैं उनको तोड़ सकें ? एक एक जिले के अंदर आपने मूवमेंट पर रेस्ट्रिक्शन लगा रखा है। उत्तर प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में गेहूं नहीं जा सकता। हरियाणा से पंजाब में नहीं जा पायेगा। सारे रेस्ट्रिक्शन्स के बावजूद भ्रष्ट अधिकारियों और पुलिस कर्मचारियों को खाने का मौका मिलता है। वह गेहूं तमिलनाडु की आटा मिलें खरीद लेती हैं, लेकिन साधारण आदमी को नहीं मिलता। गरीब आदमी अपने यहां शादी विवाह के मौके पर सूजी खरीदता है तो उसे तिगुने दाम देने पड़ते हैं। आज सरकार को संजीदगी से सोचना चाहिए और मानना चाहिए इस तथ्य को कि हिन्दुस्तान जैसे देश में जहां आधे से ज्यादा लोग गरीबी की रेखा पर रहते हैं, जहां 80 फीसदी लोग गरीब हैं और उनकी आमदनी कम है, उनके लिए पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन की नीति जरूरी है, और यह राष्ट्रीय व्यवस्था का एक अंग बननी चाहिए। हर हजार व्यक्ति के ऊपर एक सस्ते सामान की दुकार होनी चाहिये, चाहे गाँव हो या शहर।

सारे देश के अंदर सरकार को दो साल के अन्दर इस बात का निर्णय लेना चाहिए कि सारे देश के अन्दर हजार आदमी के पीछे एक सस्ते सामान की दुकान खुलेगी और गांवों में भी सामान मिलेगा और शहर में भी मिलेगा। कम से कम अनाज, सस्ता कपड़ा, उसके खाने का तेल, मिट्टी का तेल, चीनी और दवा उन दुकानों पर मिलेगी।

दूसरी चीज, श्रीमन्, आज इस देश में जो बड़ी मैनुफैक्चरिंग यूनिट हैं, आज पैसा कहां जाता है ? आपने कभी इस पर गौर किया जो बड़े-बड़े कारखाने सामान पैदा करते हैं 10, 15 फीसदी उनका मुनाफा है। और इसके बाद सारी की सारी रिटेल की एजेंसी होलसेल की एजेन्सी आज बड़े मिल-मालिकों ने अपने रिश्तेदारों और अपने सम्बन्धियों को देनी शुरू कर दी हैं। जब उनसे रिटेलर खरीदने जाता है चाहे दिल्ली का हो, आजमगढ़, बनारस या पटना का छोटा हो तो वहां 25 फीसदी पहले उसे ब्लैक में पेमेंट करना पड़ता है। 25 फीसदी पे करने के बाद तब उसको सामान मिलता है। जब वह उसे लाता है, 10 फीसदी अपना मुनाफा लेता है। इस तरह से सामान जिस कीमत पर मिलता है डेढ़, दो गुना उसकी कीमत बढ़ जाती है।

कौन आज एजेन्सी कर रहा है ? क्यों नहीं आप व्यवस्था बनाते कि घूमकर जो यह सारा पैसा बड़े-बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों के पास जाता है, जिसको सरकार अपने पास लेगी, चाहे को-आपरेटिव की व्यवस्था हो, चाहे बेकार नौजवानों को सस्ती दुकानों के खोलने का इंतजाम दीजिए। आज करोड़ों नौजवान इस देश में बेकार हैं।

एक-एक ग्राम में गांव वालों से कहिए कि जिनको आप फैसला करिये, उसको दुकान दीजिए और यह 6, 7 सामान वह आपको 10 फीसदी मुनाफा लेकर देगा। उसका फैसला कर के दुकान दीजिए। क्या कभी सोचा है इस बारे में आपने ?

केरल और बंगाल का नाम अभी हमारे जैनुल बशर साहब ले रहे थे। केरल और बंगाल में तो हर गांव में सस्ते गल्ले की दुकानें खुली हुई हैं। कम सामान है, लेकिन कम सब को मिलता है। कम-से-कम बंगाल की सरकार ने कलकत्ता जैसे बड़े शहर में आजादी के बाद से फेयर प्राइस शाप खोलकर यह चीजें देने की कोशिश की है, चाहे कम मिलती हों, या ज्यादा मिलती हों।

मैं कहता हूं कि आज 4 सरकारों को छोड़कर सारी की सारी सरकारें कांग्रेस (आई) की हैं। सारे देश में सूबों में भी और सेंटर में भी, क्या दिक्कत पड़ती है ? आप नियम बनाइये, मंत्रियों से कहिए कि किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ काम करने की जरूरत नहीं है, सरकार की बिल-पावर हो, तो मंत्रियों से कहना चाहिए कि यह काम करिए, सस्ते गल्ले की दुकान, सस्ते सामान की दुकान खोलिए, इसको रोको, नहीं कर सकते हो तो तुम को छोड़ कर जाना होगा, सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी, मंत्री को जाना पड़ेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि आज अगर इस देश के गरीबों के हितों को प्रोटेक्ट करना है, उनके इन्टरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है तो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को हमारी नेशनल इकनामी

और नेशनल स्ट्रक्चर का परमानेन्ट हिस्सा बनाना चाहिए और यह करना चाहिए कि तब तक यह दुकानें खुली रहेंगी जब तक हम इस देश में उस स्टेज पर नहीं पहुंच जाते जब कि खुशहाली हो।

आप इसके लिए पब्लिक ओपिनियन के लिए जाइये, मैं किसी पार्टी को दोष देने के लिए यह नहीं कहता, लेकिन आज आम जनता यह महसूस करती है कि आज दुकानों पर प्राइस लिस्ट क्यों नहीं टंगी। एमर्जेन्सी में प्राइस लिस्ट एक-एक दुकान पर टंगी हुई थी, एक-एक आदमी को उसके मुताबिक बेचना पड़ता था। आज प्राइस लिस्ट टांगने के लिए जरूरी नहीं है कि एमर्जेन्सी लगाई जाए। प्राइस लिस्ट के लिए आप मजबूत इरादे से फैसला कीजिए। अगर दिल्ली में उस जमाने में कांग्रेस कमेठी बनी तो आज कोई कमेटी बनाकर क्या वाज-डाग कमेटी नहीं हो सकती ? क्या उसके लिए एमर्जेन्सी चाहिए ? आज क्यों नहीं यह कमेटी बनाई जा सकती और प्राइस लिस्ट नही टंग सकती ? आज क्यों नहीं कंज्यूमर्स मूवमेंट को मजबूत करने के लिए सरकार प्रोत्साहित करती ? उसकी वजह है चूंकि रूलिंग पार्टी चुनाव के लिए बड़े-बड़े ट्रेडर्स, पूंजीपतियों और उद्योगपतियों से पैसा लेती है और उसी की वजह से कीमतें बढ़ रही हैं। आज यह सचाई है, इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता है।

राव वीरेन्द्र सिंह : गलत, गलत।

श्री चन्द्रजीत यादव : आज इसको कोई इन्कार नहीं कर सकता। आप भले ही हाथ हिलाइये, मगर यह सचाई है, इसको आप इन्कार नहीं कर सकते।

आज की पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की यह जो व्यवस्था है, वह इतनी गलत है कि इस पर सोचना पड़ेगा। चुनाव के बारे में सोचना पड़ेगा कि आखिर इस देश में चुनाव इतने मंहगे होते जा रहे हैं ? मैं कहता हूं कि सरकार इस बारे में फैसला करे। आप तो रूलिंग पार्टी हैं, आपको सबसे ज्यादा पैसा मिल सकता है, मगर चुनाव के अन्दर परिवर्तन नहीं किए गए तो आज हालत यह है, हम सबको ही चुनाव लड़ने पड़ते हैं। एक-एक चुनाव पर 5,5 और 7,7 लाख रुपए खर्च करना पड़ता है। और यह मजबूरी में खर्च करना पड़ता है। मैं यह किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, देखना पड़ेगा कि कैसे चुनाव लड़ा जाए। अगर बाई-इलैक्शन हो जाये तो उस पर 10 गुना खर्चा बढ़ जाता है, चाहे किसी भी पार्टी का आदमी लड़े। आज चुनाव के खर्चे का, पैसे का स्रोत बिजनेस मैन हैं, ट्रेडर है, कारखाने का मालिक है। जब चुनाव के लिए पैसे लिए जाते हैं तो आपकी हिम्मत घट जाती है। सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकती—उसके हाथ कांपने लग जाते हैं। यह सच्चाई है कि कानून बनाने से ये बुराइयां दूर नहीं हो सकती।

आज बढ़ती हुई कीमतें इस देश की आम जनता को तबाह कर रही है। एक-एक आदमी आज परेशान है। इसलिए आज सरकार को एक नैशनल प्राइस पालिसी और एक नैशनल प्राफिट पालिसी, इन दोनों को बनाना पड़ेगा। जहां तक देश के पूंजीपति का सम्बन्ध है, अगर कोयले

का दाम बढ़ गया, रेल का किराया बढ़ गया, बिजली का दाम बढ़ गया और मजदूर की तन्ख्वाह बढ़ गई- तो वह बम्बई, कलकत्ता या कानपुर से दिल्ली आता है, और मंत्रियों के सेक्रेटरीज के साथ बैठकर यह तय कर लेता है कि हमारी लागत दस फीसदी बढ़ गई है, हमारे दाम बढ़ने चाहिए। कैबिनेट के लिए पेपर तैयार हो जाएगा कि ठीक है, कोयले का दाम, रेल का फ्रेट, पावर का दाम बढ़ गया है, इसलिए इनकी बात में सच्चाई है, जस्टिफिकेशन है, और पूंजीपति की चीज का दाम बढ़ जाता है। उसको कोई आन्दोलन करने की जरूरत नहीं है। मगर जब किसान के फर्टलाइजर का दाम बढ़ जाए, पानी का दाम बढ़ जाए, बिजली का दाम बढ़ जाए, तो क्यों नहीं यह नीति लागू होती है कि किसान को बगैर तकलीफ दिए हुए, बगैर उसको आन्दोलन के लिए मजबूर किए हुए, सरकार स्वतः कहे कि चीजों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए जिस तरह से हम उद्योगपतियों की चीजों के दाम बढ़ाते हैं, उसी तरह से हम किसानों की उपज की प्राइस भी बढ़ायेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जाता है, और उसके लिए किसान को आन्दोलन करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, प्रदर्शन करना पड़ेगा, तब कहीं जा कर सरकार उसके साथ सौदेबाजी करती है कि 150 रुपये नहीं, 120 रुपए लीजिए या 130 रुपए लीजिए।

किसान देश का सबसे बड़ा भाग है, मगर किसानों के सामान को खरीदने और बेचने के सम्बन्ध में सरकार की पालिसी बिल्कुल अनरीयलिस्टिक रही है, उसकी एन्टी-पेजेन्ट्स पालिसी रही है। इसी पालिसी का नतीजा है कि आज भारत जैसे देश को एडबिल आयल दुनिया के दूसरे देशों से मंगाना पड़ रहा है। खाने का सामान, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल दूसरे देशो से मंगाया जाएगा, तब अपने देश को दिया जा सकेगा। कहीं कमजोरी है या नहीं ? यह देश स्वयं ये चीजें क्यों नहीं पैदा कर सकता ? वह कर सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सरकार को नेशनल प्राइस पालिसी और नेशनल प्राफिट पालिसी बनानी चाहिए।

सरकार को छठी पंच-वर्षीय योजना पर फिर से विचार करना चाहिए और उसकी प्रायर्टीज को रीफिक्स करना चाहिए। छठी पंच-वर्षीय योजना उसी पुराने पैटर्न पर चल रही है जिसका नतीजा यह हो रहा है कि गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली जा रही है। सरकार का इरादा चाहे जितना नेक हो, लेकिन इस कानून से इस बढ़ती हुई कीमतों, चोरबाजारी और काले धन पर वह नियंत्रण नहीं कर सकेगी। इसलिए सरकार को पूरी की पूरी योजना पर फिर से विचार करना पड़ेगा।

इसके साथ ही इस देश में कनज्यूमर्ज मूवमेंट को मजबूत करना पड़ेगा और उसमें सरकार को मदद करनी पड़ेगी। मैं आपको कैपिटलिस्ट कंट्रीज का उदाहरण देता हूं। स्विट्जरलैंड में कुछ लोगों ने कनज्यूमर्ज मूवमेंट के जरिए सारे देश में दुकानें खोल रखी हैं। अगर आपको अच्छी घड़ी लेनी है, तो बड़ी दुकान से मंहगी खरीदिए। लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए घड़ी सस्ते से सस्ते दामों पर दुकान पर मिलती है। इसी तरह कपड़ा, सब्जी और दूसरा सामान मिलता है। आज सरकार को फिर से अपनी पूरी योजना पर, पूरी व्यवस्था पर, विचार करना चाहिए। इस देश में पूंजीवादी व्यवस्था दिन-प्रति-दिन मजबूत हो रही है और वह आम जनता की जिन्दगी

की कीमत पर, जिसके कारण 80 फीसदी लोग तबाह हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमने अपने कांस्टीट्यूशन में यह प्रतिज्ञा की है कि हम सब बच्चों को स्कूल भेजेंगे, चौदह साल तक के बच्चों को कम्पलसरी और फ्री एजूकेशन देंगे।

छः करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं क्योंकि उनके माता-पिता उन्हें प्राथमिक स्कूलों में भेजने का सामर्थ्य भी नहीं रखते। यह बच्चे गरीब परिवारों के हैं जो हरिजनों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़ी जातियों के हैं। अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति के कारण उनके मां-बाप उन्हें घरेलू नौकर बनाना पसन्द करते हैं। बच्चा 30 से 40 रुपये प्रति महीना कमा लेता है।

इसलिए उसे अपनी दाल-रोटी कमाने के योग्य माना जाता है। यह स्थिति है। इसके लिए सम्पूर्ण सामाजिक आर्थिक नीति पर पूर्ण गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के विधेयक और इस प्रकार के अध्यादेश से, देश में जो काले धन की समान्तर अर्थ-व्यवस्था चल रही है, उस पर काबू नहीं पाया जा सकता और न ही उसका कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कारगर शस्त्र के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं समझता हूं कि सरकार को इन उपायों पर पुनः विचार करना चाहिए।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, जब इस बिल पर डिस्कशन हो रहा था तो एक बात मेरे दिमाग में आई और वह मैं माननीय कृषि मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं कि मर्ज बढ़ता ही गया ज्यों ज्यों दवा की। न तो मर्ज कम होता है न मरीज रोग से मुक्त होता है और डाक्टर दवा देते रहते हैं। भगवान जानता है ···(व्यवधान) दवा में तो सब कुछ तत्व है लेकिन पता नहीं डाक्टर किस प्रकार दवा को ऐडमिनिस्टर करता है ? 1955 में यह कानून आप ने बनाया एसेंशियल कमोडिटीज ऐक्ट और उसको अमेंड करते चले गए। राव साहब बताएंगे, बहुत अच्छा चूंकि डिटेल में स्टडी करते हैं, मुख्य मंत्री रहे हैं हरयाना के, मैं उनसे एक बात पूछता हूं कि :

(श्री चन्द्रजीत यादव पीठासीन हुए)

ज्यों ज्यों आप ने कानून पास किया और ज्यों ज्यों उस कानून में तब्दीली होती गई क्या इस प्रकार से भाव नीचे आ गये ? चीजें गरीबों को उपलब्ध होने लगीं ? और इस प्रकार से आप ने कितने लोगों को सजा दी ? जो कानून आज है उस कानून के अन्तर्गत कितने दोषी पकड़े गए और कानून की कमी के कारण कितने दोषी छूट गए ?

मैं कानून अमेंड करना चाहता हूं, कानून में संशोधन करना चाहता हूं, ये दो बातें रोज हम सुनते हैं, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो चाहे और कोई सरकार हो। जब कभी मन्त्री बोलते हैं तो यही बोलते हैं कि मुनाफाखोरों, जमाखोरों, अपने रवैयों को बदलो नहीं शिकंजे

में बन्द कर दिए जाओगे। अखबारों में यह खबर मुख पृष्ठ पर होती है। जमाखोर जितने हैं शिकंजे में बन्द कर दिए जायेंगे। अच्छा है। दो चार रोज तो बड़े बड़े स्टेटमेंट अखबारों में आते हैं ये स्टेटमेंट जैसे सांप फुफकार करता है ऐसे ही दो चार रोज तक बहुत निकलते हैं। उसके बाद जैसे सांप थक जाता है और अपनी फुंफकार बन्द कर देता है ऐसे ही ये स्टेटमेंट आने बंद हो जाते हैं। लोग समझते हैं कि अब थक गए। उसके बाद एक काम यह करते हैं कि कानून बना देते हैं। मैं कहता हूं दवा का नाम लेने से रोग नहीं जाता है, दवा खाने से रोग जाता है। लेकिन यहां एक बात है कि दवा का नाम रोज लेते रहो।

एक बात मैं बताऊं कि आप के राज्यों के लोग हैं ··(व्यवधान) देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होने चाहिए जो मन्त्री जी की आवाज में बोलें, मैं शायद ज्यादा मन्त्री जी के नजदीक होऊंगा लेकिन मुझे अपनी बात कहनी है। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आप के कानून बनाने के बाद कितनी बार उसमें तरमीम हुई और कानून में तरमीम होने के बाद भावों में कितनी गिरावट आई, कितने आदमियों को सजा हुई और कितने हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं जो यह बतलाते हैं कि कानून की कमी के कारण और उसमें जो कमजोरियां हैं उनके कारण मुलजिम छूट गए ? एक नयी बात शायद मेरे दिमाग में आती है कि न्याय एक सौदा है जो तिजोरियों से खरीदा जा सकता है। बिलकुल और कुछ न्याय नहीं है। तिजोरियों में जिसके पैसा है वह न्याय खरीद सकता है। आज एक भ्रष्टाचार जीवन में हर तरफ से छाया हुआ है, देश के रोम रोम में व्याप्त है। यह भ्रष्टाचार का छूत जनजीवन में किसी से अलग नहीं है। उसने सभी हिस्सों को छू लिया है। क्या आप बतायेंगे कि कितने एन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, कितने डिस्ट्रिक्टस सप्लाई आफिसर, कितने फूड कमिश्नर या कितने और अधिकारी इन मोहकमे में हैं जिन पर इस कानून के जरिए ऐक्शन लिया गया है। जो धनवान लोग हैं, जो मालदार लोग हैं उन पर इसका कोई असर नहीं होगा। वे तो बस यह जानते हैं चार पैसे रिश्वत के ज्यादा लगेंगे। नजराने से दफ्तर के बड़े बड़े देवता खुश हो जाते हैं। जो देवता वहां पर काम करते हैं उनको प्रसाद चढ़ा दिया गया तो फिर आपका सारा कानून अलग रह जायेगा। यह देवता प्रसाद के भूखे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि कौन सी मशीनरी है जिसके जरिए से आप कानून को लागू करेंगे ?

मैं मानता हूं कि आपने कानून को सख्त कर दिया। आपने नानबेलेबल आफेन्स कर दिया है। मैंने सोचा कि यह बड़ी चीज हो गई, अब बनिये घबरा जायेंगे, पहले अगर दो हजार देते थे तो अब चार हजार रख लें। तो नानबेलेबल आफेन्स बनाकर आप क्या करना चाहते हैं किसी ने एक टेक्निकल आफेन्स की है, कोई सूची लगी हुई थी वह किसी कारण हट गई तो आपने कह दिया नानबेलेबल आफेन्स और उसमें आपने कोई डिस्क्रीशन भी नहीं दिया। तीन महीने की सजा मैनडेटरी कर दी गई है कि तीन महीने की सजा तो होगी ही। एक दिन की सजा क्यों नहीं हो सकती अगर कोई टेक्निकल आफेन्स ही किया गया है ? कई बार टेक्निकल आफेन्स हो जाते हैं और यह भी देखा जाता है कि उसकी गिल्टी इन्टेन्शन थी या नहीं ? इसलिए मैं चाहूंगा कि या जो आपने तीन महीने की सजा का प्रावधान रखा है उस पर

आप फिर से विचार करेंगे। पहले तीन महीने तक की सजा का प्रावधान था लेकिन अब आपने कह दिया कि तीन महीने की सजा दी जायेगी।

आपने सेकशन (7) में अमेन्डमेन्ट किया है। पहले तो आपने नानबेलेबल कर दिया और फिर यह कह दिया कि अगर कलक्टर ने जजमेन्ट दे दिया, जिसके लिए पहले प्राविजन था कि जुडीशियल एथारिटी के पास अपील की जा सकती थी लेकिन अब जो स्टेट गवर्नमेन्ट है उसके पास अपील की जायेगी। क्या आप जुडीशियरी में विश्वास करना चाहते हैं या नहीं? आपको जुडीशियरी पर विश्वास है या नहीं — यह एक बड़ा गम्भीर प्रश्न सामने आता है। इस पर भी आपको विचार करना चाहिए। आपने जो क्लाज अमेन्ड किए हैं इसमें सेक्शन 6 (सी) में आपने कहा है :

मूल अधिनियम की धारा 6 ग में —

"किसी ऐसे न्यायिक प्राधिकारी जो सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो और न्यायिक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सम्बन्धित राज्य सरकार और राज्य सरकार" शब्द रखे जायेंगे।

सरकार किसी भी पार्टी की हो, इसने जुडीशियरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर—इन तीनों अंगों को रेस्पेक्ट दी है आज उसमें कमी करने का क्या कारण है?

यह आपका सन् 1955 का एक्ट है जुडीशियल एथारिटी को अमेन्ड करके आपने कह दिया है :

उन्होंने धारा 5 में कहा है—

उपधारा (1) में "किसी न्यायिक अधिकारी जो सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त हो और वह न्यायिक प्राधिकारी" शब्दों के स्थान पर "सम्बन्धित राज्य सरकार और राज्य सरकार शब्द रखे जायेंगे" :

राव बीरेन्द्र सिंह : आपने कहा इन्साफ बिकता है।

श्री मूल चन्द डागा : यह बिल्कुल ठीक बात है। आपने कहा कि नहीं, यह जो बैठते हैं, राजनीतिक पार्टी वाले, वे न्याय करें और आपके दिमाग में यह बात आ गई। आप इस बात को समझिए कि जुडिशियरी को हर वक्त इंडिपेडेंट मानना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि आप जुडिशियरी को हटाकर समाज को पावर देना चाहते हैं, उस पर आप विचार करिए और नहीं तो यह जो पावर आपने दी है, उन पर गौर करके देख लीजिए। आपने सैक्शन-7 में अमेंडमेंट करते समय क्या कभी सोचा है कि इसमें अमेंडमेंट करना क्यों जरूरी था। आपका क्लाज-7 क्या कहता है :

विधेयक के खंड 7 में कहा गया है :—

"मूल अधिनियम की धारा 7 में—

(क) उपधारा (1) में खंड (क) के उपखंड (ii) के परन्तुक का लोप किया जायेगा;

(ख) उपधारा (2) के परन्तुक का लोप किया जायेगा ;

(ग) उपधारा (2 क) के परन्तुक का लोप किया जायेगा ;

अब वे किस प्रावधान का लोप करना चाहते हैं ? मूल अधिनियम के प्रावधान में कहा गया है :—

"परन्तु न्यायालय, ऐसे पर्याप्त तथा विशेष कारणों से जिनका उल्लेख निर्णय में किया जायेगा इतनी अवधि के कारावास का दंड देगा जो तीन महीने से कम न होगा" उपधारा (2 क) के मामले में यह 6 महीने है।

उसके अन्दर जो सजा थी, उसके जरिए नहीं किया है, लेकिन इन्होंने अमेंडमेंट करने की कोशिश की। एक अमेंडमेंट आपने किया कि जजेज नहीं रखे जायें। मैं कहना चाहता हूं कि जजेज के सिवाय कौन रखे जाते हैं। आपने कह दिया :

"..... अथवा न्यायाधीश नियुक्त करने योग्य हों। 'योग्य हों' से आपका क्या तात्पर्य है" "हर ऐसे बोर्ड में तीन ऐसे व्यक्ति होंगे, जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं अथवा थे, और ऐसे लोग नियुक्त किये जायेंगे" क्यों न जोड़ा जाये।

दस साल में एल० एल० बी० कर लिया और दुकान कर रहा हूं। दस साल में एक दफा कोर्ट में गया हूं -- आई-एम- क्वालिफाइड। क्वालिफाइड यह आपने क्यों हटाने की कोशिश की। जजेज पहले भी थे - बोर्ड शैल कन्सिस्ट आफ जेजेज और क्वालिफाइड टू बी एप्वाइंटेड। लेकिन आपने क्राइटेरिया क्या रखा है, कुछ नहीं। लेकिन हि·बिल बी-एप्वाइंटेड एज जज। फिर आपने नान-बेलेबल आफेंस कर दिया और नान-बेलेबल-आफेंस करने के बाद समरी ट्रायल कर दिया और समरी ट्रायल करने के बाद आपने उस केस के अन्दर कहा कि दो साल तक की सजा दी जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपने राज्य सभा में स्टेटमेंट दिया है, इस संबंध में। जहां पर कोई टैक्नीकल आफेंस है तो उनको तीन महीने कम्पलसरी सजा हो। कोई आदमी 70 साल का है, कोई छोटासा लड़का है, क्या आपने उनके बारे में सोचा है।

आपने तो इसे मेण्डेटरी कर दिया है। इसलिये मैं अर्ज करना चाहूंगा—आप मेहरबानी करके इस बिल को पारित करते समय इस बात को समझ ले कि कानून पारित कर देने से बड़ा असर हो जायगा— ऐसी बात नहीं है। आज मुझे अगर 100 बोरे सीमेन्ट चाहिये तो वह मिल सकता है, चोर बाजार में सब कुछ मिल सकता, इसलिये कि कानून को सही मायनों में असली

रूप नहीं दिया जाता है। हमारी मशीनरी, हमारे काम करने वाले लोग इतने ईमान्दार और दूध के धुले हुए नहीं हैं कि वे न्याय दे सकेंगे। कहीं ऐसा न हो कि इस कानून के जरिये जो निर्दोष व्यक्ति है या जिस ने जानबूझ कर नहीं किया है, वह फंस जाय, क्योंकि कानून मकड़ी का जाल है, जिसमें गरीब जल्दी फंस जाता है और धनवान छूट जाता है। धनवान तो फंसता ही नहीं है। आप चाहे जिस तरह का कानून पारित करें—धनवान उससे बाहर निकल जाने का तरीका जानता है। जब तक इस देश से भ्रष्टाचार नहीं हटेगा, नजराना नहीं हटेगा, तब तक कानून के जरिये सरकारी कर्मचारी छोटे दुकानदारों को परेशान करते रहेंगे।

मैंने इस बिल पर अपने कुछ अमेण्डमेन्टस भी दिये हैं, जब उनका समय आयेगा, तब मैं उस पर अपने विचार व्यक्त करूंगा। लेकिन मैं पुनः तीन बातों की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इसको नान-बेलेबिल न बनायें, तीन महीने की सजा का प्रावधान न करें और जुडीशियल अथारिटी को जो पावर दी गई है, वे स्टेट अथारिटीज को न दे दें .....।

श्री नवल किशोर शर्मा ; और गरीब बनियों का ध्यान रखें।

श्री मूल चन्द डागा : ब्राह्मणों का भी ध्यान रखिये क्योंकि वे बनियों के घर आते हैं और उन से दोनों का कल्याण होता है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : जहां तक चोरबाजारियों तथा जमाखोरों के विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी इस विधेयक के उद्देश्यों का सम्बन्ध है, इसके बारे मेरे विचार में अधिक मतभेद नहीं है। लेकिन मैं इस समय यह कहना चाहता हूं कि इस संशोधन द्वारा सरकार ऐसे कुछ विशेष प्रावधानों तथा वर्गों का समावेष करना चाहती है जो इसने विशेष प्रावधानों के लिये निर्धारित किये हैं। ये प्रावधान इस प्रकार हैं :—

1. विशेष न्यायालय के लिये भी प्रावधान होना चाहिये ;
2. संक्षिप्त मुकदमों के लिये भी प्रावधान होना चाहिये ; और
3. अपराध गैर--जमानती होना चाहिये।

ये विशेष प्रावधान हैं। मुझे ये यह कहते हैं कि ये संशोधन विधेयक के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते। विधेयक तथा इसके लम्बे शीर्षक का उद्देश्य जमाखोरों चोरबाजारियों, मुनाफाखोरों) तथा मुद्रास्फीति पैदा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करता है। आप देखेंगे कि यदि मुद्रास्फीति भी इससे जुड़ी है तो क्या इस संशोधन द्वारा मुद्रास्फिति की प्रवृत्तियां, मूल्य वृद्धि का सामना किया जा सकता है ? मुझे खेद है कि यदि हमें मुद्रास्फिति की प्रवृत्तियों का सामना करना है तो विशेष आर्थिक नीति का अपनाया जाना तथा विशेष आर्थिक कार्यवाही करना जरूरी है।

जैसे कि मैं पहले कह चुका हूं कि केवल इन संशोधनों द्वारा ही विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। आपने ठीक ही कहा है कि यह अधिनियम 1955 अथवा 1956 से लागू था।

क्या 1956 के बाद मूल्यों में कोई वृद्धि नहीं हुई है वृद्धि हुई है जहां तक चोरबाजारी निवारण अधिनियम का सम्बन्ध है, इसे पहले पास किया जा चुका है और हमें बताया गया है कि उस अधिनियम के अन्तर्गत 343 गिरफ्तारियां की गयीं अथवा नजरबंदियां की गयीं। यह भी कहा गया है कि इसके अन्तर्गत 3746 तलाशियां ली गयीं तथा छापे मारे गये और जहां तक कोफेपोसा का सम्बन्ध है, इसके अन्तर्गत 354 व्यक्तियों को नजरबंद किया गया। मुझे गलत न समझें लेकिन इन तथ्यों से पता चलता है कि केवल इन्ही उपायों द्वारा मूल्य वृद्धि नहीं रोकी जा सकती। इसके विपरीत मूल्य बढ़ें हैं। अतः प्रश्न केवल कानून अथवा संशोधन का नहीं है। हमें मूल्य वृद्धि रोकने के लिये कुछ अन्य उपाय भी करने हैं।

उदाहरण के लिये आप उस समय तक मूल्य वृद्धि नहीं रोक सकते जब तक कि आपके पास अनिवार्य वस्तुओं को एक सुव्यवस्थित वितरण प्रणाली न हो और आपके पास सार्वजनिक माध्यम द्वारा उस समय तक एक प्रभावशाली प्रणाली नहीं हो सकती जब तक कि वस्तुओं पर आपका नियंत्रण न हो। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले में आज यह स्थिति है कि हमारा अनिवार्य वस्तुओं पर कोई भी नियंत्रण नहीं है। इन दुकानों द्वारा सस्ती तथा निश्चित दरों पर वस्तुओं की सप्लायी नहीं हो रही है क्योंकि आपका वस्तुओं पर कोई नियंत्रण नहीं है। अतः यदि आप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सफल तथा प्रभावशाली बनाना चाहते हैं तो अनिवार्य वस्तुओं पर नियंत्रण का होना आवश्यक है। मंत्री महोदय मेरे से नाराज होंगे यदि मैं फिर यही बात कहूं कि जब तक आप अनिवार्य वस्तुओं के थोक व्यापार को हाथ में नहीं लेते उस समय तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रभावी नहीं हो सकती है।

मूल अधिनियम में भी धारा 6 में एक प्रावधान है जिसके अधीन सरकार कानूनी तौर पर मूल्य निश्चित कर सकती है। कानूनी तौर पर अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य निश्चित करके मूल्य वृद्धि रोकने में सरकार को क्या कठिनाई है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्ताव किया है कि 14 अनिवार्य वस्तुओं की सूची बनाई जाये और देश भर में इनके मूल्य कानूनी तौर पर निश्चित किए जाएं और केन्द्रीय राजसहायता प्राप्त एक नागरिक पूर्ति निगम होना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाए कि उपभोक्ताओं को इन अनिवार्य वस्तुओं का वितरण उचित दर की दुकानों द्वारा हो। (व्यवधान) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष के तरीके से आप मूल्यों को नहीं नियंत्रित कर सकते। विश्व बैंक आपको राजसहायता कम करने के लिए कहता है और आप उन्हें कहते हैं कि हम राजसहायता कम कर रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि राज सहायता कम करके मूल्य कम नहीं किये जा सकते। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक ही राज सहायता निश्चित करते हैं और यह भी देखते हैं कि क्या इसे बन्द किया जा सकता है। वे कहते हैं कि हड़ताल पर प्रतिबन्ध होना चाहिए और आप उसके लिए सहमत हो गये हैं। लेकिन मैं अभी इस बारे में चर्चा नहीं कर रहा हूं। लेकिन यदि आप सही रूप से चाहते हैं तो इस नीति में परिवर्तन किया जाना चाहिए।

यह मेरी मांग है कि सरकार को जन वितरण प्रणाली को मजबूत ही नहीं बनाना चाहिए बल्कि अनिवार्य वस्तुओं के मूल्य भी कानूनी तौर पर निश्चित करने चाहिए। मैं 14 वस्तुओं

का जिक्र कर चुका हूं। राज्य स्तर पर नागरिक पूर्ति निगम होना चाहिए जिसे राज सहायता द्वारा गठित किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों को इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं के बीच सस्ते दामों पर वितरित करने के लिए कहा जाये। मूल्य दर में अन्तर होना चाहिए। समाज के गरीब वर्ग के लिए मूल्य कुछ कम होने चाहिए। कृषि श्रमिकों तथा समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को अनिवार्य वस्तुएं सस्ते दामों पर मिलनी चाहिए। जब तक सरकार इस नीति का पालन नहीं करती - उस समय तक इस प्रकार के संशोधनों द्वारा हम इन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर सकते।

मेरा आखरी निवेदन यह है। श्री मूलचन्द डागा ने भी इसका जिक्र किया था। हर कदम पर न्यायपालिका को समाप्त करने के लिए जानबूझकर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां कहीं भी 'न्यायिक प्राधिकारी' शब्द का उल्लेख है, उसके बारे में प्रस्तावित संशोधन में कहा गया है कि "इसका स्थान राज्य सरकार लेगी" जैसे कि न्यायपालिका शांति की दुश्मन तथा समूचे संगठन में अपराधी है। मूल अधिनियम में व्यवस्था है कि न्यायाधीश, वर्तमान न्यायाधीशों में से होंगे। अब आप इसे एक व्यक्ति वाले न्यायालय से प्रतिस्थापित करना चाहते हैं। और यह न्यायाधीश कौन होगा ? आपके दल का कोई भी वकील जिसे किसी भी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, वह इस विशेष न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है। यह आपके पक्षपातपूर्ण रवैये और पक्षपातपूर्ण हित का एक संकेत है। आपने इस समग्र ढांचे में न्यायिक नियन्त्रण को समाप्त करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि इन विशेष अदालतों की अध्यक्षता आपके दल के लोग ही करें। मैं अनुभव करता हूं कि इस प्रकार के कानूनों का दुरुपयोग ही किया जायेगा। आप हमारी आर्थिक नीति में भारी परिवर्तन करें जिससे कि कीमतें घट सकें और उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सस्ते और उचित दामों पर मिल सकें। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : व्यास जी, आप थोड़े में बोल लें, इसको आज खत्म करना है।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, जो बिल माननीय मंत्री महोदय ने यहां पर प्रस्तुत किया है, उसका मैं स्वागत करता हूं। पर इसमें जो कुछ खामियां हैं उनके बारे में मैं जरूर निवेदन करूंगा।

इसमें एक तो यह है कि इसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं किया गया है कि कोई भी अपने घर में कितना सामान रख सकता है और उससे ज्यादा रखने पर उसके खिलाफ क्या हो सकता है। अगर कोई लिमिट से ज्यादा सामान रख सकता है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गयी है ? इसके बारे में भी इसमें प्रावधान होना चाहिए। जो अशेंशल कमोडिटीज पैदा करता है और वह लिमिट से ज्यादा अपने यहां रखता है तो निश्चित तरीके से उस पर भी वही कानून लागू होना चाहिए। वह भी उसी तरह से कानून का उल्लंघन करता है जिस तरह से दूसरा करता है। इसलिए इसमें कोई न कोई प्रावधान होना चाहिए।

आपने धारा —8 में छूट दे दी है। उसमें कहा गया है कि—

"परन्तु जहां किसी व्यक्ति ने धारा 2 के खण्ड (क) के उपखण्ड (iv क) या उपखण्ड (v) में वर्णित प्रकृति की किसी आवश्यक वस्तु को, अपने उपयोग के लिए या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के उपयोग के लिए या अपने पर निर्भर किसी व्यक्ति के उपयोग के लिए, न कि ऐसी किसी वस्तु का कारबार या व्यापार करने के प्रयोजन से, उपाप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी आदेश का उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण किया है।"

इसका मतलब यह है कि आपने इस प्रयोजन में उसको छूट दे दी है। उसके परिवार वालों को भी छूट दे दी है। इसके तहत उसके खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। इससे जो बड़े-बड़े काश्तकार और खातेदार हैं, वे इससे फायदा उठाएंगे और उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्यवाही करने में बाधा आएगी और मंशा के विपरीत व्यवस्था सुचारू रूप-से नहीं चल सकेगी। लोग निश्चित रूप से कानून का उल्लंघन करेंगे, इसलिए इसमें परिवर्तन किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार से 12 क. की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं—इसमें (घ)—(i) में बताया गया है कि—

"इस प्रकार छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने का अभियोजन को अवसर दिए बिना ऐसे व्यक्ति को तभी जमानत पर छोड़ेगा जब विशेष न्यायालय की, लेख बद्ध किए जाने वाले कारणों से, यह राय हो कि ऐसा अवसर देना व्यवहार्य नहीं है।"

आपने इस प्रकार की इजाजत दे दी है कि सरकार के पैरोकार कोई आब्जेक्शन न करें इसलिए इससे पहले ही जज उसको जमानत पर छोड़ देगा। इस तरह से आप ब्लैक-मार्केटियर्स को और होर्डर्स को जो सजा देना चाहते हैं, उससे आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था को इसमें से हटाना पड़ेगा।

इसके साथ-साथ 12 (घ) (ii) में आपने बताया है कि—

"परन्तु यह और कि विशेष न्यायालय यह निदेश दे सकेगा कि ऐसे व्यक्ति को उस दशा में जमानत पर छोड़ दिया जाए, जबकि उसकी आयु सोलह वर्ष से कम है या वह स्त्री है या वह रोगी या दुर्बल व्यक्ति है या विशेष न्यायालय का यह समाधान हो गया है कि किसी अन्य विशेष कारण से, जिसे लेख बद्ध किया जाएगा, ऐसा करना न्यायपूर्ण और उचित है।"

इस तरह से आप बहुत कम लोगों को सजा दे पाएंगे। बहुत से लोग बीमारी का झूठा सर्टिफिकेट ले आएंगे, बहुत से लोग 16 साल के बन जाएंगे, इस तरह से आपका सारे का सारा उद्देश्य बीच में ही रह जाएगा और आपका मकसद पूरा नहीं हो सकेगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें इस प्रकार की व्यवस्था कीजिए जिससे आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुचारू रूप से किया जा सके ।

अन्त में मैं एक-दो सुझाव वितरण प्रणाली के संबंध में और देना चाहता हूं । जब तक आवश्यक वस्तुओं का वितरण ठीक नहीं होगा, तब तक आप कितने ही कानून बना दें, चोर-बाजारियों के खिलाफ कितने ही कानून बना दें उनसे कोई फायदा नहीं है । आपको आवश्यक वस्तुओं के वितरण की एक निश्चित व्यवस्था करनी होगी । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के अन्दर बहुत से प्रांत ऐसे हैं, जैसे—मद्रास, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र इत्यादि, जहाँ पर कोआपरेटिव बेसिस पर असेंशियल आर्टिकल्स ठीक प्रकार से वितरित हो रहे हैं, लेकिन अन्य प्रांतों में व्यवस्था ठीक नहीं है । इसलिए आपको कोआपरेटिव सोसायटी पर आधारित एक एजेंसी तैयार करनी होगी, जिससे तमाम आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई की जा सके । इसमें दिक्कतें आएंगी, जैसे फण्ड की दिक्कत है, मैनेजमेंट की दिक्कत है और देहात में पढ़े-लिखे लोगों की कमी ये दिक्कतें आएंगी । इसलिए इसके लिए ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए जो इस कार्य का अनुभव रखते हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाने की ओर तत्पर हैं । मैंने पहले भी एक बार कहा था कि कोआपरेटिव सोसाइटीज को मजबूत करने की ओर आपको ध्यान देना होगा । आप हर प्रकार के क्षेत्र में सब्सिडी देते हैं और उसकी वजह से आपकी व्यवस्था जम नहीं पाती, और दूसरे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं । इसलिए सब्सिडी देने की बात छोड़िए और कोआपरेटिव मूवमेंट को मजबूत कीजिये । 500 करोड़ रु० कोआपरेटिव मूवमेंट के जरिये से देहात और शहरी क्षेत्र में कोआपरेटिव सोसाइटीज स्थापित करके उनको दीजिये और उनके मैनेजमेंट को ठीक से चलाइये । इस प्रकार हम निश्चित तरीके से ऐसेंशियल आर्टिकिल्स को सप्लाई कर सकेंगे ।

थोड़े दिन पहले आपने एक प्रेस कानफरेंस की थी टी० वी० पर जिसमें यह सवाल पूछा गया कि क्या आप ऐसेंशियल आर्टिकिल्स को सब जगह सप्लाई कर सकेंगे ? तो आपने कहा यह जरूरी नहीं है कि सब जगह सप्लाई कर सकें । मगर आज की मंहगाई में जरूरी है कि जो जीवन के लिए आवश्यक चीजें हैं जैसे गेहूं, शक्कर आदि यदि उनका वितरण हम नहीं करते हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पायेंगे । इसलिए इस चीज को ठीक करना चाहिए । आज सीमेंट, किरोसिन, गैस एडिबिल आयल, सीरियल्स, शुगर, कोयला, कपड़ा ऐसी चीजें हैं जिनको कोआपरेटिव के जरिये से ऐसेंशियल आर्टिकिल्स मान करके सप्लाई करने की व्यवस्था करनी चाहिये । हमने कपड़े की व्यवस्था की है, 110 मिलें लेकर एन० टी० सी० कायम की है, जिनमें मोटा कपड़ा बनता है । मगर क्या उसका वितरण ठीक प्रकार से होता है । क्या हम गेहूं, शक्कर, वेजिटेबिल आयल, ऐडिबिल आयल लोगों को ठीक प्रकार से दे रहे है ? यह सारी व्यवस्था निश्चित रूप से ठीक होनी चाहिए ।

सीमेंट को देख लीजिए । पहले तो उनके एजेन्ट लोग ब्लैक करते थे, लेकिन आज बड़े-बड़े सीमेंट के कारखानेदार स्वयं ब्लैक करते हैं 2, 3 रु० फी बोरी ज्यादा लेकर कर के । भारत सरकार या सीमेंट कंट्रोलर कोई आदेश दे या न दे उनको कोई चिन्ता नहीं है । पैसे वाले लोगों

को सीमेंट उपलब्ध करा दिया जाता है, लेकिन गरीब जरूरतमन्द लोगों को सीमेंट नहीं मिलता। इसलिए ऐसे लोगों के सम्बन्ध में कोई न कोई व्यवस्था करनी चाहिए जिससे काम ठीक से चल सके।

एक बात और कहना चाहता हूं कि यदि वितरण की व्यवस्था आप ठीक कर दें तो बहुत सी समस्यायें हल हो जायेंगी। हमारे विरोधी दल के लोगों ने भी इसका स्वागत किया, मगर कुछ बातें अपनी तरफ से जोड़ देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि कोल माइन्स का आपने नेशनेलाइजेशन किया। लेकिन आज वहां क्या व्यवस्था है? वहां खानों में काम करने वाले लोग क्या कर रहे हैं? बंगाल की सरकार क्या कर रही है? दूसरी सरकारें क्या कर रही है? मद्रास और केरल के बीच में ऐसेंशियल आर्टिकिल के बारे में जो घपला हुआ उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है? बंगाल की सरकार लाखों टन कोयला बाहर भेज रही है उसके सम्बन्ध में सरकार क्या कर रही है? इन सारे प्रश्नों को देखना चाहिये, और जो जीवन के लिये आवश्यक चीजें हैं उनकी सप्लाई लोगों तक ठीक से कर सकें ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये। कानून में लूपहोल्स न रहें। 1955 से आज तक कानून बनाते आये हैं, मगर जो लूपहोल्स रह जाते हैं उसका दूसरे लोग फायदा उठाते हैं। इसलिये लूपहोल्स बन्द होने चाहिये।

पेस्टीसाइड्स के बारे में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलते हुए मंत्री जी ने कहा कि वह भी ऐसेंशियल आर्टिकल है लेकिन कारखानेदार जो घटिया किस्म की दवाई बना रहे हैं जिससे किसानों को और राष्ट्र का नुकसान हो रहा है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने की कोई व्यवस्था नहीं है। कल आप कह रहे थे कि डिस्ट्रिक्ट लेविल पर और ब्लाक लेविल पर लोग नहीं हैं। मेरा कहना है कि वहां आपके अधिकारी बैठे हुए हैं, मगर उनको कोई अधिकार नहीं है ऐसी घटिया किस्म की दवाई बेचने वालों के खिलाफ क्या कार्यवाही की जाय इसके बारे में कोई न कोई कानून के जरिये से उनको आपको पावर देनी चाहिये। ताकि इस प्रकार का जो गलत डिस्ट्रिब्यूशन या गलत काम हो रहा है, उसको रोका जा सके।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन दोनों बिलों का समर्थन करता हूं।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : सभापति महोदय, सरकार का स्वीकृत लक्ष्य है इस अधिनियम को यथासम्भव कठोर बनाना तथा असामाजिक तत्वों, काला बाजारियों, जमाखोरों आदि के विरुद्ध अधिक कठोर कार्यवाही करना। सरकार के विचार से वर्तमान मुद्रास्फीति की स्थिति से निपटने के लिए कुछ विशेष उपबन्धों की आवश्यकता है और जैसा कि मैंने अभी कहा है वे जमाखोरी और कालाबाजार में लिप्त असामाजिक तत्वों को समाप्त करना चाहते हैं।

परन्तु, महोदय मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। 1955 से सरकार के पास सभी प्रकार की कानूनी परन्तु दुर्भाग्य से न्यायिक शक्तियां असामाजिक तत्व, कालाबाजारिये और जमाखोर पनपते ही जा रहे हैं और सरकार के सभी प्रयत्न निष्फल चले गये हैं। इसका मूल कारण क्या है

यह बात हमें स्वयं से पूछनी चाहिये ? कोई भी समझदार व्यक्ति यह नहीं कहेगा कि असामाजिक तत्वों कालाबाजारियों और जमाखोरों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न की जाए । मेरा यह निवेदन है कि सरकार अपनी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराकर उन्हें बलि का बकरा बना रही है । महोदय यदि सरकारी तन्त्र के माध्यम से पूर्ण ईमानदारी से कानून के विद्यमान उपबन्धों का प्रयोग और उपयोग किया जाता तो मेरे विचार से काला बाजारी, जमाखोरी आदि भूतकाल की बातें हो जाती । परन्तु दुर्भाग्य से सरकार इनको समाप्त करने में इसलिए असफल रही है क्योंकि सरकार की आर्थिक नीतियां गलत हैं । मुद्रास्फीति का सरकार की आर्थिक नीतियों की असफलता के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं है ।

महोदय, निचली सीढ़ी वाला सरकारी तन्त्र बहुत ही भ्रष्ट है । बड़ी शार्क मछलियों और सरकार के बीच चोली-दमन का साथ है । ये सभी बड़ी शार्क मछलियां बचकर साफ निकल जाती हैं और छोटी गलत जाल में फंस जाती है । हानि और कष्ट इन और गलत फंसे लोगों को होता है ।

इसलिए मैं सरकार से पूछता हूं क्या वे इसके बारे में बहुत ही गम्भीर हैं ? क्या इसे लागू करने की और उन सभी असामाजिक तत्वों, काला बाजारियों और जमाखोरों का पर्दाफाश करने की राजनीतिक इच्छा उनके पास है ? महोदय जहां तक इस पहलू का सम्बन्ध है, सरकार के इरादे के बारे में मेरे अपने ही सन्देह हैं ।

मेरे पास समय बहुत कम है यह सब कैसे हुआ, इस पूर्ण इतिहास की मैंने एक लम्बी सूची तैयार की थी ।

परन्तु महोदय, इसके बारे में इस देश के व्यापारी समुदाय की कुछ उचित शंकाएं हैं । मैं उन कालाबाजारियों और जमाखोरों की बात नहीं कर रहा हूं । यहां मैं छोटे व्यापारियों की बात कर रहा हूं । नीचे वाले कर्मचारीगण इन छोटे व्यापारियों को पकड़कर उन्हें बलि का बकरा बनाते हैं । वे उनके खून के प्यासे हैं । केवल चूंकि उन्होंने सूचना-पट पर कीमतें नहीं लिखी होती है उन्हें बलि का बकरा बनाया जाता है ।

मेरे विचार से सरकार दिखावा कर रही है । मुद्रास्फीति की समस्या को हल करने, मूल्य घटाने, सभी प्रकार के कालाबाजारियों और असामाजिक तत्वों तथा जमाखोरों के प्रति कार्यवाही करने में यह सरकार अधिक गम्भीर नहीं है ।

इन परिस्थितियों में मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह बसे प्रवर समिति के पास भेज दें । इसको सुस्पष्ट प्रणाली बनाने का एकमात्र यही रास्ता है । अन्यथा स्थिति से निपटना आपके लिए बहुत कठिन होगा । अब तक आप बुरी तरह असफल रहे हैं और आप फिर आगे भी असफल रहेंगे ।

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, चोरबाजारी और मुनाफाखोरी बन्द हो और मंहगाई पर नियंत्रण हो, जब ऐसा कोई भी विधेयक सदन के सामने पेश होगा, तो

इस माननीय सदन के सदस्य निश्चित रूप से उसको भरपूर समर्थन देना चाहेंगे। सभापति महोदय, मुझे आपके भाषण की एक बात पसन्द आई। आपने कहा कि दोहरी नीति रखना मुनासिब नहीं है और सरकार को प्राइस और प्राफिट के बारे में कोई नीति बनानी चाहिए। मुझे यह बात बड़ी माकूल लगी। मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि पिछले 33, 34 सालों में सरकार दोहरी और तेहरी नीति चलाती रही है, ताकि देश में शोषक और शोषित दोनों बने रहें। उदाहरण के लिए शिक्षा के क्षेत्र में भी दोहरी नीति चलाई जाती है। एक तरफ बड़े बड़े पब्लिक स्कूल हैं और दूसरी तरफ गांवों के छोटे स्कूल। इसी तरह दोहरी मूल्य नीति है। एक तरफ तो आवश्यक वस्तुओं की सरकारी दुकानें खोली जाती हैं और दूसरी तरफ उन्हें बाजार में भी बेचने की इजाजत दी जाती है। गेहूं, चावल, साबुन और तेल वगैरह सरकारी दुकानों पर भी बिकेंगे और खुले बाजार में भी बिकेंगे और दोनों जगह उन चीजों के दाम अलग अलग हैं। खुले बाजार में ज्यादा मुनाफा होता है और सरकारी दुकानों पर मुनाफा कम होता है।

लेकिन देश का दुर्भाग्य यह है कि सरकारी दुकानों फेयर-प्राइस शाप्स या सुपर बाजार की दुकानों में जो चीज आज तेरह या सोलह रुपये में मिलेगी, दो महीने के बाद वह है 18 रुपये में मिलेगी—दो महीने में दो रुपये दाम बढ जायेंगे। सरकारी दुकानों पर भी दाम बढ़ जाते हैं। जो लोग भी सरकार चलाते हैं, इन्दिरा गांधी की सरकार या कोई भी सरकार, वे जानते हैं कि उत्पादन कितना है और खपत कितनी है, और कभी कितनी है, और उस कमी को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। लेकिन इसके बावजुद बाजार में माल न मिले, दुकानों पर माल उपलब्ध न हो, लेकिन चोर बाजार में, बगल में, गली-कूचे में मिल जाए, यह बात हमारी समझ में नहीं आती। अगर मंत्री महोदय चाहते हैं कि प्राइसिज पर नियंत्रण हो और काला:बाजारी तथा चोर-बाजारी न हो, तो वह सब चीजों को न सही, कुछ चीजों को चुन लें और उन्हें सरकारी दुकानों पर बिकवाएं, और जिन चीजों की व्यवस्था वह नहीं कर सकते हैं, उन्हें वह प्राईवेट दुकानों पर बिकने दें। लेकिन लागत-मूल्य और प्राफिट तय होने चाहिए।

मैंने एक बार पहले कहा था और फिर दोहराना चाहता हूं कि मुझे एक छोटे कम्युनिस्ट कन्ट्री, जी डी आर, जाने का मौका मिला। मैंने बर्लिन में पूछा और बाल्टिक सागर के किनारे पर बसे एक गांव में पूछा, तो मुझे बताया गया कि पच्चीस सालों में कोई प्राइस नहीं बढ़ी है। अगर एक दिया-सलाई बर्लिन में 15 पैसे में मिल रही है, तो बाल्टिक सागर के एक टापू में भी 15 पैसे से बढ़ कर 16 पैसे कोई नहीं ले सकता है। इसकी तुलना में यहाँ दिल्ली में कोई चीज एक दाम से मिलती है, तो लखनऊ में वह दूसरे दाम से और गांव में जहां बाढ़ है, वहां तो पूरी लूट मची हुई है। यह लूट कौन कराता है? व्यापारी कहता है कि सरकार हमको मार रही है, प्रशासनिक मशीनरी भ्रष्ट है, जब हम लाइसेंस या स्टाक उठाने की बात करते हैं, तो हमको लेना-देना पड़ता है। सरकारी कर्मचारी कहता है कि हम क्या करें, एक जमाने में ऐसा नही होता था, लेकिन अब हमें सत्तारूढ़ पार्टी को चन्दा इक्ट्ठा कर के देना पड़ता है। और ऐसा हुआ है। मैं आप से कहना चाहूंगा कि गढ़वाल में ऐसा किया। गढ़वाल में चुनाव के दो दिन पहले छापे

डलवाये गये और उन से कहा गया कि आप पैसे दीजिए और वोट दीजिए। अगर नहीं देंगे तो सब के सब बन्द कर दिए जायेंगे। दो दिन पहले ये छापे डलवाये गये ....(व्यवधान)।

मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। आप कहते है कि अभाव है। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से बिजली काट कर चुनाव के दरमियान आप ने 24 घंटे बिजली गढ़वाल में दी। क्यों ऐसा किया ? क्या दूसरे जिलों के जो काश्तकार थे वे पैसे नहीं देते थे ? ...(व्यवधान)..... यही नहीं, मिट्टी का तेल पांच लिटर महीने में एक बार मिलता था, चुनाव के दरमियान में उसे बढ़ा कर 15 लिटर किया गया। .....(व्यवधान) चीनी का कोटा बढ़ा कर दिया गया।

मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर सरकार के लोग गलती करेंगे, बेईमानी करेंगे अपने स्वार्थों के कारण तो ये बनियों पर नियंत्रण नहीं कर पायेंगे। कथनी और करनी को इन को साफ करना पड़ेगा। अपना ईमान प्रदर्शित करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, अपने चरित्र को प्रदर्शित करना पड़ेगा। तब उसका प्रभाव पड़ेगा सारे समाज पर। तब हमारा समाज सुधरेगा तब चोरबाजारी और कालाबाजारी दूर होगी। नहीं तो आप कानून बनाते रहेंगे, कुछ होगा नहीं। .. -(व्यवधान).....मैं तो निवेदन करना चाहता हूं, आज जो सत्तारूढ़ पक्ष की स्थिति मैंने देखी अगर उस में डिवीजन हो जाये तो पता चल जाए, क्योंकि दो विचार मैंने देखे हैं। एक ने बनियों की सपोर्ट की है और दूसरों ने खिलाफत की है। इसके माने इनमें विरोधाभास है। ... (व्यवधान)..... ।

सभापति महोदय : आप जरा सुनिये तो। अब हाफ एन अवर डिस्कशन लिया जायगा। मन्त्री महोदय बहस का उत्तर कल देंगे।

आधे घंटे की चर्चा

बाढ़ से प्रभावित राज्यों को वित्तीय सहायता

सभापति महोदय : अब सदन में आधे घंटे की चर्चा की जायेगी।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत (चित्तौड़गढ़) : सभापति महोदय, यदि हम देश के मानचित्र को दृष्टि डालें तो देश के किसी कोने में हमें अकाल दिखाई देगा, कहीं सूखा दिखाई देगा और कहीं बाढ़ की भयंकरता दिखाई देगी। मै राजस्थान के बारे में निवेदन करना चाहूंगी। राजस्थान में प्रकृति ने जितना क्रूर उपहास किया है शायद ही कहीं देखने को मिलता हो। दो वर्ष तक भयंकर अकाल और सूखे की स्थिति रही और इस वर्ष वहां इतनी अधिक अतिवृष्टि हुई कि एक तरह से कयामत ही आ गई। 17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक इतनी अधिक भयंकर बारिश हुई जयपुर और उसके आस पास के इलाके में कि शायद 200 वर्ष का

इतिहास का पृष्ठ उलटा जाय तो उस में इस प्रकार की बारिश के उदाहरण हमें नहीं मिलेंगे। राजस्थान के कई जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। परन्तु जो जिले अधिक प्रभावित हैं उनका जिक्र मैं करना चाहती हूं। जयपुर, सवाईमाधोपुर, टोंक, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी और नागौर जिले अत्यधिक इससे प्रभावित हैं। इस प्रकार की क्षति क्यों हुई, इसका कारण यह है कि बांध और जो पुराने तालाब बने हुए थे वह बारिश अधिक होने की वजह से टूट गए और पानी घरों में आ गया। इसी वजह से असंख्य जानें गई। कई मनुष्य मरे, कई पशु मरे, और कई मकान गिर गए। खड़ी हुई फसल कितनी नष्ट हुई इसका तो अनुमान लगाने पर ही पता चलेगा। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान सरकार ने अपनी रिपोर्ट आप के सामने प्रस्तुत की है, उसमें विस्तृत ब्यौरा दिया गया है। मैं उस विस्तृत ब्यौरे में नहीं जाना चाहती। केवल यह निवेदन करना चाहती हूं कि कुल क्षति जो हुई है वह ८00 करोड़ रुपये की है। उस क्षति की वजह से वहाँ की सारी की सारी अर्थ-व्यवस्था चरमरा गई है, सारा का सारा दिन प्रतिदिन का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यह तो आप सभी लोग जानते हैं कि कई दिनों तक जयपुर का सम्पर्क दूसरे स्थानों से टूटा रहा। रेल के द्वारा भी, सड़कों के द्वारा भी और वायु सेवा के द्वारा भी। इस तरह से यह इलाका पूरी तरह से तबाही गर्क में चला गया। रेलवे की कितनी क्षति हुई है इसका पूरी तरह से अनुमान अभी लगाया नहीं गया है परन्तु सारी की सारी पुलियायें उखड़ गई, सारे रास्ते बन्द हो गए। रेल मन्त्री जी राजस्थान आए थे तो उन्होंने कहा था कि एक महीने में रेल सेवा ठीक कर दी जायेगी परन्तु अभी भी रेल सेवा पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है।

इसी प्रकार से जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं वह भी सारी की सारी प्रभावित हुई हैं। पुलियायें टूट गई सड़कें टूट गई। टेली-कम्युनिकेशन्स की जो सेवायें थीं वह क्षतिग्रस्त हुई। राजस्थान के लोग तो पहले से ही प्यासे हैं। प्यास बुझाने के इनेगिने जो साधन थे — ट्यूबवेल, हैण्डपम्प और दूसरे साधन वह भी सारे के सारे क्षतिग्रस्त हुए। जो ड्रेनेज सिस्टम था वह भी पूर्णतया समाप्त हो गया।

विशेषकर जयपुर में जो क्षति हुई है उसका अनुमान लगाने पर एक तरह से कपकंपी सी आ जाती है, दिल दहल जाता है। वहां के लोगों की दास्तान यदि आप सुनें तो आप द्रवित हो जायेंगे। जयपुर में 817.2 मिलीमीटर वर्षा तीन दिनों में हुई। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसी स्थिति में क्या हुआ होगा ? कई गांव वाश-आउट हो गए। कुछ फोटोग्राफ* मैंने इकट्ठे किए हैं जोकि मैं पेश करना चाहूंगी। जयपुर में पुराना गलताजी का तीर्थ स्थान पूरा नष्ट हो गया। जयपुर की जो गुलाबी सुन्दरता विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कारण वहां पर देश के ही नहीं विदेशी पर्यटक भी आते हैं वहां जो कभी पहले गया है वह यदि अब जाकर देखे तो उसको वहाँ की जाग्रफी और नक्शा ही बदला हुआ मालूम होगा। बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ गए हैं,

*चूंकि अध्यक्ष ने इन्हें सभापटल पर रखने की अनुमति नहीं दी, इसलिए इन्हे सभापटल पर रखा गया नहीं माना गया।

झोपड़ियां टूट गई हैं और गन्दा पानी जगह जगह सड़कों पर भरा हुआ है। जानवर मर जाने के बाद कहीं पर जो दुर्गन्ध आती है वही आपको वहां मिलेगी। गरीब लोगों की सारी झोपड़ियां टूटी हुई हैं जोकि गरीबी का मजाक उड़ाते हुए उनकी दास्तान सुना रही है जोकि 17 और 20 जुलाई के बीच उनके साथ घटित हुई। उन झोपड़ियों को देखने पर और स्वत: वहां जाने पर मानव हृदय चीतकार कर उठता है। सरकारी रिकार्ड के अनुसार बताया गया है कि 37 व्यक्ति मरे हैं। साथ ही कुछ गायब भी हैं जिन्हें अब मरा हुआ मान लिया गया है। सरकार कहती है शायद मर गए हैं। परन्तु जो गैर सरकारी रिकार्ड हैं उनके अनुसार मरने वालों की संख्या फोर फीगर्स में है। इस प्रकार बहुत मानव क्षति हुई है। जयपुर के अलावा टोंक जिले में एक पूरा-का-पूरा हिंगवानिया गांव पानी में बह गया। केवल एकाध झोपड़ी या कोई पक्का मकान ही बचा हो वहां के सारे व्यक्ति मर गए। सरकारी रिकार्ड के अनुसार 32 लोग मरे हैं और 70 लापता हैं। परन्तु इससे भी अधिक लोगों के मरने की सम्भावना है। इसी तरह से सवाई माधोपुर जिले में भयंकर स्थिति पैदा हुई है। बानगंगा और गम्भीरी नदी का पानी घरों में घुसने से जानवर साफ हो गए। मनुष्यों की क्षति तो कम हुई है परन्तु उस इलाके में जानवरों के अधिक मरने का अनुमान लगाया गया है।

सभापति महोदय : अगर आपने स्थिति पर काफी प्रकाश डाल दिया है तो आप के पास यदि कोई सुझाव हों तो वे दे दीजिये, ताकि मन्त्री जी जवाब दे सकें।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आधा घंटे की चर्चा की अनुमति दी गई है क्योंकि प्रश्नों के जो उत्तर दिए गए थे, वे संतोषजनक नहीं थे। अत: समग्र तथ्यों के बारे में बताना उनके लिए उचित है और मैं उनका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : तथ्य तो उन्होंने बता दिए हैं। मैंने तो केवल इतना कहा था कि यदि वह सरकार की ओर से कुछ कदम उटवाना चाहती है तो उनके बारे में बताएं।

श्रीमती निर्मला कुमारी शक्तावत : इसके अतिरिक्त कोटा जो जिला है, जो कि मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वहां पर भी बहुत अधिक क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त वहां पर खड़ी फसल नष्ट हो गई है। किसानों ने खुशी के साथ उन फसलों को बोया था और आज अगस्त के महीने में लहलहाती फसलें दिखाई देती थी आज वहां वीरान जंगल दिखाई देता है। आपने पांच करोड़ के लगभग की सहायता की घोषणा की है। हमारी प्रधान मन्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी, की मैं बहुत अधिक आभारी हूं कि इस दुखद समय में भी राजस्थान का हवाई सर्वेक्षण किया और वहां जाकर के इस बात का जायजा लिया कि वास्तव में कितनी क्षति हुई है और पांच करोड़ की सहायता दी गई। उस चार सौ करोड़ की क्षति के सामने यह सहायता बिल्कुल ही नगण्य है। इस प्रकार की अल्प सहायता से उन उजड़े हुए घरों को क्या बसाया जा सकता है, उन नष्ट हुए खेतों को खेती योग्य नहीं बनाया जा सकता है, उन सड़कों को, उन पुलों को, उन ड्रेनेज व्यवस्थाओं को, वाटर-वर्क्स की स्कीमें जो नष्ट हो गई हैं, उनको फिर से ठीक नहीं किया जा सकता है। मैं इस समय यह भी कहना चाहूंगी कि 28 अगस्त को आपकी स्टडी टीम भी जा रही है और साथ ही हमारी महान नेता, श्रीमती इन्दिरा गाँधी बहुत अधिक व्यस्त

होते हुए भी उन्होने राजस्थान के दौरे का कार्यक्रम बनाया है। यह हमारे राजस्थान का भाग्य है कि वे वास्तविक स्थिति का अध्ययन करेंगी। इस मौके पर मैं माननीय कृषि मन्त्री जी और राहत मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि उन्होंने राजस्थान की रिपोर्ट आने के पहले ही वहां की खराब स्थिति को समझ कर पाँच करोड़ की जो सहायता थी, वह इम्मीडियेटली दे दी है, परन्तु आप इस पर जरा विचार कीजिए। जैसा कि आप कह रहे थे कि सारा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है, परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि जब तक पूरी बात नहीं कहेंगे तब तक वास्तव में आवश्यकता क्या है, इस के बारे में सदन को भान नहीं हो पाएगा। मंत्री जी को रिकार्ड मिल गए होंगे, इसीलिए मैं यह कहना चाहती हूं कि इस सहायता को अधिक बढ़ाया जाना चाहिए। इस मौके पर मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यद्यपि 14 जुलाई को हमारे नए मुख्य मन्त्री ने शपथ ली थी, केवल तीन दिन ही उन्हें हुए थे, वे मंत्रिमंडल भी नहीं बना पाए थे, उन्होंने 24 घंटे काम करके उस भयंकर स्थिति का हिम्मत के साथ मुकाबला किया। आर्मी की सहायता तीन दिन बाद आ गई थी, क्योंकि जयपुर के सभी रास्ते कटे हुए थे। उस बीच उन लोगों के पास फूड पैकेट्स पहुंचाने, कपड़ा पहुंचाने और अन्य दूसरी प्रकार की सहायता दी गई उसके लिए हमारी प्रधान मंत्री जी और रिलीफ मंत्री और चीफ सैक्रेटरी भी एक तरह से बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने समय पर लोगों को संभाला। मैं यह निवेदन करना चाहूंगी कि राजस्थान में कितनी अधिक क्षति हुई है, इसका पूरी तरह से सर्वेक्षण कराया जाना चाहिए। यद्यपि चार सौ करोड़ की क्षति हुई है, मकान टूटे हैं, इस सम्बन्ध में सारी रिपोर्ट आपको मिल गई है, परन्तु संक्षेप में मैं आपको बताना चाहती हूं कि 33.430 कैटल मरे हैं, जो कि 334 लाख के बराबर हैं। जो मकान पूर्णतया नष्ट हो गए हैं, उनकी क्षति का अनुमान 95 लाख रुपये है। अल्प-अति-ग्रस्त मकानों का नुकसान 41.01 लाख रुपये, सरकारी मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके नुकसान का अनुमान 3189.25 लाख रुपए, सिंचाई के बांध, तालाब आदि की क्षति का अनुमान 981.72 लाख रुपये, पंचायत समितियों के जो छोटे-मोटे टैंक्स थे वे सब नष्ट हो गये, उनकी क्षति का अनुमान 1348.03 लाख रुपये, ट्यूब-वेल्ज, हैण्ड-पम्प्स आदि की क्षति का अनुमान 296 लाख रुपये, बिजली के तार टूटने से जो क्षति हुई है उसका अनुमान 216.36 लाख रुपये, कृषि की जो क्षति हुई है उसका अनुमान 201.43 लाख रुपये, उद्योगों की क्षति का अनुमान 84 लाख रुपये, इस तरह सब की सब क्षति मिलाकर 400 करोड़ रुपये है। अब इस 400 करोड़ रुपये की क्षति का मुकाबला हम किस प्रकार करेंगे, आप किस प्रकार से हमें सहायता देंगे—माननीय मंत्री जी, इसके बारे में हमें बतलायें। इस समय राजस्थान सरकार ने अपने पी० डब्लू० डी० के माध्यम से कुछ बस्तियों को, जो बिलकुल उजड़ गई थीं, फिर से बसाने का प्लान बनाया है।

सभापति महोदय : अभी आप कितना समय लेंगी।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : 5 मिनट।

सभापति महोदय : यह आधा घन्टे की बहस है, अभी मिनिस्टर साहब को जवाब देना है, उनके बाद 4 सदस्य प्रश्न पूछेंगे···।

प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत : दो मिनट और दे दीजिये ।

हमें उन कच्ची वस्तियों को बनाने के लिए टिन-शीट्स चाहियें, सीमेंट चाहिए । चूंकि सप्लाई विभाग भी माननीय मंत्री जी के पास है, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हमें अधिक से अधिक सीमेंट दीजिये, टिन-शीट्स दीजिए ताकि उनको फिर से बसाया जा सके ।

एक निवेदन मैं यह भी करना चाहूंगी कि राजस्थान की यह दुखान्त दास्तान है इसमें सहायता के लिए कई स्वयंसेवी संस्थायें आगे आ रही हैं । इस वक्त तक 01 लाख रुपया स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इकट्ठा किया जा चुका है । मैं इस मौके पर महाराष्ट्र सरकार और वहां के लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूंगी— उन्होंने भी हमारी बहुत सहायता की है । हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमको मकान बनाने के लिए बल्लियां और बांस आदि देने का वायदा किया है । इस समय सदन में बैठे हुए माननीय सदस्यों तथा बाहर की जनता से भी मेरा निवेदन है कि राजस्थान में जो दुखद बाढ़ आई है उसमें आप सब दिल खोल कर सहायता दीजिए । मैं सदन के माननीय सदस्यों से कम से कम एक या दो दिन का वेतन देने के लिए अनुरोध करूंगी ।

मैं मंत्री महोदय से विशेष रूप से निवेदन करूंगी कि पांच करोड़ रुपयों से कुछ नहीं होगा, इस सहायता को तुरन्त बढ़ाया जाना चाहिए । इसके साथ ही मैं संक्षेप में एक बात और कहना चाहती हूं— जैसा मैंने पूर्व में निवेदन किया था कि बाढ़ के साथ-साथ हिन्दुस्तान के कई कोनों में सूखा है । राजस्थान में भी बाढ़ के साथ-साथ कई जिले ऐसे हैं जहां सूखा पड़ गया है, पानी नहीं गिरा है जैसे जैसलमेर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ । इसलिए बाढ़ सहायता के अलावा अकाल सहायता की भी निरन्तर आवश्यकता होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करते हुए ये फोटोग्राफ्स सदन की मेज पर रखती हूं ।

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा सिंचाई तथा नागरिकपूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने राजस्थान के बारे में जो कहा है उसको सुन कर आपको भी दुख हुआ है, सारे सदन को इस बात का दुख है और सरकार को भी इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में अचानक बारिश होने से पिछले महीने कितना जबरदस्त नुकसान हुआ है । चूंकि ये इलाके ऐसे थे जहाँ आम तौर पर बाढ़ नहीं आती, इसलिए इस तरह की मानवहानी मुसीबत के लिए पहले से तैयार नहीं थे । जयपुर में 841 मिलीमीटर बारिश नार्मल से ज्यादा हो गई, टोंक में नार्मल बारिश से 425 मिलीमीटर बारिश ज्यादा हुई है, ऐसी हालत में नुकसान होना लाजमी था । सरकार ने जितना कुछ उसके बस में था, फौरी कदम उठा कर लोगों को बचाने की कोशिश की, सहायता भी दी । 1576 गांवों पर अचानक बाढ़ का असर पड़ा और कोई 7 लाख 88 हजार की पापूलेशन इससे असरान्दाज हुई । फसलें भी काफी तबाह हुई हैं और 2 लाख 48 हजार हैक्टेयर जमीन में फसलों के नुकसान का अन्दाजा राजस्थान सरकार की तरफ से हमारे पास पहुंचा है । 143 जानें तलफ होने का अब तक ब्यौरा मिला है । 228

के करीब लोगों के गुम होने की रिपोर्ट है और अब तक उनका पता नहीं लगा है तो दुःख के साथ यही कहना पड़ता है कि शायद वे जानें भी जाया गई हैं। 33 हजार से ज्यादा जानवरों का नुकसान पहुंचा है और 5857 पक्के मकान और 67 हजार से ऊपर कच्चे मकान गिर गये। जितनी राजस्थान सरकार ने मदद मांगी है, उसका मेमोरेण्डम आ चुका है और उसके लिए सेन्ट्रल टीम माइने के लिए जा रही है। इसके पेश्तर कि उनकी रिपोर्ट मदद के लिए आए और उसके ऊपर कोई फैसला होंता, भारत सरकार के 5 करोड़ रुपये की रकम एकदम राजस्थान सरकार को बगैर सेन्ट्रल टीम के विजिट किए हुए मंजूर कर दी। उसमें से राजस्थान सरकार ने काफी सहायता लोगों को दी है। 5 हजार रुपये हर एक फैमिली को दिये हैं, जिसका कोई एडल्ट मेम्बर मर गया हो। उसको इमदाद के तौर पर इतना रुपया दिया गया है। इसी तरह से जिन के मकान गिर गये, उनको 600 रुपये से लेकर 1050 रुपये फी मकान नुकसान के अन्दाजे के मुताबिक दिये हैं। कुछ थोड़ा मकान डैमेज हो गया हो या मकान बिल्कुल गिर गया हो, उसको देखते हुए, लोगों ने नुकसान को कुछ पूरा किया है और उनको मुआविजा दिया है।

मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जयपुर के अन्दर पी० डब्लू० डी० द्वारा कोई 2 हजार हटमैंट्स बनाई जा रही हैं ताकि लोगों को आजाद कराया जा सके।

सभापति महोदय, मैं यह जानता हूं कि ऐसे मौके पर जो एक दम हानि हो जाती है, उसका पूरी मुआविजा कोई भी सरकार नहीं दे सकती। लोग बेघर हो जाते हैं, जानें भी जाती हैं और यह बाढ़ राजस्थान में ही नहीं आई बल्कि सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इस साल भी इससे काफी नुकसान हुआ है। यह अन्दाजा लगाया गया है कि सारे देश में कोई 8 मिलियन हैक्टेयर जमीन सेलाव से, बाढ़ से असरान्दाज होती है और करीब 300 करोड़ रुपये का नुकसान सारे में फ्लड्स से होता है। कई बार इससे चार-चार गुना नुकसान हुआ है जैसे 1978 में सारे देश के अन्दर फ्लड्स से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। 18 मिलियन हैक्टेयर जमीन के ऊपर बाढ़ आई थी और उसके अन्दर नुकसान भी बहुत भारी हुआ सारे देश के अन्दर लेकिन कुछ नर्म्स हैं, कुछ तरीके हैं भारत सरकार द्वारा रिलीफ देने के और यह भी माननीय सदस्य मानेंगे कि बाढ़ से जो नुकसान होता है, उस में सहायता सबसे ज्यादा की जाती है जबकि ड्राऊट में और फैमिन में कम सहायता मिलती है। बाढ़ों के नुकसान की 75 फीसदी सहायता, जो स्टेट गवर्नमेंट देती है, उसको भारत सरकार पूरा करती है। राजस्थान सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार कितना सहायता सुनासिब समझती है, इसका फैसला जल्दी हो जाएगा। चन्द रोज के अन्दर टीम की रिपोर्ट आ जाएगी। राजस्थान ने 394 करोड़ 33 लाख रुपये की सहायता माँगी है भारत सरकार से और कुछ मार्जिन मनी होती है हर एक स्टेट के पास जो हर साल सातवें फाइनेन्स कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक दी जाती है। यह भी राजस्थान सरकार के पास 7 करोड़ 74 लाख रुपये थी और 5 करोड़ रुपये और दे दिये गये। हम यह उम्मीद करते हैं कि आयन्दा किसानों की जो भूमि है, उस पर फसल होगी।

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : बहुत से लोगों के इरीगेशन वेल्स और जमीनें खराब हो गई हैं, उनके बारे में भी कुछ करिये ।

राव वीरेन्द्र सिंह : वही करने की बात बता रहा हूं । उसके लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा भारत सरकार मदद दे सकेगी वह राजस्थान सरकार को भी देगी । दूसरे सूबों में भी बहुत बाढ़ आयी है । बिहार, यू. पी. गुजरात चार-पांच स्टेटों में काफी नुकसान हुआ है । वैसे 9-10 स्टेट्स में नुकसान हुआ है लेकिन जितना नुकसान 1978 में हुआ था, उतना नुकसान भगवान की दया से इस बार नहीं हुआ है । (व्यवधान) मेरा ख्याल है कि आपकी और हमारी दुआओं से हम उस नुकसान को बचा सकेंगे । जो बुरा वक्त था वह शायद गुजर गया है । दरिया भी उतरने शुरू हो गए हैं, पानी भी निकला है ।

जैसा कि मैंने बार बार अर्ज किया है कि इस चीज का पूरा इलाज, लोंग टर्म इलाज जब तक नहीं होगा तब तक यह मुसीबत हर साल आती रहेगी और हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी । हमारी दरियाओं में से भारी पानी पूरे साल में बह जाता है । 1440 मिलियन एकड़ फीट पानी बह जाता है जिसमें से 1500 मिलियन एकड़ फीट सिर्फ बरसात के दिनों में बह जाता है । जब तक स्टोरेज की मुनासिब व्यवस्था नहीं होती तब तक यह होता रहेगा । बदकिस्मती से हिन्दुस्तान में बड़े स्टोरेज की जगह नहीं है । इसके लिए हमारे पड़ोसी मुल्क नेपाल से बातचीत चल रही है समझौते हो गये हैं, इन्वेस्टीगेशन हो रही हैं और हम उम्मीद करते हैं जो दरियाएं ज्यादा तबाही लाती हैं, उत्तर भारत के अन्दर, उनके बड़े बड़े रिजरवायर का इन्तजाम हो जाएगा । अभी तक 130 मिलियन एकड़ फीट की स्टोर करने का इंतजाम हो सकता है और सन् दो हजार तक हम कोशिश करके 70 मीलियन एकड़ फीट पानी को और स्टोर कर पायेंगे । इस तरह से दो सौ मीलियन एकड़ पानी को हम इस सेन्चरी के आखिर तक स्टोर कर सकेंगे । फिर भी 12सौ मीलियन एकड़ फीट पानी बरसात के दिनों में बहेगा । उसका इलाज अभी दिखायी नहीं दे रहा है ।

जैसा कि माननीय सदस्या ने कहा, मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि भारत सरकार पूरी तरह से सचेत है । इस मामले में बराबर हम स्टेट गवर्नमेंट को तैयार रहने के लिए कहते रहते हैं । हमारे अफसर भी वहां जा कर देखते हैं । राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की रिपोर्ट भी आ चुकी है, पिछले साल । उसके लिए भी एक अलग सेल कायम हो गया है, इरीगेशन मिनिस्ट्री के अन्दर/स्टेट के अन्दर अलग अलग रिलीफ कमिश्नर हैं । राजस्थान के अन्दर भी अलहिदा रिलीफ कमिश्नर का ओहदा बना दिया गया है ताकि बाढ़ से पीड़ित लोगों की मदद कर सके । हमारे भारत सरकार में भी रिलीफ कमिश्नर का एक ओहदा है । इसका काम यही है कि बाढ़ से मुसीबत आये या दूसरे तरीके से मुसीबत आये तो उसमें लोगों को राहत पहुंचाने का काम हो । सेन्ट्रल वाटर एण्ड पावर कमीशन भी है और दूसरे महकमे हैं जो यह देखते हैं कि कहां कहां बन्ध लगाये जा सकते हैं, कहां कहां पर छोटे छोटे बांध खड़े करके पानी स्टोर किया जा सकता है ।

जैसाकि मैंने अर्ज किया कि बड़े बड़े रिजरवायर जब तक नहीं करेंगे तब तक हिन्दुस्तान का छुटकारा इन बाढ़ों से नहीं होगा। छोटे छोटे रिजरवायर बनाने की जितनी गुंजाइस मालूम होती है वह कायम किये जाते हैं। छोटे छोटे बांधों से 15 मिलियन एकड़ फीट पानी स्टोर किया जा सका है और पांच मीलियन एकड़ फीट के करीब हम और स्टोर कर सकते हैं जो कि छोटे बांधों और टैंकों में किया जा सकता है। लेकिन यह पानी की बहुत कम तादाद है जिससे कि राहत नहीं मिलेगी। जैसा मैंने अर्ज किया कि बराबर के देश नेपाल से बातचीत चल रही है। जो बड़ी बड़ी दरिया बाढ़ लाती हैं अगर उनका पानी वहाँ पर रोकने का बन्दोबस्त हो जाए तो उससे इरीगेशन भी होगा और पावर जेनरेशन भी होगा।

दरियाओं के अन्दर कुछ सिल्टिंग होती है। हमारे दरियाओं के अन्दर और बड़े बड़े रिजरवायर के अन्दर जो सिल्टिंग होती है उसके बारे में भी नेपाल सरकार से समझौता हो चुका है। एक अर्स के अफोरेस्टेशन का काम हो रहा है। इसके मुताबिक एफारेस्टेशन नेपाल में भारत सरकार के खर्चे से बन रहे हैं।

इस प्रकार से बहुत से कदम भारत सरकार उठा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि हाउस इस बात के लिए सहमत होगा कि भारत-सरकार की तरफ से फ्लड की मुसीबत को दूर करने के लिए कोई कमी नही छोड़ी जा रही है।

पिछले तीस वर्ष में जो रुपया फ्लड कंट्रोल वर्कस के ऊपर खर्च हुआ है वह 975 करोड़ रुपया है और अब सिर्फ इस छटे प्लान के अन्दर उन सारे पांच साला प्लान और रनुअल प्लान जो दो थे, उनके मुकाबले में ज्यादा रकम रखी गई है। जो 1045 करोड़ रुपए रखी गई है। इस रुपए से जितना काम आगे बढ़ सकेगा उसको आगे बढ़ायेंगे।

सभापति महोदय : अब वे चार सदस्य जिनके नाम मतपत्र में निकले हैं वे एक-एक प्रश्न पूछेंगे। यदि कोई नया मुद्दा उठाया जायेगा तो मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री अजित कुमार साहा (विष्णुपुर) : आपकी अनुमति से मैं बंगला में बोलूंगा।

***श्री अजित कुमार साहा** (बिष्णुपुर) : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं बंगला में बोलना चाहूंगा। सभापति महोदय, देश 1947 में स्वतन्त्र हुआ था और तब से 34 वर्ष बीत चुके हैं और हम अभी तक बाढ़ों पर भी नियन्त्रण नहीं कर सके हैं जो कि हर वर्ष हमारे देश मे तबाही मचाती है। मन्त्री महोदय ने अभी अभी इस चर्चा के प्रस्तावक को उत्तर देते समय बाढ़ नियन्त्रण के बारे में सरकार की नीति का उल्लेख किया है और उन विभिन्न उपायों के बारे में बताया है जो वह इस देश में बाढ़ों पर नियंत्रण पाने के लिए करना चाहते है। इन उपायों को कहां तक लागू किया जायेगा यह हम नहीं जानते हैं ? महोदय, 1949 में श्री जवाहर लाल नेहरू ने वैज्ञानिकों की एक समिति इस देश में बाढ़ नियन्त्रण योजनाएं तैयार करने के लिए बनाई थी। 1954 में, मीठा समिति के नाम से जानी जाने वाले एक और समिति का गठन किया गया और इस समिति ने विभिन्न सुझाव दिये तथा उनमें से समिति की दामोदर नदी पर बांध का निर्माण करने

*बंगला में दिये गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की सिफारिशों को केन्द्रीय सरकार ने चुन लिया और उसके पश्चात् दामोदर घाटी निगम की स्थापना की गई। इसके बाद मानसिंह समिति ने सिफारिश की कि दामोदर घाटी परियोजना के लिए 310 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जाने चाहियें। परन्तु हमने देखा है कि इस सिफारिश का पूर्णरूप से पालन नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप दामोदर घाटी निगम पर अपेक्षित स्तर के बांधों का निर्माण न किया जा सका और धन का अभाव इसका एक मुख्य कारण था। निसंदेह इसका गम्भीर परिणाम निकला क्योंकि 1978 में हमने देखा कि एक भयानक बाढ़ आई जिसने पश्चिम बंगाल के 12 जिलों में भारी विनाश लीला की/हर साल हम देखते हैं कि असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्य बाढ़ों की विभीषिका को झेलते हैं और इस वर्ष भी राजस्थान, में भंयकर बाढ़ आई जिसके बारे में इस चर्चा के प्रस्तावक ने उस राज्य में हुई जान-माल की हानि के बारे में बड़ा ही लोमहर्षक वर्णन किया है। गत वर्ष राष्ट्रीय बाढ़ नियन्त्रण आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था और हमें अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि उनकी सिफारिशों का क्या हुआ और किस प्रकार उन्हें लागू किया जा रहा है। मैं इस सदन को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे भूतपूर्व कृषि मन्त्री श्री के० एल. राव ने ब्रह्मपुत्र की बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए नेपाल सरकार से बातचीत की थी और उन्होंने ब्रह्मपुत्र और गंगा को मिलाने की एक योजना भी तैयार की थी जो कि न केवल इस क्षेत्र में बाढ़ों पर नियन्त्रण रखेगी, बल्कि उससे विद्युतोत्पादन में भी सहायता मिलेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि भूतपूर्व सिंचाई मंत्री के इस प्रस्ताव के अनुसरण में क्या सरकार ने आगे कोई कदम उठाए हैं। मैं भी महसूस करता हूं कि समितियों और आयोगों की सिफारिशों को लागू नहीं किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप हम प्रतिवर्ष बाढ़ों से पीड़ित होते हैं जिनसे जान-माल की असीम हानि होती है मन्त्री महोदय अभी बता रहे थे कि सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रत्येक राज्य को अतिरिक्त राशि दी जाती है और चिन्ता की कोई बात नहीं है। क्योंकि इस धन में से बाढ़ों को क्रियान्वित करने या बाढ़ों से हुई हानि से निपटने के लिए तथा राहत प्रदान करने के लिए राज्य उपयुक्त उपाय कर सकते हैं। इस सन्दर्भ में मैं मन्त्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं मैं यह जानना चाहत हूं कि बाढ़ से पीड़ित होने वाले राज्यों को देने के लिए वित्त आयोग ने कितने धन की सिफारिशों की थी और वास्तव में केन्द्र द्वारा इन राज्यों को कितना धन दिया गया ? मैं यह इसलिए कह रहा हूं कि जो राज्य हर बार बाढ़ से प्रभावित होते हैं उन्होंने बाढ़ से बचाव के लिए 205 करोड़ और 63 लाख रुपये की मांग की थी परन्तु केन्द्र ने उन्हें केवल पांच करोड़ 56 लाख रुपये की राशि दी थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय को क्या कहना है और इतनी कम राशि से राज्य सरकार कैसे बाढ़ पर नियंत्रण कर सकती है ?

श्री रेणुपद दास (कृष्णनगर) : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने हमें यह विश्वास करने के लिये प्रेरित करने का प्रयास किया है कि बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा है और यह लगभग भूकम्प की तरह है। वास्तविकता यह नहीं है यद्यपि यह एक प्राकृतिक आपदा है, तो भी हम यह स्मरण किये बिना नहीं रह सकते कि सभ्यता के आरंभ से लेकर बल्कि उससे भी पूर्व लोग बाढ़ों से संघर्ष करते थे और वे नदियों पर बड़े बान्धों का निर्माण करके भूमि और सम्पत्ति

की रक्षा करने का प्रयास करते थे । अतः मंत्री महोदय केवल यह कह कर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते कि बाढ़ केवल एक प्राकृतिक आपदा है ।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय 1947 में पश्चिम बंगाल में दामोदर नदी पर 110 किलोमीटर बांध था और सुन्दरबंस क्षेत्र में गंगा के डेल्टा में विभिन्न नदियों पर अन्य 3,500 किलोमीटर बांध था । उड़ीसा में, टुकड़ों में महानदी पर 1209 किलोमीटर बांध बने हुए थे और बिहार में गंडक नदी के दोनों किनारों के साथ साथ 160 किलोमीटर बांध था । संक्षेप में विभिन्न नदियों पर लगभग 5280 किलोमीटर लम्बाई के बांध थे जो लगभग 30 लाख हैक्टेयर भूमि को सुरक्षा प्रदान करते थे । परन्तु जमींदारी प्रणाली की समाप्ति पर इन बांधों का ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं रहा । उस ससय की सरकार उदासीन थी और उसने सभी बांधों को नष्ट हो जाने दिया । उसके परिणाम स्वरूप बांध टूट गये, नष्ट हो गये और प्रयोग योग्य न रहे ।

अतः उसके कारण, अधिकांश स्थानों, विशेषकर बंगाल घाटी में प्रतिवर्ष बाढ़ें आती रही हैं । बंगाल के निचले भाग में प्रायः प्रति वर्ष बाढ़ें आती हैं । मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बार जब कि बाढ़ों पर नियन्त्रण करने के लिए कोई प्रभावी पग नहीं उठाया है और जब उत्तर प्रदेश, बिहार और असम से नदियों के द्वारा बाढ़ का पानी आयेगा, तो पुनः सारा बंगाल बाढ़ों के जल द्वारा जलमग्न हो जायेगा । 1978 में तीन-चौथाई भूमि में बाढ़ आयीं थी । पश्चिम बंगाल में 16 जिलों में से 12 जिलों पर उसका बुरा प्रभाव पड़ा था । इस बार जैसा कि समाचार मिले हैं, पश्चिम बंगाल में 5 जिलों को बाढ़ों का सामना करना पड़ रहा है । मुझे विश्वास है कि बहुत थोड़े समय के भीतर ही सम्भवतः इस महीने में अथवा आगामी महीने में बंगाल घाटी में भयानक बाढ़ आ जायेगी ।

इस बात को दृष्टिगत रखते हुये मैं एक विशिष्ट प्रश्न पूछना चाहता हूं कि वर्तमान मूल्यों तथा वार्षिक औसत के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में गत 10 वर्षों के दौरान बाढ़ों द्वारा अनुमानित कुल क्षति कितनी हुई । (व्यवधान) यदि आप गत 10 वर्षों के आंकड़े दें तो इससे हमें सहायता मिलेगी । यदि आप चाहें, तो गत 35 वर्षों के आंकड़े दे सकते हैं ।

वर्तमान मूल्यों तथा वार्षिक औसत के अनुसार पश्चिम बंगाल राज्य में गत 10 वर्षों के दौरान बाढ़ों से अनुमानित क्षति कितनी हुई थी । इससे बड़ी सहायता मिलेगी । इन सब वर्षों में पश्चिमी बंगाल के बाढ़ पीड़ितों के लिए कितनी धन राशि का नियतन किया गया था ? क्या केन्द्रीय सरकार के विशेषज्ञों की राय में वह धनराशि पर्याप्त थी ? यदि नहीं थी तो पश्चिम बंगाल को अधिक धनराशि का नियतन क्यों नहीं किया गया ।

श्री मुकुन्द मण्डल (मथुरापुर): आज हम बाढ़ की स्थिति पर चर्चा कर रहे हैं जबकि हमारे वैज्ञानिकों ने अन्तरिक्ष में 'एपल' उपग्रह को 'सफलतापूर्वक छोड़ा है और शायद हमारे मंत्री महोदय राष्ट्र के लिये अपने विचारों का प्रसारण करने के लिए 'एपल' का लाभ उठायेंगे कि भारत में अमुक आपदा आयी है और सरकार बाढ़ों और प्राकृतिक आपदाओं पर नियन्त्रण करने में असफल रही है ।

यह भारत के लिए एक बड़ी समस्या है। सरकार द्वारा एक योजनाबद्ध कार्य शुरू किया जाना चाहिए। मैं विशेषकर यह जानना चाहता हूं कि प्रति वर्ष पूर्वी अंचल के राज्यों को बाढ़ सुरक्षा कार्य के लिए कितनी धन राशि दी जाती है ? मैं विशेषकर पश्चिम बंगाल को दी गयी धनराशि के बारे में जानना चाहता हूं जो लोअर गंगा क्षेत्र तथा मिदनापुर का बाढ़ से सब से अधिक प्रभावित क्षेत्र है। यदि हां, तो 1980-81 के लिए उसके लिये कितनी धनराशि का नियतन किया गया था और 1981-82 के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

पूर्वी क्षेत्र का प्रभावकारी ढंग से नियंत्रण तब तक नहीं किया जा सकता जब तक हम ब्रह्मपुत्र नदी तथा नेपाल से शुरू होने वाली अन्य नदियों की विनाश लीला पर नियंत्रण करने में समर्थ नहीं हो जाते। जहां तक ब्रह्मपुत्र का सम्बन्ध है, पहले ही एक बाढ़ नियंत्रण बोर्ड कार्य कर रहा है, किन्तु इससे अधिक उसके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए कौन कौन से ठोस कार्यक्रम शुरू किये गये हैं ?

प्रतिवर्ष राहत कार्य के लिए करोड़ों रुपये खर्च किये जाते हैं परन्तु मेरे विचार में बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए कोई भी ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। अतः देश में बाढ़ों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार क्या ठोस कार्यवाही कर रही है और कौन कौन से ठोस कार्यक्रम चला रही हैं यह बताया जाए ताकि भविष्य में बाढ़ों पर नियंत्रण किया जा सके।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, मैं भाषण देना नहीं चाहता। मंत्री महोदय ने अपने मूल उत्तर में इस वर्ष की क्षति के आंकड़े दिये हैं। मैं उन्हें उद्धृत नहीं करना चाहता। किन्तु उन्होंने कहा था कि मानसून ऋतु के दौरान अतिरिक्त जल को जमा करने के लिए जलाशय का निर्माण करना भारत सरकार के लिए बहुत ही कठिन कार्य है। जहां तक मुझे स्मरण है पिछली लोक सभा में जब मेरे मित्रों ने कुछ ठोस सुझाव दिये थे, तो तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई ने कहा था कि हमारे देश में बाढ़ों की विनाश लीला को रोकने के लिए नदी माला (गार्लैंड) योजना शुरू की जाएगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या छठी योजना में इस योजना को शुरू किया जायेगा। मेरे सहयोगियों ने असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के बारे में भी कहा है। आप ने भी कहा है। यही वे राज्य हैं जहां प्रतिवर्ष बाढ़ से क्षति और जनहानि होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र नदी को गंगा नदी के साथ जोड़ने की योजना का क्या हुआ क्योंकि उससे ब्रह्मपुत्र की बाढ़ों से असम और पश्चिमी बंगाल को बचाया जा सकता है तथा इससे कलकत्ता पत्तन की भी रक्षा होगी क्योंकि सरकार कम पानी वाले महीने में भागीरथी के द्वारा गंगा से 40,000 क्यूसिक जल की सप्लाई करने में समर्थ हो जायेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि ब्रह्मपुत्र को गंगा के साथ जोड़ने के सम्बन्ध में तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई द्वारा घोषित नदी माला योजना का क्या हुआ ?

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, विशेष मामले के रूप में मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि जयपुर मेरा निर्वाचित क्षेत्र है जो अभूतपूर्व बाढ़ से कुप्रभावित हुआ था। आपकी अनुमति से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

सभापति महोदय : नियमों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती ... ।

श्री सतीश अग्रवाल : एक विशेष मामले के रूप में ।

सभापति महोदय : किन्तु एक विशेष मामले के रूप में मैं आपको अनुमति दे रहा हूं क्योंकि आप जयपुर का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां अभूतपूर्व बाढ़ आयी थी ।

श्री सतीश अग्रवाल : मैं मंत्री महोदय को वह आश्वासन देने के लिए धन्यवाद देता हूं जो उन्होने मेरे पत्र के उत्तर में दिया है ।

चितौड़गढ़ से निर्वाचित माननीय महिला सदस्या, प्रो० निर्मल कुमारी शक्तावत द्वारा बताये गये सभी तथ्यों का समर्थन करने के साथ साथ मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि यह समस्या बहुत अधिक भयानक और गहन है । मैं यह सुझाव दूंगा कि आप उन सभी संसद सदस्यों की बैठक बुलायें जिनकी इस में रुचि है अथवा जिनके जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं ताकि आपके साथ आमने-सामने चर्चा हो सके और आपको कुछ सुझाव दिया जा सके क्योंकि हम इस मामले को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते और हमें कुछ सुझाव देने हैं । हम ये सुझाव यहां नहीं देना चाहते । मुख्य समस्या जयपुर की है । मैं आज ही जयपुर से आया हूं । वहां की समस्या भूमि को समतल करने की है जहां बाढ़ों के कारण 10 से 200 फुट तक अतिरिक्त मट्टी खेतों में जमा हो गई है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस उद्देश्य के लिए ट्रैक्टरों एवं बुलडोजरों के रूप में आवश्यक सहायता प्रदान करेगी । बम्बई से कुछ लोग आये हैं और वे यह काम कर रहे हैं । जयपुर क्षेत्र में लोगों की मुख्य मांग यह है कि वे दान लेना नहीं चाहते । वे तो यह चाहते हैं कि भूमि को समतल किया जाये और कूंओं को साफ किया जाये । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भूमि को समतल करने तथा पम्प सैटों को चालू करके कूंओं को साफ करने की व्यवस्था की जाये ।

आपने बताया है कि जहां तक बाढ़ राहत का सम्बन्ध है, आप 75 प्रतिशत सहायता प्रदान करेंगे । अत: स्वाभाविक है कि राजस्थान को दल की रिपोर्ट की प्रतीक्षा किये बिना तुरन्त सहायता दी जानी चाहिए और उसे हुई 400 करोड़ रुपये की क्षति के मुकाबले कम से कम 200 करोड़ रुपये की सहायता दी जानी चाहिए । अन्तरिम राहत के रूप में उसे तुरन्त 100 करोड़ रुपये दिये जाने चाहिएं । इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय स्तर पर सामूहिक बीमा योजना के समान एक राष्ट्रीय आपदा निधि बनायी जानी चाहिए जिस के लिए प्रत्येक राज्य अंशदान करे और आपदा से प्रभावित राज्य उससे लाभ उठायें ।

राव वीरेन्द्र सिंह : मैंने जयपुर के माननीय सदस्य के सुझाव को नोट कर लिया है । मेरे लिए ऐसे मामलों में आश्वासन देना सम्भव नहीं है, क्योंकि आखिरकार अब तक हम कुछ सिद्धान्तों, नियमों और प्रक्रियाओं का पालन करते चले आ रहे हैं और बिना वित्त मंत्रालय से विचार विमर्श किए उनसे हटना सम्भव नहीं होगा । ऐसा भी हो सकता है कि मुझे इस प्रयोजन के लिए मंत्रिमंडल के सामने भी जाना पड़े । किन्तु मुझे माननीय सदस्य के इस सुझाव पर कोई आपति नहीं है कि मैं राजस्थान के सदस्यों की एक बैठक बुलाऊं । उनका हर प्रकार से

स्वागत है और मैं अपने अन्य सहयोगियों से भी विचार विमर्श करूंगा और यह देखूंगा कि राजस्थान के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है ।

कुछ माननीय सदस्यों की रुचि पश्चिम बंगाल के बारे में अधिक सूचना प्राप्त करने में थी वास्तव में उन्होंने अपने आप ही अधिकांश सूचना दे दी है । सम्भवतः मेरी अपेक्षा वे अपने क्षेत्र के बारे में अधिक जानते हैं ।

जहां तक सुन्दरबंस क्षेत्र का सम्बन्ध है, यह एक विशिष्ट समस्या है क्योंकि यह ऐसा क्षेत्र है जहां सागर का जल आ जाता है । यह समस्या लोगों के लिए, पशुओं के लिए और फसलों के लिए ताजा जल जमा करने की है । हमारे करनाल स्थित भू-लवणता अनुसंधान संस्थान आई. सी. आर. के अन्तर्गत एक अनुसंधान परियोजना चल रही है । हम ताजा जल को जमा करने के लिए और इस क्षेत्र में समुद्र के पानी के आगमन को रोकने के लिए बांध बना रहे हैं । इसमें द्वीप हैं - सुन्दरबंस क्षेत्र है—और यह एक विशेष समस्या है । हम इस समस्या का हल ढूंढ़ने का प्रयास कर रहे हैं । विभिन्न राज्यों के लिए आबंटित न्यूनतम राशि के बारे में सदस्य जानना चाहते थे । मेरे विचार में इसमें अधिक विस्तार से बताने के लिए हमें समय नहीं मिलेगा । परन्तु उन्हें यह जान कर प्रसन्नता होगी पश्चिम बंगाल के लिए न्यूनतम धन का नियतन सबसे अधिक हुआ है । प्रति वर्ष 13.16 करोड़ रुपये की न्यूनतम धनराशि का नियतन किया जाता है । किसी अन्य राज्य को इतनी धनराशि नहीं मिली है । अतः पश्चिम बंगाल का पहले ही विशेष ध्यान रखा गया है । मुझे ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती है कि पश्चिम बंगाल के साथ किसी प्रकार का पक्षपात किया गया है । मेरा कथन है कि पश्चिम बंगाल का उचित रूप से ध्यान रखा गया है । एक माननीय सदस्य यह जानना चाहते थे कि छठी योजना में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए कितनी धनराशि का नियतन किया गया है । पश्चिम बंगाल के लिए छठी योजना में 200 करोड़ रुपये की धनराशि का नियतन किया गया है । मैं उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए भी नियत की गई धनराशि के आंकड़े बता सकता हूं । मेरे विचार में उनकी इस में अधिक रुचि नहीं है । (व्यवधान) । उन्हें मेरे द्वारा कही गयी बात के बारे में प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए । मैं जानना चाहता हूं कि उनकी रुचि केवल पश्चिम बंगाल में ही है ।

श्री कृष्ण चन्द्र हालदर : हम समस्त देश में रुचि रखते हैं ।

राव बीरेन्द्र सिंह : मैंने पहले ही नियत की गई धनराशि के बारे में बता दिया है कि वह 1,045 करोड़ रुपए है क्या आप सभी राज्यों के लिए नियत धनराशि का पृथक पृथक ब्यौरा चाहते हैं ?

कुछ माननीय सदस्य : जी हां ।

राव बीरेन्द्र सिंह : छठी योजना के दौरान बिहार के लिए 158 करोड़ रुपये की धनराशि का नियतन किया गया है, उत्तर प्रदेश के लिए यह धनराशि 132 करोड़ रुपये है और अरुणाचल प्रदेश के लिए यह 100 करोड़ रुपये है । छठी योजना में क्या आपकी किसी अन्य राज्य सें रुचि है ?

सभापति महोदय : वे असम के बारे में भी जानना चाहते हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : असम के लिए 22.40 करोड़ रुपए की धनराशि का नियतन किया गया है। राजस्थान के बारे में छठी योजना में कुल नियत धनराशि 17.75 करोड़ रुपये है। किन्तु राजस्थान बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नहीं है। राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र शुष्क क्षेत्र है।

श्री सतीश अग्रवाल : इस समय इस में बाढ़ें आयी हुई हैं।

राव बीरेन्द्र सिंह : हमारे देश में लगभग 400 लाख हैक्टेयर भूमि बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है। उसमें से गत तीस वर्षों के दौरान हम लगभग केवल 110 लाख हैक्टेयर भूमि की समस्या को ही हल कर पाये हैं। मैं इस समस्या की विशालता को अनुभव करता हूं। इस क्षेत्र की लगभग एक चौथाई का ही हल अब तक किया गया है और तीन चौथाई भूमि अभी तक शेष रह गयी है जिसका हल निकाला जाना शेष है।

1980-81 के लिए पश्चिम बंगाल हेतु नियतन के बारे में सदस्य जानना चाहते थे। इस वर्ष के लिए यह राशि 32 करोड़ रुपये नियत की गई है, परन्तु चालू वर्ष के लिए योजना आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए 30.86 करोड़ रुपये की राशि स्वीकार की गई है। मेरे विचार में उनकी अधिकांश बातों का उत्तर दिया जा चुका है।

धन्यवाद।

सभापति महोदय : अब सभा कल 11 बजे म० पू० तक के लिए स्थगित होती है।

6.25 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 25 अगस्त, 1981/3 भाद्र, 1903 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।